ग माला, खंड 5, अंक 3

शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 2004
12 अग्रहायण, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खंड 5 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

विजय कुमार कौशिक
सहायक सम्पादक

नारद प्रसाद किमोठी
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 5, तीसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 3, शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 2004/12 अग्रहायण, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 41, 42 और 44	1–44
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 43 और 45 से 60	44–81
अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 509 और 511 से 689	81–421
सभा पटल पर रखे गए पत्र	422–436
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	436–437
वित्तीय समितियां—एक समीक्षा (2001-02), (2002-03) और (2003-04)	437
संसदीय समितियां—कार्य सारांश	437
लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अंतर्गत अध्यक्ष के निदेश (पांचवां संस्करण) में संशोधन	437
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	438
नियम समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	438
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	438
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
तिरासीवां प्रतिवेदन	438–439
समिति के लिए निर्वाचन	
राष्ट्रीय कैडेट कोर	439

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
सभा का कार्य	439–443
कार्यमंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	443–444
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सी आर पी एफ कैंप पर आतंकवादी फियादीन हमला	
श्री एस. रघुपति	476–477
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 2004	469–283
विचार करने के लिए प्रस्ताव	469
श्री पी. चिदम्बरम	469, 480–481
श्री पी.एस. गढ़वी	469–471
श्री के.एस. राव	471–475
श्री भर्तृहरि महताब	475–476, 477–478
श्री वरकला राधाकृष्णन	478–480
खंड 2, 3 और 1	281–283
पारित करने के लिए प्रस्ताव	283
आतंकवाद निवारण (निरसन) अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और आतंकवाद निवारण (निरसन) विधेयक, 2004	
विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2004	284–501
विचार करने के लिए प्रस्ताव	484
श्री रामजी लाल सुमन	484–485
श्री शिवराज वि. पाटील	486
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"	486–488
श्री लक्ष्मण सिंह	489–498
श्री मधुसूदन मिस्त्री	498–501
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित	502–519, 537–538
(एक) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2004 (धारा 2, आदि का संशोधन)	
श्री बसुदेव आचार्य	502
(दो) वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2004 (नई धारा 2क का अंत:स्थापन)	
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	502

विषय		कॉलम
(तीन)	राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक, 2004 श्री अनंत गंगाराम गीते	503
(चार)	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (अनुच्छेद 298, आदि का संशोधन) श्री अनंत गंगाराम गीते	503
(पांच)	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (अनुच्छेद 103, आदि का संशोधन) श्री अनंत गंगाराम गीते	504
(छह)	कपास उत्पादक (कल्याण) विधेयक, 2004 श्री रायापति सांबासिवा राव	504–505
(सात)	बेरोजगारी भत्ता विधेयक, 2004 श्री रायापति सांबासिवा राव	505
(आठ)	मिर्च उत्पादक (कल्याण) विधेयक, 2004 श्री रायापति सांबासिवा राव	505–506
(नौ)	भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2004 (धारा 55, आदि का संशोधन) श्री मोहन सिंह	506
(दस)	ग्रामीण श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, 2004 श्री सुरेश चन्देल	506–507
(ग्यारह)	सूखा प्रवण क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2004 श्री सुरेश चन्देल	507
(बारह)	कृषि कर्मकार (रोजगार, सेवा शर्तें तथा कल्याण) विधेयक, 2004 श्री रायापति साबासिवा राव	508
(तेरह)	समान विवाह और विवाह-विच्छेद विधेयक, 2004 श्री बची सिंह रावत ''बचदा''	508
(चौदह)	अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक, 2004 श्री बसुदेव आचार्य	509
(पन्द्रह)	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक, 2004 श्री बसुदेव आचार्य	509–510

विषय कॉलम

(सोलह) विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2004
(धारा 3, आदि का संशोधन)

श्री बसुदेव आचार्य 510

(सत्रह) सामाजिक नि:शक्तताओं का निवारण विधेयक, 2004

श्री काशीराम राणा 510-511

(अठारह) गुजरात उच्च न्यायालय (सूरत में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2004

श्री काशीराम राणा 511

(उन्नीस) पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण)
संशोधन विधेयक, 2004 (अनुसूची का संशोधन)

श्री पवन कुमार बंसल 511-512

(बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004
(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

प्रो. रासा सिंह रावत 512

(इक्कीस) अत्यधिक पिछड़े वर्ग (सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व) विधेयक, 2004

श्री काशीराम राणा 512-513

(बाइस) भारतीय प्रौद्योगिकी बैंक विधेयक, 2004

श्री काशीराम राणा 513

(तेईस) महिला (सेवा में आरक्षण) विधेयक, 2004

श्रीमती कृष्णा तीरथ 513-514

(चौबीस) आयकर (संशोधन) विधेयक, 2004
(नई धारा 4क का अंत:स्थापन)

श्री एस.पी.वाई. रेड्डी 514

(पच्चीस) मछुआरा (बीमा) विधेयक, 2004

श्री अब्दुल्लाकुट्टी 515

(छब्बीस) जादू-टोना पर पाबंदी विधेयक, 2004

श्रीमती करुणा शुक्ला 515

(सत्ताइस) संसद सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2004
(धारा 3 का संशोधन)

श्री पवन कुमार बंसल 516

विषय	कॉलम
(अट्ठाइस) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2004 (धारा 12 और 154 का संशोधन)	
श्री पवन कुमार बंसल	516–517
(उनतीस) मेधावी छात्रों के लिए नि:शुल्क आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी शिक्षा का उपबंध विधेयक, 2004	
श्री रामदास आठवले	517
(तीस) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (पदों तथा सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण) विधेयक, 2004	
श्री रामदास आठवले	517–518
(इकत्तीस) वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2004 (नई धारा 3ग का अंत:स्थापन)	
श्री एस.पी.वाई. रेड्डी	518
(बत्तीस) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2004 (धारा 8, आदि के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)	
श्री सुरेश चन्देल	519
(तैंतीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (अनुच्छेद 164 का संशोधन)	
श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक	535–536
(चौंतीस) परिसीमन (संशोधन) विधेयक, 2004 (धारा 2 का संशोधन)	
श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक	536
आतंकवाद निवारण (निरसन) विधेयक 2004—*वापस लिया गया*	519–520
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	519–520
संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004—*विचाराधीन* (नए अनुच्छेद 21ख, आदि का अंत:स्थापन)	520–535, 536–558
विचार करने के लिए प्रस्ताव	520
श्री बसुदेव आचार्य	520–535
श्री थावरचंद गहलोत	536–542
श्री रामजीलाल सुमन	542–546
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	546–550
प्रो. रासा सिंह रावत	550–555
श्री बची सिंह रावत ''बचदा''	555–558

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका
श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव
श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 2004/12 अग्रहायण, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री विजय कृष्ण, प्रश्न संख्या 41

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

'काम के बदले अनाज कार्यक्रम'

+
***41. श्री विजय कृष्ण:**
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के सभी समर्थ व्यक्तियों को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ''काम के बदले अनाज'' नामक एक नया व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' को विभिन्न राज्यों के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में भी लागू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके लिए कितनी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है और राज्यवार ऐसे प्रत्येक जिलों को कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) खाद्य सुरक्षा के साथ पूरक मजदूरी रोजगार सृजित करने के लिए देश के 150 अत्यंत पिछड़े जिलों में नवम्बर, 2004 से एक नया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) शुरू किया गया। गोवा के अलावा सभी राज्यों को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम ऐसे सभी ग्रामीण गरीबों के लिए है जिन्हें मजदूरी रोजगार की आवश्यकता है और जो शारीरिक तथा अकुशल कार्य करने के इच्छुक हैं।

(ख) कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: (1) इसे शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, (2) राज्यों को खाद्यान्न भी मुफ्त दिये जाते हैं, (3) खाद्यान्नों की परिवहन लागत, संचालन शुल्क और कर राज्यों के दायित्व हैं; (4) पंचवर्षीय भावी योजना के अनुरूप कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य शुरू किये जाएं, (5) भावी योजना तैयार करने और कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए कलक्टर नोडल अधिकारी होगा; (6) श्रमिकों को अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी न दी जाए (7) मदूरी का भुगतान नगद तथा खाद्यान्न दोनों रूपों में किया जाएगा, तथा (8) कार्यक्रम में जल संरक्षण, सूखे को रोकने (वनरोपण/वृक्षारोपण सहित), भूमि विकास, बाढ़, नियंत्रण/सुरक्षा (जल-जमाव वाले क्षेत्रों में जल निकासी सहित), और बारहमासी सड़कों के रूप में ग्रामीण सड़क संपर्क संबंधी कार्यों पर बल दिया जाएगा।

कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, कार्यक्रम के मात्रात्मक तथा गुणात्मक पहलुओं के बारे में समय-समय पर जानकारी देने के अलावा राज्य, जिला, उप-मंडलीय तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा कार्यों की आवधिक जांच करना, कार्य आरंभ होने पर स्थानीय लोगों की निगरानी समितियों का अनिवार्य रूप से गठन करना, संबंधित पंचायत के पास अपने कार्य क्षेत्र में योजना के अंतर्गत किसी भी कार्य की प्रगति की जांच तथा समीक्षा करने का अधिकार होगा, मंत्रालय की जिला स्तरीय निगरानी योजना के अंतर्गत स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा कार्यों का शत-प्रतिशत सत्यापन, प्रत्येक जिले के वित्तीय वर्ष के अंत में स्थानीय कोष लेखा परीक्षा या सनदी लेखाकार द्वारा अनिवार्य रूप से वास्तविक एवं वित्तीय लेखा परीक्षा जैसे अनेक उपाय किये गये।

(ग) से (ङ) कार्यक्रम को देश के चुने गए 150 अत्यंत पिछड़े जिलों में शुरू किया गया। गोवा के अलावा सभी राज्यों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम के अंतगत चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2004-05 के दौरान 20 लाख टन खाद्यान्नों के साथ 2020 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई। चालू वर्ष के लिए संसाधनों के आबंटन के साथ चुने गए राज्य-वार जिलों के विवरण अनुबंध पर है।

अनुबंध

2004-05 के दौरान एन एफ एफ डब्ल्यू पी के अंतर्गत आवंटन

क्र.सं.	राज्य का नाम	सं. योजना आयोग द्वारा चुने गए जिलों का नाम	(रु. लाख में)	(खाद्यान्न मीट्रिक टन में)		
			निधियां*	गेहूं	चावल	खाद्यान्न
1	2	3 4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश (8)	1. आदिलाबाद	2245.09	0	22053	22053
		2. महबूबनगर	1974.18	0	19394	19394
		3. रेगारेड्डी	1548.94	0	15217	15217
		4. खम्माम	1721.39	0	16911	16911
		5. वारंगल	1819.46	0	17874	17874
		6. नालगौंडा	1481.21	0	14553	14553
		7. अनंतपुर	1036.42	0	10182	10182
		8. कुडप्पा	939.39	0	9229	9229
2.	अरुणाचल प्रदेश (1)	1. अपर सुबनसिरी	127.16	0	1249	1249
3.	असम (5)	1. कोकराझार	3307.40	0	32490	32490
		2. उत्तरी कछार हिल्स	1571.34	0	15437	15437
		3. करबी आंगलांग	2573.51	0	25282	25282
		4. धीमाजी	1837.03	0	18047	18047
		5. उत्तरी लखीमपुर	1804.60	0	17728	17728
4.	बिहार (15)	1. अररिया	1151.04	0	11309	11309
		2. वैशाली	2227.76	0	21886	21886
		3. गया	2927.88	0	28764	28764
		4. मधुबनी	1999.16	0	19639	19639
		5. मुजफ्फरपुर	2239.00	0	21996	21996
		6. नवादा	1675.66	0	16462	16462
		7. समस्तीपुर	2144.06	0	21063	21063
		8. शिवहर	1176.64	0	11558	11558
		9. कटिहार	1781.84	0	17506	17506
		10. जमुई	1873.64	0	18406	18406

1	2	3	4	5	6	7	8
		11.	लक्खीसराय	1500.17	0	14738	14738
		12.	मुंगेर	1511.41	0	14849	14849
		13.	पुर्णिया	1302.18	0	12793	12793
		14.	सुपौल	1968.56	0	19340	19340
		15.	दरभंगा	2124.72	0	20874	20874
5.	छत्तीसगढ़ (10)	1.	बस्तर	1457.06	0	14314	14314
		2.	दांतेवाड़ा	1097.20	0	10779	10779
		3.	कांकेर	932.32	0	9159	9159
		4.	कोरिया	945.73	0	9291	9291
		5.	सरगुजा	1612.14	0	15837	15837
		6.	जसपुर	1009.79	0	9919	9919
		7.	धमतरी	667.12	0	6554	6554
		8.	रायगढ़	1060.35	0	10418	10418
		9.	बिलासपुर	1183.35	0	11626	11626
		10.	राजनंदगांव	1134.73	0	11148	11148
6.	गुजरात (6)	1.	डांग्स	699.27	0	6873	6873
		2.	दोहाद	942.10	0	9262	9262
		3.	पंचमहल	857.89	0	8433	8433
		4.	साबरकांठा	669.37	0	6580	6580
		5.	नर्मदा	411.27	0	4044	4044
		6.	बनासकांठा	595.12	0	5850	5850
7.	हरियाणा (1)	1.	महेन्द्रगढ़	294.57	2893	0	2894
8.	हिमाचल प्रदेश (1)	1.	चंबा	317.63	1386	1735	3121
9.	जम्मू-कश्मीर (2)	1.	डोडा	280.00	1491	1259	2750
		2.	कुपवाड़ा	236.56	0	2324	2324
10.	झारखंड (14)	1.	सरायकेला	1194.55	3409	8328	11737
		2.	पश्चिमी सिंहभूम	2339.80	6555	16432	22987
		3.	गोड्डा	1778.03	5012	12455	17467
		4.	सिमडेगा	1258.35	3538	8825	12363

1	2	3	4	5	6	7	8
		5.	गुमला	1912.27	5398	13389	18787
		6.	चतरा	1823.21	5143	12781	17924
		7.	गढ़वा	2324.60	6553	16285	22838
		8.	पलामू	2212.42	6298	15436	21734
		9.	लातेहार	1246.80	3451	8797	12248
		10.	लोहरदग्गा	1163.34	3278	8149	11427
		11.	दुमका	2005.82	5657	14049	19706
		12.	जामताड़ा	895.97	2522	6279	8801
		13.	साहेबगंज	1700.95	4795	11916	16711
		14.	पाकुड़	1758.27	4951	12323	17274
11.	कर्नाटक (3)	1.	चित्रदुर्ग	1093.01	2147	8591	10738
		2.	दावेनगेरे	1032.28	2029	8113	10142
		3.	बीदर	932.14	1832	7326	9158
12.	केरल (1)	1.	वायनाड	571.84	1873	3745	5618
13.	मध्य प्रदेश (15)	1.	झाबुआ	2035.47	0	19997	19997
		2.	मांडला	1186.63	743	10916	11659
		3.	उमरिया	827.76	1512	6619	8131
		4.	शहडोल	1371.01	1265	12205	13470
		5.	बडवानी	1342.09	11533	1652	13185
		6.	खरगौन	1314.99	12919	0	12919
		7.	शिवपुरी	716.25	7037	0	7037
		8.	सिधी	1248.96	3195	9075	12270
		9.	टीकमगढ़	611.98	4791	1221	6012
		10.	बालाघाट	874.42	1594	6996	8590
		11.	छत्तरपुर	683.85	5393	1326	6719
		12.	बेतुल	1208.57	9358	2509	11867
		13.	खंडवा	1140.83	9606	1603	11209

1	2	3	4	5	6	7	8
		14.	सियोपुर	319.81	2735	406	3141
		15.	धार	1639.27	16104	0	16104
14.	महाराष्ट्र (11)	1.	गढ़चिरोली	1212.18	2742	9167	11909
		2.	गोंदिया	1240.30	2795	9285	12080
		3.	चन्द्रपुर	1739.55	3933	13156	17089
		4.	धुले	1275.80	8018	4516	12534
		5.	नंदुरबार	1709.23	3866	12925	16791
		6.	हिंगोली	1267.91	10275	2183	12458
		7.	नांदेड़	1813.19	14693	3121	17814
		8.	औरंगाबाद	921.38	7468	1585	9053
		9.	अहमदनगर	1614.13	13081	2778	15859
		10.	यवतमाल	226.82	14215	8005	22220
		11.	भंडारा	1139.18	2575	8616	11191
15.	मणिपुर (1)	1.	तामेनलौंग	266.06	0	2614	2614
16.	मेघालय (1)	1.	दक्षिणी गारो हिल्स	362.46	0	3562	3562
17.	मिजोरम (1)	1.	सियाहा	63.66	0	626	626
18.	नागालैंड (1)	1.	मोन	303.72	1492	1492	2984
19.	उड़ीसा (18)	1.	कोरापुट	1784.62	0	17533	17533
		2.	मलकानगिरी	1347.50	0	13237	13237
		3.	नबरंगपुर	1744.50	0	17139	17139
		4.	रायगडा	1593.93	0	15715	15715
		5.	मयूरभंज	2517.13	0	24731	24731
		6.	सुंदरगढ़	1792.79	0	17612	17612
		7.	क्योंझर	1670.29	0	16408	16408
		8.	फुलबनी	1250.76	0	12288	12288
		9.	बौद्ध	771.47	0	7579	7579
		10.	नौपाड़ा	1034.59	0	10165	10165

1	2	3	4	5	6	7	8
		11.	कालाहांडी	1453.34	0	14282	14282
		12.	सम्बलपुर	933.73	0	9172	9172
		13.	गंजम	1528.88	0	15020	15020
		14.	देवगढ़	583.00	0	5727	5727
		15.	झारसुगुड़ा	686.12	0	6741	6741
		16.	सोनपुर	657.80	0	6464	6464
		17.	बोलंगीर	1103.23	0	10838	10838
		18.	ढेंनकनाल	835.86	0	8212	8212
20.	पंजाब (1)	1.	होशियारपुर	748.65	7356	0	7356
21.	राजस्थान (5)	1.	बांसवाड़ा	1248.35	8841	0	8841
		2.	डुंगरपुर	842.15	8272	0	8272
		3.	उदयपुर	1147.48	11271	0	11271
		4.	सिरोही	405.05	3979	0	3979
		5.	करौली	397.56	3906	0	3906
22.	सिक्किम (1)	1.	उत्तरी सिक्किम	210.42	0	2068	2068
23.	तमिलनाडु (4)	1.	तिरूवन्नामलाई	1443.54	0	14181	14181
		2.	दक्षिणी आरकोट/कुड्डालोर	1167.52	0	11471	11471
		3.	विल्लुपुरम	1595.86	0	15679	15679
		4.	नागापट्टीनम्	863.64	0	8484	8484
24.	त्रिपुरा (1)	1.	धलाई	1028.60	0	10105	10105
25.	उत्तरांचल (2)	1.	चम्पावत	223.67	2197	0	2197
		2.	टिहरी गढ़वाल	837.00	2754	5467	8221
26.	उत्तर प्रदेश (15)	1.	सोनभद्र	2295.10	0	22542	22542
		2.	उन्नाव	2625.13	25785	0	25785
		3.	रायबरेली	2882.60	28312	0	28312
		4.	सीतापुर	3262.20	32041	0	32041
		5.	हरदोई	2832.43	27820	0	27820

1	2	3	4	5	6	7	8
		6.	फतेहपुर	1880.43	18469	0	18469
		7.	ललितपुर	689.32	6770	0	6770
		8.	लखीमपुरखेरी	2083.76	20467	0	20467
		9.	बांदा	932.17	9156	0	9156
		10.	चित्रकूट	585.11	5747	0	5747
		11.	मिर्जापुर	1779.94	0	17482	17482
		12.	कुशीनगर	1781.00	0	17492	17492
		13.	महोबा	474.73	4662	0	4662
		14.	हमीरपुर	697.31	6850	0	6850
		15.	बाराबंकी	2767.61	27184	0	27184
27.	पश्चिम बंगाल (6)	1.	पुरूलिया	3838.74	0	37715	37715
		2.	माल्दा	1425.30	0	14002	14002
		3.	पश्चिमी मिदनापुर	2346.74	0	23059	23059
		4.	बांकुड़ा	1773.46	0	17421	17421
		5.	पश्चिमी/उत्तरी दीनाजपुर	1329.09	0	13058	13058
		6.	मुर्शीदाबाद	1253.27	0	12313	12313
			कुल	201900.00	514991	1485009	2000000

*एक करोड़ रु. अन्य खर्च के लिए रखे गए हैं जैसे कि आईईसी, एचआरडी तथा मंत्रालय स्तर पर प्रशासनिक खर्च।

श्री विजय कृष्ण: अध्यक्ष महोदय, गरीबी उन्मूलन एवं खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' शुरू किया गया है। इसमें सूखा प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी है। मंत्री जी जानते हैं कि बिहार का एक बड़ा इलाका, खासकर मध्य बिहार का इलाका, मोकामा, बढैया, फतुहा का ताल क्षेत्र, ये सारे इलाके सूखे से प्रभावित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन जिलों की इसमें सूची दी गई है, उसमें क्या आप पटना, औरंगाबाद और नालन्दा को शामिल करना चाहेंगे? उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि नवादा और गया जिलों को इसमें शामिल किया है। उसी कड़ी में क्या इन जिलों को रखना चाहेंगे, यह मेरा पहला पूरक प्रश्न है। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है....

अध्यक्ष महोदय: वन बाई वन।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हम लोगों का कमिटमेंट था कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम तुरन्त लागू करेंगे, उसी से संबंधित योजना बनाकर, देश के चुने हुए 150 जिलों में, जो एक क्राइटीरिया के आधार पर चुने गये हैं, वह क्राइटीरिया प्रश्नोत्तर में दिया गया है कि शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स की पोपुलेशन का परसेंटेज जिस जिले में अधिक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर और मिनिमम वेज रेट, इन तीनों क्रीइटीरिया के आधार पर, और फिर राष्ट्रीय श्रम विकास योजना में जो जिले चुने गये थे, उसके आधार पर योजना आयोग के परामर्श से 150 जिले चुने गये हैं। यह ठीक बात है और जैसी माननीय सदस्य की इच्छा है अथवा उनकी आकांक्षा है, उनकी समस्याएं हैं कि कुछ जिले जो सूखे से प्रभावित हैं, वैसे देश के बहुत बड़े क्षेत्र में सूखा पड़ा है, सभी सदस्यगण चाहेंगे

कि उनका जिला उसमें शामिल हो जाये, लेकिन अभी तक क्राइटीरिया के आधार पर जो 150 जिले चुने गये हैं, 14 फरवरी को पंडित जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिवस से, प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश से उसकी शुरुआत की है और सभी जिलों में 2-2 करोड़ रुपये भेज दिये गये। उसमें पांच वर्षों तक पर्सपेक्टिव प्लान बनाना है, यह काम फर्स्ट फेज में होना है। इसके बाद एम्पलायमेंट गारण्टी कानून का हम लोगों ने वचन दिया है। इसलिए स्टाप गैप अरेंजमेंट के बीच में, यह फूड फॉर वर्क जो हमारा कमिटमेंट था, उसे लागू किया गया है, लेकिन जिन जिलों का सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है, उसमें स्थिति देखकर हम लोग तय करेंगे।

श्री विजय कृष्ण: यह मेरा पाइंटिड प्रश्न था कि पटना, औरंगाबाद, नालन्दा और जहानाबाद को शामिल करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि इसी कड़ी में उन्होंने गया और नवादा जिलों को शामिल किया है। जो क्राइटीरिया गया और नवादा के लिए है, उससे अधिक क्राइटीरिया इनका है। इसलिए मेरा कहना है कि मंत्री जी प्रश्न को टाल रहे हैं। मेरा दूसरा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दूसरा नहीं।

श्री विजय कृष्ण: मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि विभिन्न स्तर पर जो निगरानी समितियां गठित की जानी हैं, उनमें निचले स्तर की जो निगरानी समिति है, क्या उसमें माननीय सांसदों और विधायकों के मनोनीत सदस्य लिए जाएंगे या नहीं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: निगरानी समिति यानी डिस्ट्रिक्ट मोनीटरिंग एण्ड विजिलेंस कमेटी का गठन हो गया है, कुछ राज्यों को सूचना चली गई है, हमने भेज दी है और कुछ राज्यों में अभी जानी बाकी है। सभी बातों की देख-रेख के लिए, आपकी कृपा से और आपके निदेश पर, सभी राज्यों के माननीय सदस्यों का लोक सभा, राज्य सभा का, सभी का हम इंटरैक्शन भी करने जा रहे हैं ताकि सभी लोगों को जानकारी हो जाये।

श्री अनंत गुढ़े: विजिलेंस कमेटी को स्टेट गवर्नमेंट माने तब न। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? मैंने आपका नाम नहीं पुकारा। हममें अनुशासन की भावना होनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इसे सर्कस नहीं बनाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। अनेक माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। समय बर्बाद न करें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उस कमेटी का गठन किया गया है। नीचे से ऊपर तक पूरी स्ट्रिक्ट निगरानी के लिए और सरजमीं पर, जहां यह योजना लागू की जा रही है, उसमें नौ व्यक्तियों की समिति लाभार्थियों को लेकर बनेगी, जिसमें एक शैडयूल्ड कास्ट्स, अनिवार्य रूप से एक महिला, यदि रिटायर्ड पर्सोनेल उस मौहल्ले में है तो उसे भी उसमें रखे जाने का प्रावधान है। इससे पहले सोशल आडिट का प्रावधान था, लेकिन उसकी डेफिनीशन नहीं दी गई थी कि सोशल आडिट का क्या मतलब होगा, लेकिन उसकी सही ढंग से निगरानी हो सके और ट्रांसपेरेंसी रहे, जनके लाभ के लिए यह योजना लागू की जा रही है, उनका भी पीपुल्स पार्टीसिपेशन इन्वोल्वमेंट उसमें रखा गया है।

हमारे लोक सभा और राज्य सभा के जो माननीय सदस्य हैं, उन्हें सभी जगह निगरानी करने का पर्याप्त अधिकार है। पंचायत स्तर पर, ब्लाक स्तर पर, जिला स्तर पर और स्टेट लैवल, इन चार लैवल्स पर निगरानी समिति का गठन हुआ है। इस समिति का काम है कि वे सभी जगह देख-रेख करके जो खर्चा गरीब के नाम पर किया जाता है, वह पाई टू पाई गरीब के पास पहुंचाये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने मानदंडों के बारे में सुना है जिसके आधार पर जिलों का चयन किया जाता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या कुछ अन्य जिलों को भी शामिल करने के लिए इनमें कुछ रियायत दी जाएगी।

महाराष्ट्र में, इसमें अहमदनगर को शामिल किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। किंतु बीड़ और शोलापुर जैसे जिले जो कि सूखा से अधिक प्रभावित हैं ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: पंढ़ारपुर को भी शामिल कीजिए।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: वह हमेशा पंढारपुर की सोचते हैं। पंढारपुर शोलापुर में है।

शोलापुर और बीड़ जिले सूखा से अधिक प्रभावित हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसमें कुछ छूट दी जा सकती है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां कानाफूसी नहीं करें।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: यदि यह किया गया तो सरकार उन जिलों के प्रति भी न्याय करेगी।

महोदय, प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति पांच किलो अनाज दिया जा रहा है। यदि पांच व्यक्ति के परिवार में दो या तीन व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उस परिवार में लगभग 15 किलो अनाज आता है। यह उस परिवार की अन्य घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें कुछ वित्तीय सहायता दी जाएगी जिससे कि उनकी आमदनी में वृद्धि हो। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यदि सरकार इस संबंध में निर्णय लेती है तो यह कब दिया जाएगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक जिले को इसमें जोड़ने की इच्छा जाहिर की है और वे इसके लिए आग्रह भी कर रहे हैं। लेकिन क्राइटीरिया के आधार पर जिलों का चयन कर लिया गया है जिसमें राज्य सरकारों से भी परामर्श किया गया है। राज्य सरकारों की भी उसमें सहमति मिली है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप स्वयं को या अपनी जनता को लाभ नहीं पहुंचा सकेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसमें 150 जिलों का चयन किया गया है। इसके बाद इम्प्लायमैंट गारंटी एक्ट आने वाला है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जा रही है और मंत्री जी के बोलने में भी व्यवधान डाला जा रहा है, अध्यक्षपीठ के बोलने में भी व्यवधान डाला जा रहा है। यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक सवाल अनाज का उठाया है। हमने कैश कम्पोनेंट और अनाज दोनों मजदूरों को देना है। अब हमने यह प्रावधान किया है कि स्टेट में जो मिनिमम वेजेज एक्ट लागू है, उसके मुताबिक मजदूरों को उतनी मजदूरी देनी है, लेकिन कभी-कभी अनाज की अनुपलब्धता रहती है। इसलिए हमने यह प्रावधान भी किया है कि अगर अनाज नहीं है तो कैश दिया जायेगा। कैश और अनाज दोनों मजदूरों को देना है। इसमें अनाज की भी मात्रा बढ़ायी जा सकती है लेकिन कम से कम 25 रुपये कैश में जरूर देना है। ऐसा नहीं है कि केवल पांच किलो अनाज ही देना है बल्कि कैश भी देना है और जो पहले न्यूनतम मजदूरी थी, उतनी देनी है।

श्री वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया है कि देश के 150 अत्यंत पिछड़े जिलों में नवम्बर, 2004 से एक नया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, यानी 'काम के बदले अनाज' देना शुरू किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी एक शब्द बहुत प्रयोग करते थे कि बुझाता नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा इस तरह के जो कार्यक्रम चलाये जा रहे थे, क्या उन कार्यक्रमों को बंद करके, या उनके नाम में संशोधन करके, पुन: उन्हीं कार्यक्रमों को तो नहीं चलाया जा रहा है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह धारणा गलत है कि कोई कार्यक्रम बंद करके नया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पहले से ही सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, यानी एसडीआरवाई लागू है। उसमें 4500 करोड़ रुपये नकद और 50 लाख टन अनाज खर्च किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 'फूड फॉर वर्क' योजना लागू की गयी है, जिसमें दो हजार बीस करोड़ रुपये और 20 लाख टन अनाज गरीबों को दिया जाएगा। जो गांवों में बसने वाले मजदूर हैं, मेहनतकश लोग हैं, जिनको काम नहीं मिलता तथा जिनका बेकारी के चलते पलायन होता है, उस पलायन को रोकने के लिए फूड फॉर वर्क जैसी महत्वाकांक्षी और गरीबोन्मुखी योजना लागू की गयी है, जिससे गरीब और गांव का विकास हो सके।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर साहू: अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने मानदंडों के अनुरूप, पूरे देश में 150 जिलों का चयन किया है। मेरे चुनाव क्षेत्र में गजपति जिला उड़ीसा का सबसे पिछड़ा जिला है। उन्होंने इस जिला को छोड़ दिया है। इसलिए मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से सिर्फ यह अनुरोध करता हूं कि गजपति जिला को शामिल किया जाए क्योंकि यह जैसा कि वह कह चुके हैं यह सबसे पिछड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की अधिक आबादी है। वहां सूखा भी है। इसलिए, मैं मंत्री जी से गजपति जिला को शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने मानदंड बता दिया है। क्या आप उनके जिला पर विचार कर रहे हैं?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्राइटेरिया के आधार पर उड़ीसा में देशभर के सबसे ज्यादा जिलों, 18 जिलों का चयन किया गया है। माननीय सदस्य कहते हैं कि उसमें एक जिला छूट गया है। अभी उस पर कैसे विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

श्रीमती सी.एस. सुजाता: मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या इस योजना के लिए निधियों के आवंटन से अन्य एसजीआरवाई योजना के वित्त पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस योजना को लागू करने में पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका है?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हर स्तर पर, जो थ्री टीयर सिस्टम है, जिला पंचायत परिषद, ब्लॉक पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, तीनों स्तर पर उनसे परामर्श करके, उनकी निगरानी में हमने पर्सपैक्टिव प्लान बनाना है। हमारी भावी योजना है कि गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए योजना बनाई जाए और पर्सपैक्टिव प्लान बनाकर उसे फेज-वाइज लागू किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: संदर्शी योजना कौन तैयार करेगा?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, पर्सपैक्टिव प्लान के लिए पंचायत से सलाह करनी है और एक्सपर्ट्स से जो राय ली जा सकती है। एक जिले से पर्सपैक्टिव प्लान की तैयारी करवाने के लिए दस लाख रुपये दिये गये हैं, जिसमें पंचायतों से राय ली जाएगी और एक्सपर्ट्स की राय भी ली जा सकती है। राज्य सरकार जिस अथॉरिटी से यह कार्य करना चाहे, इसके लिए उसे छूट दी गई है कि वह इसका कार्यान्वयन ठीक ढंग से करवाए।

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी काफी कम्पीटेंट हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं। लेकिन बिहार के साथ उनकी बेरुखी क्यों हैं, यह हमें नहीं पता। इसी सदन में बार-बार कहा गया कि पूरा उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित है और दक्षिण बिहार सुखाड़ से प्रभावित है। जैसे अभी श्री विजय कृष्ण ने पटना, औरंगाबाद और नालन्दा के बारे में कहा, इन्होंने शिवहर को शामिल किया, यह बहुत खुशी की बात है, इसके लिए हम इनको बधाई देते हैं, लेकिन पश्चिमी चम्पारन, पूर्वी चम्पारन, सीतामढ़ी और मधुबनी का पूरा इलाका बाढ़ग्रस्त है जिसमें हर साल बर्बादी होती है। वहां के 60 प्रतिशत मजदूरों का पलायन हर साल होता है। इसके बावजूद भी उसे योजना में नहीं जोड़ने का क्या कारण है। कम से कम मंत्री जी इतना कह दें कि हम भविष्य में इसे कंसीडर करेंगे। इन्हें इतना तो कहना चाहिए।

अध्यक्ष महदोय: ऐसा बोल दीजिए कि गहराई से कंसीडर करेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, इसमें निश्चित क्राइटेरिया के आधार पर जिला चुना जाता है। माननीय सदस्य कहते हैं कि बिहार बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित है, यह ठीक बात है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि बिहार में हर साल बाढ़ से बर्बादी होती है। इस साल सुखाड़ से 20 जिले और बाढ़ से भी 20 जिले प्रभावित हुए हैं। उसके लिए केन्द्र सरकार ने बाढ़ और सुखाड़ दोनों मदों में एनसीसीएफ से विशेष सहायता दी है। उसमें बाढ़ के लिए एक लाख 84 हजार टन और सुखाड़ के लिए दो लाख टन अनाज का आवंटन हुआ है।

हमने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि बाढ़ और सुखाड़ वाली राशि को, फूड-फार वर्क योजना में जिन जिलों का चयन कर लिया गया है, उन जिलों को छोड़कर, बाकी राज्य में अनाज का प्रबंध किया जाए। एनसीसीएफ के पैसे से कैश कंपोनेंट का काम किया जाए, जिससे फूड फार वर्क के लिए चयनित जिले में जिस तरह काम होना है, उसी तरह से बाकी जिले जो बचे हुए हैं, उनमें कोई कमी नहीं रहेगी, कोई घाटा नहीं रहेगा।

श्री रघुनाथ झा: फिर विचार कीजिए। न ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, यदि आप समझते हैं कि आपने उत्तर पूरा कर लिया है तो कृपया बैठ जाए।

अब, माननीय सदस्यगण, कम से कम 50 माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं प्रत्येक पार्टी से कम से कम एक माननीय सदस्य लेने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया सहयोग करें। एक घंटा के अंदर, मैं सभी 40 सदस्यों को अवसर नहीं दे सकता। मैं प्रत्येक पार्टी को अवसर देने का प्रयास कर रहा हूं।

यदि आप सभी कृपया सीधा प्रश्न करें तो माननीय मंत्री भी सीधा उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडा, आप सभा का समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री भर्तृहरि महताब: जैसाकि माननीय मंत्री जी ने कहा, नया गरीबी उपशमन कार्यक्रम, नैशनल फूड-फॉर वर्क कार्यक्रम जिसे 14 नवम्बर को शुरू किया गया है, नया कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम 1977 से है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को पता है कि जिस दिन से जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, फूड-फार-वर्क कार्यक्रम विभिन्न नामों से चल रहा है।

मैं आपके माध्यम से जो मूल समस्या उठाना चाहता हूं और जो मुख्य समस्याएं इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में देखी गई हैं वह कमी वाले क्षेत्रों में समय पर, नियमित रूप से और पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाने की समस्या है, जिससे मजदूरी के भुगतान में विलम्ब होता है, और अनाज की ढुलाई से संबंधित समस्याएं हैं क्योंकि यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया सीधा प्रश्न पूछिए।

श्री भर्तृहरि महताब: इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

दूसरा, बेहरामपुर से मेरे विद्वान मित्र ने जो कहा उसके अलावा उड़ीसा में केबीके जिले हैं जिसमें 8 जिले शामिल हैं, वह पहले ही शत प्रतिशत कवर किये गये हैं। केन्द्र सरकार की योजनाओं द्वारा प्रायोजित हैं। उसमें वे 8 जिले शामिल हैं। इस तरह से उड़ीसा को अधिक नहीं मिला है। अपितु, अधिक जिले बच गए हैं जो उनके द्वारा उल्लिखित तीन मानदंडों को पूरा करते हैं। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन 150 जिलों के अलावा और जिलों को शामिल किया जाएगा, और यदि हां, तो कब।

अध्यक्ष महोदय: वह जानना चाहते हैं कि क्या और अधिक जिले शामिल किये जायेंगे। आप उस भाग का उत्तर दे सकते हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी कोई अतिरिक्त जिला इसमें बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। राज्य सरकार यदि कोई जिला बदला-बदली करने के लिए कहे, तो उस पर विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री महताब, उन्होंने उत्तर दे दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने भी स्लिप भेजी है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: अध्यक्ष महोदय, सरकार को हम यह प्रोग्राम लाने के लिए बधाई देते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री गुरुदास दासगुप्त: लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में एक प्रोग्राम चालू करने की आपकी कोई व्यवस्था है या नहीं है, इस प्रोग्राम में कितना खर्चा आएगा और पैसा किधर से आएगा?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: फूड फार वर्क प्रोग्राम लागू है। हमारे वित्त मंत्री जी यहां मौजूद हैं। पैसा इस वित्तीय वर्ष के लिए बंद हो गया है। अगले बजट की प्रतीक्षा करें।

अध्यक्ष महोदय: ज्यादा मिलने से ज्यादा करेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह गरीबोन्मुखी कार्यक्रम है और यह सरकार गरीब और गांवों के लिए ही बनी है। गरीब आदमी, गांव का मेहनतकश मजदूर, दबा हुआ आदमी, यह सरकार सभी के लिए बनी है और इन्हीं के लिए यह सरकार काम कर रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री आपकी बात भलीभांति समझ रहे होंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया संक्षिप्त और सटीक अनुपूरक प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम एक ही प्रश्न में एक, दो और तीन भाग करके सवाल पूछेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सभा में तीन दिन के बाद आए हैं। इसलिए मैं आपको अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनकर हमें परेशानी है। जब मंत्री महोदय यहां बगल में बैठते थे तो उस समय के सवाल और आज का उनका उत्तर सुनने के बाद *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न पर आ जाइए।

[अनुवाद]

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप टोक देंगे तो हम प्रश्न नहीं कर पाएंगे। हमें मत टोकिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, आज आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कृपया सहयोग दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: प्रश्न यह है कि सौ दिन का रोजगार देने वाली योजना के बारे में हम जानना चाहते हैं कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बात नहीं है। यह फूड फार वर्क प्रोग्राम से संबंधित प्रश्न है। रामदास जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य जिनका नाम मैंने पुकारा है, के भाषण के अलावा अन्य किसी सदस्य का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, सौ दिन का रोजगार देने की बात इस योजना में कही गई है और जिन जिलों का चयन किया गया है, उसमें जहां अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, उन जिलों का इन्होंने चयन किया है। हम यह जानना चाहते हैं कि जो लालू जी का जिला है, जहां आधा जिला बाढ़ और आधा सुखाड़ से प्रतिवर्ष प्रभावित होता है, वह छपरा, सिवान और गोपालगंज हैं। लालू जी से मतभेद होने के कारण क्या आपने उन जिलों का चयन नहीं किया है। अगर मतभेद नहीं होगा तो क्या आप उन जिलों को शामिल करेंगे? आप स्पष्ट बता दीजिए कि क्या आपस में मतभेद होने के कारण वहां के लोगों को आप परेशानी में डालते रहेंगे? इसी के साथ यह भी बता दीजिए कि आपका बिहार के अखबारों में बयान आया था कि बिहार में भारी लूटपाट हो रही है, क्या इस योजना में लूटपाट हो रही है या नहीं हो रही है? उस लूटपाट को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी सिर्फ जिला से संबंधित प्रश्न का ही उत्तर दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, किसी प्रेम, झगड़ा और मोहब्बत के चलते जिलों का चयन नहीं हुआ है। क्राइटीरिया के आधार पर चयन किया गया है। क्राइटीरिया में जो 150 जिले राज्यवार आए हैं केवल उन जिलों का चयन किया गया है। ये कहते हैं कि विवाद वाली, झगड़े वाली और लूटपाट वाली बात तो *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमको उन्होंने वचन दिया है कि कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। *...(व्यवधान)* लोग यदि चाहेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसीलिए सब काम ठीक ढंग से चलेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रत्येक का सहयोग चाहता हूं। सभा समुचित ढंग से चलनी चाहिए। हाउस ठीक ढंग से चले।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इलियाज आजमी जी, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं?

श्री इलियास आजमी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लखनऊ मंडल में रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर सभी जिले इस योजना में लिये गये हैं, सिर्फ लखनऊ और लखीमपुर नहीं लिये गये हैं। इसके चयन का क्या क्राइटीरिया है जबकि लखीमपुर सबसे ज्यादा विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपका क्या क्राइटीरिया है, जिस वजह से लखीमपुर को नहीं लिया गया है?*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य मानदंड के बारे में ही पूछ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि आप इस पर विचार करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्राइटीरिया यही है कि कोई जिला पिछड़ा हो सकता है लेकिन निर्धारित क्राइटीरिया में नहीं आया होगा, इसलिए नहीं दिया गया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई. पोन्नुस्वामी: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत में जिले का पिछड़ापन निर्धारित करने का मानदंड क्या है। एक राज्य में, उन्होंने 18 जिले दिये हैं और तमिलनाडु में सिर्फ चार जिले हैं। क्यों?

दूसरा, आपूर्ति किया गया चावल अपर्याप्त है और जिन लोगों को जिला प्राधिकारियों द्वारा किये गये कार्य के लिए कूपन जारी किया गया था वे स्टाक की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कि नहीं पहुंचा है। धर्मपुरी, कृष्णागिरी, तिरुवरूर और कावेरी बेल्ट से संबंधित जिले पिछड़े जिलों की सूची में शामिल नहीं किये गये हैं। तमिलनाडु के लोग सिर्फ पका हुआ चावल न कि कच्चा चावल खाते हैं। आपूर्ति अपर्याप्त है। मैंने जिला प्राधिकारियों से पता किया है और उन्हें अभी तक स्टॉक नहीं प्राप्त हुआ है। इस कार्य की निगरानी प्रणाली संतोषप्रद नहीं रही है। इसलिए इस कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए और गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों के निर्धारण का मापदंड क्या है? इसमें उन लोगों को छोड़ जिनके लिए यह है अनेक तंत्र शामिल हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि इन सभी शिकायतों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम क्राइटीरिया बता दिया गया है, क्राइटीरिया का उत्तर दिया जा चुका है। दूसरे प्रश्न में जो उन्होंने पूछा है, उसका काम हो रहा है। उसकी देखरेख डिस्ट्रिक्ट मोनीटरिंग एंड विजिलैंस कमेटी करती है, उससे संबंधित जो रिपोर्ट है, माननीय सदस्य तक वह कागज अभी नहीं पहुंचा होगा। दो-तीन दिन में उन तक कागज पहुंच जाएगा। उसके मुताबिक माननीय सदस्य का हमें सहयोग चाहिए। हम चाहते हैं कि हर स्तर पर निगरानी हो जिससे ग्रामीण विकास के सभी कार्यों को लागू किया जा सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सिर्फ यह पूछना कि क्यों मेरा जिला शामिल नहीं किया गया है, से बात नहीं बनती।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: अध्यक्ष जी, कई माननीय सदस्यों ने यह एतराज उठाया है कि बहुत से बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स इसमें छूट गए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के जो सुझाव इस बारे में आए हैं, क्या आप अपने क्राइटेरिया को रिव्यू करके उन छूटे हुए जिलों को इसमें शामिल करने पर विचार करेंगे?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, पहले फेज में 150 जिलों को लिया गया है। जो जिले छूट गए हैं, उनको अगले

साल इस योजना में शामिल करने के बारे में हम देखेंगे कि क्या हो सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद, संक्षिप्त प्रश्न और संक्षिप्त उत्तर।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न पूछना चाहता था, उसका उत्तर आ गया है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। गरीबी के हिसाब से भी वह सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि वहां करीब सात करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि हमने सभी मुद्दों पर चर्चा कर ली।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: जिस कसौटी के आधार पर आपने जिलों का चयन किया है, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे पीछे है। इस राज्य में देश के सबसे अधिक गरीब रहते हैं और सबसे अधिक जिलों की संख्या भी इस प्रदेश में है। लेकिन आबादी के हिसाब से सबसे कम लोग इस योजना के अंतर्गत कवर किये गये हैं। क्या आप अपनी इस कसौटी का विस्तार करेंगे, जिससे और जिले इसमें कवर हो सकें? इसके साथ ही मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है डेली वेजेज की जो मिनीमम वेजेज की कसौटी है, वह राज्यवार अलग-अलग है। किसी राज्य में न्यूनतम वेजेज 75 रुपये प्रति दिन है, तो किसी राज्य में 52 रुपये या 58 रुपये है। मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें गरीबों के साथ भेदभाव हो रहा है। क्या भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों को कोई ऐसी गाइडलाइन भेजी जाएगी, जिसके तहत सभी गरीबों को न्यूनतम वेजेज देने का काम एकरूपता के साथ पूरे देश में लागू किया जा सके?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक राज्य का अपना मिनीमम वेजेज एक्ट है। उस कानून के अधीन हर राज्य अपने मजदूरों का मिनीमम वेजेज तय करता है। केरल में 100 रुपए प्रति दिन मिनीमम वेजेज है, पंजाब-हरियाणा में करीब 80-85 रुपए है और आगे जाकर नार्थ-ईस्ट में वह 40-45 रुपये हो जाता है। राज्यों के अपने-अपने कानून इस संबंध में बने हुए हैं। देश भर में एक समान मिनीमम वेजेज एक्ट लागू किया जाए, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यह लेबर डिपार्टमेंट कर सकता है। हम तो यही कर सकते हैं कि राज्यों में जो मिनीमम वेजेज निर्धारित हैं, उसके अनुसार वहां के मजदूरों को पैसा मिले। हम राज्यों के काम में दखल नहीं देना चाहेंगे।

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को रोजगार के लिए 50 प्रतिशत फूडग्रेन और 50 प्रतिशत कैश के रूप में दिया जाता था और अब भी इस योजना के तहत ऐसा हो रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले छः महीनों में इस योजना के तहत कितना फूडग्रेन और कितना धन आबंटित किया गया है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: एसजीआरवाई जो पहले लागू थी, अब भी चल रही है। उसमें हमने 4500 करोड़ रुपये में से करीब 2500 करोड़ रुपये राज्यों को भेज दिये हैं। इसी तरह से 50 लाख टन अनाज आवंटित था, जिसमें से करीब 25 लाख टन अनाज प्रभावित राज्यों को भेज दिया है। इस तरह से हमने कहीं कोई कमी नहीं की है, बल्कि हमारी तरफ से ज्यादा मुस्तैदी बरती जा रही है। फूड फार वर्क योजना एडीशनल शुरू हुई है। यह गरीबी के क्राइटेरिया के आधार पर लागू होगी।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु: माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक अनुपूरक प्रश्न के लिए माननीय मंत्री जी का उत्तर मापदंड पर आधारित है। पिछली सरकार ने पूरे देश में इस कार्यक्रम का विस्तार किया था और इसे किसी जिला तक सीमित नहीं रखा था। माननीय मंत्री जी के उत्तर में उल्लेख है, 'खाद्य सुरक्षा के साथ अनुपूरक मजदूरी रोजगार का सृजन करना' कोई नियमित रोजगार नहीं है। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में, पांच वर्षों से हम सूखा का सामना कर रहे हैं। हमारे राज्य में यह योजना आठ जिलों तक सीमित है। अन्य जिलों का क्या होगा? अन्य जिलों में गरीब लोगों का क्या होगा? इस योजना में उन्हें शामिल नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक माननीय सदस्य द्वारा एक ही तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है?

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, यह उसी प्रकार का प्रश्न है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है: क्या यह सरकार 150 जिलों तक सीमित नहीं रखके अन्य क्षेत्रों में नेशनल फुड-फार वर्क' कार्यक्रम को लागू करेगी? यदि आपको रोजगार की आवश्यकता है, आपको लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना होगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: 150 जिलों तक सीमित करके सरकार पूरे देश में काम के लिए अनाज कार्यक्रम नहीं लागू कर रही है। पिछली राजग सरकार ने इसे पूरे देश में लागू किया। प्रत्येक जिला प्रशासन के पास खाद्यान्न उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया दोहराइये नहीं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष जी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना देश भर में लागू है ही लेकिन फूड फॉर वर्क योजना केवल चुने हुए जिलों में ही शुरू की गयी है। इस साल में चार महीने अभी बाकी हैं, जब नया साल आयेगा, तब देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के लिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बात है। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय मेरे जिलों में, आपके जिले में, रोजगार की आवश्यकता है। वे खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जिला प्रशासन किस तरह से आवश्यकता पूरी कर सकता है?

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, यह वाद-विवाद नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप कुछ और बोलना चाहते हैं? नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: देखिए कि इस सभा में कितने दल हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बीर सिंह महतो: महोदय, इस कार्यक्रम के संबंध में, जैसा कि उन्होंने कहा जिलाधिकारी को इस योजना का नोडल एजेन्सी बनाया गया है। पंचायतों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है और उनसे परामर्श नहीं किया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी दिशा निर्देश में परिवर्तन करेंगे अथवा कोई अन्य दिशा-निर्देश देंगे ताकि पंचायतों को समुचित महत्व मिल सके। दिशा निर्देश में एमएलए, एमपी इत्यादि जैसे निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय: वह इसका पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष जी, गाइडलाइन्स में पहले ही व्यवस्था है कि एक्सपर्टस की राय लेकर और तीनों लेवलों पर, पंचायती राज सहित, सलाह करके, राज्य सरकारें जिससे चाहे उससे इसका इम्प्लीमेंट करवाएं। साथ ही इसमें यह भी मौजूद है कि जिला पंचायत के सदस्य इसकी निगरानी करेंगे और उनकी सलाह से ही इसे लागू किया जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री एस. रविचन्द्रन।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह उनका पहला प्रश्न है। कृपया व्यवधान नहीं डालिए।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप नोटिस दीजिए। आप मुझसे क्या चाहते हैं?

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस योजना को जिला-वार की बजाए तालुकावार कार्यान्वित कराएंगे। उसके माध्यम से आप अधिक क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न पूछा है।

यह उनका पहला अनुपूरक प्रश्न है, आपको सावधानीपूर्वक उत्तर देना चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या आप इसे जिलावार की जगह तालुकावार करेंगे।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह योजना जिन डिस्ट्रिक्ट्स में लागू है, उस डिस्ट्रिक्ट में जितने ताल्लुका हैं, उनमें भी यह लागू रहेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: नहीं, महोदय। इससे हम यादृच्छिक रूप से अधिक क्षेत्र का चयन कर सकते हैं।

रोजगार गारंटी योजना

***42. †श्री मिलिन्द देवरा:**
श्री प्रबोध पाण्डा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ''रोजगार गारंटी योजना'' के अपने वायदे को लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार एक अव्यपगत ''राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष'' का सृजन कर रही है और उसका विचार रोजगार गारंटी कर लगाने का है:

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना के वित्तपोषण हेतु राज्य सरकारें भी अपने हिस्से का राजस्व देंगी;

(च) क्या वर्तमान रोजगार योजनाओं का इसमें विलय किया जाएगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (छ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ऐसे गरीब परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, कम से कम 100 दिनों की मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान कर जीविकोपार्जन सुरक्षा में वृद्धि करना है, सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

श्री मिलिन्द देवरा: महोदय, सर्वप्रथम मुझे योजना, जोकि मुझे लगता है बहुत समय से लंबित थी, के लिए सरकार को बधाई देने की अनुमति दी जाए। मैं मुम्बई के शहरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे लगता है कि वह योजना बहुत दूरगामी साबित होगी और यह न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करेगी बल्कि वास्तविक रूप में शहरी आधारभूत सुविधाओं पर दबाव जैसी समस्या जिसका कि काफी शहर सामना कर रहे हैं को भी कम करेगी।

महोदय, आरम्भ में, यह कार्यक्रम 150 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा तथा बाद में देश के शेष भागों में लागू की जाएगी। पहले 150 जिलों में कितने नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और विशेष रूप से किस तरह की टिकाऊ परिसम्पत्तियां सृजित होंगी जो देश में अधिकांश जरूरतमंद लोगों के लिए स्थायी रोजगार के अवसरों को प्रदान कर सकता है?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, मननीय सदस्य का मूल प्रश्न रोजगार गारंटी एक्ट से संबंधित हैं। हमारा इस बारे में जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उस पर गंभीरता से छानबीन की जा रही है और इसी सत्र में हमें उसका पुरस्थापन सदन के सामने करना है। वह सदन के सामने लाया जाएगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन सदन की राय पर ही निर्भर करेगा।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य फूड फॉर वर्क से संबंधित पूछ रहे हैं। वह प्रोग्राम शहर में लागू करने के लिए नहीं है। यह प्रोग्राम रूरल एरिया के लिए है। गांव, गरीब और मजदूर के लिए वह प्रोग्राम है। मुम्बई के लिए अलग से प्रोग्राम शहरी एरिया का हो सकता है और उसके लिए अलग से विचार भी हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री मिलिन्द देवरा: महोदय, मुझे लगता है कि मंत्री महोदय मेरे प्रश्न को समझ नहीं पाए हैं। मैं कार्यक्रम को मुम्बई में बढ़ाने की बात नहीं कर रहा था। परन्तु मैं निश्चित तौर पर अपने पिछले प्रश्न का जिक्र करना चाहता हूं। 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम का क्या हुआ? क्या रोजगार गारंटी योजना में इसका विलय हो सकता है? क्या यह कार्यक्रम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा अथवा दोनों कार्यक्रम समवर्ती रूप से चलते रहेंगे?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ये कार्यक्रम साथ-साथ चलेंगे अथवा इनमें से एक को समाप्त कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, जब रोजगार गारंटी एक्ट आ जाएगा तो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी उसमें शामिल हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से इस पर आपसे यह जानना चाहता हूं कि। क्या किसी व्यक्ति के लिए रोजगार हेतु 100 दिन रोजगार एक गारन्टी है। 365 में से आप केवल 100 दिन रोजगार प्रदान करने की बात कह रहे हैं। क्या आप इसे न्यूनतम 200 दिन तक बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं अथवा नहीं? मंत्री महोदय से यह मेरा पहला प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, मुख्य प्रश्न के भाग (ग) से (च) का उत्तर मंत्री महोदय द्वारा नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पहले हमारे साथ थे और लिखा-पढ़ी का काम करते थे। नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम माननीय सदस्य ने जरूर पढ़ा होगा। उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि 100 दिनों के रोजगार की गारंटी गरीब परिवार के एक आदमी को हम देंगे। अब माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं, वह एडीशनल है। मजदूर दूसरे एरियाज में भी काम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देंगे और यही बात हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कही है, जिसे हम लागू करने वाले हैं। जहां तक 200 दिनों के रोजगार का सवाल है उस पर हम अभी विचार नहीं कर सकते, लेकिन 100 दिनों तक रोजगार देने पर हमारी सरकार कायम है। अर्थशास्त्री लोग इस पर अपना मत दे रहे हैं कि कैसे और कहां से यह संभव होगा। लेकिन हमारी सरकार में हिम्मत है, विल-पावर है और गरीबों को रोजगार देने का कानून हम लायेंगे और उसे लागू करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रदीप गांधी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। सौभाग्य से वे प्रश्नकाल के दौरान आ चुके हैं। इन विषयों पर सही परिप्रेक्ष्य में चर्चा की जाए। श्री प्रदीप गांधी कृपया माननीय मंत्री से अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री प्रदीप गांधी: अध्यक्ष जी, काम के बदले अनाज गारंटी योजना के अंतर्गत, जैसा अभी बताया गया कि फूड फॉर वर्क को उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, पूरे देश में अनेक क्षेत्रों से लाखों की संख्या में लोगों का पलायन होता है—कुछ तो ट्रेडिशनल पलायन होता है और कहीं काम के अभाव में लोग पलायन करते हैं। छत्तीसगढ़ से जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे अनेक प्रांतों में लोग काम की तलाश में जाते हैं। उन लोगों के पलायन को रोकने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई कानूनी बंधन वहीं पर काम खोलकर बनाया जाएगा ताकि वे लोग पलायन न कर सके। क्या इसके लिए कोई दंड का प्रावधान सरकार करने पर विचार करेगी। अगर उसके बाद भी पलायन होता है, फिर जो लोग मजदूरों को रखते हैं उन्हें रोकने के लिए सरकार क्या कारगर कदम उठाने वाली है, यह भी बताएं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, ऐसे किसी कानून पर हमने विचार नहीं किया है कि कोई आदमी कहीं काम करने जाए और यहां से कोई कानून बनाकर उसे रोका जाए। हमने यह प्रावधान किया है कि गांव में ही इतना रोजगार पैदा किया जाए जिससे पलायन रुक जाए लेकिन कानून बनाकर इसे नहीं रोका जोगा।

श्री रामदास आठवले: यह सरकार गांव के लोगों को 100 दिनों का रोजगार देने वाली है लेकिन जो पढ़े-लिखे बेरोजगार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर है। मेरी प्रार्थना यह है कि हमारे देश में जो 8 करोड़ से भी ज्यादा बेरोजगार लोग हैं, अगर पांच सालों के अंदर आप उनको रोजगार नहीं दे पाते हैं तो उन्हें क्या हर साल 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने पर यह सरकार कोई विचार कर रही है या नहीं। माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। वे बताएं कि 3000 रुपये हर साल बेरोजगारी भत्ता देने के लिए आपकी सरकार विचार कर रही है या नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है जो इस सभा के समक्ष उठाया गया है। माननीय मंत्री क्या आप इनके प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष जी, हमारा काम बेरोजगारी दूर करना है और उनके लिए हमने बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें बेरोजगार यूथ, महिलाएं और अनुसूचित जाति के लोगों को बड़े पैमाने पर एसजीआर योजना के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसे बैंक-लिंकेज कराया जायेगा। साथ ही ऋण और सब्सिडी मुहैया करा कर सामान का उत्पादन किया जाएगा और उनके द्वारा उत्पादित सामानों को देश और विदेश के बाजारों में बेचने का प्रावधान किया जाएगा।

इस आधार पर उनकी बेरोजगारी दूर होगी। अगर बेरोजगारी दूर होगी तो गरीबी दूर होगी और गांवों का विकास होगा तथा हिन्दुस्तान भी दुनिया में नम्बर वन का मुल्क बन कर उभरेगा।

मोहम्मद सलीम: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने हमारे सवाल को आसान कर दिया है। उन्होंने स्वयं इसका स्कोप बढ़ाया है। मंत्री जी जो इम्पलॉयमैंट गारंटी स्कीम चालू करने जा रहे हैं, उसके बारे में वह स्वयं कह रहे हैं कि गावों में काम के अवसर पैदा करने पड़ेंगे वरना यह प्रोग्राम कारगर नहीं होगा। मंत्री जी के बाजू में वित्त मंत्री बैठे हैं। यदि बैंकों का क्रैडिट डिपॉजिट रेशो देखें तो देश के हर जिले में खास तौर पर गांवों में क्रैडिट फ्लो नहीं है। मंत्री जी अभी कृषि ऋण की बात कह रहे थे लेकिन कृषि के अलावा जो लोग बेरोजगार हैं, वे एग्रीकल्चर रिलेटिड या एग्रो बेस्ड काम कर सकें, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्रैडिट एब्जॉप्शन कैपेसिटी तैयार करनी पड़ेगी ताकि क्रैडिट फ्लो हो सके। यदि आप इम्पलॉयमैंट गारंटी स्कीम शुरू कर रहे हैं तो लोगों को सौ दिन का काम देंगे। आप इसमें राज्य सरकारों को भी जोड़ रहे हैं लेकिन आपने नेशनल कॉमन मिनीमम प्रोग्राम में प्रॉमिस किया था कि केन्द्र सरकार यह प्रदान करायेगी। यह राज्य सरकार का कॉमन मीनिमम प्रोग्राम नहीं है जबकि मूल प्रश्न यह है कि और पूरक प्रश्न भी पूछा गया था कि क्या आप नेशनल इम्पलॉयमैंट गारंटी फंड बना रहे हैं, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप इसमें राज्य सरकारों को मैचिंग ग्रांट देने की बात कह रहे हैं। अधिकतर ग्रामीण योजनाएं इसी कारण लागू नहीं होती हैं। आप बिहार से हैं। आपको मालूम है कि राज्य सरकारें इस स्थिति में नहीं है कि इसमें कोई अंशदान कर सके। ऐसे में आप कैसे गारंटी देंगे जबकि स्कीम का नाम इम्पलॉयमैंट गारंटी स्कीम है। आप किस तरह से इसकी गारंटी देंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जब वह विधेयक आएगा तो वह सभी माननीय सदस्यों के सामने होगा और उसमें सभी माननीय सदस्यों की राय ली जाएगी। जहां तक राज्यों से राय-सलाह करने की बात है, बाद में कोआर्डिनेशन कमेटी में तय हुआ कि पहले इसे सदन में लाया जाए। बाद में आपके निर्देश पर यह विधेयक कमेटी में जाएगा और उसमें राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा। हम कहां राज्य सरकारों पर इससे बोझ डालने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अजीत जोगी आपका स्वागत है कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी: अध्यक्ष महोदय, इम्पलॉयमैंट गारंटी स्कीम महाराष्ट्र राज्य में कई वर्षों से बहुत सफलतापूर्वक चल रही है इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह इम्पलॉयमैंट गारंटी स्कीम का जो अधिनियम सदन के सामने लाने वाले हैं, क्या उसमें महाराष्ट्र की इम्पलॉयमैंट गारंटी स्कीम के महत्वपूर्ण फीचर्स को भी शामिल करेंगे—जैसे उसमें कहा गया है कि यदि किसी गांव के कुछ लोग मिल कर यह मांग करते हैं कि हमें काम दिया जाए, तो सरकार उनको काम देने के लिए बाध्य है। उसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे काम ही किये जाएं तो उस गांव के लिए परमानैंट असैट स्ट्रक्चर बन सके। इस स्कीम को चलाने के लिए महाराष्ट्र में एक अलग से सैस लगाया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो 2-3 चीजें उस ऐक्ट का मुख्य अंग हैं, क्या जो अधिनियम यहां लाया जाएगा, उसमें इनको शामिल किया जाएगा? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इम्पलॉयमैंट गारंटी स्कीम लागू होने के बाद, गांवों में दूसरे रोजगार की योजनाएं भी इसमें मिला दी जाएंगी और उनको समाप्त करके इम्पलॉयमैंट गारंटी स्कीम, जिस तरह महाराष्ट्र में सफलतापूर्वक चल रही है, वैसे ही सभी राज्यों में चलायी जाएगी?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में इम्पलायमैंट गारंटी एक्ट बहुत दिनों से लागू है। वहां के कानून को लागू करने में क्या कठिनाइयां हुई, उनके अनुभव से हमने सीखने का प्रयत्न किया है। कानून भी बना कर देखा है और अनुभव से भी सीखा है। सभी तरह सोच-विचार करके और गहन छानबीन करके कानून तैयार किया जा रहा है। वह जब सदन के सामने आएगा तो माननीय सदस्य उसे देख कर अपनी राय व्यक्त करेंगे।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की जो प्राथमिकताएं थीं, उसमें रोजगार गारंटी योजना का विधेयक इस सत्र में लाने की बात भी थी। यह बात सही है कि इस योजना का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाएगी और इसे प्रारम्भ में 150 जिलों में लागू किया जाएगा। यह बात भी सही है कि इसे लागू करने में पंचायतों की अहम भूमिका होगी। आप संसद के इसी शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को लाने

वाले हैं लेकिन आपने राज्य सरकारों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या विधेयक लाने के पूर्व, मानीय मंत्री जी राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं? यदि हां, तो वह कब तक राज्य सरकारों से परामर्श करेंगे?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, सरकार राज्य सरकारों से परामर्श करने के लिए तत्पर है। हमने तारीख भी तैयार कर ली थी, ताकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर उनसे परामर्श किया जाये कि इसे कब से क्रियान्वित करें और ड्राफ्ट पर भी विचार किया जाये लेकिन यू.पी.ए. सरकार के नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत गठित को-आर्डिनेशन कमेटी में तय हुआ कि पहले इसी सत्र में उस एक्ट को लाया जाये। उसके पश्चात् अगर राज्य सरकारों से परामर्श करना आवश्यक होगा तो अनिवार्य रूप से परामर्श किया जायेगा।

श्री सुशील कुमार मोदी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रोजगार गारंटी योजना में भी अभी तक रोजगार की परिभाषा 'वास्तविक आधारभूत सुविधा सृजन' है। क्या सरकार रोजगार की परिभाषा बदलने पर विचार कर रही है? जैसे आंगनवाड़ी या स्कूल में जो लोग काम कर रहे हैं, या 'मिड डे मील' स्कीम में जो लोग सहयोग करते हैं या बच्चों के इम्युनाइजेशन प्रोग्राम में जो लोग सहयोग करते हैं, ऐसे तमाम कामों में भी रोजगार की परिभाषा को शामिल करने के बारे में सरकार कोई विचार रखती है? जैसे केवल गड्ढा खोदना या तालाब खोदने का काम है—क्या इन कामों में महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा? रोजगार की परिभाषा को बदलकर केवल फिजीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना ही नहीं बल्कि जो सामाजिक काम हैं, क्या सरकार उन कामों को रोजगार की परिभाषा में जोड़ने हेतु विचार करेगी?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, एक्ट के ड्राफ्ट में परिभाषा के लिए हर शब्द की गुंजाइश रहती है। जब एक्ट आयेगा, उस समय माननीय सदस्यों से राय ली जाएगी कि रोजगार की परिभाषा में क्या जुड़ाव या घटाव करना है। उस समय विचार किया जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: विधेयक की प्रतीक्षा कीजिए।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या सरकार रोजगार और स्व रोजगार हेतु निधियां प्रदान कराने के लिए राष्ट्रीय युवा निधि बनाने की योजना बना रही है? रोजगार गारण्टी योजना की विशिष्ट योजनाएं और परियोजनाएं क्या हैं?

अध्यक्ष महोदय: यह विधि बनने के बाद आयेगा। क्या यूथ के लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम है?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, अनएम्पलायड यूथ हो या बूढ़ा हो, किसी को भी रोजगार देना हो, इसके लिए जब एक्ट आयेगा, उस समय गहन छानबीन के समय माननीय सदस्य अपनी राय दें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या रोजगार गारंटी योजना के तहत खेतिहर मजदूरों को रोजगार देने पर विचार किया जायेगा? चूंकि बिहार और खासकर पूर्वांचल क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर खेतिहर मजदूरों का पलायन हुआ है। अकेले बिहार से 21 लाख खेतिहर मजदूरों का पलायन हो गया है जिसका खेती उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस हेतु नेशनल लेबर कमीशन भी बना था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस पलायन को रोकने के लिए इस दिशा में कोई विचार कर रही है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह कानून उन्हीं लोगों के लिए बन रहा है ताकि गांवों से पलायन रुके। जब यह कानून लागू होगा तो गांवों से पलायन रुक जायेगा और गांव में रहते हुए ही लोगों को रोजगार मिलने लगेगा।

[अनुवाद]

श्री ब्रह्मानन्द पांडा: अध्यक्ष महोदय, क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अव्यपगत राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि का सृजन करने जा रही है? क्या सरकार का विचार लेवी रोजगार गारन्टी कर लगाने का है?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, जब इस संबंध में एक्ट आयेगा, उस समय देखेंगे कि उसमें क्या प्रावधान हो सकते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसे सुझाव के रूप में लें।

श्री जे.एम. आरून रशीद। वह नए सदस्य हैं और यह उनका पहला सवाल है। श्री रशीद, कृपया अपने प्रश्न को विषय से विशिष्ट रख कर पूछिए।

श्री जे.एम. आरून रशीद: अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु में बहुत सारे जिले सूखे की हालत से जूझ रहे हैं। यू.पी.ए. सरकार के सत्ता में आने के पश्चात वर्षा हुई, राज्य के दक्षिणी भाग के सारे जिले अभी भी सूखे के चपेट में हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत बुल्डोजर और जे.सी.बी. से कार्य किया जा रहा है। मैंने इसे जिलाधिकारी के संज्ञान में ला दिया है।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री जे.एम. आरून रशीद: मेरा प्रश्न यह है कि सरकार किस मानदंड का अनुसरण कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: यह विधेयक में लिखा है।

श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या युवा पुरुषों और महिलाओं जो काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गए हैं के लिए कोई आयु संबंधी मानदंड है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह फूड फॉर वर्क से संबंधित प्रश्न नहीं है।

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरून रशीद: यह समय 150 दिन क्यों नहीं किया जाता है? यह देश के लिए एक अच्छी योजना है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि वह इसे 365 दिन तक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।

श्री जे.एम. आरून रशीद: यह पिछड़े जिलों एवं सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए ठीक है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: बोल दीजिए कंसीडर करेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: माननीय सदस्य व्यस्कों के लिए पूछ रहे हैं। 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के मजदूर या महिला सभी को इसमें रोजगार मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने सुखाड़ की बात कही है। सुखाड़ के लिए तमिलनाडु को अलग से एन.सी.सी.एफ. के अंदर सहायता दी गई है। उससे सुखाड़ का मुकाबला किया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. मोहन: सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया कोई स्पष्टीकरण न मांगे। आप केवल प्रश्न कर सकते हैं।

श्री पी. मोहन: क्या काम के बदले अनाज कार्यक्रम मानव जाति के लिए है अथवा मशीनरी के लिए है? क्योंकि इस समय तमिलनाडु में आमतौर पर, और मेरे जिले में विशेष रूप से काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य सहित दैनिक मजदूरी भत्ता मात्र 54 रुपये की दर से निर्धारित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न रोजगार गारटी योजना पर है?

श्री पी. मोहन: क्योंकि धनराशि बहुत ही कम है ग्रामीण लोग इस कार्यक्रम के अंतर्गत काम के लिए आगे नहीं आते हैं। अत: मशीनरी तमिलनाडु में इस्तेमाल होती है आमतौर पर विशेष रूप से मेरे जिले में यह काम के बदले अनाज के प्रयोजन को ही विफल कर देता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि अथवा खाद्यान्न में बढ़ोत्तरी करने का है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, गाइडलाइंस में स्पष्ट है कि कोई मशीन या ठेकेदार का उसमें उपयोग नहीं होगा। उसमें हाथ से काम करना है और जितना भी लेबर इन्टेंसिव काम होना है, उसमें कोई मशीन या बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं करना है। माननीय सदस्य कहते हैं कि इसमें मिनिमम वेज कम है। मिनिमम वेज तय करना राज्य सरकारों का अधिकार है। उसमें हम यहां से कुछ नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 43

श्री बालासाहिब विखे पाटील—उपस्थित नहीं हैं।

श्री किरिप चालिहा—उपस्थित नहीं हैं।

घाटे में चल रहे बैंक

***44. श्री अधीर चौधरी:**
श्री निखिल कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र/राष्ट्रीयकत बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इन बैंकों को लाभार्जक और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं/किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या बैंकिंग क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण से सकल घरेलू उत्पाद की लक्षित दर को प्राप्त करने में सहायता मिल सकेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक ने हानि नहीं उठाई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्यप्रणाली एवं लाभप्रदता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अनुपयोज्य आस्तियों की कारगर वसूली के लिए विधि का अधिनियमन; ब्याज दरों का अविनियमन; विवेकपूर्ण मानदण्ड लागू करना; सांविधिक चलनिधि अनुपात तथा आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती; और सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन, संगठनात्मक पुनर्गठन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं ग्राहक सेवा में सुधार, कारबार क्षेत्र में विविधीकरण आदि शामिल है।

(घ) और (ङ) समेकन से फुटप्रींट, जनशक्ति एवं अन्य संसाधनों में बड़े पैमाने पर किफायत होगी। भारतीय बैंकों का बड़ा आकार होने से वे अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ हो सकेंगे। बड़े आकार के लिए भी बेहतर जोखिम प्रबंधन आवश्यक होता है। छोटे एवं कमजोर बैंक अपने कम पूंजी पर्याप्तता अनुपात तथा उच्च अनुप्रयोज्य आस्तियों के कारण प्रणालीगत जोखिम पैदा करते हैं। दक्षता बढ़ाने के लिए समेकन एक सामयिक प्रतिक्रिया है जिससे आय सृजित होगी तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि होगी।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, यह एक अच्छी खबर है कि गत दो वर्षों में किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक को कोई हानि नहीं हुई है, तथापि, प्राय: यह बताया जाता है कि जमा धनराशि में कमी आ रही है। बैंक कर्मी ऋण वसूली और परिसम्पत्ति विकास के बारे में चिंतित है। ऐसे परिदृश्य में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एफ.डी.आई. प्रवाह के बारे में विचार कर रही है और क्या इसके अलावा, सरकार बेसल दो मानदंडों पर ठोस रूप से विचार कर रही है ताकि वैश्विक कार्य क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

श्री पी. चिदम्बरम: गत कुछ वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंक और मजबूत और अधिक प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। हमारे प्रयास उनको और अधिक मजबूत और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के हैं। उन्हें मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न सुझावों पर विचार किया जाता है। निश्चित ही एक सुझाव मजबूत बनाने का है परन्तु महोदय, मैं कोई अंतिम उत्तर नहीं दे सकता हूं क्योंकि ये सुझाव विचाराधीन हैं।

श्री अधीर चौधरी: क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार बैंकिंग क्षेत्र के किसी समग्र सुधार पर विचार कर रही है? एन.पी.ए. के रूप में अब तक कितनी धनराशि संचित हो गई है?

बैंकर्स अतिरिक्त ऋण ग्राहकों को देने के अनिच्छुक रहते हैं क्योंकि उन्हें भय रहता है कि कहीं ऋण की वसूली न हो पाए। पूंजी परिसम्पत्ति अनुपात और परिसम्पत्ति देयता अनुपात जो कि वर्तमान में चालू है कितना है?

श्री पी. चिदम्बरम: एन.पी.ए. कम हो रहा है। यह कोई नई बात नहीं है चूंकि बैंक अधिक मजबूत और प्रतिस्पर्धी हो गए हैं तथा सकल और शुद्ध एन.पी.ए. गत चार अथवा पांच वर्षों में कम हुआ है। हम यह प्रयास करेंगे कि एन.पी.ए. कम हो जाए।

जहां तक, बैंकिंग सुधार का संबंध है यह एक बड़ा प्रश्न है कल इस पर संक्षिप्त में चर्चा हुई और मैं यह वायदा करता हूं कि बजट सत्र में हम बैंकिंग विनियमन अधिनियम में व्यापक संशोधन लाएंगे। मुझे लगता है कि ये मामले विचाराधीन हैं। सदस्यों को बजट सत्र में विधेयक के पुर:स्थापन की प्रतीक्षा करनी होगी।

श्री अधीर चौधरी: कुल एन.पी.ए. कितना है?

...(व्यवधान)

श्री निखिल कुमार: सभा पटल पर रखे गये उत्तर को मैंने देखा है। मैं, बैंकों के निष्पादन में सुधार करने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में उत्तर हेतु वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। हम बैंकों के कार्य-निष्पादन में सुधार चाहते हैं। एक छोटा सा बिन्दु है जो मुझे परेशान करता है। अभी हाल ही में, कर्मचारी यूनियन ने अपने वेतन में 13.6 प्रतिशत के लगभग बढ़ाने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं हमने जो भी कुछ समाचार-पत्रों में पढ़ा है, उससे यह नहीं पता चलता कि इससे बैंकों को चलाने की

लागत अथवा कर्मचारी संख्या को कम करने का निर्णय हुआ है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि आप कृपया यह बताएं कि क्या इस करार से सरकारी बैंकों की प्रतिस्पर्धी योग्यता प्रभावित होगी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव है जिससे कर्मचारी संख्या को कम किया जा सके और कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिए निष्पादन में सुधार करने के लिए यूनियनों से परामर्श किया गया था।

श्री पी. चिदम्बरम: मुझे लगता है कि यह कहना सही है कि प्रबंधन और यूनियन दोनों ने इस करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सहयोग किया है इसलिए मैं आगामी तीन वर्षों के लिए मजदूरी संबंधी समझौते पर पहुंचने के लिए प्रबंधन और यूनियन की सराहना करता हूं। सरकार ने बैंकों को ऐसा कोई दिशानिर्देश नहीं दिया है कि जनशक्ति को कम किया जाये। बैंक के पुनर्गठन के भाग के रूप में, यदि बैंक का प्रबंधन चाहे तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू कर सकता है। ऐसा बैंकों ने गत में भी किया है और कर्मचारी यदि इच्छुक हों तो वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान मजदूरी समझौते में, कुछ प्रबंधकीय मुद्दों पर भी बातचीत की गई है। और यूनियन को बधाई देता हूं कि उन्होंने सहयोग किया है और उन्होंने प्रबंधकीय मुद्दों पर हस्ताक्षर भी किये हैं। कुछ श्रमिक संबंधी मुद्दे हैं; कुछ प्रबंधकीय मुद्दे हैं। दोनों पक्षों की संतुष्टि के साथ समस्त मुद्दे सुलझा लिये गये हैं। मैं समझता हूं कि सभा के रूप में, हमें मजदूरी समझौते पर पहुंचने के लिए दोनों पक्षों की सराहना करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ओर ले जाना चाहता हूं। सहकारिता समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित व्यवस्था है जिसमें वैलफेयर फैक्टर सन्निहित है। निजी क्षेत्रों के बैंकों तथा सरकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों की अपेक्षा पहले सहकारी बैंकों को सुविधाएं दी जाती थीं, लेकिन उन सुविधाओं में कटौती होती दिखाई दे रही है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि भविष्य में सहकारिता के मूल सिद्धांतों को तिलांजलि देकर सिर्फ निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ही रखने की व्यवस्था है या फिर सहकारी क्षेत्र के बैंकों को कुछ समर्थन और सपोर्ट देने की स्कीम लागू करने की भी व्यवस्था है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, सहकारी बैंकिंग प्रणाली एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है। हम सभी यह जानते हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

हमने अल्प अवधि ऋण के संबंध में सिफारिशें करने के लिए वैद्यनाथन समिति बनाई है। सहकारी बैंकों पर एकल नियंत्रण प्रणाली से संबंधित प्रश्न बड़ा है जो सरकार और भा.रि. बैंक का ध्यान आकृष्ट कराने में लगा है। यह बैंकिंग विनियमन सुधार का एक अंग होगा परन्तु मुझे यह कहना है कि या तो राज्य सरकार अपनी कमर कसकर इस मामले पर विचार करे। केन्द्र सरकार अकेले सहकारी बैंकों की खराब स्थिति पर कुछ नहीं कर सकती है। राज्य सरकार को भी सहकारी बैंकों की दशा पर ध्यान देना चाहिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मुद्रास्फीति दर

***43. श्री बाला साहिब विखे पाटील:**
श्री किरिप चालिहा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुद्रास्फीति दर में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नवम्बर, 2004 के प्रथम सप्ताह के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि से मुद्रास्फीति में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि और इसके परवर्ती प्रभाव से आम आदमी को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा मुद्रास्फीति की दर को कम करने और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) वर्ष 2004-05 का प्रारम्भ 3 अप्रैल, 2004 को 4.5 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर से हुआ जो 24 अप्रैल, 2004 को गिरकर 4.3 प्रतिशत हो गई। तब से, इसमें ऊपरोन्मुखी प्रवृत्ति रही और यह 28 अगस्त, 2004 को, पिछले वर्ष के 4.1 प्रतिशत की तुलना में 8.7 प्रतिशत पर

पहुंच गई। तथापि, यह 13 नवम्बर, 2004 को समाप्त 33वें सप्ताह में गिरकर 7.3 प्रतिशत हो गई।

पिछले दो वर्षों के लिए थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में, मुद्रास्फीति की मासिक औसत दर निम्नलिखित है :

थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित औसत मुद्रास्फीति दर
(आधार 1993-94)

(प्रतिशत में)

वर्ष	2002-03	2003-03	2004-05
अप्रैल	1.5	6.6	4.5
मई	1.6	6.5	5.0
जून	2.4	5.4	6.7
जुलाई	2.8	4.6	7.6
अगस्त	3.3	3.9	8.5
सितम्बर	3.5	4.9	7.8*
अक्तूबर	3.1	5.1	7.3*
नवम्बर	3.4	5.4	
दिसम्बर	3.3	5.8	
जनवरी	4.2	6.5	
फरवरी	5.3	6.1	
मार्च	6.0	4.8	
औसत	3.4	5.5	

*अनंतिम

(ग) जी, हां। नवम्बर, 2004 के पहले सप्ताह में मुद्रास्फीति दर में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि में मुख्यत: ईंधन संबंधी समूह में वृद्धि का योगदान रहा। 4 नवम्बर, 2004 की मध्यरात्रि से प्रभावी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति 30 अक्तूबर, 2004 को 7.1 प्रतिशत से बढ़कर 6 नवम्बर, 2004 को 7.8 प्रतिशत हो गई। इसके अलावा, 6 नवम्बर, 2004 के स्थिति के अनुसार थोक मूल्य समग्र मुद्रास्फीति का 74 प्रतिशत हिस्सा रही। वैश्विक मांग में वृद्धि के कारण इन वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होती रही। अत: हमारी मुद्रास्फीति का बड़ा हिस्सा आयातित कहा जा सकता है।

दूसरी ओर, अल्प वर्षों के बावजूद खाद्य कीमतों (प्राथमिक और विर्निमित उत्पादों, दोनों) में अन्य मदों की तुलना में कम मुद्रास्फीति दर्ज की गई है। चूंकि खाद्य मदों का थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में औद्योगिक कामगार हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में ज्यादा भारांश है, इसलिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति से कम रही। अक्तूबर, 2004 में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 7.3 प्रतिशत औसत थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की तुलना में, 4.6 प्रतिशत पर रही।

(घ) और (ङ) मुद्रास्फीति पर नियंत्रण सरकार की कार्यसूची में उच्च स्थान पर रहा है। सरकार की मुद्रास्फीति विरोधी नीतियों में, कड़ा राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन, आवश्यक वस्तुओं के उत्पाद शुल्कों और आयात शुल्कों का युक्तिकरण शामिल है ताकि गरीबों पर अनावश्यक बोझ न पड़े, उदार टैरिफ और कारोबार नीतियों के माध्यम से संवेदनशील मदों का प्रभावी आपूर्ति-मांग प्रबंधन हो, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत हो। सरकार द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए किए गए विशेष उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

* 15 जून, 2004 को, सरकार ने वैश्विक तेल कीमतों में रिकार्ड वृद्धि के चलते अपनी घरेलू खुदरा कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए चुनिंदा पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क में कटौती की। पेट्रोल पर सीमाशुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत और हाईस्पीड डीजल पर 14 प्रतिशत से घटा कर 11 प्रतिशत तथा रसोई गैस पर 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया था।

* 18 अगस्त, 2004 को सरकार ने चुनिंदा पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क और कम कर दिया। पेट्रोल, डीजल, रसोईगैस और मिट्टी के तेल, प्रत्येक पर सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत कम कर दिया गया जबकि पेट्रोल और डीजल, प्रत्येक पर 3 प्रतिशत और मिट्टी के तेल पर 4 प्रतिशत उत्पाद शुल्क कम कर दिया गया।

* 20 अगस्त, 2004 को सरकार ने धातु और धातु उत्पादों में उच्च मुद्रास्फीति को रोकने के लिए गैर-मिश्रधातु वाले इस्पात और बेकार हो गए जहाजों पर सीमाशुल्क को क्रमश: 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। लौह और इस्पात के मेल्टिंग स्क्रैप पर सीमाशुल्क में पूर्ण छूट दी गई है।

* प्रणाली में नकदी अवरोध को रोकने के लिए, 11 सितम्बर, 2004 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

ने बैंकों द्वारा अनुरक्षण किए जाने वाले नकदी भंडार अनुपात (सीआरआर) में 50 आधार बिन्दुओं की बढ़ोत्तरी करके उनकी मांग और सावधि देनदारियों को 5 प्रतिशत कर दिया है।

* खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने और इसे सुगमता से उपलब्ध कराने की मुहिम में, सरकार ने 16 सितम्बर, 2004 को कई वनस्पति तेलों में लगभग 50 डालर प्रति मीट्रिक टन की टैरिफ मूल्यों में कटौती की है।

* दिनांक 26 अक्तूबर, 2004 को घोषित वार्षिक नीति विवरण 2004-05 की मध्यावधिक समीक्षा में, सरकार ने रिवर्स रिपो दर (अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक में रखे बैंक फंडों पर सरकारी पेपर के प्रति चुकाई गई ब्याज दर) में 25 आधार बिन्दु से 4.75 प्रतिशत तक की वृद्धि की है।

* चूंकि, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे की तेल कीमतों में गिरावट हुई थी, इसलिए, तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 15 नवम्बर, 2004 से 1.26 रु. प्रति लीटर की कटौती कर दी है।

कृषि क्षेत्र से संबंधित व्यापार नीति

*45. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अपनी पांचवर्षीय व्यापार नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो देश में कृषि क्षेत्र से संबंधित व्यापार नीति का मुख्य विषय क्या है;

(ग) नई व्यापार नीति के शुरू होने पर विश्व निर्यात में देश का हिस्सा कितना होने की संभावना है और विश्व हिस्से के नियत लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त करने का प्रस्ताव है;

(घ) रोजगार सृजन और निर्यात संवर्धन के लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गयी है; और

(ङ) निर्यात बढ़ाने हेतु निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए कौन से नए प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पहली व्यापक, समेकित विदेश व्यापार नीति 2004-09 दिनांक 31 अगस्त, 2004 को घोषित की गयी थी।

(ख) इस नीति में कृषि को विशेष ध्यान देने योग्य पहलों के क्षेत्र में रूप में अभिज्ञात किया गया है। इसमें विशेष कृषि उपज योजना सहित अनेक प्रोत्साहन शामिल किए गए हैं।

(ग) नई विदेश व्यापार नीति के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य अगले पांच वर्ष के भीतर पण्य वस्तुओं के विश्व व्यापार के प्रतिशत हिस्से को दोगुना करना है। इन उद्देश्यों को विदेश व्यापार नीति के अध्याय-1 में उल्लिखित कार्य नीतियों को अपनाकर प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

(घ) पांच वर्षों के भीतर विश्व व्यापार के हमारे प्रतिशत को दोगुना करने और खासकर शहरीकृत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दृष्टि से कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण तथा चर्म क्षेत्रों के लिए कुछेक ध्यान देने योग्य पहलों को अभिज्ञात किया गया है। सरकार विशिष्ट वस्तु क्षेत्र संबंधी कार्यनीतियों, जिन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा, द्वारा इन क्षेत्रों में व्यापार के संवर्धन हेतु संयुक्त प्रयास कर रही है।

(ङ) विदेश व्यापार नीति में निर्यातोन्मुख एककों (ई ओ यू) के लिए घोषित कुछेक नए प्रोत्साहन निम्नानुसार हैं :

1. ई ओ यू को उनके द्वारा निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं के अनुपात में सेवाकर से छूट प्रदान की जाएगी।
2. ई ओ यू को निर्यात आय के सौ प्रतिशत को ई ई एफ सी लेखे में रखने की अनुमति दी जाएगी।
3. संयंत्र एवं मशीनों पर आयकर लाभ उन डी टी ए एककों को प्रदान किए जाएंगे जो ई ओ यू में परिवर्तित होंगे।
4. ई ओ यू के लिए पूंजीगत माल का आयात स्वप्रमाणन आधार पर होगा।
5. वस्त्र एवं परिधानों के विनिर्माण; अवशिष्ट सामग्री तथा फैब्रिक्स में लगे ई ओ यू के लिए सी आई एफ मूल्य अथवा आयात की मात्रा के दो प्रतिशत भाग का निपटान केवल सौदा मूल्य पर शुल्क के भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
6. न्यूनतम निवेश संबंधी मानदंड ब्रास हार्डवेयर और हस्तनिर्मित आभूषण वाले ई ओ यू पर लागू नहीं होंगे। यह सुविधा हस्तशिल्प, कृषि, पुष्पोत्पादन, जलकृषि, पशुपालन, आई टी और सेवा क्षेत्रों के लिए पहले से मौजूद है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार

***46. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:**
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार योजनाओं को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु कितनी राशि आबंटित की गई; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पैदा की जा रही अनावश्यक अड़चनों को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पूर्ववर्ती समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) तथा सम्बद्ध योजनाओं को पुनर्गठित करके 1 अप्रैल, 1999 से ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए स्वरोजगार के अवसरों को सृजित करने हेतु समेकित कार्यक्रम के रूप में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) एसजीएसवाई का उद्देश्य गरीब परिवारों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करके, प्रशिक्षण के जरिए उनकी क्षमता को बढ़ाने तथा बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी दोनों के माध्यम से आय सृजन वाली परिसम्पत्तियों के प्रावधान द्वारा गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। सहायता प्राप्त परिवार (स्वरोजगारी) वैयक्तिक या समूहों (स्व-सहायता समूहों) में हो सकते हैं, ऐसे परिवार गरीबी रेखा से नीचे के परिवार होते हैं। तथापि, योजना में प्रति ब्लाक लगभग 10 मुख्य क्रियाकलापों का चयन करके समूहगत दृष्टिकोण और क्रियाकलाप के समूहों के विकास पर बल दिया जाता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली तथा चंडीगढ़ को छोड़कर) के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान एसजीएसवाई के कार्यान्वयन हेतु आबंटित निधियां निम्नानुसार हैं:

वर्ष	केन्द्रीय आबंटन (रु. करोड़ में)
2002-03	710.00
2003-04	800.00

(घ) केंद्र, राज्य, जिला तथा ब्लाक स्तरों पर चार स्तरीय व्यापक समन्वय तंत्र कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु बनाया गया हैं। बैंकों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए बैंकों के वरिष्ठ कार्यपालकों को सभी स्तरों पर समितियों का सदस्य बनाया गया है।

कार्यक्रम की समीक्षा तथा प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय स्तरीय समन्वय समिति की छह माह में एक बैठक होती है। समिति ऋण सहायता जैसे कि बैंकों द्वारा ऋणों की मंजूरी तथा भुगतान में विलंब से संबंधित मुद्दों को देखती है। 18 जून, 2004 को हुई अपनी पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ब्लाकों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा प्रायोजित सभी ऋण प्रस्तावों को बैंकों द्वारा प्रस्तावों के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर मंजूर किया जाएगा, किन्तु इसमें एक से अधिक माह का समय न लगे।

मंत्रालय के कहने पर, आरबीआई, नाबार्ड तथा आईबीए द्वारा बैंकों के मुख्य कार्यपालकों तथा प्रबंध निदेशकों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ताकि वे एसजीएसवाई योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने स्तर पर योजना की निगरानी कर सकें।

[अनुवाद]

ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में अनियमितताएं

***47. श्री गुरूदास दासगुप्त:**
प्रो. चन्द्र कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''ग्लोबल ट्रस्ट बैंक'' के प्रबंधन द्वारा की गई अनियमितताओं को रोकने में भारतीय रिजर्व बैंक विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के शेयरों में जोड़-तोड़ करने वालों ने मारीशस स्थित विदेशी निगमित निकाय के साथ इनसाइडर ट्रेडिंग की जिससे छोटे निवेशकों को 36 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हुआ;

(घ) यदि हां, तो क्या ''इनसाइडर ट्रेडिंग'' की जांच के लिए सरकार द्वारा कोई जांच-पड़ताल शुरू की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या संसद सदस्यों ने सरकार से उन 20,000 छोटे निवेशकों को जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिस्थगन काल लागू किए जाने से पूर्व ''ग्लोबल ट्रस्ट बैंक'' के 2 करोड़ शेयर खरीदे थे, 36 करोड़ रुपए लौटाने का अनुरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) कुछ रिपोर्टों, जिनमें 25 जुलाई, 2004 के अधिस्थगन की घोषणा के पूर्व भूतपूर्व ग्लोबल ट्रस्ट बैंक (जीटीबी) के शेयरों के लेन-देन में आकस्मिक उछाल का उल्लेख है, के आधार पर सेबी द्वारा जांच हेतु आदेश दिए गए। इस जांच से खुलासा हुआ कि मारीशस स्थित दो विदेशी निकायों (ओसीबी) नामत: फार ईस्ट इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड एवं यूरोपियन इंवेस्टमेंट लि. ने 17 जून, 2004 से उनके शेयरों की बिक्री शुरू कर दी थी। उनके 12 जून, 2004 को जीटीबी के शेयरों में कारोबार के लिए पात्र होने पर ऐसा किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने 19 जुलाई, 2004 तक 95 लाख शेयर बेचे। सेबी द्वारा की गई जांच के मुख्य निष्कर्ष निम्नांकित हैं :

(1) जीटीबी स्क्रिप से संबंधित आंकड़ों एवं सूचनाओं के विश्लेषण से यह पता नहीं चलता है कि संबद्ध व्यक्तियों द्वारा की गई बिक्री सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिस्थगन की संभावित घोषणा के बारे में किसी प्रकार की सूचना अथवा संभावित स्वैप अनुपात पर आधारित थी तथा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह कहा जाए कि वे मूल्य संबंधी संवेदनशील सूचना उनके पास थी।

(2) अधिस्थगन पूर्व अवधि के दौरान, खरीददार विभिन्न भागों से थे तथा दो ग्राहकों नामत: सुमन गोयल, लुधियाना निवासी तथा रामजी मेहरोत्रा, कानुपार निवासी, जिन्होंने क्रमश: 599016 एवं 575000 शेयर खरीदे, को छोड़कर कोई संकेन्द्रित खरीददारी नहीं हुई। इस विश्लेषण में इस अवधि के दौरान खरीददार और बिक्री करने वालों के किसी सामान्य समूह का पता नहीं चला।

(3) अधिस्थगन पश्चात् अवधि के दौरान, खरीददार एवं बिक्रीकर्ता विभिन्न भागों से थे तथा कुछ अपवादों को छोड़कर किसी संकेन्द्रित खरीद की जानकारी नहीं मिली। उपर्युक्त लेन-देन में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं पाया जा सका। अधिस्थगन पश्चात अवधि के दौरान जीटीबी स्क्रिप की कीमतों में लगभग 2 रुपए के नगण्य स्तर तक गिरावट आई थी।

(च) और (छ) अधिस्थगन लागू करने के पश्चात् भूतपूर्व जीटीबी के निवेशकों एवं जमाकर्ताओं के भावी के संबंध में चिन्ता करते हुए संसद सदस्यों समेत विभिन्न भागों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। 13 अगस्त, 2004 को सरकार द्वारा समामेलन की योजना को अधिसूचित किया गया था जिसमें शेयरधारकों एवं जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस मुद्दे पर दिनांक 1.12.2004 को लोक सभा में विस्तृत चर्चा भी हो चुकी है तथा आवश्यक स्पष्टीकरण दे दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को ऋण

***48. श्री सुकदेव पासवान:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को ऋण न दिए जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा तथा अग्रिम राशि में भारी अंतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है; और

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं/किसानों को ऋण/अग्रिम दिए जाने में विषमता दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंक कृषि, लघु उद्योग, सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों आदि सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों समेत देशभर में ग्राहकों को उधार देते हैं।

(ख) और (ग) मार्च 2004 की समाप्ति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल जमाराशियां एवं अग्रिम क्रमश: 147182 करोड़ रुपए तथा 63419 करोड़ रुपए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में दिए गए ऋण के अपेक्षाकृत कम स्तर का श्रेय खराब अवसंरचना सुविधाएं, कृषि में कम पूंजी निर्माण, काफी, रबड़ आदि जैसी कुछ कृषि वस्तुओं के मूल्य में गिरावट, अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली न होना (ओवरहैंग), ग्रामीण उद्योगों की

प्रौद्योगिकी, बाजारों आदि तक कम पहुंच सहित विभिन्न कारकों को दिया जाता है।

(घ) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को संस्थागत वित्त बढ़ाने के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं। इन उपायों में विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) का कार्यान्वयन, विशेषीकृत कृषि वित्त शाखाएं खोलना, किसान क्रेडिट कार्ड शुरू करना, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत अनिवार्य उधार तथा नाबार्ड के तहत ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) का गठन शामिल है। इसके अतिरिक्त, अगले तीन वर्षों में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को ऋण का प्रवाह दोगुना करने के लिए तथा वर्ष 2004-05 के दौरान ऋण का प्रवाह 30 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 18 जून, 2004 को एक नए कृषि ऋण पैकेज की घोषणा की गई है।

वस्त्र निर्यात

***49. श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री के.सी. पलनिसामी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य के वस्त्र का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वस्त्र निर्यात में कितने प्रतिशत कमी/वृद्धि हुई और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस उद्योग ने सरकार से वैश्विक परिदृश्य में आ रहे नित नये परिवर्तनों के कारण वस्त्र निर्यात में कमी को रोकने के लिए कुछ प्रोत्साहनों की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को अमेरिकी प्रशासन द्वारा चीनी वस्त्र आयात पर विशेष शिकंजा कसने के बारे में जानकारी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या भारतीय वस्त्र निर्यातक इस विशेष शिकंजे को कसने से लाभान्वित होंगे; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ग) वाणिज्यिक आसूचना व सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान वस्त्र निर्यात का विवरण नीचे दिए गए हैं :

(मूल्य अमरीकी मिलियन डालर में)

वर्ष	वस्त्र निर्यात	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि/कमी
अप्रैल, 2001-मार्च, 2002	10764.7	-10.6%
अप्रैल, 2002-मार्च, 2003	12412.7	15.3%
अप्रैल, 2003-मार्च, 2004	13159.5	6.0%

वर्ष 2001-02 के दौरान ह्रास मुख्यत: विश्व बाजार में आम मंदी और कम लागत पर आपूर्तिकर्ता देशों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के कारण हुआ।

(घ) और (ङ) भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने और वस्त्र निर्यात में और वृद्धि लाने के लिए व्यापार जगत से समय-समय पर सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों में अन्य बातों के साथ-साथ श्रम कानूनों में सुधार, पर्याप्त आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता, पारगमन लागत में कमी, व्यापार नीति प्रावधानों में लचीलापन, निर्यात उत्पादों के निवेश पर दिए गए स्थानीय करों और शुल्कों की वापसी, बढ़े हुए निर्यात प्रोत्साहन, समान व्यापार क्षेत्र प्रदान करना, आय कर से छूट, निर्यातक के अनुकूल व्यापार नीति और बाधामुक्त प्रणाली के लिए प्रक्रियागत परिवर्तन आदि शामिल हैं।

(च) जी, हां।

(छ) संयुक्त राज्य अमरीका ने चीन से आयात किए गए कुछ वस्त्र और क्लोदिंग उत्पादों के लिए आयात सीमा स्थापित की है। शामिल किए गए उत्पादों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) श्रेणी 332/432 और 632 में सूती, ऊनी और मानव-निर्मित फाइबर सॉक्स

(2) निट फैब्रिक, श्रेणी 222

(3) ब्रेशियर्स और शरीर में पहने जाने वाले अन्य परिधान, श्रेणी 349/649

(4) सूती और मानव-निर्मित फाइबर ड्रेसिंग गाउन और रोब।

कुछ उत्पाद श्रेणियों और वस्त्र सुरक्षा तंत्र के भाग के रूप में चीन से उत्पादों की कुछ श्रेणियों पर संयुक्त राज्य द्वारा विनिर्दिष्ट आयात सीमाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

उत्पाद का नाम	आयात सीमा की अवधि	आयात सीमा के ब्यौरे
श्रेणी 332/432 और 632 में सूती, ऊनी और मानव-निर्मित फाइबर सॉक्स	29 अक्तूबर, 2004—28 अक्तूबर, 2005	42,433,990 दर्जन जोड़ा
निट फैब्रिक, श्रेणी 222	24 दिसंबर, 2003—23 दिसंबर, 2004	9,664,477 किलोग्राम
ब्रेशियर्स और शरीर में पहने जाने वाले अन्य परिधान, श्रेणी 349/649	24 दिसंबर, 2003—23 दिसंबर, 2004	16,828,971 दर्जन
सूती और मानव-निर्मित फाइबर ड्रेसिंग गाउन और रोब	24 दिसंबर, 2003—23 दिसंबर, 2004	4,094,382 दर्जन

(ज) और (झ) चीन से आयात के विरुद्ध संयुक्त राज्य की सुरक्षा कार्रवाई के कारण भारतीय निर्यातकों को संभावित रूप से होने वाले लाभों की सीमा का आकलन इतना पहले नहीं किया जा सकता है।

वस्त्र कोटा प्रणाली की समाप्ति

*50. **श्री के. सुब्बारायण:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कोटा प्रणाली को समाप्त करने के मुद्दे को उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका स्वदेशी वस्त्र उद्योग एवं कपास उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) सरकार द्वारा स्वदेशी वस्त्र एवं कपास उद्योग को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) फिलहाल कुछ विकसित देशों (यथा, अमेरिका, यूरोपिय संघ के सदस्य देश, कनाडा) को वस्त्रों के निर्यात गाट के उरूग्वे राउंड निगोसिएशन के अंतिम अधिनियम में निहित वस्त्र एवं क्लोदिंग संबंधी करार (एटीसी) द्वारा शासित होते हैं। एटीसी के अनुसार ये विकसित देश 31 दिसंबर, 2004 तक किसी स्तर तक हमारे वस्त्र एवं क्लोदिंग निर्यात को रोक सकते हैं। 1 जनवरी, 2005 से अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र व्यापार संबंधी सभी कोटा चरणबद्ध रूप से समाप्त हो जाएंगे और वस्त्र क्षेत्र विश्व व्यापार संगठन के गाट क्षेत्र में पूर्णत: एकीकृत हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन में सरकार का रुख यह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र व्यापार में कोटा व्यवस्था एटीसी के अनुसार समाप्त की जानी चाहिए।

(ख) उदारीकृत व्यापार व्यवस्था के फलस्वरूप वस्त्र क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होगी और इस प्रकार स्वदेशी वस्त्र उद्योग को बेहतर निर्यात अवसर मिलेंगे। साथ ही इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उद्योग बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के लिए आगे आएगा इसी प्रकार वस्त्र कोटा समाप्त होने से कपास की मांग भी बढ़ेगी और कपास उपजकर्ताओं को बेहतर बाजार के अवसर प्राप्त होंगे। तथापि, कपास उपजकर्ताओं पर इसका संभावित प्रभाव कपास की फसल की वैश्विक आपूर्ति और मांग की स्थिति पर निर्भर करेगा।

(ग) बढ़ती हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए कपास उद्योग सहित घरेलू वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ बनाने के वास्ते केन्द्रीय बजट 2004-05 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी हैं :

* टेक्सचराइज्ड यार्न, सिंथेटिक और कृत्रिम फाइबरों तथा सिंथेटिक और कृत्रिम फिलामेंट यार्न सहित पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समस्त मूल्य श्रृंखला को उत्पाद शुल्क के विकल्प से छूट दी गई है।
* वस्त्र और वस्त्र मदों (एटीएंडटी) पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का सामान) अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है।
* विभिन्न वस्त्र मशीनरी और कल-पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार उभरती हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए कपास उद्योग सहित भारतीय वस्त्र उद्योग के वास्ते एक सशक्त परिवेश प्रदान करने के लिए समय-समय पर कई कदम उठाती रही है। उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं :

(1) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गयी है।

(2) कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू की है। इस मिशन में चार लघु मिशन शामिल हैं जो कृषि मंत्रालय तथा वस्त्र मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक मौजूदा बाजार यार्डों में सुधार/नए बाजार यार्डों की स्थापना तथा मौजूदा जिनिंग एवं प्रेसिंग सुविधाओं का उन्नयन/आधुनिकीकरण द्वारा कपास प्रसंस्करण सुविधाएं हैं।

(3) सरकार ने विकास संभावित केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के लिए अपैरल पार्क निर्यात योजना नामक एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की है।

(4) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र आधारभूत विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) शुरू की गई है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए आबंटित धनराशि

***51. श्री दलपत सिंह परस्ते:**
श्री सुशील कुमार मोदी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए आबंटित एवं खर्च की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्त उपलब्धियों का राज्यवार, विशेषकर महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ का ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए बनाई गई योजनाओं, निर्धारित लक्ष्य एवं इसके लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को राज्यों द्वारा धनराशि के अन्यत्र उपयोग के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान (अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 से) ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार आबंटित और उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है।

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के सिवाय किसी योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। इंदिरा आवास योजना के दौरान पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान तय लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण संलग्न विवरण IV में दिया गया है।

इसकी योजना अवधि की शेष अवधि के लिए बनाई गई योजनाएं नीचे दी गई हैं :

(1) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

(2) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

(3) इंदिरा आवास योजना

(4) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

(5) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना

(6) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

(7) स्वजलधारा

(8) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

(9) मरूभूमि विकास कार्यक्रम

(10) काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम।

सरकार को 1999-2002 के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन और सुनिश्चित रोजगार योजना के बारे में आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, पांडिचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में धनराशि के अन्यत्र प्रयोग के बारे में कुछ रिपोर्टें मिली हैं। प्रत्येक योजना के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए सभी संबंधितों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ताकि धनराशि का कहीं अन्यत्र उपयोग न हो।

विवरण I

वर्ष 2001-2002 के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत राज्यवार कुल आबंटन और उपयोग में लाई गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल आबंटन	कुल व्यय
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	186985.17	132007.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	10641.46	7293.73
3.	असम	79949.18	53903.18
4.	बिहार	128131.69	84530.41
5.	छत्तीसगढ़	51448.93	53396.20
6.	गोवा	3273.43	1861.56
7.	गुजरात	51218.77	45784.60
8.	हरियाणा	21984.88	23007.15
9.	हिमाचल प्रदेश	21124.16	21131.72
10.	जम्मू-कश्मीर	26258.59	21022.39
11.	झारखंड	69441.25	44410.99
12.	कर्नाटक	72481.56	51241.62
13.	केरल	32768.77	28185.85
14.	मध्य प्रदेश	98941.12	96807.26
15.	महाराष्ट्र	138912.98	102257.48
16.	मणिपुर	7920.69	2648.19
17.	मेघालय	9212.47	7830.64
18.	मिजोरम	5563.12	4784.48
19.	नागालैंड	8180.68	7141.26
20.	उड़ीसा	79668.20	94724.14
21.	पंजाब	15362.84	13752.97
22.	राजस्थान	107030.41	96575.58
23.	सिक्किम	2499.31	2301.88
24.	तमिलनाडु	92779.13	91525.57
25.	त्रिपुरा	11510.61	11790.67
26.	उत्तर प्रदेश	185825.22	156369.19
27.	उत्तरांचल	25025.21	20792.80
28.	प. बंगाल	82777.69	58928.46
29.	अं.नि. द्वीपसमूह	1405.45	1233.88
30.	चंडीगढ़	17.60	7.13
31.	दादरा ना. हवेली	584.71	148.05
32.	दमन दीव	186.07	39.02
33.	दिल्ली	1202.96	796.97
34.	लक्षद्वीप	262.35	105.28
35.	पांडिचेरी	617.09	414.56
	कुल	1631193.75	1338752.05

विवरण II

वर्ष 2002-2003 के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत राज्यवार 'कुल आबंटन और उपयोग में लाई गई निधियां'

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल आबंटन	कुल व्यय
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	111023.72	118869.72
2.	अरुणाचल प्रदेश	16860.35	13478.37
3.	असम	82016.64	65248.91
4.	बिहार	142015.97	98942.49
5.	छत्तीसगढ़	43398.42	44971.89
6.	गोवा	1672.13	257.14
7.	गुजरात	46970.06	44455.77

1	2	3	4
8.	हरियाणा	20563.51	24315.17
9.	हिमाचल प्रदेश	25687.16	24678.18
10.	जम्मू-कश्मीर	24767.77	14950.82
11.	झारखंड	77839.92	62706.62
12.	कर्नाटक	69230.12	68284.59
13.	केरल	24562.53	23159.57
14.	मध्य प्रदेश	119177.35	124230.98
15.	महाराष्ट्र	105643.58	100952.65
16.	मणिपुर	14356.48	100952.65
17.	मेघालय	14479.00	8144.34
18.	मिजोरम	8598.28	9094.02
19.	नागालैंड	10947.92	9936.05
20.	उड़ीसा	91365.49	154372.59
21.	पंजाब	16987.15	15679.14
22.	राजस्थान	86709.76	93786.45
23.	सिक्किम	5555.49	4348.45
24.	तमिलनाडु	55575.53	67611.65
25.	त्रिपुरा	13701.49	10384.84
26.	उत्तर प्रदेश	205376.68	202370.15
27.	उत्तरांचल	27959.85	17330.58
28.	प. बंगाल	94889.81	82778.00
29.	अं.नि. द्वीपसमूह	2670.06	245.87
30.	दादरा ना. हवेली	1279.50	3.48
31.	दमण दीव	1153.34	9.58
32.	लक्षद्वीप	630.84	29.83
33.	पांडिचेरी	1073.42	849.68
	कुल	1564679.31	1508979.87

विवरण III

वर्ष 2003-04 के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत राज्यवार कुल आबंटन और उपयोग में लाई गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल आबंटन	कुल व्यय
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	103181.14	76071.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	11998.63	5517.24
3.	असम	97196.78	73922.06
4.	बिहार	143262.77	100037.40
5.	छत्तीसगढ़	63495.49	35766.35
6.	गोवा	1209.42	366.17
7.	गुजरात	46342.75	35834.42
8.	हरियाणा	20315.18	14005.58
9.	हिमाचल प्रदेश	37731.70	10269.77
10.	जम्मू-कश्मीर	27452.95	21833.79
11.	झारखंड	77379.49	57070.53
12.	कर्नाटक	68232.54	52439.77
13.	केरल	24603.28	22418.10
14.	मध्य प्रदेश	126087.08	95789.17
15.	महाराष्ट्र	104617.50	92886.50
16.	मणिपुर	8636.85	1368.59
17.	मेघालय	11050.43	6146.05
18.	मिजोरम	8401.65	6324.92
19.	नागालैंड	9324.07	4718.49
20.	उड़ीसा	108412.72	87513.52
21.	पंजाब	14031.37	10600.74
22.	राजस्थान	129511.39	106887.25

1	2	3	4
23.	सिक्किम	5666.06	2357.59
24.	तमिलनाडु	67561.48	60065.06
25.	त्रिपुरा	12198.32	12114.32
26.	उत्तर प्रदेश	235976.75	176124.22
27.	उत्तरांचल	21191.62	14126.39
28.	प. बंगाल	131724.49	66859.79
29.	अं.नि. द्वीपसमूह	1466.64	136.53
30.	दादर ना. हवेली	808.98	30.14
31.	दमण दीव	662.49	0.72
32.	लक्षद्वीप	655.24	7.88
33.	पांडिचेरी	897.04	192.24
	कुल	1721284.29	1249802.97

विवरण IV

वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-04 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02		2003-04		2002-03	
		वा. लक्ष्य	कुल उपलब्धि	वा. लक्ष्य	कुल उपलब्धि	वा. लक्ष्य	कुल उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	94356	822281	96562	126837	109355	105295
2.	अरुणाचल प्रदेश	4440	4542	4283	3423	4718	6346
3.	असम	99913	46817	96371	65587	106149	78752
4.	बिहार	256810	167979	262302	172524	297054	183792
5.	छत्तीसगढ़	16135	22996	16512	16255	18700	18302
6.	गोवा	610	317	624	289	707	233
7.	गुजरात	27117	27497	27751	27053	31428	31159
8.	हरियाणा	9169	9814	9884	9840	10626	9175
9.	हिमाचल प्रदेश	4056	3852	3900	3413	4416	3841
10.	जम्मू-कश्मीर	4852	7632	4665	5749	5283	8412
11.	झारखंड	75306	50136	77067	40482	87277	80290
12.	कर्नाटक	48807	43824	49948	42452	56565	80290
13.	केरल	30245	21372	30952	32107	35052	39825
14.	मध्य प्रदेश	56307	64962	57624	63691	65258	65758
15.	महाराष्ट्र	86598	88773	88623	85970	100365	103135

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मणिपुर	5294	1538	5107	2571	5625	1666
17.	मेघालय	7034	3953	6785	3305	7474	6465
18.	मिजोरम	1689	1275	1629	1305	1794	2202
19.	नागालैंड	4541	4473	4380	6698	4825	5966
20.	उड़ीसा	75960	169488	77736	444669	88085	154205
21.	पंजाब	6074	5317	6216	5651	7040	6050
22.	राजस्थान	25586	30471	26184	37592	29654	41888
23.	सिक्किम	1217	1754	1175	1149	1293	2041
24.	तमिलनाडु	47383	43540	48491	62988	54915	67069
25.	त्रिपुरा	10271	10382	9907	10321	10912	15003
26.	उत्तर प्रदेश	172761	171944	176800	177190	200224	190950
27.	उत्तरांचल	17944	11245	17250	11799	19536	21666
28.	प. बंगाल	101835	71553	104215	86709	118023	84726
29.	अं.नि. द्वीपसमूह	861	858	881	532	998	671
30.	दादरा ना. हवेली	452	202	462	54	524	14
31.	दमण दीव	187	66	192	48	217	7
32.	लक्षद्वीप	15	15	15	5	17	14
33.	पांडिचेरी	427	266	438	403	495	264
	कुल	1293753	1171081	1314431	1548641	1484554	1355326

[हिन्दी]

कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन

*52. **श्री ब्रजेश पाठक:**
श्री मोहन रावले:

क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन करने तथा उसके स्थान पर एक नया कंपनी अधिनियम लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस अधिनियम को संशोधित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पुराने कंपनी अधिनियम के स्थान पर एक नया कंपनी अधिनियम लाने हेतु संबंधित संकल्पना पत्र पर उद्योग परिसंघ, व्यवसायिक संस्थाओं, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के विचारों पर गौर करने के पश्चात् एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कंपनी अधिनियम में संशोधन करने के पहले निगमित क्षेत्र से परामर्श किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) कंपनी अधिनियम को बदलने से कंपनियों द्वारा निवेशकों के साथ की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने में किस हद तक सहायता मिलेगी?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) वर्तमान आर्थिक परिस्थिति के अनुसार कारपोरेट क्षेत्र के विनियमन के लिए एक उपयुक्त फ्रेमवर्क तथा संस्थानात्मक ढांचे, अच्छे कारपोरेट शासन तथा छोटे निवेशकों सहित स्टेकधारकों तथा निवेशकों के संरक्षण के लिए सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 का इसको संशोधित करने की दृष्टि से व्यापक पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया है।

(ग) से (च) विभिन्न स्टेकधारकों, इच्छुक पब्लिक व्यवसायिकों तथा विशेषज्ञों के विचार जानने हेतु कंपनी विधि पर एक अवधारणा-पत्र तैयार किया गया था और मंत्रालय की वैबसाईट पर 3 महीने के लिए प्रचार हेतु रखा था। मंत्रालय ने प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों के आधार पर स्टेकधारकों के साथ परामर्श किया है। औद्योगिक संघों, व्यवसायिक निकायों, कानूनी तथा अन्य विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों की एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) कंपनी अधिनियम के पुनर्गठन से अन्य बातों के साथ-साथ निवेशकों/शेयरधारकों/जमाकर्ताओं के अधिकार, पंजीकरण, प्रकटीकरण, वित्तीय रिपोर्टिंग, निदेशकों की जिम्मेवारियों की घोषणा, निरीक्षण, जांचें और दण्डों से संबंधित उपबंधों को दृढ़ किया जा सकेगा, जिससे कंपनियों के द्वारा निवेशकों के विरुद्ध की गई धोखाधड़ी की जांच करने में सहायता मिलेगी।

विवरण

विशेषज्ञ समिति

क्र.सं.	व्यक्ति/संगठन का नाम		स्तर
1.	डा. जे.जे. ईरानी	–	अध्यक्ष
2.	श्री जैड. एस. नेगी, अतिरिक्त सचिव, विधि मंत्रालय	–	विधि मंत्रालय के नामित
3.	श्री के.एन. मेमानी	–	फिक्की के नामित
4.	श्री अनिल अग्रवाल	–	एसोचैम के नामित
5.	श्री आर. शेषासाई	–	सीआईआई के नामित
6.	श्री आर.एस. अधुकिया	–	आई.सी.ए.आई. के नामित
7.	मि. पी. मल्होत्रा	–	आईसीएसआई के नामित
8.	श्री टी.पी. घोष, वरिष्ठ प्रोफेसर (वित्त) एमडीआई, गुड़गांव	–	आईसीडब्ल्यूएआई के नामित
9.	मि. कल्पना मोरपारिया	–	बैंकों के प्रतिनिधि
10.	श्री आर. पार्थसार्थी	–	वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि
11.	श्री ओ.पी. वैश्य	–	वरिष्ठ अधिवक्ता
12.	श्री शार्दुल शर्राफ	–	वरिष्ठ अधिवक्ता
13.	श्री जितेश खोसला, संयुक्त सचिव, कंपनी कार्य मंत्रालय	–	संयोजक सदस्य

विशेष रूप से आमंत्रित विशेषज्ञ समूह में शामिल होंगे—

1. श्री एम.एम.के. सरदाना, सदस्य एम.आर.टी.पी.सी.
2. श्री भगवत स्वरूप, सदस्य, आयकर निर्धारण आयोग
3. श्री एस. बत्रा, दिवालियापन विशेषज्ञ
4. श्री आर.एस. लूना, कार्यकारी निदेशक (विधि), सेबी
5. बैंकिंग विभाग, डीईए, आरबीआई और अन्य प्रतिनिधि जैसा कि समय-समय पर निर्णय लिया जाए।

कबाड़ आयात से संबंधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन

***53. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद:**
श्री बालेश्वर यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और देश वार कितनी मात्रा में इस्पात-कबाड़ का आयात किया गया है;

(ख) पूरे देश में पिछले एक वर्ष के दौरान आयात करने वाली कंपनियों द्वारा आयात किए गए कबाड़ से बरामद किए गए जीवित बमों (शैल्स) का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूषण स्टील, गाजियाबाद द्वारा आयात करते समय आयात प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कबाड़ में हुए विस्फोटों का क्या कारण है;

(ङ) प्रक्रिया उल्लंघन के मामलों और दोषियों को दी गई सजा का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए कबाड़ आयात नीति की समीक्षा करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समीक्षा कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (छ) भारतीय इस्पात प्रयोक्ता उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में इस्पात कबाड़ का आयात किया जा रहा है। चूंकि कबाड़ की बहुत अधिक घरेलू कमी है, इसलिए इस्पात उद्योग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक मात्रा में कबाड़ का आयात करता है। हाल में सरकार के ध्यान में कुछ ऐसे मामले आये हैं जिनमें जीवित बमों (शैलों) वाले कबाड़ का आयात हुआ है जिससे विस्फोट हुए और उसके फलस्वरूप मानव जीवन की हानि हुई। जीवित बमों के ये आयात विदेश व्यापार नीति और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 का उल्लंघन करके किए गए हैं। अनेक बार अंतर-मंत्रालयी परामर्शों के बाद सरकार ने धात्विक कबाड़ और अपशिष्ट के आयात के लिए कुछ नए दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। इन प्रक्रियाओं के अनुसार सभी प्रकार के काटे हुए, दबाये हुए अथवा खुले हुए धात्विक कबाड़ और अपशिष्ट के लिए इस आशय का पूर्व निरीक्षण प्रमाण पत्र होगा कि आयातित परेषण में कोई गोला-बारूद अथवा अन्य विस्फोटक सामग्री अथवा रेडियोधर्मी सामग्री नहीं है चाहे ऐसे आयातों का स्रोत कोई भी हो। ऐसे आयातों की 100 प्रतिशत जांच भी की जाएगी। यह आयात केवल 15 पत्तनों के जरिए किए जा सकेंगे।

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में आयातित इस्पात कबाड़ की मात्रा के वर्षवार और देशवार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित ''भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े, खंड 2 (आयात)-वार्षिक अंक'' प्रकाशन में उपलब्ध हैं जो संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। पिछले एक वर्ष के दौरान कबाड़ से बरामद जीवित बमों का ब्यौरा वाणिज्य विभाग द्वारा संकलित नहीं किया जाता है। जहां तक आयात नीति के उल्लंघन के लिए कसूरवार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का संबंध है, मै. भूषण स्टील, गाजियाबाद को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन जोनों एवं विशेष आर्थिक जोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी

***54. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में निर्यात संवर्धन जोन और विशेष आर्थिक जोन खोलने तथा उनका संचालन करने हेतु निजी पार्टियों/कंपनियों को प्रोत्साहित करने संबंधी कोई प्रस्ताव मंत्रालय में लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे हमारे देश में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त निर्णय लेने से पहले कोई अध्ययन किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो संबंधी तथ्य क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) सार्वजनिक, निजी, संयुक्त क्षेत्र में अथवा राज्य सरकारों द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस ई जेड) की स्थापना हेतु प्राप्त तथा विदेश व्यापार नीति तथा

क्रियाविधि पुस्तिका में निहित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले सभी प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। जहां कहीं प्रस्तावों में कमियां पाई जाती हैं अथवा कोई अतिरिक्त सूचना अपेक्षित होती है तो प्रवर्तकों को उक्त कमियों में सुधार करने और अपना प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है। इस समय एस ई जेड की स्थापना हेतु किसी भी निजी प्रवर्तक का कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। निर्यात संवर्धन क्षेत्रों की स्थापना हेतु कोई स्कीम नहीं है।

(ग) और (घ) एस ई जेड स्कीम का उद्देश्य निर्यातों के संवर्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी शुल्क मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। इन क्षेत्रों से वर्ष 2003-04 के दौरान निर्यात वर्ष 2002-03 के दौरान हुए 10,056.62 करोड़ रुपए के निर्यात की तुलना में 13,853.58 करोड़ रुपए के हुए थे जिनमें पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 38 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित होती है।

(ङ) और (च) एस ई जेड के लिए प्रोत्साहन पैकेज तैयार करने से पूर्व अन्य देशों में एस ई जेड को प्रदत्त सुविधाओं/ प्रोत्साहनों की अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग संबंधी प्रक्रिया पूरी की गयी थी। एस ई जेड के संवर्धन हेतु अब तक घोषित प्रमुख प्रोत्साहनों में से कुछ प्रोत्साहनों में शामिल हैं—एस ई जेड और एस ई जेड एककों के विकास, प्रचालन और रख-रखाव हेतु वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात/घरेलू खरीद; एस ई जेड के विकासकर्त्ताओं के लिए 15 वर्षों में 10 वर्ष के एक ब्लाक हेतु 100 प्रतिशत आयकर छूट; घरेलू टैरिफ क्षेत्र से एस ई जेड को की जाने वाली आपूर्तियों पर केन्द्रीय बिक्रीकर से छूट; एस ई जेड एककों को पहले पांच वर्षों के लिए 100 प्रतिशत, 2 वर्ष के लिए 50 प्रतिशत की आयकर छूट और उसके बाद अगले 3 वर्ष के लिए पुन: प्रयुक्त लाभों के 50 प्रतिशत से अधिक की छूट।

[हिन्दी]

सहकारी बैंकों में घाटा

*55. **श्री सूरज सिंह:**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी तथा सहकारी क्षेत्र के बैंकों के व्यय/घाटे में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे बैंकों की संख्या कितनी है जिनको घाटा हुआ है अथवा जिन्हें अत्यधिक व्यय के कारण बंद कर दिया गया है;

(घ) बंद किए गए बैंकों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा की गई राशि की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) ऐसे निजी तथा सहकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है जो जनता द्वारा जमा की गई राशि लेकर गायब हो गए तथा कारोबार छोड़कर भाग जाने वाले इन बैंकों के अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) सेंचूरियन बैंक (पिछले तीन वर्ष के दौरान घाटा), ग्लोबल ट्रस्ट बैंक (पिछले दो वर्ष के दौरान घाटा) तथा एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनैशनल बैंक (वर्ष 2002-03 के दौरान घाटा) को छोड़कर पिछले तीन वर्ष के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के परिचालनात्मक व्यय एवं उनके द्वारा अर्जित निवल लाभ में वृद्धि दर्ज की गई है। सेंचूरियन बैंक के परिचालन व्यय में भी उपर्युक्त अवधि के दौरान वृद्धि हुई जबकि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक तथा एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनैशनल बैंक के परिचालन व्यय में गिरावट आई है। पिछले तीन वर्ष के दौरान अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के व्यय किसी निश्चित प्रवृत्ति (2001-02 में 5485 करोड़ रुपए, 2002-03 में 5846 करोड़ रुपए तथा 2003-04 में 4646 करोड़ रुपए) व्यक्त नहीं की है। पिछले तीन वर्ष के दौरान परिचालन घाटा उठाने वाले शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 2001-02 में 220, 2202-03 में 556 तथा 2003-04 में 305 थी। पिछले तीन वर्ष के दौरान घाटे में रहने वाले राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए में)

वर्ष	घाटे वाले राज्य सहकारी बैंकों की संख्या	हानि की राशि	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या	हानि की राशि
2001-02	5	1,185.34	116	53,328.46
2001-02	6	8,701.26	103	73,794.71
2002-03	5	1,457.44	118	89,163.32

हानियों के कारण किसी बैंक को बंद नहीं किया गया है। तथापि, 7 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, अर्थात मधेपुरा-सुपौल (बिहार), डाल्टेनगंज (झारखण्ड), छपरा (बिहार), सिबसागर (असम), गोण्डा (उत्तर प्रदेश), रायगढ़ (छत्तीसगढ़) और दरभंगा (बिहार) के संबंध में लाइसेंस के लिए आवेदनों को उनकी खराब होती वित्तीय स्थिति के कारण बीआर अधिनियम, 1949 की

धारा 22 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। बैंकों को केवल अत्यधिक व्यय के कारण घाटा नहीं उठाना पड़ा है। अनुपयोज्य आस्तियों की बड़ी मात्रा तथा अनुपयोज्य आस्तियों के बदले किए गए अपेक्षित प्रावधानों के कारण भी घाटे हुए हैं।

उन शहरी सहकारी बैंकों, जिनके बैंकिंग कारोबार करने संबंधी लाइसेंसों को रद्द या अस्वीकार कर दिया गया था, की संख्या 2002 में 35, 2003 में 21 तथा 2004 में 45 थी।

गैर-सरकारी क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र का कोई बैंक जनता की जमाराशि लेकर गायब नहीं हुआ।

[अनुवाद]

बैंक/डाकघर में धन जमा कराने में एक 'गैर-पैन' धारक की कठिनाइयां

***56. डा. राजेश मिश्रा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों/डाकघरों में खाता खोलने और धन जमा कराने के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) होना एक आवश्यक पूर्व निर्धारित शर्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर कृषि क्षेत्र से संबंधित अधिकतर लोग कर के दायरे में नहीं आते तथा उन्हें 'पैन' आवंटित नहीं किया जाता, जिसके कारण उन्हें बैंकों/डाकघरों में खाता खोलने तथा धन जमा कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गैर-पैन धारकों को बैंकों/डाकघरों में 'पैन' की अनिवार्यता से छूट देने का है जिससे कि उन्हें बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) स्थायी खाता संख्या (पैन) न रखने वाले व्यक्ति भी आयकर नियमावली, 1962 के फार्म संख्या 60 में घोषणा करके बैंकों/डाकघरों में खाता खोल सकते हैं/धन जमा कर सकते हैं।

(ख) ऐसे व्यक्ति जिनके पास कृषि जनित आय है और जो आयकर प्रभार्य आय प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें बैंकों/डाक घरों में खाता खोलने और धन जमा करने के लिए पैन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को आयकर नियमावली, 1962 के फार्म संख्या 61 में केवल घोषणा करनी होगी। तथापि, किसी भी व्यक्ति को पैन आबंटित किया जा सकता है, भले ही उसकी आय कर योग्य हो अथवा न हो।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लिखित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, बैंकों/डाकघरों में खाता खोलने के लिए पैन का होना अनिवार्य नहीं है।

[हिन्दी]

बैंकिंग कानूनों में संशोधन

***57. श्री देविदास पिंगले:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बैंकिंग कानूनों में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी बाण्डों में निवेश करने के स्थान पर कृषि अथवा लघु उद्योगों के बुनियादी ढांचे में धन का निवेश करने की योजना को अंतिम रूप दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन क्षेत्रों में धन का निवेश किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, हां।

(ख) अब तक, सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित विधियों में संशोधन करने अथवा उनका अधिनियमन करने का निर्णय किया है:

(1) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों को जारी किए गए बैंकिंग लाइसेंसों को मान्य करने तथा इन बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं की जमाराशियों को निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा बीमाकृत किए जाने के लिए किया जा रहा है।

(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में संशोधन चूककर्ता उधारकर्ता को अपने मामले प्रस्तुत करने के लिए एक उचित

अवसर देने तथा इसके साथ-साथ उधारकर्ता को देयराशियों की चुकौती स्थगित करने के लिए विलम्बकारी चालें चलने से रोकने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया जा रहा है।

(3) भुगतान एवं निपटान प्रणाली के संबंध में एक नए विधान का प्रस्ताव समाशोधन गृहों को मान्यता देने के लिए कानूनी आधार देने, भुगतानों का प्राप्तियों के साथ निर्धारण करने के लिए कानूनी मंजूरी देने, निपटान की अंतिम अवस्था, सेवा प्रबंधकों एवं सहभागियों को मान्यता देने, भुगतान की समाशोधन प्रणाली तथा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रतिभूति समाशोधन एवं निपटान का पर्यवेक्षण करने के लिए सुस्पष्ट शक्तियां देने की व्यवस्था करने के लिए किया गया है।

(4) एक प्रत्यय आसूचना कंपनी (विनियमन) विधि का प्रस्ताव प्रत्यय आसूचना के कारबार को आवश्यक विधायी समर्थन देने तथा प्रत्यय आसूचना कंपनियों के विनियमन के लिए किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्रीलंका से काली मिर्च का आयात

***58. श्रीमती सी.एस. सुजाता:**
श्री पी.सी. थामस:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक देश से कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की काली मिर्च का आयात किया गया;

(ख) क्या श्रीलंका से काली मिर्च पर आयात शुल्क में छूट दिए जाने के बाद से श्रीलंका से भारत में इसके आयात में भारी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2001-2004 की अवधि के दौरान श्रीलंका से और श्रीलंका होते हुए वियतनाम से किए गए काली मिर्च के आयात का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान काली मिर्च के मूल्यों में गिरावट की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार ने घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(छ) बिना सीमा शुल्क के अथवा सीमित सीमा शुल्क के आयात की गई काली मिर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या भारत में आयात पत्तन "पोर्ट आफ इम्पोर्ट" पर कोई रोक है और काली मिर्च के आयात को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित देशवार काली मिर्च के आयातों की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं :

देश का नाम	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
वियतनाम	2658.0	2197.9	7013.9	4889.4	5535.0	3641.1
श्रीलंका	1240.5	1605.1	6099.0	5705.4	4915.8	3525.7
इंडोनेशिया	2010.4	1474.8	1529.7	1218.9	3384.3	2407.1
मलेशिया	29.8	24.5	55.6	35.8	123.2	68.6

1	2	3	4	5	6	7
थाईलैंड	2.2	6.6	124.6	59.0	99.1	50.1
सिंगापुर	207.6	194.7*	45.0	44.0	90.3	87.3
ब्राजील	15.0	13.3	–	–	75.0	52.6
इक्वाडोर	–	–	–	–	56.0	37.1
अन्य	164.7	119.3	524.1	385.0	55.6	53.5
योग	6328.2	5636.3	15391.8	12337.5	14334.1	9923.3

(ख) जी, हां। श्रीलंका से काली मिर्च के आयात में भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत श्रीलंका से काली मिर्च के आयात में शुल्क की छूट दिए जाने के बाद तेजी से वृद्धि हुई है।

(ग) वर्ष 2000-01 से 2003-04 तक श्रीलंका से काली मिर्च का आयात :

वर्ष	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रुपए)
2000-01	1759	2791
2001-02	1241	1605
2002-03	6099	5705
2003-04	4916	3526

श्रीलंका के जरिए वियतनाम से काली मिर्च के आयात के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। तथापि, घरेलू कीमतों में गिरावट को व्यापक रूप से केवल श्रीलंका से शुल्क मुक्त आयातों के कारण नहीं माना जा सकता। वर्ष 2000-01 से घरेलू कीमत की वार्षिक औसत निम्न प्रकार प्रस्तुत है :

वर्ष	औसत घरेलू कीमत (रुपए/किग्रा.)
2000-01	174.24
2001-02	80.39
2002-03	88.32
2003-04	74.11
2004-05 (अक्तूबर, 2004 तक)	70.91
अक्तूबर, 2004	64.08

(च) अगस्त, 2004 में भारत और श्रीलंका के बीच हुई तीसरी वाणिज्य सचिव स्तरीय वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष ने श्रीलंका से भारत को काली मिर्च के आयातों में हुई अत्यधिक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की थी। श्रीलंका पक्ष ने सूचित किया था कि काली मिर्च के उत्पादन के आंकड़े घरेलू खपत और निर्यात के आंकड़ों के साथ मेल खाते हैं। दोनों पक्ष उद्गम के नियमों की प्रवंचना को रोकने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए थे।

(छ) काली मिर्च का आयात भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (एफ टी ए) अथवा पुनः निर्यात के प्रयोजनार्थ अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत सीमाशुल्क के बगैर अनुमत है। श्रीलंका से काली मिर्च के आयातों के ब्यौरे उपर्युक्त भाग 'ग' में दिए गए हैं।

(ज) जी, नहीं। भारत में काली मिर्च के आयात पत्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार ने वर्ष 2002-03 के बजट में काली मिर्च के आयात पर सीमाशुल्क को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया है। काली मिर्च के आयातों पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा भी एक संवेदनशील मद के रूप में निगरानी रखी जा रही है।

काजू क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी

*59. **श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारत से नकदी फसलों, विशेषकर काजू के निर्यात तथा काजू गिरी के भारत में आयात से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने नयी प्रौद्योगिकी लागू करके इस उद्योग का आधुनिकीकरण करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नकदी फसलों का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) काजू निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार भारत पारम्परिक रूप से काजू गिरी का निर्यात एवं कच्ची काजू गिरी का आयात करता है। पिछले तीन वर्षों के लिए काजू गिरी समेत कुछ नकदी फसलों के निर्यात संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं :

मात्रा : मी. टन/मूल्य : करोड़ रुपए

वस्तु	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
काजू गिरी*	98203	1788.68	104137	1933.02	100828	1804.43
मसाले**	239286	1496.97	277015	1655.49	246979	1525.60
चाय**	180102	1719.22	182862	1652.06	184300	1594.55
काफी**	176262	1094.92	184874	993.97	180440	1082.22
तम्बाकू**	97936	807.70	100472	1022.89	121712	1090.81

(**स्रोत : डीजीसीआई एंड एस)(*स्रोत : सी ई पी सी)

पिछले तीन वर्षों के लिए कच्ची काजू गिरी के आयात निम्नानुसार हैं :

वर्ष	कच्ची काजू गिरी का आयात	
	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
2001-02	355556	950.01
2002-03	400659	1236.60
2003-04	452398	1400.90

(स्रोत : सी ई पी सी)

(ख) और (ग) अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वाणिज्य विभाग काजू निर्यात संवर्धन परिषद के जरिए काजू गिरी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सतत आधार पर एक समेकित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें मूल्यवर्धित रूप में/उपभोक्ता पैकों में काजू गिरी के लिए सुविधाओं की स्थापना/उनमें सुधार करना, प्रक्रिया सुधार द्वारा गुणवत्ता उन्नयन, अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत प्रमाणन योजना का कार्यान्वयन और फ्लेक्सी पाउच वैक्यूम पैकिंग प्रणाली लागू करना शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत काजू गिरी के निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) नकदी फसलों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्रस्तावित कुछेक कदमों में शामिल हैं : प्रशिक्षण एवं अवसंरचना विकास के जरिए फसलोत्तर सुधार; व्यापार संवर्धन; प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु सहायता प्रदान करना; प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन; बेहतर विनिर्माण पद्धतियों (जी एम पी)/जोखिम विश्लेषण निर्णायक नियंत्रण बिन्दु (एच ए सी सी पी)/अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आई एस ओ) का अनुपालन करने वाले एककों को मान्यता देना; पैकेजिंग विकास, व्यापार विवरणिकाओं का मुद्रण; विदेशों में व्यापार दौरे करना।

वस्त्र क्षेत्र के लिए विदेश व्यापार नीति

***60. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र क्षेत्र भारत के लिए निर्यात आय का प्रमुख स्रोत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेशी व्यापार नीति दस्तावेज में पहचान किए गए गतिशील क्षेत्रों में वस्त्र क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वर्ष के अंत तक मल्टी फाइबर एग्रीमेंट के चरणबद्ध तरीके से समाप्त होने के पश्चात् असीम संभावनाओं के द्वार खुल जाएंगे;

(ङ) क्या भारत को वस्त्र क्षेत्र में, जिसमें इसकी प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ की स्थिति है, निर्यात की दिशा की पहचान करने की तत्काल आवश्यकता है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि करने हेतु वस्त्र क्षेत्र को विदेश व्यापार नीति के हिस्से के रूप में शामिल करने पर विचार करेगी; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) वर्तमान वस्त्र निर्यात (हस्तशिल्प, जूट और कायर समेत) हमारे कुल निर्यातों का 21 प्रतिशत है।

(ख) नई विदेश व्यापार नीति में अन्य क्षेत्रों के अलावा वस्त्र क्षेत्र के हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को विशेष फोकस पहल के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) क्रिसिल (इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन द्वारा नियुक्त) द्वारा किए गए हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार, भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग वर्ष 2010 तक 85 बिलियन अमरीकी डालर की संभावित क्षमता प्राप्त कर सकता है जिसमें से घरेलू बाजार की क्षमता 45 बिलियन अमरीकी डालर और निर्यात क्षमता 40 बिलियन अमरीकी डालर की होगी। निर्यात में परिधानों का हिस्सा लगभग 60 प्रतिशत होगा।

(च) और (छ) विदेश व्यापार नीति में हमेशा वस्त्र क्षेत्र को प्राथमिकता दी गयी है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रक्रिया पुस्तिका खण्ड-2 में एक पृथक अध्याय है जिसमें वस्त्र एवं परिधान उत्पादों की 362 श्रेणियों हेतु निविष्टि/उत्पादन मानदण्डों को परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार, देश से निर्यात किए जा रहे प्रत्येक विचारणीय वस्त्र उत्पादों हेतु डी ई पी बी की दरें निर्धारित की गयी हैं। इसके अलावा, विदेश व्यापार नीति में हथकरघा क्षेत्र को भी एक विशेष पहल फोकस क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

हीरों की तस्करी

461. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विमानपत्तनों पर आजकल हीरों की तस्करी बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्व आसूचना निदेशालय (डी आर आई) ने हाल ही में कुछ व्यक्तियों को करोड़ों रुपए के हीरों की तस्करी के कथित प्रयास करते हुए गिरफ्तार किया है; और

(ग) यदि हां, तो गिरफ्तार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति से कितना हीरा जब्त किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) श्री अनिल चानना नामक एक व्यक्ति को दिनांक 12.8.2004 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह दो जोड़ी हीरे की बालियों, जिनकी कुल कीमत 1.17 करोड़ रुपये आंकी गई है, की तस्करी करने का प्रयास कर रहा था।

गैर-दावाकृत राशि

462. श्री सुरेश चन्देल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30.11.2004 की तिथि के अनुसार देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों के विभिन्न खातों में जमा ऐसी कुल धनराशि कितनी है जिसे विगत कई वर्षों से न तो निकाला गया है न ही उस पर दावा किया गया है अर्थात या तो जमाकर्ता की मृत्यु हो गई है या वे गुमशुदा हैं;

(ख) इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है और क्या बैंकों में ऐसा कोई प्रावधान है कि खाताधारकों को उनके द्वारा खाता खोलते समय बताए गए पते पर सूचना दी जाए; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक 10 वर्षों के लिए

अपरिचालित खातों में अदावी जमाराशियों से संबंधी सूचना प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति के पश्चात् संग्रहीत करता है न कि माह-वार सूचना।

31 दिसम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार भारत में राष्ट्रीयकृत *बैंकों में अदावी जमाओं में धन की कुल राशि लगभग 504.21* करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी शाखाएं एक वर्ष अथवा अधिक से अपरिचालित खातों का अनुवर्तन ग्राहकों को उचित सलाह भेजकर करें तथा यदि उक्त पत्र अवितरित रूप में वापिस आ जाते हैं, तो उन्हें ग्राहकों अथवा मृतक होने के मामले में उनके कानूनी उत्तराधिकारी के पते-ठिकाने को ढूंढ़ने के लिए तत्काल जांच करनी चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निष्क्रिय बचत खातों में पड़ा धन कानूनी उत्तराधिकारी, यदि दावा किया जाए, तो अदा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि बैंक की देयताओं का हिस्सा होती है तथा सामान्य रूप से अभिनियोजित की जाती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उत्तरी क्षेत्र में जाना

463. **श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1997 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु पैकेज की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक निवेश हेतु कदम उठाए थे;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल जैसे राज्यों के लिए इसी प्रकार के आर्थिक पैकेजों की शुरूआत के बाद इन कंपनियों ने विनिवेश शुरू कर दिया है तथा इन राज्यों में निवेश कर रहे हैं जो संभारण की दृष्टि से तथा आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं और इच्छुक निवेशक अपनी निवेश योजनाओं को इन राज्यों की ओर मोड़ रहे हैं;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्योग और वाणिज्य परिमंडल ने हाल ही में सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश के लिए बेहतर और अधिक आर्थिक सुविधाएं दी जाएं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) 24 दिसंबर, 1997 को नई पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति (एनईआईपी) की घोषणा के बाद बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं घरेलू औद्योगिक इकाईयों से कुल 681 निवेश-प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में *1067.28 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश* हुआ।

जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्यों के लिए घोषित किए गए राजकोषीय प्रोत्साहन संबंधी अनुवर्ती पैकेज एन.ई.आई.पी. 1997 के लघु रूप हैं।

(ग) और (घ) एन.ई.आई.पी. में उपयुक्त संशोधनों के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश हेतु बेहतर एवं अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक आर्थिक शर्तें प्रस्तावित करने के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ

464. **श्री अनन्त नायक:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा उच्च न्यायालय की क्योझरगढ़ में एक पृथक् खंडपीठ गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्रियान्वित करने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक

465. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत मर्केन्टाइल कोआपरेटिव अर्बन बैंक, सोमजीगुडा, हैदराबाद ने 5000 जमाकर्ताओं से करोड़ों रुपए जमा किए थे किन्तु परिपक्वता अवधि पूरी होने पर उन्हें राशि लौटाने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक (बीएमसीबी) ने 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार जमाकर्ताओं से लगभग 14.63 करोड़ रुपए की राशि का संग्रहण किया था, जिनका ब्यौरा निम्नांकित है :

(करोड़ रुपए में)

(1)	स्थानिक (रेजिडेन्ट)	
	(i) मीयादी जमा	11.36
	(ii) बचत बैंक जमा राशि	1.59
	(iii) चालू जमा राशि	0.94
(2)	गैर-स्थानिक	0.13
(3)	अन्य यूसीबी से जमाराशि	0.61
	कुल	14.63

(ग) 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार, बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में की गई अद्यतन सांविधिक जांच के निष्कर्षों, जिसमें यह पाया गया था कि बैंक की शुद्ध मालियत नकारात्मक थी, के आधार पर 14 सितम्बर, 2004 से बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35क के तहत रखा गया है जिसमें उन पर किसी प्रकार के ऋण एवं अग्रिमों को संस्वीकृत अथवा नवीकरण करने, किसी प्रकार का निवेश करने, निधियों के उधार एवं नई जमा राशि को स्वीकार करने सहित उत्तरदायित्व लेने, अपने उत्तरदायित्वों और बाध्यताओं अथवा अन्य के उन्मोचन में किसी प्रकार का भुगतान करने या भुगतान करने के लिए सहमति देने, अपनी संपत्तियों अथवा आस्तियों का निपटान करने इत्यादि पर प्रतिबंध है। इसके अलावा, बैंक की आस्तियों के संरक्षण के मद्देनजर तथा अधिमानी भुगतान को नजरअंदाज करने के लिए बैंक को प्रति जमाकर्ता 1000 रुपए से अधिक भुगतान करने से मना कर दिया गया है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम में संशोधन

466. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में बैंककारी सहकारी समितियों को वाणिज्यिक बैंकों के समतुल्य लाने के लिए प्रस्तावित संशोधन से सहकारी क्षेत्र की स्वायत्तता के आधार ही समाप्त हो जाएगा;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे संशोधन से राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण होगा; और

(ग) सरकार सहकारी समितियों के संबंध में प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आलोक में स्थित दुरूस्त करने के लिए क्या कदम उठाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक को और अधिक परिचालनात्मक लचीलापन देने के लिए और सहकारी बैंकों पर उसके नियंत्रण को पुनर्परिभाषित करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को संशोधित करने के लिए बैंककारी विनियमन (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2003 संसद में पेश किया गया था।

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में सहकारिताओं को "लोकतांत्रिक व स्वायत्तता" की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। कतिपय राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त चिन्ता और इसको ध्यान में रखते हुए विनियामक मुद्दों और साथ ही सहकारी ऋण संस्थाओं दोनों की चिन्ता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने के लिए इस विधेयक को भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा गया है।

विश्व बैंक द्वारा उत्तरांचल को ऋण

467. श्री बची सिंह रावत "बचदा": क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरांचल सरकार ने विश्व बैंक से कितनी राशि ऋण के रूप में मांगी है और तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्व बैंक ने उत्तरांचल सरकार को अब तक किन योजनाओं के लिए ऋण जारी किया है और इन ऋणों के लिए विश्व बैंक ने क्या निबंधन और शर्तें रखी हैं; और

(ग) उत्तरांचल सरकार द्वारा विश्व बैंक को प्रतिवर्ष कितनी राशि और ब्याज दिया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) उत्तरांचल ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना-II हेतु सहायतार्थ एक प्रस्ताव विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 500 करीड़ रु. है, जिसकी 80 प्रतिशत राशि विश्व बैंक से मांगी गई है।

(ख) जिन योजनाओं के लिए विश्व बैंक ने अब तक उत्तरांचल को ऋण राशि जारी की है, इस प्रकार हैं—समेकित जलसंभर विकास परियोजना, ग्रामीण महिला विकास और अधिकारिता परियोजना, उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जलसंभर विकास परियोजना, आर्थिक सुधार हेतु तकनीकी सहायता परियोजना, उत्तरांचल स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना और तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (आईडीए) से प्राप्त ऋण सहायता की वापसी-अदायगी 10 वर्ष की छूट अवधि सहित 35 वर्ष में की जानी होती है और इन पर कोई ब्याज नहीं लगता बल्कि 0.75% प्रति वर्ष का सेवा-प्रभार लगाया जाता है।

(ग) विश्व बैंक को मूल राशि और वचनबद्धता प्रभार की वापसी अदायगी करना राज्य सरकार की नहीं बल्कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है।

अनिवासी भारतीयों को ऋण

468. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य के किसी अनिवासी भारतीय उद्योगपति ने बैंक आफ बड़ौदा के विरुद्ध न्याय हेतु सरकार से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) किसी उद्योगपति को स्वीकृति-पत्र देने के बाद किसी बैंक द्वारा ऋण संवितरण में कितना समय लगने की संभावना है; और

(घ) यदि कोई उद्योग (भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित अनिवासी भारतीय) बैंक आफ बड़ौदा जैसे सरकारी वित्तीय संस्था द्वारा परेशान किए जाने के कारण अपना व्यापार जानबूझकर बंद करता है तो क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

469. श्री ए. साई प्रताप: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जिलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या निकट भविष्य में कुछ और जिलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) 2004-05 के लिए इस कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) जी हां।

(ख) और (ग) कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजना में 426 जिले शामिल हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। 124 से अधिक जिलों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इन जिलों में से प्रत्येक जिले को बेस-लाईन सर्वे कराने और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए परियोजना तैयार करने के लिए 10 लाख रुपये मंजूर किये गए हैं।

(च) वर्ष 2004-05 के लिए इस कार्यक्रम हेतु 400 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

विवरण I

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान वाले जिलों की राज्यवार सूची

1. आंध्र प्रदेश

1. अदिलाबाद
2. अनंतपुर
3. चित्तूर
4. कुडप्पा
5. पूर्वी गोदावरी

6. गुंटूर
7. करीमनगर
8. खम्माम
9. कृष्णा
10. कुरनूल
11. महबूबनगर
12. मेडक
13. नालगोंडा
14. नैल्लौर
15. निजामाबाद
16. प्रकाशम
17. रंगारेड्डी
18. श्रीकाकुलम
19. विशाखापट्नम
20. विजयानगरम
21. वारंगल
22. प. गोदावरी

2. अरुणाचल प्रदेश

1. दिबांग घाटी
2. लोहित
3. ऊपरी सुबनसिरी
4. प. सिंयाग

3. असम

1. कछार
2. धुबरी
3. डिब्रुगढ़
4. गोलपाडा
5. हैलाकांडी
6. जोरहट
7. कामरूप
8. करबी अंगलोंग
9. करीमगंज
10. लखीमपुर
11. मोरीगांव
12. नलवाड़ी
13. सिबसागर
14. सोनीतपुर

4. बिहार

1. अररिया
2. बांका
3. बेगूसराय
4. भागलपुर
5. चम्पारण (पूर्वी)
6. दरभंगा
7. गया
8. कटिहार
9. मधुबनी
10. मुजफ्फरपुर
11. नालंदा
12. पटना
13. समस्तीपुर
14. सारन
15. सीतामढ़ी
16. वैशाली

5. छत्तीसगढ़

1. बिलासपुर
2. दंतेवाडा
3. दुर्ग
4. महासमुंद
5. रायपुर
6. राजनंदगांव

6. दादर व नागर हवेली

1. दादर व न. हवेली

7. गोवा

1. उत्तरी गोवा

8. गुजरात

1. अहमदाबाद
2. अमरेली
3. आननंद
4. बनासकांठा
5. भरूच
6. भावनगर
7. दहोद
8. डांग्स
9. गांधीनगर
10. जामनगर
11. जूनागढ़
12. खेड़ा
13. कच्छ
14. मेहसाना
15. नर्मदा
16. नर्मदा बड़ौदरा
17. नवसारी
18. पंचमहल
19. राजकोट
20. साबरकांठा
21. सुरेन्द्रनगर
22. बलसाड़

9. हरियाणा

1. अम्बाला
2. भिवानी
3. फतेहाबाद
4. गुड़गांव
5. हिसार
6. झज्झर
7. जींद
8. कैथल
9. करनाल
10. कुरूक्षेत्र
11. महेन्द्रगढ़
12. पंचकुला
13. पानीपत
14. रिवाड़ी
15. रोहतक
16. सिरसा
17. सोनीपत
18. यमुनानगर

10. हिमाचल प्रदेश

1. हमीरपुर
2. कांगड़ा
3. किन्नौर
4. कुल्लु
5. सिरमौर
6. सोलन
7. ऊना

11. जम्मू-कश्मीर

1. अनंतनाग
2. बारामूला
3. बडगांव
4. डोडा

5. जम्मू
6. करगिल
7. कठुआ
8. कुपवाड़ा
9. लेह
10. पुंछ
11. पुलवामा
12. राजौरी
13. श्रीनगर
14. उधमपुर

12. झारखंड

1. बोकारो
2. धनबाद
3. दुमका
4. पूर्वी सिंहभूम
5. हजारीबाग
6. रांची

13. कर्नाटक

1. बेल्लौरी
2. मंगलौर
3. मैसूर

14. केरल

1. अलप्पुझा
2. अर्नाकुलम
3. इडुक्की
4. कन्नूर
5. कसारगोड़
6. कोल्लम
7. कोझीकोड
8. मालाप्पुरम
9. पालाकाड़
10. पथानमथीटा
11. तिरूवनंतपुरम
12. त्रिशूर
13. वायनाड

15. मध्य प्रदेश

1. बालाघाट
2. बरवानी
3. बेतुल
4. भिंड
5. भोपाल
6. छत्तरपुर
7. छिंदवाड़ा
8. दमोह
9. दतिया
10. देवास
11. धार
12. डिंडोरी
13. गुना
14. ग्वालियर
15. हरदा
16. होशंगाबाद
17. इन्दौर
18. जबलपुर
19. झाबुआ
20. कटनी
21. खंडवा
22. खारगोन

23. मांडला
24. मंदसौर
25. मोरेना
26. नरसिंहपुर
27. नीमच
28. पन्ना
29. रायसेन
30. राजगढ़
31. रतलाम
32. रीवा
33. सागर
34. सतना
35. सिहोर
36. शिवनी
37. शहडोल
38. शाजापुर
39. सिओपुर
40. शिवपुरी
41. सिधी
42. टीकमगढ़
43. उज्जैन
44. उमारिया
45. विदिशा

16. महाराष्ट्र

1. अहमदनगर
2. अकोला
3. अमरावती
4. औरंगाबाद
5. बीड
6. भंडारा
7. बुलडाना
8. चन्द्रपुर
9. धूले
10. गडचिरौली
11. गोंडिया
12. हिंगोली
13. जलगांव
14. जालना
15. कोल्लापुर
16. लातुर
17. नागपुर
18. नांदेड
19. नंदुरबार
20. नासिक
21. ओस्मानाबाद
22. परभानी
23. पूणे
24. रायगढ़
25. रत्नागिरी
26. सांगली
27. सतारा
28. सिंधदूर्ग
29. सोलापुर
30. थाणे
31. वर्धा
32. वसिम
33. यावतमल

17. मणिपुर

1. विष्णुपुर
2. इम्फाल पूर्व

3. इम्फाल प.
4. थोबल

18. मेघालय

1. पूर्वी खासी पहाड़ी
2. प. गारो पहाड़ी

19. मिजोरम

1. मामित
2. सैहा

20. नागालैंड

1. दीमापुर
2. कोहिमा
3. मोकोकचूंग
4. जुन्हेबोतो

21. उड़ीसा

1. अंगूल
2. बालासोर
3. भद्रक
4. बोलनगीर
5. कटक
6. गजपति
7. गंजम
8. जगतसिंहपुर
9. जजपुर
10. कालाहांडी
11. कंधामाला
12. केंद्रपाड़ा
13. क्योंझर
14. खुर्दा
15. कोरापुट
16. मलकानगिरी
17. मयूरभंज
18. नवापाड़ा
19. नवरंगपुर
20. नयागढ़
21. पूरी
22. रायगढ़
23. सोनपुर
24. सुन्दरगढ़

22. पांडिचेरी

1. पांडिचेरी

23. पंजाब

1. अमृतसर
2. भटिंडा
3. फरीदकोट
4. फतेहगढ़ साहिब
5. गुरदासपुर
6. होशियारपुर
7. जालंधर
8. कपूरथला
9. मोगा
10. मुक्तसर
11. नवांशहर
12. पटियाला
13. रूपनगर
14. संगरूर

24. राजस्थान

1. अजमेर
2. अलवर
3. बाड़मेर
4. बीकानेर

5. बूंदी
6. जयपुर
7. झालावाड़
8. कोटा
9. राजसमंद
10. सवाई माधोपुर
11. सीकर

25. सिक्किम

1. पूर्वी सिक्किम
2. उत्तर सिक्किम
3. द. सिक्किम
4. प. सिक्किम

26. तमिलनाडु

1. कोयम्बटूर
2. कुडालोर
3. धर्मपुरी
4. डिंडीगुल
5. इरोड
6. कांचीपुरम
7. कन्याकुमारी
8. करूर
9. मदुरै
10. नागप्ट्टनम
11. नामक्कल
12. नीलगिरी
13. पेरम्बलूर
14. पुडुकोटई
15. रामनाथपुरम
16. सलेम
17. शिवगंगई
18. तंजावूर
19. थेनी
20. थुथुकुडी
21. तिरूचिरापल्ली
22. तिरूनेलवेली
23. तिरूवल्लूर
24. तिरूवनमलई
25. तिरूवरूर
26. वेलौर
27. विल्लुपुरम
28. विरुधुनगर

27. त्रिपुरा

1. धलाई
2. उत्तरी त्रिपुरा
3. द. त्रिपुरा
4. प. त्रिपुरा

28. उत्तर प्रदेश

1. आगरा
2. अलीगढ़
3. इलाहाबाद
4. अम्बेडकरनगर
5. औरैया
6. आजमगढ़
7. बदायूं
8. बागपत
9. बहराइच
10. बलिया
11. बलरामपुर
12. बांदा
13. बाराबंकी

14. बरेली
15. बस्ती
16. बिजनौर
17. बुलंदशहर
18. चन्दौली
19. चित्रकूट
20. देवरिया
21. एटा
22. इटावा
23. फैजाबाद
24. फर्रुखाबाद
25. फतेहपुर
26. फिरोजाबाद
27. गौतमबुधनगर
28. गाजियाबाद
29. गाजीपुर
30. गोंडा
31. गोरखपुर
32. हरदोई
33. जे.आर. फुलेनगर
34. जालौन
35. जौनपुर
36. झांसी
37. कन्नौज
38. कानपुर नगर
39. कानपुर देहात
40. कौशाम्बी
41. कुशीनगर
42. लखीमपुर खीरी
43. ललितपुर
44. लखनऊ
45. महामायानगर (हाथरस)
46. महोबा
47. महाराजगंज
48. मैनपुरी
49. मथुरा
50. मऊ
51. मेरठ
52. मिर्जापुर
53. मुरादाबाद
54. मुजफ्फरनगर
55. पीलीभीत
56. प्रतापगढ़
57. रायबरेली
58. रामपुर
59. एस.आर. नगर भदौई
60. सहारनपुर
61. संत कबीर नगर
62. श्रावस्ती
63. शाहजहांपुर
64. सिद्धार्थनगर
65. सीतापुर
66. सौनभद्र
67. सुल्तानपुर
68. उन्नाव
69. वाराणसी

29. उत्तरांचल

1. अल्मोड़ा
2. बागेश्वर
3. चमोली

4. चम्पावत
5. देहरादून
6. हरिद्वार
7. नैनीताल
8. पौड़ी
9. पिथौरागढ़
10. रुद्रप्रयाग
11. टिहरी गढ़वाल
12. उधम सिंह नगर
13. उत्तरकाशी

30. प. बंगाल

1. 24 परगना उत्तरी
2. 24 परगना दक्षिणी
3. बांकुरा
4. बीरभूम
5. बर्द्धवान
6. कूच बिहार
7. दक्षिण दीनाजपुर
8. हुगली
9. हावड़ा
10. जलपाईगुडी
11. मालदा
12. मिदनापुर पूर्वी
13. मिदनापुर पश्चिमी
14. मुर्शीदाबाद
15. नादिया
16. पुरूलिया
17. सिलीगुड़ी
18. उत्तर दीनाजपुर

कुल जिले—423

विवरण II

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान वाले जिलों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/जिले
1	2
1. अरुणाचल प्रदेश	
1.	चांगलांग
2.	पूर्वी कामेंग
3.	पूर्वी कामेंग*
4.	लोअर सुबनसिरी
5.	पापुमपारे
6.	तवांग
7.	तिरप
8.	अपर सियांग
9.	प. कामेंग
2. असम	
1.	बारपेटा
2.	बोंगाई गांव
3.	दारंग
4.	धीमाजी
5.	गोलाघार
6.	कोकराझार
7.	एन.सी. हिल्स
8.	नोगांव
9.	तिनसुकिया
3. बिहार	
1.	अरवल
2.	औरंगाबाद
3.	भभुआ
4.	भोजपुर
5.	बक्सर
6.	चम्पारण (प.)

1	2
	7. जमुई
	8. जहानाबाद
	9. रोहतास
	10. सहरसा
	11. सिवान
	12. सुपौल
4. छत्तीसगढ़	
	1. धमतरी
	2. जगदलपुर
	3. जांजगीर
	4. जसपुर
	5. कबीरधम
	6. कंकेर
	7. कोरबा
	8. कोरिया
	9. रायगढ़
	10. सरगुजा
5. गोवा	
	1. द. गोवा
6. गुजरात	
	1. पाटन
	2. पोरबंदर
7. हिमाचल प्रदेश	
	1. बिलासपुर
	2. चम्बा
	3. लाहौल स्पीति
	4. शिमला
8. झारखंड	
	1. चतरा
	2. देवघर

1	2
	3. गढ़वा
	4. गिरिडीह
	5. गोड्डा
	6. गुमला
	7. जामतरा
	8. कोडरमा
	9. लातेहार
	10. लोहरदग्गा
	11. पाकुड़
	12. पलामू
	13. साहिबगंज
	14. सरायकेला
	15. सिमदेगा
	16. प. सिंहभूम
9. कर्नाटक	
	1. बागलकोट
	2. बंगलौर ग्रामीण
	3. बंगलौर शहरी
	4. बेलगांव
	5. बीदर
	6. बीजापुर
	7. चामराज नगर
	8. चिकमंगलूर
	9. चित्रदूर्ग
	10. दावनगेरे
	11. धारवाड़
	12. गडवा
	13. गुलबर्गा

1	2
	14. हासन
	15. हावेरी
	16. काडागु
	17. कोलार
	18. कोप्पल
	19. मांडया
	20. रायचूर
	21. सिमोगा
	22. तुमकुर
	23. उडुपी
	24. उत्तर कन्नड़
10. मिजोरम	
	1. आइजल
	2. चम्फाई
	3. कोलासिब
	4. लांगतलाई
	5. लुंगलेई
	6. सेरछिप
11. नागालैंड	
	1. मोन
12. उड़ीसा	
	1. बारगढ़
	2. बौध
	3. देवगढ़
	4. ढेंकनाल
	5. झारसुगुडा
	6. सम्बलपुर
13. पंजाब	
	1. फिरोजपुर
	2. लुधियाना
	3. मंशा

1	2
14. राजस्थान	
	1. बांसवाड़ा
	2. बारन
	3. भरतपुर
	4. भीलवाड़ा
	5. चित्तौड़गढ़
	6. चूरू
	7. दौसा
	8. धौलपुर
	9. डूंगरपुर
	10. गंगानगर
	11. हनुमानगढ़
	12. जैसलमेर
	13. जालौर
	14. झुंझनू
	15. जोधपुर
	16. करौली
	17. नागौर
	18. पाली
	19. सिरोही
	20. टोंक
	21. उदयपुर
	कुल जिले 124

तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम लागू किया जाना

470. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार तम्बाकू/सिगरेट क्षेत्र की घरेलू इकाईयों की उत्पादन सीमा में परिवर्तन कर रही है ताकि तम्बाकू उत्पादों की खपत को हतोत्साहित किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ओ जी एल के अंतर्गत देश में तम्बाकू उत्पादों के आयात को अनुमति दी है;

(ङ) सरकार की व्यापार कंपनी सहित इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु क्या नीति है;

(च) क्या सरकार की नीति विरोधाभासयुक्त है क्योंकि एक ओर घरेलू उत्पादक एक खास उत्पादन सीमा से बंधे हैं जबकि दूसरी ओर आयात को अनुमति दी जा रही है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन, निषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन अधिनियम, 2003 को मई, 2003 में अधिनियमित किया गया था। संपूर्ण देश में लागू होने वाले इस अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध इस प्रकार हैं—

(1) सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान की मनाही।

(2) सभी तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन का वर्जन।

(3) अठारह वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को सभी तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की मनाही।

(4) शिक्षा संस्थानों के 100 गज के दायरे के भीतर सभी तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की मनाही।

(5) तम्बाकू पैकों पर वैधानिक चेतावनी (चित्रयुक्त चेतावनी सहित) का अनिवार्य प्रदर्शन।

(6) तम्बाकू पैंकों पर अधिकतम अनुज्ञेय सीमाओं के साथ तार एवं निकोटिन की मात्रा को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां।

(ङ) से (छ) सरकार की नीति अंतर्गत तम्बाकू/सिगरेट क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है। तम्बाकू के सिगार और सिगरेट एवं विनिर्मित तम्बाकू स्थानापन्नों को उन उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है जिनके लिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियमन 1951 के अधीन लाइसेंस अनिवार्य है। निर्यात के लिए व्यापारिक कंपनियों, विस्तारित भाण्डागार बिक्रियों के साथ बड़ी मात्रा में आयातों और नकद एवं थोक व्यापार करने आदि के मामले में 100 प्रतिशत एफ डी आई की अनुमति खुदरा व्यापार में एफ डी आई की अनुमति नहीं है। तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

हथियारों की तस्करी

471. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलादेश से बड़ी मात्रा में हथियारों की तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) उपलब्ध आसूचना और सीमा शुल्क कार्यालयों द्वारा की गई हथियारों की जब्ती से बंगलादेश से हथियारों की व्यापक पैमाने पर तस्करी के कोई संकेत नहीं मिलते हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर शून्य समझी जाये।

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क के सभी क्षेत्रीय कार्यालय हथियारों एवं गोला-बारूद सहित निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी की रोकथाम और पहचान के लिए सतर्क व चौकस हैं।

हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं का उत्पादन

472. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में विशेषत: जम्मू और कश्मीर में हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र बहुत ही विकेन्द्रीकृत है और उत्पादन से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करना कठिन है। तथापि, हथकरघा क्षेत्र के मामले में वस्त्र आयुक्त का कार्यालय घरेलू बाजार में हैंक यार्न की सुपुर्दगी से हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन का आंकलन करता है। इन आंकलन के अनुसार हथकरघा वस्त्रों का उत्पादन वर्ष 2001-02 में 7585 मिलियन वर्ग मीटर, वर्ष 2002-03 में 5980 मिलियन वर्ग मीटर एवं वर्ष 2003-04 में 5518 (पी मिलियन वर्ग मीटर था। उदाहरण के तौर पर वस्त्र क्षेत्र में हैंक यार्न पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने से वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया वित्तीय परिवर्तन एक घटक हो सकता है। चालू वर्ष के दौरान इसे वापस ले लिया गया है और अगले 2 वर्षों के दौरान उत्पादन की प्रवृत्तियों में पुन: परिवर्तन हो सकता है।

तथापि, पिछले 3 वर्षों में हथकरघा एवं हस्तशिल्प दोनों मदों के निर्यात आंकड़ों में वृद्धि हुई है।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प का निर्यात

वर्ष	हथकरघा (करोड़ रुपये में)	हस्तशिल्प (करोड़ रुपये में)
2001-2002	2064.94	9205.63
2002-2003	2633.27	10933.67
2003-2004	लागू नहीं होता*	12765.18

(ग) भारत सरकार जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहित देश में हथकरघा उद्योग के संवर्धन हेतु विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं जो निम्नवत हैं:-

1. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएचपीवाई)
2. हथकरघा निर्यात योजना
3. विपणन संवर्धन कार्यक्रम
4. डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम
5. एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण कार्यक्रम
6. मिल गेट कीमत योजना
7. कार्यशाला-सह-आवास योजना
8. बुनकर कल्याण योजना
9. बुनकर बीमा योजना
10. हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन।
11. हथकरघा वस्त्रों पर 10% की छूट।

देश में हथकरघा क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन हेतु डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन एवं सहायता सेवाएं निर्यात संवर्धन प्रशिक्षण एवं विस्तार. अनुसंधान एवं विकास इत्यादि योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है। बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) के तहत स्वयं सहायता समूहों में कारीगरों को संगठित करके हस्तशिल्प समूह का एकीकृ त विकास किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है जिनमें निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल हैं:-

(1) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में बुनकर सेवा केन्द्र की स्थापना।

(2) एकीकृत ऊन एवं वुलन ट्वीड विकास परियोजना।

(3) कालीन एवं हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन हेतु एकीकृत विकास।

[* वर्ष 2003-04 के हथकरघा उत्पादों के अलग आईटीसी (एचएस) कोड के अभाव में हथकरघा उत्पादों के अलग निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

473. श्री प्रहलाद जोशी:
श्री सूरज सिंह:
श्री देविदास पिंगले:
श्री सुशील कुमार मोदी:
श्रीमती मेनका गांधी:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री पी. सी. थामस:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री संतोष गंगवार:
श्री राजेन्द्र कुमार:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री नीतीश कुमार:
श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री परसुराम माझी:

श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर:

प्रो. रासासिंह रावत:

श्री बालेश्वर यादव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के शुरूआती दौर से इसके अंतर्गत कुल निर्मित ग्रामीण सड़कों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2004-05 में इस परियोजनार्थ राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके क्रियान्वयन में देरी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आगे लागत वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) वर्ष 2000-01 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़कों की लम्बाई के राज्यवार ब्यौरे और वर्ष 2004-05 में रिलीज की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। चूंकि काम दिए जाने की तिथि से 9-12 महीने का समय दिया गया है वर्ष 2003-04 और 2004-05 से संबंधित सड़क कार्य कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है।

(ख) अब तक 14,789.00 करोड़ रुपए मूल्य के प्रस्ताव मंजूर कर दिए गए हैं। पूर्व में रिलीज की गई निधियों को व्यय करने की शर्त पर निधियां रिलीज की जाती हैं। वर्ष 2004-05 से आज तक के दौरान रिलीज के लिए पात्र 6 राज्यों को 524.00 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं।

(ग) और (घ) पी एम जी एस वाई दिशा-निर्देशों के अनुसार, काम दिए जाने के समय से 9-12 महीने के अंदर सड़क कार्य पूरे करने होते हैं। वर्ष 2000-01 के 94 प्रतिशत सड़क कार्य और 2001-03 के 78 प्रतिशत सड़क कार्य पूरे कर लिए गए हैं। शेष कार्य कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। राज्यों ने भूमि की अनुपलब्धता, वन की कटाई, अदालती मामलों के कारण विलम्ब की सूचना दी है। राज्यों को यथाशीघ्र सड़क कार्य पूरे करने होते हैं और संविदा की शर्तों के अनुसार कार्रवाई करनी होती है।

विवरण

शुरूआत से अब तक पी एम जी एस वाई के अंतर्गत बनाई गई सड़कों की राज्यवार लम्बाई और वर्ष 2004-05 में रिलीज की गई राशि

क्र.सं.	राज्य	अक्टूबर, 2004 तक बनाई गई सड़कों की लम्बाई (कि.मी.में)					2004-05 (करोड़ रुपए में)	
		2000-01	2001-02 एवं 2002-03*	2003-04	2004-05	कुल	स्वीकृत प्रस्ताव	रिलीज की गई राशि**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	3384.00	3280.00	0.00	-	6664.00	असू.	18.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	317.97	678.45	0.00	-	996.42	असू.	
3.	असम	176.68	497.33	0.00	0.00	674.01	244.46	52.07
4.	बिहार++	413.00	211.02	0.00	-	624.02	असू.	* 4.43
5.	छत्तीसगढ़	871.56	1010.61	267.63	-	21499.80	412.59	0.00
6.	गोआ	156.86	0.00	+++	0.00	156.86	1.08	0.00
7.	गुजरात	467.84	928.85	27.80	0.00	1424.49	45.59	0.00
8.	हरियाणा	374.31	335.41	0.00	0.00	709.72	40.22	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	525.60	711.96	0.00	-	1237.56	असू.	12.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	जम्मू व कश्मीर	5381	8.88	0.00	-	62.69	असू.	20.00
11.	झारखंड	634.47	408.58	0.00	-	1043.05	असू.	-
12.	कर्नाटक	1639.89	2348.69	0.00	-	3988.58	असू.	-
13.	केरल	81.61	193.80	0.00	-	275.41	असू.	-
14.	मध्य प्रदेश	1585.60	3358.00	937.80	9.70	5921.10	736.59	0.00
15.	महाराष्ट्र ++	1518.45	1332.87	0.00	0.00	2851.32	143.16	0.00
16.	मणिपुर +	उ.न.	उ.न.	+++	-	उ.न.	असू.	-
17.	मेघालय ++	468.81	94.90	+++	-	563.71	असू.	-
18.	मिजोरम	180.43	265.50	227.48	0.00	673.41	9279	0.00
19.	नागालैंड	870.00	318.37	5.24	0.00	1193.61	37.61	0.00
20.	उड़ीसा	998.38	1304.47	11.88	-	2314.73	असू.	-
21.	पंजाब	-166.24	449.43	31.22	-	646.89	असू.	-
22.	राजस्थान	1549.82	2376.08	4776.18	44.23	8746.31	302.81 ***	415.90
23.	सिक्किम ++	1089.00	183.06	0.00	-	1272.06	असू.	-
24.	तमिलनाडु	1442.12	757.28	33.31	0.00	2232.71	117.91	0.00
25.	त्रिपुरा	413.61	3.00	+++	-	416.61	असू.	-
26.	उत्तर प्रदेश	8213.00	2368.63	0.00	-	10581.63	असू.	-
27.	उत्तरांचल	284.01	101.77	0.00	-	385.78	असू.	-
28.	प. बंगाल	793.94	823.41	29.50	-	1646.85	असू.	-
कुल		28671.01	24380.35	6348.04	53.93	59453.33	2174.71	52402

* केवल वर्ष 2001-02 में दोनों वर्षों के सड़क कार्य साथ-साथ मंजूर किए गए ।

** पूर्व में रिलीज की गई राशि के व्यय करने पर ही रिलीज की जाती है। वर्ष के दौरान रिलीज पूर्व वर्ष में स्वीकृत सड़क कार्यों से संबंधित हो सकते हैं।

*** इसमें विश्व बैंक परियोजनाओं के लिए 134.50 करोड़ रुपए शामिल हैं।

असू. असूचित

उ.न. उपलब्ध नहीं

\+ सितम्बर, 03 तक के आंकड़े

\++ अगस्त, 04 तक के आकड़े

\+++ वर्ष 2003-04 के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हैं।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना

474. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) के अंतर्गत धनराशि जमा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के क्रेजिग्नेटिड बैंकों को अनुमति प्रदान करने का सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के कतिपय बैंकों के माध्यम से एससीएसएस को चलाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। वरिष्ठ नागरिकों को अपना धन बैंकों में जमा करने के लिए अनुमति देने तथा पोस्ट आफिसों के बराबर ब्याज दर देने के लिए सरकार से अनुरोध करते हुए, वरिष्ठ नागरिक संघ से सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस) पीपीएफ योजना, 1968 का परिचालन करने वाले सरकारी क्षेत्र के 23 बैंकों के प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से परिचालित किया गया है। योजना के अनुसार एजेंसी बैंकों को वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 को 1 नवम्बर, 2004 से पहले शुरू करने की सलाह दी गई थी।

[हिन्दी]

डब्ल्यू टी ओ को चुनौती देने वाली योजना

475. श्री रामचन्द्र पासवान:
श्री रमाकांत यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार विश्व व्यापार संगठन से मिलने वाली चुनौती से निपटने के लिए कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) और इसके पूर्ववर्ती संगठन टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट) का एक संस्थापक सदस्य है। डब्ल्यू टी ओ के दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कृषि सेवाओं और गैर-कृषि बाजार पहुंच समेत अनेक मुद्दों पर वार्ताएं किए जाने का अधिदेश दिया गया था। चल रही वार्ताओं के एक भाग के रूप में, विभिन्न वार्ताकारी समूहों में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करके और डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्यों के साथ मुद्दा आधारित गठबंधन बना करके भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम रहा है जैसा कि 1 अगस्त, 2004 को पारित कार्य ढांचा करार में परिलक्षित है। डब्ल्यू टी ओ में अपनी नीति निर्धारित करते समय राज्य सरकारों, उद्योग एवं व्यापार संगठनों इत्यादि समेत पणधारकों से नियमित आधार पर परामर्श किया जा रहा है। डब्ल्यू टी ओ में प्रमुख मुद्दों पर हो रही प्रगतियों की जानकारी से राज्य सरकारों को अवगत रखा जाता है और उनके विचार आमंत्रित किए जाते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों की समय-समय पर बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

[अनुवाद]

सहकारिता बैंकों की अपनी बचत को लघु बचत प्रतिभूति में जमा करने पर रोक

476. श्री पी. के. वासुदेवन नायर:
श्री सी. के. चन्द्रप्पन:
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सहकारिता बैंकों को उनकी अपनी बचत को लघु बचत प्रतिभूति में जमा करने पर रोक के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस रोक को हटाने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नॉन फेरस मेटल पर आयात शुल्क

477. श्री परसुराम माझी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नॉन-फेरस मेटल पर लगाए गए आयात शुल्क के मामले में नॉन-फेरस मेटल इंडस्ट्रीज से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) क्या सरकार ने उनके अभ्यावेदनों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो लेड कंसन्ट्रेट, कॉपर कंसन्ट्रेट और जिंक कंसन्ट्रेट जैसे कच्चे मालों पर आयात शुल्क में तदनुसार कटौती के बगैर आयात शुल्क में कटौती से पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से नॉन फेरस मेटल इंडस्ट्री की मदद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। सरकार ने कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुरोध किया है कि नॉन-फेरस मेटल पर आयात शुल्क के लिए वर्ष 2004-05 बजट से पूर्व प्रचलित दर को पुन: स्थापित किया जाना चाहिए। अभ्यावेदन नॉन फेरस मेटल के कन्सेंट्रेट पर आयात शुल्क की रियायत भी चाहते हैं।

(ख) और (ग) अभ्यावेदनों की वर्ष 2005-06 के बजट प्रस्तावों के भाग के रूप में जांच की जाएगी।

[हिन्दी]

निर्यात पर कम ड्यूटी इंटाइटलमेंट पास बुक दर का प्रभाव

478. श्री काशीराम राणा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ड्यूटी इंटाइटलमेंट पास बुक दर को कम करने से निर्यात पर कोई असर पड़ा है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान अलग-अलग कितने और कितने मूल्य के हस्तशिल्प, हथकरघा और अन्य गारमेंटों जैसे वस्त्रों का निर्यात किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) शुल्क हकदारी पास बुक योजना (डी ई पी बी) विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत संचालित एवं निर्यात संवर्धन योजना है और इसके अंतर्गत निर्यात उत्पाद के आयात तत्व पर सीमाशुल्क के प्रभाव को निष्प्रभावी किया जाता है। निर्यातों की मात्रा अनेक कारकों पर निर्भर होती है और डी ई पी बी कारकों में से ही एक कारक है। इस संबंध में वाणिज्य विभाग द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) पिछले 2 वर्षों के दौरान निर्यातित हस्तशिल्प रेशम जिनमें हथकरघा रेशम और अन्य परिधान शामिल हैं जैसी मदों की मात्रा और मूल्य के ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेशी व्यापार की मासिक सांख्यिकी खण्ड। (निर्यात)-वार्षिक अंक" नामक प्रकाशन में निहित हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेल-2010 के लिए धन

479. श्री अर्जुन सेठी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेल (2010) के लिए स्टेडियमों आदि के निर्माण के साथ-साथ बुनियादी सुविधा के लिए वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली सरकार को पर्याप्त धन स्वीकृत करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कुल कितनी धनराशि दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के आयोजन और संचालन से जुड़े कार्य का समन्वय करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक केन्द्रीय दल का गठन किया गया है।

आवास ऋण

480. श्री पारसनाथ यादव:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मुंशीराम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों तथा कुछ वित्तीय संस्थाओं ने चालू वित्त वर्ष के दौरान आवास ऋण के संबंध में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आवास ऋण पर ब्याज दर बढ़ाने के लिए बैंकों को निर्देश जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऋण संबंधी उक्त लक्ष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान बैंकों में आवास ऋण संबंधी धोखाधड़ी के कुल कितने मामले प्रकाश में आए; और

(च) आवास ऋण के लक्ष्य को हासिल करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चालू वर्ष के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए आवास ऋण संबंधी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। बैंक अपने स्वयं के मूल्यांकन एवं अपने-अपने बोर्डों द्वारा तथा अनुमोदित ऋण नीतियों के आधार पर आवास के लिए वित्त के लिए आबंटन के लिए स्वतंत्र है। तथापि, स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना (जीजेआरएचएफएस) के अंतर्गत सरकार ने चालू वर्ष, अर्थात 2004-05 के लिए 22.50 लाख आवासीय इकाईयों का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान और जून 2004 तक वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में आवास ऋण में हुई धोखाधड़ियों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	धोखाधड़ियों की सं.	राशि (करोड़ रुपए में)
1.	2002	236	28.33
2.	2003	456	69.05
3.	2004 (जून, 2004 तक)	380	49.82

(च) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सभी बैंकों/आवास वित्त कंपनियों/सहकारी क्षेत्र के संस्थानों स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा भेजा है। भिन्न-भिन्न प्रकार के इन लक्ष्यों की तिमाही आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निगरानी की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास ऋणों में धोखाधड़ी के जोखिम का सामना करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:

(1) सभी राज्य सरकारों से सामान्य शुल्क का भुगतान करके आश्वासन रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार आफ एश्योरेंसेज) के पास बंधक रखी संपत्ति पर बैंकों के ऋण भार को चिन्हित करने जैसे कतिपय प्रगामी उपाय करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि ये उपाय धोखाधड़ीकर्ताओं द्वारा कई-कई बंधक सृजन को पकड़ने में सहायक होगा।

(2) बैंकों को समय-समय पर धोखाधड़ीकर्ताओं और उनके तौर-तरीकों के बारे में चेतावनी देना/भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2002, अक्तूबर 2003 तथा सितम्बर 2004 में बैंकों को परिपत्र जारी किया जिसमें आवासीय क्षेत्र में ऋणों में धोखाधड़ी को रोकने के कई उपाय सुझाए गए हैं।

(3) एक करोड़ रुपए या अधिक के धोखाधड़ी के मामलों की तिमाही आधार पर निगरानी।

(4) बिल्डरों/निष्ठाहीन उधारकर्ताओं की संलिप्तता वाले धोखाधड़ी के मामलों में बैंकों को चौकसी की सलाह।

(5) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से आवास ऋणों में बड़े एक्सपोजर वाली शाखाओं में फील्ड स्तरीय निरीक्षण करने के लिए कहा है।

(6) धोखाधड़ियों से संबंधित मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में विचार-विमर्श के लिए बैंक कर्मियों को बुलाया जाता है ताकि उन्हें आवास ऋण में धोखाधड़ियों को कम करने के लिए उठाए जाने वाले निवारक उपायों की आवश्यकता का महत्व समझाया जा सके।

(7) जब कभी आवश्यक हो, बैंकों ने धोखाधड़ीपूर्ण क्रियाकलापों मे लिप्त होने से लोगों और कर्मचारियों को रोकने के लिए धोखाधड़ी के मामलों में पुलिस/सीबीआई में शिकायतें और न्यायालयों में आपराधिक शिकायतें भी दर्ज कराई हैं।

[हिन्दी]

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार

481. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड और बिहार का विशेष संदर्भ देते हुए आज की तारीख में देश के प्रत्येक राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले कुल कितने परिवार हैं और उनकी प्रतिशतता क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर झारखंड और बिहार में इनमें से ऐसे कुल कितने परिवार हैं जिन्हें गरीबी उन्मूलन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) योजना आयोग द्वारा दिए गए अनुमान के अनुसार 1999-2000 में बिहार और झारखण्ड सहित देश के प्रत्येक राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या और प्रतिशतता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस. जी. आर. वाई.) स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस. जी. एस. वाई.) और इंदिरा आवास योजना (आई. ए. वाई.) की प्रमुख गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्यवार संलग्न विवरण-II दिया गया है जिसमें झारखंड और बिहार का ब्यौरा भी शामिल है।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश के 150 अति पिछड़े जिलों के लिए अनुपूरक मजदूरी रोजगार पैदा करने और इन जिलों में आवश्यकता आधारित आर्थिक, सामाजिक और सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों से अतिरिक्त और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम नामक एक नई योजना आरम्भ की है। काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम ऐसे सभी लोगों के लिए है जिन्हें मजदूरी रोजगार की आवश्यकता है और जो शारीरिक और अकुशल कार्य करने के इच्छुक हैं। इस कार्यक्रम का स्वरूप अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने का है और यह शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित की जाएगी। राज्यों को अनाज मुफ्त दिया जाएगा।

मंत्रालय की ऐसी अन्य योजनाएं जिनसे ग्रामीण गरीब को लाभ पहुंचता है, वाटरशेड विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वजलधारा और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान है।

विवरण I

राज्यों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाली ग्रामीण आबादी की संख्या और प्रतिशत 1999-2000

(योजना आयोग के अनुमान के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण आबादी	
		व्यक्तियों की सं. (लाख में)	व्यक्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	58.13	11.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.80	40.04
3.	असम	92.17	40.04
4.	बिहार*	376.51	44.30
5.	गोवा	0.11	1.35
6.	गुजरात	39.80	13.17
7.	हरियाणा	11.94	8.27
8.	हिमाचल प्रदेश	4.84	7.94
9.	जम्मू व कश्मीर	2.97	3.97
10.	कर्नाटक	59.91	17.38
11.	केरल	20.97	9.38
12.	मध्य प्रदेश**	217.32	37.06
13.	महाराष्ट्र	125.12	23.72
14.	मणिपुर	6.53	40.04
15.	मेघालय	7.89	40.04
16.	मिजोरम	1.40	40.04
17.	नागालैंड	5.21	40.04
18.	उड़ीसा	143.69	48.01
19.	पंजाब	10.20	6.35
20.	राजस्थान	55.06	13.74
21.	सिक्किम	2.00	40.04
22.	तमिलनाडु	80.51	20.55

1	2	3	4
23.	त्रिपुरा	12.53	40.04
24.	उत्तर प्रदेश***	412.01	31.22
25.	पश्चिम बंगाल	180.11	31.85
26.	अंड. व निको. द्वीप समूह	0.58	20.55
27.	चंडीगढ़	0.06	5.75
28.	दादर व न. हवेली	0.30	17.57
29.	दमन व दीव	0.01	1.35
30.	दिल्ली	0.07	0.40
31.	लक्षद्वीप	0.03	9.38
32.	पांडिचेरी	0.54	20.55
	कुल	1932.42	27.09

* झारखण्ड राज्य शामिल है।
** छत्तीसगढ़ राज्य शामिल है।
*** उत्तरांचल राज्य शामिल।

विवरण II

वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के लिए एस.जी.आर.वाई., एस.जी.एस.वाई. एवं आई.ए.वाई. के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एस. जी. आर. वाई.-1			एस. जी. आर. वाई-2		एस. जी. एस. वाई			आई. ए. वाई		
		2001-02	2002-03	2003-04*	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	159.45	190.91	445.55	143.94	201.18	57829	52116	64352	82228	126837	105295
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.84	12.99	18.42	8.57	3.63	313	187	262	4542	3423	67
3.	असम	200.66	304.09	637.2	206.71	227.65	9721	45133	44678	46817	65587	78752
4.	बिहार	138.13	238.19	421.76	233.19	204.25	44928	20256	16225	167979	172524	183792
5.	छत्तीसगढ़	299.00	277.16	308.55	76.09	100.52	3902	5251	5278	22996	16255	18302
6.	गोवा	0.11	0.00	0.49	1.86	0.68	577	134	59	317	268	233
7.	गुजरात	30.42	113.01	323.01	39.32	87.49	4028	4632	5506	27497	27053	31189
8.	हरियाणा	57.94	58.28	68.87	48.84	60.9	2440	5375	8174	9814	9840	9175
9.	हिमाचल प्रदेश	11.91	13.49	39.06	13.90	8.25	5503	3671	5733	3852	3413	3841
10.	जम्मू व कश्मीर	11.34	28.13	47.89	21.51	18.97	9386	6391	2666	7632	5749	8412
11.	झारखंड	121.37	141.38	386.05	149.00	142.48	24935	13521	26517	50136	40482	60290
12.	कर्नाटक	142.40	243.47	566.07	140.79	276.13	29852	27832	37305	43824	42452	49833
13.	केरल	33.11	36.33	100.86	31.71	34.62	8583	10488	13736	21372	32107	39825
14.	मध्य प्रदेश	225.82	270.62	585.21	242.52	260.9	18788	24804	35350	64962	63691	65768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	महाराष्ट्र	217.08	239.08	630.96	229.39	251.3	25357	34129	45494	88773	85970	103135
16.	मणिपुर	0.00	0.00	14	3.67	7.4	0	0	0	1538	2571	1666
17.	मेघालय	12.36	12.66	34.37	17.25	10.55	1958	1424	4700	3953	3305	6465
18.	मिजोरम	5.77	6.29	15.38	4.24	6.7	3609	787	1403	1275	1305	2202
19.	नागालैंड	8.05	13.33	610.06	4.28	3.06	2911	1446	1873	4473	6698	5966
20.	उड़ीसा	244.16	291.35	618.57	236.80	307.68	13602	18272	41389	169488	444869	154205
21.	पंजाब	9.75	9.88	46	87.5	16.05	1165	2673	3051	5317	5651	6050
22.	राजस्थान	82.56	199.38	268.62	72.13	178.46	1148	3063	6027	30471	37592	41883
23.	सिक्किम	2.01	2.73	8.21	3.39	3.2	172	38	250	1754	1149	2041
24.	तमिलनाडु	132.51	251.09	512.06	139.54	240.87	52528	55327	59655	43540	62988	57069
25.	त्रिपुरा	43.52	37.03	126.96	30.06	30.06	62.43	4809	318	325	10382	15003
26.	उत्तर प्रदेश	313.63	658.86	1314.43	394.65	35.17	31175	65344	121882	171944	177190	190950
27.	उत्तरांचल	12.38	26.93	91.44	26.74	676.25	4159	6748	10538	11245	11799	21666
28.	पश्चिम बंगाल	84.22	171.20	445.04	94.56	243.19	2009	4546	12423	71553	86377	84726

एस. जी. आर. वाई.-1 -सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (चरण-1)
एस. जी. आर. वाई.-2 -सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (चरण-2)
एस. जी. एस. वाई.-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
आई. ए. वाई.-इंदिरा आवास योजना

योजनाओं की इंकाई:

उपलब्धि में एस.जी.आर.वाई.-2 भी शामिल है।
एस. जी. आर. वाई-1 -लाख श्रमदिवसों में सृजित रोजगार के लिए
एस. जी. आर. वाई.-2 -लाख श्रमदिवसों में सृजित रोजगार के लिए
एस.जी.एस.वाई.-सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या

[अनुवाद]

दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना

482. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए और कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथकरघा उद्योग को प्रोतसहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कितनी प्रदर्शनियां, कितने क्राफ्ट मेलों का आयोजन किया गया?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या और स्वीकृत राशि दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा संलग्न है। विवरण-I में संलग्न है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के तहत आने वाले राज्यों के लिए विभिन्न चालू विकासात्मक एवं कल्याण योजनाओं के तहत

एक अलग बजट प्रावधान किया गया है। दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएचपीवाई) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के तहत आने वाले राज्यों जम्मू व कश्मीर, उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश के संबंध में एक विशेष प्रबंध किया गया है जिसमें सहायता की भागीदारी का अनुपात 90:10 है जबकि अन्य राज्यों में इसका अनुपात 50:50 है। विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों/मेलों तक पूर्वोत्तर राज्यों से राज्य के बाहर उनकी निजी दुकानों तक/जिस राज्य में अनुमोदित दुकानों पर माल पहुंचाया जाता है, तैयार माल के परिवहन लागत के प्रति सहायता दी जाती है बशर्ते कि जहां पर यह माल पहुंचाया जाता है वहां की जनसंख्या 10 लाख (अद्यतन जनगणना के परिणाम के अनुसार) होने चाहिए, दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता दी जाती जैसा कि जम्मू एवं कश्मीर में सहायता उपलब्ध है। विभिन्न चालू योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्यों को दी जाने वाली सहायता राशि दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई शिल्प मेला आयोजित नहीं किया गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान हथकरघा संवर्धन के लिए प्रदर्शनियों एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
1.	राष्ट्रीय/विशेष हथकरघा एक्सपो	04	03	08
2.	जिला स्तरीय कार्यक्रम	34	42	53
3.	डिजाइन प्रदर्शनी एवं रंगाई कार्यशाला	-	30	23

विवरण I

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के तहत दी गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	मूलभूत निवेश (स्वीकृत)	मूलभूत निवेश के तहत शामिल लाभार्थी	मूलभूत निवेश (स्वीकृत)	दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि	विपणन प्रोत्साहन स्वीकृत एवं जारी	कुल (जारी)	मूलभूत निवेश (स्वीकृत)	मूलभूत निवेश के तहत शामिल लाभार्थी	मूलभूत निवेश (स्वीकृत)	दूसरी किस्त के रूप में जारी राशि	विपणन प्रोत्साहन स्वीकृत एवं जारी	कुल जारी	मूलभूत निवेश (स्वीकृत)	मूलभूत निवेश के तहत शामिल लाभार्थी	मूलभूत निवेश (स्वीकृत)	दूसरी किस्त के रूप में जमा राशि	विपणन प्रोत्साहन स्वीकृत एवं जारी	कुल (जारी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	2173.32750	5025	744.18000		432.64050	1176.82050	258.35475	4710	127.93000	342.00000	693.38000	1163.30000	-	-	1000.00000	648.45289	1648.45289	-
2.	बिहार	-	-	-	-	-	0.00000	-	-	-	-	-	0.00000	25.32175	404	12.6200	-	-	12.62000
3.	छत्तीसगढ़	16.16000	354	8.03000	-	24.54084	32.57564	74.48750	1330	37.16000	-	5.76000	42.92000	31.19375	464	15.58000	18.73750	9.57386	43.89136
4.	दिल्ली	-	-	-	-	-	0.00000	-	-	-	-	-	-	0.00000	-	-	-	-	0.00000
5.	गुजरात	-	-	-	212.50000	-	212.50000	-	-	-	-	-	-	0.00000	-	-	-	-	0.00000
6.	हरियाणा	-	-	-	-	-	0.00000	-	-	-	-	-	-	0.00000	-	-	-	-	0.00000
7.	हिमाचल प्रदेश	48.63750	600	24.23000	-	-	24.23000	148.86252	1175	73.30000	-	48.37000	121.67000	133.59625	700	66.85000	1.25000	17.63804	85.53804
8.	जम्मू व कश्मीर		-	-	-	-	0.00000	-	-	-	-	-	31.89000	-	-	-	-	21.56000	21.56000
9.	झारखंड	-	-	-	-	-	0.00000	-	-	-	-	-	0.00000	-	-	-	-	-	0.00000
10.	कर्नाटक	5.00000	-	2.50000	-	296.00072	298.50072	-	-	-	-	135.93000	135.93000	30.80875	1021	15.36000	2.50000	108.80315	126.66315
11.	केरल	-	-	-	-	225.00000	225.00000	76.09061	800	37.34000	-	984.40000	1001.74000	514.52000	59000	255.51000	-	423.83684	679.34784
12.	मध्य प्रदेश	12.18125	255	6.0600	-	3.28186	9.34188	8.12375	165	4.05000	-	51.81000	56.86000	6.88750	150	3.43000	-	3.23055	6.66055
13.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	0.00000	-	-	-	-	-	0.00000	-	-	-	-	-	0.00000
14.	उड़ीसा	-	-	-	-	-	0.00000	-	-	-	-	22.3400	22.34000	-	-	-	-	20.66399	20.66399
15.	पंजाब	-	-	-	-	-	0.00000	-	-	-	-	-	0.00000	-	-	-	-	-	0.00000
16.	राजस्थान	-	-	-	-	-	0.00000	9.57250	150	4.77000	-	5.00000	9.77000	-	-	-	-	4.69688	4.69688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17.	तमिलनाडु	183.41960	7763	91.03000	-	1571.34075	1662.37075	472.07375	17067	235.53050	91.58950	2193.53000	2520.65000	382.40625	12980	189.85000	-	1391.56204	1581.41204
18.	उत्तर प्रदेश	835.45625	13236	416.29000	-	226.95993	643.24993	461.31500	8540	223.46000	-	230.46000	453.9400	476.5000	9207	470.50000	82084250	311.77910	628.27160
19.	उत्तरांचल	80.66350	772	40.25000	-	-	40.25000 /	54.52450	563	27.25000	-	27.25000	-	-	-	-	-	2.13400	2.13400
20.	पश्चिम बंगाल	56.04725	860	27.69000	-	27.69000	193.98861	3460	97.56000	-	250.32000	347.88000	2044375	-	225	10.20000	-	-	10.20000
	कुल (क)	3410.89275	28865	1360.26000	212.50000	2779.76940	4352.52940	1739.49449	37960	868.34050	433.58950	4633.20000	5935.13000	1615.67800	31131	803.65000	1104.53000	2963.92234	4872.10234
	पूर्वोत्तर राज्य																		
1.	अरुणाचल प्रदेश	312.29580	2700	156.04000	-	-	156.04000	25.87200	200	12.83000	-	-	1283000	-	-	-	-	-	0.00000
2.	असम	1736.96852	15300	656.87300	-	-	866.07300	1605.17500	14300	802.23000	-	36.64000	837.87000	560.18000	54000	279.89000	9.73402	156.09278	445.71680
3.	मणिपुर	-	-	-	-	-	0.00000	927.47500	7913	463.52000	-	-	463.52000	-	-	-	110.78763	-	110.78763
4.	मेघालय	-	-	-	-	-	0.00000	-	-	-	-	-	0.00000	-	-	-	-	-	0.00000
5.	मिजोरम	-	-	-	-	-	0.00000	-	-	-	-	2.46000	2.46000	-	-	-	-	3.47466	3.47466
6.	नागालैण्ड	693.37500	0.000	346.50000	-	-	346.5000	233.31750	2550	117.81000	-	-	117.81000	1034.14675	7644	516.03000	-	-	516.33000
7.	त्रिपुरा	-	-	-	0.00000	3.91650	3.91650	-	-	-	0.0000	7.72000	7.72000	-	-	-	0.00000	5.48798	5.48798
8.	सिक्किम	-	-	-	-	-	0.00000	-	-	-	-	-	0.00000	-	-	-	-	-	0.00000
	कुल (ख)	2742.63852	25500	1368.61300	0.00000	3.91650	1372.52950	2791.83950	24963	1396.39000	0.00000	45.82000	1442.21000	1594.32675	13044	796.22000	120.52166	165.05542	1081.79707
	कुल योग (क+ख)	6153.53127	54385	2728.87300	212.50000	2783.68590	5725.055890	4531.13399	62923	2264.73050	433.58950	4679.02000	7377.34000	3210.00475	44175	1599.87000	1225.05165	3128.97776	5953.89941

विवरण II

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	असम को जारी राशि			अरुणाचल प्रदेश जारी राशि			मणिपुर को जारी राशि			मेघालय को जारी राशि			मिजोरम को जारी राशि			नागालैण्ड को जारी राशि			त्रिपुरा को जारी राशि		
	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना	866.07	837.87	445.72	156.04	12.83	-	-	463.52	110.79	-	-	-	-	2.46	3.47	346.50	117.81	516.33	3.92	7.72	5.49
10% छूट की प्रतिपूर्ति की योजना	-	-	112.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	11.13	-	-	-	-	-	12.05
कार्यशाला-सह-आवास योजना	-	117.95	181.99	320.00	28.00	13.50	-	127.25	-	10.54	15.75	-	-	36.60	-	-	24.45	484.51	-	-	20.00
स्वास्थ्य पैकेज योजना	-	63.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.89	73.88	-	-	-
थ्रिफ्ट फण्ड योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	-	-
नई बीमा योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.51	0.58	-
विपणन संवर्धन कार्यक्रम	64.96	112.56	101.41	10.51	19.59	7.26	6.00	-	5.00	1.93	3.88	3.91	9.80	14.92	28.72	12.70	14.00	34.00	5.76	19.07	10.49
कुल	931.03	1131.92	841.12	486.55	60.42	20.76	6.00	590.77	115.79	12.47	19.73	4.01	9.00	53.98	43.32	359.20	157.15	1108.72	10.32	27.35	48.03

बकाया कर की वसूली

483. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 अप्रैल, 2004 तक 87,885 करोड़ रुपए के बकाए के वसूली के लिए कोई विशेष अभियान शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान कितने कर बकाए की वसूली की गई;

(ग) क्या हर्षद मेहता और केतन पारिख जैसे बड़े चूककर्त्ताओं पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए के कर बकाए की वसूली कर ली गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) बकाया मांग की वसूली के लिए आयकर विभाग के प्रयासों को समन्वित करने, मॉनिटर करने और सुगम बनाने के उद्देश्य से एक कार्य बल गठित किया गया है। दिनांक 30.9.2004 को समाप्त हुई छ:माही के लिए बकाया मांग में से 3,462 करोड़ रुपये की कुल नकद वसूली रही है।

(ग) हर्षद मेहता समूह के मामलों एवं केतन पारिख समूह के मामलों के विरुद्ध लम्बित कर मांगों की आंशिक रूप से वसूली की गई है। हर्षद मेहता समूह के मामलों में दिनांक 01.04.2004 तक 1396.30 करोड़ रुपये की कुल धनराशि की वसूली की गई थी और चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई वसूली नहीं की गई है। केतन पारिख समूह के मामलों में दिनांक 0.1.04.2004 तक 18.06 करोड़ रुपये की कुल धनराशि की वसूली की गई थी और चालू वित्त वर्ष के दौरान 21.58 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की वसूली की गई है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल में नोटेरी पब्लिक की कमी

484. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के विभिन्न जिलों में नोटेरी पब्लिक की कमी के कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या नोटेरी पब्लिक के रूप में नियुक्त किए जाने संबंधी बहुत से आवेदन केंद्र सरकार के पास लंबित पड़े हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सभी आवेदनों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी नहीं। इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) जी हां। 97 आवेदन लंबित हैं और उन पर कार्यवाही की जा रही है।

चाय उद्योग के लिए विशेष पैकेज

485. डा. अरूण कुमार शर्मा:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्रीमती मिनाती सेन:
श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री जोवाकिम बखला:
श्री हितेन बर्मन:
श्री मणि कुमार सुब्बा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश द्वारा उत्पादित और निर्यातित/आयातित चाय की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चाय उद्योग को देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या पुन: चाय बागान लगाने और उद्योग के पुनरुद्धार के लिए 1000 करोड़ रुपए का परिक्रामी कोष वाले एक विशेष स्थापना कोष गठित किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों के दौरान चाय उत्पादकों की जिलावार तथा श्रेणीवार सूची क्या रही है तथा जिलावार और श्रेणीवार कितने चाय उद्योग बंद हुए हैं और वे किस तारीख से बंद हुए तथा उनके बंद होने के क्या कारण हैं और इससे कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं;

(ङ) उनको पुन: खोलने हेतु क्या कार्रवाई की गई और अब तक कितनी सफलता हासिल की गई;

(च) क्या सूखा, बाढ़ और बड़े पैमाने पर निर्यात होने से चाय की कमी हो गई और मूल्य में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो गई; और

(छ) यदि हां, तो चाय के मूल्य और चाय उत्पादकों की भी रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय के उत्पाद, निर्यात और आयातों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य	2001	2002	2003
उत्पादन, राज्य वार			
असम	453.94	432.51	453.44
पश्चिम बंगाल	186.88	189.84	200.60
अन्य	9.99	9.41	9.55
उत्तर भारत	650.81	631.76	663.59
तमिलनाडु	132.40	128.96	131.71
केरल	65.15	59.68	56.62
कर्नाटक	5.56	5.77	5.14
दक्षिण भारत	203.11	194.41	193.47
अखिल भारत	853.92	826.17	857.06
चाय का निर्यात एवं आयात			
निर्यात	182.59	201.00	173.69
आयात	17.18	24.80	9.88

(ख) भारतीय चाय उद्योग (पश्चिम बंगाल समेत) पिछले पांच वर्षों से मंदी कीमतों के दौर से गुजर रहा है। उद्योग के सामने दीर्घकालिन समस्याएं जैसे पुराने बागानों, प्रसंस्करण कारखानों में क्षतिग्रस्त मशीनों और घटिया बुनियादी सुविधाओं की समस्याएं भी आयी हुई हैं।

(ग) चाय उद्योग में पुनर्रोपण और पुनरुद्धार के लिए अभी किसी विशेष निधि की स्थापना नहीं की गयी है।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वित्तीय रूप से कमजोर 96 बागान संकटग्रस्त अवधि के दौरान बंद किए जाने/कार्य के निलंबन अथवा तालाबंदी की प्रक्रिया से गुजरे हैं। सरकार द्वारा नियुक्त तीन विशेषज्ञ समितियों ने वर्ष 2002 में बंद पड़े 36 चाय बागानों का अध्ययन किया था। इन निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार, तथा टी बोर्ड ने बंद चाय बागानों के प्रबंधनों, उनके बैंकरों और संबंधित राज्य सरकारों के बीच परामर्शों को सुविधाजनक बनाया है। चाय की कीमतों में सुधार होने से 62 बागान पुन: खोले जा चुके हैं। इन बागानों का राज्य वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

राज्य	बंद पड़े बागानों की संख्या	आज की तारीख में खोले गए बागानों की सख्या	उन बागानों की संख्या जो आज की तारीख के अनुसार बंद पड़े हैं	इस समय बंद बागानों में कामगारों की अनुमानित संख्या
पश्चिम बंगाल	50	40	10	6900
असम	17	13	4	2800
त्रिपुरा	7	6	1	70
केरल	22	3	19	10650
कुल	96	62	34	20420

(च) और (छ) चालू वर्ष के दौरान चाय का उत्पादन पहले छह महीनों के दौरान सूखे और बाढ़ से प्रभावित हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में अक्तूबर, 2004 की समाप्ति तक चाय के उत्पादन में लगभग 36 मिलियन किग्रा. की कमी आयी। औसत नीलामी कीमतें अप्रैल, 2004 के बाद बढ़नी शुरू हो गयी हैं। मूल्यों में वृद्धि यद्यपि मामूली है परन्तु इससे समग्र चाय उद्योग को सहायता मिली है। हालांकि, औसत नीलामी कीमतों में वृद्धि का रुख मालूम हुआ है परन्तु चाय की खुदरा कीमतें न्यूनाधिक रूप से स्थिर बनी हुई हैं।

भारतीय चाय उद्योग की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें चाय बागान क्षेत्र के विकास, आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार के लिए चाय पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की वसूली से एक विशेष निधि की स्थापना करना, विशेष चाय आवधिक ऋण (एस टी टी एल) की घोषणा करना, चाय क्षेत्र में बकाया आवधिक/कार्यशील पूंजी ऋणों के अनियमित हिस्से की पुनर्संरचना/पुन: चरणबद्ध करने की परिकल्पना और छोटे उपजकर्त्ताओं को 9 प्रतिशत तक की दर पर 2 लाख रुपए तक कार्यशील पूंजी प्रदान करना, लघु चाय उपजकर्त्ताओं और निर्मित चाय के विनिर्माताओं के बीच 1.4.2004 से कीमत सब्सिडी फार्मूले का कार्यान्वयन, फरवरी से मई, 2004 तक चार महीने की अवधि के लिए लघु चाय उपजकर्त्ताओं के लिए एक कीमत सब्सिडी स्कीम का कार्यान्वयन अब तक चार मानव संचालित नीलामी केन्द्रों को इलैक्ट्रानिक नीलामी केन्द्रों में परिवर्तित करने सहित चाय उद्योग के लिए एक सूचना प्रसारण योजना का कार्यान्वयन करना आदि शामिल है।

तटीय राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन

486. श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में तटीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नत किए गए तटीय राजमार्गों की लंबाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नत किए जाने वाले तटीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कार्यान्वित किए जा रहे/किए जाने वाले प्रस्तावों/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) गुजरात में तटीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में तटीय राजमार्गों के निम्नलिखित खंडों का स्तर बढ़ाकर उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है:-

1. मांडवी-नारायण सरोवर खण्ड (141.00 किमी.)
2. द्वारका-सोमनाथ खण्ड (208.85 किमी.)

(ग) फरवरी, 2004 में उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित खण्डों की राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा के पश्चात तटीय राजमार्गों के अन्य खण्डों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नत करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव एक सतत प्रक्रिया है जो सड़कों की स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होती है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निगमीकरण

487. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र बैंको के निगमीकरण के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) जी, नहीं।

कापार्ट

488. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री रामदास आठवले:
श्री परसुराम माझी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक 'कापार्ट' के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई और किन स्थानों पर योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) अब तक परियोजना-वार कितनी राशि आबंटित, जारी एवं उपयोग की गई है;

(ग) इस संबंध में अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार 'कापार्ट का पुनर्गठन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) 'कापार्ट' के अंतर्गत कितने प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र हैं और वे कहां-कहां हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हथकरघा क्षेत्र के गैर-विकास में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भूमिका

489. श्री डी. विट्टल राव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि देश में हथकरघा क्षेत्र के गैर-विकास का प्रमुख कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार देश में हथकरघा क्षेत्र की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) देश में हथकरघा क्षेत्र के गैर-विकास का प्रमुख कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इस बारे में अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में विद्युतकरघों की स्थिति

490. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर महाराष्ट्र में विद्युतकरघा मालिक कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास देश में विद्युतकरघा मालिकों के समस्याओं के समाधान के संबंध में कोई प्रस्ताव/योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) सरकार को सेनवेट को समाप्त किए जाने के लिए महाराष्ट्र विद्युतकरघा उद्योग से अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। विद्युतकरघा क्षेत्र सहित समग्र रूप में वस्त्र क्षेत्र के लिए इस वर्ष के बजट में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं:-

* टेक्स्चराइजड यार्न, सिंथेटिक और और कृतिम फाइबरों तथा सिंथेटिक और कृतिम फिलामेंट यार्न सहित पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समस्त मूल्यवर्द्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क से छूट का विकल्प दिया गया है।

* उत्पादन शुल्क की यह छूट पूरी मूल्य वर्द्धन श्रृंखला में दी गई है। जो शुल्क का भुगतान करने और सेनवेट ऋण देने का विकल्प लेते हैं उनके लिए शुल्क दो दरें निम्नलिखित हैं—

  - विशुद्ध कपास से बने सभी वस्त्र सामान जिनमें अन्य कोई अन्य कोई वस्त्र सामग्री नहीं है—4%

  - अन्य वस्त्र सामान-8%

* वस्त्र और वस्त्र मदों (एटीएंडटी) पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कोई अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का सामान) अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है।

(ग) और (घ) देश के विद्युतकरघा क्षेत्र के उन्नयन व संवर्द्धन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

* प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के तहत प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं जिससे विद्युतकरघा मालिक लिए गए ऋण पर 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर अथवा 20% आपफ्रन्ट पूंजी संबद्ध सब्सिडी प्राप्त कर उधार पूंजी की लागत कम कर सकते हैं।

* सरकार ने कार्य का बेहतर वातावरण तैयार करने और उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए विद्युतकरघों के वास्ते समूह कार्यशाला का निर्माण करने के लिए सहायता योजना की घोषणा की है।

* 5% रियाअती सीमा शुल्क के तहत प्रतिकारी शुल्क के बिना शटलरहित करघों के आयात की अनुमति दे दी गई है। ऐसे करघों पर उत्पाद शुल्क की छूट भी दी गई है।

* टीयूएफएस के तहत संस्थापित बुनाई मशीनों पर 50% की दर पर बढ़े हुए मूल्य ह्रास के लाभ प्रदान किए गए हैं।

* सरकार ने विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों के आधुनिकीकरण और उन्हें सुदृढ़ बनाने का काम शुरू कर दिया है। इन केन्द्रों की स्थापना प्रशिक्षण, परीक्षण, परियोजना की तैयारी आदि की तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है।

* छोटे विद्युतकरघा एकक नए डिजाइन प्राप्त कर सकें और उत्पाद विकास शुल्कों द्वारा फैब्रिक का उन्नयन कर सकें। इसके लिए कंप्यूटर साहायित डिजाइन केन्द्रों की स्थापना की गई है।

* विद्युतकरघा क्षेत्र में विद्युतकरघा बुनकरों/कामगारों की बेहतरी के लिए सरकार ने उनके लिए एक समूह बीमा योजना शुरू की है जिसके दो संघटक हैं-(1) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) की मौजूदा "जनश्री बीमा योजना" के अंतर्गत कवरेज, मृत्यु के लिए एड-ऑन समूह बीमा कवरेज—दोनों संघटक एल आई सी द्वारा संचालित किए जाते हैं।

देश में पनधारा परियोजनाएं

491. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी पनधारा परियोजनाएं स्वीकृत हुई;

(ख) इन पनधारा परियोजनाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई; और

(ग) अब तक कितनी पनधारा परियोजनाएं विकसित की गई हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय तीन क्षेत्र विकास नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित करता है। गत तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2001-2002 से लेकर 2003-2004 तक की अवधि के दौरान इन तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत 4760.35 करोड़ रूपये की कुल लागत पर 79.35 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए कुल 11,952 वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। स्वीकृत की गई राशि संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला पंचायतों को पांच किस्तों में जारी की जाती है। कार्यक्रम-वार ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:-

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की कुल संख्या (वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक)	शामिल क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	कुल लागत (वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक) (करोड़ रुपये में)
1.	आई.डब्ल्यू.डी.पी.	364	21.40	1283.95
2.	डी.पी.ए.पी.	7065	35.33	2119.50
3.	डी.डी.पी.	4523	22.62	1356.90
	योग	11952	79.35	4760.35

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य-वार स्वीकृत की गई वाटरशेड परियोजनाओं तथा राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण I से III में दिया गया है।

(ग) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत स्वीकृत की गई वाटरशेड परियोजनाओं को स्वीकृति की तारीख से 5 वर्षों की अवधि में पूरा किया जाता है। इस प्रकार गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई वाटरशेड परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

विवरण I

वर्ष 2001-02 से लेकर 2003-04 तक समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या तथा राशि

क्र. सं.	राज्य	2001-2002			2002-2003			2003-2004			कुल		
		परि. की सं.	क्षेत्र (हैक्टेयर में)	स्वीकृत की गई राशि (लाख रु. में)	परि. की सं.	क्षेत्र (हैक्टेयर में)	स्वीकृत की गई राशि (लाख रु. में)	परि. की सं.	क्षेत्र (हैक्टेयर में)	स्वीकृत की गई राशि (लाख रु. में)	परि. कुल संख्या	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	स्वीकृत गई राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	10	58785	3527.10	2	12000	720.00	10	60000	3600.00	22	130785	7847.10
2.	बिहार	1	8000	480.00			0.00	9	45000	2700.00	10	53000	3180.00
3.	छत्तीसगढ़	6	42436	2546.16			0.00	8	40000	2400.00	14	82436	4946.16
4.	गोवा			0.00			0.00	2	10000	600.00	2	10000	600.00
5.	गुजरात	6	37720	2263.20			0.00	11	57500	3450.00	17	95220	5713.20
6.	हरियाणा	3	21740	1304.40			0.00	4	20000	1200.00	7	41740	2504.40
7.	हिमाचल प्रदेश	7	47110	2826.60			0.00	8	43000	2580.00	15	90110	5406.60
8.	जम्मू कश्मीर	4	30567	1834.02			0.00	1	5000	300.00	5	35567	2134.02
9.	झारखंड	1	6037	362.22			0.00	6	33000	1980.00	7	39037	2342.22
10.	कर्नाटक	8	55230	3313.80	1	6448	386.88	9	45000	2700.00	18	106678	6400.68
11.	केरल			0.00			0.00	3	15000	900.00	3	15000	900.00
12.	महाराष्ट्र	4	27275	1636.50			0.00	9	45000	2700.00	13	72275	4336.50
13.	मध्य प्रदेश	10	60732	3643.95	1	7972	478.32	16	87000	5220.00	27	155704.47	9342.27
14.	उड़ीसा	9	58555	3513.30			0.00	7	38000	2280.00	16	96555	5793.30
15.	पंजाब	3	14181	850.86			0.00			0.00	3	14181	850.86
16.	राजस्थान	7	42362	2541.72			0.00	9	45000	2700.00	16	87362	5241.72
17.	तमिलनाडु	4	23343	1400.58			0.00	11	55000	3300.00	15	78343	4700.58
18.	उत्तर प्रदेश	7	40546	2432.76			0.00	13	65000	3900.00	20	105546	6332.76
19.	उत्तरांचल	6	32751	1965.06	4	22063	1323.78	3	16000	960.00	13	70814	4248.84
20.	पश्चिम बंगाल	1	5460	327.60			0.00	2	10000	600.00	3	15460	927.60
	योग	97	612830.5	36769.8282	8	48483	2908.98	141	734500	44070.00	246	1395813	83748.81
	पूर्वोत्तर राज्य												
1.	अरुणाचल प्रदेश	1	8300	498.00	8	54171	3250.26	10	32000	1920.00	19	94471	5668.26
2.	असम	10	58221	34993.26	15	90432	5425.92	14	84000	5040.00	39	232653	13959.18
3.	मणिपुर	1	8000	480.00	6	44500	2670.00	5	30000	1800.00	12	82500	4950.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	मेघालय			0.00			0.00	7	28000	1680.00	7	28000	1680.00
5.	मिजोरम	5	37910	2274.60	5	4068.5	2441.10	5	40000	2400.00	15	118595	7115.70
6.	नागालैण्ड	5	41030	2461.80	7	57250	3435.00	5	40000	2400.00	17	138280	8296.80
7.	सिक्किम	2	12177	730.62			0.00	3	18000	1080.00	5	30177	1810.62
8.	त्रिपुरा	4	19423	1165.38			0.00			0.00	4	19423	1165.38
	योग	28	185061	11103.66	41	287038	17222.28	49	272000	16320.00	118	744099	44645.94
	कुल योग	125	797891	47873.4882	49	335521	20131.3	190	1006500	60390	364	2139912.47	128394.748

परि. की सं. - परियोजनाओं की संख्या

विवरण II

वर्ष 2001-02 से लेकर 2003-04 तक सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या तथा राशि

क्र.सं.	राज्य	2001-2002		2002-2003		2003-2004		कुल	
		परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत की गई राशि (करोड़ रु. में)	परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत की गई राशि (करोड़ रु. में)	परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत की गई राशि (करोड़ रु. में)	परियोजनाएं	स्वीकृत की गई राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	166	49.80	291	87.30	287	86.10	744	223.20	
2.	बिहार	46	13.80	60	18.00	60	18.00	166	49.80	
3.	छत्तीसगढ़	106	31.80	116	34.80	116	34.80	338	101.40	
4.	गुजरात	110	33.00	241	72.30	250	75.00	601	180.30	
5.	हिमाचल प्रदेश	40	12.00	50	15.00	40	12.00	130	39.00	
6.	जम्मू-कश्मीर	44	13.20	66	19.80	66	19.80	176	52.80	
7.	झारखंड	173	51.90	164	49.20	200	60.00	537	161.10	
8.	कर्नाटक	245	73.50	221	66.30	227	68.10	693	207.90	
9.	मध्य प्रदेश	238	71.40	265	79.50	269	80.70	772	231.60	
10.	महाराष्ट्र	296	88.80	300	90.00	296	88.80	892	267.60	
11.	उड़ीसा	221	66.30	160	48.00	146	43.80	527	158.10	
12.	राजस्थान	96	28.80	113	33.90	96	28.80	305	91.50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	तमिलनाडु	61	18.30	144	43.20	160	48.00	365	109.50	
14.	उत्तर प्रदेश	92	27.60	158	47.40	160	48.00	410	123.00	
15.	उत्तरांचल	90	27.00	97	29.10	90	27.00	277	83.10	
16.	पश्चिम बंगाल	28	8.40	32	9.60	72	21.60	132	39.60	
	योग	2052	615.60	2478	743.40	2535	760.50	7065	2119.50	

टिप्पणी: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना में लगभग 500 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल होता है।

विवरण III

वर्ष 2001-02 से लेकर 2003-04 तक मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी. डी. पी.) के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या तथा राशि

क्र.सं.	राज्य	2001-2002		2002-2003		2003-2004		कुल	
		परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत की गई राशि (करोड़ रु. में)	परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत की गई राशि (करोड़ रु. में)	परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत की गई राशि (करोड़ रु. में)	परियोजनाएं	स्वीकृत की गई राशि (करोड़ रु. में)
1.	आंध्र प्रदेश	80	24.00	110	33.00	110	33.00	300	90.00
2.	गुजरात	304	91.20	277	83.10	298	89.40	879	263.70
3.	हरियाणा	100	30.00	121	36.30	118	35.40	339	101.70
4.	हिमाचल प्रदेश	95	28.50	73	21.90	49	14.70	217	65.10
5.	जम्मू-कश्मीर	111	33.30	77	23.10	41	12.30	229	68.78
6.	कर्नाटक	160	48.00	165	49.50	166	49.80	491	147.30
7.	राजस्थान	509	152.70	779	233.70	780	234.00	2068	620.40
	योग	1359	407.70	1602	480.60	1562	468.60	4523	1356.90

टिप्पणी: मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना में लगभग 500 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल होता है।

[हिन्दी]

रोजगार आश्वासन योजना

492. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 'रोजगार आश्वासन योजना' को कार्यन्वित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो देश में उन जिलों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिनका योजना के कार्यान्वयन के लिए चयन किया गया है।

(ग) क्या उक्त जिलों के चयन के पूर्व बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या संबंधी सूचना एकत्रित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उन लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या इन क्षेत्रों में 'संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) सुनिश्चित रोजगार योजना अब संचलन में नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) से (च) चण्डीगढ़ तथा दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में सम्पूर्ण ग्रामीण योजना एवं (एस जी आर वाई) कार्यान्वित की जा रही है।

[अनुवाद]

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आई. आई. पी. ए.) द्वारा सर्वेक्षण

493. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लोक प्रशासन संस्थान से पेयजल और बिना उचित साफ-सफाई की सुविधाओं से वंचित गांवों और बस्तियों की पहचान करने हेतु सर्वेक्षण कराने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सर्वेक्षण के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने फरवरी, 2003 में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को 31 मार्च, 2003 तक उनको भेजे गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण बसावटों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति का सर्वेक्षण घटाने के लिए कहा था। अब तक 24 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों ने परिणाम भेजे हैं जिसमें अनेक विसंगतियां पाई गई हैं। सर्वेक्षण परिणामों को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जैसी स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा बैधीकृत करना होता है। यह प्रक्रिया सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत करने के बाद ही पूरी मानी जाती है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों को ऋण

494. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिजर्व बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र में ऋण वितरण के संबंध में डा. ए. एस. गांगुली समिति की कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सभी बैंकों को निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 60 वर्गीकृत क्षेत्रों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करने के बाद लघु उद्योग क्षेत्र में राज्य-वार किस तरह से ऋण वितरण किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गांगुली समिति की कुछ सिफारिशों पर सभी बैंकों को 4 सितम्बर, 2004 के परिपत्र के तहत अनुदेश जारी किए हैं। बैंकों को दिए गए अनुदेश संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:

(1) लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा लघु उद्योग के केन्द्रीकृत विकास के लिए पहचाने गए 60 समूहों के अतिरिक्त, बैंक नए समूह पहचान सकते हैं तथा वित्तपोषण के लिए समूह आधारित दृष्टिकोण भी अपना सकते हैं।

(2) अग्रणी बैंक विशिष्ट परियोजनाओं को प्रायोजित करने पर विचार कर सकते हैं तथा इसके साथ-साथ दक्षिण भारत तथा कुछ अन्य राज्यों में कार्य कर रहे उन गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सफल कार्यकारी माडलों का व्यापक प्रचार कर सकते हैं जो लघु, उत्यंत लघु तथा व्यक्तिगत उद्यमियों को सेवा देते हैं।

(3) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य कर रहे बैंक पहाड़ी क्षेत्र की विशिष्ट स्थिति के कारण तथा परिवहन प्रणाली में रुकावट पैदा कने वाली बारम्बार बाढ़ के कारण अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर लघु उद्योगों को उच्चतर कार्यशील पूंजी की सीमा मंजूर करने पर विचार कर सकते हैं। बैंक ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के

लिए तथा ग्रामीण शिल्पियों, उद्योगों एवं ग्रामीण उद्यमियों को ऋण प्रवाह सुधारने के लिए नए साधनों की खोज करने पर विचार कर सकते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। लघु उद्योग मंत्रालय ने केन्द्रीकृत विकास के लिए 60 समूह पहचाने थे तथा भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को आगे आवश्यक कार्रवाई शुरू करने तथा राज्य ऋण योजनाओं में उनकी ऋण आवश्यकताएं शामिल करने के लिए संगत सूचना का प्रसार करने की सलाह दी थी। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने समूचे भारत (मध्य प्रदेश सहित) में पहचाने गए 60 समूहों का ब्यौरा एलएलबीसी संयोजक बैंकों को समूह को वित्तपोषित करने पर उत्पन्न हुए विभिन्न मामलों का समाधान करने तथा एसएलबीसी को गतिविधियों की सूचना देने के लिए बैंकरों तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक विशेष ग्रुप गठित करने हेतु अग्रेषित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने क्षेत्रीय बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह भी दी है कि पहचाने गए समूहों के वित्तपोषण से संबंधित मामला एसएलबीसी की बैठकों में उठाया जाए।

[अनुवाद]

राज्य वित्त निगम

495. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने गुप्ता समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य वित्त निगम के पूंजी पुनर्गठन में केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने वर्ष 2002 में प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था;

(ग) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने पूर्व के निर्णय की समीक्षा का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या अनुरोध सरकार के विचाराधीन है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री को भेजे गए दिनांक 6 दिसम्बर, 2001 के अपने पत्र के तहत गुप्ता समिति की सिफारिशों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम सहित राज्य वित्त निगमों के पूंजी पुनर्निर्धारण में केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप की मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार को 6 मई, 2002 के पत्र के तहत सलाह दी गई थी कि राज्य सरकार एसएफसी में मुख्य स्टेक धारक होने के कारण एसएफसी के कार्यनिष्पादन में सुधार करने तथा इसके पुनर्पूंजीकरण के लिए कदम उठा सकती है। इसी दौरान, केन्द्र सरकार के प्रोत्साहन पर सिडबी ने एसएफसी के पिछले ऋणों का पुनर्निर्धारण किया है तथा भविष्य में उधार देने के लिए पर्याप्त रियायतें प्रदान की हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार को उपर्युक्त उल्लिखित निर्णय की समीक्षा करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

भारतीय निर्यात

496. श्री बीर सिंह महतो:
श्री अनन्त नायक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरोपीय देशों के लिए होने वाले निर्यात में कमी आई है,

(ख) तत्संबंधी कारण क्या हैं और यूरोपीय देशों के लिए होने वाले निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) मसालों का किन देशों में निर्यात किया गया और उसका देश-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान मसालों के निर्यात में कमी आई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और निर्यात बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) यूरोपीय देशों को निर्यातों में कोई समग्र कमी नहीं आयी है। फिर भी, भारत सरकार भारतीय उद्योग को अन्य बातों के साथ-साथ इस क्षेत्र को निर्यात बढ़ाने के लिए बाजार अध्ययन करने, व्यापार मेलों में भाग लेने आदि की सुविधाएं देती है।

(ग) यूरोप में भारतीय मसालों के लिए मुख्य गंतव्य स्थानों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

देश	2003-04 में मसालों का निर्यात (करोड़ रुपये में)
यू के	126.03
जर्मनी	104.29
फ्रांस	47.45
नीदरलैंड	44.62
स्पेन	30.99
इटली	19.30
बेल्जियम	16.86

(घ) हालांकि, 2002-03 की तुलना में 2003-04 में यूरोप को मसालों के निर्यात में कुछ मामूली कमी आयी थी, परन्तु पिछले वर्ष की अप्रैल-अक्तूबर, 2004 की अवधि की तुलना में इस वर्ष की इसी अवधि के दौरान मसालों के निर्यात में कोई कमी नही देखी गयी।

(ङ) यूरोप को मसालों के निर्यात में कमी का मुख्य कारण कम लागत के उद्गम जैसे वियतनाम जिसने भारतीय मसालों की प्रतिस्पर्धा को कम कर दिया है, का उत्पन्न होना है। मसालों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ अधिदेशित नमूनाकरण, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला को सुदृढ़ करना, सुमेलित कीट प्रबंधन, मूल्यवर्धन, उत्पाद विविधीकरण आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

497. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री के. सी. पलनिसामी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के लिए प्राइस बैण्ड का निर्धारण करने के लिए मंत्री समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मंत्रिसमूह ने सरकारी क्षेत्र के कतिपय उपक्रमों के विनिवेश की कार्यविधि पर कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो की गई सिफारिशें और इन्हें कब तक प्रभावी बनाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार विनिवेश निधि बनाने का लक्ष्य है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। बही खाते तैयार करने की प्रक्रिया से पूर्व जीडीआर/ स्वदेशी पूंजी बाजार के रास्ते सरकारी शेयरों की बिक्री के लिए प्राइस बैंड से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेने तथा सभी मामलों में बिक्री के अंतिम मूल्य के बारे में निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के शक्ति सम्पन्न दल का गठन किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) वर्ष 2004-05 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा है कि विनिवेश से प्राप्त होने वाला अर्थागम भारत की संचित निधि का भाग होगा परंतु जिस ढंग से इस अर्थगम का सामाजिक क्षेत्र की स्कीमों के लिए उपयोग किया जाएगा, उसकी सूचना सदन में वर्ष 2005-06 का बजट प्रस्तुत करते समय दी जाएगी।

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों हेतु मानदंड

498. **श्री के. एस. राव:**
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में डिजीटल परिवेश में प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण के उभरते हुए मुद्दों पर एक त्रिदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई है;

(ख) यदि हां, तो भागीदारों के दृष्टिकोण क्या थे;

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के मुद्दों संबंधी नित उभरते हुए नये मानदंडों के लिए प्रणाली स्थापित करना चाहती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग ने जापान कॉपीराइट आफिस की सहायता के साथ विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (विपो) के सहयोग से नई दिल्ली में 13 से 15 अक्तूबर, 2004 तक 'डिजिटल परिवेश में प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण के उभरते हुए मुद्दों पर एशिया प्रशांत क्षेत्रीय संगोष्ठी' का आयोजन किया।

(ख) इस संगोष्ठी में भाग लेने वालों ने डिजिटल परिवेश में प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार व्यक्त किए। इन मुद्दों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल थे— डिजिटल परिवेश में प्रतिलिप्यधिकार का अंतर्राष्ट्रीय ढांचा तथा संबंधित अधिकार, डिजीटल परिवेश में प्रतिलिप्यधिकार के उभरते हुए मुद्दे एवं संबंधित अधिकार, विपो कापीराइट ट्रीटी (डब्ल्युसीटी) और विपो परफार्मेन्सेस् एंड फोनोग्राम ट्रीटी (डब्ल्युपीपीटी) का क्रियान्वित करने की चुनौतियां: राष्ट्रीय अनुभव, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनी रुझान: प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण को बढ़ाना अथवा उपभोक्ताओं और उपयोगर्ताओं के अधिकारों का विस्तार करना, डिजिटल परिवेश में प्रतिलिप्यधिकार मध्यवर्ती: नई और पारंपरिक भूमिकाएं—समुदायों/एजेंसियों, उद्योग क्षेत्र उपभोक्ताओं/ उपयोगर्ताओं को एकत्र करने की दृष्टि से सहयोगात्मक रचनात्मकता और प्रतिलिप्यधिकार: मालिकाना, खुला स्रोत और निर्बाध सॉफ्टवेयर संचलन, संगीत क्षेत्र में उभरते ऑनलाइन बिजनिस माडल, डिजिटल नेटवर्कों में प्रतिलिप्यधिकार का प्रभावी प्रबंधन: डिजिटल अधिकार प्रबंधन, निजी प्रतिलिपिकरण और उगाहियां तथा डिजिटल परिवेश में प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण बढ़ाने हेतु नीति व रणनीति विकल्प। विपो कॉपीराइट ट्रीटी तथा विपो परफार्मेंसेस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी की अभिपुष्टि करने की चुनौतियों पर भी चर्चा की गई।

(ग) डिजीटल परिवेश में प्रतिलिप्यधिकारों के संबंध में उत्पन्न होने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के विभिन्न विचारों और अनुभवों का प्रयोग किया जाएगा, जिनमें मौजूदा कानूनों में संशोधन करना भी शामिल है।

(घ) और (ङ) नए बौद्धिक संपदा अधिकार मुद्दों के समाधान हेतु घरेलू जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के अनुरूप उपयुक्त पहलें की जाएंगी।

[हिन्दी]

वस्त्र समूह अवसंरचना विकास योजना

499. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:
श्री बालेश्वर यादव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वस्त्र समूह अवसंरचना विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) समूहों का स्थानवार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी; और

(ग) देश में विशेष: मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्वीकृत योजनाओं को कब तक पूर्ण किये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) सरकार वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए वस्त्र/अपैरल क्षेत्रों में स्थित एककों की सहायता के लिए पूर्व प्रभावी वस्त्र/अपैरल क्षेत्रों को नया रूप देने तथा उनमें महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाओं के अंतराल को पाटने के लिए केंद्रीय रूप से प्रयोजित "वस्त्र अध्यसंरचना विकास केन्द्र योजना" नामक योजना की घोषणा की है। योजना की शुरूआत से 13 परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए गए हैं। स्वीकृत योजनाओं, का राज्य-वार ब्यौरा, समूहों के स्थानों तथा उन पर खर्च की जाने वाली राशि के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	जगह		कुल परियोजना लागत	केन्द्रीय हिस्सा
1	2		3	4
1.	आंध्र प्रदेश	पश्चिमी दारलम, मेडक	13.37	10.00
2.	आंध्र प्रदेश	वारंगल	4.05	3.66
3.	आंध्र प्रदेश	सिरसिला	7.73	4.28

1	2		3	4
4.	गुजरात	नारोल-शाहवाडी, अहमदाबाद	34.39	20.00
5.	गुजरात	पंडेसरा, सूरत	71.98	20.00
6.	हरियाणा	सैक्टर-29, फेस-2, पानीपत	46.90	20.00
7.	केरल	कन्नूर	26.67	20.00
8.	मध्य प्रदेश	इंदौर	17.14	9.12
9.	महाराष्ट्र	सोलापुर	32.89	20.00
10.	महाराष्ट्र	भिवांडी (समूह नं. 3 तथा 6)	44.24	20.00
11.	राजस्थान	जसोल	42.06	17.25
12.	तमिलनाडु	कांचीपुरम	38.8	19.25
13.	तमिलनाडु	कैप्टिव पावर प्लांट प्रोजेक्टस, तिरूपुर	22.40	11.20

(ग) स्वीकृत टीसीआईडी परियोजनाओं, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं शामिल हैं, को तत्काल शुरू किए जाने की आवश्यकता है ताकि कोटा युग के पश्चात इस उद्योग को बुनियादी सुविधाओं में महत्वपूर्ण अंतरों के कारण कठिनाइयां न हों। तात्कालिकता को देखते हुए, सरकार परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किए जाने के लिए समय-समय पर अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति की समीक्षा करती है।

[अनुवाद]

बेसल अकोर्ड बैंक

500. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि "बेसल" समझौते के अनुसार भारत में बैंकों को ऋण प्रदान करने संबंधी प्रणाली में सुधार लाना होगा और पूंजी आधार को बढ़ाना होगा;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से भी अवगत है कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार देश में कमजोर ऋण प्रदान करने संबंधी प्रणाली के लिए कम्प्यूटरीकरण का स्तर, सुदृढ़ अंतरिम क्रेडिट रेटिंग प्रणाली की अनुपस्थिति की प्रमुख कारक हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऋण प्रदान करने संबंधी प्रणाली की इन कमियों को दूर करने के लिए और बैंकों के पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित किये गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

न्यायिक सुधार

501. प्रो. रासा सिंह रावत:
श्री कमला प्रसाद रावत:
श्री मोहन रावले:
श्री रमाकान्त यादव:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में न्यायिक सुधारों की अत्यधिक आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में कौन-से क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 की विभिन्न धाराओं में संशोधन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन्हें कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) न्यायिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है। यह समय, दशाओं और व्यक्तियों की बदलती अपेक्षाओं के अनुसार चलती है। सरकार के सभी प्रयास आम व्यक्ति को शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के लिए है।

पिछले कुछ समय में न्याय दिलाने में त्वरितता लाने के लिए देश की न्यायिक प्रणाली में अनेक सुधार किए गए हैं। त्वरित निपटान न्यायालयों और विशेष न्यायालयों की स्थापना करना, न्यायालयों की स्थापना करना, न्यायपालिका को कंप्यूटरीकृत करना, न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना न्यायिक अधिकारियों का न्यायालय प्रबंधन में प्रशिक्षण, लोक अदालतों का आयोजन करना और विवाद निपटाने के वैकल्पिक ढगों की व्यवस्था करना तथा विशेष अधिकरणों की स्थापना करना, चालू न्यायिक सुधारों के कुछ पहलू हैं।

(ग) इस संबंध में पहचान किए गए क्षेत्र न्यायालय और उच्चतर तथा निचली न्यायपालिका में मामलों का प्रबंधन, भौतिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को मजबूत करना, न्यायाधीशों की रिक्तियों का भरना, न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा न्याय प्रशासन की क्वालिटी में सुधार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(घ) से (च) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 का उद्देश्य (जो विभाग संबंधी संसदीय स्थाई समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पुन: प्रारूपित किया गया था) अन्य बातों के साथ साथ, अभियोजकों की नियुक्ति, स्त्रियों को गिरफ्तार करने में पुलिस द्वारा शक्तियों के विवेकयुक्त प्रयोग, दांडिक मामलों के संक्षिप्त विचारण, अभिरक्षाधीन मृत्यु/अभिरक्षा से गायब हो जाना/ अभिरक्षा में बलात्संग आदि के मामलों में आज्ञापक न्यायिक जांच से संबंधित उपबंध का संशोधन करना है।

अगस्त, 1996 में प्रस्तुत की गई विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट और अप्रैल, 2003 में प्रस्तुत की गई दांडिक न्याय प्रणाली के सुधार से संबंधित मलिमथ समिति की रिपोर्ट में भी दंड प्रक्रिया संहिता के व्यापक पुनर्विलोकन के लिए सुझाव दिया गया है और कुछ संशोधनों की सिफारिश की गई है। दांडिक विधि प्रणाली संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय है, अत: इस संबंध में राज्य सरकारों की राय मांगी गई है।

[अनुवाद]

सहकारी ऋण संरचना

502. श्री वी.के. दुम्मर:
श्री बी. विनोद कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सहकारी बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का यह मानना है कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी ऋण संरचना का कायाकल्प और कृषकों को उचित ब्याज दरों पर वित्त उपलब्ध करवाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है;

(घ) यदि हां, तो गुजरात सरकार के सहकारी ऋण संरचना के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (एस. एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सहकारी बैंकिं ग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ग्रामीण सहकारी बैंकिंग संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कार्यान्वयन योग्य कार्य योजना की अनुशंसा करने हेतु प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में 5.8.2004 को एक कृतिक बल नियुक्त किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ इस संबंध में विभिन्न समितियों द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों पर विचार करेगी। पुनरुद्धार सहायता के लिए गुजरात सरकार समेत राज्य सरकारों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों पर कृतिक बल की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

इस बीच, नाबार्ड अर्थक्षम परिचालनों के लिए प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित मर्जिन राशि को ध्यान में रखते हुए ब्याज दर की वर्तमान संरचना की समीक्षा के लिए सहकारी बैंकों से आग्रह करता रहा है। इसके अतिरिक्त, ब्याज की दरों में गिरावट के साथ ही, नाबार्ड समय समय पर पुनर्वित्त पर ब्याज की अपनी दर भी कम करता रहा है।

कपास का उत्पादन

503. श्री जुएल ओराम: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में निर्धारित किये गए लक्ष्यों की तुलना में देश में उत्पादित कपास की गांठों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या कपास, सूती कपड़ों और सिले-सिलाये सूती पोशाकों की घरेलू मांग प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) आगामी तीन वर्षों के लिए वर्ष-वार निर्धारित किये गए लक्ष्य क्या हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कपास का उत्पादन और लक्ष्य नीचे दिया गया है:-

(लाख गांठ में प्रत्येक गांठ 170 किग्रा.)

वर्ष	लक्ष्य (कपास प्रौद्योगिकी मिशन के तहत)	लक्ष्य (वस्त्र और पटसन उद्योग के लिए 10वीं योजना संबंधी कार्यकारी समूह द्वारा अनुमानित खपत)	उत्पादन
2002-03	160.63	184	136.00 (वास्तविक)
2003-04	172.70	192	177.00 (वास्तविक)
2004-05*	187.38	199	213.00 (अनंतिम)

*अनुमानित

(ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास की घरेलू खपत निम्नलिखितानुसार है:-

(लाख गांठ में प्रत्येक गांठ 170 किग्रा.)

2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (प्रक्षेपित)	मिल (एसएसआई/गैर-एसएसआई) और गैर-मिल खपत शामिल है
171.76	168.83	173.25	193.00	

सूती कपड़े का उत्पादन, आयात और निर्यात नीचे दिया गया है:-

	2001-02	2002-03	2003-04
उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में)	19769	19300	18040
आयात मि.कि.ग्रा. में	9	14	51
निर्यात मि. कि. ग्रा. में	221	253	773

नोट: सिले-सिलाए परिधानों के उत्पादन संबंधी ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फरवरी, 2000 में कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) पहले ही शुरू कर दिया था जिसका उद्देश्य वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों पर अच्छी कोटि की कपास की प्रचुर आपूर्ति तथा किसानों को लाभप्रद आय प्रदान करने के उद्देश्य से कपास के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार और कृषि की लागत में कमी लाना था। टीएमसी योजना को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अर्थात 2006-07 तक जारी रखा गया है।

इस उद्योग के प्रौद्योगिकी स्तर में सुधार लाने के लिए, भारत सरकार ने वस्त्र तथा पटसन उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) 1.4.1999 से पांच वर्षों की अवधि

अर्थात 31.03.2004 तक के लिए शुरू की जिसे बाद में 31.03.2007 अर्थात 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बढ़ा दिया गया था। इस योजना में मौद्रिक आवधिक ऋण (आरटीएल) के 5% ब्याज प्रतिपूर्ति और योजना के अनुरूप किसी परियोजना के लिए प्राप्त किए गए विदेशी मुद्रा ऋण (एफ सी एल) के लिए 5% तक सीमित विनिमय दर परिवर्तन/आगे की कवर प्रीमियम का प्रावधान है।

भारत सरकार ने अगामी तीन वर्षों के लिए कपास और सूती कपड़े के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। हालांकि, कपास प्रौद्योगिकी मिशन में 2005-06 और 2006-07 के लिए क्रमश: 198.41 और 215.00 लाख गांठ कपास उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। देश में सूती कपड़े के उत्पादन के लिए कोई ठोस अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि आशा है कि देश में सूती कपड़े का उत्पादन 2005-06 और 2006-07 के दौरान क्रमश: 16850 और 17500 मिलियन वर्ग मी. तक पहुंच सकता है।

मेडिक्लेम

504. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च चिकित्सा लागत और सरकारी अस्पतालों की कमी की वजह से देश के अधिकतर नागरिकों के लिए मेडिक्लेम आजकल प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा बन गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राष्ट्रीय बीमा कंपनियों ने उन व्यक्तियों की चिकित्सा बीमा पॉलिसियों को पुन: आरंभ करने से इंकार कर दिया है जो बीमार हो गये थे अथवा जिन्होंने चिकित्सा खर्चों का दावा किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या आई आर डी ए ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या आई आर डी ए के कार्य समूह के उपसमूह ने मेडिक्लेम नीतियों के परिवर्तनों की जांच की है; और

(छ) यदि हां, तो उपभोक्ता परेशान न हों यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों के द्वारा विपणन की जाने वाली मेडिक्लेम बीमा पालिसी का दायरा कुछ वर्षों से बढ़ता ही जा रहा है। वर्ष 2003-04 के दौरान उनके द्वारा अंडररिटन प्रीमियम वर्ष 2002-03 में 1083.29 करोड़ रुपए की तुलना में 1222.15 करोड़ रुपए था। तथापि, स्कीम के अन्तर्गत कुल जनसंख्या का केवल 1 प्रतिशत ही लिया जा सकता है।

(ग) से (ङ) मेडिक्लेम पालिसी के नवीनीकण की अस्वीकृति के इक्का-दुक्का ही उदाहरण हैं जिनके अधीन दावे पेश किए जाते हैं। जहां कहीं भी इस तरह के मामले की जानकारी आई आर डी ए को दी जाती है प्राधिकरण ने बीमा कम्पनियों को ऐसे मामले की पुन: जांच करने की सलाह दी है।

(च) जी, हां।

(छ) शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों से सरकारी शिकायत समाधान तन्त्र की स्थापना करना सुनिश्चित किया है।

आरसीएमसी का संशोधन

505. श्री लोनाप्पन नम्बाडन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मौजूदा पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र (आर. सी. एम. सी.) को संशोधित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं जिससे कि जब्त बी. जी./ई. एम. डी. बकाया की वसूली एपेरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल कर सकें और वस्त्र निर्यात के सांख्यिकीय आंकड़े रखे जा सकें जैसाकि नई विदेश व्यापार नीति में प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) निर्यात संवर्धन परिषदों से प्राप्त किए जाने वाले पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र (आरसीएमसी) के संबंध में नई विदेश व्यापार नीति में कोई संशोधन नहीं किए गए हैं। विदेश व्यापार नीति में निर्यातकों द्वारा गलतियां करने की स्थिति में बैंक गारंटी को जब्त करने के लिए एक सुपरिभाषित तंत्र है। इसके अलावा, आरसीएमसी को सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रह करने के साधन के रूप में कभी प्रयोग नहीं किया गया है। इन आंकड़ों को वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा संकलित किया जा रहा है।

केरल में 'नोटेरीज'

506. श्री सुरेश कुरूप: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से केरल में केवल 375 नोटेरियों संबंधी केन्द्र सरकार के निर्णय को संशोधित करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही आरंभ की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. कटपति): (क) जी हां।

(ख) और (ग) केरल राज्य के लिए नोटेरियों की नियत अधिकतम संख्या 750 है जिनमें से 375 की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है और 375 केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। नोटेरियों की संख्या के कोटे में वृद्धि करने के केरल राज्य सरकार के अनुरोध की समीक्षा की गई थी और ऐसा करना साध्य नहीं पाया गया था क्योंकि देश भर में एकरूपता के प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों में नोटेरियों की संख्या का कोटा हाल ही में नियत किया गया है।

दागी कंपनियों का निरीक्षण

507. श्री अधलराव पाटील शिवाजी राव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनी कार्य मंत्रालय ने कभी दागी कंपनियों का निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनका निरीक्षण उनके विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने के बाद किया गया;

(ग) क्या सरकार, निवेशकों के साथ कंपनियों द्वारा की जानेवाली धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए कंपनी अधिनियम को पूर्णत: संशोधित करने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद्र गुप्ता): (क) और (ख) अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन की पुष्टि करने की दृष्टि से कंपनी कार्य मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अंतर्गत कंपनियों का निरीक्षण कर सकता है। समय समय पर ऐसे निरीक्षण किए जाते हैं। ''दागी कंपनियां'' शब्द अधिनियम में परिभाषित नहीं है। स्टाक मार्किट स्कैम-2001 के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय ने 96 कंपनियों के निरीक्षण का संचालन किया। ऐसी कंपनियों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) अच्छे निगमित शासन और छोटे निवेशकों सहित पणधारियों के हित के संरक्षण को प्रोत्साहित करते हुए निगमित निकाय की बढ़ती हुई आर्थिक परिदृष्य के साथ निगमित निकाय के संशोधन विनियमन के लिए नये कार्य ढांचे को सक्षम बनाने के लिए अपनी अधिनियम, 1956 की समीक्षा और संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। कंपनी कानून पर एक विचार पत्र तैयार किया गया है और विभिन्न पणधारियों व्यवसायिकों और रुचिवाले दूसरे जनसामान्य की राय जानने की दृष्टि से विस्तृत परामर्शी प्रक्रिया के आधार पर प्रसारित किया गया है। सरकार विभिन्न पणधारियों से राय लेने की प्रक्रिया में है। कंपनी अधिनियम का संशोधन निवेशकों/शेयरधारकों के पंजीकरण, प्रगटीकरण, वित्तीय रिपोर्ट, निदेशकों की जिम्मेदारियों की घोषणा, निरीक्षणों और दंड के अधिकारों को शक्तिशाली बनाने के साथ-साथ उन सब को निवेशकों के विरुद्ध कंपनियों के द्वारा धोखाधड़ी को रोकने में सहायता करने में सक्षम बनायेगा।

विवरण

हाल के बाजार घाटाले से संबंधित सेबी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर आदेश किए गए निरीक्षण

केतन पारेख ग्रुप		
1.	मैसर्स एन एच सिक्युरिटीज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
2.	मैसर्स ट्रायम्फ इंटरनेशनल फाइनेन्स लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
3.	मैसर्स क्लासिक शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र

4.	मैसर्स केएनपी सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
5.	मैसर्स वीएन पारेख सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
6.	मैसर्स पैंथर फिनकेप मेनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
7.	मैसर्स पेंथर इनवसट्रेड लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
8.	मैसर्स क्लासिक क्रेडिट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
9.	*मैसर्स साइमंगल इनवसट्रेड लिमिटेड*	पश्चिम क्षेत्र
10.	मैसर्स क्लासिक इनफिन लिमिटेड	पूर्वी क्षेत्र
11.	मैसर्स पेंथर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
12.	मैसर्स गोल्डफिश कम्प्यूटर प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
13.	मैसर्स नक्षत्र सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
14.	मैसर्स चित्रकूट कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
15.	मैसर्स लूमिनेन्ट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
16.	मैसर्स ट्रायम्फ सिक्युरिटीज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
निर्मल बंग ग्रुप		
17.	मैसर्स बामा सिक्युरिटीज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
18.	मैसर्स निर्मल बंग सिक्युरिटीज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
19.	मैसर्स बंग इक्यूटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
20.	मैसर्स बंग सिक्युरिटीज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
21.	मैसर्स नादी फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेंट प्राइबेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
शंकर शर्मा एण्ड देवीना मेहरा ग्रुप		
22.	मैसर्स फस्ट ग्लोबल फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	उत्तरी क्षेत्र
23.	मैसर्स फस्ट ग्लोबल स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड	उत्तरी क्षेत्र
24.	मैसर्स वृद्धि कनफिनवेस्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
शैलेश शाह ग्रुप		
25.	मैसर्स दौलत कैपिटल मार्केट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
26.	मैसर्स निर्पन सिक्युरिटीज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
27.	मैसर्स शैलेश शाह सिक्युरिटीज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
राधा कृष्ण दामिनी ग्रुप		
28.	मैसर्स दामिनी शेयर एण्ड स्टॉक बोकर्स प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
29.	मैसर्स महेश्वरी इक्यूटी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
30.	मैसर्स झुनझुनवाला स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र

31.	मैसर्स प्रतीक स्टॉक वीजन प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
32.	मैसर्स दामिनी स्टेटस एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
33.	मैसर्स ब्राइट स्टार इनवेस्टमेंटस लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
34.	मैसर्स कृष्णा सिक्युरिटीज लिमिटेड	उत्तरी क्षेत्र
35.	मैसर्स एवेन्यू स्टॉक ब्रोकर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
अजय केवन ग्रुप		
36.	मैसर्स सी मैकेरटिक लिमिटेड	पूर्वी क्षेत्र
37.	मैसर्स एसएमआईएफएस सिक्युरिटीज लिमिटेड	पूर्वी क्षेत्र
38.	मैसर्स स्टेबर्ट सिक्युरिटीज लिमिटेड	पूर्वी क्षेत्र
39.	मैसर्स माया ट्रेड लिंक लिमिटेड	पूर्वी क्षेत्र
40.	मैसर्स पॉवरफ्लो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड	पूर्वी क्षेत्र
41.	मैसर्स मैकेरटिक कन्सलटेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	पूर्वी क्षेत्र
42.	मैसर्स पीएनआर सिक्युरिटीज लिमिटेड	उत्तरी क्षेत्र
कन्सोरटियम ग्रुप		
43.	मैसर्स कन्सोरटियम सिक्युरिटीज लिमिटेड	उत्तरी क्षेत्र
44.	मैसर्स सीएसएल सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	उत्तरी क्षेत्र
45.	मैसर्स सीएसएल स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड	उत्तरी क्षेत्र
बीएलबी ग्रुप		
46.	मैसर्स बीएलबी लिमिटेड	उत्तरी क्षेत्र
राठी ग्रुप		
47.	मै. राठी ग्लोबल फाईनेंस लि.	उत्तरी क्षेत्र
48.	मै. आनंद राठी सिक्युरिटीज प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
49.	मै. नवरत्न कैपिटल एंड सिक्युरिटीज प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
50.	मै. राठी कैपिटल एंड सर्विसेज प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
51.	मै. अमित कैपिटल एंड सिक्युरिटीज प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
52.	मै. पुष्प कैपिटल एंड सिक्युरिटीज प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
53.	मै. गेरार्ड वेगम फिनवेस्ट प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
54.	मै. हितकारी फिनवेस्ट प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
55.	मै. प्रीतराज फिनवेस्ट प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
56.	मै. सुरशे राठी सिक्युरिटीज प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र

जी टेली ग्रुप

57.	मै. जी टेलिफिल्म लि.	पश्चिम क्षेत्र
58.	मै. सीटीकेबल नेटवर्क प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
59.	मै. डिजीटल सुपरहाईवे	पश्चिम क्षेत्र
60.	मै. ब्रीग्स ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
61.	मै. प्रजातमा ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
62.	मै. चुरू ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
63.	मै. गंजम ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र

अन्य कंपनियां

64.	मै. जी गोल्ड रिफाइनरी लि.	पश्चिम क्षेत्र
65.	मै. पालोम्ब सिक्युरिटीज एंड फाईनेंस लि.	पश्चिम क्षेत्र
66.	मै. ग्लोबल टेलीसिस्टम्स लि.	पश्चिम क्षेत्र
67.	मै. हिमाचल फ्युचरीस्टिक कम्युनिकेशन लि.	उत्तरी क्षेत्र
68.	मै. बलिंगटन फाईनेंस लि.	पूर्वी क्षेत्र
69.	मै. डीएसक्यू सॉफ्टवेयर लि.	दक्षिणी क्षेत्र
70.	मै. पेंटामिडिया ग्राफिक्स लि.	दक्षिणी क्षेत्र
71.	मै. निरमा लि.	पश्चिम क्षेत्र
72.	मै. रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लि.	उत्तरी क्षेत्र
73.	मै. कोपरन लि.	पश्चिम क्षेत्र
74.	मै. अदानी एक्सपोर्ट लि.	पश्चिम क्षेत्र
75.	मै. लुपीन लेबोरेट्रीज लि.	पश्चिम क्षेत्र
76.	मै. पदमीनी पोलिमर्स लि.	उत्तरी क्षेत्र
77.	मै. शोन्ख टेकनोलाजिज लि.	उत्तरी क्षेत्र
78.	मै. अमर राजा बैटरीज लि.	उत्तरी क्षेत्र
79.	मै. ग्लोब ट्रस्ट बैंक लि.	दक्षिणी क्षेत्र
80.	मै. मोनेश कंसलटेसी प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
81.	मै. मोनकॉन इंवेस्टमेंट लि.	पश्चिम क्षेत्र
82.	मै. मनमंदिर एस्टेट डेवलपर्स (प्रा.) लि.	पश्चिम क्षेत्र
83.	मै. क्रेडिट श्वीस फर्स्ट बोस्टन (आई) सिक्युरिटीज प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
84.	मै. जे. एम. मोरगन स्टेनली सिक्युरिटीज प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
85.	मै. जे. एम. मोरगन रिटेल सर्विसेज प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
86.	मै. एफटेक इन्फोसिस लि.	पश्चिम क्षेत्र
87.	मै. सिल्वरलाईन इ. लि.	पश्चिम क्षेत्र

88.	मै. डो जोन्स इंवेस्टमेंटस एड कंसल्टेंटस प्रा. लि.	पूर्वी क्षेत्र
89.	मै. अरीहंट इग्जीम स्क्रीप प्रा. लि.	पूर्वी क्षेत्र
90.	मै. त्रीपोली कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि.	पूर्वी क्षेत्र
91.	मै. खेनामी सिक्युरिटीज प्रा. लि.	पूर्वी क्षेत्र
92.	मै. एस. एस. आई लि.	दक्षिणी क्षेत्र
93.	मै. साईबरस्पेस लि.	उत्तर क्षेत्र
94.	मै. पृथ्वी ब्रोकर्स एंड शेयरहोल्डिंग्स प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
95.	मै. बियानी सिक्युरिटीज प्रा. लि.	पूर्वी क्षेत्र
96.	मै. सत्यम कम्प्युटर सर्विसेज लि.	दक्षिणी क्षेत्र

न्यायाधीशों के रिक्त पद

508. श्री पी. मोहन:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री ए. के . मूर्ति:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायालय-वार न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ख) अब तक रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण हैं; और

(ग) रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) रिक्तियों की उच्च न्यायालयवार स्थिति दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना सांविधानिक प्राधिकारियों के बीच निरंतर चलने वाली परामर्शी प्रक्रिया है। यद्यपि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रतापूर्वक भरे जाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है तथापि, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्तियों, पदत्याग या उनकी पदोन्नति के कारण रिक्तियां उद्भूत होती रहती हैं।

उच्चतम न्यायालय की तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकार राय के साथ पठित उच्चतम न्यायालय के तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय के अनुसरण में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को करनी होती है। तथापि, सरकार समय-समय पर, राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों, मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों से यह अनुरोध करती रही है कि वे विद्यमान और अगामी छह मास के दौरान होने वाली संभावित रिक्तियों के भरे जाने के लिए प्रस्ताव भेजें।

विवरण

तारीख 30.11.2004 को रिक्तियों की स्थिति

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	अनुमोदित पद-संख्या	पदासीन न्यायाधीश	रिक्त पद
1	2	3	4	5
अ.	**भारत का उच्चतम न्यायालय**	**26**	**25**	**01**
आ.	**उच्च न्यायालय:**			
1.	इलाहाबाद	95	73	22
2.	आन्ध्र प्रदेश	39	30	09
3.	बम्बई	60	55	05

1	2	3	4	5
4.	कलकत्ता	50	41	09
5.	छत्तीसगढ़	06	06	00
6.	दिल्ली	33	28	05
7.	गुवाहाटी	19	16	03
8.	गुजरात	42	33	09
9.	हिमाचल प्रदेश	08	06	02
10.	जम्मू-कश्मीर	14	08	06
11.	झारखंड	12	06	06
12.	कर्नाटक	40	31	09
13.	केरल	29	28	01
14.	मध्य प्रदेश	36	32	04
15.	मद्रास	42	28	14
16.	उड़ीसा	20	14	06
17.	पटना	31	21	10
18.	पंजाब और हरियाणा	40	33	07
19.	राजस्थान	40	25	15
20.	सिक्किम	03	02	01
21.	उत्तरांचल	09	09	00
	योग	668	525	143

विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन

509. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अपने आयातों में अचानक किसी उछाल को रोकने के लिए सुरक्षोपाय करने के लिए विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 में व्यापक संशोधनों को अंतिम रूप दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में अंतिम निर्णय लिया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो अधिनियम को कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) जी हां, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2001 राज्य सभा में पेश किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आयातों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को गम्भीर क्षति होने अथवा गम्भीर क्षति होने का खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में मात्रात्मक प्रतिबन्ध (क्यूआरएस) लगाने के लिए सक्षमकारी रक्षोपायों के बारे में एक तंत्र का उपबंध किया गया था। यह विधेयक वाणिज्य संबंधी संसदीय उपसमिति को भेजा गया था और उनकी सिफारिशों तथा विदेश व्यापार

संबंधी कतिपय अन्य मामलों के लिए उपबंधों को शामिल करने के बाद विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2005 [विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2001 को शामिल करते हुए] को विभिन्न व्यापार निकायों के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों/विभागों के विचारों/टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् संसद में पेश किए जाने की संभावना है।

पाकिस्तान को निर्यात में कमी

511. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वित्तीय वर्ष से पाकिस्तान ने भारत से मुख्य वस्तुओं जैसे लोहा एवं धातु, शक्कर, प्लास्टिक उत्पाद, रसायन एवं मसाले आदि की खरीद में कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) दोनों देशों के बीच आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पाकिस्तान के साथ भारत के कुल व्यापार में 39% (अनुमानत:) की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है जो वर्ष 2002-2003 के दौरान 206.16 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2003-04 के दौरान 286.55 अमरीकी डालर के हो गए हैं। यद्यपि, रसायनों के भारतीय निर्यात वर्ष 2002-03 के दौरान 41.74 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2003-04 के दौरान 45.97 मिलियन अमरीकी डालर के हो गए हैं। तथापि, इसी अवधि में इस्पात एवं धातु, चीनी, प्लास्टिक उत्पादों, मसालों के व्यापार की मात्रा में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है।

(ख) कुछेक उत्पादों के निर्यात में गिरावट का इस बात के सिवाय कोई विशेष कारण नहीं है कि व्यापार की मात्रा का निर्धारण प्राथमिक रूप से विभिन्न आर्थिक कारकों द्वारा किया जाता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ मांग एवं आपूर्ति, कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता तथा आयातकों के लिए उपलब्ध आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत शामिल हैं।

(ग) पाकिस्तान एवं भारत, दक्षिण एशिया अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साफ्टा) पर हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, जिसे 1.1.2006 से लागू किया जाना है तथा जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक कार्यकलापों में काफी वृद्धि होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की गई है ताकि आपसी लाभ हेतु इनका समाधान किया जा सके। बाद में आपसी दौरों तथा व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों इत्यादि में भागीदारी के माध्यम से व्यापार-दर-व्यापार वार्ताओं में प्रत्यक्ष वृद्धि भी प्रदर्शित हुई है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक ऋण

512. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक से चार बिलियन डालर का ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऋण विश्व बैंक द्वारा मंजूर किया जा चुका है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ङ) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर यह सहायता खर्च की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारत को वचनबद्ध की गई सहायता के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान भारत को बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वचनबद्ध की गई सहायता

आंकड़े अनन्तिम
(राशि मिलियन में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संगठन	मुद्रा	राशि
1	2	3	4	5
1.	असम विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	एडीबी	अमरीकी डालर	150
2.	असम विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना	एडीबी	अमरीकी डालर	100

1	2	3	4	5
3.	ग्रामीण सड़क क्षेत्र-1 परियोजना	एडीबी	अमरीकी डालर	400
4.	मध्य प्रदेश में शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार	एडीबी	अमरीकी डालर	200
5.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र-1	एडीबी	अमरीकी डालर	400
6.	छत्तीसगढ़ राज्य सड़कें	एडीबी	अमरीकी डालर	180
		एडीबी जोड़		1430
1.	हिमालय में आजीविका सुधार परियोजना	आईएफएडी	एसडीआर	27.9
		आईएफएडी जोड़		27.9
1.	राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	89
2.	आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार कार्यक्रम-2	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	220
3.	भारत टीकाकरण सुदृढ़ीकरण परियोजना अनुपूरक	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	83.41
4.	इलाहाबाद उपमार्ग परियोजना	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	240
5.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता ''जलस्वराज्य'' परियोजना	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	181
6.	तमिलनाडु सड़क क्षेत्र परियोजना	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	348
7.	खाद्य एवं औषधि क्षमता निर्माण परियोजना	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	54.03
8.	छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन परियोजना	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	112.56
		विश्व बैंक जोड़		1328
		कुल जोड़		2785.9

[अनुवाद]

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

513. **श्री सुरेश कलमाडी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक प्रभावित राज्यों को सूखा सहायता के रूप में कितना अनाज दिया गया;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत शुरू किए गए कार्य को जारी रखने के लिए किसी राज्य सरकार से और धनराशि/चावल देने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन के बाद सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस. जी. आर. वाई.) के विशेष घटक के अन्तर्गत सूखे से प्रभावित राज्यों को खाद्यान्न आबंटित किए जाते हैं। 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान सूखे से प्रभावित राज्यों को रिलीज किए गए खाद्यान्नों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) एस. जी. आर. वाई. आबंटन आधारित योजना है। इस योजना के अंतर्गत राज्यवार तथा जिलावार आबंटन वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में पूर्व-निर्धारित मानदण्ड के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। जिलों को अतिरिक्त निधियां तथा खाद्यान्न केवल वित्तीय वर्ष के अंत में बचत तथा निष्पादन के आधार पर दिए जाते हैं। विभिन्न जिलों

से एस. जी. आर. वाई के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां रिलीज करने के प्रस्तावों पर केवल तभी विचार किया जाता है जब संबंधित कार्यान्वयन एजेन्सियां दोनों किस्तें प्राप्त कर लेती हैं तथा उपलब्ध निधियों के अधिकतम हिस्से का उपयोग कर लेती है, बशर्ते निधियां उपलब्ध हैं।

विवरण

2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को दिए गए खाद्यान्नों की स्थिति

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2002-03 रिलीज की गई मात्रा			2003-04 रिलीज की गई मात्रा			2004-05 रिलीज की गई मात्रा		
		गेहूं	चावल	कुल	गेहूं	चावल	कुल	गेहूं	चावल	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	0	2000000	2000000	0	1820000	1820000	0	1820000	1820000
2.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000
3.	छत्तीसगढ़	0	329116	329116	0	238000	238000	0	0	0
4.	गुजरात	118000	30000	143000	79000	79000	158000	0	0	0
5.	हरियाणा	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0
6.	हिमाचल प्रदेश	4232	5768	10000	0	0	0	0	0	0
7.	झारखंड	20000	20000	40000	0	0	0	0	0	0
8.	कर्नाटक	0	530000	530000	0	679750	679750	0	239620	239620
9.	केरल	0	52000	52000	0	61000	61000	0	42000	42000
10.	मध्य प्रदेश	273557	93943	367500	354920	119080	474000	50000	0	50000
11.	महाराष्ट्र	92640	23160	115800	492640	23160	515800	300000	0	300000
12.	उड़ीसा	0	200000	200000	0	222000	222000	0	0	0
13.	राजस्थान	1898420	0	1898420	1357630	0	1357630	19000	0	19000
14.	तमिलनाडु	–	125000	125000	–	679000	679000	–	0	0
15.	उत्तर प्रदेश	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0
16.	उत्तरांचल	19000	31000	50000	0	0	0	0	0	0
	कुल	2650849	3439987	6090836	2284190	3920990	6205180	369000	663620	1032620

गुजरात में ग्रामीण सड़कों का विकास

514. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड द्वारा प्रदत्त सहायता से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी पक्की सड़कों का निर्माण किया गया है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान नाबार्ड निधि से कितनी सड़कों का निर्माण किया जाएगा;

(ग) इस प्रयोजन हेतु कुल कितना खर्चा किया जाएगा;

(घ) इस प्रयोजन हेतु चालू बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में सड़कों से न जुड़े गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) वह कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है। जैसा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने बताया है, विभिन्न राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए भिन्न-भिन्न किस्तों का ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार ग्रामीण आधारभूत सुविधा कोष के अंतर्गत धनराशि मंजूर की गई है। नाबार्ड की सहायता से 12367.41 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में 152483 कि.मी. लम्बी सड़कों को पक्का किया गया है।

(ख) से (घ) कुल 8000 करोड़ रुपए से चालू वर्ष के दौरान पर आई डी एफ-एक्स का प्रचालन किया जा रहा है और इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों सहित विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। चालू वर्ष में राज्य सरकारों को अब तक 3140 कि.मी. लम्बी सड़कों के विकास के लिएस 336.38 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

(ङ) से (छ) चूंकि ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय हैं, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में राज्य सरकारों द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी. एम. जी. एस. वाई.) 500 की जनसंख्या से ऊपर की बसावटों के लिए बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने, जिसमें आवश्यकता के अनुसार पक्की सड़कों का निर्माण शामिल है, केन्द्र प्रायोजित योजना है। पी एम जी एस वाई का इस समय वित्त पोषण हाई स्पीड डीजल से किया जाता है और सेस की राशि 1 रुपया प्रति लीटर की दर से एकत्र की जाती है। उत्तर प्रदेश को सेस की इस राशि में से ग्रामीण सड़कों के लिए वार्षिक आबंटन 315 करोड़ रुपए है। 2003-04 की बजट घोषणा में 50 पैसे प्रति लिटर की दर से सेस राशि में वृद्धि की गई थी। परन्तु अतिरिक्त राशि अभी प्राप्त की जानी है। पी एम जी एस वाई के अंतर्गत कवरेज में हुई प्रगति का निर्धारण उपलब्ध धनराशि से किया जाता है।

राज्यों को सामान्य पी एम जी एस वाई आबंटन के अतिरिक्त विश्व बैंक ने भी पी एम जी एस वाई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ऋण अनुमोदित किया है।

विवरण

आरआईडीएफ (31.10.2004 की स्थिति के अनुसार) के अंतर्गत ग्रामीण सड़क क्षेत्र के लिए स्वीकृत राशि

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	आरआईडीएफ-1	आरआईडीएफ-2	आरआईडीएफ-3	आरआईडीएफ-4	आरआईडीएफ-5	आरआईडीएफ-6	आरआईडीएफ-7	आरआईडीएफ-8	आरआईडीएफ-9	आरआईडीएफ-10	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	117.68	87.58	164.25	89.33	109.43	179.08	282.59	50.08	153.60	1233.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84	73.29	36.60	0.00	12.93	5.57	134.23
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	48.83
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	9.55	0.00	50.68	61.60
5.	गोआ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74	10.70	0.00	0.00	0.00	20.44
6.	गुजरात	0.00	56.25	54.00	28.48	199.54	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	620.87
7.	हरियाणा	0.00	0.00	8.07	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	126.78	0.00	154.05
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	24.42	45.11	63.33	60.20	42.95	83.14	89.82	57.32	0.00	446.29
9.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	69.96	105.98	124.15	163.42	68.27	137.41	0.00	669.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	कर्नाटक	0.00	70.54	138.84	133.20	153.77	225.17	106.18	141.33	159.89	0.00	1128.92
11.	केरल	0.00	0.00	31.27	8.53	51.06	69.56	83.81	109.32	22.44	13.05	389.04
12.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	74.62	73.59	86.89	104.07	57.17	2.96	10.09	0.00	409.39
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	244.58	179.68	326.89	243.95	214.82	200.33	58.59	0.00	1468.84
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	3.39	0.00	5.86	0.00	24.44	16.80	9.69	3.84	0.00	0.00	64.02
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.04
17.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	65.39
18.	उड़ीसा	0.00	9.33	18.64	3.78	8.96	0.00	8.82	100.67	49.38	39.02	238.60
19.	पंजाब	0.00	0.00	14.20	12.60	63.21	8.15	81.73	69.10	96.15	0.00	345.14
20.	राजस्थान	0.00	85.35	50.78	5.33	77.46	92.40	175.67	346.75	0.00	43.99	877.73
21.	तमिलनाडु	0.00	230.46	119.29	112.07	167.30	127.50	135.22	117.54	212.69	14.21	1236.28
22.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	उत्तर प्रदेश	0.00	215.99	125.94	303.60	123.81	218.01	181.97	0.00	0.00	0.00	1169.32
24.	प. बंगाल	0.00	69.64	147.95	180.53	131.16	248.51	216.53	64.03	15.29	15.42	1089.06
25.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	14.42	0.00	4.55	0.00	0.00	0.68	0.84	20.49
26.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
27.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	15.48	6.66	5.34	1.49	28.86	81.92	154.35	0.00	297.10
28.	उत्तरांचल	0.00	0.00	21.69	36.78	1.35	0.00	0.00	35.40	16.83	0.00	112.05
	कुल योग	3.39	879.66	1203.88	1417.89	1738.08	2106.03	1774.78	1726.42	1180.90	336.38	12367.41

[हिन्दी]

थाईलैण्ड के साथ व्यापार समझौता

515. श्री संतोष गंगवार:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थाइलैण्ड के साथ खुले व्यापार समझौते से घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को ऐसे प्रतिकूल प्रभाव को लेकर कोई आशंका है; और

(ग) यदि हां, तो घरेलू उद्योगों को ऐसे प्रभाव में बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) भारत और थाइलैण्ड ने बेहतर आर्थिक सहयोग तथा उचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने के साथ-साथ उनके बीच निकट आर्थिक

सहयोग के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाने तथा उचित उपाय विकसित करने के उद्देश्य से वस्तु सेवाओं तथा निवेश में मुक्त व्यापार क्षेत्र संबंधी कार्यढांचा करार पर हस्ताक्षर किए हैं। उम्मीद है कि संयुक्त उद्यमों तथा दोनों पक्षों के उद्योगों के बीच दोतरफा संबंधों से दोनों प्रकार से व्यापार एवं निवेश प्रवाह में वृद्धि होगी। तथापि, यह विभिन्न उद्योगों के पूरक कार्यों तथा तुलनात्मक लाभों पर भी निर्भर करेगा।

(ख) और (ग) मूलता संबंधी नियमों के अंतर्गत किए गए निर्धारण के अनुसार शीघ्र फलदायी स्कीम (ईएचएस) तथा भारत को आयातों संबंधी वस्तुओं में मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत शामिल कि ए गए उत्पादों पर टैरिफ अधिमान मात्र उन्हीं उत्पादों के लिए उपलब्ध होंगे जिन्हें थाइलैण्ड में ''मूलता का दर्जा'' प्राप्त हैं। इसी प्रकार, भारत में ''मूलता का दर्जा'' रखने वाले उत्पादों पर ही थाइलैण्ड में आयातों के लिए टैरिफ अधिमान प्राप्त होंगे। आयातों में वृद्धि के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से घरेलू उद्योग के बचाव के लिए कार्यढ़ांचा करार में प्रत्येक देश के लिए मदों की नकारात्मक/संवेदनशील सूची रखने का प्रावधान है जिन पर मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत कोई टैरिफ रियायत प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, करार में व्यापार सुरक्षा उपायों का प्रावधान है जिनका किसी भी आयातक देश द्वारा आश्रय लिया जा सकता है। आयातों में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने के मामले में प्रत्येक देश को पाटनरोधी तथा रक्षोपाय जैसे उपाय करने की अनुमति प्रदान की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियमों का उल्लंघन न किया जाए, करार में सीमाशुल्क प्राधिकारियों के बीच सहयोग का भी प्रावधान है।

मांस का निर्यात

516. श्री रामदास आठवले: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक किन-किन देशों को विभिन्न पशुओं का मांस निर्यात किया गया तथा उन पशुओं का ब्यौरा क्या है और भारत द्वारा अर्जित विदेशी-मुद्रा का देशवार/वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न धार्मिक संगठनों/सामाजिक संगठनों से मांस के निर्यात पर रोक लगाने के लिए अनुरोध/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) भारत से निर्यात किए जा रहे मांस के प्रमुख निर्यात गंतव्य मलेशिया, फिलीपींस, मिस्र, यूएई, जोर्डन, ओम्मान, कुवैत, कतर हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित मांस की मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार हैं:

वर्ष	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
2001-2002	248374	1183
2002-2003	305551	1358
2003-2004	370466	1694

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

(ख) से (घ) मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारतीय पशु संसाधन विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली; महाराजा कुमारपाल जीवोदय न्यास, चेन्नई; जैन सोशल ग्रुप अकोला, महाराष्ट्र और एनीमल राइट्स इंटरनेशनल, नई दिल्ली जैसे संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान एक्जिम नीति के अनुसार गौमांस का निर्यात प्रतिबंधित है। तथापि, भैंस, भेड़ और बकरे के मांस का निर्यात मुक्त है।

[अनुवाद]

रूस के लिए पाटनरोधी मानदण्डों में छूट

517. श्री मनोरंजन भक्त: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रूस के लिए पाटनरोधी मानदण्डों में छूट दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण सहित ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के. एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी बैंक

518. श्री गिरिधारी यादव:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारत में कितने विदेशी बैंक कार्यरत हैं;

(ख) क्या भारतीय बैंकों की तुलना में ये विदेशी बैंक कहीं अधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी बैंकों की तुलना में भारतीय बैंकों के लाभ एवं हानि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) 31 अक्तूबर, 2004 की स्थिति के अनुसार भारत में 32 विदेशी बैंक कार्यरत थे।

(ख) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के परिचालनात्मक लाभ का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

बैंक समूह	परिचालन लाभ		
	2001-02	2002-03	2003-04
सरकारी क्षेत्र के बैंक	21676.54	29715.24	39474.72
विदेशी बैंक	3513.61	3727.85	4987.40

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों दोनों के लाभों में पिछले वर्षों में वृद्धि हुई है। सरकारी ग्राहकों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली बैंकिंग सेवाओं के लिए इन समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रही है।

[अनुवाद]

विदेशी वाणिज्यिक ऋण पर प्रतिबंध

519. श्री पी. एस. गढ़वी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी वाणिज्यिक ऋण लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस निर्णय के परिणामस्वरूप गुजरात सरकार को हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस निर्णय की पुनरीक्षा की है और सरकार का प्रस्ताव विदेशों से सस्ता ऋण दिलाकर निगम क्षेत्र को सहायता देने के लिए विदेशी वाणिज्यिक ऋण पर लगे प्रतिबंध को हटाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) विदेशी वाणिज्यिक उधार की नीति की समीक्षा सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परामर्श से समय-समय पर की जाती है। ईसीबी नीति की अंतिम समीक्षा जनवरी, 2004 को हुई थी, जिसके आधार पर 31 जनवरी, 2004 को आरबीआई ने मौजूदा ईसीबी दिशा-निर्देश अधिसूचित किए थे।

इन दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय, मध्यवर्तियों को छोड़कर कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी कार्पोरेट स्वत: चालित मार्ग के तहत 500 मिलियन अमरीकी डालर तक के ईसीबी उधार लेने के लिए पात्र हैं। स्वत: चालित मार्ग के तहत शामिल न किए गए प्रस्तावों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किया जाता है।

संपदा क्षेत्र अर्थात लघु एवं मध्यम उद्यमों सहित औद्योगिक क्षेत्र और आधारभूत क्षेत्र में निवेश के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) जुटाए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

फूकन आयोग

520. श्री मुंशी राम:
श्री मोहन सिंह:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तहलका प्रकरण की जांच कर रहे जस्टिस फूकन आयोग को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग को समाप्त करने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पूरे तहलका प्रकरण की जांच सी. बी. आई. से कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकरण की सी. बी. आई. से जांच कराने के क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी हां।

(ख) से (घ) संपूर्ण मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि मामले का अन्वेषण सी. बी. आई. से कराया जाए और तदनुसार पी. बी. आई. से अन्वेषण के संबंध में आगे कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

अशासकीय निदेशकों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश

521. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अशासकीय निदेशकों की नियुक्ति हेतु कोई दिशानिर्देश बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दिशा-निर्देशों में नरसिम्हन और आर. एच. पाटिल समितियों की सिफारिशों पर विचार किया गया है जिसमें व्यावसायिक रूप से चलाए जाने वाले बैंक बोर्डों के सृजन का सुझाव दिया गया है।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशा-निर्देश निहित स्वार्थों वाले निदेशकों के नामांकन की परम्परा पर रोक लगाना सुनिश्चित करेंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (च) जी, नहीं। तथापि, नरसिंहम समिति, आर, एच. पाटिल समिति एवं गांगुली समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा मार्गनिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

लघु बचत

522. श्री पी. करूणाकरन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने डाक संबंधी आंकड़ों के पुन: निर्धारण न होने के कारण केन्द्र सरकार से मिलने वाली ऋण की राशि में भारी कमी होने की बात कही है;

(ख) क्या सरकार ने आवर्ती जमा पास बुक, बचत बैंक पास बुक, एजेंट रसीद बही, चेक पर्ची की कमी महसूस की है जिनके कारण लघु बचतों के संग्रहण में वास्तव में बाधा आती है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार लघु बचत में सरकारी क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई आवश्यक कदम उठाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कुछ राज्यों में कतिपय लेखन सामग्रियों, चैक बुकों, आदि की कमी से संबंधित मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं। इन वस्तुओं की पर्याप्त एवं समय पर आपूर्ति एवं समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उपयुक्त कदम उठाए गए हैं।

(घ) और (ङ) लघु बचत योजनाएं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लघु निवेशकों के लिए बनाई गई हैं। सहकारी सोसाइटियां, बैंक, संस्थान आदि इन स्कीमों के तहत अपनी अतिरिक्त निधियां निवेश करने के लिए पात्र नहीं हैं।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अंतराष्ट्रीय बाजार से धनराशि जुटाना

523. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक का विचार अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बिलियन डालर की धनराशि जुटाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त धनराशि को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुटाने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पालानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। स्टेट बैंक ने विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित ऋण लिखतों के निर्गम को सुकर बनाने

के लिए मीडियम टर्म नोट (एमटीएन) कार्यक्रम स्थापित किया है। ऐसे निर्गमों की आय भारतीय स्टेट बैंक की विदेशी शाखाओं में उनके प्रचालनों के निधीयन के लिए लगाई जाएगी। इस एमटीएन कार्यक्रम का आकार 1 बिलियन अमरीकी डालर है।

(ग) एमटीएन कार्यक्रम का उद्देश्य स्थिर और लांग टेनर फण्डों से भारतीय स्टेट बैंक की विदेशी शाखाओं के संसाधनों को बढ़ाना है। इससे अंतर-बैंकीय उधारों पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा, परिसंपत्तियां बनाई जा सकेंगी और निवेशकों के लिए विस्तृत आधार मिल सकेगा।

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग के कामगारों को मजदूरी

524. श्री रामजीलाल सुमन:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में वस्त्र उद्योग में कार्यरत कामगारों की मजदूरी कंबोडिया को छोड़कर विश्व के अन्य देशों की तुलना में सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में वस्त्र उद्योग में कार्यरत कामगारों की औसतन प्रति घंटा मजदूरी अन्य देशों श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन और अमरीका की तुलना में कितनी है; और

(घ) क्या सरकार लाभ में कामगारों की भागीदारी बढ़ाने अथवा मजदूरी की राशि में वृद्धि हेतु कदम उठाने पर विचार कर रही है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (घ) कुछ सामाचार-पत्रों में छपे एक समाचार में एक ऐसे अध्ययन का जिक्र किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि वस्त्र उद्योग में भारतीय कामगारों की औसत मजदूरी 0.38 डॉलर प्रति घंटा है जबकि इसकी तुलना में पाकिस्तान में 0.41 डालर प्रति घंटा, श्रीलंका में 0.48 डॉलर प्रति घंटा और चीन में 0.68 डालर प्रति घंटा है। तथापि, सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा करवाये गए ''बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, चीन और पाकिस्तान की तुलना में भारत में कॉस्ट बेंच मार्किंग अध्ययन'' नामक अध्ययन से यह पता चला है कि अक्टूबर, 2001 से मार्च, 2002 तक की अवधि के दौरान भारतीय कामगारों की औसत मजदूरी 0.50 डॉलर प्रति घंटा थी जबकि इसकी तुलना में पाकिस्तान में 0.39 डालर, श्रीलंका में 0.37 डॉलर, चीन में 0.57 डॉलर , बांग्लादेश में 0.23 डॉलर और इंडोनेशिया में 0.34 डॉलर प्रति घंटा थी।

[अनुवाद]

मुख्यमंत्रियों की बैठक

525. श्री रघुनाथ झा: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 18 सितंबर, 2004 को मुख्यमंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के प्रधानमंत्री और अन्यों ने विधिवत रूप से भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन मामलों पर चर्चा हुई; और

(ग) न्यायालयों में मामलों के लंबित रहने की संख्या में कमी लाने के लिए कोई निर्णय यदि लिए गए, तो वे क्या थे?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन में न्याय प्रशासन और न्यायिक सुधारों से संबंधित विषय-वस्तुओं पर विस्तार से चर्चा हुई थी, जिसे निम्नलिखित खंडों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है: (क) न्यायालयों का आधुनिकीकरण (ख) लंबित मामलों को खत्म/समाप्त करना (ग) वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) के तरीकों का उपयोग और (घ) न्यायाधीशों की सेवाशर्तें।

(ग) राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन के संकल्प इसके साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

इक्कीसवीं सदी में न्याय परिदृश्य
18 सितम्बर, 2004 को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों का सम्मेलन

संकल्प

''इक्कीसवीं सदी में न्याय परिदृश्य'' के विषय पर चर्चा करने के लिए 18 सितम्बर, 2004 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों का एक सम्मेलन हुआ था। उक्त सम्मेलन में न्याय प्रशासन और न्यायिक सुधारों से संबंधित विषयवस्तुओं के

विभिन्न क्षेत्रों पर विचार विमर्श हुआ था जिसे निम्नलिखित खंडों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है: (क) न्यायालयों का आधुनिकीकरण (ख) लंबित मामलों को खत्म/समाप्त करना (ग) वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) के तरीकों का उपयोग, और (घ) न्यायाधीशों की सेवाशर्तें।

विचार-विमर्श के दौरान इस बात पर आम सहमति थी कि भारत के न्यायालयों को अपने प्रशासनिक कर्मचारिवृंद और प्रणाली को व्यावसायिक बनाने की आवश्यकता है और ऐसा करने में उन्हें अपने संसाधनों का सही उपयोग करने की आवश्यकता है। इस बात पर भी सहमति थी कि न्यायालयों को अपनी आंतरिक कार्यवाहियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने और उन पर कार्रवाही करने की अपनी क्षमता में और अपनी ऐसी प्रणालियों के विस्तार क्षेत्र तथा अपने ऐसे उपकरणों में सुधार करने की आवश्यकता है, जो उनको मामलों के भार के प्रबंधन के लिए उपलब्ध है। न्यायाधीशों की व्यक्तिगत सक्षमताओं में निरंतर शिक्षा और निजी विकास के माध्यम से सुधार लाने की आवश्यकता है, वहीं न्यायालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन सुधारों को कायम रखने के लिए विचार-विमर्श करें और कोई उपाय निकालें।

सम्मेलन में यह भी बात उभरकर आई कि राज्य और राष्ट्रीय सरकारों को न्यायालयों के आधुनिकीकरण के क्रियाकलापों और उनके कार्यपालन पर निरन्तर रूप से मानीटरी करने की आवश्यकता है तथा ऐसी युक्तियां विकसित करने की भी आवश्यकता है जिससे न्यायालयों की सेवाओं की मांग में कमी आए और न्यायालय के विनिश्चयों की प्रवर्तनशीलता में वृद्धि हो।

काफी विचार-विमर्श के पश्चात् सम्मेलन मे विचार-विमर्श के चार विस्तृत पहलुओं से संबंधित निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया:

(क) न्यायालयों का आधुनिकीकरण:

1. यह संकल्प लिया जाता है कि न्याय प्रदान करने की प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में उपलब्ध योग्यता और विशेषज्ञता का उपयोग किया जाए। अत: केन्द्रीय सरकार (क) जिला स्तर तक के न्यायालयों का क्रमबद्ध रूप से पूर्ण कंप्यूटरीकरण (ख) वीडियो कांफ्रेंसिंग और अंकीय चिह्नकों सहित आधुनिक उपलब्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग (ग) सीधे सांख्यिकी उत्पन्न करने के लिए लंबित मामलों का डाटाबेस तैयार करने (घ) बकाया मामलों को समाप्त करने के लिए सहज नीतिगत सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना तैयार करना, और (ङ) सभी उच्च न्यायालयों तथा न्यायालय भवनों में या उनके आसपास स्थित सुविधाकेन्द्रों में इंटरनेट, वेबसाइट के माध्यम से सूचना की वाकदारियों के लिए सुविधाजनक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व की भूमिका अदा करेगी।

2. न्यायालय प्रशासन में और वादकारियों और वकीलों के बीच मध्यस्थता के संबंध में न्याय परिदान प्रणाली के व्यवसायिक प्रबंध को सक्रिय रूप से विकसित करने का संकल्प लेते हैं। वृत्तिकता की आवश्यकता को मान्यता देते हुए यह और संकल्प पारित किया जाता है कि न्यायालय प्रबंधन, डाटाबेस प्रबंधन और जानकारी प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

3. यह संकल्प लिया जाता है कि न्याय परिदान प्रणाली में सभी हिस्सेदारों में विश्वास जागृत करने के उपायों की और इन उपायों का संवर्धन करने की इस समय आवश्यकता है। अत: न्यायालय प्रणाली को अपनी उपलब्धियों और संसाधनों के उपयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए।

4. यह संकल्प लिया जाता है कि संस्थाओं की संस्थागत क्षमता को न्यायिक प्रशिक्षण और निरंतर शिक्षा के लिए मजबूत करना होगा। न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों के अलावा, क्षमता के अधिकतम स्तर को प्राप्त करने के लिए सभी न्यायालयों के प्रशासनिक कर्मचारिवृंद को भी निरंतर शिक्षा देनी चाहिए।

5. यह संकल्प लिया जाता है कि उच्च न्यायालयों द्वारा की गई धनीय मांगों को सामान्य रूप से स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है तथा सभी बजट संबंधी आबंटनों के अधीन रहते हुए विनियोग और पुनर्विनियोग करने के लिए उच्च न्यायालयों को प्राधिकृत किए जाने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालयों में आंतरिक संपरीक्षा कराए जाने पर जोर दिया गया है।

6. यह संकल्प लिया जाता है कि सरकार, पुराने तथा बेकार न्यायालय भवनों को क्रमबद्ध रूप से हटाते हुए न्यायालय भवनों, न्यायालय के कर्मचारिवृंद पैटर्न तथा न्यायाधीशों के आवासों को तर्क संगत और मानकीकृत बनाने के लिए उपाय करेगी। योजना व्यय के लिए समुचित बजट आबंटन अभिप्राप्त करने के लिए दस वर्ष तक अगामी योजना तैयार की जाएगी।

(ख) लंबित मामलों को कम करना/खत्म करना:

1. यह संकल्प लिया जाता है कि न्यायाधीश-संख्या औसत के बजाए न्यायाधीश, मामला औसत निकालकर सभी न्यायालयों में लंबित मामलों को पूर्विकता के आधार पर निपटाने के लिए प्रबंधन प्रयोग किया जाए जिसके

अंतर्गत मामलों के भार का प्रबंधन, न्यायालय और संसाधन प्रबंधन भी है।

2. वह संकल्प लिया जाता है कि त्वरित निपटान न्यायालय स्कीम को 2005 के पश्चात् 5 वर्ष की और अवधि के लिए जारी रखा जाए तथा इसी तरीके से और त्वरित निपटान मजिस्ट्रेट न्यायालयों की स्थापना की जाए।

3. यह संकल्प लिया जाता है कि न्यायाधीशों पर प्रशासनिक भार को कम करने के लिए विधि लिपिकों और अनुसंधान सहायकों को लिया जा सकता है, न्यायालय क्रियाओं, को अनपढ़ व्यक्तियों के लिए सरल बनाया जाए, न्यायालय, विशेषकर रजिस्ट्री में भीड़-भाड़ को कम किया जाए। न्यायालय अधिकारियों और न्यायालय कर्मचारियों की रिक्तियों को शीघ्रता से भरा जाए तथा इसके साथ ही विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाए तथा उनकी संख्या बढ़ाई जाए और अवसंरचना को प्रभावी किया जाए।

4. यह संकल्प लिया जाता है कि ऐसे मुकदमों में विवादों के निपटान के लिए आंतरिक तंत्र विकसित किया जाए जिनमें सरकार, पीएसयू, सरकारी निगम पक्षकार हैं।

5. यह संकल्प लिया जाता है कि सभी न्यायालयों में सरकारी अधिवक्ताओं और लोक अभियोजकों की तत्काल और गुणवत्ता के आधार पर नियुक्ति की जाए, अधिकरणों और आयोगों के प्रभावी कार्यकरण के लिए प्रयाप्त अवंसरचना और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

6. यह संकल्प लिया जाता है कि अतिरिक्त कुटुंब न्यायालयों का सृजन किया जाए और उनकी सहायता के लिए विवाह परामर्श ब्यूरों तथा अधिकारियों की नियुक्ति की जाए।

7. यह संकल्प लिया जाता है कि स्थगनों की संख्या और मौखिक दलीलों में लगने वाले समय को कम करके समय प्रबंधन का कड़ाई से पालन किया जाए। विभिन्न प्रक्रियाओं, जैसे अभिवचनों को पूरा करने, मौखिक दलीलें प्रस्तुत करने, निर्णय देने और दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराए जाने के लिए एक निश्चित मानक समय-सीमा तय किए जाने का अनिवार्य किया जाए।

8. यह संकल्प लिया जाता है कि न्यायालय के प्रशासन प्रबंधन में बार की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए।

(ग) वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तरीकों का उपयोग:

1. यह संकल्प लिया जाता है कि एडीआर की अंतर्राष्ट्रीय सफलता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि एडीआर की तीन पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाना अनिवार्य है, जैसे (क) पक्षकारों के बीच मध्यस्थता (ख) न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट मध्यस्थता (ग) न्यायालय से संलग्न मध्यस्थता।

2. यह संकल्प लिया जाता है कि केन्द्र और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा न्यायालयों के भार और उसमें भीड़-भाड़ को कम करने के लिए एडीआर कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहन देने और अवसंरचना का विकास करने के लिए आवश्यक वित्त उपलब्ध कराया जाएगा और सक्रिय मध्यस्थों के रूप में अधिकारियों के एक पृथक वर्ग को प्रशिक्षण करने के लिए भी वित्त उपलब्ध कराया जाएगा।

3. न्यायपीठ और बार की सक्रिया भागीदारी से सभी प्रकार की मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में एक प्रमुख स्कीम तैयार किए जाने के लिए संकल्प लिया जाता है।

4. यह संकल्प लिया जाता है कि केवल राज्यों और जिलों में ही नहीं बल्कि तालुक स्तर पर भी लोक अदालतों के माध्यम से मामलों के निपटान को प्रोत्साहन दिया जाए। लोक अदालतों और विधिक ज्ञान कार्यक्रमों को मजबूत करने और उनका प्रचार-प्रसार करने और जिला स्तर पर विधिक ज्ञान सचिवों का एक पृथक काडर बनाए जाने की आवश्यकता है।

5. यह संकल्प लिया जाता है कि नालसा और राज्य विधिक सहायता प्राधिकरणों के सक्रिय सहयोग से विधिक सहायता तंत्रों को मजबूत किया जाएगा।

(घ) न्यायाधीशों की सेवाशर्तें-

1. यह संकल्प लिया जाता है कि संघ राज्यक्षेत्र और राज्य सरकारें, समय-समय पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के साथ-साथ प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (जगन्नाथ शेट्टी आयोग) की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयत्न करेगी।

2. यह संकल्प लिया जाता है कि उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों को सचिव/

चालक/अर्दली और यात्रा के लिए प्रोटोकोल सहायता तथा चिकित्सीय उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है तथा ऐसी सुविधाएं उन्हें प्रदान करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए जाएंगे।

3. यह संकल्प लिया जाता है कि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें, उच्च न्यायालयों के ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को, जो उनकी अधिकारिता के भीतर निवास कर रहे हैं, उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीशों के समतुल्य चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान किए जाने के प्रस्ताव की समीक्षा करेंगी और उस पर विचार करेंगी।

(ङ) अतिरिक्त संकल्प:

1. यह संकल्प लिया जाता है कि मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों/विधि मंत्रियों/वित्त मंत्रियों का निजी ध्यान आकर्षित करेंगे और उनके कार्यान्वयन के लिए विनिश्चय की उस स्तर पर मानीटरी की जाएगी। इसी प्रकार, केन्द्र सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्रों में भी इन संकल्पों पर उच्चतम स्तर पर कार्यवाही की जाएगी।

2. यह संकल्प लिया जाता है कि राज्य सरकारें अपने वित्तीय संसाधनों के अनुरूप लगातार यह सुनिश्चित करेंगी कि न्यायिक सुधारों के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अधीन बराबर अनुदान जारी किया जाता है और अपनी वित्तीय असमर्थताओं की दशा में केंद्रीय सरकार को, बराबर का अनुदान देने की अपेक्षा को समाप्त करने के लिए संतुष्ट करेंगी।

3. यह संकल्प लिया जाता है कि राज्य सरकारें, अपने-अपने उच्च न्यायालयों से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर, लोक सेवा आयोगों द्वारा न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए की जाने वाली कार्यवाही को समाप्त करने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगी।

कॉफी की घरेलू खपत को बढ़ावा

526. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में कॉफी की घरेलू खपत को बढ़ावा देने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कॉफी की घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए धनराशि प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2004-2005 के दौरान इस संबंध में विशेषकर कर्नाटक में कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) कॉफी की घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए, कॉफी बोर्ड दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कॉफी की घरेलू खपत के संवर्धन संबंधी एक संघटक के साथ बाजार विकास नामक एक योजना स्कीम को पहले से ही कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) कॉफी की घरेलू खपत के संवर्धन हेतु कॉफी बोर्ड ने वर्ष 2004-05 के लिए 2.80 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तथापि, बोर्ड द्वारा राज्यवार आवंटन नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

आपदा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निधियां

527. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से प्राकृतिक आपदा तथा बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए धनराशि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त धनराशि कब तक आबंटित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से केन्द्रीय सहायता के लिए सूखा हेतु कृषि मंत्रालय और बाढ़ तथा अन्य आपदाओं के लिए गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगारोन्मुख कार्य शुरू करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन के अनुसार प्रभावित राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करता है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अंतर्गत खाद्यान्न दिए जाते हैं। जबकि योजना के लिए घटक संबंधित राज्य द्वारा राज्य क्षेत्र की योजनाओं या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, जिनमें खाद्यान्न इस्तेमाल किया जाता है, से दिए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वर्ष के दौरान बाढ़ के कारण राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से सहायता के लिए कोई ज्ञापन

नहीं दिया है। राज्य सरकार ने चालू वर्ष के दौरान सूखे के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से सहायता के लिए कृषि मंत्रालय को एक ज्ञापन दिया है। उच्च स्तरीय समिति ने सूखा प्रबंधन के लिए 360.94 करोड़ रुपए अनुमोदित किए हैं जो आपदा राहत कोष के अंतर्गत तात्कालिक आपदा के लिए उपलब्ध धनराशि को समायोजित करने के बाद दिए जाएंगे। चालू वर्ष के सूखे के लिए आपदा राहत कोष में बची राशि का समायोजन करने के बाद उत्तर प्रदेश को 2004-05 के दौरान सूखा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से 192.10 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं।

[अनुवाद]

बैंक कर्मचारियों को पेंशन

528. श्री बी. विनोद कुमार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''स्टेट बैंक आफ हैदराबाद'' के 15 वर्ष और उससे अधिक पेंशन योग्य सेवा प्रदान कर चुके तथा ''बैंक की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस-2001)'' के अंतर्गत सेवानिवृत्त हो चुके भूतपूर्व बैंक कर्मचारियों को पेंशन देने से मना कर दिया जबकि इस संबंध में ''बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995'' पहले से ही संशोधित था;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को पेंशन न देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन कर्मचारियों को पेंशन देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ हैदराबाद द्वारा परिचालित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि ''वे कर्मचारी जो इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं किन्तु जिन्होंने उस तारीख तक 20 वर्षों की पेंशन प्राप्ति योग्य सेवा पूरी नहीं है, पेंशन के हकदार नहीं होंगे।'' भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से स्टेट बैंक आफ हैदराबाद एवं भारतीय स्टेट बैंक के अन्य अनुषंगी बैंकों की पेंशन विनियमों को तैयार किया है, वहीं राष्ट्रीयकृत बैंकों के पेंशन विनियम भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से बैंकों द्वारा तैयार किया है। इस प्रश्न में उल्लिखित बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में संशोधन राष्ट्रीयकृत बैंकों से संबंधित है न कि भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों से। स्टेट बैंक आफ हैदराबाद ने राष्ट्रीय पूर्व कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा 15 वर्षों की न्यूनतम सेवा के साथ वीआरएस के विकल्प को चुनने वालों को पेंशन देने के लिए किए गए उनके अनुरोध की जांच की है। बैंक ने सूचित किया है कि समामूहिक रूप से अनुषंगी बैंकों ने भारतीय स्टेट बैंक से परामर्श करके निर्णय लिया है कि ऐसे कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए पूर्व प्रभाव से पेंशन विनियमों का संशोधन न किया जाए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं के लिए विशेष न्यायालय

529. श्री एस. के. खारवेनथन: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों और अपराधों के मामलों से निपटने के लिए विशेष न्यायालय गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ग) दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात् किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। महिलाओं पर अत्याचारों के मामलों सहित लंबे समय से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए विद्यमान न्यायालयों के अलावा त्वरित, निपटान न्यायालय के नाम से ज्ञात अतिरिक्त न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

भुवनेश्वर शहरी हाट परियोजना

530. श्री तथागत सत्पथी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा भुवनेश्वर शहरी हाट परियोजना को स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की प्रमुख विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार की हाट परिसर में एक काफ्ट बाजार आयोजित करने के लिए अनुदान सहायता देने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह शिल्पकारों के लिए किस सीमा तक उपयोगी होगी?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1998-99 में भुवनेश्वर में एक शहरी हाट अनुमोदित किया गया था जिसने अब कार्य करना आरम्भ कर दिया। हाट की स्थापना के लिए कार्यान्वित एजेंसी औद्योगिक आधाभूत विकास निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर है। इस शहरी हाट का उद्देश्य हस्तशिल्प कारीगरों एवं हथकरघा बुनकरों को वर्षभर प्रत्यक्ष रूप से विपणन सुविधाएं मुहैया करना है।

(ग) 186.00 लाख रुपये की कुल मंजूर लागत में से भारत सरकार का हिस्सा जो 126.13 लाख रुपये है एजेंसी को रिलीज कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। औद्योगिक आधारभूत विकास निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर से शिल्प बाजार के आयोजन हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

शिल्प बाजार का आयोजन कारीगरों और बुनकरों को प्रत्यक्ष विपणन सुविधा के मार्फत उनकी बिक्री एवं आय को बढ़ाने में सहायता करता है।

अन्य देशों के साथ वित्तीय समझौता

531. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता हेतु अन्य देशों के साथ कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए; और

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं और अब तक उनसे कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) पिछले दो वर्षों अर्थात् 2002-2003 और 2003-04 के दौरान अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित करारों की संख्या क्रमश: 21 और 19 है।

(ख) जिन परियोजनाओं के संबंध में वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान कारारों पर हस्ताक्षर किए गए थे, उनके विषय में सरकारी लेखा पर अब तक प्राप्त सहायता की राशि और देशों के नाम नीचे दिए गए हैं:—

देश	अब तक प्राप्त सहायता की राशि (करोड़ रुपए में)
कनाडा	0.24
अमरीका	0.00
डेनमार्क	0.93
यू. के.	988.36
फ्रांस	16.77
जर्मनी	44.15
जापान	2900.61
नीदरलैंड	191.36
जोड़	4141.42

ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम सुविधाएं

532. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम कार्ड सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एटीएम सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रथम चरण में विशेष रूप से राजस्थान राज्य में कितने गांव निर्धारित किये गये हैं;

(घ) क्या सरकार ने सभी गांवों में एटीएम सुविधाएं लगाने के लिए कोई लक्ष्य रखा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक की विद्यमान नीति के अनुक्रम में बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात बैंकों को अपने विवेकाधिकार से एटीएम खोलने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर तथा भारतीय स्टेट बैंक ने राजस्थान राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमश: 5 और 2 एटीएम स्थापित किए हैं।

हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग का उन्नयन

533. श्री सुदाम मरन्डी:
श्री बी. विनोद कुमार:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र, हथकरघा तथा हस्तशिल्प उद्योग एवं प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वस्त्र हथकरघा तथा हस्तशिल्प उद्योग का उन्नयन/आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई/बनाए जाने वाली विभिन्न योजनाएं कौन-कौन सी हैं; और

(घ) उक्त कार्य के लिए गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित की गई हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ग) जी, हां। निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

वस्त्र क्षेत्र में :

1. सरकार ने वस्त्र एवं पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 1.4.1999 से 5 वर्ष की अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2004 तक के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना शुरू की जिसे बाद में 3 वर्ष अर्थात् 31.3.2007 तक बढ़ा दिया गया था।

2. वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) देश के प्रमुख वस्त्र केन्द्रों की आधारभूत सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए है। इस योजना के तहत केन्द्रीय सहायता प्रत्येक क्षेत्र के लिए 20 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा तक परियोजना के महत्वपूर्ण संघटकों के लिए उपलब्ध है। केन्द्रीय सहायता सामान्य बहिस्राव संयंत्र, जल आपूर्ति एवं निकासी की सुविधाओं में सुधार लाने तथा अपैरल एककों के लिए शिशु पालन भवन के निर्माण के संबंध में परियोजना के महत्वपूर्ण संघटकों के 100% तक उपलब्ध है जबकि अन्य संघटकों के लिए धनराशि केन्द्र और संबंधित राज्यों/प्रतिष्ठित एजेंसियों के बीच 75:25 के आधार पर दी जाएगी।

हथकरघा क्षेत्र में :

योजनागत स्कीमों में दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएचपीवाई) विपणन संवर्द्धन कार्यक्रम योजना, मिल गेट कीमत योजना, कार्यशाला एवं आवास योजना, बुनकर कल्याण योजना (जिसमें बचत निधि योजना, नई बीमा योजना और स्वास्थ्य पैकेज योजना शामिल है), हथकरघा निर्यात योजना और डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। हाल ही में कौशल उन्नयन के लिए नई योजनाएं यथा: एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना, बीमा कवरेज के लिए-बुनकर बीमा योजना और हथकरघा कपड़े की बिक्री पर हथकरघा एजेंसियों द्वारा दी गई एक बार की 10% की दर से छूट की गैर-योजना स्कीम पहले ही 2003-04 में शुरू कर दी गई है।

हस्तशिल्प क्षेत्र में :

हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास और संवर्द्धन के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई); डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन एवं सहायता सेवाएं, निर्यात संवर्द्धन, प्रशिक्षण एवं विस्तार, अनुसंधान एवं विकास, बीमा योजना पर विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसएचटीपी) और राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों/शीर्ष सहकारी समितियों आदि को वित्तीय सहायता शामिल है। हस्तशिल्प क्षेत्र के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए सरकार डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन की योजना कार्यान्वित करती है जिसका उद्देश्य शिल्पकारों को उन्नत औजार/उपष्कर प्रदान करना, अनेक उत्पादों में सुधार लाना तथा विविधीकरण लाना, नए डिजाइन एवं आदि रूपों का विकास करना और कारीगरों के कौशलों का उन्नयन करना है। इसके अतिरिक्त, बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत उपयुक्त मशीनों/प्रौद्योगिकी आदि से युक्त सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) टीयूएफएस और टीसीआईडीएस के तहत निधियां राज्य-वार जारी नहीं की जाती हैं। टीयूएफएस के तहत 12% सी एल सी एस-टीयूएफएस सहित, 20007 करोड़ रु. की परियोजना लागत वाली 3266 यूनिटों को 30 सितंबर, 2004 तक 9051 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें से 2756 यूनिटों को 6156 करोड़ रु. की राशि संवितरित की गई थी। 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार 20% सीएलसीएस-टीयूएफएस के तहत मशीनरी में 28.01 करोड़ रु. के कुल निवेश से बैंकों से 138 मामले प्राप्त हुए हैं। इन मामलों के लिए सब्सिडी राशि 5.60 करोड़ रु. बनती है। उपर्युक्त 138 मामलों में से 70 मामलों के संबंध में 2.63 करोड़ रु. की सब्सिडी राशि जारी कर दी गई है।

हथकरघा क्षेत्र : योजना स्कीमों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार आवंटित धनराशि दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I संलग्न है।

हस्तशिल्प क्षेत्र : राज्यवार कोई बजट आवंटन नहीं है। हस्तशिल्प में संवर्द्धन और विकास के लिए सरकार की योजनाएं

विशिष्ट नहीं हैं तथा राज्य हस्तशिल्प विकास निगम/शीर्ष सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से अनुदान सहायता योजनाओं के रूप में पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में इन योजनाओं के तहत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

तीन वर्षों के दौरान विभिन्न हथकरघा योजना स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई धनराशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	66.92	20.76
2.	आंध्र प्रदेश	70.07	1320.94	1784.14
3.	असम	10.26	1131.92	762.86
4.	बिहार	6.50	6.25	12.62
5.	छत्तीसगढ़	–	89.71	46.63
6.	गोआ	–	–	–
7.	गुजरात	0.87	52.25	64.18
8.	हरियाणा	16.98	17.57	35.26
9.	हिमाचल प्रदेश	–	201.32	173.32
10.	झारखंड	–	8.60	–
11.	जम्मू-कश्मीर	–	85.31	40.76
12.	कर्नाटक	–	498.57	451.40
13.	केरल	43.44	1152.17	821.84
14.	मध्य प्रदेश	–	114.20	45.23
15.	महाराष्ट्र	–	106.24	11.66
16.	मणिपुर	–	608.57	115.79
17.	मिजोरम	–	53.98	32.19
18.	मेघालय	0.28	19.73	3.91
19.	नागालैंड	–	163.88	1114.22
20.	उड़ीसा	12.45	40.34	78.03
21.	पांडिचेरी	–	–	–

1	2	3	4	5
22.	पंजाब	0.52	21.10	-
23.	राजस्थान	18.02	86.53	122.14
24.	सिक्किम	-	2.97	-
25.	तमिलनाडु	-	2982.48	2619.46
26.	त्रिपुरा	5.15	27.35	35.98
27.	उत्तर प्रदेश	31.22	872.09	1070.08
28.	उत्तरांचल	-	79.22	10.13
29.	प. बंगाल	-	401.67	180.45
30.	दिल्ली	3.33	164.02	112.00
	कुल	219.09	10375.90	9765.04

विवरण-II

तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प क्षेत्र के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	116.28	136.94	212.04
2.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	2.84	0.00	0.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	197.84	13.65	28.12
4.	असम	133.60	212.36	267.29
5.	बिहार	82.31	11.80	9.64
6.	छत्तीसगढ़	185.18	10.09	22.58
7.	चंडीगढ़	0.00	6.44	15.10
8.	दिल्ली	516.24	759.84	1147.67
9.	गोआ	0.98	128.15	2.77
10.	गुजरात	84.20	35.42	108.80
11.	हरियाणा	34.45	40.24	57.24
12.	हिमाचल प्रदेश	96.05	116.32	130.90

1	2	3	4	5
13.	जम्मू-कश्मीर	42.04	107.58	292.98
14.	झारखंड	62.81	8.87	11.98
15.	कर्नाटक	95.62	32.74	72.08
16.	केरल	20.79	24.68	89.28
17.	मध्य प्रदेश	138.70	146.88	144.07
18.	महाराष्ट्र	54.68	56.66	124.11
19.	मणिपुर	34.55	40.21	33.61
20.	मेघालय	4.42	16.60	7.70
21.	मिजोरम	20.42	17.67	33.63
22.	नागालैंड	63.55	128.33	93.24
23.	उड़ीसा	77.42	90.43	140.50
24.	पंजाब	30.33	20.58	44.86
25.	पांडिचेरी	5.89	1.10	0.48
26.	राजस्थान	48.48	68.93	196.63
27.	सिक्किम	10.81	0.00	0.00
28.	तमिलनाडु	35.08	33.75	74.55
29.	त्रिपुरा	46.60	32.46	39.51
30.	उत्तर प्रदेश	262.94	329.87	321.37
31.	उत्तरांचल	50.98	38.75	111.63
32.	प. बंगाल	62.65	74.88	195.66
	कुल	2618.73	2742.22	4030.03

बैंकों द्वारा ऋण

534. श्री अजीत जोगी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदान किए गए आवधिक ऋण का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बैंकों से ऋण लेना अत्यंत कठिन है जबकि नियमित रूप से यह घोषणा की जाती है कि ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बैंकों द्वारा आम आदमी को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए इस पद्धति को सुचारू बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमणिक्कम): (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे अपने निदेशक मण्डल के अनुमोदन से सुपरिभाषित ऋण नीति एवं ऋण वसूली नीति तैयार करें। इस ऋण नीति में बट्टे खाते डालते समेत व्यक्तिगत/उधारकर्ता समूह के लिए निवेश सीमा, प्रलेखीकरण मानदण्ड, क्षेत्रीय निवेश सीमा, शक्तियों का प्रत्यायोजन का निर्धारण होना चाहिए तथा प्रक्रिया संबंधी परिपक्वता एवं लागत नीतियों, न्यूनतम दर के ऊपर ब्याज दर को निर्धारित करने के लिए विचार हेतु कारकों इत्यादि की समीक्षा की जानी चाहिए।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए वार्ता मंच

535. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में प्रायोजित बैंक स्तर पर तथा संघीय स्तर पर कौन सा वार्ता मंच है;

(ख) क्या सरकार ने अभी तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों से वार्ता करने हेतु मंच के बारे में विचार नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पालानीमनिक्कम): (क) से (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में स्वस्थ औद्योगिक संबंधों का विकास करने की दृष्टि से प्रायोजक बैंकों को 23 अप्रैल, 1998 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के साथ परामर्श के लिए कुछ तंत्र स्थापित करने की सलाह पहले ही दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट वृद्धि

536. श्री कीर्ति वर्धन सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस बढ़ोतरी से देश के विभिन्न बैंकों की आवासीय ऋण दरों में वृद्धि हो जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में वृद्धि के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पालानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत पुन: खरीद (रेपो) दर को 27 अक्तूबर, 2004 से 25 आधार बिन्दु अर्थात 4.50% से 4.75% तक बढ़ा दिया है।

(ग) और (घ) 2 लाख रुपये से अधिक से ऋण के लिए बैंकों द्वारा उधार दर को अविनियमित कर दिया गया है जिसमें इसे बैंकों के ऊपर छोड़ा गया है कि वे अन्य कारकों के साथ अपने कार्यकलाप/उधारकर्ता के जोखिम बोध, निधि लागत, निधि की उपलब्धता इत्यादि के आधार पर अपनी उधार दरों का निर्णय लें। एलएएफ के तहत दैनंदिन आधार पर चलनिधि के उचित समायोजन के लिए रेपो सुविधा अनिवार्य तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिचालित होते हैं। उन बैंकों में से जिनके आवास ऋण बाजार में बड़ी हिस्सेदारी है, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एवं आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में अपने आवास ऋण दरों को 25-75 आधार बिन्दुओं तक बढ़ा दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने 29 नवम्बर, 2004 से आवास ऋण पर ब्याज दर को स्थायी ब्याज दर के क्रम में 0.50 प्रतिशत बिन्दु तक तथा स्थायी ब्याज दर के संबंध में 0.25-0.50 प्रतिशत बिन्दु तक बढ़ा दिया है। आईसीआईसीआई बैंक ने 16 नवम्बर, 2004 से अपने आवास ऋण पर स्थायी दर के लिए 0.75 प्रतिशत बिन्दु तक तथा अस्थायी दर के लिए 0.50 प्रतिशत बिन्दु तक बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त एचडीएफसी ने स्थायी दरों को परिवर्तित किए बिना 20 नवम्बर, 2004 से आवास ऋण के अस्थायी दर को 0.50 प्रतिशत बिन्दु बढ़ा दिया है।

(ङ) प्रचलित व्यष्टि आर्थिक एवं सम्पूर्ण मौद्रिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को बढ़ा दिया है।

विशेष कृषि ऋण परियोजना

537. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक ने गैर-पारम्परिक औषधीय, खुशबूदार तथा हर्बल फसलों की खेती करने के लिए राजस्थान के किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष कृषि ऋण परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना से राजस्थान के किसानों को कितना लाभ होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानिमनिक्कम): (क) से (ग) पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने राजस्थान में औषधीय, खुशबूदार एवं हर्बल फसलों जैसी गैर-पारम्परिक फसलों की खेती के लिए किसी विशेष कृषि ऋण परियोजना की शुरूआत नहीं की है। तथापि, पी. एन. बी. राजस्थान में औषधीय, खुशबूदार एवं हर्बल फसलों जैसी गैर-पारम्परिक फसलों की खेती के लिए किसान गोष्ठियों एवं क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से किसानों को प्रोत्याहन करता रहा है ताकि उन्हें कृषि में विविधिकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न लाभ मिल सके। बैंक ने राजस्थान में किसानों द्वारा हर्बल/ औषधीय पौधों की खेती के लिए अब तक 36.25 लाख रुपए का वित्तपोषण किया है।

नोटेरी पब्लिक के अतिरिक्त पदों का सृजन

538. श्री श्रीनिवास दादा साहेब पाटील: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का प्रस्ताव देश के विभिन्न भागों में नोटेरी के अतिरिक्त पद सृजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो केंद्र सरकार द्वारा जनसंख्या के लिए एक नोटेरी नियुक्त किया जाता है;

(ग) क्या नोटेरियों द्वारा मांगी जाने वाली भारी फीस की ओर केंद्र सरकार का ध्यान गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव नोटेरियों द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिए उनके द्वारा ली जाने वाली फीस को मानकीकृत करने का है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी नहीं।

(ख) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटेरियों का कोटा/अधिकतम संख्या को नोटेरी नियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं। किसी नोटेरी द्वारा कई नोटेरी संबंधी कार्य करने के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस को पहले ही नोटेरी नियमों में विनिर्दिष्ट कर दिया गया है।

आईटीएस के स्वयं के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए फार्मासिल बनाना

539. श्री अधीर चौधरी:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भेषज निर्यातक कैमिक्सिल अथवा फार्मासिल निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकृत हो सकते हैं;

(ख) इन दोनों निर्यात संवर्द्धन परिषदों के भेषज निर्यातक की अलग-अलग से कितनी सदस्यता है;

(ग) निर्यात संवर्द्धनों/फोरमों के सृजन हेतु बनाए गए इसके अपने दिशा-निर्देशों का उल्लघंन करते हुए फार्मासिल के सृजन को सूचित करने में सरकार की कार्यवाही का क्या औचित्य है;

(घ) भेषज उद्योग के कुल 25 प्रतिशत से कम निर्यात करने वाले हैदराबाद में फार्मासिल का मुख्यालय बनाये जाने का क्या औचित्य है;

(ङ) क्या सरकार मुख्यालय को हैदराबाद से अन्य महानगर में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है; और

(च) कैमेक्सिल के उन सदस्यों की प्रतिशतता कितनी है जिन्होंने फार्मासिल बनाने की अर्जी दी है और निर्यातकों की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन): (क) डीजीएफटी की अधिसूचना के अनुसार, आरसीएमसी प्राप्त करने के इच्छुक किसी भेषज निर्यातक को फार्मेक्सिल में आवेदन करना होगा। तथापि, निर्यातक के पास इसके अतिरिक्त किसी अन्य निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता लेने का विकल्प है।

(ख) कैमेक्सिल के पास 2147 भेषज निर्यातक हैं जबकि फार्मेक्सिल के पास लगभग 400 सदस्य हैं।

(ग) परिषद को उक्त उद्योग द्वारा 3.00 करोड़ रुपए की संग्रह निधि जुटाने के मानदंड को पूरा करने के बाद अधिसूचित किया गया था। इसमें दिशा-निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इस क्षेत्र के विकास का लाभ उठाने के लिए औषधियों एवं भेषजों के निर्यात संवर्धन हेतु ईपीसी की स्थापना की गई है।

(घ) मुख्यालय के स्थान के रूप में हैदराबाद को चुनना उद्योग का निर्णय था और यह निर्णय सरकार द्वारा नहीं थोपा गया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) अलग परिषद का गठन करने के लिए कैमेक्सिल को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन

540. प्रो. चन्द्र कुमार: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजनीति में विद्यमान भ्रष्टाचार के मद्देनजर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के संबंध में आचार संहिता बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ङ) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के निर्णयों से और भारत निर्वाचन आयोग, भारत के विधि आयोग और अन्य निकायों की सिफारिशों से प्रकट होने वाले निर्वाचन सुधार संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। तथापि, निर्वाचन विधियों में सुधार की प्रक्रिया एक सतत और जारी रहने वाली प्रक्रिया है और इसे केवल राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति द्वारा ही लागू किया जा सकता है और इस कार्य में समय लगता है। अत: इस संबंध में कोई समय-सीमा उपदर्शित नहीं की जा सकती है।

पीतल से बनी वस्तुओं का निर्यात

541. श्री सुरेश चन्देल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प से बनी कुल कितनी पीतल की वस्तुओं का निर्यात किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ग) सरकार द्वारा हस्तशिल्प से बनी पीतल की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) पीतल पात्र सहित हस्तशिल्प पर परिमणवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान पीतल-पात्र सहित कलात्मक धातु पात्रों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नलिखितानुसार है:-

वर्ष	निर्यात (लाख रुपये में)
2001-02	1460.74
2002-03	2114.84
2003-04	2642.42

(ग) पीतल पात्र सहित हस्तशिल्प के निर्यात संवर्धन हेतु उठाए गए कदमों में, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों एवं विदेशों में होने वाली प्रदर्शनियों में भाग लेना; क्रेता-विक्रेता बैठकों, नई दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प उपहार मेले का आयोजन, विदेशों में प्रचार; बाजार मांग के अनुसार उत्पादों का विकास; निर्यातकों के मध्य विपणन आसूचना का प्रचार-प्रसार,; निर्यात प्रक्रियाओं, पैकेजिंग सहित विपणन पर संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन तथा ग्रेटर नोएडा में इण्डिया एक्सपोजीशन मार्ट की स्थापना करना, शामिल है।

भारत को-आपरेटिव बैंक में अनियमितताएं

542. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत को-आपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं और कदाचारों की जानकारी है;

(ख) क्या जनप्रतिनिधियों ने भी सरकार को भारत को-आपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा की जा रही विभिन्न अनियमितताओं और कदाचार के बारे में बताया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें बैंक के प्रबंधन के विरुद्ध कुछ आरोपों का उल्लेख किया गया है। 31 दिसम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में इसका अंतिम निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान इन आरोपों की भी जांच की गई थी।

(ख) जनता के प्रतिनिधि तथा इसके साथ-साथ सहकारी बैंक कर्मचारी संघ ने भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में बैंकिंग क्षेत्रों से संबंधित कुछ आरोप एवं प्रबंधन द्वारा कदाचार के मामले लाए हैं।

(ग) से (ङ) सांविधिक निरीक्षण से पता चला है कि सीआरएआर, निवल एन पी ए, सी आर आर एवं एस एल आर का अनुपालन तथा लाभप्रदता के संबंध में बैंक की समग्र वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक थी। तथापि, निरीक्षण से ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन में तथा कुछ नकदी ऋण खातों आदि में अधिक राशि के आहरण समेत अग्रिमों के संवितरणोंत्तर पर्यवेक्षण में कुछ कमियों का पता चला है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों को दूर करने की सलाह दी गई थी। सांविधिक निरीक्षण के दौरान उस समय तक के आरोपों की भी जांच की गई थी तथा यह पाया गया कि कुछ प्रक्रिया संबंधी गलतियां थी जिनके लिए बैंक को उपचारात्मक उपाय करने की सलाह दी गई थी। तथापि, निष्कर्षों में कुछ कपटपूर्ण नहीं पाया गया।

इसके अतिरिक्त 22-23 नवम्बर, 2004 को बैंकिंग से जुड़े क्षेत्रों से संबंधित आरोपों की जांच करने के लिए एक संवीक्षा की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों पर यथा समय उचित कार्रवाई की जाएगी।

देश में कार्यरत बैंक

543. **श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:**
श्री थावरचन्द गेहलोत:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत बैंकों की शाखाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बैंकों की शाखाएं खोल रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों में वर्तमान में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का 30.9.2004 की स्थिति के अनुसार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति के अनुसार, कुछ कारकों यथा कारोबार की संभाव्यता, लाभप्रदता, अवसंरचना सुरक्षा आदि पर विचार करते हुए देश के किसी भी क्षेत्र में अतिरिक्त शाखाएं खोलने की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए बैंकों को स्वयं के विवेक पर छोड़ दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करता है और ऐसे अनुरोधों को प्राथमिकता देता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वर्ष में 1.4.04 से 31.10.04 के दौरान ग्रामीण केन्द्रों पर शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को 43 प्राधिकार-पत्र जारी किए हैं।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 30 सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संख्या
1	2	3
1.	अण्डमान और निकोबार	33
2.	आन्ध्र प्रदेश	5323
3.	अरूणाचल प्रदेश	66
4.	असम	1225
5.	बिहार	3568
6.	चण्डीगढ़	193
7.	छत्तीसगढ़	1043
8.	दादरा और नागर हवेली	12
9.	दमन और दीव	16
10.	दिल्ली	1586
11.	गोवा	335
12.	गुजरात	3676
13.	हरियाणा	1635

1	2	3
14.	हिमाचल प्रदेश	787
15.	जम्मू ब कश्मीर	850
16.	झारखण्ड	1477
17.	कर्नाटक	4895
18.	केरल	3459
19.	लक्षद्वीप	9
20.	मध्य प्रदेश	3472
21.	महाराष्ट्र	6400
22.	मणिपुर	76
23.	मेघालय	181
24.	मिजोरम	78
25.	नागालैण्ड	71
26.	उड़ीसा	2253
27.	पाण्डिचेरी	84
28.	पंजाब	2667
29.	राजस्थान	3375
30.	सिक्किम	50
31.	तमिलनाडु	4790
32.	त्रिपुरा	180
33.	उत्तर प्रदेश	8238
34.	उत्तरांचल	871
35.	पश्चिम बंगाल	4475
	अखिल भारत	67449

स्वायत्तशासी निकायों के अनअंकेक्षित खाते

544. श्री विजय कृष्ण: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वयत्तशासी निकायों को करोड़ों रुपए की राशि जारी की गई है, और संबंधित मंत्रालयों द्वारा जारी की गई राशि के संबंध में सूचना नहीं दी गई है जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा इनका अंकेषण नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालयों द्वारा स्वायत्तशासी निकायों को जारी की गई राशि के संबंध में सूचना नहीं देने के क्या कारण हैं, और यह धनराशि किन उद्देश्यों के लिए जारी की गई थी;

(ग) उन निकायों का मंत्रालयवार ब्यौरा क्या है जिन्हें ये धनराशियां जारी गई और कितनी-कितनी धनराशियां जारी की गई; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित किए बिना ही पिछले अनुदानों का समुचित उपयोग कर लिया गया है, और नए अनुदान जारी किए गए हैं, और सरकार का विचार उन मंत्रालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

कृषि क्षेत्र के लिए योजनागत निधियों का कम उपयोग

545. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र के लिए योजनागत निधियों की उपयोगिता दर कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए योजनागत संसाधनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस .एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गृहस्वामियों द्वारा आय से अधिक मूल्य के भव्य मकानों की खरीद

546. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शहरी और बड़े शहरों से लगे क्षेत्रों में गृहस्वामियों द्वारा अपनी आय से अधिक मूल्य के भव्य

मकानों की खरीद का पता लगाने तथा तत्संबंधी सर्वेक्षण कराने और योजना तैयार करने का है ताकि ऐसी गतिविधियों के लिए आय के स्त्रोतों का पता लगाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे चूककर्ताओं से कर योग्य बकाए की वसूली के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) आयकर विभाग उन उपयुक्त मामलों में सर्वेक्षण/तलाशी करता है जिनमें आय के घोषित स्त्रोतों से अधिक आय की परिसम्पत्तियां विभाग की जानकारी में आती हैं। इस समय शहरी क्षेत्रों और बड़े शहरों से लगे क्षेत्रों में आलीशान मकानों के स्वामियों की आय से अधिक परिसम्पत्तियों की जांच करने के निमित्त कोई विशेष योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार को विशेष योजना सहायता

547. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बिहार राज्य के लिए तीन वर्षों से अधिक के लिए 3,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना सहायता को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता किन परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने जिन परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए विशेष सहायता योजना के तहत सरकार द्वारा धनराशि आबंटित की है उनके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने तथा यह देखने के लिए कि आबंटित धनराशि उन्हीं परियोजनाओं/कार्यक्रमों पर ही खर्च की जाए तथा अन्य परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए प्रयुक्त नहीं की जाए कोई तंत्र स्थापित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का किस तरीके से उक्त आकलन करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) अभी तक कार्यान्वयन के लिए अभिनिर्धारित स्कीमें/कार्यक्रम मिलियन शैलो ट्यूबवेल कार्यक्रम, उप-ट्रांसमीशन प्रणाली को सुदृढ़ करना, पूर्वी गंडक नहर की मरम्मत, राज्य राजमार्गों का विकास, बागवानी का विकास, एकीकृत जलसंभरण कार्यक्रम और एकीकृत सामुदायिक आधारित वन प्रबंधन हैं।

(ग) और (घ) अलग-अलग स्कीमों का कार्यान्वयन संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय/चिह्नित कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी द्वारा संचालित किया जाना है। स्कीमों/कार्यक्रमों की प्रगति की नियतकालिक समीक्षा की जिम्मेदारी योजना आयोग की है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बैंकों का विलय

548. श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री पी. के. वासुदेवन नायर:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन बैंक एसोसिएशन (आई. बी. ए.) द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विलय संबंधी अध्ययन हेतु किसी समेकन समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी बैंकों को ''क्रिपिंग रूट'' के माध्यम से भारतीय बैंकों में अपनी हिस्सेदारी प्रतिवर्ष दस प्रतिशत बढ़ाने की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश बनाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पालानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। आईबीए के तत्कालीन अध्यक्ष श्री लीलाधर की अध्यक्षता में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में समेकन से संबंधित एक कार्यदल को जुलाई 2004 में बैंक विलय से संबद्ध कानूनी विनियम एवं अन्य मुद्दों का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था। हालांकि समेकन को सुकर बनाने के लिए दीर्घकालिक उपाय के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निगमीकरण की सलाह दी गई थी, फिर भी इस कार्यदल ने भी उपाय सुझाए थे जिनकी जांच विद्यमान कानूनी एवं विनियामक रूपरेखा के तहत की जा सकती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भेषज कंपनियां

549. **श्री दलपत सिंह परस्ते:**
मो. मुकीम:
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शीर्ष की भेषज कंपनियों अपनी सहयोगी/सहायक कंपनियों के साथ लाइसेंस प्रबंधों के माध्यम से धन का अन्यत्र प्रयोग कर रही थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कंपनियों के क्या नाम है;

(ग) क्या सिप्ला, रैनबैक्सी, डा. रेड्डी, सन-फार्मा, निकोलस पिरामल, टोरेंट, यू. एस. विटामिन्स, कैडिला हैल्थ केयर, कैडिला फर्मास्यूटिकल्स, आर पी सी ए ल्यूपिन, वोकहार्डट यूनीकैम, अरबिन्दों ग्लैनमार्क जैसी कंपनियों की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों का विश्लेषण नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार मामले की जांच करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) भेषक कम्पनियों द्वारा अपनी सहयोगी/सहायक कम्पनियों के साथ लाइसेंस प्रबंधों के माध्यम से निधि का अन्यत्र प्रयोग की इस मंत्रालय के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) भाग (ग) में, सभी सूचीबद्ध कम्पनियों की लागत लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 (ख) के अंतर्गत की जाती है। पूछी गई कम्पनियां जिनके लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रीय भेषज मूल्य प्राधिकरण तथा व्यय विभाग को उनके विश्लेषण/अध्ययन के लिए भेजा गया है का एक विवरण एतद्द्वारा संलग्न है।

(ङ) और (च) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 (ख) की अनुपालना कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय भेषज मूल्य प्राधिकरण/व्यय विभाग इस मंत्रालय से लागत/मूल्य संबंधित अध्ययन के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टें प्राप्त कर रहे हैं।

जब कभी निधि के अन्यत्र इस्तेमाल का पता चलता है और जांच की जानी होती है तो सरकार कानून के उपबन्धों के अनुसार जांच करती है।

विवरण

लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट की पुनरीक्षा पर चुनिंदा भेषज कम्पनियों की स्थिति

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	जिनको लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट भेजी गई हैं	वर्ष के लिए
1	2	4	5
I.	**भारी औषध के लिए**		
1.	सिपला लिमिटेड	एनपीपीए*	2002-03
2.	रैनबैक्सी लैबोरेटरीज लिमिटेड	एनपीपीए	2002-03
3.	डा. रेड्डी लैब्स लिमिटेड	एनपीपीए	2002-03
4.	निकोलश पिरामल इण्डिया लिमिटेड	एनपीपीए	2002-03
5.	कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड	एनपीपीए	2002-03
6.	कैडिला फार्मास्युटिक्लस लिमिटेड	एनपीपीए	2002-03
7.	आई पी सी ए लैब्स लिमिटेड	एनपीपीए	2002-03
8.	युनिकेम लैबोरेटरीज लिमिटेड	एनपीपीए	2002-03

1	2	4	5
9.	अरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	एनपीपीए	2002-03
II.	**सूत्रीकरण के लिए**		
1.	सिपला लिमिटेड	व्यय विभाग	31.03.03
2.	डा. रेड्डीज लैब्स लिमिटेड	व्यय विभाग	31.03.03
3.	सन फार्मा लिमिटेड	व्यय विभाग	31.03.03
4.	निकोलश पिरामल इण्डिया लिमिटेड	व्यय विभाग	31.03.03
5.	टौरैन्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड	व्यय विभाग	31.03.03
6.	यू एस व्ही लिमिटेड	व्यय विभाग	31.03.03
7.	कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड	व्यय विभाग	31.03.03
8.	कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	व्यय विभाग	31.03.03
9.	आई पी सी ए लैब्स लिमिटेड	व्यय विभाग	31.03.03
10.	युनिकेम लैबोरेटरीज लिमिटेड	व्यय विभाग	31.03.03

*राष्ट्रीय भेषज मूल्य प्राधिकरण

हरियाणा के लिए अलग उच्च न्यायालय

550. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हरियाणा के लिए अलग उच्च न्यायालय के गठन के संबंध में कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हरियाणा के लिए अलग उच्च न्यायालय का गठन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (घ) हरियाणा के लिए पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना, चंडीगढ़ से इसकी राजधानी के स्थानांतरण पर और साथ ही हरियाणा के भीतर नए उच्च न्यायालय के लिए अवसंरचना विकसित किए जाने पर भी निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

मतदाता सूचियों में संशोधन

551. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चुनाव आयोग ने देशव्यापी मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए पहली बार डाकघरों की सेवाएं लेने का निर्णय किया है और इसके लिए उन्हें मैनपॉवर उपलब्ध कराई जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मतदाता सूचियों के कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) जी हां। भारत निर्वाचन आयोग ने यह सूचना दी है कि उसने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य करने में देश भर के डाकघरों को भी सहबद्ध करने का विनिश्चय किया है और उस प्रयोजन के लिए विस्तृत प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित किए हैं। स्कीम के अधीन डाकघरों की ''अभिहित अवस्थानों'' के रूप में पहचान की गई है, जहां प्रारूप मतदाता सूचियां प्रकाशित की जा सकती हैं और जनता के फायदे के लिए प्रदर्शित की जा सकती हैं। डाकघर इस प्रयोजन के लिए विभिन्न प्ररूप रखेंगे और उन्हें जनता को नि:शुल्क प्रदान करेंगे। वे व्यष्टियों या उसके परिवार के सदस्यों से भरे हुए आवेदन प्ररूप भी प्राप्त करेंगे, किंतु थोक में आवेदन प्राप्त नहीं करेंगे। डाकिया अपने इलाके में घूमते समय इस बात को अभिनिश्चित करेगा कि विभिन्न प्ररूपों में व्यष्टियों द्वारा दिया गया ब्यौरा एक दूसरे से मेल खाता है अथवा नहीं।

(ग) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के कार्यक्रमों के बारे में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण-कार्यक्रम-2005

30.11.2004 को यथाविद्यमान

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	पुनरीक्षण का प्रकार	पुनरीक्षण का स्तर						
			घर-घर का सर्वेक्षण	पांडुलिपि तैयार करना, पांडुलिपि का 2004 के पहले की मतदाता सूची के सुसंगत भागों से मिलान, नए मतदाताओं की डाटा विशिष्ट और डाटा बेस के संबंध में जब भी आवश्यक हो, संशोधन करना, चेक लिस्ट निकालना, उसका मिलान और प्रारूप सूची का मुद्रण। मतदाता सूचियों तथा प्रारूप 6, 7, 8, 8क का क्षेत्र के प्रभारों को प्रदाय	प्रारूप प्रकाशन की तारीख	दावे और आपत्तियां फाइनल करने की अवधि और ग्राम सभा/शहरी स्थानीय निकायों और रैजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठकों आदि में मतदाता सूची के सुसंगत भाग/खंड का पठन	दावों और आपत्तियों का निपटान	मतदाता सूचियों में जोड़ने, उसमें से लोप करने और उनमें संशोधन करने वाली पूरक मतदाता सूची तैयार करने और उनको मुद्रित करने की तारीख	मतदान सूचियों के अंतिम प्रकाशन की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरूणाचल प्रदेश	गहन	अक्तूबर, 2004 में कराए गए विधान सभा निर्वाचनों के कारण पुनरीक्षण को स्थगित किया गया। कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।						
2.	असम (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 115 को छोड़कर)	गहन	1.10.2004 से 25.11.2004 (कामरूप जिले को छोड़कर)	26.11.2004 से 5.4.2005	7.4.2005	7.4.2005 से 21.4.2005	12.5.2005	30.5.2005	31.5.2005
	कामरुप जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 और 55	गहन	1.10.2004 से 2.12.2004	3.12.2004 से 5.4.2005	7.4.2005	7.4.2005 से 21.4.2005	12.5.2005	30.5.2005	31.5.2005
	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 115	गहन	18.1.12004 से 20.12.2004	21.12.2004 से 5.4.2005	7.4.2005	7.4.2005 से 22.4.2005	12.5.2005	30.5.2005	31.5.2005
3.	जम्मू-कश्मीर @विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 25, 46, 64, 79 को छोड़कर)	गहन	2.8.2004 से 3.9.2004	4.9.2004 से 28.10.2004	31.12.2004	31.12.2004 से 31.1.2005	23.2.2005	10.3.2005	13.3.2005
4.	मणिपुर @विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 18 को छोड़कर)	गहन	1.10.2004 से 30.10.2004	1.11.2004 से 21.12.2004	22.12.2004	22.12.204 से 15.1.2005	7.2.2005	21.2.2005	24.2.2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	मेघालय	गहन	5.10.2004 से 19.11.2004	20.11.2004 से 20.12.2004	21.12.2004	22.12.2004 से 24.1.2005	21.2.2005	15.3.2005	21.3.2005
6.	मिजोरम	गहन	2.8.2004 से 3.10.2004	4.1.2004 से 28.11.2004	20.12.2004	20.12.2004 से 10.1.2005	9.2.2005	28.2.2005	1.3.2005
7.	नागालैंड	गहन	1.9.2004 से 10.10.2004	11.10.2004 से 30.1.2005	31.1.2005	1.2.2005 से 15.2.2005	28.2.2005	15.3.2005	20.3.2005
8.	त्रिपुरा	गहन	3.9.2004 से 14.10.2004	15.10.2004 से 13.12.2004	14.12.2004	14.12.2004 से 31.12.2004	21.1.2005	9.2.2005	10.2.2005

@जहां अक्तूबर, 2004 में उपनिर्वाचन कराए गए थे। कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण-कार्यक्रम--2005

30.11.2004 को यथाविद्यमान

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	पुनरीक्षण का प्रकार	पुनरीक्षण का स्तर					
			प्रारूप प्रकाशन की तारीख	दावे और आपत्तियां पहल करने की अवधि और ग्राम सभा/शहरी स्थानीय निकायों और रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठकों आदि में मतदाता सूची के सुसंगत भाग/खंड का पठन	सभी अभिहित स्थानों पर दावों और आक्षेपों को ग्रहण करने के लिए विशेष अभियान की तारीखें	दावों और आपत्तियों का निपटान	मतदाता सूचियों में जोड़ने, उनमें से लोप करने और उनमें संशोधन करने वाली पूरक मतदाता सूची तैयार करने और उसको मुद्रित करने की तारीख	मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 213, 220 को छोड़कर)	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	15.9.2004	15.9.2004 और 15.10.2004 के बीच	25 और 26.9.2004, 9 और 10.10.2004	1.12.2004	31.12.2004	3.1.2005
	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 213, 220		16.11.2004	16.11.04 और 10.12.04 के बीच	20 और 21.11.2004, 4 और 5.12.2004	31.12.2004	17.1.2005	21.1.2005
2.	बिहार (17 जिलों** को छोड़कर) और (21-माधेपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-विधान सभा संगमेंट संख्या 115, 116, 120 से 123 को छोड़कर)	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	15.9.2004	30.10.2004 तक	18 और 19.9.2004, 9 और 10.10.2004	1.12.2004	31.12.2004	3.1.2005
	17 जिले**		15.10.2004	23.11.2004 तक	16 और 17.10.2004, 6 और 7.11.2004	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-मधेपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-विधान सभा सेगमेंट संख्या 115, 116, 120 से 123		27.10.2004	23.11.2005 तक	30 और 31.10.2004, 6 और 7.11.2004	1.12.2004	31.12.2004	3.1.2005
3.	छत्तीसगढ़	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	7.2.2005	7.2.2005 28.2.2005	12, 13, 19 और 20 फरवरी, 2005	31.3.2005	4.4.2005	11.4.2005
4.	गोवा (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 40 को छोड़कर)	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	15.9.2004	15.9.2004 और 15.10.2004 के बीच	1.12.2004 25 और 26.9.2004, 9 और 10.10.2004	31.12.2004	3.1.2005	
	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 40		16.11.2004	16.11.2004 और 10.12.2004 के बीच	20 और 21.11.2004, 4 और 5.12.2004	31.12.2004	17.1.2005	21.1.2005
5.	गुजरात (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 29, 103, 138, 164, 179 को छोड़कर)	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	15.9.2004	15.9.2004 और 15.10.2004 के बीच	18 और 19.9.2004, 9 और 10.10.2004	1.12.2004	31.12.2004	3.1.2005
	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 29, 103, 138, 164, 179		16.11.2004	16.11.2004 और 10.12.2004 के बीच	20 और 21.11.2004, 4 और 5.12.2004	31.12.20004	17.1.2005	3.1.2005
6.	हरियाणा (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 8 और 38 को छोड़कर)	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	15.9.2004	15.9.2004 और 15.10.2004 के बीच	18 और 19.9.2004, 9 और 10.10.2004	1.12.2004	31.12.2004	3.1.2005
	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 8 और 38-फोटो सहित नामावलियों का मुद्रण		29.9.2004	29.9.2004 और 29.10.2004 के बीच	6, 7, 23 और 24.10.2004	6.12.2004	31.12.2004	3.1.2005
7.	हिमाचल प्रदेश (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 1 और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 37 को छोड़कर)	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	15.9.2004	15.9.2004 और 15.10.2004 के बीच	18 और 19.9.2004, 9 और 10.10.2004	1.12.2004	31.12.2004	3.1.2005
	1- किन्नौर (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र		16.12.2004	16से 31.12.2004	-	31.1.2005 तक	-	15.2.2005
	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 37		16.11.2004	16.11.2004 और 10.12.2004 के बीच	20 और 21.11.2004, 4 और 5.12.2004	31.12.2004	17.1.2005	21.1.2005
8.	झारखंड	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	15.9.2004	30.10.2004 तक	18 और 19.9.2004, 9 और 10.10.2004	1.12.2004	31.12.20004	3.1.2005
9.	कर्नाटक (8 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सं. 1 को छोड़कर)	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	15.9.2004	15.9.2004 और 15.10.2004 के बीच	19 और 26.9.2004, 3, 9 और 10.10.2004	23.12.2004	23.2.2005	28.2.2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	$नगर निगम	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	1.10.2004	1.10.2004 और 23.11.2004 के बीच	9 और 10.10.2004, 17 और 24.10.2004	23.12.2004	23.2.2005	28.2.2005
	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सं. 1-बीदर के भीतर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	16.11.2004	16.11.2004 और 10.12.2004 के बीच	20 और 21.11.2004, 4 और 5.12.2005	-	11.12.2004 और 27.02.2005 के बीच	28.02.2005
10.	केरल	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	15.9.2004	15.9.2004 और 30.10.2004 के बीच	18 और 19.9.2004, 9 और 10.10.2004	1.12.2004	31.12.2004	3.1.2005
11.	मध्य प्रदेश	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	7.2.2005	7.2.2005 28.2.2005	12, 13, 19 और 20 फरवरी, 2005	21.3.2005	4.4.2005	11.4.2005
12.	महाराष्ट्र	संक्षिप्त पुनरीक्षण	अक्तूबर, 2004 में कराए गए विधान सभा निर्वाचनों के कारण पुनरीक्षण को स्थगित किया गया। कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।					
13.	उड़ीसा	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	15.9.2004	15.9.2004 और 15.10.2004 के बीच	18 और 19.9.2004, 9 और 10.10.2004	1.12.2004	31.12.2004	3.1.2005
14.	पंजाब (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 20, 41, 45 को छोड़कर)	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	15.9.2004	15.9.2004 और 15.10.2004 के बीच	18 और 19.9.2004, 9 और 10.10.2004	1.12.2004	31.12.2004	3.1.2005
	विधान सभा सं. 41 और 45		16.11.2004	16.11.2004 और 10.12.2004 के बीच	20 और 21.11.2004, 4 और 5.12.2004	31.12.2004	17.1.2005	21.1.2005
	विधान सभा सं. 20		28.1.2005	29.1.2005 और 18.2.2005 के बीच	-	18.3.2005	18.4.2005	25.4.2005
15.	राजस्थान	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	7.12.2004	7.12.2004 और 21.12.2004 के बीच	18 और 19.12.2004	15.3.2005	30.3.2005	31.3.2005
16.	सिक्किम	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	15.9.2004	15.9.2004 और 15.10.2004 के बीच	18 और 19.9.2004, 9 और 10.10.2004	1.12.2004	31.12.2004	3.1.2005
17.	#तमिलनाडु	कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।						
18.	उत्तरांचल (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 45 को छोड़कर)	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	15.9.2004	15.9.2004 और 15.10.2004 के बीच	18 और 19.9.2004, 9 और 10.10.2004	1.12.2004	31.12.2004	3.1.2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	विधान सभा क्षेत्र सं. 45		16.11.2004	16.11.2004 और 10.12.2004 के बीच	20 और 21.11.2004, 4 और 5.12.2004	31.12.2004	17.1.2005	21.1.2005
19.	उत्त प्रदेश (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सं. 23, 65 के अंतर्गत आने वाले 10 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 69, 120, 124, 144, 220, 235, 252, 261, 356, 359, 372, 394 को छोड़कर, जहां उप निर्वाचन के कारण पुनरीक्षण को स्थगित किया था)	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	15.9.2004	15.9.2004 और 15.10.2004 के बीच	18 और 19.9.2004, 9 और 10.10.2004	15.12.2004	17.1.2005	20.1.2005
	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 69, 120, 124, 144, 220, 235, 261, 256, 359, 372 और 394		16.11.2004	16.11.2004 और 10.12.2004 के बीच	20 और 21.11.2004, 4 और 5.12.2004	31.12.2004	17.1.2005	21.1.2005
	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सं. 23 के अधीन आने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 113, 114, 115, 116 और 117, ससंदीय निर्वाचन क्षेत्र सं. 65 के अधीन आवे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 321, 322, 324, 325 और 326 और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 252 (कुल 11 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सं. 23 और 65 में दिसंबर, 2004 में कराए जाने वाले उप निर्वाचन के पश्चात् कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जना है।						
20.	पश्चिमी बंगाल (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 21, 25, 141, 142, 153 को छोड़कर)	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	15.9.2004	15.9.2004 और 15.10.2004 के बीच	18 और 19.9.2004, 9 और 10.10.2004	1.12.2004	31.12.2004	3.1.2005
	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 84 से 86, 93 से 98 और 87			8.11.2004 तक				
	विधान सभा निर्बाचन क्षेत्र सं. 21, 25, 141, 142, और 153		16.11.2004	16.11.2004 और 10.12.2004 के बीच	20 और 21.11.2004, 4 और 5.12.2004	31.12.2004	17.1.2005	21.1.2005
21.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	15.9.2004	15.9.2004 और 15.10.2004 के बीच	18 और 19.9.2004, 9 और 10.10.2004	1.12.2004	31.12.2004	3.1.2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	चंडीगढ़	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	15.9.2004	15.9.2004 और 15.10.2004 के बीच	18 और 19.9.2004, 9 और 10.10.2004	31.1.2005	10.2.2005	15.2.2005
23.	दमन और दीव	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	15.9.2004	15.9.2004 और 15.10.2004 के बीच	18 और 19.9.2004, 9 और 10.10.2004	1.12.2004	31.12.2004	3.1.2005
24.	दादरा और नगर हवेली	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	15.9.2004	15.9.2004 और 15.10.2004 के बीच	18 और 19.9.2004, 9 और 10.10.2004	1.12.2004	31.12.2004	3.1.2005
25.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र,	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	10.1.2005	10.1.2005 और 10.2.2005 के बीच	15 और 16.1.2005, 29 और 30.1.2005	31.3.2005	29.4.2005	30.4.2005
26.	लक्षद्वीप	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	15.9.2004	15.9.2004 और 15.10.2004 के बीच	18 और 19.9.2004, 9 और 10.10.2004	1.12.2004	31.12.2004	3.1.2005
27.	पांडिचेरी	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	17.1.2005	15.2.2005 तक	29 और 30.1.2005, 12 और 13.2.2005	31.3.2005	15.4.2005	18.4.2005

** बिहार राज्य में पुर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपोल, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर मधुबनी, पूर्वी चंपारन, पश्चिमी चंपारन, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, खगरिया और बेगुसराय जिले।

$ बंगलौर, हुबली-धारवाड़, मैसूर, मंगलौर, बेलगाम और गुलबर्गा के नगर निगम क्षेत्र तथा बंगलौर जिले के तीन विधान सभा खंड।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 1 से 14, 17 से 20, 88 से 91, 104 से 107, 141 से 145, 165 से 168 और 218-219 में गहन, जो अंशत: या पूर्ण रूप से चेन्नई, तिरूवल्लूर, कांचीपुरम, सालम, कोयम्बटूर, तिरूचिरापल्ली, मदुरै और तिरूनेलवल्ली जिलों के नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। शेष क्षेत्रों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है।

न्यायालयों में लंबित मामले

552. **श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद:**
श्री सूरज सिंह:
श्री रमाकान्त यादव:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री पी. करुणाकरन:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री अजीत जोगी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में दीवानी, फौजदारी तथा सेवा से संबंधित मामले पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अदालतवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का अधिक समय से लंबित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए क्या प्रावी कदम उठाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति की सावधिक रूप से मानीटर करती रही है। लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए किए गए उपायों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को समय से भरा जाना, न्यायधीशों की संख्या में वृद्धि करना, विधि के समान प्रश्नों वाले मामलों को समूहबद्ध करना, विशेषज्ञ

न्यायपीठों का गठन करना, नियमित अंतरालों पर लोक अदालतें आयोजित करना, बातचीत, मध्यस्थता और माध्यस्थम जैसे विवाद समाधान के वैकल्पिक ढंगों को प्रोत्साहन देना और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों, राज्य प्रशासनिक अधिकरणों, आयकर अपील अधिकरणों जैसे विशेष अधिकरणों, कुटुंब न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, आदि की स्थापना करना सम्मिलित है।

विवरण

तारीख 1.7.2004 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या 1943 है।

उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की वर्षवार संख्या

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	सिविल मामले	दांडिक मामले	योग	निम्नलिखित तारीख को
1.	इलाहाबाद	466851	88568	555419	30.6.04
2.	आन्ध्र प्रदेश	36803	1017	37820	30.6.04
3.	बम्बई	119690	12296	131986	30.6.04
4.	कलकत्ता	115969	29809	145778	30.6.03
5.	दिल्ली	36288	3270	39558	31.12.03
6.	गुजरात	54938	11191	66129	31.3.04
7.	गुवाहाटी	3439	516	3955	31.12.02
8.	हिमाचल प्रदेश	2192	428	2620	30.6.04
9.	जम्मू-कश्मीर	3630	217	3847	30.6.04
10.	कर्नाटक	4813	589	5402	31.9.04
11.	केरल	19113	3212	22325	31.3.04
12.	मद्रास	37022	2165	39187	30.6.04
13.	मध्य प्रदेश	23882	19721	43603	30.6.04
14.	उड़ीसा	49524	4004	53528	30.6.04
15.	पटना	11066	1831	12897	31.3.04
16.	पंजाब और हरियाणा	94899	11367	106266	30.6.04
17.	राजस्थान	45428	13148	58576	30.6.04
18.	सिक्किम	0	0	0	30.9.04
19.	उत्तरांचल	12004	1884	13888	30.6.04
20.	झारखंड	–	–	–	उपलब्ध नहीं
21.	छत्तीसगढ़	–	–	–	उपलब्ध नहीं
	योग	1137551	205233	1342784	

कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में प्रगति

553. **श्री सूरज सिंह:**
श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री बी. विनोद कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले ऋण की प्रगति की समीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अगस्त 2004 तक हुई प्रगति की समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ सभी बैंकों के अध्यक्षों की भारतीय बैंक संघ की बैठक बुलाने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा क्या इस बारे में सभी बैंक प्रबंधकों को भी उत्तरदायी माना जाएगा;

(ङ) क्या सरकार का विचार किसानों को ऋण देते समय कृषि विशेषज्ञों की सेवाएं लेने का हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) अपेक्षिक लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहने तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का पालन न करने वाले बैंकों के विरूद्ध सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (छ) तीन वर्षों में कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के ऋण प्रवाह को दोगुना करने के लिए और वर्ष 2004-05 के दौरान संवितरण में 30 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने के लिए 18.6.2004 को सरकार द्वारा की गई घोषणा के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की सरकार और नाबार्ड द्वारा नियमित आधार पर समीक्षा की जा रही है। किसानों को ऋण संवितरण में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, नाबार्ड भारतीय रिजर्व बैंक और आईबीए के मुख्य कार्यपालकों के साथ 9.9.2004 को वित्त मंत्री द्वारा एक बैठक भी बुलाई गई थी। इसके बाद नाबार्ड द्वारा नियमित अंतरालों पर समीक्षा बैठकें भी बुलाई गई थीं। कृषि क्षेत्र के लिए अप्रैल-सितम्बर, 2004 के दौरान ऋण संवितरण 53591 करोड़ रुपए था। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 36792 करोड़ रुपए था जो 46 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सभी संबंधितों ने वर्ष 2004-05 के दौरान 104500 करोड़ रुपए के ऋण संवितरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

किसानों के लिए ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अधिकाधिक कृषि स्नातकों की भर्ती के लिए बैंकों से कहा गया है।

[अनुवाद]

निवेश प्रबंधन दल

554. डा. राजेश मिश्रा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) ने सभी बीमा कंपनियों से 31 दिसम्बर, 2004 तक अपने आंतरिक निवेश प्रबंधन दल (आई एम टी) का गठन करने का निदेश दिया है ताकि पालिसी धारकों पर उचित नियंत्रण सुनिश्चित हो सके;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित आई एम टी द्वारा किए जाने वाले विनियामक कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी बीमा कंपनियों में प्रस्तावित आई एम टी के स्थान पर कब तक पूर्णकालिक बीमाकंकों की नियुक्ति का विचार है; और

(घ) देश में बीमा कंपनियों को बेहतर जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए कौन से अन्य उपाय आरंभ करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सभी बीमाधारकों को संबंधित बोर्ड की निवेश समिति के माध्यम से अपने निवेश पोर्टफोलियों का प्रबंधन आंतरिक रूप से करने और इसका बाह्य स्रोत से न करने का निदेश दिया है। आई आर डी ए (निवेश) विनियम 2000 की धारा 9 (1) के अनुसार निवेश समिति में बीमाधारक के दो गैर-कार्यकारी निदेशक, प्रधान अधिकारी, वित्त और निवेश प्रभागों के प्रमुख और जहां भी बीमांकक नियुक्त किया गया हो, वहां के बीमांकक होंगे। बीमाधारकों को 31 दिसम्बर, 2004 को या उससे पहले बाह्य स्रोत संबंधी करारों को समाप्त करने और कार्यों को "आंतरिक रूप से" निपटाने का भी सुझाव दिया गया है।

(घ) जहां तक जीवन और गैर-जीवन सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों क्षेत्र की बीमा कम्पनियों का सवाल है, वे बीमा अधिनियम 1938 और समय-समय पर यथा संशोधित आई आर डी ए (निवेश, 2000 के नियंत्रणाधीन कार्य करती हैं।

[हिन्दी]

नई जूट नीति

555. **श्री देविदास पिंगले:**
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई जूट नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जूट पैकेजिंग एण्ड मैटीरियल्स एक्ट (जे पी एम ए) को समाप्त कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश के घाटे में चल रहे जूट उद्योग को कोई पैकेज देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) वस्त्र मंत्रालय एक व्यापक पटसन नीति तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। इस मामले से संबंधित सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है। ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) मौजूदा स्थिति के अनुसार रुग्ण एककों के मामले बीआईएफआर को भेजे गए हैं जो कि प्रत्येक रुग्ण एकक के पुनर्वासन के लिए मामलों की जांच करने के वास्ते एक अर्धन्यायिक निकाय है। उसके बाद, बीआईएफआर जो कि सामान्यत: एक वित्तीय संस्था है द्वारा नियुक्त प्रचालन एजेंसी द्वारा एककों की पुनरूद्धार योजना तैयार की जाती है/ उसकी जांच की जाती है। योजना प्राप्त होने पर बीआईएफआर अलग-अलग एककों के पुनर्वासन अथवा मामलों का निर्णय करता है।

[अनुवाद]

मसालों का आयात

556. **श्री पी. के. वासुदेवन नायर:**
श्री सी. के. चन्द्रप्पन:
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने अन्य देशों से काली मिर्च, चाय तथा इलायची के अत्यधिक आयात के कारण राज्य के समक्ष पैदा हुई समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समस्याओं को सुलझाने के लिए केरल सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों सहित केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते का दुरूपयोग न हो, इसके लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। केरल राज्य सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया है कि काली मिर्च जैसी कृषि वस्तुओं के आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह उल्लेख किया गया है कि काली मिर्च के आयातों में वृद्धि का कारण भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आईएसएलएफटीए) के अंतर्गत काली मिर्च का शुल्क मुक्त आयात भी है। यह भी महसूस किया गया है आयातों में अत्यधिक वृद्धि से कीमतों में गिरावट आई है। यह आरोप भी लगाया गया है कि घटिया किस्म की आयातित काली मिर्च और इलायची को उत्तम किस्म की भारतीय मदों के साथ मिश्रित कर दिया जाता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंच सकती है। यह भी बताया गया है कि अन्य देशों के मूल्य के उत्पाद रियायती शुल्क व्यवस्था का लाभ प्राप्त करने के लिए आईएसएलएफटीए के बहाने भारत में प्रवेश कर रहे हैं। केरल सरकार ने पुन: निर्यात के लिए चाय के आयातों में वृद्धि से संबंधित मुद्दे को भी उजागर किया है।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ केरल सरकार द्वारा किए गए प्रस्ताव जो उपर्युक्त उजागर की गई समस्या पर केन्द्रित है, निम्न प्रकार हैं:

* रियायती शुल्क व्यवस्था की समीक्षा।

* श्रीलंका से काली मिर्च के आयातों पर मात्रात्मक सीमा लागू करना।

* पौधा संगरोधन और गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं वाली चुनिंदा पत्तनों के जरिए काली मिर्च का भारत में प्रवेश।

* उद्गम के नियमों का कड़ा कार्यान्वयन सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंसी को उद्गम प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

* पुन: निर्यात के लिए वस्तुओं के मुक्त आयात की अनुमति देने वाली नीति की समीक्षा।

* चाय के आयात को रोका जाए।

चूंकि भारत ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए हैं इसलिए दोनों देशों के बीच व्यापार इस करार के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यातों पर बल देने के लिए सरकार की सामान्य नीति के रूप में पुन: निर्यातों के प्रयोजनार्थ शुल्क मुक्त आयातों की अनुमति है। मूल्य वर्धित मदों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर कीमतें प्राप्त होती हैं। जहां तक काली मिर्च और इलायची की कीमतों में गिरावट का संबंध है उन से अंतर्राष्ट्रीय कीमतें प्रतिबिम्बित होती हैं।

(घ) सरकार ने इस मुद्दे को श्रीलंका के प्राधिकारियों के साथ अगस्त, 2004 में पिछले वाणिज्य सचिव स्तर की वार्ताओं में उठाया था। संवेदनशील उत्पादों के आयात पर विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय द्वारा निगरानी रखी जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात में कमी

557. श्री काशीराम राणा:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले चार वर्षों में भारत से विशेषकर वस्त्रों, रत्नों तथा आभूषणों के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो भारतीय निर्यात में आई कमी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) इस दिशा में प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले चार वर्षों के दौरान रत्नों तथा आभूषणों के निर्यात के माध्यम से देश ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) जी नहीं। वस्त्रों तथा रत्न एवं आभूषणों के भारत के निर्यातों में गिरावट नहीं आई है। इसके विपरीत पिछले कुछ वर्षों में उनमें सकारात्मक वृद्धि हुई है जो कि अधिकांश वर्षों में काफी अधिक रही है। इन मदों की वृद्धि दरें निम्नानुसार हैं:-

	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
	मूल्य	वृद्धि दर (%)	मूल्य	वृद्धि दर (%)	मूल्य	वृद्धि दर (%)
कुल निर्यात	52719	20.3	63455	20.44	40291 (अप्रैल-अक्तूबर)	23.7
रत्न एवं आभूषण	9029.94	23.59	10509.79	16.38	4090.8 (अप्रैल-जुलाई)	45.9
तैयार वस्त्र	5689.91	13.64	6088,42	7.00	2007.38 (अप्रैल-जुलाई)	14.9

(च) पिछले चार वर्षों के दौरान डॉलर के अनुसार रत्न एवं आभूषण के निर्यातों का मूल्य निम्नानुसार है:-

मिलियन अमरीकी डालर

वर्ष	निर्यातों का मूल्य
2000-2001	7384.01
2001-2002	7306.28
2002-2003	9029.94
2003-2004	10509.79

लौह अयस्क का निर्यात

558. **श्री अर्जुन सेठी:**
श्री परसुराम माझी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में इस्पात संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए लौह अयस्क के निर्यात को बंद करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो लौह अयस्क का वर्षवार औसत निर्यात कितना है तथा किन-किन देशों को इसका निर्यात किया जाता है;

(ग) क्या निर्यात और निर्यात-आयात पर इसके संभावित प्रभाव तथा विदेशी मुद्रा के अर्जन का आकलन किया गया है;

(घ) विदेशी मुद्रा के असंतुलन को दूर करने के लिए क्या रणनीति तैयार की जा रही है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों द्वारा लौह की कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया;

(च) क्या चीन ने भारत से लौह अयस्क के आयात में गहरी रुचि प्रकट की है; और

(छ) यदि हां, तो चीन द्वारा वर्ष 2004-2005 के लिए दिए गए ऑर्डर का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्यों में लौह अयस्क का उत्पादन केवल निर्यात प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है। जिस लौह अयस्क के लिए भारत में बाजार तैयार नहीं मिलता और घरेलू उपभोक्ताओं तथा एमएमटीसी की मांग पूरी करने के बाद फालतू छोड़ दिया जाता है, का निर्यात करने की अनुमति है।

(च) जी, हां।

(छ) लौह अयस्क के निर्यात ऑर्डरों का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है क्योंकि 64% से कम लौह घटक वाला लौह अयस्क होने के कारण चीन को उसका अधिकांश निर्यात मुक्त रूप से किया जाता है। मै. एमएमटीसी के अनुसार उन्हें वर्ष 2005-2005 के लिए चीन से 7.39 मिलियन मी. टन मात्रा के निर्यात का ऑर्डर प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

उच्च न्यायालय की खंडपीठें

559. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री सुरेश अंगडि:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च न्यायालय की खंडपीठें गठित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन राज्यों में और किन स्थानों पर उच्च न्यायालय की खंडपीठे गठित की गई; और

(ग) सरकार द्वारा अन्य राज्यों में भी और ऐसी खंडपीठें स्थापित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार उच्च न्यायालय की, उनके प्रधान स्थान से भिन्न स्थानों पर न्यायपीठों की स्थापना करने के लिए संबद्ध राज्य सरकार से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई पूर्ण प्रस्ताव होने पर ही कार्रवाई करती है। उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना के लिए पिछले तीन वर्ष के दौरान किसी राज्य से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मद्रास उच्च न्यायालय की एक स्थाई न्यायपीठ मदुरै में स्थापित की गई है। तथापि, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति के साथ पश्चिम बंगाल राज्य से एक पूर्ण प्रस्ताव वर्ष 2000 में प्राप्त हुआ था। उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में जलपाईगुड़ी में स्थाई न्यायपीठ की स्थापना

के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा न्यायपीठ के लिए अवसंरचनात्मक व्यवस्थाओं की पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

एशियाई विकास बैंक से सहायता

560. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
श्री धावरचन्द्र गेहलोत:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक द्वारा हाल में जारी उद्यतन रणनीति एवं कार्यक्रम के अनुसार एशियाई विकास बैंक ने भारत को अगले तीन वर्षों में 6.47 बिलियन डालर तक की सहायता उपलब्ध कराने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रणनीति के अन्तर्गत विकास के क्षेत्र कौन-कौन से हैं प्रत्येक क्षेत्र को कितनी सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस सहायता के समुचित उपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। क्षेत्र इस प्रकार हैं- कृषि और प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, वित्त, विधि, आर्थिक प्रबंध और लोक नीति बहु-क्षेत्रीय शहरी विकास; और परिवहन एवं संचार।

(ग) भारत सरकार प्रयोक्ता अभिकरणों को प्रशासनिक तौर पर सुप्रवाही बनाकर निधियों के शीघ्र और सही उपयोग को सुनिश्चित करने के सभी प्रयास कर रही है।

पश्चिम बंगाल में जूट मिलें

561. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में एन जे एम सी और निजी क्षेत्र के अंतर्गत जूट मिलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से रुग्ण और बंद पड़ी जूट मिलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) रुग्ण और बंद पड़ी जूट मिलों को पुनर्जीवित करने/उन्हें पुन: खोलने की सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) जूट मिलों के रुग्ण होने और उन्हें बंद करने की संकल्पना से प्रभावित होने वाले कामगारों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) क्या प्रभावित कामगारों की पुनर्वास करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) राष्ट्रीय पटसन निगम (एनजेएमजी) के अंतर्गत छ: पटसन मिलें हैं, 5 पश्चिम बंगाल और एक बिहार में है। दो राज्य सरकार की मिलें पश्चिम बंगाल में हैं और एक-एक सार्वजनिक क्षेत्र की पटसन मिलें असम, उड़ीसा और त्रिपुरा राज्य में स्थिति है। निजी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल मं 54 मिलें, बिहार में 2, आंध्र प्रदेश में 7, उत्तर प्रदेश में 3 और छत्तीसगढ़ में एक है।

(ख) रुग्ण पटसन मिलों की कुल संख्या 37 है। 19 पटसन मिलें ऐसी हैं जो दो माह से दो वर्ष की अलग-अलग अवधि से बंद हैं।

(ग) मौजूदा स्थिति के अनुसार रुग्ण एककों के मामले बीआईएफआर को भेजे गए हैं जो कि प्रत्येक रुग्ण एकक के पुनर्वासन के लिए मामलों की जांच करने के वास्ते एक अर्धन्यायिक निकाय है। उसके बाद, बीआईएफआर जो कि सामान्यत: एक वित्तीय संस्था है द्वारा नियुक्त प्रचालन एजेंसी द्वारा एककों की पुनरूद्धार योजना तैयार की जाती है/उसकी जांच की जाती है। योजना प्राप्त होने पर बीआईएफआर अलग-अलग एककों के पुनर्वासन अथवा मामलों का निर्णय करता है।

(घ) रुग्ण एवं बंद मिल में लगे कामगारों (स्थायी एवं अन्य) की कुल संख्या लगभग 1,31,601 है जो पटसन मिलों की रुग्णता/उनके बंद होने से प्रभावित हुए हैं।

(ङ) और (च) भारत सरकार ने उन कुछ वस्त्र एककों में कामगारों के हितों की रक्षा की व्यवस्था की है जो गैर अर्थक्षम हैं तथा स्थाई रूप से बंद हो जाएंगे। निजी क्षेत्र में वस्त्र एककों के स्थाई रूप से बंद होने/परिसमापन के फलस्वरूप बेरोजगार हुए कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना पटसन वस्त्र क्षेत्र के लिए लागू है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम रुग्ण मिलों की श्रेणी में आते हैं उनके कर्मचारियों को भारत सरकार आकर्षक वी आर एस लाभों की पेशकश करती है।

विश्व बैंक के अध्यक्ष का दौरा

562. **श्री किरिप चालिहा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष ने हाल में भारत का दौरा किया और सरकार के साथ बैंक द्वारा वित्तपोषित योजनाओं की सफलता के बारे में चर्चा की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चर्चा के दौरान भारत को फिर से उधार देने पर भी चर्चा हुई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) विश्व बैंक अध्यक्ष 16-19 नवंबर, 2004 के दौरान भारत की यात्रा की। 18 नवंबर, 2004 को योजना आयोग में सरकार के साथ हुई विश्व बैंक अध्यक्ष की बैठक के दौरान विद्युत, जल संसाधन, रेलवे और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग जैसे क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों और इनके विकास की रूपरेखा पर चर्चा की गई ताकि इन क्षेत्रों में विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त की जा सके।

(ग) और (घ) विश्व बैंक अध्यक्ष ने अपनी अधिकारिता बैंठकों के दौरान विश्व बैंक की "कन्ट्री असिस्टेंस स्ट्रैटजी" का जिक्र किया जिसमें अगामी चार वर्षों (2004-2005 से 2007-2008 तक) के दौरान बैंक द्वारा भारत को दिए जाने वाले उधारों में वृद्धि करके लगभग 3 बिलियन अमरीकी डालर प्रतिवर्ष कर देने की बात कही गई है।

[हिन्दी]

आवासों का निर्माण

563. **श्री सुशील कुमार मोदी:**
योगी आदित्यनाथ:
श्री अनन्त नायक:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:
श्री सीताराम सिंह:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने आवास निर्मित किए गए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य सहित लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत निर्माण के लक्ष्य को संशोधित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी ग्रामीण आवास योजनाओं का इंदिरा आवास योजना के साथ विलय करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) 1996-97 के बाद से इंदिरा आवास योजना एक स्वतंत्र योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य के लिए योजना के अंतर्गत अब तक राज्यवार बनाए गए मकानों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास और पर्यावास विकास के अभिनव चरण, ग्रामीण निर्मित केन्द्र और समग्र आवास योजना जैसी ग्रामीण आवास की लघु योजनाएं बंद कर दी गई हैं और इन्हें 1.4.2004 से मुख्य योजना अर्थात् इंदिरा आवास योजना के साथ मिला दिया गया है। मरम्मत के अयोग्य कच्चे मकानों के उन्नयन और ऋण व सहायता योजना जैसी उपयोजनाएं भी 1.4.2004 से इंदिरा आवास योजना का हिस्सा बन गई है।

(च) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा के अनुमोदन से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण परिवारों में से किया जाता है। कम से कम 60 प्रतिशत लाभार्थियों का चयन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में से किया जाता है।

विवरण

वर्ष 1996-97 से आज तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य के लिए बनाए गए मकानों की राज्यवार संख्या

संख्या (इकाइयों में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	बनाए गए मकानों की संख्या			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	307375	120282	290138	717795
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	25602	44	25646
3.	असम	77976	137410	142435	357821
4.	बिहार	709312	134908	410096	1254316
5.	छत्तीसगढ़	14535	39419	24663	78617
6.	गोआ	49	26	3121	3196
7.	गुजरात	42427	129997	56457	228881
8.	हरियाणा	48877	0	26057	74934
9.	हिमाचल प्रदेश	13504	1889	12201	27594
10.	जम्मू कश्मीर	0	0	54221	54221
11.	झारखंड	53865	107508	64393	225766
12.	कर्नाटक	167495	51448	133562	352505
13.	केरल	98862	11163	79052	189077
14.	मध्य प्रदेश	184283	243551	210978	63812
15.	महाराष्ट्र	206795	195901	234693	637389
16.	मणिपुर	505	7153	1804	9462
17.	मेघालय	753	20121	370	21244
18.	मिजोरम	0	10410	0	10410
19.	नागालैंड	0	40772	0	40772
20.	उड़ीसा	477466	241103	419992	1138561
21.	पंजाब	33829	0	3697	37526
22.	राजस्थान	133595	78078	99343	311016

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	1037	3371	5109	9517
24.	तमिलनाडु	362320	11731	93367	467418
25.	त्रिपुरा	15407	29530	20011	64948
26.	उत्तर प्रदेश	874864	3149	451522	1329535
27.	उत्तरांचल	34839	3491	28591	66921
28.	प. बंगाल	291423	72022	212291	575736
29.	अं.नि. द्वीप समूह	0	1593	682	2275
30.	दादर व न. हवेली	8	470	0	478
31.	दमन व दीव	26	158	71	255
32.	लक्षद्वीप	0	354	0	354
33.	पांडिचेरी	1268	0	1188	2456
	कुल	4152695	1722610	3080149	8955454

[अनुवाद]

गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

564. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू:**
श्री अजीत जोगी:
प्रो. चन्द्र कुमार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 30 नवम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का बैंकवार रुपए में मूल्य कितना है;

(ख) बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के ऋणों की बकाया धनराशि की वसूली की बैंकवार वित्तीय संस्थावार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान लाभ-राशि में से कितनी धनराशि बट्टे खाते में डाली गई; और

(घ) बकाया धनराशि की वसूली करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) 30 सितम्बर, 2004 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियां और वसूलियां (बट्टे खाते से इतर) तथा बट्टे खाते डाली गई राशियां संलग्न विवरण I में दी गई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान बट्टे खाते डाली गई कुल राशि से संबंधित बैंकवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है। वित्तीय स्थिति से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से निरंतर आधार पर देयराशियों की वसूली के लिए कई कदम उठाने के लिए कहा है। इनमें बैंकों द्वारा वसूली नीति की तैयारी एवं उनका क्रियान्वयन, सिविल न्यायालयों में मुकदमा दायर करना, ऋण वसूली अधिकरणों में मामले दायर करना, निपटान सलाहकार समितियों एवं लोक अदालतों के माध्यम से समझौता निपटान तथा विभिन्न स्तरों पर अनुपयोज्य आस्तियों की निगरानी एवं उस पर अनुवर्ती कार्रवाई शामिल हैं। बैंकों के बीच उधारकर्ताओं के बारे में सूचना वितरित करने के लिए ऋण सूचना ब्यूरो का भी गठन किया गया है। आंतरिक एवं बाह्य कारकों के कारण समस्याओं का सामना करने वाली अर्थक्षम कम्पनियों के कम्पनी ऋण के पुनर्गठन संबंधी पारदर्शी तंत्र प्रदान

करने के लिए कम्पनी ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) योजना तैयार की गई है। अनुपयोज्य आस्तियों पर ध्यान देने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के अतर्गत "आस्ति पुनर्गठन कम्पनी (भारत लि.)" नामक एक कम्पनी को निगमित किया गया है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतियों के मोचन निषेध तथा प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का अधिनियमन किया गया है ताकि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अपनी देयराशियों की वसूली में समर्थ्यशाली बनाने के उद्देश्य से चूक के मामले में प्रतिभूतियों के मोचन निषेध तथा प्रवर्तन को सुकर बनाया जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 जनवरी, 2003 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अत्यधिक पुरानी अनुपयोज्य आस्तियों के समझौता निपटान के लिए संशोधित मार्गनिर्देश जारी किया था। इन मार्गनिर्देशों में कारोबार की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना सभी क्षेत्रों की सभी प्रकार की अनुपयोज्य आस्तियों को शामिल किया जाना था जो 10 करोड़ रुपए या उससे कम की बकाया राशि के साथ 31 मार्च, 2000 को संदिग्ध या घाटे वाली हो गई हैं।

विवरण I

सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में अनुपयोज्य आस्तियों, वसूली की राशि और बट्टे खाते डाली गई राशि के संबंध में आंकड़े

(करोड़ रुपए में राशि)

(सितम्बर 04 की स्थिति के अनुसार) बैंक समूह	बैंक का नाम	सकल एनपीए	निवल एनपीए	कुल वसील (बट्टे खाते डाले गए को छोड़कर)	एनपीए की राशि जिसे बट्टे खाते डाली गयी
1	2	3	4	5	6
राष्ट्रीयकृत बैंक	इलाहाबाद बैंक	1295.3	299.7	143.3	17.3
	आन्ध्रा बैंक	525.5	30.9	69.1	61.0
	बैंक आफ बड़ौदा	3544.0	1559.1	248.5	283.1
	बैंक आफ इंडिया	3302.9	1909.8	300.0	68.0
	बैंक आफ महाराष्ट्र	1041.8	330.3	48.3	29.7
	केनरा बैंक	3470.7	1482.5	324.2	45.3
	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	3000.9	1064.6	260.1	212.0
	कारपोरेशन बैंक	743.1	277.1	58.5	2.4
	देना बैंक	1379.4	762.3	102.5	133.0
	इंडियन बैंक	1156.6	350.3	108.0	54.7
	इंडियन ओवरसीज बैंक	1429.3	455.3	133.4	161.5
	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1222.7	-13.4	139.4	2.0
	पंजाब एंड सिंध बैंक	1093.7	509.3	87.3	34.7
	पंजाब नैशनल बैंक	4154.8	148.6	413.3	287.5

1	2	3	4	5	6
	सिंडिकेट बैंक	1759.5	671.2	123.2	9.4
	यूको बैंक	1267.9	680.3	121.5	155.7
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2167.7	703.1	182.5	152.9
	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	742.2	244.2	67.0	0.0
	विजया बैंक	382.9	76.7	64.6	34.8
	कुल	33681.1	11541.9	2994.4	1745.1
एसबीआई समूह	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	469.2	150.2	39.9	12.8
	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	685.4	120.4	46.5	16.3
	भारतीय स्टेट बैंक	11725.2	4600.5	916.0	368.0
	स्टेट बैंक आफ इंदौर	260.8	17.5	54.3	0.7
	स्टेट बैंक आफ मैसूर	478.9	117.0	53.0	1.2
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	586.9	111.2	26.6	2.9
	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	181.0	97.8	21.2	44.3
	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	655.8	129.9	68.9	5.8
	कुल	15043.1	5344.5	1226.2	452.1
	कुल (सरकारी क्षेत्र के बैंक)	48724.3	16886.4	4220.6	2197.2

आंकड़ा स्रोत : बैंकों द्वारा अपने घरेलू परिचालनों के संबंध में सौंपे गए स्थलेत्तर पर्यवेक्षी विवरण।

नोट: आंकड़े अनन्तिम।

विवरण II

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संदर्भ में समझौता निपटान एवं बट्टे खाते डाले गए के माध्यम से हुई वसूली समेत कुल वसूलियों के संदर्भ में आंकड़े

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक समूह	बैंक का नाम	वर्ष के दौरान कुल वसूली	जिसमें समझौता निपटान एवं बट्टे खाते डाले गए के माध्यम से वसूली	वर्ष के दौरान कुल वसूली	जिसमें समझौता निपटान एवं बट्टे खाते डाले गए के माध्यम से वसूली	वर्ष के दौरान कुल वसूली	जिसमें समझौता एवं बट्टे खाते डाले गए के माध्यम से वसूली
1	2	3	4	5	6	7	7
राष्ट्रीयकृत बैंक	इलाहाबाद बैंक	350.1	250.8	571.0	333.5	801.0	621.8
	आन्ध्रा बैंक	154.5	98.7	180.4	121.1	259.9	184.0

1	2	3	4	5	6	7	7
	बैंक आफ बड़ौदा	731.4	141.3	1038.8	440.9	1265.8	836.2
	बैंक आफ इंडिया	1067.0	524.0	1144.3	578.9	1274.1	588.1
	बैंक आफ महाराष्ट्र	212.1	83.0	216.3	92.3	223.9	92.0
	केनरा बैंक	782.3	109.5	865.3	216.3	1237.9	452.0
	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	635.4	257.4	830.8	418.8	945.6	568.9
	कारपोरेशन बैंक	143.5	90.6	106.5	16.2	162.0	49.3
	देना बैंक	549.4	190.1	673.0	372.1	591.3	319.1
	इंडियन बैंक	561.4	353.3	1038.6	802.8	659.8	416.4
	इंडियन ओवरसीज बैंक	360.4	106.1	525.6	163.6	813.0	469.1
	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	235.0	29.0	435.8	45.6	459.6	85.4
	पंजाब एंड सिंध बैंक	181.1	83.7	160.1	59.4	248.3	85.3
	पंजाब नैशनल बैंक	499.9	34.7	706.2	137.4	1354.4	483.0
	सिंडिकेट बैंक	170.7	13.5	265.9	42.3	258.7	33.2
	यूको बैंक	373.4	197.4	357.2	154.9	465.0	278.1
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	339.5	108.7	716.0	74.1	718.4	277.6
	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	294.0	175.0	340.3	224.3	351.0	249.6
	विजया बैंक	182.4	68.8	246.3	122.6	389.7	240.4
	कुल	7823.4	2915.5	10418.5	4417.1	12479.5	6329.5
एसबीआई समूह	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	218.3	97.0	172.1	37.9	192.4	119.5
	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	414.9	190.9	425.1	289.3	420.5	285.9
	भारतीय स्टेट बैंक	4559.4	2626.2	6668.4	4071.4	6560.2	3973.6
	स्टेट बैंक आफ इंदौर	165.9	104.3	142.3	110.2	144.4	77.4
	स्टेट बैंक आफ मैसूर	169.7	66.7	242.3	130.0	226.5	122.4
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	239.2	154.3	260.2	175.8	220.1	125.6
	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	233.1	154.6	176.3	101.1	230.9	162.0
	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	235.3	118.8	225.0	115.5	230.2	112.5
	कुल	6235.8	3512.9	8311.7	5031.2	8225.1	4978.8
	कुल (सरकारी क्षेत्र के बैंक)	14059.2	6428.4	18730.1	9448.2	20704.6	11308.3

हथकरघा कामगारों हेतु बीमा योजना

565. श्री डी. विट्टल राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हथकरघा बुनकरों हेतु बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें उक्त योजना में अंशदान करेंगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना से इन बुनकरों को मिलने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) भारत सरकार ने हथकरघा बुनकरों के लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में एक बीमा योजना नामत: बुनकर बीमा योजना दिसम्बर, 2003 में शुरू की। यह योजना जनश्री बीमा योजना एवं समूह बिना सहायता का संयुक्त रूप है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

(ख) और (ग) इस योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम का अंशदान बुनकर, केन्द्रीय सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का कोई अंशदान नहीं है।

इस योजना के तहत निधियन प्रणाली इस प्रकार है:-

मद	प्रीमियम/अशंदान	
जनश्री बीमा योजना	जीवन बीमा निगम का अशंदान	100/-रुपये
	बुनकरों का अंशदान	40/-रूपये
	भारत सरकार का अंशदान	60/-रुपये
	कुल प्रीमियम	200/-रुपये
समूह बीमा सहायता	बुनकरों का अंशदान	90/-रुपये
	भारत सरकार का अंशदान	90/-रुपये
	कुल प्रीमियम	180/-रुपये
बुनकर बीमा योजना (जनश्री बीमा योजना + समूह बीमा सहायता)	भारतीय जीवन बीमा निगम का अंशदान	100/-रुपये
	बुनकरों का अंशदान	130/-रुपये
	भारत सरकार का अंशदान	150/-रुपये
	कुल प्रीमियम	380/रुपये

(घ) योजना के तहत लाभों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

मद	लाभ (बीमाकृत रकम)	
जनश्री बीमा योजना	प्राकृतिक मृत्यु	20,000/-रुपये
	आकस्मिक मृत्यु	50,000/-रुपये
	दुर्घटना के कारण कुल स्थायी अपंगता	50,000/-रुपये
	दुर्घटना में 2 आंखें या 2 अंग या 1 आंख या 1 अंग	50,000/-रुपये
	दुर्घटना में 1 आंख 1 या 1 अंग की क्षति	25,000/-रुपये
समूह बीमा सहायता	प्राकृतिक एवं आकस्मिक मृत्यु	30,000/-रुपये
बुनकर बीमा योजना (जनश्री बीमा योजना +समूह बीमा सहायता)	प्राकृतिक मृत्यु	50.000/-रुपये
	आकस्मिक मृत्यु	80,000/-रुपये

अतिरिक्त लाभ

जनश्री बीमा योजना के तहत शामिल किए जाने वाले अभिभावकों के बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को प्रति तिमाही में प्रति बच्चे को 300/-रुपये की दर से 4 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी या वे जब 12वीं कक्षा पास कर लें, इनमें से जो भी पहले हो। दो बच्चों वाले सदस्यों को यह लाभ दिया जाएगा।

राजस्थान में ऊन उत्पादन की क्षमता

566. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान की ऊन उत्पादन की क्षमता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य की ऊन उत्पादन क्षमता का दोहन करने और ऊन व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस प्रयोजन हेतु केन्द्र द्वारा क्या प्रोत्साहन दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, हां। राजस्थान अच्छी गुणवत्ता वाली कालीन ग्रेड की ऊन पैदा करता है। इस राज्य का स्वदेशी कच्ची ऊन के उत्पादन में लगभग 40% का योगदान है। राज्य में महत्वपूर्ण ऊन मंडियों वे, अलावा करघा-पूर्व तथा करघा-पश्चात प्रसंस्करण सुविधाएं मौजूद है।

(ख) से (घ) 8वीं तथा 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर द्वारा संचालित की जा रही केन्द्र की क्षेत्रीय योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रसंस्करण/परीक्षण एकक राजस्थान में स्थापित किए गए हैं:-

(1) ब्यावर में एक ऊन प्रक्षालन संयंत्र

(2) बीकानेर में एक लघु ऊ न प्रक्षालन संयंत्र

(3) ब्यावर एवं बीकानेर प्रत्येक में एक-एक ऊन परीक्षण केंद्र

(4) बीकानेर में एक औद्योगिक सेवा केंद्र

(5) जयपुर में कालीन के लिए एक कंप्यूटर साहायित डिजाइन केंद्र

इसके अतिरिक्त, 15 लाख भेड़ों को शामिल करने वाले एकीकृत भेड़ व ऊन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 27 परियोजनाओं भी इस राज्य के लिए स्वीकृत की गई थी। इस राज्य के विभिन्न शहरों में कई ऊनी एक्सपो आयोजित किए गए थे।

राजस्थान में उपर्युक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अब तक 779.52 लाख रु. की अनुदान की राशि जारी की जा चुकी है।

वस्त्र और जूट उद्योग हेतु उन्नयन योजना

567. श्री बीर सिंह महतो:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना देश में जूट मिलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जूट मिलों के आधुनिकीकरण/उन्नयन हेतु पूंजीगत राज सहायता में वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जूट मिलों ने अपनी उत्पादकता में कितनी वृद्धि की है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) जी, हां। आधुनिकीकरण/उन्नयन की गति में तेजी लाने के लिए भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने पटसन मिलों के लिए निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं :

(1) वस्त्र और पटसन उद्योग के लिए 1.4.1999 से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)। इस योजना को मार्च, 2007 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत ब्याज का वितरण 5% है।

(2) पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए जेएमडीसी की प्रोत्साहन योजना-पूंजी सब्सिडी योजना 8 जुलाई 2002 से प्रभावी हुई। इसका उद्देश्य निवेश की राशि पर 15% प्रोत्साहन प्रदान करके पटसन उद्योग में प्रौद्योगिकी के उन्नयन और/अथवा आधुनिकीकरण के वास्ते पूंजी निवेश को सुगम बनाना है। यह योजना केवल उपकर का भुगतान करने वाली मौजूदा पटसन मिलों पर ही लागू है।

(3) यूएनडीपी-सीसीएफ कार्यक्रम के तहत उन्नत प्रौद्योगिकी की मशीनों की 6 (छः) मदों का विकास किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने पटसन प्रसंस्करण की अपर्याप्त सुविधाओं वाले पटसन उपजाने वाले क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली केवल नई पटसन मिलों के संबंध में पटसन मिलों के आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए जेएमडीसी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पूंजी सब्सिडी को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है।

(ङ) पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए जेएमडीसी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत संवितरण वर्ष 2003-04 में शुरू किया गया। इसका लाभ उठाने वाली मिलों की बढ़ी हुई उत्पादकता और कार्य कुशलता पर जेएमडीसी की प्रोत्साहन योजना के प्रभाव अभी मूल्यांकन करना संभव नहीं है। टीयूएफएस के अंतर्गत संवितरण प्रोत्साहनजनक नहीं हैं क्योंकि पटसन उद्यमी वित्तीय संस्थानों से वित्तीय ऋण प्राप्त करने के प्रति अनिच्छुक हैं। तथापि ऐसी आशा है कि टीयूएफएस और जेएमडीसी की प्रोत्साहन योजना के संयुक्त प्रचालन से पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण में तेजी आएगी जिसके फलस्वरूप उत्पादों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार आएगा।

ग्रामीण सड़कों हेतु विश्व बैंक पैकेज

568. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु 400 मिलियन के पैकेज का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो आबंटन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस ऋण से ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु लक्षित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को भी सहायता मिलेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विश्व बैंक इस संबंध में किस सीमा तक सहमत है और अब तक विश्व बैंक द्वारा इन परियोजनाओं हेतु कुल कितना ऋण उपलब्ध कराया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ङ) 2004-2005 के दौरान विश्व बैंक ने हिमचाल प्रदेश, झारखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) की विश्व बैंक चरण-I परियोजना के वित्त-पोषण के लिए 399.50 मिलियन अमरीकी डालर (आई डी ए ऋण के रूप में 300 मिलियन अमरीकी डालर और आई बी आर डी ऋण के रूप में 99.50 मिलियन अमरीकी डालर) ऋणों की मंजूरी दी है। इस राशि में से 380.39 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 19900 करोड़ रुपये) ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए होंगे और शेष राशि आनुषांगिक कार्यों के लिए विश्व बैंक की यह धनराशि पी एम जी एस वाई के नियमित कोष के अतिरिक्त है।

चार परियोजना राज्यों के बीच राज्यवार आबंटित निर्धारित धन-राशि नीचे दिए अनुसार है:-

राज्य का नाम	राशि (करोड़ रु. में)
हिमाचल प्रदेश	176.60
झारखंड	138.70
राजस्थान	403.60
उत्तर प्रदेश	542.30
कुल	1261.20

शेष लगभग 639 करोड़ रुपये की धनराशि वार्षिक किश्तों में कार्यक्रम की वास्तविक प्रगति के आधार पर आबंटित की जाएगी।

एनसीआरआई

569. **श्री के. एस. राव:**
श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री बीर सिंह महतो:
श्री एस. के. खारवेनथन:
श्री ए. साई प्रताप:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में ग्रामीण अवसंरचना के समयबद्ध विकास हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति द्वारा विकास हेतु राज्य-वार किन क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ नियत और जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) जी, हां।

(ख) संघ सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के संबंध में एक समिति गठित की है। समिति में 13 सदस्य हैं और समिति के सदस्य संयोजक योजना आयोग उपाध्यक्ष हैं। समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिए आनुसार हैं:

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आधारभूत सुविधा की समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नीतियां शुरू करना,

(2) अधिकतम और शीघ्र विचार की दृष्टि से ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के प्रमुख क्षेत्रों में आंतरिक प्राथमिकता लागू करना,

(3) इन क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश की पूर्ति के लिए नई वित्तीय व्यवस्थाएं विकसित करना,

(4) लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रगति की निगरानी करना।

(ग) और (घ) अब तक की कोई बैठक नहीं हुई है। इस तरह से राज्यों के लिए न तो कोई धनराशि निर्धारित की गई है, न रिलीज की गई है।

गुजरात सरकार द्वारा लोक वित्त में सुधार

570. श्री वी. के. दुम्मर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ऋण की औसत ब्याज दर में कमी कर अपने लोक वित्त में सुधार करने हेतु कदम उठा रही है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार के निर्णय का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। राज्य सरकार ने भारत सरकार की ऋण विनियम स्कीम के अंतर्गत ऋण विनियम सहित व्यापक ऋण विनियम करना शुरू कर दिया है। गुजरात सरकार ने दिनांक 01.04.2002 की स्थिति के अनुसार 13 प्रतिशत और इससे अधिक कूपन दर वाले कुल 9563.51 करोड़ रुपए के बकाया केन्द्रीय ऋण का विनियम किया है।

(ख) राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि अपनी लघु बचत संग्रहण राशि की 40 प्रतिशत राशि की कटौती और 13 प्रतिशत से कम ब्याज दर वाले केन्द्र सरकार के ऋणों के विनियम पर अनुप्रयुक्त किया जाना जारी रखा जाए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 13.5 प्रतिशत की ब्याज दर वाले हुडको के बकाया ऋण का विनिमय 7.7 से 7.8 प्रतिशत की दर पर मर्चेन्ट बैंकरों के ऋण से किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

(ग) दोनों अनुरोधों की अनुमति के लिए सहमति दे दी गई है।

निजी क्षेत्र द्वारा लौह अयस्क और क्रोमाइट का निर्यात

571. श्री जुएल ओराम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र की कम्पनियों को विभिन्न राज्यों से लौह अयस्क और क्रोमाइट का निर्यात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) गत तीन वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लौह अयस्क और क्रोमाइट के निर्यात हेतु क्या ऋण राज सहायता और अन्य प्रोत्सहान प्रदान किए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए 64% से कम लौह घटक वाले लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकताएं पूरी करने के बाद 64% और अधिक लौह घटक वाले उत्तम लौह अयस्क का निर्यात करने की अनुमति है। निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए एमएमटीसी द्वारा किए जाने वाले निर्यात को छोड़कर क्रोमाइट का निर्यात करने की अनुमति नहीं है।

(ख) और (ग) लौह अयस्क और क्रोमाइट के निर्यातों के लिए विशिष्ट रूप से केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कोई ऋण सब्सिडियां अथवा अन्य प्रोत्साहन प्रदान नहीं किए जाते हैं।

विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता

572. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए कोई नीति तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारत द्वारा देश में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वय हेतु विश्व बैंक से अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) ऋणों के रूप में सहायता मांगी जाती है। वित्तीय वर्ष 2004-05 (नवम्बर तक) के दौरान विश्व बैंक द्वारा 1700.62 मिलियन अमरीकी डालर राशि की कुल बचनबद्धता के साथ आठ परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। भारत ने 1993 के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई सहायता नहीं ली है।

(ख) और (ग) विश्व बैंक द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता का निर्धारण ''कन्ट्री असिस्टेंस स्टैटजी'' (सीएएस) के आधार पर किया जाता है जो भारत की सहायता हेतु बैंक के दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित करता है। भारत सरकार के संबंधित विभागों, राज्य सरकारों तथा विश्व बैंक के बीच व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही सीएएस को अंतिम रूप दिया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबों को नि:शुल्क कानूनी सहायता

573. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री मोहन रावले:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गरीबों को नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को अब तक कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों ने उक्त धनराशि का उपयुक्त रूप से पूर्ण उपयोग कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने गरीब लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गई है; और

(च) सरकार द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 4 की उपधारा (ग) और उपधारा (ञ) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा,) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति सहित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को और गैर सरकारी संगठनों को नालसा द्वारा विरचित विधिक सहायता कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए, जिनके अंतर्गत निर्धन व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सहायता देना भी सम्मिलित है, वित्तीय वर्ष के आधार पर निधियां आबंटित करता है। निधियां को आबंटन इस प्राधिकरण द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से प्राप्त विनिर्दिष्ट अनुरोधों और उनकी आवश्यकताओं तथा कार्यक्रमों के आधार पर किया जाता है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान नालसा द्वारा आबंटित की गई निधियों को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शित करने वाला विवरण I संलग्न है।

(च) नालसा देश में विधिक सहायता स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मानीटरी और मूल्यांकन कर रहा है तथा समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों के बीच विधिक जागरूकता और विधिक ज्ञान प्रसारित करने के लिए समुचित उपाय कर रहा है जिससे विधिक सहायता आंदोलन को मजबूत किया जा सके।

अभी हाल ही में सभी राज्यों के विधिक सहायता प्राधिकरणों की वार्षिक बैठक में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12(ज) के निबंधनों के अनुसार आय की अधिकतम सीमा को उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष मामलों की बाबत 25000 रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 50000 रुपए करने का प्रस्ताव पारित किया था। केन्द्रीय सरकार द्वारा उच्चतम

न्यायालय के समक्ष मामलों के लिए नियत वार्षिक आय की सीमा 50000 रुपए है। कुछ राज्य विधिक सहायता प्राधिकरणों द्वारा लिए गए विनिश्चय के कार्यान्वयन के कारण विधिक सहायता प्राप्त करने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

विवरण I

पिछले तीन वित्तीय वर्षों, अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आबंटित राशियां

(उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति और गैर-सरकारी संगठनों सहित)

क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	2001-2002 रु.	2002-2003 रु.	2003-2004 रु.
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	18,00,000	20.00,000	26,09,633
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	15,00,000	20,94,216
4.	बिहार	15,00,000	10,25,000	4,94,924
5.	छत्तीसगढ़	0	0	14,29,987
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	0	25,00,000	30,00,000
8.	हरियाणा	0	7,00,000	5,28,500
9.	हिमाचल प्रदेश	5,00,000	5,00,000	6,00,000
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0
11.	झारखंड	0	10,00,000	5,46,148
12.	कर्नाटक	5,00,000	0	0
13.	केरल	0	15,00,000	37,00,000
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	1,98,000	2,98,000	1,60,000
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	5,00,000	0	0
18.	मिजोरम	11,55,000	10,00,000	5,00,000
19.	नागालैंड	5,00,000	0	0
20.	उड़ीसा	15,00,000	41,00,000	13,00,000
21.	पंजाब	0	5,00,000	15,28,500

1	2	3	4	5
22.	राजस्थान	15,00,000	10,00,000	52,00,000
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	10,00,000	5,00,000	4,26,842
25.	त्रिपुरा	13,00,000	6,00,000	12,00,000
26.	उत्तर प्रदेश	50,500	5,30,000	5,48,000
27.	उत्तरांचल	0	10,00,000	0
28.	पश्चिमी बंगाल	16,00,000	25,00,000	44,11,855
29.	अंडमान और निकोबार	0	0	0
30.	संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़	0	0	5,28,500
31.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	6,60,000
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	10,00,000
36.	उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति	30,00,000	35,00,000	40,00,000

विवरण II

पिछले तीन वित्तीय वर्षों, अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान विधिक सहायता और विधि के न्यायालयों में सलाह प्राप्त करके फायदा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या

(राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर)

क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	2001-2002	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	905	522	1236
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	94
3.	असम	15118	14862	22586
4.	बिहार	509	0	730
5.	छत्तीसगढ़	0	0	6364

1	2	3	4	5
6.	गोवा	116	231	416
7.	गुजरात	0	798	5021
8.	हरियाणा	1645	1598	1934
9.	हिमाचल प्रदेश	403	363	320
10.	जम्मू-कश्मीर	1579	1193	777
11.	झारखंड	0	8685	507
12.	कर्नाटक	1361	1493	1749
13.	केरल	1017	402	545
14.	मध्य प्रदेश	45300	39845	17594
15.	महाराष्ट्र	7405	6894	5593
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	1	29	6
18.	मिजोरम	643	978	680
19.	नागालैंड	69	547	237
20.	उड़ीसा	1692	1521	1398
21.	पंजाब	2102	3159	3420
22.	राजस्थान	2588	5401	7947
23.	सिक्किम	331	324	179
24.	तमिलनाडु	14759	134196	142697
25.	त्रिपुरा	0	42	232
26.	उत्तर प्रदेश	1057372	1037860	791025
27.	उत्तरांचल	0	203	1287
28.	पश्चिमी बंगाल	0	1366	1202
29.	अंडमान और निकोबार	0	0	0
30.	चंडीगढ़	299	448	574
31.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0

1	2	3	4	5
33.	दिल्ली	5698	7516	12721
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	184	1103	1564
36.	उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति	601	648	820

पुत्र और पुत्रियों को समान अधिकार

574. श्री पी. मोहन: क्या **विधि न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश में हिन्दू अविभाजित परिवारों में पुत्रियों को भी पुत्र के समान संपत्ति पर अधिकार प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन भारतीय राज्यों में कानून अधिनियमित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विधि आयोग के उन निष्कर्षों को लागू करने का है जिसमें हिन्दू अविभाजित परिवारों में पुत्र और पुत्रियों को समान अधिकार की सिफारिश की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि करने का है जिसमें यह उद्घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान रूप से जन्म लेते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) निम्नलिखित राज्य अधिनियमितियां अविभिक्त हिन्दू कुटुंब की पुत्रियों को संपत्ति के वही अधिकार प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करती हैं जो पुत्रों को प्राप्त हैं:-

(1) हिन्दू उत्तराधिकार (आंध्र प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1986;

(2) हिन्दू उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1990;

(3) हिन्दू उत्तराधिकार (कर्नाटक संशोधन) अधिनियम, 1994; और

(4) हिन्दू उत्तराधिकार (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 1994।

(ग) भारत के विधि आयोग की "महिलाओं के संपत्ति अधिकार: हिन्दू विधि के अधीन प्रस्तावित सुधार" विषय पर 174वीं रिपोर्ट की राज्य सरकारों के परामर्श से समीक्षा की गई है। चूंकि यह विषय-वस्तु भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है, इसलिए यह उचित समझा गया है कि राज्य सरकारों को, यदि राज्यों में विद्यमान परिस्थितियां किसी संसदीय विधान पर विचार किए जाने से पूर्व, ऐसे संशोधन की अनुमति देती हैं तो आवश्यक परिवर्तन किए जाने की अनुज्ञा दी जाए।

(घ) और (ङ) भारत, संयुक्त राष्ट्र संघ की 1945 में स्थापना किए जाने के समय से ही उसका मूल सदस्य है।

वस्त्र व्यापार को बढ़ावा देने हेतु योजना

575. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वस्त्र और परिधानों संबंधी समझौते की समाप्ति के पश्चात भारत अनेक उपायों को अपनाने की योजना बना रहा है ताकि इससे अन्तर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र बाजार में सहायता मिल सके;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत-पाकिस्तान-नेपाल-बांग्लादेश-श्रीलंका-भारत और चीन से अधिक कुशल उत्पादक है;

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार का विचार अपनी स्थिति में किस सीमा तक सुधार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो वस्त्र संबंधी मुद्दे पर विश्व बाजार में पूर्णत: प्रतिस्पर्धा करने के लिए पड़ोसी देशों की तुलना में भारत को इन कदमों से कितनी सहायता प्राप्त हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) दिनांक 1 जनवरी, 2005 को वस्त्र एवं कपड़ा करार की अवधि समाप्त हो जाने के कारण वस्त्र

एवं कपड़ा क्षेत्र में वैश्विक व्यापार का परिदृश्य और अधिक प्रतिस्पर्धी होने की संभावना है। इस क्षेत्र में भारतीय निर्यातकों को भी बंग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका सहित कम लागत पर आपूर्ति करने वाले विभिन्न देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। सरकार समय-समय पर ऐसे उपयुक्त कदम उठाती रही है जिनसे इस क्षेत्र में भारतीय निर्यातक वैश्विक व्यापार में उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हुए हैं। इनमें ऐसे विभिन्न उपाय शामिल हैं जिनका उद्देश्य इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण को सुविधाजनक बनाना, जनशक्ति विकास और प्रमुख वस्त्र केन्द्रों पर उपयुक्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। घरेलू वस्त्र एवं कपड़ा उद्योग के लाभार्थ कुछेक वित्तीय उपायों एवं प्रोत्साहन स्कीमों को भी कार्यान्वित किया गया है।

वनीला का निर्यात

576. श्री पी. सी. थामस: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमरीकी बाजार में जनवरी से सितम्बर, 2004 तक के वनीला के "क्यूर्ड और ग्रीन बीन्स" के मूल्य का माहवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारत में माहवार औसत मूल्य कितना था;

(ग) भारत से इस वर्ष और गत वर्ष का किसी देश को निर्यात किए गए वनीला का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत सरकार, मसाला बोर्ड अथवा केरल सरकार द्वारा किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता हेतु कोई कार्रवाई की है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान वनीला का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ है उक्त वर्षों के दौरान वनीला का कितना घरेलू उपयोग और निर्यात हुआ है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) ऐसा समझा जाता है कि यूएसए में वनीला की हरी बीन्स का कोई बाजार नहीं है। जनवरी-अगस्त 2004 की अवधि के लिए यूएसए में क्योर्ड वनीला की कीमतों के माहवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

माह (2004)	कुल दर (अम. डा. प्रति कि.ग्रा)
1	2
जनवरी	435.66
फरवरी	439.13
मार्च	353.00
अप्रैल	431.19
मई	484.09
जून	287.28
जुलाई	155.82
अगस्त	158.66
सितम्बर	129.75

स्रोत: मसाला बोर्ड

(ख) चूंकि वनीला की अत्यंत कम मात्रा का भारत से नियमित निर्यात किया जाता है। इसलिए जिस एफ ओ बी कीमत पर भारत से वनीला का निर्यात किया गया, वह कीमत अपने उत्पादन की बिक्री हेतु किसानों के लिए संदर्भ कीमत भी होती है। जनवरी से अगस्त, 2004 तक की अवधि के दौरान वनीला की मासिक औसत एफ ओ बी कीमत नीचे दी गई है:-

माह	कीमत रु./कि.ग्रा.
जनवरी	17769.76
फरवरी	18557.13
मार्च	21134.98
अप्रैल	19284.66
मई	19319.46
जून	6224.85
जुलाई	7086.40
अगस्त	6742.86

(ग) भारत ने वनीला का निर्यात यूएसए, फ्रांस, यूके, कनाडा, नीदरलैंड, जर्मनी, जापान और एस्टोनिया को किया है। वनीला के निर्यात से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए है:

वर्ष	निर्यात	
	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु.)
2003-04 (अ)	26.4	36.06
2004-05 (अ) अप्रैल-अक्तूबर	15.0	22.72

(अ)-अनुमानित
स्रोत: मसाला बोर्ड

(घ) किसानों की मदद हेतु सरकार/मसाला बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

* भारत सरकार द्वारा "राज्यों के कृषि अनुपूरकता/सम्पूरकता में वृहद प्रबन्धन" पर केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना "का योजना के जरिए प्रयास" जिसमें वनीला सहित मसालों के समेकित विकास का एक कार्यक्रम शामिल है, का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री के उत्पादन एवं वितरण, रोपण सामग्री, बृहत पैमाने पर बहुगुणन, क्षेत्र पर प्रदर्शन और किसानों को प्रशिक्षण हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

* मसाला बोर्ड ने मूल्यवर्धित सीधे निर्यात हेतु बीन्स को एकत्र करने और उनका प्रसंस्करण करने के लिए कृषि उत्पादक कंपनी के गठन हेतु वनीला उत्पादकों को प्रोत्साहित किया है।

* मसाला बोर्ड ने सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी, दोनों प्राप्त करने के लिए कंपनी (वेनिलको) की मदद की है। इस कंपनी ने अब कलिंग और प्रोसेसिंग शुरू कर दी है।

* मसाला बोर्ड वनीला उत्पादकों को उनके उत्पाद के प्रसंस्करण हेतु तकनीकी निविष्टियां (प्रशिक्षण, संवर्धनात्मक साहित्य तथा सीडी) उपलब्ध कराकर और क्योरिंग उपकरणों की खरीद हेतु सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करता है।

* मसाला बोर्ड की स्कीमें ऐसे कृषक समूहों और कंपनियों के लिए उपलब्ध है जिन्हें उनके द्वारा प्रसंस्कृत वनीला के निर्यात विपणन किसानों के द्वारा किया गया है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वनीला का राज्यवार उत्पादन निम्नानुसार रहा है:-

उत्पादन टनों में

राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
कर्नाटक	36	54	82
केरल	12	18	34
तमिलनाडु	12	19	18
कुल	60	91	134

वनीला की घरेलू खपत का कोई प्रमाणिक अनुमान उपलब्ध नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से वनीला बीन्स का निर्यात निम्नानुसार रहा है:-

वर्ष	निर्यात	
	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु.)
2002-03	25	22.26
2003-04 (अ)	26.4	36.06
2004-05 (अप्रैल-अक्तूबर) (अ)	15	22.72

(अ)-अनुमानित
स्रोत: मसाला बोर्ड

अलौहयुक्त धातुओं की उत्पादन लागत का मूल्यांकन

577. श्री अनन्त नायक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तांबा, सीसा और जस्ता जैसे उद्योगों में बुनियादी ढांचागत लागत, विद्युत लागत का विशेष ध्यान रखते हुए विदेशी प्रगालकों की तुलना में घरेलू अलौहयुक्त धातु की उत्पाद लागत का आकलन किया है; और

(ख) सरकार द्वारा इन अलौहयुक्त धातु उद्योगों द्वारा किए गए निवेश के प्राक्कलन हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जुलाई, 1991 में घोषित औद्योगिक नीति ने सभी विनिर्माण गतिविधियों को प्रतिस्पर्धा हेतु खोल दिया है। व्यापार नीति सुधार कुशलता बढ़ाने के लिए किये गये थे। उद्योग और व्यापार का उदारीकरण करने, मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने और प्रशुल्कों में उत्तरोत्तर कमी लाने से, आयातित धातुओं जैसे कि तांबा, सीसा और जस्ता की तुलना में देश में उत्पादित धातुओं की खरीद करने के लिए लागतों का आकलन करने और उद्योगों में निवेश करने के निर्णय उद्यमियों द्वारा स्वयं लिए जाते हैं जो उनके वाणिज्यिक फैसलों व स्वदेशी उत्पादन की अंतरर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा क्षमता पर आधारित होते हैं। बाजार शक्तियां अन्य बातों के साथ घरेलू निवेश व उत्पादन स्तरों का निर्धारण करती हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति में संशोधन करने के बाद 1993 में खनन क्षेत्र को खुला कर दिया है। यह क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए खोल दिया गया है।

[हिन्दी]

पुनर्वास केन्द्र योजना

578. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जिला पुनर्वास केन्द्र हेतु कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में यह योजना लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत क्या-क्या सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जिला पुनर्वास केन्द्र योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा रिलीज की गई धनराशि इस प्रकार है-

वर्ष	योजना	योजनेतर (लाख रु. में)
2004-05 अगस्त 2004 तक	-	150.00
2003-04	-	420.00
2002-03	-	420.00
2001-02	-	363.00
2000-01	-	420.00
1999-2000	-	290.00
1998-99	-	317.28
1997-98	-	282.53
1996-97	-	241.81

(घ) मौजूदा जिला पुनर्वास केन्द्र विकलांग व्यक्तियों को विस्तृत पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और निरक्षरता, अज्ञानता और गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए बहुद्देशीय दृष्टिकोण अपना रहे हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए इन केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं इस प्रकार हैं-

(1) उपकरण और यंत्र का मूल्यांकन और निर्धारण।

(2) व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम, प्रशिक्षण, कौशल और रोजगार सेवाएं।

(3) शिक्षा सेवाएं (समेकित और विशेष विद्यालय)।

(4) थेरेपी उपचार (फिजीओ, अक्यूपेशनल, स्पीच थेरेपी)।

(5) चिकित्सा/सर्जिकल सुधार।

(6) स्वरोजगार, विकलांगता पेंशन, वजीफा, बस पास, पेंशन और राज्य के अन्तर्गत अन्य लाभ।

(7) पीएचसी और उनके गांवों में मूल्यांकन क्लीनिक चलाना।

(8) जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम चलाना।

[अनुवाद]

हथकरघा बुनकरों हेतु योजना

579. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हथकरघा बुनकरों हेतु किन-किन शहरों में विपणन/खरीद केन्द्र स्थापित किए जाएंगे;

(ख) हथकरघा क्षेत्र में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) विपणन परिसरों की स्थापना योजना के तहत हथकरघा एजेंसियों की मांग और स्थान की सम्भाव्यता के आधार पर उन शहरों में विपणन परिसरों की स्थापना की गई है। अब तक जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, कानपुर, इन्दौर एवं नवी मुम्बई में विपणन परिसर स्थापित किए गए हैं। दिल्ली में एक और परिसर शीघ्र ही चालू किया जा रहा है।

(ख) भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। ये निम्नलिखित हैं:-

(1) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएचपीवाई)।

(2) विपणन संवर्धन कार्यक्रम योजना।

(3) मिल-गेट कीमत योजना।

(4) कार्यशाला-सह-आवास योजना।

(5) बुनकर कल्याण योजना

* थ्रिफ्ट फंड योजना।

* नई बीमा योजना।

* स्वास्थ्य पैकेज योजना।

(6) हथकरघा निर्यात योजना।

(7) एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना (आईएचटीपी)।

(8) डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।

वर्तमान नई योजनाएं, कौशल उन्नयन हेतु एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना, बीमा कवरेज हेतु बुनकर बीमा योजना एवं हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर हथकरघा एजेंसियों द्वारा दी गई 10% की दर से एक बारगी छूट की गैर प्लान योजना, पूर्ण रूप से शुरू किया गया है।

(ग) भारत सरकार बुनकर कल्याण योजना के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित कर रही है जिसमें स्वास्थ्य पैकेज, थ्रिफ्ट फंड एवं नई बीमा योजना शामिल है। इसके अतिरिक्त बुनकर बीमा योजना के तहत बुनकरों के लिए व्यापक बीमा कवरेज शुरू किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक समूह की स्थापना

580. श्री संतोष गंगवार:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न शहरों में उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक समूहों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) औद्योगिक समूह परियोजना के कार्यान्वयन पर व्यय की जाने वाली सम्भावित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान विदेशी उद्योगों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) से (ङ) सरकार के पास उद्योगों के विकास के लिए देश के विभिन्न नगरों में औद्योगिक समूहों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बीमा क्षेत्र को प्रभावित करने वाली नीतियां

581. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिक्की ने सर्वेक्षण के दौरान ऐसी रिपोर्ट तैयार की है जिसमें यह आशंका जताई गई कि बीमा प्रीमियम पर सेवा कर से व्यवसाय प्रभावित होगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। फिक्की ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि सेवा कर में वृद्धि से जोखिम प्रीमियम संघटक के समानुपात में देय बीमा प्रीमियम में वृद्धि होने की संभावना है।

[अनुवाद]

बैंकों का कार्य निष्पादन

582. श्री पी. एस. गढ़वी:
श्री गुरूदास कामत:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने गत वित्तीय वर्ष के दौरान अपने समग्र कार्यनिष्पादन को सुधार लिया है और अपने निवल लाभ में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दिखायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र में बैंकों द्वारा दिया गया लाभांश उनके कुल लाभ की तुलना में अपर्याप्त है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कितने लाभांश का भुगतान किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने

पिछले कुछ वर्षों में अपने कार्यनिष्पादन में सुधार किया है जिससे उनके सकल और निवल लाभ में भारी वृद्धि हुई है। उनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	सकल लाभ	निवल लाभ
2001-2002	21677 (57.03)	8304 (92.29)
2002-2003	29715 (37.08)	12295 (48.05)
2003-2004	39475 (32.83)	16546 (34.57)

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सूचना की स्वतंत्रता अधिनियमों की अधिसूचना

583. **श्रीमती मनोरमा माधवराज:**
श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा':

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 को अभी तक अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस अधिनियम को कब तक प्रभावी बनाए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ग) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने यह सूचना दी है कि सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 भारत के राजपत्र में 7 जनवरी, 2003 को अधिसूचित किया गया था और उक्त मंत्रालय को अधिनियम के उपबंधों में संशोधन करने के लिए अनेक अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त हुए हैं और उनकी समीक्षा की जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह समय उपदर्शित करना संभव नहीं है जिस तक अधिनियम को प्रवर्तन में लाए जाने की संभावना है।

उड़ीसा में बैंकों का खोला जाना

584. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के विभिन्न भागों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं खोलने हेतु जन प्रतिनिधियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने अब तक ऐसे अभ्यावेदनों पर क्या कार्रवाई की है; और

(घ) राज्य के विभिन्न भागों में वर्ष 2004-05 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की नयी शाखाओं को कब तक खोला जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उड़ीसा के जगतसिंहपुर में रहामा, कटक पारादीप रोड में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने के लिए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। वहां शाखा खोलने की संभावना तलाश करने के लिए उक्त अभ्यावेदन को भारतीय स्टेट बैंक को भेजा गया है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक की विद्यमान नीति के अनुसार अपने बोर्डों के अनुमोदन से नई शाखाएं खोलने के लिए स्थान/केन्द्र की पहचान करना स्वयं बैंक पर निर्भर है। उड़ीसा में फॉरच्यून टावर भुवनेश्वर, लांगीगढ़ एवं चंडीखोल में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राधिकार प्रदान कर दिया है। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा में एगिनिया तथा नीलगिरी में शाखाएं खोलने के लिए स्वयं को प्राधिकृत करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन भी प्राप्त हुए हैं।

एन. टी. सी. मिलों के स्वामित्व वाली भूमि का उपयोग

585. **श्री मोहन रावले:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना महाराष्ट्र सहित देश भर में एन. टी. सी. के स्वामित्व वाली भूमि का वाणिज्यिक सदुपयोग करने और घाटे में चल रही इकाइयों को निर्यात संबर्धन जोनों, सिनेमा परिसरों, मॉल्स, रेस्तराओं और अपने स्टॉफ के लिए आवासीय मकानों में परिवर्तित करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन. टी. सी. की भूमि लंदन में कैनरी व्हार्फ और न्यूयार्क में हडसन याड्र्स की तर्ज पर द्वीपीय शहर को नया रूप देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है;

(घ) क्या इसमें मुंबई की रिअल स्टेट के भविष्य को बदलने और संपत्ति के मूल्यों को कम करके इन्हें अधिक सस्ते करने की क्षमता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) एनटीसी की रुग्ण कंपनियों के लिए बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनर्वासन योजना के लिए पुनर्वासन के वास्ते संसाधन जुटाने के लिए निपटान के लिए बेशी भूमि की आवश्यकता है।

(ग) से (ङ) आशा है कि इन वस्त्र मिलों की भूमि की बिक्री और विकास से मुंबई के द्वीपीय शहर में महत्वपूर्ण नागरिक तथा वाणिज्यिक आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए अपेक्षित स्थान की व्यवस्था हो सकती है।

सोने का आयात

586. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004 के दौरान सोने के आयात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में इस समय सोने की अनुमानित मांग और उपलब्धता कितनी है;

(ग) क्या उदार आयात नियमों के बावजूद देश में सोने के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं;

(घ) जनवरी, 2004 के बाद से 10 ग्राम सोने का मासिक मूल्य कितना रहा है;

(ङ) सोने के मूल्य में वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं; और

(च) सरकार ने मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) सोने के आयात से संबंधित राज्यवार आकड़ें नहीं रखे जाते हैं। तथापि वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा पत्तनवार और वस्तुवार आंकड़े रखे जाते हैं। आयात संबंधित आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी, खण्ड-II (आयात)-वार्षिक अंक" नामक प्रकाशन में उपलब्ध है जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक कोई आंकड़ें नहीं रखता है।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू बाजारों में सोने की मासिक औसत कीमत (माह जुलाई से अक्तूबर, 2004 तक के लिए) संलग्न विवरण में दी गई है। जनवरी से अक्तूबर, 2004 तक की अवधि के दौरान भारत में सोने की प्रति 10 ग्राम की कीमतें 6187 रूपए से लेकर 6358 रुपए तक रही है। भारत में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव सामान्यत: अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप होता है।

(ङ) और (च) अंतर्राष्ट्रीय रूप से सोने की कीमतें मांग एवं आपूर्ति, निवेशकों के हित, ब्याज दर अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव आदि जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। इनका भारत में भी प्रभाव पड़ता है।

विवरण

सोने की मासिक औसत कीमतें

जनवरी	414.17	6,187.14
फरवरी	404.07	6,024.44
मार्च	406.67	5,983.26
अप्रैल	403.59	5,899.21
मई	383.36	5,728.33
जून	392.37	5,861.82
जुलाई	398.07	6,057.73
अगस्त	400.51	6,120.48
सितम्बर	405.44	6,172.00
अक्तूबर	420.84	6,358.16

उत्तरांचल में हस्तशिल्प परिसरों की स्थापना

587. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तरांचल विशेषकर हरिद्वार सहित देश भर में हस्तशिल्प परिसरों की स्थापना के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परिसरों की संख्या कितनी है और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(घ) क्या सरकार के पास उत्तराचंल राज्य में हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए निर्यात जोन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां स्थित हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ग) देश में हस्तशिल्प परिसरों की स्थापना हेतु कोई योजना नहीं है। तथापि, देश के प्रमुख स्थानों पर शहरी हाटों की स्थापना करने की योजना विद्यमान है जो हस्तशिल्प कारीगरों एवं हथकरघा बुनकरों को वर्षभर प्रत्यक्ष विपणन सुविधाएं मुहैया कराती है।

उत्तरांचल राज्य सहित अभी तक स्वीकृत सभी शहरी हाटों का वर्षवार एवं स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है। इस परियोजना लागत में सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता की सीमा 70 प्रतिशत तक है। उत्तरांचल राज्य के हरिद्वार में शहरी हाट की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(रुपये में)

क्रमांक	वर्ष	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी के नाम सहित शहरी हाट का स्थान	उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना लागत
1	2	3	4	5
1.	1998-99	उत्तर प्रदेश	आगरा, उ.प्र. राज्य पर्यटन वि. नि. लि., लखनऊ	1,05,00,000
2.	1998-99	उड़ीसा	भुवनेश्वर औद्योगिक आधारभूत विकास निगम भुवनेश्वर उड़ीसा	1,86,00,000
3.	1998-99	गुजरात	अहमदाबाद औद्योगिक विस्तारण कॉटिज (इनडेक्सट-सी) गांधीनगर	1,70,00,000
4.	1999-2000	हरियाणा	उच्चाना (करनाल) हरियाणा पर्यटन निगम, चण्डीगढ़	1,23,00,000
5.	1999-2000	जम्मू व कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प निगम, श्रीनगर	1,37,00,000
6.	1999-2000	पश्चिम बंगाल	कोलकाता, भारतीय शिल्प ग्राम, कोलकाता	1,75,00,000
7.	1999-2000	झारखंड	रांची ओद्यौगिक विकास प्राधिकरण, रांची, झारखंड	1,81,00,000
8.	1999-2000	आन्ध्र प्रदेश	तिरुपति आन्ध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम, हैदराबाद	1,67,00,000
	2000-2001	शून्य	शून्य	शून्य
9.	2001-02	राजस्थान	जयपुर उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर	सिद्धन्तत: अनुमोदित
10.	2001-2002	राजस्थान	जोधपुर उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जोधपुर	2,00,00,000
11.	2001-2002	उत्तर प्रदेश	कानपुर, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर	2,00,00,000
12.	2001-02	उत्तरांचल	देहरादून, राज्य ओद्यौगिक विकास निगम, उत्तरांचल	1,81,00,000
13.	2001-2002	मध्य प्रदेश	गौहर महल मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम, भोपाल	1,80,00,000

1	2	3	4	5
14.	2001-02	छत्तीसगढ़	रायपुर छत्तीस गढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़	1,60,00,000
15.	2001-2002	असम	गुवाहाटी, असम सरकार विपणन निगम, गुवाहाटी	1,98,00,000
16.	2001-2002	त्रिपुरा	अगरतला, त्रिपुरा हथकरघा एवं हस्तशिल्प वि. नि. लि. त्रिपुरा, अगरतला	1,35,00,000
17.	2002-2003	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर हस्त. नि. श्रीनगर	2,00,00,000
18.	2002-2003	पंजाब	पटियाला सांस्कृति विभाग, पंजाब सरकार के मार्फत इनटैक, नई दिल्ली	1,95,70,000
19.	2002-2003	उत्तर प्रदेश	लखनऊ, अवध हाट समिति, लखनऊ	2,00,00,000
20.	2002-2003	उत्तर प्रदेश	वाराणसी, उ.प्र. पर्यटन, वाराणसी, उ.प्र. सरकार	1,95,00,000
21.	2002-2003	झारखण्ड	हजारीबाग हजारीबाग कला एवं संस्कृति विकास परिषद, हजारीबाग, झारखण्ड	2,00,00,000
22.	2002-2003	केरल	त्रिवेन्द्रम, केरल राज्य हस्तशिल्प वि.नि.लि. केरल	सिद्धान्ततः अनुमोदित
23.	2002-2003	गुजरात	सूरत औद्योगिक विस्तारण कॉटिज (इनडेक्सट-सी) गांधीनगर	2,00,00,000
24.	2002-2003	गुजरात	भुज, औद्यो. वि. कॉ. (इनडे.-सी) गांधीनगर	1,42,00,000
25.	2003-2004	कर्नाटक	मैसूर जेएसएस महाविद्यापीठ, रामानुज रोड, मैसूर	1,96,00,000
26.	2003-2004	नागालैंड	दीमापुर, नागालैंड हथ.एवं हस्त. वि.नि. दीमापुर	132,43,000 प्रथम चरण 67,57,000 दूसरा चरण
27.	2003-2004	उड़ीसा	पुरी, उड़ीसा औद्योगिक आधारभूत वि.नि. भुवनेश्वर	2,40,00,000
28.	2003-2004	उड़ीसा	कोनार्क, उड़ीसा पर्यटन एवं वि.नि. भुवनेश्वर	2,00,00,000
29.	2003-2004	महाराष्ट्र	पुणे, नालन्दा प्रतिष्ठान, पुणे	सिद्धान्ततः अनुमोदित
30.	2004-2005	दिल्ली	दिल्ली	सिद्धान्ततः अनुमोदित
31.	2004-2005	पाण्डिचेरी	पाण्डीचेरी	2,00,00,000

[हिन्दी]

हथकरघा उत्पादों का निर्यात

588. श्री अजीत जोगी:
श्री डी. विट्टल राव:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003-04 में हथकरघा और वस्त्र उद्योग के निर्यात में कमी आई है;

(ख) इस वर्ष के लिए निर्यात का लक्ष्य क्या है;

(ग) निर्यात लक्ष्यों को न प्राप्त करने के क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितना निर्यात हुआ और निर्यात के माध्यम से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी नहीं। वर्ष 2003-04 के दौरान हथकरघा सहित वस्त्र उत्पादों का कुल निर्यात 13159.5 मिलियन अमेरिकी डालर में हुआ था जो 6% की बढ़त के रूप में दर्ज किया गया। वर्ष 2003-04 में हथकरघा उत्पादों के अलग से निर्यात आंकड़े हथकरघा उत्पादों के अलग आईटीसी (एचएस) कोड के अभाव के कारण उपलब्ध नहीं है। हथकरघा उत्पादों के लिए अलग आईटीसी (एचएस) कोड के आबंटन के लिए वित्त मंत्रालय और विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय के सहयोग से प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) वर्ष 2003-04 के लिए हथकरघा सहित वस्त्र उत्पादों के निर्यात के लिए 1305 मिलियन अमेरिकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ग) वर्ष 2003-04 के लिए निर्यात लक्ष्यों को न प्राप्त करने के मुख्य कारण चीन, बंगलादेश इत्यादि देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा है।

(घ) मुख्यतया मात्रावार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि पिछले तीन वर्षों अर्थात 2001-02 से 2003-04 के दौरान वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से प्राप्त निर्यात आंकड़े के अनुसार वस्त्र निर्यात के ब्यौरे (मूल्य में) निम्नवत् है:-

वर्ष	हथकरघा सहित वस्त्र निर्यात (अमेरिकी डालर में)
2001-02	10764.7
2002-03	12412.7
2003-04	13159.5

[अनुवाद]

पेटेन्ट विधेयक में संशोधन

589. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भेषज एलाएंस ने नए रूपों में आए पहले से पेटेंट किए गए मिश्रणों को सुरक्षित रखने के लिए पेंटेट (संशोधन) विधेयक में कतिपय संशोधन किए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार विश्व व्यापार संगठन समझौतों के अनुसार पेटेंट विधेयक में संशोधन करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित कर दिये जायेंगे;

(च) क्या सरकार ने पेटेंट कानूनों में संशोधन करने से पहले भारतीय कंपनियों की चिंता का समाधान करने के लिए उपाय किये है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में पहले से उपलब्ध उत्पादों के पेटेंट का दावा न कर सकें?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) से (छ) विश्व व्यापार संगठन समझौता के ट्रिप्स समझौते के अधीन, भारत 1 जनवरी, 2005 से प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में उत्पाद पेटेंट संरक्षण मुहैया कराने के लिए पेटेंट अधिनियम, 1970 को संशोधित करने के लिए वचनबद्ध है। प्रस्तावित संशोधनों के तत्वों को अभिज्ञात करने के लिए सरकार ने भेषज उद्योग के सभी वर्गों के साथ-साथ विभिन्न दावेदारों को सम्मिलित करके गहन तथा व्यापार आधार पर देशवार परामर्श किये। भारतीय भेषज एलायंस ने अपने अभ्यावेदन में अन्य बातों के साथ साथ स्वीकृति-पूर्व विरोध का अधिकार रखने, पोलीमोर्फो, हाइड्रेटोंस आइसोमरों, मेटाबोलाइटों आदि के लिए पेटेंट मंजूरी न देने का सुझाव दिया है। उक्त संशोधन को अंतिम रूप देने से पहले सभी दृष्टिकोणों और चिंताओं को समुचित रूप से ध्यान में रखा जायेगा।

बैंकन 2004

590. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बैंकर्स एसोसिएशन ने हाल ही में बैंकरों की बैठक (बैंकन 2004) बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन के दौरान कौन-कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई और तत्संबंधी परिणाम क्या हैं; और

(घ) बैंकों की सक्रिय भागीदारी से किस सीमा तक देश के विकास को बढ़ाने में मदद मिल सकती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय बैंक संघ (आई बी ए) के संगठनात्मक सहयोग से पंजाब नैशनल बैंक द्वारा 10 एवं 11 नवम्बर, 2004 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में बैंकर सम्मेलन (बैंकन) आयोजित किया गया था। "भारतीय बैंकिंग: वैश्विक अभिलाषाओं को साकार करना" इस सम्मेलन का विषय-वस्तु था। 1200 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। भारत एवं विदेशों से आए बैंकरों, नियामकों, परामर्शदाताओं, विद्वानों एवं कॉरपोरेट लीडरों से सूचीबद्ध प्रतिनिधियों एवं वक्ताओं वाले पांच तकनीकी सत्र थे।

(ग) इन पांच तकनीकी सत्रों में बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्रों से संबंधित जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श हुए उनमें ये शामिल थे-- (1) भारत से वैश्विक विजेता का सृजन, (2) कारपोरेट प्रबंध: बेहतर कार्यप्रणाली की ओर, (3) उद्यम विकास एवं व्यष्टि वित्त में बैंकों की भूमिका, (4) बैंक में प्रौद्योगिकी: भविष्य तथा (5) बासेल-II-नये विपणन परिप्रेक्ष्य। ये तकनीकी सत्र चिन्तोद्दीपक थे तथा प्रतिनिधियों ने इनमें सक्रिय रूप से भाग लिया। आशा की जाती है कि इन परस्पर संवादात्मक सत्रों से व्युत्पन्न मुद्दों से नियामकों को बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र के लिए उपयुक्त नीतिगत उपायों को तैयार करने में सहायता मिलेगी।

(घ) बैंकरों को रोजगार सृजन, अनुसंधान एवं विकास, मानव पूंजी के विकास के लिए शैक्षिक ऋण के लिए सहायता देकर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख-सुविधाएं (पीयूआरए) देकर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। बैंकरों को परम्परागत भूमिकाओं से बाहर निकलकर कृषि, लघु उद्योग क्षेत्र एवं आधारभूत क्षेत्र में विकास के लिए नये उपाय एवं साधनों का विकास करना है।

निर्यात संवर्धन परिषदों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का कार्यकाल

591. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात संवर्धन परिषदों के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का कार्यकाल प्रशासन समिति के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल के समतुल्य है;

(ख) यदि नहीं, तो निर्वाचन के बिना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद पर बने रहने की अनुमति देने का क्या औचित्य है;

(ग) गत वर्षों के दौरान निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा नियोजित/कार्यान्वित कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है और वह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि प्राथमिकता के आधार पर सुनियोजित कार्यकलापों को पूरा किया जाए;

(घ) निर्यात संवर्धन परिषद के वार्षिक आम सभा के लिए आवश्यक कोरम संबंधी ब्यौरा क्या है और आवश्यक कोरम के बिना वार्षिक आम सभा की बैठक कब-कब बुलाई गई; और

(ङ) वार्षिक आम सभा के कोरम को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और चूककर्ता परिषदों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा नियोजित/कार्यान्वित किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) को अपनाए जाने के लिए प्रचालित माडल अनुच्छेदों/उप-नियमों के अनुच्छेद 17.2 में निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) की वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) के लिए अपेक्षित उपस्थिति (कोरम) का प्रावधान है। प्रत्येक ईपीसी के द्वारा अपनाए गए अनुच्छेदों/उप-नियमों का एजीएम का आयोजन करने सहित सभी मामलों में अनुपालन करना अपेक्षित है। सरकार को ऐसा कोई मामला सूचित नहीं किया गया है जब एजीएम का अपेक्षित कोरम के बिना आयोजन किया गया हो।

(ङ) विभिन्न विभागों में संबंधित प्रशासनिक प्रभाग यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके अधीन परिषदों की एजीएम इन अनुच्छेदों/उप-नियमों के अनुसार आयोजित की जाएं।

विवरण

वर्ष 2003-04 के दौरान एमडीए के अंतर्गत नियोजित/कार्यान्वित ईपीसी के निर्यात संवर्धन कार्यकलाप

सं.	परिषद का नाम	कार्यकलापों की सं.
1	2	3
1.	परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	22
2.	काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन	9

1	2	3
3.	कारपेट निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	3
4.	कैपेक्सिल, कोलकाता	17
5.	सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई	-
6.	चर्म निर्यात परिषद चेन्नई	21
7.	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद कोलकाता	36
8.	हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	20
9.	इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर ईपीसी, नई दिल्ली	12
10.	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई	15
11.	हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई	6
12.	भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई	4
13.	परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पूर्व में ओसीसीआई), नई दिल्ली	9
14.	प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई	29
15.	पावरलूम विकास एवं ईपीसी, मुम्बई	2
16.	खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	9
17.	सिंथेटिक एवं रेयॉन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई	18
18.	वूल एवं वूलन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	9
19.	कैमेक्सिल, मुम्बई	45
20.	चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, कोलकाता	8
21.	ईओयू एवं एसईजैड इकाइयों के लिए ईपीसी, नई दिल्ली	8
22.	वूलटेक्सप्रो, मुम्बई	1

माधवपुरा मर्केन्टाइल बैंक का विफल होना

592. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने माधवपुरा मर्केन्टाइल बैंक की विफलता के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंक के विफल होने में किन व्यक्तियों को लिप्त पाया गया;

(घ) सरकार ने ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की और उनसे कितने सार्वजनिक धन की वसूली की गई; और

(ङ) सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान माधवपुरा मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि. (एमएमसीबी) ने उधार देने संबंधी मानदण्डों का घोर उल्लंघन करते हुए विशेष तौर पर स्टॉक ब्रोकिंग फर्मों को अंधाधुंध उधार दिया था। मार्च 2001 में मुम्बई के एक अग्रणी स्टॉक ब्रोकर, जिसे शेयर के कारोबार में भारी घाटा हुआ था, को बैंक द्वारा बड़े पैमाने पर एक्सपोजर की अफवाहों के परिणामस्वरूप बैंक में भारी मात्रा में आकस्मिक आहरण हुआ था। मार्च 2001 में भारी मात्रा में जमाराशियों की निकासी की गई थी जिसके परिणामस्वरूप बैंक के लिए घोर चल-निधि समस्या पैदा हो गई। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अन्तर्गत बैंक को निदेश जारी करके कतिपय परिचालनों पर रोक लगा दी और सहकारी समितियों के सेन्टल रजिस्ट्रार (सीआरसीएम) से निदेशक मंडल के स्थान पर काम करने तथा प्रशासक नियुक्त करने के लिए कहा है। सहकारी समितियों के सेन्ट्रल रजिस्ट्रार ने बोर्ड के काम को अपने हाथ में ले लिया था और बैंक के कार्यों को देखने के लिए 14 मार्च, 2001 को प्रशासक नियुक्त कर दिया था। स्टॉक घोटाले की जांच करने के लिए 26 अप्रैल 2001 को लोक सभा में प्रस्ताव (मोशन) के माध्यम से एक संयुक्त संसदीय समिति का भी गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और भारत सरकार ने समिति की टिप्पणियों/निष्कर्षों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट संसद में पेश कर दी है।

(ग) और (घ) बैंक के प्रबंध बोर्ड को एमएमसीबी की असफलता के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी पाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री रमेशभाई नंदलाल पारेख, अध्यक्ष और श्री देवेन्द्र प्रसाद पंडया, मुख्य कार्यपालक तथा प्रबंध निदेशक के विरुद्ध उनके कॉल मनी उधार एवं अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने संबंधी आश्वासन को पूरा कर पाने में असफलता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को गलत सूचना देने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 एवं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अन्तर्गत मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आपराधिक

शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। एमएमसीबी ने भी 437 खातों के संबंध में मुकदमा दायर किया है जिनमें 220.51 करोड़ रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त थी और 930 खातों के संबंध में कानूनी नोटिस जारी किये हैं जिनमें 1456.64 करोड़ रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त थी।

(ङ) अप्रैल 2001 से शहरी सहकारी बैंक की प्रणालीगत खामियों को ठीक करने तथा पर्यवेक्षण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, पूंजी पर्याप्तता मानदंडों, सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश, शेयरों एवं डिबेंचरों के बदले बैंक वित्त, मांग/नोटिस मुद्रा बाजार में परिचालन, ''एनपीए वर्गीकरण'' के लिए 90 दिनों का मानदंड लागू किए जाने आदि के बारे में मार्गनिर्देश शामिल हैं।

सोने की तस्करी

593. श्री विजय कृष्ण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अक्तूबर, 2004 के ''नवभारत टाइम्स'' में ''देश में खूब चमक रहा है सोने की तस्करी का धंधा'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मुख्य तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में सोने की तस्करी बढ़ रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने सोने की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) इस लेख में निम्नलिखित मुख्य तथ्य सामने लाए गए हैं:

(1) बैंकरों तथा स्वर्ण विश्लेषकों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 8,000/- करोड़ रुपये मूल्य के सोने की तस्करी की जा रही है।

(2) अन्य अनुमानों के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 3000 टन सोने की तस्करी की जा रही है।

(3) विश्लेषकों के अनुसार इस बात का खतरा है कि स्वर्ण के रूप में मुद्रा के इस तरह से अवैध विनियम का उपयोग राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

(4) सोने तथा कीमती पत्थरों का उपयोग काले धन की जमाखोरी के लिए किया जाता है।

(5) वरिष्ठ बैंकरों के अनुसार, भारत में स्वर्ण पर प्रतिबंधक नीति है और इस कारण सोने के घरेलू मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से अधिक हैं। इसके परिणामस्वरूप सोने की तस्करी/जमाखोरी जारी है।

(ग) जी नहीं। यह पिछले 3 वर्षों के दौरान जब्त किए गए सोने के मूल्य से स्पष्ट हो जाएगा, जो निम्नवत है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	जब्त सोने का मूल्य
2001-02	25.04
2002-03	14.53
2003-04	2.48

(घ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क के सभी क्षेत्रीय कार्यालय सोने सहित समस्त निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी की पहचान और रोकथाम के लिए सतर्क व चौकस है।

जीवन बीमा निगम का पब्लिक ऑफर

594. श्री बालासाहिब विखे पाटील:
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध में अपनी 6 प्रतिशत बाजार भागीदारी खो दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम ने 2000 करोड़ रुपए की पब्लिक आफरिंग हेतु अनुमानित मांगी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसका कार्यनिष्पादन सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि चालू वर्ष के प्रथमार्ध में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्रथम प्रीमियम आय में 62.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तथापि, आंशिक रूप से बाजार में क़ड़ी

स्पर्धा और अंशत: बंदोबस्ती बीमा, आजीवन एवं अवधि अश्वासन परियोजनाओं जैसे पुराने उत्पादों पर बल दिया जाना जारी रहने के कारण उनके बाजार शेयर में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6 प्रतिशत की कमी आई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अपने निष्पादन में सुधार लाने के लिए जीवन बीमा निगम ने नवम्बर, 2004 मे तीन नए उत्पाद प्रारंभ किये हैं। वे अब यूनिट सहबद्ध स्कीम के विपणन और व्यक्तिगत पेंशन योजनाओं पर उत्पाद फोकस कर रहे हैं, जो कि बाजर में लोकप्रिय है। अन्य कार्यों में बैंकों के साथ मिलकर सामूहिक व्यवसाय में वृद्धि करना; निधि प्रबंधन के लिए उत्पादों को डिजाइन करना, विकास अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन बोनस वाली नई विकासोन्मुखी स्कीम चलाना आदि शामिल हैं।

कच्चे रेशम का उत्पादन और आयात

595. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चे रेशम के घरेलू उत्पादन में कमी आई है तथा इसके आयात में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लाभकारी मूल्य को प्रदान करने साथ कच्चे रेशम का घरेलू उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) जी, हां। अपरिष्कृत रेशम के घरेलू उत्पादन में कमी और आयात में वद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान अपरिष्कृत रेशम उत्पादन और आयात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन (मी. टन)					अपरिष्कृत रेशम का आयात (मी. टन)
	शहतूती	तसर	एसी	मूगा	कुल	
2001-02	15842	249	1160	100	17351	6808
2002-03	14617	284	1316	102	16319	9054
2003-04	13970	315	1352	105	15742	9258

अपरिष्कृत रेशम के उत्पादन में गिरावट आने का मुख्य कारण वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान परंपरागत राज्यों यथा कर्नाटक तथा तमिलनाडु में निरंतर सूखे की स्थिति बनी रहना था जिसके फलस्वरूप शहतूती अपरिष्कृत रेशम उत्पादन में गिरावट आई। तथापि, 2002-03 और 2003-04 के दौरान गैर-शहतूती रेशम उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई। इसके साथ ही वर्ष 2001 से मुख्यत: चीन से अपरिष्कृत रेशम के आयात होने के साथ कीमतों में तेजी से गिरावट आने से भारतीय रेशम बाजार बिगड़ गया और उसका अधिकांश राज्यों विशेष रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अनेक कोसा उत्पादकों की फसल के पैटर्न पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ग) लाभप्रद कीमत से घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएं शुरू की गयी है। उनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं:-

* अधिक उत्पादक और दाब सहनशील प्रजातियों तथा शहतूती और गैर-शहतूत खाद्य पादपों और रेशम कीटों की संकर प्रजातियों के विकास द्वारा, रेशम उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने तथा रेशम में कम लागत वाली रीलिंग एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयास तेज किए गए हैं।

* केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों, किसानों एवं रीलर्स को मूल प्रजाति एंव मूल बीज के रखरखाव, वाणिज्यिक बीज की आपूर्ति और रोग मुक्त अधिक पैदावार और सूखा रोधक बीजों के उत्पादन के लिए खाद्यान्न सुविधाओं के संवर्धन द्वारा बीज सहायता एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

* राज्यों को कृषि अध्यसंरचना के सुदृढ़ीकरण, रेशम उत्पादन के तहत क्षेत्रफल में वृद्धि, रीलिंग सुविधाओं के उन्नयन परिष्करण प्रक्रियाओं में सुधार, बीच आपूर्ति कोया एवं रेशम परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एवं केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

* केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विकसित की गई निम्न लागत एवं उत्पादकता बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों को लाभार्थियों को केन्द्रीय सहायता, राज्यों की विस्तार मशीनरी एवं लाभार्थियो प्रशिक्षण विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन आदि के माध्यम से लोकप्रिय किया जा रहा है।

* स्वदेशी रेशम उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वस्त्र के वास्ते प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस) के तहत लागू बैंक दर से 5% बिंदु कम पर ऋण अन्य बातों के साथ-साथ रेशम क्षेत्र के लिए उपलब्ध है।

* किसानों, अपरिष्कृत रेशम उत्पादकों और बुनकरों के मध्य आपूर्ति श्रृंखला संबंधी मुद्दों का कांट्रेक्ट खेती मॉडल, कीमत संबद्ध ग्रेडिंग आदि का पक्ष लेकर समाधान किया जा रहा है।

* उपर्युक्त कार्य नीति एवं कार्यक्रमों की सहायता के लिए रेशम उत्पादन क्षेत्र के वास्ते 10वीं योजना में 450 करोड़ रु. की राशि की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन. टी. सी.) के कार्य को निजी कंपनियों को पट्टे पर देना

596. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:**
श्री देविदास पिंगले:
श्री वाई. जी. महाजन:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन. टी. सी.) मिलों का कुछ भाग निजी कंपनियों को पटटे पर देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए निजी कंपनियों को अनुमति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं तथा एन.टी.सी. के लिए कुल कितने हिस्से हेतु इन कंपनियों को कार्य करने की अनुमति दी गई है;

(घ) क्या सरकार एन. टी. सी. के कर्मचारियों की संख्या घटाएगी; और

(ङ) सरकार द्वारा किन कारणों से ये कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) सरकार ने बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत पुनर्वासन योजना के अनुसार कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम के लिए एक संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पहले ही शुरू कर दी है। 01.11.2004 की स्थिति के अनुसार अब तक 43,894 कर्मचारियों ने वीआरएस ले ली है।

[अनुवाद]

कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात

597. **श्री गुरूदास दासगुप्त:**
श्री सी. के. चन्द्रप्पन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य पड़ोसी और विकसित देशों की तुलना में भारत में कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात काफी कम है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात का वर्षवार ब्यौरा क्या है तथा पड़ोसी देशों और बड़े विकसित देशों के साथ इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(ग) आगामी वर्षों में कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारत सहित चुनिन्दा पड़ोसी एवं विकसित देशों का "विषय विकास संकेतक" नाम के विश्व बैंक दस्तावेज में दिए गए कर राजस्व स.घ.उ. अनुपात निम्नानुसार हैं:

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व

देश	2000	2001	2002
1	2	3	4
आस्ट्रेलिया	21.9	22.0	-
बंगलादेश	7.0	7.0	-
चीन	6.8	6.8	-

1	2	3	4
भारत	9.6	10.0	9.9
इंडोनेशिया	16.5	13.2	13.6
पाकिस्तान	12.1	12.4	12.9
श्रीलंका	14.5	14.6	14.5
थाईलैंड	14.1	14.5	14.4
यूनाइटेड किंगडम	34.6	34.3	-
संयुक्त राज्य अमेरीका	20.1	19.4	17.7

स्रोत: विश्व बैंक-विश्व विकास संकेतक 2002, 2003 और 2004

(ग) सरकार ने प्रक्रियाओं के युक्तिकरण और सरलीकरण के माध्यम से कराधार को व्यापक बनाने और अनुपालन में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम केन्द्र सरकार को बड़े कर सुधारों जो करदाताओं के आधार को और बढ़ाकर कर अनुपालन में वृद्धि कर और कर प्रशासन को और प्रभावी बनाए, को अपनाकर कर-स.घ.उ. अनुपात में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। 8 जुलाई, 2004 को संसद में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2004-05 में प्रस्तावित कर उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-रिश्तेदारों से 25,000 रुपए की तय सीमा से अधिक की राशि के उपहारों का कराधान, सेवाकर का अन्य सेवाओं तक विस्तार और सेवा कर की दर को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना और शिक्षा उपकर को लगाया जाना शामिल है। वर्ष 2004-05 के बजट अनुमान कर-स.घ., उत्पादन को 2003-04 (सं. अ.) में 9.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.2 प्रतिशत करने का संकेत देते हैं।

विदेश व्यापार महानिदेशालय में निर्यात आयुक्त की नियुक्ति

598. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.) में नए निर्यात आयुक्त की नियुक्ति की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर नियुक्ति करने से पहले सतर्कता स्वीकृति प्राप्त की गई थी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) ऐसी सरकार की नीति के अनुसार किया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों हेतु योजना के लाभों को न दिया जाना

599. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल राज्य सरकारों के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को वरिष्ठ नागरिकों हेतु बचत योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने न 60 वर्ष आयु पूरी की है और न ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन की इस विसंगति को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) केन्द्र सरकार की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त व्यक्ति जिन्होंने 55 वर्ष अथवा उससे अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम आयु प्राप्त कर ली है, वे अपनी सेवानिवृत्ति लाभों का अधिकतम भाग अथवा पन्द्रह लाख रुपए, जो भी कम हो, निवेश करने हेतु पात्र हैं।

[हिन्दी]

निजी टेलीविजन चैनलों द्वारा भुगतान किया गया आयकर

600. श्री राजेश पाठक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न निजी टेलीविजन चैनलों द्वारा भुगतान किए गए आयकर का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार विभिन्न निजी टेलीविजन चैनलों पर बकाया आयकर का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस आयकर की वसूली हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण अधिनियम में संशोधन

601. **डा. राजेश मिश्रा:**
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 60,000 करोड़ से ऊपर की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की शीघ्र वसूली हेतु कानून को और मजबूत बनाने हेतु सेक्यूरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन आफ फाइनान्सियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट आफ सेक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 को संशोधित करने का है जोकि न्यायालय के एक निर्णय से पहले ही हल्का हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित संशोधन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) बैंकों की अतिरिक्त निधियों की सरकारी और आर.ई.डी.एफ. बान्ड्स के रूप में रखने आदि को रोकने तथा इन निधियों का निवेश, अवसंरचना और प्राथमिकता वाले क्षेत्र, विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्यमों में बढ़ाने हेतु अपनाए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। प्रतिभूति हित का प्रवर्तन एवं ऋण वसूली विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004 को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 को संशोधित करने के लिए दिनांक 11.11.2004 को जारी किया गया है।

(ख) इस अधिनियम में किए गए संशोधन नीचे दिए गए हैं :-

(1) प्रतिभूत ऋणदाता केवल उसी स्थिति में प्रतिभूत आस्ति पर कब्जा करने के लिए सक्षम होगा जब उधारकर्ता की आपत्तियों के अस्वीकार करने के कारण लिखित रूप में उन्हें सूचित किया हो।

(2) प्रतिभूत आस्तियों के अधिग्रहण के पश्चात उधारकर्ता राशि को जमा किए बिना डीआरटी में आवेदन कर सकता है।

(3) डीआरटी द्वारा मामले के निपटान के पश्चात यदि उधारकर्ता व्यक्ति हो तो वे डिक्री राशि के 50% को जमा कर डीआरटी में आवेदन कर सकते हैं, इस राशि को डीआरटी 25% तक कम कर सकता है।

(4) धारा 13(4) के तहत उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन को कब्जे में लेने का प्रावधान है।

(5) सभी लंबित आवेदनों को विभिन्न डीआरटी से एक डीआरटी में स्थानान्तरण के लिए अपीलीय अधिकरण को अधिकार देना।

(6) प्रतिभूतिकरण कंपनियों एवं आस्ति पुनर्गठन कंपनियों से आवधिक विवरणों एवं सूचना मंगवाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को शक्ति प्रदान करना।

(ग) आईडीबीआई, आईडीएफसी, आईसीआईसीआई, बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, बैंक आफ बड़ौदा एवं पंजाब नैशनल बैंक ने एक अन्त: संस्थागत समूह (आईआईजी) की स्थापना की है। वे प्रतिदेय आधार पर अपने संसाधनों को जुटायेंगे तथा जब कभी भी आवश्यकता होगी वे 40,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाएंगे। आईआईजी ऋण समझौता एवं आधारभूत परियोजनाओं के प्रवर्तन के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करेगा। सिडबी से कहा गया है कि वे 10,000 करोड़ रुपए के कारपस के साथ लघु एवं मध्यम उद्यम फंड का सृजन करें। सिडबी के अपने कार्यालयों के माध्यम से तथा इन प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करके एसएमई को ऋण दिए जा रहे हैं। एसएफसी के लिए पुनर्वित्त 7.5% से 8% के ब्याज दर बैंक में उपलब्ध है। एसएफई फंड में एस एफ सी के अतिरिक्त वाणिज्य बैंकों के माध्यम से रूटीन सहायता का प्रावधान है। फंड के सुचारू परिचालन के लिए भारत सरकार ने मध्यम उद्यम के रूप में योग्य बनने के लिए यूनिट हेतु एक करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक संयंत्र एवं मशीन में निवेश की सीमा को अनुमोदित कर दिया है।

[हिन्दी]

न्यायिक प्रणाली का आधुनिकीकरण करने हेतु राज्यों को अनुदान

602. **श्री सुरेश चन्देल:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्त के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू बनाने और आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित करने संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में समान अंशदान करना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश राज्य अपनी दयनीय वित्तीय स्थिति के कारण अपना अंशदान देने में विफल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी योजनाएं क्रियान्वित नहीं जा सकी है;

(ग) यदि हां, तो केंद्र सरकार द्वारा इन राज्यों को शत-प्रतिशत अनुदान देकर न्यायिक प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी हां।

(ख) से (घ) 1993-94 में इस कार्यक्रम के आरंभ होने के पश्चात राज्यों ने तारीख 30.09.2004 तक इस कार्यक्रम के अधीन 552.37 करोड़ रुपए का अभिदाय किया है। वर्तमान में राज्यों से एक दसवर्षीय भावी योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है, जो नए संनिर्माणों और साथ ही पुराने भवनों के नवीकरण दोनों का हिसाब रखेगी और जिसके आधार पर स्कीम के लिए परिव्यय और रूपात्मकता, दोनों को योजना आयोग के परामर्श से पुन: तैयार किया जाएगा।

उद्योगों की स्थापना करने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

603. **श्री काशीराम राणा:**
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री सीताराम सिंह:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मामलों की क्षेत्रवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उसमें अंतर्ग्रस्त कुल धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार एफआईपीबी के पास स्वीकृति हेतु कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(घ) इन मामलों को स्वीकृति देने में विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा अनुमोदित क्षेत्रवार मामले और उनमें वर्षवार अंतर्ग्रस्त कुल धनराशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) सामान्यत: आवेदनों के पंजीकरण की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड स्वीकृतियां दे दी जाती हैं। 6 सप्ताह की उक्त अवधि से अधिक कोई वैध आवेदन विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड के पास लंबित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नीति, प्रक्रियाओं और संस्थाओं के अर्थ में एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी निवेश माहौल उपलब्ध करा कर सरकार इस क्षेत्र में भारत को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने के सतत् प्रयास कर रही है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को अधिक निवेशक अनुकूल बनाने के लिए सतत् आधार पर पुनरीक्षण किया जाता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से, सरकार ने अधिकांश क्रियाकलापों में 100% तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वचालित मार्ग द्वारा प्रवेश की अनुमति दे दी है।

विवरण

विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा अनुमोदित क्षेत्र-वार ब्यौरों सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कैलेंडर वर्ष-वार प्रस्ताव

क्र.सं.	क्षेत्रक	एफआईपीबी द्वारा अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामलों की कैलेंडर वर्षवार संख्या			उनमें कैलेंडर वर्षवार सन्निहित कुल राशि (करोड़ रुपए)		
		2002	2003	2004 (सितम्बर तक)	2002	2003	2004 (सितम्बर तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	धातुकर्मीय उद्योग	13	12	11	87.06	28.25	110.78
2.	ईंधन (विद्युत एवं तेल शोधनशाला)	23	26	16	216.54	171.82	156.13

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बायलर्स एवं भाप उत्पादन संयंत्र	3	-	-	0	0	0
4.	विद्युत उपस्कर (एस/डब्ल्यू तथा इलै. शामिल है)	210	200	168	874.80	515.13	214.36
5.	दूरसंचार	43	44	33	230.94	352.69	144.88
6.	परिवहन उद्योग	72	59	25	1423.56	801.34	334.44
7.	औद्योगिक मशीनरी	36	12	17	195.06	1.17	41.07
8.	मशीन उपकरण	4	8	2	1.96	6.00	0
9.	कृषि मशीनरी	2	0	0	4.30	0	0
10.	अर्थ मूविंग मशीनरी	0	1	3	0	0.25	2.06
11.	विविध यांत्रिकी एवं अभियान्त्रिकी	35	30	18	176.58	12.56	30.69
12.	व्यावसायिक, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	3	11	3	0.14	3.32	1.31
13.	चिकित्सीय तथा शल्यक उपकरण	5	7	3	8.03	12.95	0.75
14.	औद्योगिक उपकरण	6	11	3	9.17	18.42	8.11
15.	उर्वरक	1	0	2	0.16	0	4.28
16.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	52	32	19	269.77	69.81	948.73
17.	छायाचित्रण कच्ची फिल्म और कागज	2	0	0	1.09	0	0
18.	डाई-सामान	2	1	0	8.88	0.03	0
19.	औषध तथा औषधीय सामान	27	26	18	81.02	89.48	335.42
20.	वस्त्र (डाई किए हुए तथा छपे हुए सहित)	15	17	6	54.12	17.46	15.83
21.	कागज उत्पाद समेत कागज तथा गूदा	3	6	1	241.21	20.35	2.50
22.	चीनी	2	0	1	1.65	0	5.00
23.	संधान उद्योग	1	2	2	790.00	0	7.79
24.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	15	13	12	179.06	33.88	60.07
25.	वेजीटेबल आयल और वनस्पति	4	6	4	21.59	7.11	13.51
26.	साबुन, सौंदर्य प्रसाधन एवं प्रसाधन सामग्री	1	1	1	16.13	2.16	0.50
27.	रबड़ से निर्मित वस्तुएं	10	5	3	58.25	0.90	1.75
28.	चमड़ा, चमड़े से निर्मित वस्तुएं एवं पिक्चर्स	5	6	1	1.41	8.48	0.05
29.	शीशा	7	6	6	230.49	3.93	234.39

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	मृतिका	4	5	3	0.86	24.22	0.84
31.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	5	0	2	9.93	0	30.98
32.	टिम्बर उत्पाद	1	1	1	0.06	1.82	0.92
33.	परामर्शदात्री सेवाएं	49	28	25	91.21	13.42	40.65
34.	सेवा क्षेत्र	58	41	47	1192.61	480.40	1461.15
35.	होटल एवं पर्यटन	30	12	7	38.30	22.57	75.92
36.	कारोबार	45	70	56	132.08	829.49	230.89
37.	विविध उद्योग	46	45	43	619.25	240.59	1196.81
	जोड़	840	744	562	7267.27	3790.00	5712.57

[अनुवाद]

हथकरघा क्षेत्र को प्रोत्साहन

604. श्री डी. विट्टल राव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हथकरघा उद्योग के विकास हेतु चालू वर्ष के दौरान हथकरघा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के विकास एवं हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए कई प्लान योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। ये निम्नलिखित हैं:-

(1) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएचपीवाई)।

(2) कार्यशाला-सह-आवास योजना।

(3) बुनकर कल्याण योजना।

* थ्रिफ्ट फंड योजना।
* नई बीमा योजना।
* स्वास्थ्य पैकेज योजना।

(4) हथकरघा निर्यात योजना।

(5) विपणन संवर्धन कार्यक्रम योजना।

(6) डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(7) मिल गेट कीमत योजना।

(8) एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना (आई एच टी पी)।

(9) बुनकर बीमा योजना।

उपर्युक्त योजनाओं के लिए बजट अनुमान 2004-05 में 154.56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष (31.10.2004 तक) के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के तहत 79.84 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

राष्ट्रमण्डल के स्वतंत्र देशों के साथ व्यापार

605. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रमण्डल के स्वतंत्र देशों (सी.आई.एस.) के साथ देश के व्यापार को बढ़ाने की व्यापक गुंजाइश है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय द्वारा सी. आई. एस. के साथ वर्ष 2004-05 अथवा आगामी वर्षों हेतु कोई व्यापार योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) से (ग) स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल के देशों के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से वर्ष 2003-04 के लिए एक्जिम नीति की घोषणा के समय 31 मार्च, 2003 को "फोकस: सीआईएस" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्रथम चरण में उक्त कार्यक्रम में सात देशों अर्थात कजाकिस्तान किरगिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान तथा यूक्रेन पर जोर दिया गया था। अप्रैल, 2004 से इस कार्यक्रम के दायरे को बढ़ा दिया गया है ताकि उसमें कजाकिस्तान, किरगिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान तथा यूक्रेन के साथ सभी 12 सीआईएस देशों अर्थात रूसी परिसंघ, अर्मीनिया, जार्जिया, बेलारूस तथा मोलदोवा को शामिल किया जा सके।

इस कार्यक्रम को उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश के क्षेत्रों को अभिज्ञात करके दोनों क्षेत्रों की व्यावसायिक सत्ताओं के बीच सम्पर्क को बढ़ाना है। भारत सरकार, इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन, निर्यात संवर्धन परिषदों, शीर्षस्थ वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों, भारतीय मिशनों एवं एक्जिम बैंक, निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) इत्यादि जैसे संस्थानों के संयुक्त प्रयासों द्वारा इस क्षेत्र को होने वाले निर्यातों का संवर्धन करने की परिकल्पना की गई है।

कार्यक्रम का ब्यौरा विभाग की बेवसाइट www.commercial.nic.in पर "व्यापार संवर्धन कार्यक्रम" शीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध है।

तम्बाकू निर्यात में अनुमानित बढ़ोतरी

606. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिम्बाबे और चीन द्वारा तम्बाकू उत्पादन में कमी तथा यूरोपीय यूनियन द्वारा तम्बाकू उत्पादकों को दी जा रही राज सहायता को वर्ष 2007-08 तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के परिणामस्वरूप वर्तमान से भारतीय तम्बाकू की मांग में बढ़ोत्तरी हुई है और भविष्य में भी बढ़ोत्तरी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार इस मौके का फायदा उठाने पर विचार कर रही है तथा यूरोपीय व अन्य देशों में तम्बाकू की मांग को पूरा करने हेतु भारतीय तम्बाकू उत्पादकों को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के दौरान तम्बाकू की कुल कितनी मांग रही है और किस हद तक इस मांग को पूरा किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विश्व बैंक द्वारा ऋण दिया जाना

607. श्री के. एस. राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा किए प्रयासों की वजह से विश्व बैंक बारत को दिए जाने वाले ऋण को बढ़ाने पर राजी हो गया है जैसा कि 19 अक्तूबर, 2004 के "पॉयनियर" में इस आशय की खबर छपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन निधियों को किस तरीके से और किन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक ने गत पांच वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) के लगभग 1 बिलियन अमरीकी डालर के औसत उधार की तुलना में भारत को 2.15 बिलियन अमरीकी डालर प्रति वर्ष तक का उधार देने की पेशकश की है। बैंक के प्रबंधकों ने जुलाई, 2005 से शुरू होने वाली तीन वर्ष की अवधि के दौरान भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) का लगभग 3.7 बिलियन अमरीकी डालर का उधार देने की पेशकश भी की है।

(ग) बैंक के ये उधार देश में अवसंरचना, मानव विकास, ग्रामीण आजीविका, शहरी विकास और कृषि इत्यादि जैसे क्षेत्रों में विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु इस्तेमाल किए जाएंगे।

शहरी सहकारी बैंक

608. श्री जुएल ओराम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) ने देशभर के शहरी सहकारी बैंकों को काली सूची में नामजद उन ठेकेदारों के नामों की सूची देने को कहा है जिन्होंने आवासीय ऋण के मामले में धोखाधड़ी की है;

(ख) क्या किसी शहरी सहकारी बैंक ने आर. बी. आई. को ऐसी कोई सूची भेजी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास वित्त में बढ़ती जा रही धोखाधड़ी के बारे में सावधानी संबंधी सूचना देते हुए 01 सितम्बर, 2004 को सभी शहरी सहकारी बैंकों को एक परिपत्र जारी किया है तथा साथ ही, उनके द्वारा उठाने जाने वाले उपचारात्मक उपायों के बारे में भी सूचित किया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न, नहीं उठते।

गरीब देशों को ऋण

609. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने कई गरीब और अल्प विकसित देशों को 'लाइन ऑफ क्रेडिट' प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और किन-किन देशों को 'लाइन ऑफ क्रेडिट' दिया गया है;

(ग) इन देशों की ओर कितनी मूल्य राशि और ब्याज बकाया है; और

(घ) सरकार द्वारा उन देशों से इस राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार के विभिन्न देशों जैसे-बांग्लादेश, कम्बोडिया, कजाकस्तान, केन्या, किर्गिस्तान, लाओ पीडीआर, मारिशस, मंगोलियां, म्यांमार सेशेल्स, श्रीलंका, सूरीनाम, ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, यमन एवं जिम्बाब्वे के साथ ऋण श्रृंखलाओं के विस्तार हेतु 6555 मिलियन + 382.56 मिलियन अमरीकी डॉलर की कुल राशि के ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों पर मूलधन एवं ब्याज पर क्रमश: 3,694,433,465.21 रु. + 172,103,110.92 अमरीकी डॉलर तथा 471,580,742.69 रु. + 13,760,705,25 अमरीकी डॉलर की राशि बकाया है।

(घ) ऋण करारों के अनुसार प्राप्तकर्त्ता देशों का यह कर्तव्य है कि वे देयताओं का पुनर्भुगतान करें। जिन मामलों में किसी प्राप्तकर्त्ता देश को पुनर्भुगतान में समस्याएं होती है, तो मामले को विदेश मंत्रालय के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है।

विश्व बैंक सहायता

610. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान भारत को दी गई सहायता राशि में कटौती की थी;

(ख) यदि हां, तो सहायता राशि में कटौती से विकास सहायता किस हद तक प्रभावित होगी; और

(ग) विश्व बैंक सहायता में कटौती के कारण शुरू न की जा सकी योजनाओं को ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नही उठता।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग की नई इकाइयों की स्थापना

611. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खादी और ग्रामोद्योग की नई इकाइयां स्थापित की कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में उक्त इकायों की स्थापित किए जाने वाले स्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का विचार उक्त प्रयोजन के लिए ऋण उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऋण देने की निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) देश में खादी और ग्रामोद्योग सहित कृषि और ग्रामीण उद्योगों का संवर्धन करने के लिए सरकार खादी और उद्योग (के वी आई सी) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) का पहले से ही क्रियान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत, एक उद्यमी 25 लाख रु. की अधिकतम लागत वाली परियोजनाओं के लिए के वी आई सी से सर्जित धन सहायता और सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण लेकर एक ग्रामोद्योग जिसमें कृषिगत उत्पाद पर आधारित ग्रामोद्योग भी शामिल है, स्थापित कर सकता है। 10 लाख रु. की लगतवाली परियोजनाएं परियोजना लागत के 25% तक मार्जिन धन की सहायता पाने की हकदार हैं। 10 लाख रु. से अधिक और 25 लाख रु. तक की लागत वाली

परियोजनाओं के लिए, मार्जिन धन सहायता की दर उद्यमियों की साधारण श्रेणी के लिए 10 लाख रु. का 25% और परियोजना की शेष लागत का 10% है। कमजोर वर्गों अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों, अल्पसंख्यक समुदाय आदि के उद्यमियों के मामले में, दी जाने वाली मार्जिन धनराशि 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के 30% की दर से है जबकि 10 लाख रु. से अधिक और 25 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए, मार्जिन धन की सहायता की दर 10 लाख रु. का 30% और परियोजना की शेष लागत का 10% है।

(ख) एककों की स्थापना के लिए राज्य-वार स्थान विशिष्ट लक्ष्य आर ई जी पी के तहत निर्धारित नहीं है। इसके बजाय रोजगार सृजन के लिए राज्यवार लक्ष्य निर्धारित हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान आर ई जी पी के तहत 25 लाख नौकरियों का सृजन करने का विचार है। दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षों अर्थात 2002-03 और 2003-04 के दौरान, 8.3 लाख नौकरियां इस कार्यक्रम के तहत पहले ही सृजित की जा चुकी हैं। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2004-05 के लिए, 5.25 लाख नौकरियों का लक्ष्य इस कार्यक्रम के तहत निर्धारित किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (के वी आई बी) आई ई जी पी योजना के तहत कोई ऋण नहीं देता है। आर ई जी पी योजना के तहत, उद्यमी को ऋण उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार बैंकों द्वारा और सब्सिडी के वी आई सी द्वारा प्रदान की जाती है। हालांकि के वी आई सी से मार्जिन धन सहायता का भाग के वी आई बी के माध्यम से दिया जाता है।

विवरण

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम
राज्यवार रोजगार (सं.) लक्ष्य 2004-05

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रोजगार (सं.)
1	2	3
	उत्तरी क्षेत्र	
1.	सं. शा. चंडीगढ़	75
2.	दिल्ली	500
3.	हरियाणा	19625
4.	हिमाचल प्रदेश	12500
5.	जम्मू-कश्मीर	10000
6.	पंजाब	24550
7.	राजस्थान	37900
	उप-योग	105150
	पूर्वी क्षेत्र	
8.	अंडमान व निकोबार आइलैंड	2500
9.	बिहार	20975
10.	झारखंड	15900
11.	उड़ीसा	14550
12.	पश्चिम बंगाल	37300
	उप-योग	91225
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	
13.	अरूणाचल प्रदेश	1700
14.	असम	25100
15.	मणिपुर	5000
16.	मेघालय	5000
17.	मिजोरम	7475
18.	नागालैंड	2850
19.	त्रिपुरा	3600
20.	सिक्किम	1775
	उप-योग	52500
	दक्षिणी क्षेत्र	
21.	आंध्र प्रदेश	43575
22.	कर्नाटक	33075
23.	केरल	20925
24.	लक्षद्वीप	25
25.	पांडिचेरी	100
26.	तमिलनाडु	19925
	उप-योग	117625

1	2	3
	पश्चिमी क्षेत्र	
27.	दादर व ना. हवेली/दमन व दीव	250
28.	गोवा	5000
29.	गुजरात	10075
30.	महाराष्ट्र	31125
	उप-योग	46450
	केन्द्रीय क्षेत्र	
31.	छत्तीसगढ़	15025
32.	मध्य प्रदेश	21225
33.	उत्तरांचल	10000
34.	उत्तर प्रदेश	65725
	उप-योग	111975
	कुल-योग	524925

[अनुवाद]

एसजीएसवाई के अंतर्गत अतिरिक्त राशि हेतु अनुरोध

612. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:**
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री वाई. जी. महाजन:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से एसजीएसवाई और एसजीआरवाई के अंतर्गत अतिरिक्त राशि देने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एसजीआरवाई हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस. जी. एस. वाई) और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस. जी. आर. वाई) आवंटन आधारित योजनाएं हैं। योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार और जिला-वार आंवटन पूर्व निर्धारित मानदंडों और वित्तीय वर्ष की शुरूआत में किया जाता है। इन योजनाओं के अंतर्गत निधियां सामान्यत: दो किस्तों में जारी की जाती हैं। अतिरिक्त निधियां और खाद्यान्न जिलों को वित्तीय वर्ष के अंत में ही केवल बचत से प्रदान किए जाते हैं और वह भी निष्पादन के आधार पर। विभिन्न जिलों से एस. जी. एस. वाई. के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की रिलीज के अनुरोध पर तभी विचार किया जाएगा जब कार्यान्वयन एजेंसियां दोनों किस्तें आहरित कर चुकी हों और निधियों के उपलब्ध होने पर उपलब्ध निधियों के अधिकतम भाग का उपयोग कर चुकी हों।

(ग) और (घ) एस. जी. आर. वाई के दिशानिर्देश 1.4.2004 से संशोधित किए गए हैं। मुख्य संशोधन निम्नानुसार है:-

(1) चरण-I और II को मिला दिया गया है और एस. जी. आर. वाई. अब एक एकीकृत योजना है। किन्तु जिला पंचायत, मध्यवर्ती पंचायतों के बीच संसाधनों का वितरण पहले जैसे 20:30:50 के अनुपात में किया जाएगा।

(2) निधियों अथवा खाद्यान्नों की अनुपलब्धता अथवा अल्प उपलब्धता की स्थिति में, कार्यान्वयन एजेंसियां मजदूरी भुगतान के रूप में उपलब्ध अधिकोष का उपयोग कर सकती हैं।

(3) जिला पंचायतें एस. जी. आर. वाई. के कार्यान्वयन में शामिल पंचायती राज संस्थाओं के कर्मियों/गैर-कर्मियों के प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण के लिए 1 लाख रु. तक का उपयोग कर सकती हैं।

(4) प्रत्येक कार्य के लिए ग्रामीणों की निगरानी समिति का गठन आवश्यक है।

[हिन्दी]

शहर के उन्नयन हेतु एशियाई विकास बैंक से ऋण

613. **श्री संतोष गंगवार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों को शहरों के उन्नयन हेतु एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से कोई तकनीकी अनुदान सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना से लाभान्वित होने वाले शहरों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक शहर को अनुदान सहायता के रूप में प्राप्त राशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास के लिए जून, 2004 में 1 मिलियन अमरीकी डालर राशि की तकनीकी सहायता हेतु मंजूरी दी है। इस तकनीकी सहायता के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर जल आपूर्ति शहरी सड़कें तथा परिवहन, मल निकासी एवं सफाई, तूफानी-जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सेवाओं के क्षेत्र में संभावित निवेशों के बारे में विचार किया जाएगा। इस तकनीकी सहायता का वित्तपोषण यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा पूर्णत: अनुदान आधार पर किया जाएगा। इस तकनीकी सहायता के अंतर्गत तीन चरणों में पूरी की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान की जाएगी जिन्हें एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। परियोजना के पहले चरण में आईजॉल, गंगटोक, अगरतला, कोहिमा तथा शिलांग शहरों को शामिल किए जाने की संभावना है।

सीमेंट के उत्पादन हेतु क्षमता का इष्टतम उपयोग

614. श्री अजीत जोगी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमेंट उत्पादन का वर्षवार और राज्यवार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ख) सीमेंट उत्पादन की अधिस्थापित क्षमता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिस्थापित क्षमता का पूरी तरह प्रयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन राज्यों में उत्पादित सीमेंट का पूरी तरह उपयोग किया जा रहा है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा उत्पादित सीमेंट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) सीमेंट की राज्यवार अधिष्ठापित क्षमता और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसका राज्यवार उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। उद्योग ने घरेलू मांग को पूरा करने के बाद 2001-2002 में 3.38 मिलियन टन, 2002-2003 में 3.47 मिलियन टन और 2003-2004 में 3.36 मिलियन टन सीमेंट का निर्यात भी किया है।

(ग) से (छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षमता उपयोग 79 प्रतिशत से 81 प्रतिशत तक रहा है। अधिष्ठापित क्षमता के बेहतर उपयोग के लिए सीमेंट की मांग बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कुछ उपाय किए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं :

(1) आवास विकास कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए वित्त अधिनियम, 2001 और वित्त अधिनियम, 2002 में विभिन्न राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं तथा आवास उद्योग द्वारा "प्रत्यक्ष कर" शीर्षक के अधीन धारा 80(आई)(बी) के तहत प्राप्त किए जा रहे लाभों को 31 मार्च, 2007 तक बढ़ा दिया गया है;

(2) बजट 2004-2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना के लिए निधियों का आबंटन 1710 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2247 करोड़ रुपये कर दिया गया है;

(3) स्वर्ण-जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के तहत प्रति वर्ष 180000 इकाईयों के वर्तमान लक्ष्य की तुलना में 250000 ग्रामीण आवास इकाईयों को वित्त उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(4) सड़क, रेलवे, विमानपत्तन और समुद्र-पत्तन जैसी बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जा रहा है।

विवरण

(लाख टन में)

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य	2001-02		2002-03		2003-04	
		क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर क्षेत्र							
1.	हरियाणा	1.72	–	1.72	–	1.72	–
2.	पंजाब	21.73	19.03	28.40	29.47	30.40	33.31

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	राजस्थान	162.99	160.05	174.54	172.81	179.94	177.81
4.	हिमाचल प्रदेश	40.60	38.98	40.60	37.96	40.60	39.93
5.	दिल्ली	5.00	0	5.00	0	5.00	0
6.	जम्मू-कश्मीर	2.00	1.36	2.00	1.14	2.00	1.19
	उत्तर क्षेत्र-जोड़	234.04	219.42	252.26	241.38	259.66	252.24
पूर्वी क्षेत्र							
7.	असम	2.00	1.33	2.00	1.42	2.00	1.19
8.	मेघालय	2.00	1.06	2.00	1.04	2.00	0.99
9.	बिहार	10.00	6.25	10.00	5.62	10.00	3.39
10.	झारखण्ड	34.75	30.09	35.67	36.37	45.75	35.88
11.	उड़ीसा	27.61	24.33	28.52	26.12	30.35	24.83
12.	पश्चिम बंगाल	22.92	17.4	31.25	25.2	31.25	27.44
13.	छत्तीसगढ़	106.47	86.26	103.18	71.27	102.49	72.98
	पूर्वी क्षेत्र-जोड़	205.75	166.72	212.62	167.04	223.84	166.70
दक्षिणी क्षेत्र							
14.	आन्ध्र प्रदेश	203.31	134.12	206.06	132.48	210.98	140.37
15.	तमिलनाडु	129.13	93.08	144.81	116.66	145.64	122.91
16.	कर्नाटक	97.44	67.64	97.86	80.92	100.86	92.77
17.	केरल	4.20	3.94	4.20	4.10	5.20	5.28
	दक्षिणी क्षेत्र-जोड़	434.08	298.78	452.93	334.16	462.68	361.33
पश्चिमी क्षेत्र							
18.	गुजरात	129.37	105.45	135.20	100.84	166.70	103.70
19.	महाराष्ट्र	89.50	66.84	106.17	91.88	113.08	106.31
	पश्चिमी क्षेत्र-जोड़	218.87	172.29	241.37	192.72	279.78	210.01
केन्द्रीय क्षेत्र							
20.	उत्तर प्रदेश	42.97	18.27	48.64	24.27	55.17	34.58
21.	मध्य प्रदेश	161.85	148.53	161.85	153.92	161.85	150.18
	केन्द्रीय क्षेत्र-जोड़	204.82	166.80	210.49	178.19	217.02	184.76
	कुल जोड़	1297.56	1024.01	1369.67	1113.49	1442.98	1175.04

[अनुवाद]

अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत राशि

615. **प्रो. चन्द्र कुमार:**
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)केन्द्र सरकार द्वारा अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को आबंटित की गई राशि को खर्च नहीं किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) राशि को आबंटित करने के मानदंड क्या है और राशि के उपयोग के क्या दिशा-निर्देश हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार दिशा-निर्देश/मानदंड में कोई परिवर्तन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा राशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों से अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(झ) आज की तारीख के अनुसार राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय के परामर्श से योजना आयोग द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करने के पश्चात अन्नपूर्णा और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) वर्ष 2002-03 से राज्य योजना को हस्तांतरित कर दी गई है। अब योजना आयोग द्वारा राज्यवार आबंटन का अनुमोदन किया जाता है और वित्त मंत्रालय/गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मासिक आधार पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में धनराशि रिलीज की जाती हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसार एनएसएपी और अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए मूल आबंटन 679.87 करोड़ रुपये में 510 करोड़ रुपये की और वृद्धि की गई है। योजना आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित 1189.87 करोड़ रुपये का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संशोधित आबंटन में दिया गया है।

(ग) अगस्त 1995 के बाद से राज्यवार आबंटन राज्य की जनसंख्या, गरीबी के अनुपात और कुल जनसंख्या में 65 से अधिक आयु समूह और आयु विशिष्ट मृत्यु दर के अनुपात के आधार पर निर्धारित प्रत्येक राज्य की संख्यात्मक सीमा और अर्हक वित्तीय अधिकार के आधारपर निकाला गया है।

अन्नपूर्णा और एनएसएपी के अन्तर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदत्त केन्द्रीय सहायता का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग अपनी निजी प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार वृद्ध लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, परिवार लाभ अथवा मुफ्त खाद्यान्न की कल्याण योजनाओं पर एक अथवा दो अथवा तीनों योजनाओं को मिलाकर किया जा सकता है।

(घ) से (च) योजनाओं के चयन और क्रियान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपेक्षित लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से ये मार्ग-निर्देश बनाए गए हैं।

(छ) से (झ) यह जानकारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम तथा अन्नपूर्णा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संशोधित संयुक्त आबंटन (2004-05)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6742.82
2.	बिहार	13205.06
3.	छत्तीसगढ़	2888.60
4.	गोवा	86.90
5.	गुजरात	3580.34
6.	हरियाणा	1310.94
7.	हिमाचल प्रदेश	546.83
8.	जम्मू-काश्मीर	734.65
9.	झारखंड	4612.55

1	2	3
10.	कर्नाटक	5204.31
11.	केरल	2872.43
12.	मध्य प्रदेश	7644.82
13.	महाराष्ट्र	10227.84
14.	उड़ीसा	5898.20
15.	पंजाब	897.34
16.	राजस्थान	3771.19
17.	तमिलनाडु	7038.75
18.	उत्तर प्रदेश	19839.69
19.	उत्तरांचल	1223.52
20.	पं. बंगाल	7988.73
	उप-योग	106293.65
	संघ राज्य क्षेत्र	
21.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	42.70
22.	चंडीगढ़	28.91
23.	दादरा व नगर हवेली	34.20
24.	दमन व दीव	3.78
25.	एनसीटी दिल्ली	566.38
26.	लक्षद्वीप	2.85
27.	पांडिचेरी	115.28
	उप-योग	794.37
	कुल	107088.00
	पूर्वोत्तर राज्य	
28.	अरूणाचल प्रदेश	415.42
29.	असम	8217.33
30.	मणिपुर	628.87
31.	मेघालय	684.88
32.	मिजोरम	195.83
33.	नागालैंड	446.99
34.	सिक्किम	190.83
35.	त्रिपुरा	1119.23
	उप-योग	11899.00
	कुल योग	118987.90

हस्तशिल्प का निर्यात

616. **श्री कीर्तिवर्धन सिंह:**
योगी आदित्यनाथ:
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हस्तशिल्प का निर्यात करने हेतु नई रणनीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हस्तशिल्प वस्तुओं का कितना निर्यात किया गया;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हस्तशिल्प के निर्यात के माध्यम से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान हस्तशिल्प के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) सरकार द्वारा देश में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) जी, हां। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की भावी नीतियों में शामिल है; सुदृढ़ बाजारों में सकेन्द्रित निर्यात संवर्धन कार्यक्रम नये एवं अज्ञात बाजारों को शामिल करना; नये उत्पाद सेगमेंट उत्पाद श्रृंखला का विविधिकरण; गुणवत्ता सुधार; निर्यात पॉकेटों का विस्तार आधार; तीव्र अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाएं; भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेले का सुदृढ़ीकरण तथा विदेशों में होने वाले मेलों में भाग लेना इत्यादि।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान हाथ से बुने कालीनों सहित हस्तशिल्प का निर्यात एवं अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नलिखितानुसार है:-

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपयों में)
2001-02	9205.63
2002-03	10933.67
2003-04	12765.18

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2004-05 के दौरान हाथ से बुने कालीनों सहित हस्तशिल्पों के निर्यात के लिए 14383.00 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(च) देश में हस्तशिल्पों के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में; डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन; विपणन एवं सहायता सेवाएं; निर्यात संवर्धन; प्रशिक्षण एवं विस्तार अनुसंधान एवं विकास इत्यादि हेतु योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है। बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अन्तर्गत कारीगरों को स्वत: सहायता समूहों के रूप में संगठित करते हुए शिल्प कलस्टरों के एकीकृत विकास का कार्य भी किया जा रहा है।

टकसालों का आधुनिकीकरण

617. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की भारत सरकार की टकसालों का आधुनिकीकरण करने की कोई योजना है ताकि सिक्कों की मांग और टकसालों की सिक्का ढालने की क्षमता में वृद्धि के अंतर को कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) जी, नहीं। सिक्कों की मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार के टकसालों की सिक्के की वर्तमान क्षमता पर्याप्त है।

भारत और रूस हेतु संयुक्त अध्ययन दल

618. **श्री विजय कृष्ण:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत और रूस के बीच एक संभावित व्यापक आर्थिक सहयोग करार के संबंध में एक संयुक्त अध्ययन दल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे दल को गठित करने का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(घ) सरकार को ऐसे दल की सिफारिशों से व्यापार में कितनी प्रतिशतता वृद्धि होने की उम्मीद है; और

(ङ) सरकार द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) जी हां। नवम्बर, 2004 में भारत की यात्रा पर आए रूसी संघ के उप-प्रधान मंत्री के साथ हुई अपनी बैठक के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार पर विचार-विमर्श आरम्भ करने के लिए प्रथम उपाय के रूप में एक संयुक्त अध्ययन दल (जेएसजी) गठित करने का सुझाव दिया है जिसका रूस के उप-प्रधान मंत्री द्वारा स्वागत किया गया था।

(ख) से (घ) ब्योरों का पता लगाया जा रहा है।

(ङ) रूस को भारत के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें उच्च स्तर पर वार्ताओं को बढ़ाना, संयुक्त आयोग/कार्यकारी दल/उप-दल तंत्र के जरिए लगातार समीक्षा करना, शिष्टमंडलों, संयुक्त व्यावसायिक परिषदों को आमंत्रित करके/भेजकर प्रत्येक व्यावसायिक संपर्कों को बढ़ाना, प्रदर्शनियों को आयोजित करना, मेलों में भाग लेना आदि शामिल हैं।

केन्द्र सरकार के बजट घाटे में कमी

619. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री उदय सिंह:
श्री मोहन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की अपनी हाल की यात्रा के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष ने केन्द्र सरकार को केन्द्र सरकार के बजट घाटे में कमी लाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने वित्तीय घाटे को कम करने हेतु कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) विश्व बैंक के अध्यक्ष की यात्रा के दौरान सतत त्वरित विकास की प्रक्रिया के एक घटक के रूप में राजस्व घाटे को तेजी से समाप्त करने और समग्र घाटे में कमी लाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

(ख) स (घ) केन्द्र सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए एक व्यापक रणनीति का पालन कर रही है, जिसका उद्देश्य कर राजस्वों और कर-भिन्न प्राप्तियों को बढ़ाना, व्यय की वृद्धि में नियंत्रण प्राप्त करना और अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति को सतत बनाए रखना है। ऊपर बताए गए उपायों के जरिए, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 में की गई व्यवस्था के अनुसार, केन्द्र सरकार अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए वचनबद्ध है। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ 31 मार्च, 2009 तक की समय-सीमा के भीतर राजस्व घाटे को समाप्त करने, राजकोषीय घाटे में कमी लाने तथा सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी.) के अनुपात के रूप में सरकारी ऋण में वृद्धि को नियंत्रित रखने के लिए एक विधिक एवं संस्थागत ढांचे की व्यवस्था है।

एन.जे.एम.सी. का पुनरूद्धार

620. **श्री गुरूदास दासगुप्त:**
श्री किन्जरपु येरननायुडु:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कारपोरेशन (एन. जे. एम. सी) का पुनरूद्धार करने और उसके अंतर्गत बंद पड़ी जूट मिलों को पुन: शुरू करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम, जिसमें खासतौर से पटसन उद्योग को नई गति दिए जाने पर जोर दिया गया है, के अनुरूप सरकार राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम की कुछ मिलों के पुनरूद्धार पर विचार कर रही है।

निजी बैंकों का बंद होना

621. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र के कई बैंक अपनी असफलता के कारण बंद हो चुके है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसमें से कितने निजी बैंकों का अन्य बैंकों में विलय किया गया है;

(ग) इन बैंकों की असफलता के कारण जमाकर्ताओं को कितना नुकसान हुआ है और उनकी असफलता के कारण क्या हैं; और

(घ) निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान एक स्थानीय क्षेत्रीय बैंक सहित गैर-सरकारी क्षेत्र के केवल चार ही बैंक विफल हुए हैं। उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 के अंतर्गत समामेलित किया गया है जिनके ब्यौरे निम्नांकित हैं:-

अन्तरणकर्ता बैंक का नाम	अंतरिती बैंक का नाम	समामेलन की तिथि
बनारस स्टेट बैंक लि.	बैंक आफ बड़ौदा	20.6.2002
नेदुंगांडी बैंक लि.	पंजाब नैशनल बैंक	1.2.2003
साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक	बैंक आफ बड़ौदा	25.6.2004
ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	14.8.2004

(ग) नेदुंगांडी बैंक लि. साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक लि. एवं दि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि. के समामेलन के मामले में जमाकर्ताओं के हितों की पूर्णरूपेण सुरक्षा की गई थी। बनारस स्टेट बैंक लि. के समामेलन के मामले में जमाकर्ताओं की देनदारियाँ को समानुपातिक आधार पर पूरा किया गया था। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की असफलता के सबसे बड़े कारण कमजोर पूंजी संरचना, अनुचित प्रबंधन, एनपीए का उच्च स्तर तथा निधि लागत इत्यादि रहे हैं।

(घ) भविष्य में ऐसी विफलताओं की पुनरावृति को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बासेल मानदण्डों की तर्ज पर पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों को लागू करना; आस्ति वर्गीकरण, आय पहचान एवं प्रावधान करने संबंधी विवेकपूर्ण मानदण्डों को लागू करना; निवेश हेतु बाजार

जोखिम के लिए मूल्य मानदण्ड एवं पूंजी को लागू करना; प्रकाशित खातों के लिए पारदर्शिता तथा प्रकटीकरण अपेक्षाओं में वृद्धि करना; सम्मिलित निवेश/पूंजी बाजार एक्सपोजर मानदण्ड; स्थलेतर निगरानी प्रणाली को लागू करना तथा पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत करना; बैंकों के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण को लागू करना तथा तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के लिए रूपरेखा को लागू करना शामिल हैं।

[हिन्दी]

चुनाव सुधार

622. श्री सुरेश चन्देल: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चुनाव प्रणाली में कतिपय सुधार करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये सुधार कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) जी हां। सरकार निर्वाचन विधियों में सुधार की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में सरकार निर्वाचनों के राज्य द्वारा वित्तपोषण के मुद्दे पर जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के साझा न्यूनतम कार्यक्रम की एक मद है और भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचन सुधारों पर 22 प्रस्तावों के सेट पर जिनके ब्यौरे साधारण जनता की जानकारी के लिए आयोग के प्रेस नोट सं. ई सी आई/पी एन/26/2004, तारीख 2.8.2004 द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, विचार कर रही है।

(ग) तथापि, निर्वाचन विधियों में सुधार की प्रक्रिया एक सतत् और जारी रहने वाली प्रक्रिया है और इसे केवल राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति द्वारा ही लागू किया जा सकता है और इस कार्य में समय लगता है। अत: इस संबंध में कोई समय-सीमा उपदर्शित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

व्यापार नीति

623. श्री प्रबोध पाण्डा:
डा. एम. जगन्नाथ:
श्री वाई. जी. महाजन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंचवर्षीय व्यापार नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा घोषित नीति का ब्यौरा क्या है और नीति को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) कृषि निर्यात और अन्य अधिक आवश्यकता वाले प्रमुख क्षेत्रों पर कितना अधिक बल दिया गया है;

(घ) क्या विदेश व्यापार नीति का लक्ष्य विश्व व्यापार में भारत के प्रतिशत हिस्से के दो गुना करने का है;

(ङ) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और सरकार को इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कितनी आशा है;

(च) क्या लघु कृषि क्षेत्र, कुटीर और पारंपरिक क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों ने इस नीति का विरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ङ) सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति 2004-09 की घोषणा दिनांक 31 अगस्त, 2004 को की है। इस विदेश व्यापार नीति की एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है जिससे इसके ब्योरों और इसके अंतर्गत की गई पहलों का उल्लेख किया गया है। दिनांक 31 अगस्त, 2004 को घोषित नई विदेश व्यापार नीति में 5 वर्षों में वैश्विक व्यापार में भारत के प्रतिशत हिस्से को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके मद्देनजर कृषि हथकरघा रत्न एवं आभूषण और चमड़ा क्षेत्र के लिए कतिपय विशेष फोकस वाली पहलों को अभिज्ञात किया गया है। सरकार विशिष्ट सेक्टर संबंधी कार्यनीतियों के द्वारा इन क्षेत्रों में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सम्मिलित प्रयास कर रही है जिन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(च) से (छ) जी नहीं। इसके विपरीत इन क्षेत्रों ने इस विदेश व्यापार नीति का स्वागत किया गया है क्योंकि इसमें विभिन्न निर्यात स्कीमों और विशेष फोकस पहलों के जरिए इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिए जाने का प्रावधान है। विदेश व्यापार नीति के अध्याय 1 ख में कृषि हथकरघा हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण और चमड़ा तथा फुटवियर से संबंधित बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में नई क्षेत्र पहलों का उल्लेख किया गया है।

उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ

624. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या **विधि न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के चारों कोनों में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी नहीं। दिल्ली में स्थित प्रधान न्यायपीठ से दूर किसी अन्य स्थान पर इसकी न्यायपीठ के गठन के प्रति अनेक अवसरों पर भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्ण न्यायालय के विरोध को ध्यान में रखते हुए सरकार दिल्ली से बाहर उच्चतम न्यायालय की किसी न्यायपीठ की स्थापना का प्रस्ताव नहीं करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं हेतु राज्यों का वित्तपोषण

625. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु राज्यों के वित्तपोषण की प्रणाली में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव के अनुसार राज्यों को सभी अनुदान शत प्रतिशत रूप में प्राप्त होंगे;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्यों ने इन उपायों का स्वागत किया है और इस प्रस्ताव को कितने राज्यों ने स्वीकृति दी और कितने राज्यों ने विरोध किया है; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) जैसाकि वित्त मंत्री के 2004-05 के बजट भाषण में उल्लिखित है, राज्यों को विदेशी ऋण एवं अनुदान बैक-टू-बैक आधार पर दिए जाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है।

विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा गुजरात को ऋण

626. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा गुजरात को परियोजनावार कितना ऋण उपलब्ध कराया गया है;

(ख) गुजरात को ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किन-किन देशों ने किया है और गुजरात की किन-किन परियोजनाओं हेतु ये प्रयास किए गए है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में अनुमोदित की गई विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से सहायता-प्राप्त राज्य क्षेत्र की परियोजनाएं क्रमश: गुजरात भूकम्प पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्यक्रम चरण-II और गुजरात भूकम्प पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण परियोजना है।

(ख) से (घ) जर्मनी ने गुजरात में भूकम्प पुनर्वास कार्य में सहायता करने के लिए वचनबद्धता की है।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार

627. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में और अधिक सुधारों की घोषणा की है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे विश्व बाजार में अशोध्य ऋण और प्रतिस्पर्धा कम करने में कितनी सहायता मिलेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) बैंकिंग उद्योग में होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए प्रभावी कानून के माध्यम से सुधार के विभिन्न उपाय किए गए है और हमारे बैंकों को अधिक दक्ष, व्यवहार्य और वैश्विक मानदण्ड के अनुरूप बनाने के लिए नई पहलें की गई है। कानूनी उपायों के रूप में सरकार ने निम्नलिखित नियमों को संशोधित अथवा अधिनियमित करने का निर्णय लिया है:-

(1) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों को जारी किए गए बैंकिंग लाइसेंसों को मान्य करने तथा

इन बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं की जमाराशियों को निक्षेप बीमा एवं प्रत्येक गारंटी निगम द्वारा बीमाकृत किए जाने के लिए किया जा रहा है।

(2) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चूककर्ता उधारकर्ताओं को अपना मामला रखने के लिए अवसर प्रदान करने और उसी समय उधारकर्ताओं को विलंबकारी चाल से देयताओं की पुन: अदायगी को आस्थगित करने से रोकने के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का संशोधन किया जा रहा है।

(3) भुगतान एवं निपटान प्रणाली के संबंध में एक नए विधान का प्रस्ताव समाशोधन गृहों को मान्यता देने के लिए कानूनी आधार देने, भुगतानों का प्राप्तियों के साथ निर्धारण करने के लिए कानूनी मंजूरी देने, निपटान की अंतिम अवस्था, सेवा प्रबंधकों एवं सहभागियों को मान्यता देने, भुगतान की समाशोधन प्रणाली तथा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रतिभूति समाशोधन एवं निपटान का पर्यवेक्षण करने के लिए सुस्पष्ट शक्तियां देने की व्यवस्था करने के लिए किया गया है।

(4) एक प्रत्यय आसूचना कंपनी (विनियम) विधि का प्रस्ताव प्रत्यय आसूचना के कारबार को आवश्यक विधायी समर्थन देने तथा प्रत्यय आसूचना कंपनियों के विनियमन के लिए किया गया है।

पुन: देशभर में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नई पहल के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंक स्वयं को सुदृढ़ बनाने की एक कार्य नीति के रूप में समेकन को अपनाने के लिए गंभीरतापूर्वक मूल्यांकन कर रहे हैं।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प के विकास के लिए बिहार को पैकेज

628. श्री विजय कृष्ण: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के क्षेत्र में बिहार को पिछड़ा राज्य घोषित करने के संबंध में कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस मांग पर क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या बिहार सरकार ने राज्य में हथकरघा एवं हस्तशिल्प के विकास के लिए किसी विशेष पैकेज की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा राज्य को हथकरघा और हस्तशिल्प के उत्थान के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ग) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) पिछले 3 वर्षों के दौरान बिहार राज्य में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत जारी निधियों का ब्यौरा निम्नवत् है:-

हथकरघा क्षेत्र के लिए जारी निधियां

(रुपए लाख में)

वर्ष	जारी की गई निधियां
2001-02	6.50
2002-03	6.25
2003-04	110.42

हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए जारी निधियां

(रुपये लाख में)

वर्ष	जारी की गई निधियां
2001-02	82.31
2002-03	11.80
2003-04	9.64

स्क्रैप धातु का आयात

629. श्री अधीर चौधरी:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री के. सी. सिंह "बाबा":

श्री निखिल कुमार:
श्री रघुनाथ झा:
श्री उदय सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईरान और खाड़ी देशों से स्क्रैप धातु के रूप में भारत में बड़ी मात्रा में गोला-बारूद आया और इसे कांडला पत्तन पर उतारा गया;

(ख) क्या सरकार ने देश में स्क्रैप के रूप में जीवित गोला-बारूद के आयात के पूरे मामले की जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठा रही है;

(घ) क्या सरकार ने स्क्रैप से संबंधित सीमा शुल्क संबंधी स्वीकृति प्रक्रिया में संशोधन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस प्रकरण में किसी सीमा शुल्क अधिकारी को लिप्त पाया गया; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) धातु स्क्रैप की छ: खेपें कान्डला के माध्यम से ईरान, जोर्डन एवं कुवैत से आयात की गई थी जिसमें युद्ध से संबंधित संदेहास्पद विस्फोटक सामग्री निहित होने की रिपोर्ट दी गई थी।

(ख) जी, हां। अधिकार क्षेत्र रखने वाले सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने भी स्थानीय पुलिस अधिकारियों की मदद से आयातित स्क्रैप की विस्तृत जांच की है।

(ग) सरकार ने भारतीय पत्तनों से पहले से उतारे गये धातु स्क्रैप की 100% वस्तुगत जांच के द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए हैं और महानिदेशक, निदेश व्यापार के द्वारा विदेश व्यापार नीति में ऐसे आयातों पर और प्रतिबंध लगाए गए हैं।

(घ) और (ङ) दिनांक 18 अक्तूबर, 2004 के परिपत्र सं. 56/2004-सीमा शुल्क और दिनांक 26 अक्तूबर, 2004 के परिपत्र सं. 60/2004-सीमा शुल्क को जारी करके धातु स्क्रैप की निकासी के लिए व्यापक अनुदेश जारी किये गये हैं जिसका प्रति क्रमश: विवरण I उत्तर II में दी गई है।

(च) और (छ) ऐसे आयातों में सीमा शुल्क अधिकारियों की प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं पाई गई है। तथापि सीमा शुल्क के लिए अधीक्षक और निरीक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है जिन्होंने उस विस्फोट से संबंधित इनलैंड कन्टेनर डिपो, तुगलकाबाद में धातु स्क्रैप की जांच और निकासी की थी जो कि दिनांक 30.9.2004 को गाजियाबाद में स्टील विनिर्माण फ्रैक्टरी में हुआ।

विवरण I

फा. सं. 40/108/2004-सीमा शुल्क-IV
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2004

सेवा में,
सीमा शुल्क के सभी मुख्य आयुक्त
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सभी मुख्य आयुक्त
सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सभी आयुक्त
महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय
वैबमास्टर @ सी बी ई सी. गव. इन
एडिटर @ टेक्स इण्डिया आन लाईन.कॉम
ई एल टी. सेनटैक्स @ स्पेक्ट्रानेट.कॉम

महोदय,

विषय:-आयातित धातु स्क्रेप की निकासी-प्रक्रिया के संबंध में।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अभी तक आयातित धातु स्क्रेप की निकासी की प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित परिपत्र/अनुदेश जारी किए जा चुके हैं, नामत:-

(1) 43/95-सी.शु. दिनांक 26.4.1995

(2) 46/97-सी.शु. दिनांक 6.10.1997

(3) अध्यक्ष का पत्र अ. शा. फा. सं. एल 639/सी एच (ई सी)/2004 दिनांक 11.10.2004

2. गाजियाबाद के एक स्क्रेप आयातक के परिसर में अभी हाल ही में हुए विस्फोट, जिसके परिणामस्वरूप दस व्यक्ति मारे गए की पृष्ठभूमि में संपूर्ण मुद्दे की समीक्षा की गई है। संबंधित मंत्रालयों नामत: वाणिज्य एवं उद्योग, गृह, नौ पहिवहन, स्टील तथा विदेश मंत्रालय, से परामर्श किया गया है। संबंधित व्यापार संघों तथा भारत सरकार के मध्य भी विचार-विमर्श हुआ है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तथा इस विषय पर सभी मौजूदा अनुदेशों का अतिक्रमण करते हुए आयातित धातु स्क्रेप (लौह तथा अलौह दोनों) की निकासी के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्णय लिया गया है।

3. धातु स्क्रेप को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, नामत:-

(1) श्रेणी-1: ऐसी स्क्रेप जो पहले ही भारत में आ चुका है तथा वह स्क्रेप जो 25.10.2004 को अथवा इससे पहले अपने उद्गम के बंदरगाह को छोड़ चुका है और जिसकी अभी तक सीमा शुल्क बंदरगाह, आई सी डी/ सी एफ एस अथवा एल एस से निकासी नहीं की गई है।

(2) श्रेणी-2: वह स्क्रेप जिसका भारत में नौ परिवहन हेतु लदान 25.10.2004 के पश्चात किया जाना है।

4. श्रेणी-1: के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसारण किया जाएगा-

(1) धातु स्क्रेप की निकासी 100% वस्तुगत जांच के पश्चात की जाएगी। बन्दरगाह/आई सी डी पर जमाव, मानवशक्ति की उपलब्धता तथा आयातक के पूर्ववृत्त के आधार पर संबंधित सीमा शुल्क आयुक्त अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त जैसा भी मामला हो, आयातक को अपने जोखिम और खर्चे पर सीलबंद आदान को पुनर्भण्डारण प्रक्रिया के तहत अपने फैक्ट्री परिसर में ले जाने की अनुमति दे सकता है। विनिर्माता आयातक पर क्षेत्राधिकार रखने वाला केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी खेप की 100% वस्तुगत जांच सुनिश्चित करेगा। इसके पश्चात पुनर्भण्डारण प्रमाण-पत्र मिलान हेतु निकासी बंदरगाह/आई सी डी को वापस भेजा जाएगा। स्थानीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी स्क्रेप की वस्तुगत जांच के समय सलाह/मार्गदर्शन अतवा उपस्थिति हेतु स्थानीय पुलिस की सेवाएं मांग सकता है। यदि पुलिस अथवा अर्द्ध सैनिक बलों की सेवाएं लेने पर कोई खर्च होता है तो उसे आयातक-विनिर्माता द्वारा वहन किया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 15.10.2004 के अपने फैक्स संदेश सं. 1.11034/18/04-आई एस-4 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/गृह सचिवों को सीमा शुल्क को जब कभी भी जरूरत हो तब आवश्यक पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने के लिए पहले ही लिखा जा चुका है। आयातक के परिसर पर जांच की यह सुविधा व्यापारियों को उपलब्ध नहीं होगी।

(2) यही प्रक्रिया उन बन्दरगाहों/आई सी डी/सी एफ एस/ एल सी एस पर धातु स्क्रेप की खेपों की जांच के लिए अपनाई जाएगी यहां जांच विनिर्माता-आयातक के परिसर पर करने की अनुमति देने की बजाय बन्दरगाह/ आई सी डी/सी एफ एस/एल सी एस पर ही करने का निर्णय लिया जाता है।

5. श्रेणी-2 अर्थात् धातु स्क्रेप के भविष्य में आयातों के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, नामत:-

(1) कतरनों के रूप में धातु स्क्रेप के आयात की अनुमति सभी बन्दरगाहों/आई सी डी/सी एफ डी/सी एफ एस/ एल सी एस के माध्यम से बिना किसी लदान-पूर्व निरीक्षण प्रमाणपत्र के दी जाएगी।

(2) बिना कतरन, सम्पीडित अथवा खुले रूप में धातु स्क्रेप के आयात और निकासी की अनुमति केवल निम्नलिखित सीमा शुल्क स्टेशनों पर ही दी जाएगी। ऐसी खेप को आयातक (ई ओ यू तथा एस ई जेड इकाइयों को छोड़कर) के परिसर स्थानान्तरित करने की जरूरत नहीं है। बन्दरगाह प्राधिकारियों/अभिरक्षकों की सहायता से इन सीमा शुल्क स्टेशनों पर धातु स्क्रेप के भंडारण और जांच के लिए एक खुले क्षेत्र की पहचान करने और इसे अलग करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए:-

1. चैन्ने
2. कोचीन
3. एन्नौर
4. जे एन पी टी
5. कांडला
6. मुरमुगांव
7. मुम्बई
8. न्यू मंगलोर
9. पारादीप
10. तूतीकोरीन
11. विशाखपट्टनम
12. आई सी डी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली
13. पिपवा
14. मुंद्रा, तथा
15. कोलकाता

(3) भविष्य के सभी मामलों ने बिना कतरन, सीपीड़ित अथवा खुले रूप में धातु स्क्रेप के साथ प्रक्रियाओं की हैडबुक (खण्ड-II) के परिशिष्ट-28 में दी गई किसी भी निरीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसियों से अनुबंध-1 से अनुबंध-8 तक में दिए फार्मेट के अनुसार एक लदान-पूर्व निरीक्षण प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना होगा। यह नोट किया जाए कि बिना कतरन, संपीड़ित अथवा खुले रूप में ऐसी स्क्रेप के लिए इस तथ्य को ध्यान में लिए बिना, कि खेप युद्ध अथवा विद्रोह से प्रभावित किसी देश से अदभूत हुई है अथवा नहीं, लदान-पूर्व प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।

(4) उक्त खंड (III) में बताए गए अनुसार लदान पूर्व निरीक्षण प्रमात्रपत्र साथ लगे बिना कतरन, संपीड़ित अथवा खुले रूप तथा व्यापारियों के मामले में 50% कंटेनरों की जांच की जाएगी जबकि कम से कम 1 कंटेनर की जांच अवश्य की जाएगी। चयनित कंटेनर की 100% जांच की जाएगी। जहां जोखिम प्रबंधन मोड्यूल (आर एम एम) सहित ई डी आई परिचालन में है, वहा जांच की प्रतिशतता आर एम एम द्वारा निश्चित की जाएगी।

(5) भविष्य में बिना कतरन, सम्पीड़ित अथवा खुले रूप में आयात की गई धातु स्क्रैप विहित लदानपूर्व जांच प्रमाणपत्र के नहीं होने पर विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सख्त दण्डनीय कार्रवाई के अलावा 100% जांच के अध्यधीन होगी। यदि आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाता है तो जांच आयातक के जोखिम एवं लागत पर पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में की जा सकती है।

(6) कतरन के रूप में आयात की गई स्क्रैप की जांच खेप के 10% तक सीमित रखी जाये बशर्ते न्यूनतम एक कन्टेनर की जांच हो। ऐसे पहचान किये गये कन्टेनर की 100% जांच की जाये

6. निर्यातोन्मुखी यूनिटों और विशेष आर्थिक जोन यूनिटों के लिए धातु स्क्रैप के संबंध में मौजूदा प्रक्रिया को जारी रखा जाये बशर्ते यदि सक्षम अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाये। पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में निर्यातोन्मुखी यूनिट अथवा विशेष आर्थिक जोन यूनिट के परिसरों पर 100% जांच हो। तथापि उपर्युक्त 15 सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से ही निर्यातोन्मुखी यूनिट/विशेष आर्थिक जोन यूनिटों को बिना कतरन सम्पीड़ित अथवा खुले रूप में (दिनांक 25.10.2004 के बाद) आयात की अनुमति होगी।

7. इसके बाद यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी शीपिंग लाइन की भी होगी कि बिना कतरन, सम्पीड़ित अथवा खुले रूप में धातु स्क्रैप की प्रत्येक खेप के साथ जहाज पर लदान से पूर्व ऐसा लदान-पूर्व निरीक्षण प्रमाण पत्र है। इस पूर्व चेतावनी का पालन करने में विफल रहने पर धातु-स्क्रैप के अनियमित आयात के संबंध में अवप्रेरित करने के लिए दाण्डिक कर्रावाई की जायेगी।

8. महानिदेशक विदेश व्यापार ने दिनांक 15.10.2004 के अपने सार्वजनिक नोटिस सं. 16/2004-09 के तहत प्रक्रिया की हैडबुक (खण्ड-1) के पैरा 2.32 को संशोधित किया है।

9. यह उल्लेख किया जाता है कि दिनांक 15.10.2004 के गृह मंत्रालय के फैक्स संदेश के अंतर्गत राज्य सरकारों को आयातकों और फैक्टरी मालिकों को अपने परिसरों में रखे गये धातु स्क्रैप में कोई गोला/विस्फोटकों के अस्तित्व/पता लगाने की स्वैच्छिक रूप से घोषणा करने के लिए 15 दिन की छूट अवधि देने की भी सलाह दी गई है।

10. इन अनुदेशों को विभिन्न सीमा शुल्क गृहों में पड़े धातु स्क्रैप की खेपों की त्वरित निष्क्रमण/निकासी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्यान्वित किया जाये।

11. इन प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल बोर्ड के नोटिस में लाया जाये।

12. उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को समुचित सार्वजनिक नोटिस/व्यापार नोटिस के माध्यम से तत्काल व्यापारी वर्ग के नोटिस में लाया जाये।

13. कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय,
ह/-
(डी.एस. गर्ब्याल)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23094182

प्रतिलिपि अंग्रेजी पाठानुसार।

अति तत्काल

फैक्स संदेश

प्रेषक: गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

सेवा में: सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिव/गृह सचिव

पुनश्चः सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशक, प्रधान सचिव (गृह), दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार/पुलिस आयुक्त दिल्ली (विशेष संदेशवाहक द्वारा)

सं. 1.11034/18/04-आईएस-4 दिनांक 15.10.2004

यह फैक्स संदेश पूर्व में 13.10.2004 को भेजे गए सम संख्यक फैक्स संदेश के क्रम में है। आज केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री के सभापतित्व में हुई एक अंतर-मंत्रीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारों से यह कहा जाये कि वे इस्पात और लौह फैक्ट्रयों के परिसरों में पड़े धातु स्क्रैप में गोला-बारूद की जांच करने और उसकी स्वेच्छा से पता लगाने और उसकी घोषणा करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी जाये। यदि, ये फैक्ट्रियां ऐसा नहीं कर पाती हैं, और उनके परिसरों में पड़े स्क्रैप में गोला-बारूद अथवा विस्फोटक का पता चलता है तो ऐसी फैक्ट्रियों के विरुद्ध संगत कानूनों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाये। जनसुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्यवाही आवश्यक है, विशेषकर

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस तरह की विस्फोटक सामग्री सड़क, नदी की तलहटी जैसे सार्वजनिक स्थलों पर पायी गयी है।

2. राज्य सरकारों से यह अनुरोध भी किया जाता है कि वे जिला पुलिस अधिकारियों को इस बात के निर्देश जारी करें कि इस्पात और लौह फैक्ट्रियों के परिसरों में अथवा विशेष रूप से चिह्नित स्थलों पर पड़े धातु स्क्रैप में विस्फोटक सामग्री की जांच का कार्य करने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों को जब भी आवश्यकता पड़े पुलिस अधिकारी पूरा सहयोग प्रदान करें।

(एल.सी. गोयल)
संयुक्त सचिव (आईएस)

एनओओ
सूचनार्थ प्रति:
1. श्री के.टी. चाको, डीजीएफटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
2. श्री सिद्धार्थ काक, सदस्य (सीमा शुल्क) सीबीईसी नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली

विवरण-II

परिपत्र सं. 60/2004-सीमा शुल्क
फा. सं. 450/108/2004-सीमा शुल्क-IV
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2004

सेवा में,
सीमा शुल्क के सभी मुख्य आयुक्त
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सभी मुख्य आयुक्त
सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सभी मुख्य आयुक्त
महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय
वैबमास्टर @सीबीईसी.गव.इन
एडिटर @टेक्सइण्डियाआनलाईन.कॉम
ईएलटी.सेनटैक्स @स्पेक्ट्रानेट.कॉम

विषय:-आयातित धातु स्केप की निकासी-प्रक्रिया संबंधी।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 18 अक्तूबर, 2004 के परिपत्र सं. 56/2004-सीमा शुल्क की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि महानिदेशक, विदेश व्यापार ने दिनांक 21.10.2004 की सार्वजनिक सूचना सं. 18/2004-09 के तहत प्रक्रिया पुस्तिका (खण्ड-1) के पैरा 2.32 (i) (I) को और संशोधित किया है। इसके अनुसार बिना कतरन किए हुए, संपीड़ित अथवा खुले रूप में आयातित धातु स्क्रेप के साथ दिए जाने वाले लदान पूर्व निरीक्षण प्रमाणपत्र की अपेक्षता परिशिष्ट 28 के अनुबंध-I में प्रारूप के अनुसार होनी चाहिए न कि म. नि. वि. व्या. के दिनांक 15.10.2004 के सार्वजनिक सूचना सं. 16/2004-09 के तहत यथा अधिसूचित परिशिष्ट-8 के अनुबंध के अनुसार। तदनुसार बोर्ड दिनांक 18.10.2004 के परिपत्र सं. 56/2004-सीमा शुल्क में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करना है:-

पैरा 5 (3) में ''अनुबंध-I'' शब्द और अंक से आरंभ होने वाले और ''प्रक्रिया पुस्तिका (खण्ड-2) शब्दों, कोष्ठकों और अंकों से समाप्त होने वाले भाग में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएगें; नामत:-

''प्रक्रिया पुस्तिका (खण्ड-I)'' के परिशिष्ट 28 में उल्लिखित किसी भी निरीक्षण एवं प्रमाणपत्र एजेंसी से परिशिष्ट 28 का अनुबन्ध-I''

2. इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालयों ने बोर्ड के दिनांक 18.10.2004 के परिपत्र सं. 56/2004-सीमा शुल्क के पैरा 4 (i) के बारे में भी सन्देह व्यक्त किया है कि क्या ऐसे मामलों में सीमा शुल्क अथवा बंधपत्र में भुगतान के बाद आधानों को हटाए जाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। यह स्पष्ट किया जाना है कि पत्तन/आई सी डी पर भीड़ को ध्यान में रखते हुए ऐसी सुविधा अथवा इससे पहले आई है। आधानों को विनिर्माता-आयातक के परिसर पर केवल परीक्षण प्रयोजन हेतु हटाए जाने की अनुमति प्रदान की जाए जबकि पत्तन/आई सी डी से आधानों को हटाने से पूर्व आयातक द्वारा सीमा शुल्क पहले ही जमा करवाया जाना है।

3. उपर्युक्त अनुदेश एक उपयुक्त सार्वजनिक सूचना के माध्यम से तुरन्त व्यापारियों के ध्यान में लाए जाएं।

4. कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय,
ह/-
(डी. एस. गर्ब्याल)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:-23094182

सेवा में,
1. अध्यक्ष (उ.शु. एवं सी.शु.) के निजी सचिव,
2. के.उ.शु. एवं सी.शु. बोर्ड के सभी सदस्य,
3. सी.डी.आर.सी.ई.एस.टी.ए.टी.।
4. के.उ.शु. एवं सी.शु. बोर्ड सभी निदेशक,
5. के.उ.शु. एवं सी.शु. बोर्ड में सभी आयुक्त,
6. के.उ.शु. एवं सी.शु. में सभी संयुक्त सचिव/निदेशक / उप सचिव।
7. के.उ.शु. एवं सी.शु. बोर्ड में सभी अवर सचिव/व. त. अधि./त. अधि.।
8. गार्ड फाइल

ह/-
(डी. एस. गर्ब्याल)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23094182

विदेशी मुद्रा भंडार

630. **श्री गुरूदास दासगुप्त:**
श्री किरिप चालिहा:
श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार योजना आयोग द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार विदेशी मुद्रा का पर्याप्त रूप में उपभोग करने के उद्देश्य से देश में ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का सुदपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्षेत्रवार कौन-कौन से क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा-भंडारों का सुदपयोग किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ख) भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार अब 125 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक है। घरेलू परियोजनाओं के निधिपोषण हेतु विदेशी मुद्रा भंडार के किसी भाग का उपयोग करने का कोई निर्णय, अन्य बातों साथ-साथ राजकोषीय स्थिति, मुद्रा आपूर्ति विनिमय दर, घरेलू ब्याज दर और मुद्रास्फीति पर ऐसे किसी उपाय के अवसर के श्रमसाध्य आकलन की अपेक्षा रखता है।

गैम्बियर का आयात

631. **श्री सुरेश चन्देल:**
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पान गुटखा में मिलाने के लिए कत्था के रूप में उपयोग हेतु गैम्बियर जैसे खतरनाक रसायन का खुला आयात किया जा रहा है जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का कारण है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रसायन का आयात न रोके जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार गैम्बियर के आयात पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) गैम्बियर एक वनस्पति आधारित चर्मशोधन सामग्री है जिसका उपयोग चमड़ा उद्योग द्वारा रंगाई के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। चूंकि विदेश व्यापार नीति का मूलभूत उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर कच्ची सामग्री उपलब्ध कराना है इसलिए गैम्बियर के आयात को प्रतिबंधित करना संभव नहीं हो सकता है क्योंकि इससे भारत से चमड़े की वस्तुओं के निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज

632. **श्री खीरेन रिजीजू:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात में हुई वृद्धि का वर्ष-वार एवं वस्तु-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) रोजगार सृजन में निर्यात वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा निर्यात में 11 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक की वृद्धि के सुझाव पर कोई ध्यान दिया गया है; और

(घ) नई विदेश व्यापार नीति के उपरान्त विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर वस्त्र, चाय तथा काफी का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) रोजगार बहुल मदों जैसे कृषि एवं संबद्ध उत्पाद, खेल-कूद का सामान, रत्न एवं आभूषण, वस्त्र और चर्म एवं उससे विनिर्मित वस्तुओं सहित निर्यातों का मिलियन अमरीकी डालर में वर्ष-वार और मद-वार मूल्य संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) निर्यातों का लक्ष्य निर्धारित करते समय सीआईआई समेत व्यापार एवं उद्योग जगत के सुझाव लिए जाते हैं। अनुकूल वैश्विक आर्थिक वातावरण और विगत के कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2004-05 के लिए 73.4 बिलियन अमरीकी डालर स्तर के बराबर 16% का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो पिछले दो वर्षों के लिए निर्धारित 12% के लक्ष्य से अधिक है।

(घ) अगले पांच वर्षों के भीतर वैश्विक पण्य व्यापार में भारत के हिस्से को दुगना करने और रोजगार सृजन पर जोर देने के दोहरे उद्देश्यों के साथ विदेश व्यापार नीति की घोषणा की गयी है। कुछेक मुख्य कार्य नीतियों में प्रक्रियाओं का सरलीकरण और

सौदा लागत में कमी करना; निर्यात उत्पादन में प्रयुक्त निविष्टियों पर लगने वाली सभी लेवी एवं शुल्कों को निष्प्रभावी करना; व्यापार आसूचना और पूछताछ हेतु एक इलैक्ट्रानिक प्लेटफार्म के जरिए विदेशों में वाणिज्यिक मिशनों को जोड़ना आदि शामिल हैं। जब चाय, काफी इत्यादि की कीमत एक विशिष्ट स्तर से नीचे गिर गयी थी बागान मालिकों को राहत प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपए की मूलधन राशि से वर्ष 2003 में एक कीमत स्थिरीकरण निधि की घोषणा की गई थी। विदेश व्यापार नीति में हमेशा वस्त्र क्षेत्र को प्राथमिकता दी गयी है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रक्रिया पुस्तिका के खण्ड-II में एक पृथक अध्याय है जिसमें वस्त्र एवं परिधान उत्पादों की 362 श्रेणियों हेतु निविष्टि/उत्पादन मानदण्डों को परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार, देश से निर्यातित लगभग सभी वस्त्र उत्पादों हेतु डीईपीबी की दरें निर्धारित की गयी हैं। विदेश व्यापार नीति में हथकरघा क्षेत्र को भी एक विशेष पहल फोकस क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

विवरण

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

आर्थिक प्रभाग

क्षेत्रवार निर्यात : 1992-2004

वस्तुएं	मूल्य अमरीकी डालर में			प्रतिशत वृद्धि		
	2001-2002	2002-2003	2003-04	2001-2002	2002-2003	2003-04
1. बागान	590	547	583	-9.35	-7.30	6.58
2. कृषि एवं संबद्ध उत्पाद	4065	4721	5326	4.78	16.13	12.82
3. समुद्री उत्पाद	1237	1432	1320	-11.26	15.79	-7.82
4. अयस्क और खनिज	1262	1996	2341	9.49	58.11	17.28
5. चर्म एवं विनिर्माण	1910	1848	2025	-1.76	-3.25	9.58
6. रत्न एवं आभूषण	7306	9030	10510	-1.05	23.59	16.39
7. खेलकूद का सामान	69	73	93	6.31	6.26	27.40
8. रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	6371	7858	9791	3.15	23.33	24.60
9. इंजीनियरिंग सामान	5747	7689	10414	1.30	33.80	35.44
10. इलैक्ट्रानिक सामान	1193	1295	1739	6.49	8.59	34.29
11. परियोजना सामान	18	49	60	-27.87	165.49	22.45
12. वस्त्र	9689	11081	11970	-9.40	14.37	8.02
13. हस्तशिल्प	549	785	442	-17.02	43.00	-43.69
14. कालीन	510	533	570	-12.29	4.46	6.94
15. अपशिष्ट समेत कच्चा कपास	9	10	177	-81.50	8.80	1717.25
16. पेट्रोलियम उत्पाद	2119	2577	3519	11.98	21.61	36.55

स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस, कोलकाता

अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद

633. **श्री के.एस. राव:**
श्री राम कृपाल यादव:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में वर्ष 2004-05 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान पूर्व के अनुमान 6.5-7 प्रतिशत से कम करके 6-6.5 प्रतिशत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 2004-05 (26 अक्तूबर, 2004) के वार्षिक नीति विवरण की अपनी मध्यावधिक समीक्षा में, 2004-05 की समग्र सकल घरेलू उत्पाद (स. घ. उ.) वृद्धि को अपनी मई 2004 की 6.5 प्रतिशत से 7.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 6.0 से 6.5 प्रतिशत के दायरे में रखा है। देश के कुछ भागों में कम वर्षा के कारण यह बदलाव हुआ है तथा खरीफ फसल उत्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा स.घ.उ. वृद्धि पर तेल के अधिक मूल्य का प्रतिकूल प्रभाव संभावित है।

(ग) सरकार ने अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं को बेहतर बनाने हेतु कई उपाय किए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, तीन वर्षों में कृषीय क्रेडिट के प्रवाह को दोगुना करने के उद्देश्य से क्रेडिट संबंधी एक व्यापक नीति, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च आबंटन ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास निधि का पुनरूद्धार, सभी जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु योजना आरम्भ करना, आधारभूत संरचना के विकास के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी का संवर्धन, निवेश आयोग की स्थापना का निर्णय तथा 2004-05 की वार्षिक योजना को 10,000 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता का अतिरिक्त प्रावधान शामिल है।

मेटल स्क्रैप का आयात

634. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बॉम्बे मेटल एक्सचेंज ने नॉल फ्रोरस मेटल स्क्रैप के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वाणिज्य मंत्री ने बॉम्बे मेटल एक्सचेंज द्वारा दिए गए सुझावों की जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सुझावों पर किस सीमा तक विचार किया है;

(घ) क्या वित्त मंत्री और विदेशी व्यापार के महानिदेशक ने मैटेलिक स्क्रैप संबंधी आयात नीति पर मतभेदों को दूर कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो इन मतभेदों को किस सीमा तक दूर कर लिया गया है;

(च) क्या भविष्य में मैटेलिक स्क्रैप के आयात के लिए नए प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) बॉम्बे मैटल एक्सचेंज से एक सुझाव प्राप्त हुआ है जिसमें अलौह-धातु अपशिष्ट एवं स्क्रैप के आयात को इस संबंध में निर्धारित वर्तमान प्रक्रियाओं से छूट दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

(ख) और (ग) विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस सुझाव की जांच की है। सभी किस्म के धात्विक स्क्रैप और अपशिष्ट के आयात के लिए यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि उनमें कोई विस्फोटक अथवा रेडियोधर्मी सामग्री तो नहीं है, वर्तमान प्रक्रियाओं का अनुपालन करना अपेक्षित है इस प्रक्रिया को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ व्यापक परामर्श करने के पश्चात् लागू किया गया है। बॉम्बे मैटल एक्सचेंज के अनुरोध पर सहमत होना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

(घ) और (ङ) धात्विक स्क्रैप की आयात नीति के बारे में वित्त मंत्रालय और डीजीएफटी के बीच कोई मतभेद नहीं है। वस्तुत: धात्विक स्क्रैप एवं अपशिष्ट के आयात के लिए वर्तमान प्रक्रियाओं का निर्धारण वित्त एवं अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श करके किया गया है।

(च) और (छ) नीति में कोई भावी परिवर्तन जनहित एवं सुरक्षा कारकों और व्यापार एवं उद्योग जगत की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

ग्रामीण बैंक

635. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान ग्रामीण बैंकों द्वारा विभिन्न राज्यों में विशेषकर गुजरात में कितनी धनराशि के ऋण दिए गए;

(ख) क्या सत्य है कि इन बैंकों में बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण किसानों को कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) केन्द्र सरकार इन बैंकों के जरिए किसानों को पर्याप्त मात्रा में ऋण देने के लिए क्या कदम उठा रही है। उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) पिछले दो वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्यों एवं गुजरात में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर. आर. बी) द्वारा जारी ऋण निम्नानुसार है:-

	2002-2003	2003-2004
जारी कुल ऋण	12641.00	15475.86
गुजरात में जारी ऋण	355.08	391.77

(ख) से (घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी ऋण वर्ष 2002-2003 के 12641.00 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2003-2004 के दौरान 15475.86 करोड़ रु. हो गया। पिछले वर्षों के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों में स्थिर वृद्धि से पता चला है कि किसानों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से निरंतर लाभ मिल रहा है ऋणों की मंजूरी आदि में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के विरुद्ध जनता/किसानों द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार की शिकायतों/आरोपों की जांच करने तथा सुधारात्मक उपाय करने के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय बैंकों के कार्यनिष्पादन के सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन मे सुधार लाने के लिए वार्षिक आधार पर विकास कार्य योजना और समझौता ज्ञापन लागू किया जाना तथा विवेकपूर्ण मानदंड लागू किया जाना जिसमें आय की पहचान आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण मानदंड शामिल हैं;

(2) कारोबार पोर्टफोलियों एवं क्रियाकलापों का विशाखन/विपथीकरण;

(3) घाटा देनेवाली शाखाओं के स्थान परिवर्तन एवं विलय सहित शाखा नेटवर्क का युक्तियुक्तकरण:

(4) ब्याज दर ढांचे का अविनियमन;

(5) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों के प्रबंधन में प्रयोजन बैंक की भूमिका में वृद्धि; तथा

(6) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों का दक्षता उन्नयन।

मंत्रालयों के आयोगों को समाप्त करना

636. श्री मधुसूदन मिस्त्री: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृप करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपव्यय को कम करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के अंतर्गत गठित अनेक आयोगों को समाप्त करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सभी आयोगों के सदस्यों, इनके विचारार्थ विषय और अब तक इनके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों की संख्या को दर्शाते हुए इनका मंत्रालवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन आयोगों पर कितना व्यय हुआ है;

(घ) क्या इन आयोगों के कार्यकरण और इनकी आवश्यकता की कोई समीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा आयोगवार क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्तों के पद

637. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त के राज्यवार पदों का ब्यौरा क्या है और उनमें से कितने पद रिक्त है;

(ख) क्या इन रिक्त पदों को भरने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त के पदों का ब्यौरा और जो रिक्त पड़े हुए हैं उनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण पत्र में दिया गया हैं।

(ख) और (ग) तैनाती के लिए जब कभी अधिकारी उपलब्ध होंगे तब इन पदों को भरने का प्रस्ताव है।

विवरण

भारत में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तों के पदों का ब्यौरा (राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार)

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत पदों की सं.	रिक्ति, यदि कोई हो
1.	गुजरात	20	1
2.	दमन (सं. शा. क्षे.)	2	0
3.	कर्नाटक	9	0
4.	मध्य प्रदेश	6	0
5.	छत्तीसगढ़	3	1
6.	उड़ीसा	3	0
7.	चण्डीगढ़ (सं. शा. क्षे.)	2	0
8.	पंजाब	4	0
9.	जम्मू व कश्मीर	1	0
10.	तमिलनाडु	14	0
11.	पाण्डिचेरी (सं. शा. क्षे.)	1	0
12.	केरल	4	0
13.	दिल्ली	4	0
14.	हरियाणा	5	0
15.	आन्ध्र प्रदेश	13	0
16.	राजस्थान	4	0
17.	पं. बंगाल	13	1
18.	उत्तर प्रदेश	14	1
19.	महाराष्ट्र	24	1
20.	गोवा	2	0
21.	बिहार	2	0
22.	झारखण्ड	3	0
23.	असम	2	0
24.	मेघालय	2	0

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के लाभार्थी

638. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री ए. साई प्रताप:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "प्रधान मंत्री रोजगार योजना" के अंतर्गत राज्यवार कितने व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया और कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया;

(ख) इस योजना के कार्यान्वयन में क्या बाधाएं है और इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों, 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान योजनागत लक्ष्यों और लाभान्वित व्यक्तियों (वितरित ऋण) की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इसके क्रियान्वयन के मार्ग में आवेदकों की सं. और वितरित ऋण के बीच अंतर ऋणों की मंजूरी/वितरण में देरी, प्रस्तावों को कम वित्त और बैंकों द्वारा सामूहिक प्रतिभूति पर जोर, लाभार्थियों द्वारा वितरण से पूर्व की औपचारिकताओं को पूरा करने में देरी आदि बाधाएं हैं। पी एम आर आई के कार्यान्वयन में बाधाओं को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। जैसे कि—निर्धारित तिमाही सूची के अनुसार प्रायोजन, मंजूरी और वितरण क्रिया-कलापों को पूरा करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों को निदेश, माह में कम से कम एक बार जिला उद्योग केन्द्र (डी. आई. सी.) कार्यबल समिति की बैठकें बुलाना, क्रियाकलापों की क्षेत्रवार न्यूनतम इकाई लागत तय करने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सामूहिक प्रतिभूति पर जो न देना, वित्तीय वर्ष के बाद वितरण पूरा करने के लिए निर्धारित तारीख बढ़ाना आदि।

(ग) और (घ) पी.एम.आर.वाई के क्रियान्वयन में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।

विवरण

पीएमआरवाई के अंतर्गत तीन वर्षों अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लक्ष्य एवं उपलब्धि (ऋण दिए गए व्यक्तियों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजना लक्ष्य सं.	बैंकों द्वारा वितरित मामलों की सं. 2001-02 के लिए	योजना लक्ष्य (सं.)	बैंकों द्वारा वितरित मामलों की संख्या 2002-03 के लिए	योजना लक्ष्य	बैंकों द्वारा वितरित मामलों की संख्या 2003-04 के लिए
1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तरी क्षेत्र						
1.	हरियाणा	4400	6600	4600	7008	4050	6662
2.	हिमाचल प्रदेश	2600	2431	2700	2209	3200	2587
3.	जम्मू-कश्मीर	1300	894	1400	605	1150	641
4.	पंजाब	4200	8147	4000	7771	4100	6715
5.	राजस्थान	8200	12476	8300	12267	8100	9772
6.	चंडीगढ़	100	128	300	47	300	60
7.	दिल्ली	4600	632	4600	632	4400	740
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र						
8.	असम	6600	3605	6900	4149	6600	2313
9.	मणिपुर	1100	252	1300	549	1200	435
10.	मेघालय	350	546	300	256	350	326
11.	नागालैंड	250	37	250	107	300	39
12.	त्रिपुरा	800	981	700	1085	800	1968
13.	अरुणाचल प्रदेश	150	507	150	294	200	319
14.	मिजोरम	250	52	250	155	200	772
15.	सिक्किम	50	38	50	26	100	29
	पूर्वी क्षेत्र						
16.	बिहार	18000	6851	18100	7939	14400	8357
17.	झारखण्ड	3000	3882	2900	4354	5350	3894
18.	उड़ीसा	7050	5791	6850	6725	6600	3143

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	प. बंगाल	22000	2403	21100	2528	20000	2040
20.	अंडमान व निकोबार	100	143	75	142	100	140
	केन्द्रीय क्षेत्र						
21.	मध्य प्रदेश	14100	17314	14300	16710	11750	13675
22.	छत्तीसगढ़	2500	2549	2250	3006	4600	2295
23.	उत्तर प्रदेश	25100	37802	25450	38016	22950	35229
24.	उत्तरांचल	1000	3626	925	4683	1800	5038
	पश्चिमी क्षेत्र						
25.	गुजरात	12150	8104	7950	7184	8650	5805
26.	महाराष्ट्र	22300	18904	22150	17631	22800	15859
27.	दमन व दीव	50	8	50	2	50	3
28.	गोवा	500	164	500	274	400	117
29.	दादरा व नगर हवेली	50	10	50	10	50	0
	दक्षिणी क्षेत्र						
30.	आंध्र प्रदेश	16600	10799	17900	13632	18400	14463
31.	कर्नाटक	10700	11428	10500	10026	10800	10729
32.	केरल	14700	9510	15250	9853	16250	11824
33.	तमिलनाडु	18550	10051	17400	9595	19350	10033
34.	लक्षद्वीप	50	25	50	10	50	17
35.	पांडिचेरी	450	216	450	213	600	253
	निर्दिष्ट नहीं	–	954	–	828		808
	अखिल भारत	223900	189860	220000	190521	220000	177100

स्रोत-आरबीआई के आंकड़े

*वर्ष 2001-2002 के दौरान गुजरात में भूकंप प्रभावित जिलों के लिए 4000 का अतिरिक्त लक्ष्य।

**वितरण की अंतिम तारीख 15.11.2004 तक बढ़ाई गई। सारणी में दिए गए आंकड़े अक्टूबर, 2004 तक हैं।

पब्लिक डिपाजिट

639. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या वित्त मंत्री 9 जुलाई, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 613 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-बैंकिंग कंपनी ने अनियमितताओं/खामियों में सुधार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो खामियों में सुधार करने के लिए कदम कब तक उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि कंपनी ने सभी प्रकार की त्रुटियों/अनियमितताओं को दूर करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 नवम्बर, 2003 और 9 जनवरी, 2004 के बीच लेखा पुस्तिकाओं की जांच और कंपनी के अन्य रिकार्डों की जांच के दौरान पाई गई कतिपय त्रुटियों को कंपनी द्वारा ठीक कर दिया गया है। अनुपालन की स्थिति पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बारीकी से निगरानी रखी जा रही है।

स्वजलधारा योजना

640. श्री डी. वी. सदानन्द गौडा:
श्री एस. के. खारवेनथन:
श्रीमती जयाबहन वी. ठक्कर:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री रनेन बर्मन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वजलधारा योजना के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की योजना सभी पेयजल योजनाओं को राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की वृहत योजना के अंतर्गत लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ जल आपूर्ति योजनाओं को बंद करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या भारी पूंजी वाली वृहत स्तर की ए. आर. डब्ल्यू. एस. पी. को जारी रखा जायेगा;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) पूर्व सरकार द्वारा वर्ष 2002 में आरंभ की गई स्वजलधारा योजना को जारी रखने के संबंध में सरकार की नीति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) स्वजलधारा के अंतर्गत अब तक रिलीज की गई निधियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ख) और (ग) चूंकि जल राज्य का विषय है इसलिए सभी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को तैयार करने, उन्हें क्रियान्वित करने, परिचलान, रखरखाव एवं प्रबंधन करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। तथापि, भारत सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के बनने के बाद उसे केन्द्र प्रायोजित सभी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वह कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है।

(घ) से (ज) स्वजलधारा, जो त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का एक घटक है, को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के मानदंडों की आवधिक समीक्षा की जाती है और राज्य सरकार की आवश्यकता और मांग के अनुसार उन्हें परिशोधित किया जाता है।

विवरण

स्वजलधारा योजना (25.11.2004 की स्थिति के अनुसार) के अंतर्गत निधियों की रिलीज की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वजलधारा 2002-03 के अंतर्गत रिलीज की गई राशि	स्वजलधारा 2003-04 के अंतर्गत रिलीज की गई राशि	स्वजलधारा 2004-05 के अंतर्गत रिलीज की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5670.53	808.00	1224.49
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	223.71	-
3.	असम	370.12	377.30	-

1	2	3	4	5
4.	छत्तीसगढ़	131.5	-	232.58
5.	गुजरात	162.54	765.56	619.81
6.	हरियाणा	10.98	117.12	-
7.	हिमाचल प्रदेश	335.79	340.11	-
8.	जम्मू-कश्मीर	-	748.95	1170.02
9.	झारखंड	-	178.01	-
10.	कर्नाटक	118.31	753.77	940.15
11.	केरल	272.84	252.02	-
12.	मध्य प्रदेश	264.49	420.27	-
13.	महाराष्ट्र	3843.86	1086.07	-
14.	मेघालय	-	-	139.59
15.	मिजोरम	-	-	34.67
16.	नागालैंड	-	65.11	-
17.	उड़ीसा	335.84	373.03	648.92
18.	पंजाब	-	156.89	263.33
19.	राजस्थान	374.52	1095.50	1092.91
20.	तमिलनाडु	1394.63	673.20	666.84
21.	त्रिपुरा	-	104.36	92.60
22.	उत्तर प्रदेश	569.42	766.46	1215.80
23.	उत्तरांचल	-	182.00	-
24.	प. बंगाल	23.88	471.50	-
25.	दादरा व नागर हवेली	4.74	4.00	-
	कुल	13883.99	9962.94	9151.91

[हिन्दी]

एम.आर.टी.पी. आयोग

641. श्री सुनिल कुमार महतो: क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग (एम. आर. टी. पी.) के समक्ष लंबित मामलों की स्थिति क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान महानगर-वार और राज्य-वार एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के समक्ष लंबित मामलों की उनके पंजीकरण और निपटान के संबंध में समीक्षा की है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग को सुदृढ़ और पुनर्गठन करने के लिए प्रस्तावित/उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उठाए गए कदम किस सीमा तक सफल सिद्ध हुए हैं?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद्र गुप्ता): (क) मामले एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एम.आर.टी.पी.सी.) के पास विभिन्न स्तरों पर अर्थात उत्तर रिज्वाइंडर विषयों की रूपरेखा बनाने, सुनवाई रख रखाव पर प्रारंभिक विषयों की सुनवाई, आवेदक का प्रमाण प्रतिवादी का प्रमाण तथा अन्तिम चर्चा पर लंबित है। 30 नवम्बर 2004 को 2086 मामले एम.आर.टी.पी.सी. में विचारार्थ थे।

(ख) मामलों का पंजीकरण तथा निपटान का ब्यौरा एम.आर.टी.पी.सी. में रखा जाता है और पुनरीक्षण किया जाता है। एक राष्ट्रीय अर्द्धन्यायिक निकाय होने के कारण, एम.आर.टी.पी.सी. महानगर-वार तथा राज्य-वार आंकड़े नहीं रखता।

(ग) और (घ) सरकार आयोग द्वारा एम.आर.टी.पी.सी. अधिनियम 1969 के अनुसार कार्य करने हेतु प्रबंध करता है।

[अनुवाद]

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के कार्यों को जिला पंचायतों को सौंपना

642. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को जारी धनराशि का उपयोग गांवों में विकास कार्यों को सुचारू रूप से करने में नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो जिला ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत एजेंसियों की कुल संख्या कितनी है और ये केन्द्र से कितनी धनराशि प्राप्त कर रही हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त एजेंसियों की निगरानी के उद्देश्य से कम्प्यूटर तंत्र से जोड़ने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के कार्यों को जिला पंचायतों को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) विभिन्न ग्रामीण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निधियां जारी की जाती है। प्रवृत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार धन का पूर्ण आबंटन प्राप्त करने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र भेजने होते हैं। यह सुनिश्चित करना होता है कि धनराशि का उपयुक्त उपयोग किया जाएगा।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय संबंधित योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को ही निधियां रिलीज करता है।

(ग) और (घ) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को कम्प्यूटर संपर्क सुविधा दी गई है जिससे वे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए ऑन-लाइन जानकारी भेज सकते हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर बकाया

643. श्री हितेन बर्मन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 2004 तक कुल बकाया आयकर कितना है;

(ख) क्या सरकार ने बकाया आयकर की वसूली के लिए कृतिक बल का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) 31 अक्तूबर, 2004 तक इस कृतिक बल द्वारा वसूल की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार सम्पूर्ण बकाया राशियों को कब तक वसूल कर लेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) 31 अक्तूबर, 2004 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया आयकर की देय राशि 81,892 करोड़ रु. थी।

(ख) जी, हां।

(ग) सदस्य (राजस्व), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, महानिदेशक (प्रशासन), निदेशक, वसूली और अन्य को शामिल करके वसूली एक कार्य बल का गठन किया गया है और उसे एक बहु-आयामी रणनीति, विशेषकर कर की बकाया राशि की वसूली करने के लिए मामला-दर-मामला की रणनीति तैयार करने तथा कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

* उचित मामलों की पहचान जहां वित्त वर्ष के दौरान विशेष प्रयासों के जरिए बकाया राशि की वसूली की जा सकती है।

* मुकदमें के विभिन्न चरणों पर लंबित उच्च मांग के मामलों की पहचान करना तथा उनके शीघ्र निपटान के लिए कदम उठाना।

* आयकर अपील अधिकरण के समक्ष बड़े मामलों की सुनवाई की प्रगति की निगरानी करना और विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा किए गए स्थगनों का विनियमन करना।

* उच्च मांग के अंतर्गत मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए समझौता आयोग के साथ सम्पर्क स्थापित करना और वित्त वर्ष के दौरान ही परिणामी मांग की वसूली की निगरानी करना।

* जटिल मामलों की वसूली के लिए परिसम्पत्तियों की पहचान हेतु सर्वेक्षणों और/अथवा गुप्त जांच-पड़ताल करने के रूप में वसूली प्रक्रिया के सहायतार्थ महत्वपूर्ण केन्द्रों पर जांच स्कंध संघटित करना।

(घ) कर की बकाया राशि की वसूली पर गठित कार्य बल एक मानिटरिंग और समन्वयकारी निकाय है और बकाया कर की वसूली में प्रत्यक्ष रूप में शामिल नहीं है। कार्यबल ने 5,500 से अधिक मामलों की जांच की है जहां प्रत्येक मामले में बकाया राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक है जिसमें 85,000 करोड़ रुपए की कुल कर की बकाया राशि अन्तर्ग्रस्त है। इसमें से 21,800 करोड़ रुपए की कुल बकाया राशि के अन्तर्ग्रस्त 2,420 अद्यतन मामलों की पहचान की गई है ताकि बकाया राशि की वसूली के लिए गहन प्रयास किये जा सकें।

(ङ) कर की बकाया राशि की वसूली एक सतत प्रक्रिया है जिसके तहत नई कर मांगें शामिल की जाती है और बकाया देय धनराशियों का सतत आधार पर परिसमापन किया जाता है। बकायों की अधिकांश धनराशि विविध मुकदमें के भिन्न-भिन्न स्तरों में हैं। अत: कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है जिसके भीतर इस समय बकाया धनराशि की पूर्ण रूप से वसूली की जाएगी।

राज्यों को ओवरड्राफ्ट सुविधाएं

644. **श्री सुरेश अंगड़ि:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को ओवरड्राफ्ट सुविधाएं प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्यों ने इस सुविधा का पूरा उपयोग किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा केन्द्र सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक इस समय विशेष ओवरड्राफ्ट सुविधा के अतिरिक्त, 01 अप्रैल, 2003 से प्रभावी अपनी स्कीम की शर्तों के अनुसार अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध कराता है।

(ख) जब भी नकदी की अपेक्षा होती है, जो अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं के अतिरिक्त राज्य भारतीय रिजर्व बैंक की सुविधा का प्रयोग करते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए रियायती दरों पर वस्त्र

645. **श्री कमला प्रसाद रावत:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रियायती दरों पर वस्त्र उपलब्ध कराने का है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने इस संबंध में ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

फ्लोराइड मिटीगेशन सेंटर

646. श्रीमती जयाबहन डी. ठक्कर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** फ्लोराइड मिटीगेशन सेंटर के बारे में दिनांक 22.7.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 267 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में फ्लोराइड मिटीगेशन सेंटर की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए दिनांक 07 अगस्त, 2003 को हुई आंतरिक बैठक का क्या परिणाम निकला?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): गुजरात में फ्लोराइड निवारण केन्द्र की व्यवहार्यता का निर्धारण करने के लिए विभाग में 7 अगस्त, 2003 को कोई आंतरिक बैठक नहीं हुई लेकिन बैठक की तारीख 29 अगस्त, 2003 को पुन निर्धारित की गई। उक्त विषय पर लोकसभा में दिनांक 9.12.2003 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1093 के उत्तर में आंतरिक बैठक के परिणाम को पहले ही दर्शाया गया था और यह तय किया गया था कि फ्लोराइड निवारण केन्द्र स्थापित करने के लिए विभिन्न विकल्पों की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता की जांच की जाए।

[हिन्दी]

एल.आई.सी., गोरखपुर में अनियमितताएं

647. श्री पंकज चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एम-1 योजना के अन्तर्गत 1992-94 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम, गोरखपुर डिवीजन द्वारा कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया तथा उन्हें किन-किन उद्देश्यों के लिए यह ऋण दिया गया;

(ख) इस संबंध में उन खातों का ब्यौरा क्या है जिनका समाधान कर लिया गया है;

(ग) क्या बकाया राशियों को लेकर किए गए समाधान में भारी अनियमितताएं पकड़ी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

648. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ और विश्व बैंक ने हाल ही में वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी माहौल सर्वेक्षण पूरा किया है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से राज्य है जो सर्वेक्षणानुसार विदेशी के प्रति अपना आकर्षण धीरे-धीरे खोते जा रहे हैं;

(ग) इसके लिए सर्वेक्षण क्या कारण दिए गए हैं;

(घ) इसके लिए सर्वेक्षण में क्या सुधारात्मक उपाय सुझाए गए हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार की सर्वेक्षण पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने सर्वेक्षण के आधार पर क्या कार्रवाई, यदि कोई हो, की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) "भारतीय निवेश माहौल मूल्यांकन, 2004" संबंधी विश्व बैंक रिपोर्ट में 12 राज्यों की तुलना करते हुए मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल की पहचान ऐसे राज्यों के रू प में की गई है जिनका निवेश माहौल दर निर्धारण अपेक्षाकृत न्यून है। इस सर्वेक्षण के अनुसार उत्पाद और कारक बाजारों (श्रम, भूमि और पूंजी हेतु बाजारों सहित) के कार्यकरण; आंतरिक और अंतर-उद्योग बाह्यताओं के आर्थिक-भिन्न स्त्रोत (अर्थात छितराव); सार्वजनिक वस्तुओं की गुणवत्ता (जैसे कानून और व्यवस्था, सरकारी विनियमन) और भौतिक तथा सामाजिक अवसंरचना निवेश माहौल के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।

(घ) निवेश माहौल सुधारने के लिए इस रिपोर्ट में विनियामक और संस्थागत सुधारों के दो अंत:संबद्ध सैटों का सुझाव दिया गया है। प्रथम सैट में विनियामक सुधार समाहित हैं जिनमें विनिर्माण उद्योगों में प्रविष्टि और निकासी अवरोध घटाना, श्रम, भूमि और उत्पाद बाजारों के सुचारू कार्यकरण की रूकावटों को दूर करना और व्यवसाय संचालन, दिवालियापन प्रक्रियाओं और औद्योगिक

तथा कारोबार के नेमी कार्यों के विनियमन को सुप्रवाही बनाना शामिल हैं। सुधारों का दूसरा सैट भौतिक अवसंरचनात्मक अवरोधों और वित्तीय तथा अन्य कारबार सेवाओं में कमजोरियों का निदान करेगा।

(ङ) नीति, प्रक्रियाओं और संस्थाओं के अर्थ में एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी निवेश माहौल उपलब्ध करा कर सरकार इस क्षेत्र में भारत को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने के सतत् प्रयास कर रही है। सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माणकारी प्रतिस्पर्धात्मक परिषद् (एनएमसीसी) का गठन किया है जो अन्य बातों के अलावा, नीतिगत वार्ता हेतु मंच की व्यवस्था करेगी और प्रतिस्पर्धा वर्धन हेतु समग्र रूप से विनिर्माणकारी क्षेत्र के साथ-साथ व्यष्टि उद्योगों के लिए नीतियां बनाएगी।

[हिन्दी]

कपास का उत्पादन

649. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग विश्व बाजार में कपास के संबंध में अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले कपास के उत्पादन तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कदम उठाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वस्त्रों से संबंधित उन्नयन निधि के अंतर्गत इस उद्योग के विकास के लिए नियत धनराशि पर लगाये गये प्रतिबंध समाप्त कर दिये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय उद्योग विश्व बाजार में अपरिष्कृत कपास के संबंध में अपनी विश्वसनीयता नहीं खो रहा है। विगत कपास मौसम 2003-04 के दौरान भारत ने अपरिष्कृत कपास की 13.25 लाख गांठों का निर्यात किया है। चालू कपास वर्ष 2004-05 में परिष्कृत कपास का निर्यात 12 लाख गांठ होने का अनुमान है। साथ ही भारत सूती यार्न का अग्रणी निर्यातक है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने कपास के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने और कृषि की लागत में कटौती करने के उद्देश्य से नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में फरवरी, 2000 में पहले से ही कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू कर दिया गया था ताकि वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अच्छी क्वालिटी की कपास की प्रचुर आपूर्ति तथा किसानों को लाभप्रद आय प्रदान की जा सके। कपास प्रौद्योगिकी मिशन योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 2006-07 तक जारी है।

(ङ) और (च) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) एक गतिशील योजना है और उद्योग से प्राप्त फीडबैक के आधार पर योजना के मानदंडों में सतत आधार पर ढील दी जाती है। सरकार ने सूती वस्त्र उद्योग का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए हाल ही में कुछ मुख्य रियायतें दी हैं जो निम्नलिखितानुसार हैं:-

(1) सूती रिंग कताई प्रणाली के तहत मौजूदा कताई एककों के लिए न्यूनतम आर्थिक आकार (एमईएस) को 12,000 तकुओं से घटाकर 8,000 तकुए कर दिया गया है। नये कताई एककों के लिए एमईएस को 25,000 तकुओं से घटाकर 12,000 तकुए कर दिया गया है।

(2) मौजूदा निटिंग गारमेंटिंग और विद्युतकरघा एककों को भी पश्मगामी एकीकरण यार्न के रूप में कैप्टिव यार्न आवश्यकता के वास्ते न्यूनतम 8,000 तकुओं वाले नए कताई एककों की स्थापना करने की अनुमति दी गयी है।

(3) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत सभी प्रकार के करघों के लिए न्यूनतम चौड़ाई निर्धारण को समाप्त कर दिया गया है।

(4) इस योजना के तहत नई कताई मिलों के लिए निचले मूल्य संवर्धन निर्धारण और मौजूदा कताई मिलों के विस्तार करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है।

(5) लघु विद्युतकरघा एककों को इस योजना के तहत 60 लाख रुपये तक की लागत की पात्र मशीनों के लिए ग्राह्य लागत की 20% पूंजी सब्सिडी से संबद्ध ऋण का एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान किया गया है।

(6) योजना के तहत स्थापित वायु ऊर्जा संयंत्र पर ब्याज प्रतिपूर्ति जारी करने से पूर्व वस्त्र मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त को समाप्त कर दिया गया है।

(7) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को 31 मार्च, 2007 तक बढ़ा दिया गया है।

काला धन

650. **श्री सीताराम सिंह:**
श्री रामजी लाल सुमन:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में काले धन की कुल कितनी धनराशि होने का अनुमान है;

(ख) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने हाल में इस संबंध में कोई निर्धारण किया है;

(ग) यदि हां, तो काले धन, नकली मुद्रा, उत्पाद शुल्क अपवंचन और बैंक धोखाधड़ी के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा लगाए गए अनुमान का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) देश में काले धन का कोई निश्चित अनुमान नहीं है। फिर भी, सरकार के अनुरोध पर, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान ने वर्ष 1983-84 में काले धन के प्रचलन के आकलन का प्रयास किया था और वर्ष 1983-84 में देश में सृजित 31,584/-करोड़ रु. से 36,786/- करोड़ रु. के बीच काले धन का अनुमान लगाया था।

(ख) और (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने देश में काले धन की राशि के बारे में कोई निर्धारण/आकलन नहीं किया है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को ध्यान से रखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

आर्थिक अपराध

651. **श्री उदय सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार गबन, धन शोधन हवाला और अन्य आर्थिक अपराधों से संबंधित सूचना एकत्र करने हेतु आसूचना अभिकरणों का गठन करने हेतु आसूचना अभिकरणों का गठन करने पर सक्रियता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में हो रहे आर्थिक अपराधों की रोकथाम करने में असफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो आसूचना अभिकरणों के गठन से उक्त अपराधों की रोकधाम में कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) धन शोधन तथा संबंधित अपराधों को रोकने के लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी नेटवर्क के माध्यम से संग्रहण और वित्तीय आसूचना की हिस्सेदारी को सुदृढ़ करने को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने निदेशक, वित्तीय आसूचना एकक-भारत (एक आई यू-आई एन डी) के रूप में पदनामित संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक बहुविषयक इकाई के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है जिनकी सहायता के लिए वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञों विश्लेषकों तथा भारतीय प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का एक प्रशिक्षित तकनीकी समूह होगा।

(ग) और (घ) आर्थिक अपराधों की रोकथाम करना एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में, वित्तीय आसूचना एकक-भारत (एक आई यू-आई एन डी एन डी) सन्देहास्पद वित्तीय लेन देनों से संबंधित सूचना प्राप्त करने, तैयार करने, विश्लेषण करने तथा उसका प्रचार-प्रसार करने के लिए उत्तरदायी केन्द्रीय राष्ट्रीय एजेन्सी होगी तथा यह उम्मीद की जाती है कि एजेन्सी, धन शोधन तथा संबंधित अपराधों को रोकने में प्रभावी होगी।

आर्थिक वृद्धि

652. **श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में आर्थिक वृद्धि की दर काफी असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और न्यून आर्थिक वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) गत छह माह के दौरान सरकार द्वारा आर्थिक वृद्धि दर में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारत ने 2003-04 में 8.2 प्रतिशत तथा

2004-05 की प्रथम तिमाही 7.4 प्रतिशत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) वृद्धि दर्ज की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2004-05 (26 अक्तूबर, 2004) के वार्षिक नीति विवरण की अपनी मध्यावधिक समीक्षा में 2004-05 में वृद्धि को 6.0 से 6.5 प्रतिशत के दायरे में रखा है। 2004-05 में गत वर्ष की तुलना में कम वृद्धि प्रत्याशा मुख्यत: कम वर्षा एवं उच्च तेल मूल्यों के कारण है। हालांकि भारत विश्व की तीव्रतम वृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में बना रहेगा। तथापि, सरकार गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्याओं के निवारण हेतु उच्चतर वृद्धि दरों की प्राप्ति की आवश्यकता के प्रति सचेत है।

(ग) जून, 2004 में, सरकार ने 2004-05 में कृषीय क्रेडिट के प्रवाह को 30 प्रतिशत बढ़ाने तथा तीन वर्षों में क्रेडिट के प्रवाह को दोगुना करने के उद्देश्य से एक व्यापक नीति की घोषणा की थी। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम 5 जुलाई, 2004 से लागू किया गया है। 8 जुलाई, 2004 को संसद में प्रस्तुत बजट 2004-05 में, वृद्धि के संवर्धन हेतु की उपायों के प्रस्ताव किए गए हैं. इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के उच्च आवंटन, ग्रामीण आधारभूत विकास निधि का पुनरूद्धार, वार्षिक योजना में 10,000 करोड़ रुपए के सकल बजटीय समर्थन का प्रावधान तथा कृषि से संबद्ध सभी जल-निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं पुनरूद्धार हेतु योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव शामिल है। नीतिगत एवं राजकोषीय उपायों के मिश्रण के माध्यम से निवेश आयोग राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद की स्थापना कतिपय क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमाओं को बढ़ाने तथा आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं में कमियों को दूर करने संबंधी अन्य प्रस्ताव हैं।

छठा वेतन आयोग

653. श्री के. खारवेलधन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लाभ हेतु छठा वेतन आयोग गठित करने का है क्योंकि वेतन-संशोधन लंबे समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रत्येक वर्ष महंगाई भत्ते की दो अतिरिक्त किस्तों तथा मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ते के विलय की वजह से जीवन यापन की लागत में 100 प्रतिशत निष्प्रभावन की वृद्धि से केन्द्र सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक आय संरक्षित है।

राज सहायता संबंधी विशेषज्ञ समूह

654. श्री के. सी. पलनिसामी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज-सहायता को बेहतर ढंग से लक्षित करने हेतु एक रूप-रेखा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विशेषज्ञ समूह से राज-सहायता से संबंधित क्या सिफारिशें प्राप्त हुई है;

(ग) इस विशेषज्ञ समूह ने मिट्टी के तेल पर दी जाने वाली राज-सहायता को समाप्त करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) 08 जुलाई, 2004 को संसद में प्रस्तुत वर्ष 2004-05 के बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में, सरकार ने राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) को गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए राज-सहायता को लक्षित करने के लिए एक खाका तैयार करने के लिए कहा है। एनआईपीएफपी द्वारा शीघ्र ही अपनी पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

बंजरभूमि का विकास

655. श्री गिरिधारी यादव:
श्री काशीराम राणा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक जिला-वार शामिल किए गए तथा लाभान्वित किसानों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान बंजर भूमि विकास योजना की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू. डी. पी.) कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए राज्य आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल है। राज्य-वार स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) राज्य के जिले में परियोजना क्षेत्र के भीतर और आस-पास रहने वाले किसानों सहित लोग रोजगार के अवसर प्राप्त करके, भूमि एवं नमी संरक्षण, खाद्य उत्पादन/चारे/ जल स्तर तथा प्रति इकाई उत्पादन में वृद्धि होने के द्वारा लाभान्वित होते हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान बंजरभूमि विकास कार्यक्रम की समीक्षा की है। इसके परिणामस्वरूप हरियाली के नए मार्गदर्शी सिद्धांत 1.4.2003 से लागू हुए हैं।

विवरण

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	कुल परियोजनाएं
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	58
2.	बिहार	20
3.	छत्तीसगढ़	28
4.	गोवा	2
5.	गुजरात	47
6.	हरियाणा	15
7.	हिमाचल प्रदेश	34
8.	जम्मू व कश्मीर	12
9.	झारखण्ड	14
10.	कर्नाटक	42
11.	केरल	6
12.	महाराष्ट्र	39
13.	मध्य प्रदेश	69
14.	उड़ीसा	46
15.	पंजाब	8
16.	राजस्थान	47
17.	तमिलनाडु	45
18.	उत्तर प्रदेश	67
19.	उत्तरांचल	24
20.	पश्चिम बंगाल	7
	योग	630
	पूर्वोत्तर राज्य	
1.	अरूणाचल प्रदेश	20
2.	असम	74
3.	मणिपुर	19
4.	मेघालय	14
5.	मिजोरम	22
6.	नागालैण्ड	34
7.	सिक्किम	12
8.	त्रिपुरा	4
	योग	199
	कुल योग	829

'इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स'

656. श्री मिलिन्द देवरा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनियों द्वारा 'बुक बिल्डिंग' प्रक्रिया के माध्यम से 'इनिशियल' पब्लिक ऑफर' उन रिटेल निवेशकों के लिए विभेदात्मक हैं, जिन्हें पात्र संस्थागत क्रेताओं, जिन्हें कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता है, की तुलना के लिए विभेदात्मक है, जिन्हें पात्र संस्थागत क्रेताओं, जिन्हें कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता है, की

तुलना में आवेदन करते समय 100 प्रतिशत राशि की बोली लगानी पड़ती है;

(ख) क्या 'क्यूआईबी' आईपीओ को अवधि समाप्त होने के समय अपनी बोलियां कम अथवा कभी-कभी उन्हें पूरी तरह रद्द कर देते हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव कुछ 'मार्जिन मनी' तथा आनुपातिक आबंटन निर्धारित करके उन्हें बराबरी पर लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सेबी (प्रकटीकरण और निवेशक संरक्षण) मार्गनिर्देश निवेशकों से मार्जिन संग्रहण अनिवार्य नहीं करते हैं। इन मार्गनिर्देशों में यह व्यवस्था है कि अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को छोड़कर अन्य श्रेणियों से प्राप्त मार्जिन, यदि कोई हो, ऐसी प्रत्येक श्रेणी के लिए एक समान होगा। मार्गनिर्देशों के अनुसार अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को बोली अवधि की समाप्ति के पश्चात बोलियां वापस लेने की अनुमति नहीं हैं जबकि अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता-भिन्न अन्य निवेशक आवंटन से पहले किसी भी समय अपनी बोलियां वापस ले सकते हैं।

(ख) से (घ) सेबी इस मामले पर आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

कंपनियों के शेयर

657. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी सूचीबद्ध कंपनियों कितनी हैं जिनके शेयर अभी भी शेयरधारकों के पास वास्तविक रूप में रखे हुए हैं और जिनका कारोबार नहीं किया जा रहा है;

(ख) इन कंपनियों के शेयर इलेक्ट्रानिक्स रूप में न लेने के क्या कारण है;

(ग) उक्त दोषी कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) इन कंपनियों के शेयर कब तक डी-मैट कर दिए जाएंगे;

(ङ) क्या कार्यालयों तथा शेयर हस्तांतरण कार्यालयों के पते तत्काल और सही-सही नहीं दिए जाते हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई किए गए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ने सूचित किया है कि अब तक 4029 सूचीबद्ध कंपनियों (निक्षेपागार में सम्मिलित होते समय कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार) अपने शेयरधारकों को शेयरों के अभौतिकीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एनएसडीएल में सम्मिलित हो चुकी हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 8 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्राप्त करने अथवा निक्षेपागार में प्रतिभूतियों को धारित करने का विकल्प है। इसलिए, शेयर धारकों के पास वास्तविक अथवा डी-मैट रूप में प्रतिभूतियों धारित करने का विकल्प है।

इसके अतिरिक्त, सेबी ने अपने दिनांक 3 अगस्त, 2001 के परिपत्र द्वारा सभी स्टॉक एक्सचेंजों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि 31 दिसम्बर, 2001 से चल सेगमेंट रूप में आवश्यक कारोबार को सुकर बनाने के लिए, उनके एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों 30 दिसम्बर, 2001 तक दोनों निक्षेपागारों के साथ संबद्धता स्थापित कर लें। जिन कंपनियों ने 30 सितम्बर, 2001 से पहले दोनों निक्षेपागारों से संबद्धता स्थापित कर ली थी उन कंपनियों को 31 दिसम्बर, 2001 से सामान्य चल सेगमेंट में अंतरित कर दिया गया था। 30 सितम्बर, 2001 से पूर्व संबद्धता स्थापित न करने वाली कंपनियों मे कारोबार को कारोबार खंड में डाला गया तथा इन प्रतिभूतियों में कारोबार भौतिक रूप में किया जा रहा है।

सेबी त्रैमासिक आधार पर उन कंपनियों के नाम अधिसूचित करता रहा है जिन्होंने दोनों निक्षेपागारों के साथ संबद्धता स्थापित कर ली है और इसलिए सामान्य चल सेगमेंट में कारोबार के लिए अर्हक हैं। उपर्युक्त के अलावा, छोटे निवेशकों के लाभ के लिए स्टॉक एक्सचेंज उन प्रतिभूतियों में जो, सामान्य चल सेगमेंट में हैं, भौतिक कारोबार के लिए एक मार्ग भी उपलब्ध कराते हैं। पूर्व अनुभव दर्शाते हैं कि 99% कारोबार केवल डी-मैट रूप में ही होता है।

(ख) भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट कारणों के अलावा, कंपनी को निक्षेपागार में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा

करना होता है। कंपनियों के लिए निक्षेपागार में प्रतिभूतियां स्वीकार करने के सामान्य मानदंडों पर एनएसडीएल और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया था। इस सामान्य मानदंड के अनुसार निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करने वाली कंपनियों निक्षेपागार में प्रवेश की पात्र हैं:

* कंपनियों के पास निवल मूल्य के रूप में एक करोड़ रुपए की राशि होनी चाहिए; और
* निवल मूल्य क्षरण, यदि कोई हो, 50% से अधिक न हो।

इसके अतिरिक्त उपभोक्ता मानदंडों को पूरा न करने वाली कंपनियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है बशर्ते कि पिछले 12 महीनों के दौरान कम से कम 50 दिनों के लिए इन कंपनियों के शेयरों का कारोबार हुआ हो।

(ग) उन प्रतिभूतियों में कारोबार, जिन्होंने दोनों निक्षेपागारों से संबद्धता स्थापित नहीं की है, सामान्य चल सेगमेंट के बजाय कारोबार खंड में किया जा रहा है।

(घ) निक्षेपागार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को एक बार पूरा करने पर उन कंपनियों के शेयरों को डी-मैट कर दिया जाएगा।

(ङ) और (च) कंपनियों और/अथवा उनके पंजीयक और अंतरण एजेंटों के पतों के ब्यौरे, (कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार,) (जहां एनएसडीएल में सम्मिलित हो गई कंपनियों के संबंध में अभौतिकीकरण अनुरोधों से जुड़े दस्तावेजों को निक्षेपागार सहभागियों (डीपी) द्वारा भेजा जाना है, परिपत्रों के माध्यम से निक्षेपागार सहभागियों को उपलब्ध कराए गए हैं। यह सूचना एनएसडीएल की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। कंपनियों द्वारा यथा संप्रेषित इन पतों में किन्हीं भी परिवर्तनों को अद्यतन भी किया जाता है।

[हिन्दी]

कर संग्रहण तंत्र में भ्रष्टाचार

658. श्री सुनिल कुमार महतो: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर संग्रहण तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण कर संग्रहण अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है;

(ख) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) इस तंत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इससे सरकार को कितनी सफलता मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रहण सरकार की आशाओं के अनुरूप रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों संग्रहणों को बढ़ाने के लिए कई विधायी तथा प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं जिनमें बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यनीति, भ्रष्टाचार से अधिक प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए सतर्कता निदेशालयों को सुदृढ़ बनाना, भ्रष्टाचार लिप्त कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना और संवेदनशील पहचान करना शामिल है ताकि ऐसे पदों आदि पर संदिग्ध प्रकृति के अधिकारियों की तैनाती से बचा जा सके।

(घ) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रहणों में उत्प्लावकता का श्रेय संग्रहणों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को जाता है।

कर वसूली की दर

659. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
श्री नीतीश कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में कर वसूली की दर अन्य एशियाई देशों की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) उन एशियाई देशों के नाम क्या हैं जहां कर दर भारत से कम है और उन एशियाई देशों के नाम क्या है जहां कर दर भारत से अधिक है;

(घ) क्या कर दर में अंतर से भारत का विदेश व्यापार दुष्प्रभावित होता है, और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, नहीं। अन्य एशियाई देशों में प्रत्यक्ष कर दरें प्राय: भारत की कर दरों से तुलनीय हैं।

(ग) भारत की तुलना में अपेक्षकृत अधिक निगमित कर दर रखने वाला एशियाई देश पाकिस्तान है और भारत की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वैयक्तिक आयकर दरें रखने वाले एशियाई देश जापान, चीन, इंडोनोशिया, कोरिया, पाकिस्तान, फिलीपीन्स, ताइवान, थाईलैंड और श्रीलंका है। भारत की तुलना में अपेक्षाकृत कम निगमित कर दर रखने वाले एशियाई देश जापान, चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन्स, ताइवान, थाईलैंड सिंगापुर और श्रीलंका हैं जबकि भारत की अपेक्षा कम वैयक्तिक आयकर दर रखने वाले एशियाई देश मलेशिया और सिंगापुर हैं।

(घ) भारत और अधिकांश अन्य एशियाई देशों के बीच प्रत्यक्ष कर दरों में अन्तर अधिक नहीं है कि वह भारत के विदेश व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सके। इसके अतिरिक्त भारत आय दोहरे कराधान को रोकने और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से अधिकांश एशियाई देशों के साथ दोहरे कराधान के परिहार के करारों में भी शामिल हुआ है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को ध्यान से रखते हुए जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, प्रश्न नही उठता।

भाग (क) से (ङ) के संबंध में जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है भारत में भिन्न पण्यों के लिए भिन्न कर दरें है और अन्य देशों की पण्यवार कर दरों के आंकड़े इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते। इस संबंध में सूचना के संग्रहण में किए जाने वाले प्रयास, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप नहीं होंगे।

[अनुवाद]

रायलसीमा के लिए कर रियायत और प्रोत्साहन

660. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश की पूर्वोत्तर क्षेत्रों के समान रायलसीमा और तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्र के त्वरित विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कर रियायत तथा प्रोत्साहन देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त उत्तर (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अप्रत्यक्ष कर के संबंध में यह मंत्रालय में यह क्षेत्रीय आधार पर प्रचुर मात्रा मे रियायतें देने के खिलाफ है क्योंकि इससे कराधार में कमी आती है जिससे राजस्व संग्रहण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

जहां तक प्रत्यक्ष कर का संबंध है रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए आयकर रियायतों को बढ़ाने और कर प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

असंख्य परिसम्पत्तियों वाले अधिकारियों की मानिटरिंग

661. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री गिरिधारी यादव:
श्री महेश कनोडिया:
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अधीन विभागों में कार्यरत कई वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस/सतर्कता विभाग ने रिश्वत लेने एवं अपनी आय से अधिक परिसम्मति रखने के आरोप में पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरूद्ध चल रहे मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उनके मंत्रालय एवं विभागों तथा इनके संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत भ्रष्ट अधिकारियों पर सतर्क निगाह रखने के लिए सतर्कता इकाइयों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

[अनुवाद]

बजटीय मांग में वृद्धि

662. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने बजटीय मांग को 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपए कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपए की इस अतिरिक्त बजटीय आबंटन को किन-किन क्षेत्रों से पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार के इस कदम से राजकोषीय घाटा बढ़ने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो राजकोषीय घाटे को न्यूनतम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (च) वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमानों में आबंटनों में होने वाले परिवर्तनों को संसद में संशोधित अनुमानों में प्रस्तुत किया जाता है। राजकोषीय घाटे में व्यय का प्रभाव, यदि कोई हो, प्राप्तियों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमानों में भी ज्ञात होता है। सरकार राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

व्यवसाय कर

663. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सरकारें अपने-राज्यों में व्यवसाय कर लगाने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कर लगाने के बाद कर-दाताओं की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार व्यावसाय कर-दाताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य सरकारों को निवेश देने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) चूंकि राज्यों को भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, अत: ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजस्व संग्रहण में खामियां

664. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार स्टाम्प ड्यूटी के माध्यम से राजस्व संग्रहण में खामियों को दूर करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी विस्तृत विशेषताएं क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) वित्त अधिनियम, 2004 के द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में धारा 2 (26) जोड़ी गई है। इस संशोधन के माध्यम से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में स्टाम्प की परिभाषा इस प्रकार जोड़ी गई है कि राज्य सरकारों को स्टाम्प/स्टाम्प पेपर को छोड़कर अदायगी की वैकल्पिक विधियों के माध्यम से स्टाम्प शुल्क वसूल करने की शक्ति दी गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कर अधिकरण का गठन

665. श्री पंकज चौधरी:
श्री नीतिश कुमार:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार कुल कितना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर बकाया है तथा कितने कर की वसूली की गई है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा बकाया राशि की वसूली करने हेतु क्या लक्षित तारीख निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने न्यायालयों में काफी समय से लंबित अनेक कर विवादों के कारण उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए ''राष्ट्रीय कर अधिकरण'' गठित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) 30 सितम्बर, 2004 तक की स्थिति के अनुसार प्रत्यक्ष और

अप्रत्यक्ष, दोनों करों की कुल बकाया राशि और 30 सितम्बर, 2004 तक वसूली गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	बकाया राशि	वसूल की गई राशि
प्रत्यक्ष कर	81,399.00	3462.00
अप्रत्यक्ष कर	15,970.35	560.01

(ख) चूंकि बकाया राशि का मामला विभिन्न सांविधिक प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है, अत: बकाया राशि की वसूली के लिए विशेष लक्ष्य के रूप में कोई तारीख निर्धारित नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बकाया कर राशि में लगातार नई कर मांगें जोड़ी जा रही हैं और बकाया राशि का एक हिस्सा निरंतर वसूल किया जा रहा है। तथापि, बकाया की तेजी से वसूली के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने राष्ट्रीय कर अधिकरण गठित करने का निर्णय लिया है और तदनुसार संसद के चालू शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक लाने के लिए विधि मंत्रालय द्वारा नोटिस दिया गया है।

राजस्व घाटा

666. श्री मुन्शी राम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त वर्ष 2004-05 के पूर्वार्द्ध में राजस्व घाटे का प्रतिशत बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त वित्त वर्ष के पूर्वार्द्ध में वास्तविक राजस्व घाटा कितना रहा;

(घ) उक्त राजस्व घाटे में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ङ) भारत सरकार द्वारा उक्त राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं और गत दो वर्षों की तुलना में पूरे वर्ष के राजस्व घाटे में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्यों में चल रही लाटरियां

667. श्री पी. करूणाकरन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी एजेंसियों सहित विभिन्न राज्यों की चलाई जा रही लाटरियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को पंजीकरण शुल्क आदि के संबंध में इन लाटरियों के बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

आयकर लक्ष्य

668. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने आयकरदाता हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार आयकरदाताओं की पहचान हेतु निर्धारित विद्यमान मानदंडों में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र/राज्य सरकार के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी जो प्रति माह 5000/-रुपये की न्यूनतम पेंशन पा रहे हैं और कार मालिक होने के कारण 1/6 श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, ने अपनी आयकर विवरणी दाखिल की है;

(ङ) यदि नहीं, तो जिन लोगों ने अपनी आयकर विवरणी दाखिल नहीं की है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाही की जा रही है;

(च) सरकार द्वारा उपर्युक्त क्षेत्र के लोगों को आयकर के दायरे में लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(छ) क्या निर्धारित लक्ष्य की तुलना में आयकरदाताओं से कर वसूली में कमी आने का एक कारण यह भी है; और

(ज) ऐसे कुल कितने मामले हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) 108 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों (अथवा समकक्ष कार्यालयों) से प्राप्त उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर दिनांक 31.3.2004 को सम्पूर्ण देश में आयकर निर्धारितियों की कुल संख्या 3.02 करोड़ थी। राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) छः में से एक योजना के अन्तर्गत विहित कर निर्धारितियों के अलग-अलग वर्गों तथा सेवानिवृत्त केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों अथवा कार मालिकों के संबंध में ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) जैसाकि धारा 139 (1) के उपबंधों और उसके परन्तुक के अनुसार विवरणी दायर करना अपेक्षित है, आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने के कारण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271-च के अन्तर्गत 5000/-रूपए की राशि का अर्थदण्ड आरोप्य है।

(च) कर दायरे के अन्तर्गत अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाने के लिए सरकार का निरन्तर प्रयास रहा है। इस प्रयोजनार्थ प्रारंभ किए गए अनेक उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल है:

(1) छः में से एक योजना का कार्यान्वयन।

(2) कतिपय उच्च लागत वाले लेनदेनों में स्थायी खाता संख्या का अनिवार्यतः उल्लेख करना।

(3) यथा निर्धारित, कतिपय वित्तीय संव्यवहारों के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 285 खक के तहत वार्षिक सूचना विवरणी दाखिल करना।

(4) चुनिन्दा आधार पर सर्वेक्षण ओर तलाशियां करना।

(5) विभिन्न वित्तीय कार्यकलापों को शामिल करने के लिए स्त्रोत पर कर कटौती के उपबंधों की प्रयोज्यता का विस्तार करना।

(6) विभिन्न क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन करके करदाताओं को शिक्षित करने का प्रयास करना।

(7) प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रचार तथा जागरूकता अभियान।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, अखिल भारतीय कम्प्यूटरीकृत नेटवर्क के अन्तर्गत देश भर के सभी 516 आयकर कार्यालयों को लाने के लिए एक बृहत कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। कर संबंधी सूचना आधार के रूप में कार्य करने के लिए एक कर सूचना नेटवर्क की भी स्थापना की गई है।

(छ) इस तरह का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, निर्धारित किए गए लक्ष्य की तुलना में वसूले गए करों में कमी के कतिपय कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ कारण यह भी हो सकते हैं कि कर-निर्धारितियों का अता-पता न लग सका हो अथवा आयकर प्राधिकरण अथवा अधिकार क्षेत्र वाले आयकर अपीलीय अधिकरण/उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन द्वारा मांग शामिल हो। अधिसूचित कर-निर्धारितियों के मामले में वसूली विशेष न्यायालयों के अनुमोदन से ही संभव है। कुछ मामले औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के समक्ष लंबित हो सकते हैं। जहां रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 22 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, वसूली संभव नहीं है।

(ज) ऐसे ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, विभिन्न मुख्य आयुक्त क्षेत्रों में कर वसूली प्रकोष्ठों की स्थापना करके शीर्ष स्तरों पर वसूली की निगरानी की जा रही है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूंजी सहायता

669. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आश्वासन दिया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूंजी सहायता प्रदान की जाएगी;

(ख) क्या नाबार्ड में संचित घाटे तथा प्रत्येक क्षेत्रीय बैंक की शेयर पूंजी तक पूंजी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनरुद्धार हेतु प्रभाव की जांच की है तथा धनराशि स्वीकृत और जारी की है;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से संशोधित कृषि ऋण की चुनौती का सामना करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनरूद्धार हेतु एक ''दृष्टिकोण पत्र'' भेजने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्रचना पर प्रो. व्यास कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(छ) किसी राष्ट्रीय छत्र-छाया पर प्रायोजित बैंकों से अलग करने के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समेकित करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है; और

(ज) क्या सार्वजनिक क्षेत्र का ऐसा कोई बैंक है जिसमें प्रति राज सहायता का कोई अवसर न हों?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सरकार ने निर्णय लिया है तथा प्रायोजन बैंकों को सूचित किया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन के लिए पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे। यह भी सूचित किया गया है कि वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिन्होंने नए नियमन मांनदड को अपनाया है तथा जो विवेकपूर्ण विनियमों का पालन करते हैं, पुनर्गठन के लिए सरकार से निधि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संचित हानि हुई है उनके ब्यौरों को सौंप दिया है तथा पुनर्पूंजीकरण सहायता हेतु प्रस्ताव किया हैं। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से कहा है कि वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय सहायता के लिए नाबार्ड से परामर्श करके उपयुक्त मानदंड तैयार करें, उसकी प्रमात्रा एवं प्रकार का मूल्यांकन करें जिसके तहत उपयुक्त आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्पूंजीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

(च) से (ज) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नियुक्त प्रो. व्यास समिति ने पूर्वोत्तर के सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) को एक कंपनी के रूप में तथा शेष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को राज्य स्तर पर समेकित किए जाने का सुझाव दिया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रस्तावित संरचना आर आर बी अधिनियम, 1976 में परिकल्पित रूप से भिन्न होगी। चूंकि इसके लिए कई संशोधन आवश्यक है इसलिए समिति ने सिफारिश की है कि पुनर्गठित आर.आर.बी. के परिचालनात्मक स्वायत्ता और प्रबंधन एवं निदेशक मंडल के व्यवसायीकरण हेतु उपयुक्त प्रावधानों के साथ आर.आर.बी. अधिनियम, 1976 को निरसित व प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तथापि इस स्थिति में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन पर विचार-विमर्श अनिर्णायक हैं।

[हिन्दी]

सेवानिवृत्ति आयु

670. श्री बालेश्वर यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को घटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में उक्त प्रस्ताव पर किस चरण में विचार किया जा रहा है;

(ग) सरकार इस संबंध में कब तक अपने निर्णय की घोषणा करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा और अधिक केन्द्रीय सरकार के रोजगारों का सृजन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) चूंकि केन्द्रीय सरकार में पदों का सृजन कार्यात्मक विचार-विमर्श और प्रशासनिक अपेक्षाओं पर किया जाता है इसलिए ऐसे कदमों को उठाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

गायब हुई कंपनियां

671. श्री के.एस. राव:
श्री कमला प्रसाद रावत:

क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसी गायब होने वाली कंपनी के सार्वजनिक मुद्दे के प्रति लेखा-परीक्षकों तथा सॉलिसिटरों की पर्याप्त जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद्र गुप्ता): (क) से (ग) सरकार, कम्पनियों के पब्लिक ईश्यू के लिए, जिम्मेवार सभी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए

प्रतिबद्ध है। उपर्युक्त के अनुसरण में, सरकार ने कम्पनी अधिनियम 1956 को संशोधित करने के लिए इसका व्यापक पुनरीक्षण भी किया है। इसके अतिरिक्त, चार्टर्ड एकाउन्ट्स अधिनियम 1949, लागत एवं संकर्म लेखपाल अधिनियम, 1959 एवं कम्पनी सचिव अधिनियम 1980 में संशोधन के लिए विधेयकों को संसद में भी प्रस्तुत किया गया है। आशा है कि इन कार्यवाहियों से निवेशकों के प्रति कारपोरेट्स एवं उनके सलाहकारों के उत्तरदायित्व एवं जिम्मेवारी के लिए और अधिक प्रभावी फ्रेमवर्क का प्रावधान होगा।

मूल्य वर्धित कर

672. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से मूल्यवर्धित कर लागू कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल, 2004 से लगाये जाने वाले प्रस्तावित मूल्यवर्धित कर की दरों में चाय और कॉफी को उच्च कर दर की श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो चाय/कॉफी पर उच्च मूल्यवर्धित कर लगाए जाने के क्या कारण हैं क्योंकि इससे आम आदमी पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) क्या सरकार चाय/कॉफी को 4 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर रखने के निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति की एक बैठक दिनांक 18.06.2004 को हुई थी, जिसमें दिनांक 1 अप्रैल 2005 से राज्य स्तरीय 'वैट' शुरू करने के लिए राज्यों के बीच मोटे तौर पर मतैक्य था।

(ख) से (घ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II प्रविष्टि 54 के अनुसार, वस्तुओं के क्रय अथवा विक्रय पर कर राज्य का विषय है। 22 जून, 2000 को हुई मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों पर, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा 'वैट' के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों, जिनमें विभिन्न पण्यों पर 'वैट' की दर भी शामिल है, पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति का गठन किया गया। विस्तृत विचार -विमर्श करने के बाद। इस समिति ने चाय और कॉफी को 12.5% 'वैट' दर की श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है।

कंपनी अधिनियम के अंतर्गत गैर-सरकारी कंपनियां

673. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद:
श्री राजाराम पाल:

क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी कंपनियां कंपनी अधिनियम. 1965 के अंतर्गत पंजीकृत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को गैर सरकारी कंपनियों के विरूद्ध उनके द्वारा अपने निहित स्वार्थों के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अभी तक कितनी गैर सरकारी कंपनियों को दंडित किया गया है;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार ऐसे कितने मामले सरकार के पास लंबित हैं जिनकी जांच की जा रही है अथवा जिनकी जांच की जानी है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत फर्जी गैर सरकारी कंपनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु कंपनी अधिनियम में संशोधन करने का है?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद्र गुप्ता): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कंपनियों के विरुद्ध समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती है, जिसमें वे कंपनियां भी शामिल हैं जिन्हें कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निजी परिभाषित किया जाता है। यदि कंपनी अधिनियम 1956 का उल्लंघन पाया जाता है तो अभियोजन स्थापित किए जाते हैं। अभियोजन चलाने में कंपनियों के विभिन्न वर्गों में कोई विभेद नहीं किया जाता। वर्ष 2000-2001, 2001-2002 एवं 2002-2003 के दौरान स्थापित अभियोजनों की संख्या क्रमश: 9187, 8334 और 9154 है।

(ङ) सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956, जिसमें दोषी कंपनियों के लिए दण्डों का फ्रेमवर्क भी शामिल है, का पुनरीक्षण एवं पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

674. श्री अनन्त नायक: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला परियोजना अधिकारियों और समाहर्ताओं के उत्तर दायित्व को निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या प्रत्येक जिले में विशेष रूप से ऐसे कार्य की निगरानी के लिए सतर्कता अधिकारियों की तैनाती का प्रस्ताव है; और

(ग) इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) विभिन्न योजनाओं के लिए लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशक तथा जिला कलक्टर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने माननीय केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा समीक्षाओं मंत्रालय की क्षेत्र अधिकारी योजना निष्पादन समीक्षा समिति, जिला स्तरीय निगरानी, राष्ट्रीय स्तरीय निगरानीकर्ता, समवर्ती मूल्यांकन तथा प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों जैसे विभिन्न तंत्रो के माध्यम से कार्यक्रमों की निगरानी की व्यापक प्रणाली भी बनाई है ताकि कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यानवयन के लिए संसद सदस्यों की अध्यक्षता में जिला सतर्कता एवं निगरानी समितियों को भी पुनर्गठित किया गया। इसके अलावा, ग्राम सभाओं को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की पारदर्शिता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा कराने का भी अधिकार दिया गया है।

महाराष्ट्र में संसाधनों की कमी

675. **श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल:**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार संसाधनों की कमी से जूझ रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय कमी से उबरने हेतु केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार बड़े पैमाने पर राजस्व और राजकोषीय घाटे में चल रही है। वर्ष 2003-2004 में राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा क्रमश: 9037 करोड़ रूपए और 19477 करोड़ रूपए (संशो. अनु.) था। ऐसे ऋणों के बावजूद, वर्ष 2003-04 का योजना परिव्यय केवल 12415.19 करोड़ रूपए (नवी. अनु.) था।

(ख) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने और अधिक ऋण के लिए अनुरोध किया है।

(ग) माध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एम.टी.एफ.आर. पी.) के अंतर्गत भारत सरकार राज्यों के लिए नियत ऋण सीमा से अधिक ऋणों की अनुमति देने पर सहमत नहीं है।

[हिन्दी]

विशेष आर्थिक पैकेज

676. **श्री हरिकेवल प्रसाद:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज देने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) राज्यों को किस आधार पर विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाता है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को विशेष आर्थिक पैकेज के रूप में आबंटित की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) से (ग) विशेष समस्याओं/परिस्थितियों वाले राज्यों को उनकी प्राथमिकता वाली स्कीमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, राज्य योजनाओं में प्रत्येक मामलों में गुण-दोषों के आधार पर उन्हें अपवादिक तौर पर विशेष केन्द्रीय सहायता, विशेष योजना सहायता के अतिरिक्त सामान्य केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) पिछले पांच वर्ष के दौरान, राज्यों की विशेष प्राथमिकता प्राप्त स्कीम, विशेष केन्द्रीय सहायता और विशेष योजना सहायता के लिए राज्यवार अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों को उपलब्ध कराई गई राज्यों की विशेष प्राथमिकता प्राप्त स्कीमों, विशेष केन्द्रीय सहायता और विशेष योजना सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	राज्य	1999-2000			2000-01			2001-02			2002-03			2003-04		
		प्राथमिक स्कीमों के लिए ए.सी.पी.	एस.सी.ए.	एस.पी.ए.	प्राथमिक स्कीमों के लिए ए.सी.पी	एस. एस.ए	एस.पी.ए	प्राथमिक स्कीमों के लिए ए.सी.पी.	एस.सी.ए	एस.पी.ए.	प्राथमिक स्कीमों के लिए ए.सी.पी.	एस.सी.ए.	एस.पी.ए.	प्राथमिक स्कीमों के लिए ए.सी.पी.	एस.सी.ए.	एस.पी.ए.
1.	आंध्र प्रदेश	291.96	–	–	518.80	–	–	482.31	–	–	478.58	–	–	1248.99	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	131.74	–	–	153.14	–	–	167.62	–	–	119.64	–	–	170.78	0.00	0.00
3.	असम	379.22	–	–	388.44	–	–	432.05	–	–	523.88	–	–	418.54	0.00	0.00
4.	बिहार	637.76	–	–	511.10	–	–	244.74	–	–	581.01	–	–	997.52	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	–	–	165.56	–	–	113.30	–	–	203.33	–	–	2147.41	0.00	0.00
6.	गोवा	11.50	–	–	70.72	–	–	61.92	–	–	41.69	–	–	24.68	0.00	0.00
7.	गुजरात	476.24	–	–	701.88	–	–	730.98	–	–	1512.54	–	–	1122.68	0.00	0.00
8.	हरियाणा	38.01	–	–	118.04	–	–	43.92	–	–	158.05	–	–	328.68	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	324.16	–	69.00	225.28	–	150.00	222.03	38.00	200.00	234.84	200.00	233.00	350.57	0.00	433.00
10.	झारखंड	0.00	–	–	194.12	–	–	53.73	–	–	145.12	–	–	254.41	0.00	0.00
11.	जम्मू व कश्मीर	745.60	850.00	300.00	223.40	–	400.00	297.51	200.00	500.00	448.44	421.00	300.00	603.54	750.00	400.00
12.	कर्नाटक	309.73	–	–	473.62	–	–	625.89	–	–	949.64	–	–	727.05	0.00	0.00
13.	केरल	189.20	–	–	139.76	–	–	156.40	–	–	231.31	–	–	333.21	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	379.47	30.00	0.00	520.14	–	–	326.29	–	–	480.81	–	–	882.28	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	282.54	–	–	472.28	–	–	191.88	–	–	699.91	–	–	571.21	0.00	0.00
16.	मणिपुर	221.22	–	–	89.26	–	–	130.64	125.00	–	106.43	100.00	–	124.60	70.00	0.00
17.	मेघालय	118.65	–	–	130.87	–	–	102.68	–	–	110.19	–	–	149.69	0.00	0.00
18.	मिजोरम	100.02	–	–	85.65	–	–	144.17	–	–	94.59	48.42	–	140.71	99.66	0.00
19.	नागालैंड	130.59	–	–	112.36	–	–	133.36	–	–	92.09	–	–	128.28	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	361.57	–	–	438.28	–	–	378.86	–	–	644.22	–	–	679.35	0.00	0.00
21.	पंजाब	109.46	–	–	229.87	–	–	205.76	–	–	202.93	–	–	211.62	0.00	0.00
22.	राजस्थान	390.33	–	–	412.65	–	–	290.75	–	–	517.59	–	–	1122.82	0.00	0.00
23.	सिक्किम	99.67	–	–	67.19	–	–	95.81	–	–	65.02	–	–	112.01	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	200.35	–	–	314.12	–	–	217.56	–	–	385.95	–	–	564.89	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	214.74	–	–	249.14	–	–	238.05	–	–	141.67	–	–	150.18	0.00	0.00
26.	उत्तरांचल	0.00	–	–	439.98	–	–	293.14	–	300.00	572.31	–	250.00	492.56	0.00	250.00
27.	उत्तर प्रदेश	1405.88	–	–	1351.75	–	–	992.02	–	–	1246.42	–	–	1190.41	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	367.20	–	–	419.65	–	–	343.96	–	–	450.40	–	–	478.65	0.00	0.00
	कुल	7916.81	880.00	369.00	9217.05	0.00	550.00	7717.33	363.00	1000.00	11438.60	769.42	783.00	13827.32	919.66	1083.00

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए ए.सी.ए.
विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए एस.सी.ए.
विशेष योजना सहायता के लिए एस.पी.ए.

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा निर्धारण

677. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत तक ही निधारित करने की वजह से बीमा क्षेत्र का विकास प्रभावित हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) एक बीमा कम्पनी को कारबार की वृद्धि के लिए अतिरिक्त पूंजी की लगातार आवश्यकता होती है। तथापि, भारतीय प्रवर्तक, कभी-कभी बीमा कम्पनियों में अपनी शेयर धारिता के समानुपात में अतिरिक्त, पूंजी का अंशदान करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसलिए बीमा के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) में वृद्धि करने की मांग है। इसे देखते हुए माननीय वित्त मंत्री ने 2004-05 के बजट भाषण में बीमा के क्षेत्र में एफ डी आई में 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत की वृदिध करने की घोषणा की है।

स्टॉक एक्सचेंज का निगमीकरण

678. श्री मुन्शी राम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्टॉक एक्सचेंजों का निगमीकरण करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम को संशोधित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इससे शेयर बाजार के प्रभावित होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। स्टॉक एक्चेंजों के निगमीकरण और पृथक्कीकरण को सुकर बनाने हेतु, सरकार ने प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में संशोधन करते हुए दिनांक 12 अक्तूबर, 2004 को प्रतिभूति कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2004 प्रख्यापित किया है।

(ग) देश में स्टाक एक्सचेंजों के संरचनात्मक सुधार की तत्काल आवश्यकता इन चिन्ताओं से उत्पन्न हुई है कि स्टॉक एक्सचेंजों की वर्तमान पारस्परिक संगठनात्मक संरचना ऐसे स्टॉक एक्सचेंजों में अंतर्हित हित टकराव की स्थिति का निवारण करने में असमर्थ रही है तथा यह स्टॉक एक्सचेंजों के अभिशासन के अनुकूल नहीं है। शेयर बाजार घोटाले एवं तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति ने इस स्थिति पर प्रतिकूल टिप्पणी की थी तथा सशक्त रूप से यह अनुशंसा की थी कि निवेशकों के हितों की संरक्षा करने तथा स्टॉक एक्सचेंजों में अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता तथा दक्षता लाने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के निगमीकरण तथा पृथक्कीकरण की प्रक्रिया को त्वरित किया जाए। सरकार ने अपनी की गई कार्रवाई रिपोर्ट में दोनों सदनों को यह आवश्वासन दिया था कि उक्त अनुशंसा को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक विधायी संशोधनों का प्रस्ताव किया जाएगा।

देश में स्टॉक एक्सचेंजों के निगमीकरण और पृथक्कीरण में जारी रखने के अन्य कारण हैं:-

(1) प्रतियोगिता से जूझने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को निधियां चाहिए। जहां सदस्य स्वामित्वाधीन स्टॉक एक्सचेंजों की निधियां जुटाने में परिसीमाएं हैं, सार्वजनिक स्वामित्व वाले निगमित एवं पृथक्कीकरण एक्सचेंज पूंजी बाजारों का दोहन कर सकते हैं।

(2) निगमित और पृथक्कीकृत एक्सचेंज सदस्य-स्वामित्वाधीन संगठनों की तुलना में अधिक व्यावसायिक हो सकते हैं।

अन्य के साथ-साथ, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में किए गए मुख्य संशोधनों में निम्न शामिल है:-

(क) निगमीकरण और पृथक्कीरण को परिभाषित करना;

(ख) एक स्टॉक एक्सचेंज के संगठनात्मक रूप को निगमित कंपनी के रूप में परिसीमित करना;

(ग) निगमीकरण और पृथक्कीरण की प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करना (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निगमीकरण और पृथक्कीक्रण के लिए योजना के अनुमोदन सहित);

(घ) स्टॉक ब्रोकरों द्वारा निगमीकरण और पृथक्कीकरण की योजना के तहत शेयरों की विनिवेशित करने की समय-सीमा विनिर्दिष्ट करना।

(ङ) शेयरधारकों के रूप में दलालों के मताधिकार और स्टॉक एक्सचेंजों के शासी मंडलों में दलालों की सहभागिता को प्रतिबंधित करना ताकि पारस्परिक संगठनात्मक रूप वाले स्टॉक एक्सचेंजों के अभिशासन में अंतर्हित कमियों को दूर किया जा सके।

(घ) और (ङ) शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव विभिन्न बाजार बलों, बाजार मनोभावों और अन्य कारकों द्वारा शासित होते हैं। शेयर बाजारों पर स्टॉक एक्सचेंजों के निगमीकरण और पृथक्कीकरण के प्रभाव को इस अवस्था पर अलग नहीं किया जा सकता और इसके प्रभाव पर टिप्पणी करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

कर सुधार

679. श्री बृजकिशोर त्रिपाठी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 2005-06 से कर सुधार शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये सुधार विश्व व्यापार संगठन के समक्ष की गई वचनबद्धताओं का एक हिस्सा है

(ङ) यदि हां, तो विश्व व्यापार संगठन के समक्ष सरकार द्वारा की गई अन्य वचनबद्धताओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन की सभी वचनबद्धताओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) कर सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। वर्ष 2005-06 के लिए बजटीय कार्य के दौरान सरकार बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले उद्योग, व्यापार प्रशासनिक मंत्रालयों क्षेत्रीय संगठनों आदि जैसे सभी इच्छुक क्षेत्रों से परामर्श करेगी। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2003 के क्रियान्वयन पर कार्य बल की सिफारिशों और दसवीं योजना के लिए कर नीति तथा कर प्रशासन पर सलाहकार समूह की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर भी बजट कार्य के एक हिस्से के रूप में विचार किया जायेगा।

(घ) से (च) विश्व व्यापार संगठन और सूचना प्रौद्योगिकी करार स्थापित करने वाले मारकेश करार में प्रस्तुत बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के उरूग्वे दौर के अंतर्गत भारत की वचनबद्धता में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि और गैर-कृषि सामानों के आयात पर बाध्यकारिता तथा कर शासन के तहत आयातित सामान को राष्ट्रीय व्यवहार प्रदान करने की आवश्यकता शामिल है। इन करारों में निर्धारित क्रियान्वयन अवधियों के अतिरिक्त वर्ष 2005-06 से प्रारंभ भारत के कर शासन से संबंधित कोई नई वचनबद्धताएं नहीं हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनरुद्धार

680. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास कृषि क्षेत्र में बढ़ते दबाव से निपटने हेतु सरल क्रेडिट में विकास संबंधी लक्ष्य को हासिल करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाने के लिए उनकी ढांचे के पुनरूद्धार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार क्षेत्रीय बैंकों को मिलाकर नाबार्ड की तरह भारत सरकार के न्यूनतम 51 फीसदी शेयर के साथ एक नेशनल रूरल बैंक (राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक) बनाने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए है; और

(ङ) नेशनल रूरल बैंक (राष्ट्रीय ग्रमीण बैंक) का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) के पुनर्गठन के लिए कई विकल्प सुझाए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रायोजक बैंकों से आर.आर.बी. को अलग करना, क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तर पर आर.आर.बी. को समामेलित करना, प्रायोजक बैंकों के साथ विलय करना, आर आर बी को प्रयोजक बैंकों की अनुषंगी बैंक बनाना, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक में उनका समामेलन, आदि शामिल हैं। भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के सृजन को समर्थन नहीं मिला क्योंकि इसके लिए व्यापक पूंजीकरण की आवश्यकता होगी तथा इससे यह परिचालन के व्यापक क्षेत्र सहित अखंड संस्था बन जाएगी एवं इसकी असंचालनीय शाखाएं होंगी। अब तक इस संबंध में हुए विचार-विमर्श का कोई परिणाम नहीं निकला है। इसी बीच, सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक

प्रायोजक बैंक अपने नियंत्रणाधीन आर आर बी के कार्य निष्पादन के लिए पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा। वे आर आर बी जो नए अभिनियंत्रण मानदंडों को अपनाएंगे तथा विवेकपूर्ण विनियमों का पालन करेंगे, वे पुनर्गठन के लिए सरकार से निधि प्राप्त करने के पात्र होंगे।

प्रशीतन गृहों का निर्माण

681. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड द्वारा प्रशीतन गृहों के निर्माण और विस्तारण तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करने के लिए राजसहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य, विशेष रूप से मध्य प्रदेश को कितनी राजसहायता प्रदान की गई;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई राजसहायता में से कितनी-कितनी धनराशि का प्रयोग प्रत्येक राज्य द्वारा किया गया और राज्यों के पास कितनी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा निधियों के समुचित प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। नाबार्ड तथा एनसीडीसी द्वारा उद्यानकृषि उत्पाद/फसल के लिए शीतागारों एवं भंडारण का निर्माण/विस्तार करने के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत उद्यान कृषि फसल के लिए 12 लाख टन की क्षमता के अतिरिक्त शीतागार के निर्माण तथा 8 लाख टन के रूग्ण शीतागारों की पुनर्व्यवस्था/नवीकरण और 4.5 लाख टन की क्षमता के नए प्याज शीतागारों का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) से (ङ) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश समेत प्रत्येक राज्य में जारी की गई सब्सिडी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उपर्युक्त उल्लिखित योजनाओं की मंजूरी नाबार्ड के माध्यम से अलग-अलग व्यक्तियों/कारपोरेटों/निगमों को दी जाती है। अत: राज्य सरकारें इन योजनाओं में शामिल नहीं है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान शीतागार सब्सिडी योजना के तहत जारी सब्सिडी

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	31 मार्च, 2004 तक मंजूर सब्सिडी	के दौरान जारी सब्सिडी			कुल
			2001-02	2002-03	2003-04	
1	2	3	4	5	6	7
1.	पंजाब	839.53	264.51	230.18	198.43	693.13
2.	हरियाणा	674.36	279.36	161.54	92.30	533.20
3.	तमिलनाडु	633.97	297.04	200.00	7.50	504.54
4.	हिमाचल प्रदेश	12.02	0.00	12.02	0.00	12.02
5.	उत्तर प्रदेश	9636.28	1332.02	1531.82	3244.28	6108.12
6.	उत्तरांचल	49.30	24.64	24.65	0.00	49.29
7.	महाराष्ट्र	1093.42	173.65	595.00	214.50	983.15
8.	गोवा	36.33	0.00	0.00	18.17	18.17
9.	राजस्थान	1000.44	353.90	233.02	33.65	620.57

1	2	3	4	5	6	7
10.	कर्नाटक	590.09	182.13	107.07	10.00	299.20
11.	गुजरात	1674.52	303.55	609.07	291.21	1203.83
12.	उड़ीसा	214.04	59.22	41.50	25.00	125.72
13.	मध्य प्रदेश	833.80	107.88	233.78	136.52	478.18
14.	छत्तीसगढ़	612.72	252.49	166.23	91.19	509.91
15.	पश्चिम बंगाल	330.04	0.00	58.50	131.70	190.20
16.	आन्ध्र प्रदेश	1210.69	631.70	171.99	35.17	838.86
17.	असम	315.73	124.71	102.66	32.39	259.76
18.	बिहार	625.96	85.71	14.40	210.30	310.40
19.	झारखंड	276.10	0.00	94.29	103.46	197.74
20.	अरुणाचल प्रदेश	53.33	0.00	0.00	26.66	26.66
	कुल	20712.67	4472.52	4587.70	4902.43	13962.64

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में रिक्त पद

682. श्री जुएल ओराम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय बैंकों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अनेक पद रिक्त पड़े है;

(ग) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार रिक्तियों की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-वार स्थिति क्या है;

(घ) 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पदों के संबंध में बकाया रिक्तियां कितनी है; और

(ङ) रिक्तियों को भरने और बकाया रिक्तियों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमणिक्कम: (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्यवार संख्या निम्नलिखित है:-

राज्य के नाम	आर.आर.बी. की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	16
अरूणाचल प्रदेश	1
असम	5
बिहार	16
छत्तीसगढ़	5
गुजरात	9
हरियाणा	4
हिमाचल प्रदेश	2
जम्मू व कश्मीर	3
झारखंड	6
कर्नाटक	13
केरल	2

1	2
मध्य प्रदेश	19
महाराष्ट्र	10
मणिपुर	1
मेघालय	1
मिजोरम	1
नागालैंड	1
उड़ीसा	9
पंजाब	5
राजस्थान	14
तमिलनाडु	3
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	36
उत्तरांचल	4
पश्चिमी बंगाल	9
कुल	196

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बीमा क्षेत्र में विदेशी साझीदार

683. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बीमा अधिनियम 1938 की धारा 6 के संदर्भ में विदेशी साझेदार को भारतीय बीमा कम्पनी में किसी भी समय प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 26 प्रतिशत से अधिक की साझेदारी की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अब बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन कर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमाओं को 26% से बढ़कार 49% करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों जैसी विदेशी एजेंसियों के दबाव में किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्रों की एजेंसियों के लिए खोलने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को देश के प्रत्येक कोने से बुद्धिजीवियों बीमा क्षेत्र के विशेषज्ञों, आर्थिक जगत के जानकार व्यक्तियों. कर्मचारियों की यूनियनों तथा एल आई सी के एजेंटों से अभ्यावेदन मिले हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी हां। माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2004-05 के बजट भाषण में, बीमा के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) को 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है।

(ग) और (घ) जी नहीं। बीमा कम्पनियों को व्यापार की वृद्धि के लिए अतिरिक्त पूंजी की लगातार आवश्यकता होती हैं। तथापि, भारतीय प्रवर्तक, वित्तीय दबाव के कारण कभी-कभी अपनी शेयर धारिता के समानुपात में अतिरिक्त पूंजी का अंशदान करने की स्थिति में नहीं होते हैं; इसलिए बीमा कम्पनी में विदेशी इक्विटी बढ़ाने की मांग की गई है।

(ङ) और (च) जी, हां। बीमा कम्पनियों में एफ डी आई में वृद्धि करने के लिए कानून में संशोधन करते समय इन प्रतिवेदनों में व्यक्त किए गए दृष्टिकोणों पर विचार किया जाएगा।

इंडियन कार्पेट टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट भदोही, की अनुषंगी इकाइयों को वित्तीय सहायता

684. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन कार्पेट टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट भदोही, जो पूरे एशिया में अपनी तरह की एक विशिष्ट संस्था है, की अनुषंगी इकाइयों को सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में भदोही, उ.प्र. की उक्त संस्था सहित अन्य कार्पेट उद्योगों को आर्थिक पैकेज प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस आयोग के आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा दी गई राशि का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई सी टी), भदोही की कोई उपसंगी नहीं है। तथापि, दो डिजाइन विकास सह-सामान्य सुविधा केन्द्र, एक केन्द्र राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य कर रही स्वायत: समिति के प्रबंधन के अन्तर्गत श्रीनगर में तथा दूसरा केन्द्र राजस्थान कालीन एवं ऊनी उत्पाद विकास समिति, जयपुर के प्रबंधन के अन्तर्गत जयपुर में इन क्षेत्रों के कालीन उद्योग के विकास सवंर्धन हेतु स्थापित, किए गए हैं। आईआईसीटी की भूमिका इन केन्द्रों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता मुहैया कराना है। इन केन्द्रों को सहायता अनुदान के रूप में मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्नलिखितानुसार है:-

क्रमांक	वर्ष	अनुषंगी केन्द्र, श्रीनगर को रिलीज की गई निधियां	अनुषंगी केन्द्र, जयपुर को रिलीज की गई निधियां
1.	2003-04	239.00	30.00
2.	2004-05	-	75.00

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूंजी बाजार में निवेश

685. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में पूंजी बाजार को पुनरूज्जीवित करने का निर्देश दिया है? और यह इच्छा जाहिर की कि लोग अपनी जमा पूंजी को बैंकों में जमा करने के बजाय स्टॉक मार्किट में निवेश करें;

(ख) यदि हां, तो क्या नेशनल सिक्युरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड और सेबी पोर्टफोलियो की धारिता के लिए निवेशकों द्वारा किए जाने वाले अनापेक्षित और अनावश्यक खर्च में कटौती करके स्टॉक मार्किट में कार्यकलापों के विस्तार के लिए इस नीति का अनुसरण कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अर्थव्यवस्था के सही मूल अवयवों को प्रतिबिम्बित करने वाले पूंजी बाजार के सुव्यवस्थित विकास और कार्यकरण के प्रति सरकार की वचनबद्धता पर विशिष्ट प्रकाश डाला गया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड तथा नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) निवेशकों के लिए अपना पोर्टफोलियो धारित करने की लागत को कम करने के निरंतर प्रयास करते हैं। यद्यपि निक्षेपागारों के प्रशुल्क प्रभार एक वाणिज्यिक मुद्दा है, सेबी ने एनएसडीएल को शुल्क प्रभार पुनरीक्षा करने की सलाह दी है।

एनएसडीएल प्रमात्राओं में वृद्धि के साथ अपने प्रभारों को कम करने की नीति का अनुसरण कर रहा है। फरवरी, 2002 में घोषित 15 रुपए प्रति डेबिट अनुदेश के निपटान शुल्क को घटाकर 1 मई, 2002 से 70 रुपए प्रति डेबिट अनुदेश और 1 जनवरी, 2004 से 8 रूपए प्रति डेबिट अनुदेश कर दिया गया जिससे 45 प्रतिशत से अधिक अपचयन हुआ।

इसी प्रकार, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) के तहत धारित प्रतिभूतियों के लिए फरवरी 2002 में घोषित 0.75 रुपए प्रति माह (9 रुपए वार्षिक) का अभिरक्षा शुल्क 1 अक्तूबर, 2002 से घटाकर 0.50 रुपए प्रति माह (6 रुपए वार्षिक) प्रति आईएसआईएन तथा एक अप्रैल 2004 से और घटाकर 0.33 रुपए प्रतिमाह (4 रुपए वार्षिक) प्रति आईएसआईएन कर दिया गया जिससे 55 प्रतिशत से अधिक का अपचयन हुआ।

[हिन्दी]

कृषि की वृद्धि दर

686. श्री मुन्शी राम:
श्री पंकज चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा है कि कृषि क्षेत्र में कम से कम चार प्रतिशत की वृद्धि दर को बनाए रखने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कृषि में इस वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है;

(ग) क्या सरकार का विचार बैंकों द्वारा किसानों को वर्तमान में दिए जा रहे ऋण में बढ़ोतरी करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने वर्ष 2003-2004 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि अर्थव्यवस्था में 7% एवं अधिक की समग्र विकास दर पाने के संदर्भ में यह अनिवार्य हो जाता है कि कृषि विकास दर को कम से कम लगभग 4% वार्षिक की दर से बढ़ा दिया जाए।

(ख) कृषि को संस्थागत वित्त बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपायों में निम्नलिखित शामिल है:

(1) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के तहत पिछले वर्ष के संवितरणों की तुलना में लगभग 20-25% की वृद्धि दर्शाते हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्धि के लिए स्व-निर्धारित लक्ष्य निश्चित करने अपेक्षित होते हैं।

(2) वर्ष 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के प्रारम्भ से 31 मार्च, 2004 तक बैंकों द्वारा 4.14 करोड़ केसीसी जारी किए जा चुके हैं।

(3) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को ऋण का प्रवाह के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा (व्यास समिति) गठित सलाहकार समिति की विभिन्न सिफारिशों का कार्यान्वयन बैंकों द्वारा किया जा रहा है जिनमें निम्नलिखित शामिल है:

50,000/-रूपये तक के ऋणों के लिए तथा कृषि क्लीनिकों के मामले में 5.00 लाख तक के ऋणों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति मानदंडों में छूट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत प्रतिभूति कृषि ऋणों में निवेश शामिल करना, कृषि उधार में अनुपयोज्य आस्तियों संबंधी मानदंडों की समीक्षा आदि।

(4) सरकार ने तीन वर्षों में कृषि ऋण को दुगुना करने के उद्देश्य से कृषि को ऋण का प्रवाह सुधारने के लिए जून, 2004 में उपायों के एक पैकेज की घोषणा भी की है, पैकेज में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए राहत उपाय छोटे एवं सीमान्त किसानों के लिए एक-बारगी निपटान योजना आदि शामिल है।

(ग) किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

रोजगार गारंटी अधिनियम

687. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री पारसनाथ यादव:
श्री रमाकांत यादव:
श्रीमती सी.एस. सुजाता:
श्री रामचन्द्र पासवान:
श्री महबूब जाहेदी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रोजगार गारंटी अधिनियम को अधिनियमित करने का है और रोजगार गारंटी योजना को गति प्रदान करने के लिए "राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष" गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना को लागू करने के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि जुटाने का प्रस्ताव है;

(घ) सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अपने प्रथम चरण में इस योजना को किन-किन राज्यों में शुरू किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ऐसे गरीब परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, कम से कम 100 दिनों की मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान कर जीविकोपार्जन सुरक्षा में वृद्धि करना है, सरकार के विचाराधीन है।

प्रशासनिक खर्च पर रोक लगाना

688. **श्री जुएल ओराम:**
श्री कैलाश बैठा:
श्री ए. साई प्रताप:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रशासनिक खर्च पर रोक लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या आर्थिक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों को क्या निदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सरकार का यह सतत् प्रयास रहा है कि गैर-योजना, गैर-विकासात्मक व्यय को नियंत्रित रखा जाए। इस संदर्भ में अन्य उपायों के साथ-साथ सभी मंत्रालयों/विभागों को फिजूल खर्च से बचने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पदों के सृजन पर प्रतिबंध, स्वीकृत पदों की संख्या में कटौती, रिक्त पदों को भरने पर पाबंदी कार्यालयी खर्चों में कटौती, वाहनों की खरीद पर पाबंदी, विदेश यात्रा तथा मनोरंजन/अतिथ्य-सत्कार संबंधी खर्चों पर प्रतिबंध, एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा पर प्रतिबंध, आवास पर लगे सरकारी दूरभाषों पर नि:शुल्क कॉलों की संख्या, विद्युत आदि पर रोक शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बारहवां वित्त आयोग

689. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बारहवें वित्त आयोग का यह विचार है कि बंटवारे-योग्य करों (डिविजिबल टैक्सेस) पूल में से राज्यों को अधिक हिस्सा मिलना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए करों में से राज्यों के हिस्से में थोड़ी सी बढ़ोत्तरी की है;

(ग) यदि हां, तो बारहवें वित्त आयोग द्वारा की अन्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) इससे राज्यों को कितना लाभ होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) प्रश्न नहीं उठता। बारहवें वित्त आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की हैं।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 742/2004]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): महोदय मैं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:

दसवीं लोक सभा

(1) विवरण सख्या 37 पांचवां सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 743/2004]

(2) विवरण संख्या 45 छठा सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 744/2004]

(3) विवरण संख्या 35 नौवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 745/2004]

(4) विवरण संख्या 31 ग्यारहवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 746/2004]

ग्यारहवीं लोक सभा

(5) विवरण संख्या 30 तीसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 747/2004]

(6) विवरण संख्या 32 चौथा सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 748/2004]

बारहवीं लोक सभा

(7) विवरण संख्या 33 दूसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 749/2004]

(8) विवरण संख्या 29 चौथा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 750/2004]

तेरहवीं लोक सभा

(9) विवरण संख्या 28 दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 751/2004]

(10) विवरण संख्या 28 तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 752/2004]

(11) विवरण संख्या 23 चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 753/2004]

(12) विवरण संख्या 22 पांचवां सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 754/2004]

(13) विवरण संख्या 21 छठा सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 755/2004]

(14) विवरण संख्या 19 सातवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 756/2004]

(15) विवरण संख्या 16 आठवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 757/2004]

(16) विवरण संख्या 14 नौवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 758/2004]

(17) विवरण संख्या 11 दसवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 759/2004]

(18) विवरण संख्या 9 ग्यारहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 760/2004]

(19) विवरण संख्या 7 बारहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 761/2004]

(20) विवरण संख्या 4 तेरहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 762/2004]

(21) विवरण संख्या 3 चौदहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 763/2004]

चौदहवीं लोक सभा

(22) विवरण संख्या 1 दूसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 764/2004]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) प्रातीची (इंडिया) ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रातीची (इंडिया) ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 765/2004]

(2) (एक) औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 766/2004]

(3) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकानॉमिक चेंज, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकानॉमिक चेंज, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 767/2004]

(4)(एक) इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च आन इंटरनेशनल इकानॉमिक रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च आन इंटरनेशनल इकानॉमिक रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 768/2004]

(5)(एक) सेन्टर फार पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 769/2004]

(6)(एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 770/2004]

(7)(एक) नेशनल काउंसिल आफ एम्प्लायड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल आफ एप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 771/2004]

(8) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 39 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय निर्यात-आयात बैंक (बंधपत्रों का निर्गम और प्रबंधन) (संशोधन) विनियम, 2004, जो 22 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलईजी-59/46 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों एवं लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 772/2004]

(एक) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 773/2004]

(दो) भागलपुर बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भागलपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 774/2004]

(तीन) बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक, बोलंगीर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 775/2004]

(चार) छत्रसाल ग्रामीण बैंक, ओराई

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 776/2004]

(पांच) चिकमंगलूर-कोडागु ग्रामीण बैंक, चिकमंगलूर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 777/2004]

(छह) देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोंडा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 778/2004]

(सात) ढेंकनाल ग्राम्य बैंक, ढेंकनाल

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 779/2004]

(आठ) गोलकोंडा ग्रामीण बैंक, हैदराबाद

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 780/2004]

(नौ) गोमती ग्रामीण बैंक, जौनपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 781/2004]

(दस) गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 782/2004]

(ग्यारह) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 783/2004]

(बारह) जयपुर-नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 784/2004]

(तेरह) जम्मू ग्रामीण बैंक, जम्मू

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 785/2004]

(चौदह) कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कानपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 786/2004]

(पन्द्रह) कोलार ग्रामीण बैंक, कोलार

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 787/2004]

(सोलह) कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक, कोरापुट

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 788/2004]

(सत्रह) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 789/2004]

(अठारह) नादिया ग्रामीण बैंक, नादिया

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 790/2004]

(उन्नीस) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 791/2004]

(बीस) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 792/2004]

(इक्कीस) राजगढ़ सेहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सेहोर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 793/2004]

(बाईस) साबरकांठा-गांधीनगर ग्रामीण बैंक, हिम्मतनगर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 794/2004]

(तेईस) सागर ग्रामीण बैंक, कोलकाता

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 795/2004]

(चौबीस) सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आजमगढ़

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 796/2004]

(पच्चीस) श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक, चित्तुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 797/2004]

(छब्बीस) सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिवान

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 798/2004]

(सत्ताइस) ठाणे ग्रामीण बैंक, ठाणे

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 799/2004]

(अठाईस) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 800/2004]

(उनतीस) बेगुसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बेगुसराय

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 801/2004]

(तीस) भागीरथ, ग्रामीण बैंक, सीतापुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 802/2004]

(इकतीस) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 803/2004]

(बत्तीस) कटक ग्राम्य बैंक, कटक

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 804/2004]

(तैंतीस) निमाड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खारगोन

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 805/2004]

(चौंतीस) पांडयन ग्राम बैंक, विरुधुनगर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 806/2004]

(पैंतीस) अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, अलीगढ़

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 807/2004]

(छत्तीस) भण्डारा ग्रामीण बैंक, भण्डारा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 808/2004]

(सैंतीस) डूंगरपुरबांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डूंगरपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 809/2004]

(अड़तीस) फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फैजाबाद

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 810/2004]

(उनतालीस) फरूखाबाद ग्रामीण बैंक, फर्रुखाबाद

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 811/2004]

(चालीस) कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक, भवानीपटना

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 812/2004]

(एकतालीस) मालप्रभा ग्रामीण बैंक, धारवाड़ा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 813/2004]

(बयालीस) पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक, पटना

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 814/2004]

(तैंतालीस) रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 815/2004]

(चौवालीस) पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 816/2004]

(पैंतालीस) ऋषीकुल्य ग्रामीण बैंक, बेरहमपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 817/2004]

(छियालीस) सरयू ग्रामीण बैंक, लखीमपुर खीरी

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 818/2004]

(सैंतालीस) शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाहजहांपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 819/2004]

(अड़तालीस) सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चाईबासा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 820/2004]

(उनचास) श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक, करीमनगर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 821/2004]

(पचास) श्री राम ग्रामीण बैंक, निजामाबाद

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 822/2004]

(इक्यावन) सूरत-भरूच ग्रामीण बैंक, भरूच

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 823/2004]

(बावन) अकोला ग्रामीण बैंक, अकोला

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 824/2004]

(तिरपन) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पासीघाट

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 825/2004]

(चौवन) कछार ग्रामीण बैंक, सिलचर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 826/2004]

(पचपन) चम्पारण क्षेत्रीय बैंक, मोतिहारी

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 827/2004]

(छप्पन) दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, राजनंदगांव

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 828/2004]

(सतावन) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 829/2004]

(अठावन) एटा ग्रामीण बैंक, एटा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 830/2004]

(उनसठ) गंगा-यमुना ग्रामीण बैंक, देहरादून

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 831/2004]

(साठ) गुरदास-अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, गुरदासपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 832/2004]

(इकसठ) हिंडन ग्रामीण बैंक, गाजियाबाद

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 833/2004]

(बासठ) ककाथिया ग्रामीण बैंक, हनामकोंडा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 834/2004]

(तिरसठ) कनकदुर्ग ग्रामीण बैंक, गुडीवाडा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 835/2004]

(चौसठ) कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूर्णिया

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 836/2004]

(पैंसठ) कच्छ ग्रामीण बैंक, कच्छ

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 837/2004]

(छियासठ) लक्ष्मी गांवलिया बैंक, गोलाघाट

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 838/2004]

(सड़सठ) मगध ग्रामीण बैंक, गया

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 839/2004]

(अड़सठ) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दरभंगा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 840/2004]

(उन्नहतर) मिजोरम ग्रामीण बैंक, मिजोरम

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 841/2004]

(सत्तर) नेत्रवती ग्रामीण बैंक, मंगलोर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 842/2004]

(इकहत्तर) पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पलामू

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 843/2004]

(बहत्तर) रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रांची

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 844/2004]

(तेहत्तर) सारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छपरा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 845/2004]

(चौहत्तर) श्री अनंत ग्रामीण बैंक, अनंतपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 846/2004]

(पचहत्तर) सुबनसिरी गांवलिया बैंक, उत्तरी लखीमपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 847/2004]

(छिहत्तर) सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक, सुरेन्द्रनगर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 848/2004]

(सतहत्तर) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 849/2004]

(अठहत्तर) वल्लालर ग्रामीण बैंक, कुड्डालोर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 850/2004]

(उन्नासी) वरदा ग्रामीण बैंक, कुमता

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 851/2004]

(अस्सी) इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 852/2004]

(इक्कासी) अम्बाला-कुरूक्षेत्र ग्रामीण बैंक, अम्बाला

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 853/2004]

(बेयासी) वैतरनी ग्राम्य बैंक, मयूरभंज

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 854/2004]

(तिरासी) बालासोर ग्राम्य बैंक, बालासोर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 855/2004]

(चौरासी) बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 856/2004]

(पचासी) चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोरेना

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 857/2004]

(छियासी) चन्द्रपुर-गडचिरोली ग्रामीण बैंक, चन्द्रपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 858/2004]

(सतासी) चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक, चित्रदुर्ग

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 859/2004]

(अठासी) गोदावरी ग्रामीण बैंक, राजामुंद्री

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 860/2004]

(नवासी) इंदौर-उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उज्जैन

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 861/2004]

(नब्बे) जामनगर-राजकोट ग्रामीण बैंक, जामनगर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 862/2004]

(इकानवे) झबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झबुआ

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 863/2004]

(बानवे) कलपतरू ग्रामीण बैंक, टुमकुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 864/2004]

(तिरानवे) काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 865/2004]

(चौरानवे) लंगपी-देहंगी ग्रामीण बैंक, दिफू

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 866/2004]

(पचानवे) नैनिताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नैनिताल

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 867/2004]

(छियानवे) नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 868/2004]

(सतानवे) पिनाकिनी ग्रामीण बैंक, नेल्लौर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 869/2004]

(अठानवे) रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भोपाल

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 870/2004]

(निन्यानवे) रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रत्नागिरी

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 871/2004]

(सौ) सहयाद्री ग्रामीण बैंक, शिमोगा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 872/2004]

(एक सौ एक) साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मालाप्पुरम

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 873/2004]

(एक सौ दो) श्रावस्थी ग्रामीण बैंक, बहराइच

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 874/2004]

(एक सौ तीन) श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक, आदिलाबाद

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 875/2004]

(एक सौ चार) श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, श्रीगंगानगर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 876/2004]

(एक सौ पांच) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अंबिकापुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 877/2004]

(एक सौ छह) तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक, बेल्लारी

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 878/2004]

(एक सौ सात) यवतमाल ग्रामीण बैंक, यवतमाल

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 879/2004]

(एक सौ आठ) औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 880/2004]

(एक सौ नौ) बनासकांठा-मेहसाना ग्रामीण बैंक, पाटन

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 881/2004]

(एक सौ दस) बर्धमान ग्रामीण बैंक, बर्धमान

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 882/2004]

(एक सौ ग्यारह) बस्ती ग्रामीण बैंक, बस्ती

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 883/2004]

(एक सौ बारह) बीजापुर ग्रामीण बैंक, बीजापुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 884/2004]

(एक सौ तेरह) गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोपालगंज

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 885/2004]

(एक सौ चौदह) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 886/2004]

(एक सौ पन्द्रह) हिसार-सिरसा ग्रामीण बैंक, हिसार

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 887/2004]

(एक सौ सोलह) हावड़ा ग्रामीण बैंक, हावड़ा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 888/2004]

(एक सौ सत्रह) का बैंक नोंगकिडांग रि खासी जैंतिया, शिलांग

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 889/2004]

(एक सौ अठारह) किसान ग्रामीण बैंक, बदायूं

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 890/2004]

(एक सौ उनीस) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्ग

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 891/2004]

(एक सौ बीस) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 892/2004]

(एक सौ इक्कीस) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नरसिंहपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 893/2004]

(एक सौ बाईस) मंजीरा ग्रामीण बैंक, संगारेड्डी

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 894/2004]

(एक सौ तेईस) मयूरक्षी ग्रामीण बैंक, बीरभूम

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 895/2004]

(एक सौ चौबीस) मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 896/2004]

(एक सौ पच्चीस) मुर्शीदाबाद ग्रामीण बैंक, मुर्शीदाबाद

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 897/2004]

(एक सौ छब्बीस) नागालैण्ड ग्रामीण बैंक, कोहिमा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 898/2004]

(एक सौ सत्ताईस) प्रगज्योत्स गांवलिया बैंक, नालवाड़ी

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 899/2004]

(एक सौ अठाईस) पुरी ग्राम्य बैंक, पिपिली

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 900/2004]

(एक सौ उनतीस) रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायगढ़

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 901/2004]

(एक सौ तीस) रतलाम-मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंदसौर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 902/2004]

(एक सौ इकत्तीस) रायलसीमा ग्रामीण बैंक, कुडप्पा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 903/2004]

(एक सौ बत्तीस) संगमेशवर ग्रामीण बैंक, महबूबनगर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 904/2004]

(एक सौ तैंतीस) संथाल परगना ग्रामीण बैंक, दुमका

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 905/2004]

(एक सौ चौंतीस) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 906/2004]

(एक सौ पैंतीस) श्री विशाखा ग्रामीण बैंक, श्रीकाकुलम

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 907/2004]

(एक सौ छत्तीस) तुलसी ग्रामीण बैंक, बांदा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 908/2004]

(एक सौ सैंतीस) विदुर ग्रामीण बैंक, बिजनौर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 909/2004]

(एक सौ अड़तीस) विंध्यवासनी ग्रामीण बैंक, मिर्जापुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 910/2004]

(एक सौ उनचालीस) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक, माण्डया

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 911/2004]

(एक सौ चालीस) कपुरथला-फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कपूरथला

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 912/2004]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29ख की उपधारा (2च) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1169(अ) जो 20 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 477(आ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 913/2004]

(2) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत गैस सिलिण्डर नियम, 2004, जो 21 सितम्बर 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 627(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 914/2004]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फोरमेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फोरमेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 915/2004]

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 2 दिसम्बर, 2004 को हुई अपनी बैठक में पारित मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2004 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है"

2. महोदय, मैं 2 दिसम्बर, 2004 को राज्य सभा द्वारा पारित मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2004 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.01½ बजे

वित्तीय समितियां—एक समीक्षा

(2001-02), (2002-03) और (2003-04)

[अनुवाद]

महासचिव: ''महोदय, मैं वित्तीय संबंधी समितियां-एक समीक्षा (2001-02), (2002-03) और (2003-04)'' के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.01¾ बजे

संसदीय समितियां—कार्य सारांश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं 1 जून, 2002 से 31 मई, 2003 तक की अवधि से संबंधित ''संसदीय समितियां (वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों को छोड़कर)—कार्य सारांश' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अंतर्गत अध्यक्ष के निदेश (पांचवां संस्करण) में संशोधन

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा जारी नए निदेश 73क की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02¼ बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालाघाट): अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

नियम समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331 के उपनियम 1 के अंतर्गत, नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02¾ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2004-2005) का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

तिरासीवां प्रतिवेदन

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): महोदय, मैं 'रेल सुरक्षा आयोग का कार्यकरण' विषय पर परिवहन, पर्यटन और

संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 83वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

समिति के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय कैडेट कोर

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1) (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1) (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 6 दिसम्बर, 2004 से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा:

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार;
2. निम्नलिखित अध्यादेशों के निरनुमोदन से संबंधित सांविधिक संकल्प पर चर्चा और उनका स्थान लेने वाले विधेयकों पर चर्चा और उन्हें स्वीकृत करना:
   (क) प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004; और
   (ख) प्रतिभूति हित का प्रवर्त्तन और ऋण वसूली विधि अध्यादेश, 2004
3. वर्ष 2004-05 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा तथा मतदान इससे संबंधित विनिवेश विधेयक का पुर:स्थापन, विचार और पारित करना।
4. राज्य सभा द्वारा यथापारित मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक पर चर्चा तथा पारित करना।
5. विस्थापित व्यक्ति दावे और अन्य विधि (निरसन) विधेयक, 2004 पर राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् चर्चा करना और उसे पारित करना।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सम विकास योजना में नस सृजित जनपद कौशम्बी, उत्तर प्रदेश के विकास हेतु मुख्य रेल मार्ग पर रोही मार्ग से रेलवे लाईन के ऊपर फ्लाईओवर ब्रिज हेतु रेलवे विभाग स्वीकृत एवं आर्थिक मदद करें।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:

(1) निजी प्रबंधन द्वारा संचालित व्यवसायिक महाविद्यालयों को शासित करने वाले कानून; विशेषकर प्रवेश और पारदर्शी शुल्क स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में, से संबंधित मामले।

(2) केरल में पत्रकारों पर हिंसक हमले और उनको डराए-धमकाने जैसी घटनाओं की बढ़ती संख्या तथा दक्षिणी राज्य में मर्यादा और संस्थाओं की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय।

[हिन्दी]

डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो विषय सम्मिलित करें।

(एक) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं के क्रियान्वयन तथा केन्द्रीय सड़क निधि से मध्य प्रदेश को पर्याप्त धनराशि स्वीकृत कर प्रस्तावित सड़कों का निर्माण किया जाए।

(दो) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार की सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष प्रावधान करें, वर्तमान नियमों में बदलाव करें तथा सभी प्रतीक्षा सूची के नामों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराएं। बी.एस.एन.एल. की सुविधाओं से मध्य प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना से पीछे हैं, अत: दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार हेतु शीघ्र आवश्यक प्रबंध करें।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:

1. हमारे देश में कर्मकारों का बहुत बड़ा वर्ग असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती है; उनसे अधिक समय तक कार्य भी लिया जाता है और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय भी नहीं हैं। उनके कल्याण के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार करके चलाए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

2. ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश कर्मकार खेतीहर कर्मकार हैं। उनके कार्यदिवसों में हो रही सतत कमी के कारण वे परेशान हैं। विगत चार दशकों से एक व्यापक केन्द्रीय कानून की मांग की जाती रही है। इसे राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इसे इसी सत्र में लाकर चर्चा करके पारित की जानी चाहिए ताकि खेतिहर कर्मकारों के लिए व्यापक केन्द्रीय कानून बनाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, संसद की आगामी सप्ताह की निर्धारित सूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए:

(1) जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा शीघ्र दिया जाए, क्योंकि इसकी घोषणा पिछले बजट सत्र में माननीय वित्त मंत्री जी ने की थी और इसका नाम महाराजा सवाई मानसिंह के नाम पर रखा जाए।

(2) राजस्थान की राजधानी जयपुर को कोटा, भरतपुर व सवाई माधोपुर की भांति रेलवे लाईन का विद्युतीकरण किया जाए, जिससे कि रेलवे की गति में बढ़ोत्तरी हो सके।

श्री बची सिंह रावत 'बच्चदा' (अल्मोड़ा): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जाएं:

1. भूतपूर्व सैनिकों की समान रैंक, समान पेंशन की वर्षों पुरानी मांग पर शीघ्र निर्णय लेकर उसे लागू किये जाने की आवश्यकता।

2. भारतीय सेना में सामान्य ड्यूटी सेवा की भर्ती हेतु हाई स्कूल परीक्षा में 45 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने की आवश्यकता।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:

(1) डा. सर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग-86 के राहतगढ़ से विदिशा मार्ग की सड़क को प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाए।

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें:

(1) झारखण्ड राज्य स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड अन्तर्गत पश्चिम झरिया क्षेत्र (महुदा ग्रुप) मुनीडीह के भूरगिया परियोजना में 105 मजदूर वर्ष 1976 से 1983 तक स्टोन कटर के रूप में कार्यरत थे। इतने लम्बे समय तक कार्य कर चुके मजदूरों को यथासम्भव शीघ्र कार्य दिया जाये तथा इनका स्थायीकरण किया जाये।

(2) झारखण्ड राज्य के हजारीबाग जिला स्थित पतरातू प्रखंड की इंडो एशियाई ग्लास फैक्टरी 6 सितम्बर, 2004 से प्रबंधन द्वारा बिना श्रम मंत्रालय को सूचित किए बंद कर दी गई। फलस्वरूप हजारों मजदूर एवं कर्मचारी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। इसे तत्काल चालू करवाने की चर्चा करना चाहता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें:

(1) देश में गैस एजेंसियों को, उपभोक्ताओं की कुल संख्या के आधार पर गैस सिलेंडर सप्लाई कर, आम जनता को गैस सिलेंडरों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा गैस सिलेंडरों का मूल्य कम किये जाने की आवश्यकता।

(2) देश की बढ़ती हुई महंगाई और मुद्रास्फीति को बढ़ने से रोकने के लिए डीजल तथा पैट्रोल के मूल्यों को अविलम्ब कम किये जाने की आवश्यकता।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें:

(1) महाराष्ट्र के सोलापुर में स्थित आकाशवाणी केन्द्र की प्रसारण क्षमता को बढ़ाए जाने से संबंधित विषय।

(2) महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अंतर्गत पंढरपुर में चन्द्रभागा नदी पर स्थित विट्ठल रकुमई मंदिर को तीर्थस्थल के रूप में विकसित किये जाने और वहां आने वाले देश के विभिन्न भागों के श्रद्धालुओं को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के लिए एक्शन प्लान को लागू किये जाने से संबंधित विषय।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर देना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री और शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, उठाये गये मुद्दों को मैंने लिया है और हम देखते हैं कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है।

अपराह्न 12.12 बजे

कार्यमंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सभा में 2 दिसम्बर, 2004 को प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन पर सभा सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"क्या 2 दिसम्बर, 2004 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से सभा सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, इस समय सोपोर में जम्मू कश्मीर में सी.आर.पी.एफ. के कैम्प पर जो हमला हुआ है, उसमें मुठभेड़ जारी है। वहां बहुत से लोग मारे गये हैं। मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर या कोई भी यहां पर सदन को उसकी जानकारी दे। वहां बहुत भीषण घटना हुई है, बहुत से जवानों की हत्या हुई है। वहां क्या स्थिति है और मुठभेड़ कैसी चल रही है, इसमें आप होम मिनिस्टर को कहें, वे इस पर सुओमोटो स्टेटमेंट करते तो ज्यादा अच्छा था। अब वहां पर ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं।

[अनुवाद]

हम चाहते हैं कि गृह मंत्री उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय: आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और हमें उम्मीद है कि सरकार ने इसे सुना है।

[हिन्दी]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी): मैंने भी इस संदर्भ में नोटिस दिया है कि पिछले 2-3 महीने में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कोई तरीका नहीं है। क्या यही तरीका है। उन्होंने इसका हवाला दिया है इससे लगता है कि आज कोई घटना घटी है। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): महोदय, संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं और वे इसका उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: पाठक जी। क्या अध्यक्ष की कोई भूमिका है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी: मैंने भी नोटिस दिया है, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

[अनुवाद]

महोदय, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। मैं तो बस आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। उन्होंने मुद्दा उठाया है क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय है और आज अचानक उठाया गया है। मंत्री उपस्थित हैं और उन्होंने इसे सुन लिया है।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी: मैंने भी इसी विषय पर नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं लेकिन पीठ की मदद कोई नहीं कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि ग्रेटर नोएडा में डेवू मोटर्स की कम्पनी बन्द हुई है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से दस हजार और अप्रत्यक्ष रूप से 50 हजार रोजगार संभावित होने की सम्भावना है, जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है और रोजगार के साधन बन्द हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि देवू मोटर्स की बंद फैक्टरी को तत्काल चलाया जाये ताकि रोजगार का सृजन होकर बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके। इसके साथ-साथ प्रदेश और देश का भी विकास हो सके।

[अनुवाद]

***श्री पी. मोहन** (मदुरै): अध्यक्ष महोदय, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग, जो केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने विगत एक दशक से तमिलनाडु के सोलह हजार विद्यार्थियों को बड़ी मुसीबतों में डालता रहा है; और अब निजी औद्योगिक संस्थान से ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रीय औद्योगिक प्रमाण-पत्र नहीं देकर उन्हें मुसीबत में डाल दिया है।

वही रोजगार और प्रशिक्षण विभाग प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए विभिन्न संस्थाओं को प्रश्न-पत्र भेज रहा है। तमिलनाडु और भारत के विभिन्न राज्यों में ऐसे प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले ऐसे सभी अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय औद्योगिक प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है। ऐसे निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उसी विभाग से प्रश्न-पत्र प्राप्त हुए हैं।

यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि रोजगार और प्रशिक्षण विभाग, श्रम मंत्रालय एक ओर उन निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को प्रश्न-पत्र भी भेज रहा है और दूसरी ओर दावा करता है कि वे उन निजी संस्थानों को मान्यता नहीं दी है। वहां से अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र बहुत ही मुसीबत में हैं क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय औद्योगिक प्रमाण-पत्र नहीं मिला है। यह पूरी तरह अनुचित है।

ये अभ्यर्थी जिन्होंने या तो माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक किया है और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने उन्हें अस्थायी प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया है फिर भी अब राष्ट्रीय औद्योगिक प्रमाण-पत्र के बिना उनकी स्थिति दयनीय है। इसके बिना उन्हें नौकरी भी नहीं मिल सकती है। अब जब आई.ए.एस., आई.पी.एस. जैसी परीक्षाएं भी तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में ली जाती हैं, वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के इन विद्यार्थियों को केवल अंग्रेजी या हिन्दी में प्रश्न-पत्र दिये जा रहे हैं। अत: संघ सरकार से मेरा अनुरोध है कि ऐसी परीक्षाएं क्षेत्रीय भाषाओं में भी ली जाएं, तमिलनाडु में इसकी भाषा तमिल होनी चाहिए और राष्ट्रीय औद्योगिक प्रमाणपत्र परीक्षा में तमिल भाषा को शामिल किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: यहां 49 सूचनाएं हैं। यह सभी माननीय सदस्य हैं। ये सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। हरेक व्यक्ति पहले बोलना चाहते हैं, मैं इसकी व्यवस्था कैसे कर सकता हूं? यह महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे उठाने की अनुमति मैंने दी है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर): अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार को केन्द्रीय पूल से जो 498 मेगावाट बिजली दी जाती थी,

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

यूपीए सरकार के आने के बाद उसमें 300 मेगावाट बिजली की कटौती कर दी गई है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार थी, उसकी अदूरदर्शिता की वजह से आज छत्तीसगढ़ बिजली के संकट से जूझ रहा है। इस कारण ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करा रही हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रदीप गांधी, कृपया आप न बोलें। उन्होंने जो कही उससे आपको सहमत होना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रदीप गांधी (राजनंदगांव): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इनके साथ अपने को एसोसिएट करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: महोदय-महोदय की रट लगाने वालों को मौका नहीं दिया जाएगा।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचुर): महोदय, कालीकट हवाईअड्डे पर किसी राजनीतिक पार्टी ने जनसमूह को सक्रिय कर दिया। उसमें से कुछ तो टर्मिनल के भवन पर चढ़ गए और राष्ट्रीय ध्वज को नीचे उतार दिया। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को फेंककर उसका अपमान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर अपनी पार्टी का झंडा लगा दिया *...(व्यवधान)*। ऐसा उस समय घटा जब कोई विवादास्पद मंत्री वहां आने वाले थे। यह भीड़ मुस्लिम लीग द्वारा इकट्ठी की गई थी। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हवाईअड्डा प्राधिकारियों ने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की ताकि उन्हें केन्द्रीय कानून के तहत दण्डित किया जा सके।

महोदय, मेरा नागर विमानन मंत्री से अनुरोध है कि वे इस मामले की जांच कर दोषी व्यक्ति को स वाएं ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दे दी है और माननीय मंत्री भी यहां उपस्थित हैं जिन्होंने इसे सुना है। *...(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मैंने भी इस विषय के बारे में नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह एक गंभीर घटना थी, इसी कारण इसे उठाने की अनुमति हमने दी है। माननीय सदस्य ने इसे बहुत ही उपयुक्त ढंग से उठाया है। कोई भी व्यक्ति इस मामले के महत्व को कम नहीं कर सकता है। मेरा मानना है कि सरकार इस मामले पर ध्यान देगी और सुनिश्चित करेगी कि इसका उपयुक्त निदान किया जा सके।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, कैबिनेट मंत्री यहां उपस्थित हैं। वे ऐसा कह सकते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्षपीठ की ओर से मैंने निदेश दिया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सरकार को चाहिए कि वह बताए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्षपीठ ने निदेश दे दिया है। इससे अधिक और क्या किया जा सकता है।

...(व्यवधान)

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, सिर हिलाना ही पर्याप्त नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने निदेश दे दिया है। यह निदेश मेरी ओर से दिया गया है।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: महोदय, सरकार को चाहिए कि वह सही ढंग से उत्तर दे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: थामस जी, आप उनसे सहमत हो सकते हैं। सहमति व्यक्त करने वाले सदस्यों का ही नाम अभिलेखबद्ध किया जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री चन्द्रशेखर दूबे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: थॉमस जी, आपने नोटिस नहीं दिया है। अत: आप सदस्य का केवल समर्थन कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह गंभीर मामला है। संसद का समय बर्बाद करके आप इसके महत्व को कम कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण मामले पर सहमति बताने वाले आप सभी का नाम अभिलेख में शामिल किया जायेगा। आप और क्या चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार इस गंभीर मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए मैंने निदेश दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद): अध्यक्षजी, देश की समस्त कोयला कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण एक मई, 1972 एवं एक मई, 1973 को हुआ। कोल माइन्स नैशनलाइजेशन एक्ट, 1972 और अमेंडमैंट एक्ट, 1973 का कांट्रेक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट के तहत ठेकेदारों द्वारा ओवर बर्डन हटाने एवं कोयले का उत्पादन करके बिक्री पर रोक लगायी गयी थी। परन्तु कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई भारत कोकिंगकोल लिमिटेड द्वारा 13 प्लाटों पर ठेकेदारों पर कोयला उत्पादन करने के लिए सौंप दिया गया। प्रबंधन का उक्त कार्य सभी नियमों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड प्रबंधन जिला प्रशासन से मिलकर ठेकेदारों से लिये गये सभी प्लाटों पर काफी संख्या में सशस्त्र बल भेजकर कोयले का उत्पादन करने का कार्य शुरू करना चाहता है। कुइयां, बागडगी, बासुदेवपुर कोयलरी आदि स्थानों पर मजदूरों एवं स्थानीय नागरिकों के ऊपर गोली चलने जैसी स्थिति बनी हुई है। मजदूर बहुत आक्रोशित हैं। एक तरफ प्रबंधन मजदूरों को सरप्लस बता रहा है और दूसरी ओर ठेकेदारों को कोयले का प्लाट देकर निजी मालिकों को कोयला खदान सौंप रहा है। प्रबंधन इस कार्य से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के सपनों को चकनाचूर कर बीसीसीएल के 95 हजार मजदूरों की रोजी-रोटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है जिससे बीसीसीएल के मजदूर एवं जनता कतई स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा ठेकेदारों को जो कोयले का प्लाट आवंटित किया गया है, जो ठेकेदार उन प्लाटों से अपनी बंदूक की नोक के बल पर उत्पादन करना चाहते हैं, इसे अविलम्ब रद्द करने का आदेश दिया जाये ताकि कोल माइन्स नेशनलाइजेशन एक्ट तथा मानीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की रक्षा के साथ-साथ व्यापक पैमाने पर होने वाली हिंसा से मजदूरों को बचाया जा सके और स्वर्गीय इंदिरा जी के सपनों को साकार किया जा सके।

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सैदपुर (गाजीपुर, उ.प्र.) के अंतर्गत बयालसी विधान सभा क्षेत्र के विकास खंड जलालपुर में त्रिलोचन वढागांव से कुसांव पिच मार्ग (नहर की पटरी पर उत्तर रेलवे के त्रिलोचन महादेव रेलवे स्टेशन व जलालपुर रेलवे स्टेशन के बीच) पर मैन्ड रेलवे क्रासिंग बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। त्रिलोचन महादेव व जलालपुर रेलवे स्टेशन के बीच दोहरी लाइन होने की वजह से हमेशा रेलगाड़ियों का आवागमन हुआ करता है। ऊपर उल्लिखित पक्के मार्ग के पिचरोड होने के कारण उस पर भी वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है। इस तरह उक्त अनमैन्ड क्रासिंग पर दुर्घटनाएं आए दिन हुआ करती हैं। क्षेत्रीय जनता ने इस तरफ कई बार माननीय पूर्व रेल मंत्रियों का ध्यान आकृष्ट किया पर इस दिशा में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई। इसलिए आपसे मेरा सादर अनुरोध है कि इस रेलवे क्रासिंग को मैन्ड क्रासिंग बनाने का आदेश देने का कष्ट करें ताकि आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। *...(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा आठवें नम्बर पर नाम था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम आठवें नम्बर पर न होकर नौवें नम्बर पर है। अभी आठवां नम्बर हुआ है। अब हम आपको बुलाते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने सभा के दो मिनट क्यों बर्बाद किए। अब आप बोलिए। यह अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने का स्पष्ट उदाहरण है। श्री सुशील कुमार मोदी, अब आप बोलिए।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: अध्यक्ष महोदय, बिहार में नैशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन सड़क बनाने का काम करने गयी थी। उसके दो इंजीनियर्स की किडनैपिंग आज से 15 दिन पहले हुई थी। उसके बाद जनरल मैनेजर श्री टी. मंडल हैं, वह अभी तक नहीं मिले हैं और उनसे 5 करोड़ रुपया फिरौती के रूप में मांगा जा रहा है। सारा सड़क बनाने का काम वहां पर ठप्प पड़ा है। सारे इंजीनियर्स ने काम करना बंद कर दिया है। सारे इंजीनियर्स आतंक और भय के अंदर वहां पर जी रहे हैं और राम विलास पासवान और लालू जी का झगड़ा चल रहा है। लालू जी की सरकार ने राम विलास पासवान जी के विधायकों के घरों पर छापा मारने का काम किया है। उनको कहीं कुछ नहीं मिला। 15 दिन हो गये हैं। पूरे बिहार के अंदर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इस अपहरण के कारण डरे हुए हैं, वे भयभीत हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सूचना से अलग हटकर बोल रहे हैं। मैं इस की जांच करूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: वहां सारा विकास का काम रुका हुआ है और दो मंत्रियों की लड़ाई का परिणाम यह हुआ है कि अभी तक श्री टी. मंडल बरामद नहीं हुए हैं और इस बात का खतरा है कि कहीं उनकी हत्या न कर दी जाए। उनको टेलीफोन करके कहा गया है कि अगर 5 करोड़ रुपया नहीं दिया गया तो श्री टी. मंडल की हत्या कर दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत खराब हो गई है। वहां पर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, व्यापारी और ठेकेदार सभी लोगों की किडनैपिंग हो रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मोदी, विषय से अलग हटकर मत बोलिये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: वहां सारा ग्रामीण विकास का काम ठप्प पड़ा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मोदी जी, हो गया। आपने अपनी बात कह दी है।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): आप विरोध करिए न। आप ही लोग तो करवाने वाले हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुनाथ झा जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: अध्यक्ष महोदय, वहां अपहरण हो रहे हैं। राम विलास पासवान जी के विधायकों के घरों पर छापे मारे जा रहे है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में आगे कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री मोदी, आप अपनी सूचना में दी गई विषय वस्तु से अलग हटकर बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने एक महिला सदस्य को बोलने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण विषय है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप अनावश्यक बात कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती रंजीत रजन के भाषण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा): अध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारी 85 प्रतिशत आबादी कृषि से संबधित है। खासकर बिहार जहां से मैं आती हूं, वहां पर सबसे ज्यादा आबादी है। मैक्सिमम आबादी कृषि पर निर्भर है। आज किसान की हालत खाद को लेकर बहुत दयनीय है कि उनको खाद नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ खाद की सरेआम कालाबाजारी हो रही है। उसके कारण खासकर पूर्णिया मंडल में और कोशिका मंडल में जहां से मैं आती हूं, वहां पर किसान आज आत्महत्या करने के कगार पर हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि वहां पर जो खाद की कालाबाजारी हो रही है, उसके लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और उसकी तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आज हमारे किसानों की हालत हर जगह बहुत ज्यादा दयनीय है।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: मैंने एक सूचना दी है। मैं इसे विशेषाधिकार के मामले के रूप में उठा सकता था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कौन सी सूचना?

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: मैंने एक सूचना दी है। मैं इसे विशेषाधिकार के मामले के रूप में उठा सकता था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। मैंने आपकी सूचना खारिज नहीं की है। मुझे देखने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: यह एक संसद सदस्य के विशेषाधिकार का सवाल है। इसीलिए मैंने सूचना दी है। मैं प्राय: खड़ा नहीं होता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बारी की प्रतीक्षा किए बगैर बोलने के लिए खड़े हो गए हैं। मैंने केवल एक बार क्रम को तोड़ा है। ऐसा मैंने श्रीमती शुक्ला के लिए किया क्योंकि उन्होंने मुझसे विशेष अनुरोध किया था। मैंने इससे इन्कार नहीं किया।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: आप मेरे अधिकारों के रक्षक हैं *...(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से अपने अधिकार प्राप्त करना चाहता हूं। मैं अपने अधिकार से संबधित एक प्रश्न की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बहुत ज्यादा ध्यान दिला चुके हैं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण देने के संबंध में यूपीए की सरकार ने आश्वासन दिया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि निजी क्षेत्र में एस.सी. और एस.टी. के लोगों को 25 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। इस संबंध में सरकार को सभी उद्योगपतियों के साथ और सभी राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग करनी चाहिए और इस मुद्दे पर आम सहमति बनाकर इन लोगों को 25 प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए। अगले छ: महीनों के अंदर यह निर्णय होना चाहिए, ऐसा सरकार को प्रयास करना चाहिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मुन्शी राम (बिजनौर): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बिजनौर में गंगा, मालन, खो आदि नदियों का बहाव लगातार बदलने के कारण इस क्षेत्र के कई गांवों का अस्तित्व ही नष्ट हो गया है। इसके साथ-साथ कई हजार एकड़ कृषि भूमि भी नष्ट हो गई है। जिसके कारण सैकड़ों किसान भूमि एवम् आवास से रहित हो चुके हैं। पीड़ित लोगों को अभी तक कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया।

माननीय जल संसाधन मंत्रीजी आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं कि उपरोक्त नदियों द्वारा हो रहे भूमि क्षरण को रोकने के लिए अति शीघ्र कोई व्यवस्था की जाए, जिससे इन नदियों द्वारा हो रही भारी तबाही से इस क्षेत्र की जनता को बचाया जा सके।

उत्तर प्रदेश बाढ़ नियंत्रण एवम् राहत कोष के पास इन नदियों द्वारा हो रही तबाही को रोकने के लिए कई योजनाएं भेजी जा चुकी हैं, जिन पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है।

अत: मंत्री जी से अनुरोध है कि इन नदियों द्वारा हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को दिलाने तथा स्थानीय लोगों को इस तबाही से बचाने के लिए कारगर कदम उठाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, आपको केवल वही मामला उठाना चाहिए जिसके बारे में आपने सूचना दी है। कृपया सभी माननीय सदस्य मुझे सहयोग प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान टाइम्स समूह भारत का सबसे महत्वपूर्ण एवम् प्रतिष्ठित समाचार प्रकाशन समूह है। यह एक विश्वसनीय समूह है। इसकी विश्वसनीयता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। विगत दिनों इस समूह द्वारा अपने 362 नियमित और स्थायी कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया गया है। जिसकी वजह से इन कर्मचारियों के परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो बेरोजगारी और बदहाली की वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है और वे लोग सड़क पर आ गए हैं। यह उन नियमित और स्थाई कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे और जो 362 कर्मचारी हिन्दुस्तान टाइम्स समूह द्वारा निकाले गए हैं, उनको पुन: नौकरी पर लेने हेतु कदम उठाए।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, समस्त देश में रेल मंत्रालय द्वारा संशोधित खान-पान योजना पत्र सं. 2003/टीजी-3/600/एस-2004 के द्वारा छोटे-छोटे लाखों खान-पान स्टाल और ट्राली चलाने वाले लाइसेंसियों को, जो कि पिछले कई दशकों से यात्रियों की सेवा करते आ रहे हैं, जिससे ये अपनी आजीविका चला रहे हैं, को बेरोजगार करने का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि ये समस्त खान-पान लाइसेंसी तभी तक काम कर सकते हैं जब तक इनका रेल से अनुबंध है। इन छोटे लाइसेंसियों में वृद्ध, विस्थापित, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति व जनजाति, विधवा, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षित बेरोजगार हैं। अत: उपरोक्त वर्गों के परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। यह भी सम्भव है कि जिस प्रकार भुखमरी व कर्जों के कारण किसान आत्महत्या करते हैं, उसी प्रकार ये छोटे-छोटे लाइसेंसी भी ऐसा करने को मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में इनके लिए रोजगार के समस्त रास्ते बंद हो चुके हैं। संशोधित खान-पान नीति के द्वारा छोटे-छोटे लाइसेंसियों को समस्त श्रेणी के स्टेशनों से बिना कोई मौका दिए हटा दिया जाएगा तथा उपरोक्त लाइसेंसियों का समस्त कार्य बड़ी कम्पनियों व पूंजीवादियों को देने की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि ये इन बड़े-बड़े ठेकेदारों व कम्पनियों से किसी भी हालात में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। रेल मंत्रालय द्वारा अब आवंटन के लिए करोड़ों रुपये की बिक्री व लाखों रुपये की निविदा राशि होना अनिवार्य बना दिया गया है। जिसके फलस्वरूप रेलवे में कुछ गिनती की कम्पनियों व पूंजीवादियों का एकाधिकार हो जाएगा। जैसाकि आईआरसीटीसी द्वारा किया जा रहा है। ये बड़ी कम्पनियां यात्रियों से उच्च मूल्य व विज्ञापन तथा लीज के द्वारा बहुत मोटा पैसा कमाती हैं। इनको आईआरसीटीसी द्वारा एक प्रतिशत या दो प्रतिशत कर भी आबंटन किया गया है, जबकि खान-पान नीति के अनुसार 12 प्रतिशत से कम में आवंटन नहीं किया जा सकता।

इन बड़ी-बड़ी कम्पनियों व पूंजीवादियों को स्थापित करने के लिए इन छोटे-छोटे लाइसेंसियों को बेरोजगार किया जा रहा है, जबकि संविधान के अनुसार रोजगार का अधिकार हमारा एक मूल अधिकार है। अत: उपरोक्त खान-पान नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की नीतियों व घोषणाओं के विपरीत है।

मैं इस माननीय सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह लाखों छोटे-छोटे खान-पान लाइसेंसियों को भुखमरी व बेरोजगार होने से बचाने के लिए संशोधित खान-पान नीति 2004 को तुरंत प्रभाव से वापस लेने तथा पुरानी व्यवस्था को लागू रखने की व्यवस्था करे।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): अध्यक्ष जी, मैं इसी से संबंधित बोलना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री हरिकेवल प्रसाद और श्री राजेश कुमार मांझी ने एक ही विषय संबंधी सूचनाएं दी हैं। उनके नाम भी इसी मामले से सम्बद्ध होने वालों के रूप में कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कर दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर): अध्यक्ष जी, डिफेंस फोर्सेज और उनके ऑफिसर्स की जो तकलीफें हैं उनको दूर करने के लिए उनकी एक डिमांड थी। एनडीए सरकार ने एक पार्लियामेंटरी कमेटी उसके लिए बनाई थी जिसके चेयरमैन माननीय मदन लाल जी खुराना थे। उन्होने पार्लियामेंटरी कमेटी की एक रिपोर्ट दी है लेकिन बहुत दिनों से उसको लागू नहीं किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है। मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि माननीय खुराना कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे सरकार लागू करे और अभी तक लागू न करने का कारण बताए।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): अध्यक्ष जी, हमारे कृषि प्रधान देश में किसानों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। खेती अब फायदे का सौदा न होकर घाटे का सौदा हो गयी है। ऋण के जाल में फंसकर आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। अकेले आंध्र प्रदेश में पिछले 6 महीनों में करीब 1800 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। किसानों को जब तक उनके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक उनकी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। उनको उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की व्यवस्था की है। पिछले एक साल में खेती के उत्पादन में काम आने वाली चीजों, बीज, खाद, कीटनाशक और डीजल के दाम लगभग 40 प्रतिशत बढ़े हैं लेकिन इस साल सरकार ने जिस समर्थन मूल्य की घोषणा की है उसमें गेहूं में 10 रुपये और चने में 25 रुपये बढ़ाए हैं। यह तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। जिस प्रकार से 40 प्रतिशत लागत बढ़ी है और एक प्रतिशत समर्थन मूल्य बढ़ा है यह किसानों के साथ न्याय नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गेहूं में कम से कम 40 रुपये और चने में 50 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की जानी चाहिए। आज किसानों के लिए यह वृद्धि बहुत आवश्यक है। एनडीए की सरकार ने जो कृषि फसल आय बीमा योजना 20 जिलों में लागू की थी, उसका विस्तार पूरे देश में किया जाए। बीमे की इकाई आप तहसील को मानते हैं, जिसके कारण किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है। तहसील के स्थान पर गांव या किसान को इकाई माना जाए। यह प्रार्थना मैं आपके माध्यम से सरकार से करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री एन.एन. कृष्णदास—अनुपस्थित। श्री खारबेल स्वाईं।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: अध्यक्ष महोदय, मैं मानीय सदस्य श्री मोहन सिंह और लद्दाख के सदस्य श्री छेवांग थुपस्तन तीन मूर्ति भवन के निकट एकत्रित हुए थे। हम एक ज्ञापन देने के लिए चीनी दूतावास तक पैदल जाना चाहते थे क्योंकि चीनी सरकार ने एक बौद्ध भिक्षु को मौत की सजा दी है। अत: हम उन्हें मौत की सजा से छुड़ाने के लिए एक ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने हमें रोक दिया था और एक पुलिस अधिकारी ....*.... ने हमें बताया कि वह हमें गिरफ्तार कर लेगा। हमने देखा कि उस रास्ते से सभी लोग और वाहन जा रहे थे। लेकिन हम संसद सदस्यों को पुलिस ने रोक दिया था। हमने कहा कि हम केवल जाएंगे और यह ज्ञापन चीनी दूत को सौपेंगे। हमने कहा कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो हम लौट आएंगे। हम चीनी दूतावास में जबरदस्ती नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि हम चीन में हों।

महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह आवश्यक नहीं है कि वे हमारे तर्क से सहमत हों। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्या एक लोकतांत्रिक देश में, हमें जाकर ज्ञापन सौंपने का अधिकार नहीं है? मैं कल इतना आश्चर्यचकित हुआ कि मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि यह हमारी सरकार और हमारी पुलिस है जो संसद सदस्यों के साथ इस प्रकार का बर्ताव कर रही है।

अत: मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं इस मामले पर विशेषाधिकार प्रस्ताव लाना चाहता था क्योंकि पुलिस ने संसद सदस्यों को अपने कर्त्तव्य का पालन करने से रोका था। एक डीसीपी* भी आए।

अध्यक्ष महोदय: नाम हटा दिए जाएं।

श्री खारबेल स्वाईं: उन्होंने कहा कि आप प्रक्रिया का अवलोकन कीजिए और आप पाएंगे कि प्रोटोकोल के हिसाब से आपको विदेश मंत्रालय को ज्ञापन देना चाहिए। महोदय, मैं सरकार में नहीं हूं। मैं जनता का प्रतिनिधि हूं। क्या मुझे केवल एक ज्ञापन देने के लिए विदेश मंत्रालय जाना चाहिए?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री खारबेल स्वाईं]

अंतत: उन्होंने हमें जाने को कहा। हम गए। हमने ज्ञापन दिया और वापस आ गए। कुछ नहीं हुआ। आसमान नहीं गिर गया। लेकिन मैं बहुत अचंभित हुआ। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हम चीन के साथ अच्छा संबंध रखना चाहते हैं लेकिन इस प्रकार से नहीं। सरकार चीन के बारे में इतना परेशान क्यों है? अत: संसद सदस्यों को जाने का अधिकार मिलना चाहिए। अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया सरकार को निर्देश दें कि पुलिस को हम संसद सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि हम कानून तोड़ना नहीं चाहते।

अध्यक्ष महोदय: आप पहली बार यह बात मेरे ध्यान में लाए हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैंने आपको बताया था।

अध्यक्ष महोदय: जब मैं कोरीडोर में जा रहा था तो आपने कहा कि आप एक बात का उल्लेख करना चाहते हैं। निश्चय ही, मैं इस पर ध्यान दूंगा।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: आप इस बात को मेरे ध्यान में पहले ला सकते थे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम सभी लगातार कार्य कर रहे हैं।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, आज अनेक पत्रकार और गैर-पत्रकार भारत की राजधानी में आए हैं क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य, उनका मुख्य लक्ष्य है कि एक वेतन बोर्ड हो। वेतन बोर्ड की स्थापना सात वर्ष पहले की गई थी। हमें ज्ञात है कि हमारे सभी भाषण एवं विचार इन पत्रकारों के माध्यम से जाते हैं। हजारों पत्रकार अनेक समाचार-पत्र संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं, वास्तविकता यह है कि उनमें से अनेक के पास पूर्णकालिक रोजगार नहीं है। वे स्थायी नहीं हैं। उन्हें वेतन नहीं मिलता है। लेकिन इसमें दयनीय बात यह है कि सात वर्ष बाद हम वेतन बोर्ड के बारे में सोच रहे हैं। यदि हम अभी वेतन बोर्ड की स्थापना करना शुरू करें तो इसमें दो या तीन वर्ष लगेंगे क्योंकि उन्हें नियोक्ताओं, कर्मचारियों और उनके संघों के साथ बातचीत करनी होती है। अत: मेरा अनुरोध है कि वेतन बोर्ड का गठन करने के लिए माननीय मंत्री महोदय स्वयं ठोस प्रयास करें। इसके बाद भी उन्हें प्रतीक्षा करनी होगी।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, यह मामला अनेक बार उठाया गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप ऐसी आशा करते हैं? क्या अध्यक्ष रहते हुए आपने ऐसा अनुभव किया है कि मामले को उठाने के साथ ही उस पर अविलम्ब निर्णय ले लिया जाएगा?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अन्य कोई माननीय सदस्य कार्यवाही में व्यवधान न डाले।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मेरी सूचना भी इसी मुद्दे से संबंधित है। मैंने एक सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय: आप अपने को इस मुद्दे पर व्यक्त किये गये विचारों से अपने आपको सम्बद्ध कीजिए। आपका नाम कार्यवाही-वृत्तांत में सम्बद्ध करने वाले के रूप में दर्ज किया जा रहा है।

श्री पी.सी. थामस: मुझे केवल एक बात कहनी है।

अध्यक्ष महोदय: आप कोई बात नहीं करें या आप सूची के अनुसार अपनी बारी की प्रतीक्षा करें।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, उन्होंने अंतरिम राहत मांगी है।

अध्यक्ष महोदय: यह अत्यंत उपयुक्त है। श्री पी.सी. थामस अपने को सम्बद्ध कर रहे हैं और अंतरिम राहत का उल्लेख कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं जो कह रहा हूं उसके अतिरिक्त अन्य कुछ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं तथागत सत्पथी की मदद करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे पता है कि आपकी अपनी समस्याएं हैं। इस पर सभा के बाहर चर्चा कीजिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश की तरफ दिलाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी पिछले 57 वर्षों से रेलों के विस्तार की दृष्टि से घोर उपेक्षा हुई है। वहां आजादी के बाद लगभग 32 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइन पिछले 57 साल में निर्माण हुई है। कई वर्ष पूर्व बिलासपुर जिले के भानुपल्ली से रामपुर तक रेल लाइन का सर्वेक्षण हुआ था। उसमें रेल मंत्रालय ने 50 परसैंट, हिमाचल सरकार ने 25 परसैंट और कुछ सीमेंट कम्पनियों ने 25 परसैंट हिस्सा लगा कर कार्पोरेशन बनाया था लेकिन बाद में रेल मंत्रालय और हिमाचल सरकार ने मिल कर इस लाइन को बनाने का निर्णय किया । अब नई सरकार ने उसका दोबारा सर्वेक्षण करके उसे अपडेट करने के निर्देश दिये हैं। मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से कश्मीर में रेलों के विस्तार के लिए एकमुश्त पैसा दिया गया है, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में रेलों के विकास के लिए पैसा दिया जाये ताकि भानुपली-रामपुर रेल लाइन का काम शुरू हो सके। इसी तरह ऊना-तलवाड़ा ब्रॉड गेज का काम 1980 में शुरू हुआ था। यह केवल 32 किलोमीटर का मार्ग बना था। इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाये ताकि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। वहां पर्यटन संभावनाएं अधिक हैं जिनका दोहन ठीक ढंग से किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपकी सूचना विचाराधीन है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, तेल के बढ़ते हुए मूल्यों से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना, मध्य प्रदेश में पिछले एक महीने से तेल की आपूर्ति बंद कर दी गई है। वहां करोड़ों रुपयों की लागत से एक ऑयल डिपो बनाया गया था लेकिन वह बंद कर दिया गया है। मैंने माननीय मंत्री जी को पूर्व में इस बात की जानकारी दी थी लेकिन उनका कहना था कि जिन लोगों की जमीन पर तेल डिपो बना है, वे नौकरी मांग रहे हैं, इसलिए करोड़ रुपयों की लागत से बना तेल डिपो बंद किया जा रहा है। जब हाई कोर्ट, जबलपुर ने यह कहा कि नौकरी मांगने का कोई अधिकार नहीं बनता तो मैंने मंत्री जी को इस संबंध की जानकारी दी। इसके बावजूद तेल डिपो बंद है।

मेरा आपसे आग्रह है कि तत्काल वहां बंद तेल डिपो चालू किया जाये, इंडियन ऑयल से तेल की आपूर्ति कराई जाये। वर्तमान समय में उपभोक्ताओं को 80 पैसे प्रति लीटर महंगी दर से तेल मिल रहा है तथा 250 कि.मी. दूरी से तेल की आपूर्ति की जा रही है जो कि समय पर हो भी नहीं पाती।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पेट्रोलियम मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी राजस्थान और खासकर जोधपुर, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, गैस सिलेंडरों की भारी कमी है। उपभोक्ताओं को ब्लैक से गैस सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है आजकल इतनी शादियां हैं कि उपभोक्ता काफी परेशान हैं।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि गैस सिलेंडर की कमी को दूर किया जाये ताकि उपभोक्ताओं को सुविधा मिल सके।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, देश के भौगोलिक क्षेत्र का 10 प्रतिशत भाग राजस्थान में है और भूतल पर उपलब्ध जल स्रोत का 1.6 भाग है। राजस्थान में जल स्रोत सीमित हैं। राजस्थान में पिछले 4-5 साल से लगातार अकाल और दुर्भिक्ष की स्थिति है। ऐसी स्थिति में रावी-व्यास का पानी इंदिरा गांधी नगर के माध्यम से राजस्थान में आता है। राजस्थान की एक करोड़ जनता रेगिस्तानी इलाके में रहती है जिनमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले आते हैं। इन जिलों के आर्थिक विकास के लिए एकमात्र जीवन रेखा पानी है जो नहर के माध्यम से आता है। पीने के पानी और सिंचाई का एकमात्र साधन यही है। राजस्थान सरकार ने 2600 करोड़ रुपया इंदिरा गांधी नहर पर खर्च किया लेकिन पंजाब से पानी नहीं मिल रहा है। इससे राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। इससे सारी फसलें सूख जायेंगी। किसान आन्दोलित हैं और उनकी महापंचायत हो रही है। वे धरने पर बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि रावी-व्यास का पानी राजस्थान को अविलम्ब दिलाया जाये ताकि किसानों की फसलें बच सकें जो करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं। जल राष्ट्रीय सम्पदा है। मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात कह दूंगा, इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: क्या आपको हमारा संरक्षण चाहिए?

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, यह मानवीय आवश्यकता है। जल राष्ट्रीय सम्पदा है। बड़ी नदियों का पानी दूसरे राज्य ले सकते हैं लेकिन पंजाब सरकार ने विधान सभा में पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट विधेयक, 2004 पास किया जिसके अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी निरस्त कर दिया गया है। राजस्थान को 8.6 एमएएफ पानी तुरंत प्रभाव से मिलना चाहिए लेकिन वह पूरा नहीं मिल रहा है। आज राजस्थान को 8.6 एमएएफ के स्थान पर केवल 8.00 एमएएफ पानी मिल रहा है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि रावी-व्यास प्रबंधन द्वारा राजस्थान की हिस्सेदारी निर्धारित हो और उसे पूरा पानी मिलना चाहिए। जो समझौता 1964 और 1981 में हुआ, उसके मुताबिक राजस्थान को पूरा पानी मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: बहुत जोरदार तरीके से आपने मामला उठाया है, ठीक होगा।

[अनुवाद]

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): "राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना" के माध्यम से विधवाओं को प्रदान की गई वित्तीय सहायता इन महिलाओं विशेषकर वित्तीय रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए मददगार होती है। यद्यपि 10,000 रुपये की राशि उनकी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपर्याप्त है। इससे इन असहाय महिलाओं के लिए समाज की सहानुभूति और चिन्ता का निश्चित रूप से पता चलता है। परन्तु दुर्भाग्यवश इस धनराशि का संवितरण केरल में 1998 से नहीं किया गया है। राज्य इस खाते में केन्द्र से 46 करोड़ रुपये के लगभग प्राप्त करेगा। अधिकारियों के पास हजारों प्रार्थना-पत्र लंबित पड़े हुए हैं।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह वर्ष 1998 से केरल की देय बकाया धनराशि को जारी करे ताकि निर्धन विधवाओं को यथाशीघ्र धनराशि संवितरित की जा सके।

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): महोदय, संभवतया आप जानते ही होंगे कि 20वें बधिर, ओलम्पिक खेल 5 से 16 जनवरी, 2005 तक मेलबोर्न, आस्ट्रेलिया में होंगे। प. बंगाल से 12 खिलाड़ी तथा अन्य राज्यों से काफी अन्य खिलाड़ी आल इंडिया स्पोर्टस काउंसिल आफ दि डेफ, नई दिल्ली द्वारा उपर्युक्त प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु चुने गए हैं।

परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि वे प्रशिक्षण कैम्प में शामिल होने हेतु होने वाले व्यय व आने-जाने का किराया, खाने, ठहरने का खर्च स्वयं वहन करेंगे जबकि ओलम्पिक खेलों में समस्त सुविधाएं एवं वित्तीय सहायता सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से युवा कार्य और खेल मंत्री से अनुरोध करता हूं—महोदय, इस तरह की सुविधाएं इन युवा लोगों विशेषकर, जबकि वे शारीरिक रूप से तथा वित्तीय आधार पर विकलांग हैं, को भी ये सुविधाएं दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं आशा करता हूं कि इस मामले पर गौर किया जायेगा। श्री बी.के. हांडिक कृपया इस पर विचार करें तथा युवा कार्य और खेल मंत्री से अनुरोध करे कि वह भी इसे देखें।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं इस पर विचार करूंगा और इसे लागू कराऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: कृपया इन खिलाड़ियों की मदद करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार): अध्यक्ष महोदय, ऑल इंडिया पी.एम.यूज. छात्र संगठन और दूसरे वामपंथी संगठन इस बात से बहुत चिंतित हैं कि शिक्षा नीति में छात्र, छात्राओं को बराबर का अवसर नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए कि शिक्षा में सभी तबकों के छात्र, छात्राओं को बराबर का अवसर मिले।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): सरकार ने कृषि लागतें और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर ध्यान देते हुए विभिन्न कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिये हैं। परन्तु अब जहां तक धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध है इसमें केवल 10 रु. ही पहले बढ़ाये गये हैं। पहले कीमत 550 रु. थी अब यह बढ़ाकर 560 रु. कर दी गई है। जब समस्त आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई जा रही थी और जब मुद्रास्फीति सात प्रतिशत से अधिक थी तब न्यूनतम समर्थन मूल्य में केवल 1.2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसलिए यह न तो लाभप्रद ही है और न ही समर्थक है। इतना ही नहीं भा.खा.नि. से अपेक्षा थी कि वह काफी मात्रा में खरीद करेगा परन्तु प. बंगाल में यह काफी कम है, वे कृषकों से 10 से 12 लाख मीट्रिक टन धान खरीद सकते थे।

इस समय, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भा.खा.नि. प. बंगाल और अन्य राज्यों के कृषकों से भी सीधे तौर पर धान की खरीद करे।

अध्यक्ष महोदय: श्री हंसराज जी अहीर ने भी इसी तरह की सूचना दी है वह भी इसी से सम्बद्ध हो सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): धन्यवाद। महोदय माननीय वित्त मंत्री यहां पर उपस्थित हैं।

महोदय, कल अर्थात 14 मई, 2004 तक कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद आंध्र प्रदेश में 900 किसान और 200 बुनकर आत्महत्या कर चुके हैं। यह सच है आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मामले में 1,50,000 रु. के राहत की घोषणा की है इसके अतिरिक्त, जब माननीय प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश गए थे तो माननीय प्रधानमंत्री ने 50,000 रु. की राशि देने का वायदा किया था। अब तक प्रभावित परिवारों को एक पैसा भी प्राप्त नहीं हुआ है। यहां तक कि कृषकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यहां तक कि उन्हें ऋण भी नहीं मिल रहे हैं। मुख्य मंत्री ने हाल ही में भारत सरकार को एक पत्र लिखा है। यह उपयुक्त समय है कि जब भारत सरकार और राज्य सरकार को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए। कृषक अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं। औसतन 10 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। वह हम सबके लिए शर्म की बात है। भारत सरकार ने यह जानने के लिए कि वे लोग क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। कोई दल नहीं भेजा है। क्यों सैकड़ों लोग ऐसा कर रहे हैं इसकी जमीनी सच्चाई क्या है और क्या समस्या है? कोई अध्ययन भी नहीं किया गया है। स्वतंत्र भारत में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही है। यहां तक कि ऋण स्थगन की घोषणा के पश्चात भी निजी ऋणदाता ऋण नहीं दे रहे हैं। किसानों को सहकारी बैंकों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त नहीं हो रहा है यह वास्तविक स्थिति है कि जो आंध्र प्रदेश में विद्यमान है।

आपके माध्यम से, मैं भारत सरकार से करबद्ध अनुरोध कर रहा हूं कि वह इस मामले पर बातचीत करे व कृषकों के हितों की रक्षा करें व उनको आत्महत्या करने से रोके। धन्यवाद।

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): आपने अपनी सरकार से क्या कराया है?

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, ये तेलगू देशम पार्टी पर दोषारोपण कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप इसे अनसुना करें।

श्री किन्जरपु येरननायडु: हमने सत्ता गवां दी है। अब आपको आत्महत्या रोकनी है। जनादेश आपको दिया गया है। आपको किसानों को आत्महत्याएं करने से रोकना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब श्री अधीर चौधरी बोलेंगे। कुछ भी रिकार्ड में नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, हम सभी भारत की नक्सलवादी और विद्रोही समस्याओं से परिचित हैं। पहले प. बंगाल उन हिंसाओं एक हिस्सा था परन्तु अब प. बंगाल राज्य के सीमा पर स्थित जिलों मिदनापुर, बांकुरा और पुरुलिया में नक्सलवादी हिंसा तेजी से बढ़ रही है। एक बारूदी सुरंग में विस्फोट भी हुआ जिसमें कई जवानों की जानें गईं। मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं और जिस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं वह यह है कि प. बंगाल सरकार प. बंगाल में नक्सलवादी उपद्रव से निपटने में अक्षम महसूस होती है और इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह प. बंगाल राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय और प्रौद्योगिकी और संवितरण संबंधी सहायता प्रदान कराये ताकि वे इस स्थिति से प्रभावी रूप से निपट सके। धन्यवाद।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, प. बंगाल के पांच जिले जहां आलू उगाये जाते हैं में स्थिति गंभीर है। प. बंगाल में एक टन भी एन.पी.के. खाद नहीं पहुंच पाई है। इसके परिणामस्वरूप वहां पर तनाव है और मुझे डर है कि प. बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़ जाए। प. बंगाल सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। जब तक खाद की आपूर्ति तुरंत नहीं हो पाती है और इफको से एन.पी.के. खाद की आपूर्ति नहीं हो जाती है तो बहुत मुश्किल होगा। इफको ने एन.पी.के. उत्पादन आरम्भ नहीं किया है और मुझे बताया गया है कि वे इसे कल से आरम्भ कर देंगे। यदि एक या दो दिन में प. बंगाल के पांचों जिलों में कृषको को एन.पी.के. खाद की आपूर्ति नहीं हो जाती है तो भयंकर संकट रहेगा।

मैं, सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तुरंत कदम उठाए ताकि एक अथवा दो दिन के भीतर इफको प. बंगाल राज्य को एन.पी.के. खाद की आपूर्ति शुरू कर दे।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी (बेल्लारी): धन्यवाद महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बेल्लारी शहर में बाईपास रोड की स्वीकृति दे। बेल्लारी से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 63 होकर गुजरता है। वर्ष 1998 में 9997 पैसेंजर कार यूनिटें प्रतिदिन वहां से गुजरती थी और आज यह आंकड़ा बढ़कर 32,097 हो गया है। यह 300 प्रतिशत से भी अधिक है। इसके अलावा 16000 मी. टन अलौह अयस्क का प्रतिदिन गुंटाकुल रेलहैड के लिए ले जाया जाता है। बेल्लारी जिले में अलौह

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जी. करुणाकरन रेड्डी]

अयस्क का बड़ा काम है। बाईपास रोड के अभाव में बहुत सारी दुर्घटनाएं घट रही हैं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि विशेष रूप से भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सर्वेक्षण करे और तत्काल बाईपास रोड को शुरू करे। धन्यवाद।

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय: यदि आप सफल होते हैं तो मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का दावा करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप भी वहां पर बाईपास चाहते हैं? मैं पहले ही 37 सदस्यों को अनुमति प्रदान कर चुका हूं। मैं और कितने सदस्यों को अनुमति दूं?

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं पूरे देश में वक्फ सम्पत्तियों की समस्या पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। अब केन्द्रीय वक्फ काउंसिल जोकि पूरे देश में वक्फ कार्यों की देखभाल करती है निष्क्रिय है और यह कार्य नहीं कर रही है और बेकार पड़ी है यह अभी पुनर्गठित नहीं हुई है। वक्फ अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के पश्चात् कई कमियों का पता चला है। इसलिए उस अधिनियम को नए अनुभव के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह निष्क्रिय पड़े सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल को भंग करे और तत्काल इसका पुनर्गठन करे। काउंसिल के सम्मुख समस्त मार्ग, जोकि गत छह वर्षों से लंबित पड़ी है पर पुन: विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस मंत्रालय का वक्फ डिवीजन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं इसलिए गत छह वर्षों के दौरान उनकी गतिविधियों की जांच की जानी चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि लंबित अपीलों और मांगों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और नई परिस्थिति के अनुसार अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।

श्री समिक लाहिरी (डायमंड हार्बर): महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान कालेजों के अंधाधुंध वाणिज्यीकरण जोकि हमारे देश में हो रहा है की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। बहुत सारे निजी इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य व्यावसायिक कालेज काफी संख्या में खुल रहे हैं और कोई समुचित शुल्क संबंधी ढांचा नहीं है इसलिए अंधाधुंध वाणिज्यीकरण जारी है इसलिए, मुझे लगता है कि केन्द्र सरकार को एक विधान बनाने की पहल करनी चाहिए जिसके फलस्वरूप राज्य सरकारों को शक्ति प्राप्त होगी ताकि वे इस बढ़ते हुए व्यावसायीकरण की परेशान करने वाली प्रवृत्ति को रोक सकें। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है। मुझे आशा है कि सरकार कुछ कार्यवाही करने की पहल करेगी।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): हम इस मुद्दे का समर्थन करते हैं तथा शिक्षा के व्यवसायीकरण का विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री महताब का नाम कार्यवाही-वृत्तांत में जाना चाहिए यद्यपि वह पूर्व सूचना के बोले हैं। मैं आपके सहयोग के लिए इसकी अनुमति दे रहा हूं।

श्री भर्तृहरि महताब: धन्यवाद, श्रीमान।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, कहने को तो वर्तमान सरकार किसानों और आम आदमियों की चिन्ता करने वाली सरकार है, लेकिन काम वह इन दोनों वर्गों के विपरीत करती है। अपने कथन की सत्यता में, मैं ऐसा ही एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाहता हूं।

महोदय, पेट्रोलियम मंत्रालय ने, पिछली एन.डी.ए. सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जिसके तहत, जैसा कुछ देशों में होता है, पेट्रोल के अंदर इथनॉल की ब्लैंडिंग शुरू करने का निर्णय किया था। प्रथम फेज में पांच प्रतिशत और धीरे-धीरे करके दूसरे फेज में उसे 10 प्रतिशत तक ले जाना था। इससे जहां एक ओर विदेशी मुद्रा की बचत हो रही थी, वहां दूसरी ओर गन्ना किसानों को भी फायदा हो रहा था तथा आम आदमी को सुविधा मिल रही थी, लेकिन वर्तमान यू.पी.ए. सरकार ने उसे ऑप्शनल कर दिया जिसके कारण हर वर्ग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान सरकार शराब लॉबी से मिल गई है। इसलिए इथनॉल की ब्लैंडिंग को ऑप्शनल कर दिया गया है। यह सरकार नहीं चाहती कि किसानों की हालत में सुधार हो। इथनॉल की ब्लैंडिंग को ऑप्शनल करने से ब्लैंडिंग का काम रुक जाएगा। ब्राजील में 20 प्रतिशत तक ब्लैंडिंग की जाती है। हमारी सरकार ने दो फेज में सिर्फ 10 प्रतिशत इथनॉल की ब्लैंडिंग का निर्णय लिया था। पहले फेज में 5 प्रतिशत ब्लैंडिंग की जानी थी और दूसरे फेज में 10 प्रतिशत तक ब्लैंडिंग की जानी थी, लेकिन वर्तमान सरकार मंत्री महोदय इस दिशा में ध्यान नहीं दे रहे हैं।

महोदय, मैं और मेरी सहयोगी श्रीमती सुमित्रा महाजन, इससे परिचित हैं और हम दोनों ही सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस बारे में बयान दे कि सरकार ने पेट्रोल में इथनॉल की ब्लैंडिंग को ऑप्शनल क्यों किया जबकि इससे किसानों की दशा में सुधार होगा और गन्ने के किसानों को भी लाभ होगा?

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में सरकार की ओर से बयान आना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती सुमित्रा महाजन का नाम इस मामले के साथ सम्बद्ध कर दिया जाएगा।

अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.08 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.08 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 2004

विचार करने के लिए प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 17 पर विचार करेगी। श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं*:

> "कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 2004 का समर्थन करता हूं। मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक लाने के लिए माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। यह विधेयक राजग सरकार के शासन काल के दौरान लाया गया था लेकिन लोक सभा भंग हो जाने के कारण यह व्यपगत हो गया।

महोदय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 में दो अनुसूचियां हैं—प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची। वर्तमान में ये अनुसूचियां समरूप नामावली प्रणाली के अनुरूप छह अंकीय वर्गीकरण कूट पर आधारित हैं।

महोदय, इस विधेयक में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए आठ अंकीय समरूप नामावली प्रणाली लागू की जानी है। यह स्वागत योग्य कदम है। वर्तमान में फरवरी 2003 से भारत में राजस्व विभाग ने भी उत्पाद शुल्क लगाने योग्य सामानों के लिए समरूप नामावली प्रणाली के आधार पर आठ अंकीय वर्गीकरण कूट का विकास किया है। इसी तर्ज पर इस विधेयक को पारित करके उत्पाद शुल्क विभाग भी आठ अंकीय समरूप नामावली प्रणाली को स्वीकार करेगा।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने लोक सभा को श्रीनगर की घटना के बारे में जानकारी देनी थी। जब जीरो ऑवर के समय यह बात उठाई गई थी तब कहा गया था कि गृह मंत्री जी इसकी जानकारी देंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसे अभी नहीं अपराह्न 2.30 बजे लिया जाना निर्धारित है।

श्री पी.एस. गढ़वी: सीमा शुल्क विभाग द्वारा आठ अंकीय समरूप नामावली प्रणाली का पालन किये जाने से विशेषकर 'अन्य श्रेणी' के अंतर्गत आने वाले सामान के मामले में यह उद्योग विशेष के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए यह निश्चय ही उनके लिए मददगार होगी। उदाहरणार्थ ऐसे सामान के मामले में जिसका उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जाता है और जिसका आयात भी किया जाता है। इस प्रकार के सामान पर उत्पाद शुल्क का उतना भुगतान किया जाना चाहिए जितना कि उस वस्तु पर भारत में किया जाता है। तथापि, यदि उत्पाद शुल्क विभाग और सीमा शुल्क विभाग उसी वस्तु का वर्गीकरण अलग-अलग करते हैं तो दोनों शुल्क अलग हो सकते हैं। स्टेशन वैगन के वर्गीकरण के मामले में आटोमोबाइल उद्योग के समक्ष इस प्रकार की समस्याएं हैं।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री पी.एस. गढ़वी]

इसलिए वर्गीकरण की एक समान प्रणाली से इस प्रकार की समस्याएं हल हो जाएंगी और ऐसा 'वैट' के अंतर्गत शुल्क संबंधी त्रुटियों के लिए भी आवश्यक होगा।

इससे जैसा कि वित्त मंत्री द्वारा बताया गया है। लगभग 80,000 निर्धारिती राजकोष में एक लाख करोड़ रुपये का अंशदान करते हैं। यह ऐसी संख्या है जिसके लिए व्यवस्था की जा सकती है। यदि हम किसी क्रिकेट मैच के लिए 80,000 से अधिक लोगों को टिकट बेच सकते हैं तो हम ऐसे स्टेडियम की संभावना क्यों नहीं कर सकते जहां 80,000 लोगों के बैठने की जगह हो इस विधेयक के पारित होने से यह संभव हो जाएगा।

यह विधेयक स्वागत योग्य है। मैं यह विधेयक लाने के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के.एस. राव (एलूरू): मुझे यह जानकर खुशी है कि दूसरे पक्ष में बैठे हमारे एक साथी भी इस विधेयक को लाने के लिए वित्त मंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): वास्तव में, यह हम लोगों का विधेयक था।

श्री के.एस. राव: इस सद्भावना प्रदर्शन पर मुझे खुशी है।

मूलत: इस विधेयक का उद्देश्य है मदों की नामावली में एकरूपता लाना ताकि इसमें किसी प्रकार का भ्रम न रहे और न ही शुल्क का मूल्यांकन करने और सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क दोनों से राजस्व प्राप्त करने संबंधी कार्य में किसी प्रकार की वृद्धि होगी।

वित्त मंत्री के लिए यह अच्छा होगा कि वह इन सभी चीजों पर तत्काल विचार करे और जो भी अधिनियम अप्रचलित या अप्रासंगिक हो चुके हैं उन्हें निरसित करें। लेकिन मैं तो सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित करना चाहता था कि ऐसे बहुत से विधेयक हैं कि जो कई अन्य मंत्रालयों में भी अप्रचलित हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि अन्य मंत्रालय भी इससे सीख लें और वर्तमान परिस्थिति में अप्रचलित और अप्रासंगिक हो चुके विधेयकों को निरसित करें और ऐसे विधेयक लाएं जो मौजूदा समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

इस परिप्रेक्ष्य में, मैं गैट और डब्ल्यू.टी.ओ. जैसे समझौतों से संबंधित मुद्दों को वित्त मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और वैश्वीकरण लाने की दृष्टि से यह सच है कि अधिकांश विकसित देश चाहते हैं कि सभी विकासशील और अविकसित देश में आयात को स्वीकार किया जाए और वहां के शुल्क में कमी लायी जाए।

मुख्यत: प्रत्येक देश की अभिरुचि अपनी-अपनी हितों में होगी। वे अपने देश के हितों का त्याग नहीं कर पायेंगे। दूसरे देशों के हितों में उन्हें कोई अभिरुचि नहीं होती है। वे चाहते हैं कि मुक्त व्यापार को स्वीकार किया जाए या उनके उत्पाद पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क में कमी की जाए और ये सभी चीजें हमारे देश के लिए हितकर नहीं हैं। वे केवल अपने देश के हित के बारे में सोचते हैं। वे अपने देश के अधिशेष या विनिर्मित उत्पादों को बेचना चाहते हैं। वे वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार के नाम पर हमारे देश में लूट मचाना चाहते हैं। यह वित्त मंत्री का कर्त्तव्य है कि जहां भी यह हमारे देश के लिए प्रतिकूल हो वहां राष्ट्रहित की रक्षा करें।

'गैट' के तहत विकसित देशों की मंशा यह होती है कि हमारा देश या विकासशील देश आयात शुल्क को कम करे ताकि वे अपने उत्पादों को हमारे देश में लाकर बेच सकें। उनके पास परिवर्धित प्रौद्योगिकी होती है, उनकी मशीनरी भी अपनी ही होती है। उनके आदान अधिक होने के कारण उनका विनिर्माण लागत भी अधिक होता है। आदान क्या है? केवल श्रमशक्ति आदान होता है। यदि हमारी परिवर्धित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लागत लगभग 20,000 रु. प्रतिमाह है, उसी प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वहां लागत लगभग 4 लाख रु. प्रति माह आएगी। इसका अभिप्राय यह है कि अमेरीका में विनिर्माण में श्रमशक्ति आदान पर होने वाला व्यय यहां विनिर्माण में लगे श्रमशक्ति पर होने वाले व्यय से 20 गुणा अधिक होता है। एक मशीनरी आयात करने का अर्थ यह हुआ है कि वहां एक हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है और हमारे देश में 20,000 लोग बेरोजगार हो रहे हैं। विकसित देश मुक्त व्यापार की बातें कर रहे हैं। जब उनके हितों को धक्का लगता है तो वे ''डम्पिंग रोधी शुल्क'' नामक मुहावरा सृजित कर लेते हैं। जब अमेरीका को लगता है कि जापान से कार के अंधाधुंध आयात का उनके ऑटोमोबाइल उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है तो वे डम्पिंग रोधी शुल्क लगा देते हैं।

आज हमारे देश में, दूसरे दिन तक, हम झींगों का बहुतायात में निर्यात करते रहे हैं। यह उद्योग हमारे देश में व्यापक स्तर पर फल-फूल रहा है। अधिकांश तटवर्ती क्षेत्र, विशेषकर पूर्वतटीय और पश्चिम तटीय के हजारों किलोमीटर भूभाग से हजारों करोड़ रु. के झींगों का निर्यात हुआ करता था। आज उन्होंने किसी न किसी कारण से 'डम्पिंग रोधी शुल्क' लगा दिया है। वे हमारे उत्पाद को उतनी स्वतंत्रता से नहीं ले रहे हैं जितनी स्वतंत्रता से हम उनके उत्पादों को लेते हैं। इस पर भी ध्यान देना है। उन देशों से आयात करने में वित्त मंत्री को उदारता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है जो देश हमारे निर्यात को रोक रहे हैं।

वे उत्पादों या कच्चे माल के आयात और निर्यात पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश की सबसे बड़ी शक्ति यहां का मानव संसाधन है। यही हमारा धन भी है। हमारे पास विश्व की बहुत ही सक्षम, तेज, सुप्रशिक्षित एवं दक्ष श्रमशक्ति है। अमेरिका जाने के लिए वे हमारे लोगों पर प्रतिबंध क्यों लगाते हैं? उन्हें ऐसा क्यों कहना चाहिए कि केवल एक लाख या 60,000 लोग ही अमेरिका आ सकते हैं? जब वे चाहते हैं कि उनका उत्पाद यहां बिना शुल्क के निर्बाध रूप से आए तो वे हमारी श्रमशक्ति, जोकि हमारी शक्ति, संपदा या उत्पाद है, को निर्बाध रूप से अमेरीका जाने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं? इस पर प्रतिबंध क्यों है? कोई भी इस पहलू पर ध्यान नहीं दे रहा है। मुक्त व्यापार उदारीकरण और वैश्विकरण को स्वीकार करते समय यही सब बातें श्रमशक्ति पर भी लागू होनी चाहिए। वीजा देने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार और वित्त मंत्री उत्तरवर्ती चर्चा में इस बिन्दु पर भी विचार करें। वे कह सकते हैं कि हमारी शक्ति यह है, आपकी शक्ति वह है, मेरा श्रोत यह, आपका स्रोत वह है, मेरा संपदा यह है और तुम्हारा वह। जब मुक्त व्यापार चाहते हैं तो फिर हमारे लोगों को वहां जाने पर प्रतिबंध क्यों लगाते हैं? उन्हें भी वहां उदारतापूर्वक जाने दिया जाए। यदि वे वहां किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न करते हैं तो उन्हें वापस भेज दीजिए। जब हमारे लोग उनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद कर रहे हैं, वे अपनी देश की प्रतिभा वहां ले जाते हैं, फिर भी इस तरह की पाबंदी क्यों? मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे।

हमारा देश मूल रूप से कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के 75 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। हमारे देश के 60 प्रतिशत लोग कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर आश्रित हैं जबकि अमेरीका में मात्र दो या तीन प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र में हैं। कृषि को वे व्यापक राजसहायता देते हैं। यहां वे अपने कृषि उत्पादों का ढेर लगाना चाहता थे। यदि वे अपने कृषि उत्पादों का हमारे देश में ढेर लगा दें तो हमारे देश के कृषकों की दशा कैसी होगी। उनके उत्पादों का क्या होगा। इसी बीच, यदि सरकार अनाजों या दालों, या तिलहनों का तत्काल आयात करने की अनुमति दे देती है तो हमारे कृषकों के उत्पाद का मूल्य कम हो जाएगा जिससे उन्हें काफी हानि होगी। इन्हीं स्थितियों के कारण आत्महत्याएं हो रही हैं। कृषक आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इसका कारण यह है कि उन्हें अपने उत्पाद का उचित कीमत नहीं मिल रही है। उन्हें यदि उचित कीमत मिले तो संतुष्ट हो जाएंगे। उन्हें करोड़ रु. या बड़े-बड़े भवनों की लालसा नहीं है। इन सभी चीजों के बारे में तो वे कभी सोचते ही नहीं हैं। वे अपने उत्पाद का केवल उचित कीमत चाहते हैं। उन सभी उत्पादों के आयात की अनुमति, जिनका विनिर्माण ग्रामीण क्षेत्रों और लघु उद्योगों में किया जाता है, देते समय इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

जिस समय आप दालों, विनिर्मित वस्तुओं के आयात की अनुमति दे देते हैं उसी समय वे लोग अपंग हो जाते हैं। वे बेरोजगार हो जाते हैं। यह धन बेकार हो जाएगा। यह बैंक का अनुप्रयोज्य परिसम्पत्ति बन जाती है। किसी देश की संपत्ति क्या होती है? किसी देश की संपत्ति उस देश के लोगों की कड़ी मेहनत है जो वस्तु रूप में परिवर्तित होती है। हम किसी देश विशेष को धनी देश क्यों कहते हैं। इसका कारण होता है उस देश के भवन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यंत्र, सड़क आदि। इन सभी चीजों को ही संपदा कहा जाता है। मैं भी विनिर्माण कर सकता हूं। हमारे देश के लोग भी ये सभी चीजें कर सकते हैं। उन सभी वस्तुओं के आयात के लिए हमें उन देशों पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है। हमें जिस चीज की जरूरत है वह है प्रौद्योगिकी। हम प्रौद्योगिकी लेने के लिए तैयार हैं। यदि इस देश में अनुसंधान और विकास की कमी होती है, यदि मेरा देश और मेरी सरकार अनुसंधान और विकास को महत्व देती है और उसे संरक्षण प्रदान किया जाए तो विकास देश में तीव्र होगी। मैं प्रौद्योगिकी लेने के लिए तैयार हूं। हमारे लोगों को बेकार क्यों बनाया जाए। अत: प्रौद्योगिकी के आयात और उपस्कर के आयात या वस्तुओं के आयात के बीच व्याप्त भेदभाव पर सरकार को विचार करना चाहिए। अत: उन वस्तुओं के सीमा शुल्क निर्धारित करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए जिनका हमारे देश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बराबर अवसर नहीं है। चीन का उदाहरण लें। यदि हम चीन से वस्तुओं की अंधाधुंध आयात की अनुमति देते हैं तो हमारी देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। वे कतिपय वस्तुओं का निर्माण सस्ती दर पर करते हैं और उनका प्रचार-प्रसार संबंधी लागत भी सस्ती है।

पिछले दिनों मैं दुबई गया था। वे चाहते थे कि मैं जाऊं और उनका भारी मशीनरी वस्तु देखूं। उस भारी मशीन के चालक एक स्नातकोत्तर था। वह अशिक्षित नहीं था। वह कोई साधारण स्नातक नहीं था, वह इंजीनियरी स्नातक नहीं था। वह स्नातकोत्तर था। अत: मंत्री महोदय से आग्रह यह है कि हमें अपने देश के लोगों की दक्षता बेहतर बनाने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। यदि इस देश के लोगों की दक्षता बेहतर कर ली जाए तो वस्तु विनिर्माण की लागत स्वत: कम हो जाएगी। तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा का सामना कर सकेंगे। किंतु इस पर बल नहीं दिया जा रहा है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री यह सुनिश्चित करें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अधिक आवंटन किया जाए। हमें शिक्षा का प्रकार बदलना चाहिए और ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जोकि देश की मौजूदा आवश्यकता को पूरी करे। इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि किसी को डिग्रीधारी

[श्री के.एस. राव]

अथवा स्नातकोत्तर इंजीनियर, डाक्टर और यह सब होना चाहिए। जिस समय एक छात्र दसवीं पास करता है, उसे इतना विश्वास होना चाहिए कि वह आत्मनिर्भर हो सकता है। उसे सरकार के भरोसे परजीवी नहीं होना चाहिए, उसे माता-पिता पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। उसे भरोसा होना चाहिए कि वह सरकारी संसाधनों को निरर्थक नहीं होने देंगे। इस तरह का विश्वास उन छात्रों में नहीं है जो हमारे प्रौद्योगिकी संस्थानों से निकल रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं और सरकार की इस विधेयक को लाने और उन सभी अधिनियमों जो अप्रसांगिक तथा अप्रचलित हैं के निरसन के लिए सरकार की प्रशंसा करता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री उन विषयों पर ध्यान दें जो इस देश और इस देश के लोगों को प्रभावित करते हैं। इसके लिए विभिन्न उत्पादों विशेषकर उत्पादों जिनका विनिर्माण कृषकों और लघु उद्योगों द्वारा किया जाता है पर सीमा शुल्क घटाना चाहिए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 2004 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

जैसाकि ठीक ही कहा गया है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 में दो अनुसूचियां शामिल हैं और इस समय ये अनुसूचियां नामावली की समरूप प्रणाली के अनुरूप 6 अंकों के वर्गीकरण कूट पर आधारित है। राजस्व विभाग ने अब भारत में उत्पाद कर योग्य वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए नामावली की समरूप प्रणाली पर आधारित अंकों का वर्गीकरण विकसित किया है। डीजीएफटी (विदेश व्यापार महानिदेशालय) और डीजीसीआईएस (वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय) ने आयात व्यापार नियंत्रण नीति और सांख्यिकी के संग्रह के उद्देश्य से 8 अंकों वाले वर्गीकरण को पहले ही स्वीकार कर चुका है।

इस विधेयक के अधिनियम के पश्चात् सामन्य रूप से कारोबार लागत और वर्गीकरण विवाद में कमी आएगी तथा व्यापार सुगम होगा। राजग सरकार द्वारा पहले संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था किंतु 13वीं लोक सभा के विघटन के साथ यह व्यपगत हो गया। वास्तव में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्रयोग की जा रही 8 अंकों की वस्तु वर्गीकरण प्रणाली को फरवरी, 2003 में अपना लिया था। अभी तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 6 अंकों का वर्गीकरण अपना रहा है। यह वस्तुओं के वर्गीकरण के एचएसएन प्रणाली पर आधारित है। किंतु वह भिन्न है। अंतर भलीभांति विदित है। सीईजीएटी ने एक मामले में फैसला दिया था कि सीमाशुल्क के अंतर्गत वर्गीकरण को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत लागू नहीं किया जा सकता।

इसलिए, व्यवहार में विनिर्माताओं को केन्द्रीय उत्पाद के लिए काउंटरवेलिंग (प्रत्युपयोग) शुल्क के लिए आयातकों और ड्यूटी ड्राबैक के लिए निर्यातकों द्वारा अपनाये जा रहे कूट से भिन्न कूट अपनाना पड़ता है। इससे, विशेषकर 'अन्य' वर्गीकरण में आने वाली वस्तुओं के मामले में विवाद उत्पन्न होता है। इससे किसी विशेष उद्योग को हानि भी हो सकती है।

उदाहरण के लिए, उन वस्तुओं को लीजिए जिनका उत्पादन स्थानीय तौर पर होता है और उनका आयात भी किया जाता है। ऐसी वस्तुओं के आयात पर उतना ही काउंटरवेलिंग शुल्क लगाना चाहिए जितना कि भारत में उसी वस्तु के विनिर्माण के लिए विनिर्माता को उत्पाद शुल्क चुकाना पड़ता है। किंतु एक ही वस्तु को अलग-अलग ढंग से वर्गीकृत करके उत्पाद और सीमा शुल्क अलग-अलग हो सकता है। स्टेशन वैगनों के वर्गीकरण से आटोमोबाइल उद्योगों में इसी तरह की समस्या थी।

वर्गीकरण की एकसमान प्रणाली इस तरह की समस्याओं पर ध्यान देती है और यह वैट के अंतर्गत 'ड्यूटी ड्राबैक' के लिए अनिवार्य है। यह विशिष्ट आंकड़ों के संग्रहण और उसके इलैक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग को सुगम बनाएगा। किंतु उससे पहले हमें व्यावहारिक वर्गीकरण की व्यवस्था करनी होगी जोकि एचएसएन का अन्धानुकरण नहीं करे बल्कि हमारी विशेषताओं का ध्यान रखे। कस्टम और एक्जिम नीति के लिए विद्यमान आठ अंकों के वर्गीकरण छूट के अनुरूप यह छूट बहुत हद तक विभिन्न वर्गीकरण की विविधता के कारण उत्पन्न समस्याओं को दूर करेगा और इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग को सुगम बनाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री महताब, कृपया एक मिनट। ढाई बज चुके हैं। अब गृह मंत्री को वक्तव्य देने दें। आप उनका वक्तव्य समाप्त होने के पश्चात् अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 2.30 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सी आर पी एफ कैंप पर आतंकवादी फियादीन हमला

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यानि, 3.12.2004 को 0630 बजे दो सशस्त्र कश्मीरी उग्रवादी फियादीन सोपोर, जिला बारामूला (जम्मू

एवं कश्मीर) में 16 बटालियन के कंपनी मुख्यालय में जबरन घुस गए। फियादीनों ने संतरी पर ग्रेनेड फेंके और गोलियां चलाईं। जिसके कारण संतरी की तत्काल मृत्यु हो गई। फियादीन ने मारे गए संतरी की एल एम जी भी हथिया ली और वे बिल्डिंग में घुस गए। यह बिल्डिंग एक तीन मंजिला पक्की बिल्डिंग है जिसमें जम्मू और कश्मीर पुलिस के स्पेशल आपरेशन ग्रुप का कार्यालय भी स्थित है।

फियादीन द्वारा की गई लगातार गोलीबारी में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक हैड कांस्टेबल और तीन कांस्टेबलों तथा एक नाई सहित पांच कार्मिक मारे गए और एक कांस्टेबल घायल हो गया।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, दोनों फियादीन अभी भी जीवित हैं और उन्हें निष्प्रभावी करने का अभियान अभी चल रहा है। फियादीनों का सफाया करने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल राष्ट्रीय राइफल्स के साथ मिलकर अभियान चला रहा है। इस बिल्डिंग को घेर लिया गया है और वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं।

आगे और रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।

अपराह्न 2.31 बजे

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 2004—*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री महताब, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): इस विधेयक के अधिनियमन के मुख्य उद्देश्य सीमा शुल्क द्वारा अनुपालित कोड के समान उत्पाद शुल्क संहिता बनाना है। उससे विशेष महत्व की वस्तुओं से संबंधित विशिष्ट डाटा को एकत्रित करने में मदद मिलेगी।

विधेयक के अंतर्गत माप की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक इकाइयों को अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव है। मैं समझता हूं, जैसाकि कहा गया है, कि बहुत सारे मामले लंबित हैं और केन्द्रीय उत्पाद मामलों से संबंधित रिपोर्ट से पता चलता कि सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 1777 मामले और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 4879 मामले लंबित हैं। इनमें 4000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि संलिप्त है। इसी तरह 31 मार्च, 2004 तक केन्द्रीय उत्पाद के रूप में 12,583 करोड़ रुपये बकाया थे जो कि वस्तुत: अनंतिम है और पिछले वर्ष यह बकाया 11,500 करोड़ रुपये था।

निश्चय ही, इस अधिनियम का एक विशिष्ट उद्देश्य है किंतु हम माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहेंगे कि क्या यह विभिन्न न्यायालयों के मुकद्दमों की संख्या कम करने और देनदारों से बकाया शीघ्र वसूल करने में सहायक होगा।

अंत में, मैं कहूंगा कि मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): श्रीमान् यह एक बहुत बड़ा विधेयक लगता है और उसका मुख्य उद्देश्य छह अंकीय प्रणाली से आठ अंकीय प्रणाली की ओर रूपांतरण है ताकि अंतर्राष्ट्रीय आयात दर में सुविधा हो सके। यह विधेयक उसी उद्देश्य के लिए लाया गया है।

राजस्व विभाग बड़ी देर से आठ-अंकीय प्रणाली अपनाने की मांग कर रहा था। मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं किंतु साथ ही हमें कराधान के संबंध में भी गंभीरतापूर्वक सोचना होगा विशेषकर उस समय जब हम राज्यों में मूल्य संवर्धक कर प्रणाली (वैट) को लागू करने वाले हैं। उसके लागू होने पर राज्यों के संसाधन काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। जहां तक राज्यों का संबंध है, उनकी आय मुख्यत: बिक्री कर से होती है। केरल राज्य में राजस्व का 40% से भी अधिक बिक्री कर से आता है। जब उसे वैट के अधीन लाया जाएगा, राज्य को बहुत अधिक हानि होगी। खजाना काफी कम हो जाएगा और हम राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन भी अदा नहीं कर पाएंगे।

यह स्थिति है। यह सच है कि केन्द्र कुछ नए सुझावों या कुछ क्षतिपूर्ति के साथ राज्यों को मदद कर सकता है। किंतु क्षतिपूर्ति दीर्घकाल तक नहीं चल सकती। केन्द्र राज्यों का वित्तपोषण सदैव नहीं कर सकता। इसलिए मुख्य प्रश्न कर प्रणाली में परिवर्तन है। इस समय केन्द्र द्वारा संग्रहीत कुछ उत्पाद शुल्क की मदें राज्यों को अंतरित कर देनी चाहिए और राज्य भी निश्चित रूप से बिक्री कर से वैट की ओर रूपांतरण के लिए राज्यों के पास छोड़े जाने वाली मदों के लिए सरकार को सूचित करेंगे।

अभी केन्द्र सरकार ट्यूटोरियल (शिक्षकीय) कॉलेज चलाने के लिए भी सेवा कर एकत्र कर रही है। ऐसी मदें राज्यों को दी जा सकती हैं। ऐसी बहुत सारी मदें हैं जो इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र में आती हैं लेकिन वह राज्यों को अंतरित की जा सकती हैं। नहीं तो राज्यों की वित्तीय स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए यह उचित समय है कि केन्द्र सरकार संपूर्ण कर संरचना विशेष तौर पर केन्द्रीय उत्पाद को बदलने पर पुनर्विचार करे। परिवर्तन के बिना राज्य सरकारें आगे नहीं चल पाएंगी। मैं समझता हूं कि हमारे

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

माननीय वित्त मंत्री इस सच्चाई की जानते हैं और उन्होंने संबंधित राज्यों के वित्त मंत्रियों से कई बार चर्चा की थी। मुझे आशा है कि उन्होंने राज्यों के समक्ष कर-संग्रहण के लिए कुछ सुझाव रखे होंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि केन्द्र आर्थिक रूप से कमजोर हो। लेकिन साथ ही कुछ ऐसी मदें हैं जिन पर राज्य प्रभावी ढंग से कर संग्रहण कर सकते हैं। इस समय केन्द्र सरकार उन संसाधनों का पूर्णतया उपयोग हीं कर पा रही है। अगर उन्हें राज्य सरकारों को अंतरित कर दिया जाए तो वह कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से कर संग्रहित कर सकेंगी।

साथ ही कुछ नीतियां राज्यों के हितों के विरुद्ध जाती हैं। उदाहरणार्थ, मैं केरल में पाम ऑयल पर लिए जाने वाले उत्पाद शुल्क को रखूंगा। पाम ऑयल मलेशिया और अन्य देशों से आयात किया जाता है और हम हर बार आयात शुल्क लगाते हैं। आज-कल, केन्द्र सरकार की नीति पॉम ऑयल पर आयात शुल्क या प्रशुल्कों को कम करने की है। नतीजा यह है कि केरल में नारियल की खेती करने वाले किसान मुसीबत में पड़ गए हैं। पाम आयल के इस अनियंत्रित आयात और प्रतिवर्ष आयात शुल्क के कम होते जाने से कोपरा और नारियल के तेल के नारियल उत्पादक संकट का सामना कर रहे हैं। केरल में लाखों नारियल उत्पादक मुसीबत में हैं और कुछ तो आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। किसानों के द्वारा आत्महत्या तो अब रोज की बात हो गई है। इसलिए सही समय आ गया है कि केन्द्र सरकार कुछ मदों पर उत्पाद शुल्क लगाने के प्रश्न पर पुनर्विचार करें। ऐसी बहुत सारी मदें हैं जिन्हें केन्द्र व राज्य सरकारें बराबर-बराबर बांट सकती हैं।

अब पेय पदार्थों, सिरका, तंबाकू, तंबाकू विकल्प जैसे निर्मित खाद्य पदार्थों पर लगे कर केन्द्र सरकार संग्रहित कर रही है बिक्रीकर हटा दिये जाने की स्थिति में अभी आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए उनमें से कुछ मदें राज्य सरकारों को अंतरित की जा सकती हैं।

फिर मैं पत्थर जैसे प्लास्टर, सीमेंट, एस्बेसटोस शीट्स, अभ्रक और ऐसे ही अन्य पदार्थों की बात करूंगा। अब सीमेंट पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। आपको यह देख कर हैरानी होगी कि निश्चित कीमत पर बाजार से खरीदा गया सीमेंट का एक थैला अगले दिन 10 या 15 प्रतिशत महंगा हो जाता है।

उससे रियायतें कम होती हैं। सीमेंट की कीमत में कमी की नीति के चलते एमपीएलएडी के अंतर्गत योजनाएं भी कार्यान्वित नहीं हो पाती। यह स्थिति केरल राज्य में है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं—क्योंकि वह इस मामले में निर्णय लेने में सक्षम हैं कि वह केन्द्र और राज्यों के बीच करों के विभाजन के प्रश्न पर विचार करें। मुझे आशा है कि सरकार वर्तमान प्रशुल्क और उत्पाद शुल्क ढांचे के नवीकरण हेतु इस सदन के समक्ष सुझाव रखेगी। सभी पहलुओं पर विचार करके करों के संग्रहण में एक संघीय रुख ग्रहण करना चाहिए ताकि हमारी संघीय प्रणाली मजबूत हो सके।

श्रीमान्, इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, इस विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं सभा के सभी दलों के सदस्यों का आभारी हूं।

इस विधेयक का उद्देश्य अत्यंत सीमित है। सीमा शुल्क के मामले में हमारे पास पहले से ही आठ अंकीय वर्गीकरण है। इसलिए यह आवश्यक है कि उत्पाद शुल्क के मामले में भी हम उसी आठ अंकीय वर्गीकरण को अपनाएं। हमने देखा है कि आठ अंकीय वर्गीकरण से किसी उत्पाद विशेष को उस शीर्ष के अंतर्गत जिसमें वह आता है, रखने में व्यापार और राजस्व विभाग के लिए सुविधाजनक होता है। इससे विवाद के मामलों की संख्या बहुत कम हो जाती है। इससे पारदर्शिता आती है और विवाद की संख्या में कमी आती है। इससे व्यापार सुगम होगा। महोदय, माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को जो समर्थन दिया उसके लिए मैं उनका आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी इस प्रकार का सहयोग मिलेगा।

महोदय, अन्य करों के मामलों में भी कुछ टिप्पणियां की गई थीं। यद्यपि, वे इस विधेयक से सीधे संबंधित नहीं हैं लेकिन मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि मूल्य संवर्धित कर (वैट) वह कानून है जो बिक्री कर का स्थान लेगा। 'वैट' का उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क से कुछ लेना-देना नहीं है। सभी राज्य इस बात पर सहमत हो गये हैं कि वैट लागू कर दिया जाए। माननीय सदस्य श्री राधाकृष्णन यह जानकर प्रसन्न होंगे कि 'वैट' आन्दोलन को पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए यह ऐसा मामला है जिस पर व्यापक सहमति है। हमें इस सभा में कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे यह सहमति भंग हो। सभी राज्य इस बात पर सहमत हो गए हैं कि 'वैट' लागू किया जाए। मैंने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ अनेक बार बातें की हैं और हमें विश्वास है कि मिलकर कार्य करने से हम 1 अप्रैल, 2005 से 'वैट' लागू कर सकते हैं। कृपया यह भय न रखें कि 'वैट' से राजस्व की हानि होगी। हरियाणा जो कि एक छोटा लेकिन कराधान के मामले में बहुत प्रगतिशील है, ने दो वर्ष पहले 'वैट' लागू कर दिया था। उनके अनुभव क्या हैं? उनका अनुभव है कि गत वर्ष 'वैट' के माध्यम से आय में 20 प्रतिशत वृद्धि

हुई है। मैंने कहा है कि कोई हानि होने पर केन्द्र सरकार एक सूत्र के अनुसार क्षतिपूर्ति देगी। अत: मेरा मानना है कि हमें कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए जिससे इसमें बाधा पड़े। केरल सहित सभी राज्यों में इस बात पर व्यापक सहमति है कि 'वैट' 1 अप्रैल 2005 से लागू किया जाना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्य ने इसके बारे में उल्लेख किया क्योंकि इससे मुझे सभा में सभी दलों के लोगों से इस मुद्दे पर सहयोग की अपील करने का अवसर मिला। व्यापक कर सुधार हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। ऐसा प्रयास सरकार द्वारा किये गये थे। उन्होंने इस प्रक्रिया को कुछ आगे बढ़ाया था लेकिन उसी समय सरकार बदल गयी। मैं इस मामले को आगे बढ़ाना चाहता हूं और चाहता हूं कि यह कार्य 1 अप्रैल, 2005 तक पूरा हो जाए। इस विधेयक से हमारे व्यापार को सुधारने में मदद मिलेगी। हमारा निर्यात 25 प्रतिशत बढ़ रहा है। श्री राव ने उल्लेख किया कि अन्य देश हमारे उत्पाद नहीं ले रहे हैं। लेकिन यह बात सही नहीं है। इस वर्ष हमारा निर्यात डालर के हिसाब से 25 प्रतिशत बढ़ रहा है। इसलिए, इस विधेयक से व्यापार और राजस्व की दिशा में मदद मिलेगी और विवाद को हल करने में भी मदद मिलेगी। मेरे विचार से इससे राजस्व में वृद्धि भी होगी।

महोदय, मेरे पास कुछ संशोधन हैं जिन्हें मैं बाद में प्रस्तुत करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, सभा इस विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

खण्ड 2 नई धारा 5 का अंत:स्थापन

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूचियों का प्रतिस्थापन

किए गए संशोधन–

पृष्ट 380,–

(एक) पंक्ति 27, 16% के स्थान पर "8%" प्रतिस्थापित किया जाए।

पृष्ठ 381,–

(दो) पंक्ति 8, "नहीं" के स्थान पर "8%" प्रतिस्थापित किया जाए।

(तीन) पंक्ति 9, "नहीं" के स्थान पर "8%" प्रतिस्थापित किया जाए।

(चार) पंक्ति 18, "16%" के स्थान पर "8%" प्रतिस्थापित किया जाए।

(पांच) पंक्ति 19, "16%" के स्थान पर "8%" प्रतिस्थापित किया जाए।

(छह) पंक्ति 22, "नहीं" के स्थान पर "8%" प्रतिस्थापित किया जाए।

(सात) पंक्ति 23, "नहीं" के स्थान पर "8%" प्रतिस्थापित किया जाए।

(आठ) पंक्ति 30, "16%" के स्थान पर "8%" प्रतिस्थापित किया जाए।

(नौ) पंक्ति 32, "नहीं" के स्थान पर "8%" प्रतिस्थापित किया जाए।

पृष्ठ 382,–

(दस) पंक्ति 3, "नहीं" के स्थान पर "8%" प्रतिस्थापित किया जाए।

(ग्यारह) पंक्ति 4, "नहीं" के स्थान पर "8%" प्रतिस्थापित किया जाए।

(बारह) पंक्ति 5, "नहीं" के स्थान पर "8%" प्रतिस्थापित किया जाए।

पृष्ठ 553,–

पंक्ति 13 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,–

''10. इस अनुभाग के उत्पादों के संबंध में, किसी छड़, तार या किसी अन्य वैसी ही वस्तु को तार में कर्षण या पुन:कर्षण की प्रक्रिया ''विनिर्माण'' की कोटि में आएगी।''

पृष्ठ 799–

(एक) पंक्ति 31, ''नहीं'' के स्थान पर ''8%'' प्रतिस्थापित किया जाए।

(दो) पंक्ति 33, ''नहीं'' के स्थान पर ''8%'' प्रतिस्थापित किया जाए।

(तीन) पंक्ति 34, ''नहीं'' के स्थान पर ''8%'' प्रतिस्थापित किया जाए।

पृष्ठ 800,–

(चार) पंक्ति 2, ''नहीं'' के स्थान पर ''8%'' प्रतिस्थापित किया जाए।

पृष्ठ 836, पंक्ति 18,–

''नहीं'' के स्थान पर ''8%'' प्रतिस्थापित किया जाए।

(श्री पी. चिदम्बरम)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 3, यथासंशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, यथासंशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक, यथासंशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक, यथासंशोधित रूप में पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.49 बजे

आतंकवाद निवारण (निरसन) अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और आतंकवाद निवारण (निरसन) विधेयक, 2004

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2004

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा 18 से 21 तक की मद संख्याओं को एक साथ लेगी।

[हिन्दी]

केवल मूव करें।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): मैं मूव नहीं कर रहा हूं, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको बाद में भी बोलना है, इसलिए कह रहा हूं।

श्री रामजीलाल सुमन: मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निरनुमोदन नहीं अनुमोदन करना चाहता हूं और इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि इस पोटा कानून को समाप्त करने के लिए सरकार जो अध्यादेश लाई है, समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करती है। समाजवादी पार्टी ही पोटा जैसे कानून की मुखर विरोधी रही है। जब इस तरफ के लोग इस पोटा कानून को बनाने के लिए उतावले थे, उस समय भी हमारा कहना यह था ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार (बरेली): यह आप बाद में बोलें।

श्री रामजीलाल सुमन: बाद में क्यों बोलूं। अब मैं आपके कहने से बाद में नहीं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: एक्सैप्शंस सब जगह हैं।

श्री रामजीलाल सुमन: मैं संक्षेप में बता रहा हूं कि जब श्री संतोष गंगवार और उनके साथी यह पोटा कानून बनाने के लिए बहुत उतावले थे, उस समय भी समाजवादी पार्टी का यह मानना था, क्योंकि टाडा का तजुर्बा हमारे सामने था। टाडा कानून का बेतहाशा दुरुपयोग हुआ था। लिहाजा इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पोटा कानून बनने के बावजूद या तो अक्लियतों के खिलाफ इसका इस्तेमाल होगा, और राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जो शंका थी, वह शंका सही साबित हुई। मकसद था कि पोटा कानून बनाने के बाद देश में जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, उन पर हम विराम और अंकुश लगाएंगे, लेकिन झारखंड में पोटा का दुरुपयोग हुआ। आदिवासी बच्चों और महिलाओं के खिलाफ, गुजरात में पोटा का दुरुपयोग हुआ। अकलियत के खिलाफ और उत्तर प्रदेश में राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल हुआ। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम इसका अनुमोदन करते हैं और यह अनौपचारिक प्रस्ताव है। इस सवाल पर हम सरकार के साथ हैं। मैं इसे प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री जी विधेयक के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रस्ताव तो पढ़ा ही नहीं है, फिर मंत्री जी कैसे बोल सकते हैं। इनसे कहें कि पहले प्रस्ताव तो पढ़ें।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि हम लोगों की मंशा इसका अनुमोदन करने की है, परंतु प्रस्ताव पढ़ना एक औपचारिकता है, माननीय सदस्य इसकी शब्दावली भी पढ़ दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, आपको संकल्प प्रस्तुत करना है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

'कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 सितम्बर, 2004 को प्रख्यापित आतंकवाद निवारण (निरसन) अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।''

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं*:

''कि आतंकवाद विवरण अधिनियम, 2002, के निरसन के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।''

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 सितम्बर, 2004 को प्रख्यापित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।''

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं*:

''कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, में और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।''

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'': उपाध्यक्ष महोदय, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2004 इस सदन में विचार करने के लिए लाया गया है। इसके पहले पूर्व की जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, वह वर्ष 2001 में प्रिवैन्शन ऑफ टैररिज्म ऑर्डिनेन्स लाई और उसके बाद 2002 में उसे दोनों सदनों की संयुक्त स्वीकृति मिली और उसने कानून का रूप लिया। जब एनडीए सरकार ने इस कानून को रोकने का फैसला किया, उस समय पूरे देश में आतंकवाद सिर उठाकर चारों तरफ देख रहा था और यहां तक उसकी पराकाष्ठा थी कि संसद पर भी हमला हुआ था, लेकिन

अपराह्न 2.53 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

जब एनडीए की सरकार इस कानून को लाई तो आज की कांग्रेस पार्टी जो उस समय विपक्ष में थी और आज यूपीए सरकार का नेतृत्व कर रही है, इस सरकार ने खुलकर उस कानून का विरोध

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन']

किया। आज जब यह कांग्रेस पार्टी सरकार में आई तो शायद इनको लगा कि इसकी आवश्यकता अभी भी देश को है और इसकी आवश्यकता देश को है। लेकिन चूंकि उन्होंने उस समय इसका विरोध किया था, तो उसके जस्टिफाई करने के लिए पुराने पोटा कानून को खत्म करके नया कानून अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवैन्शन बिल, 2004 लाई है।

सभापति महोदय, हालांकि इस कानून की आवश्यकता थी, क्योंकि यू.एन.ओ. ने भी अपने प्रस्ताव के जरिए, विभिन्न देशों से, विभिन्न राष्ट्रों से अनुरोध किया है कि अपने-अपने देश में ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे आतंकवादियों पर काबू पाया जा सके और आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके, लेकिन उस समय की सरकार ने इसका विरोध किया। आज उसके जस्टीफिकेशन के लिए यह कानून लाया गया है। यह कानून अनलॉफुल एक्टीविटीज प्रिवेंशन एक्ट, 1967 में मामूली सुधार के लिए अध्यादेश के माध्यम से लाया गया है।

महोदय, जो 1967 का ओरिजनल एक्ट है, उसमें संशोधन कर के यह क्लॉज जोड़ा जा रहा है कि पुलिस ऑफीसर के सामने जो स्वीकृति बयान होता है, उसे आधार नहीं बनाया जाएगा। फोन टेपिंग के मामले में भी कुछ संशोधन किया गया है। इसी प्रकार जो एक वर्ष की नजरबन्दी का अधिकार था, उसमें भी कुछ संशोधन किया गया है और उन्हें जमानत पाने का हकदार बना दिया गया है।

महोदय, आज पूरे देश में जो स्थिति है, वह ठीक नहीं है। पूरे देश में आतंकवाद व्याप्त है, चाहे वह जम्मू-कश्मीर का भाग हो, चाहे पूर्वोत्तर राज्यों के हिस्से हों। आज पूरे देश में, चारों तरफ हमारे जो बार्डर्स हैं, पड़ोसी देशों के साथ जो हमारी सीमाएं हैं, वहां आतंकवाद सिर उठा रहा है। ऐसी स्थिति में इस कानून को खत्म कर के, सीधा नया कानून बनाना ठीक नहीं है। इससे आतंकवादियों को प्रोत्साहन मिलेगा, आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोत्तरी होगी और आतंकवादी गतिविधियों को रोकना मुश्किल हो जाएगा।

महोदय, आज आतंकवाद से निपटने की आवश्यकता है। यह राष्ट्रहित का सवाल है। इस सवाल पर पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। पूर्व के अहसास को, अपनी गलतियों को दुरुस्त कर के उसमें जो संशोधन लाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके उसे खत्म किया जा रहा है और एक नया कानून लाया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि पूरे देश में आतंकवादी गतिविधियों पर जो अंकुश लगा था, काबू पाया जा रहा था, पूर्व सरकार ने उन पर जो नियंत्रण पाया था, वह नियंत्रण खत्म होगा। अब वे लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ने का काम करेंगे और आतंकवादी संगठन फिर से सिर उठाने लगेंगे।

महोदय, आज देश को, आतंकवाद से निपटने के लिए एक प्रभावी कानून की आवश्यकता है। एक ऐसे छिद्र-विहीन कानून की आवश्यकता है, जो आतंकवाद पर काबू पा सके, लेकिन हमारे वर्तमान कानून में इतनी पेचीदगियां हैं, जिनका फायदा उठाकर लोग, साधारण कानून के तहत लाभ उठा लेते हैं और निकल जाते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। हमारे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में खामी है। उसमें भ्रष्टाचार और पक्षपात मौजूद है। इन खामियों का फायदा उठाकर आतंकवादी लोग छूट जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आतंकवादियों से निपटने के लिए सख्त से सख्त कानून की आवश्यकता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने पोटा के रूप में ऐसा ही कानून बनाया था, जिसे आज हम खत्म करने का काम कर रहे हैं। जो संशोधन सदन में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे देश में ऐसी परिस्थिति बनेगी जिससे आतंकवादी संगठन सिर उठाने लगेंगे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस समय वर्तमान सरकार विपक्ष में थी, इसलिए उसने इसका विरोध किया। उस समय चूंकि आप विपक्ष में थे, इसलिए आपका कर्त्तव्य था और आपने उसका विरोध किया, लेकिन देश हित में, राष्ट्र हित में कानून को लाया गया था। इसलिए यह सरकार भी इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल न बनाए। इस कानून को वापस ले ले और फिर से पोटा का कानून लाए। पोटा के पुराने कानून को लाते समय, उसमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। उसका कोई राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अभी जैसी श्री रामजीलाल सुमन ने चर्चा की, पुराने कानून में जो कमियां हैं, उन्हें दूर करके, देश में आतंकवाद पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आज देश-हित में, राष्ट्र-हित में अपनी प्रतिष्ठा को सवाल न बनाकर, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर पोटा के कानून को साधारण संशोधनों के साथ फिर से इस सदन में लाइए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए:

"कि यह सदन राष्ट्रपति द्वारा 21 सितंबर 2004 को प्रख्यापित आतंकवाद निवारण (निरसन) अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करता है।"

"कि आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002, के निरसन के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि यह सदन राष्ट्रपति द्वारा 21 सितंबर 2004 को प्रख्यापित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करता है।"

''कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

अपराह्न 3.00 बजे

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और इसलिए करता हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने टाडा लागू किया था। जब टाडा लागू किया तो पोटा हटाने का काम कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, यह ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के एक नहीं, दो-दो नेता प्रधानमंत्री बने और आतंकवाद के शिकार हुए। मैं सोनिया गांधी जी का आदर करता हूं, लेकिन उनकी पहचान यह है कि वह गांधी परिवार की बहू हैं। आज कम से कम उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए और यह जो इतनी जल्दबाजी दिखा रहे हैं, यह ठीक नहीं है। ऐसी क्या मजबूरी है कि पोटा हटाना जरूरी है? मैं आपकी अनुमति से जागरण समाचार-पत्र में से कुछ पढ़ना चाहूंगा। इसमें खबर छपी कि पांच सांसदों ने पोटा खत्म करने की सलाह दी। मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत आदर करता हूं। उन्हें मैंने हमेशा अपने बड़े भाई के रूप में माना है और मानूंगा, लेकिन यह समाचार पढ़ कर मुझे बहुत दुख हुआ। इसमें लिखा है कि भारत, पाकिस्तान के आपसी संबंध इतने करीबी नहीं हो पाए हैं कि वे भारत के अंदरूनी मामलों पर सरकार को सलाह देने लगें। लेकिन बुधवार को कुछ ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान के संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पोटा कानून को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की। आश्चर्यजनक बात यह थी कि गृह मंत्री, श्री पाटील जी को दखल के इस प्रयास पर कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। इस समाचार को पढ़ कर मुझे बहुत दर्द हुआ। पाकिस्तान से संबंध अच्छे करिए, इसमें आपत्ति नहीं है। अटल जी तो स्वयं सांसदों के साथ बस में बैठ कर पाकिस्तान गए थे, लेकिन पाकिस्तान के सांसद आकर एक इशारा करें और उस इशारे पर अगर हमारी सरकार चलती है तो यह बहुत गलत बात है।

सभापति महोदय, पोटा कानून इसलिए लाया गया कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, उसने जो प्रस्ताव 1373 पारित किया कि आतंकवाद के खिलाफ सब देशों को इस तरह के कानून बनाने चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, गुलाम नबी आजाद जी यहां बैठे हैं, यह वही सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र है, जिसकी वजह से आज कश्मीर भारत का अंग है। अगर संयुक्त राष्ट्र में उस समय प्रस्ताव पारित नहीं हुआ होता तो आज काश्मीर भारत का अंग नहीं होता और उसी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को आपने गंभीरता से नहीं लिया, इस पर हमें बहुत आपत्ति है।

यह कहा जा रहा है कि पोटा लाने के पीछे राजनीतिक उद्देश्य था, ऐसा नहीं है। यह जब लाया गया था तब चुनाव नहीं हो रहे थे। एक चुनी हुई एनडीए की सरकार अटल जी के नेतृत्व में बैठी हुई थी और देश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर देश के अंदर जो खतरे थे, उन्हें लेकर जब हम उनके आतंकवादी अड्डों को नष्ट कर रहे थे तो स्वाभाविक था कि उधर से भी कार्यवाही होती। हमारी संसद तक पर हमला हुआ और इसीलिए पोटा का कानून लाया गया था, लेकिन आज इस पोटा के कानून को आप जो बदले हैं इसके पीछे जरूर राजनीतिक उद्देश्य है क्योंकि चुनाव के पहले आपने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो पोटा का कानून बदलेंगे। इसलिए राजनीतिक उद्देश्य आपका है, एनडीए सरकार का नहीं था। एक बात यह कही जाती है कि पोटा का कानून केवल मुसलमानों के खिलाफ था, ऐसा नहीं था। क्या वाइको मुसलमान थे, वे पोटा में बंद हुए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी): श्री वाइको को तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ उनके संबंधों के कारण गिरफ्तार किया गया था ...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह: श्री वाइको एनडीए सरकार का समर्थन कर रहे थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया था? उन्हें एनडीए का समर्थन करने के कारण गिरफ्तार किया गया था और वह उन्होंने उनको कोई समर्थन नहीं दिया।

श्री लक्ष्मण सिंह: मुझे अपना भाषण पूरा करने दें। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दखलंदाजी नहीं की।

[हिन्दी]

उन्होंने उस समय वाइको जी का समर्थन नहीं किया, क्योंकि एन.डी.ए. सरकार का कोई राजनैतिक उद्देश्य नहीं था, इसलिए जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इस भ्रम से हमें उभरकर आना चाहिए। आज पोटा कानून को ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: तमिलनाडु के लोगों ने एन.डी.ए. को सजा क्यों दी?

श्री लक्ष्मण सिंह: मैं तमिलनाडु के बारे में भी बात करूंगा। मेरे पास काफी ब्यौरे हैं। मुझे अपना भाषण पूरा करने दें।

सभापति महोदय: श्री लक्ष्मण सिंह के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: पोटा कानून से राज्य सरकारों को कितनी मदद मिली। आज राज्य सरकारों ने बहुत सारे लोगों को पोटा कानून के तहत अपनी गिरफ्त में लिया। एक भ्रम यह फैलाया जाता है कि पोटा ड्रेकोनियन लॉ है। जब हम बच्चे थे, तब ड्रैकुला के किस्से सुनते थे कि बहुत बड़ा राक्षस था, पोटा को ड्रेकोनियन लॉ बताया गया, लेकिन यह सवाल के जवाब में रघुपति जी का बयान है कि पिछले दो वर्षों में केवल 573 लोगों को पोटा कानून के अंदर बंद किया गया। 100 करोड़ की आबादी में से केवल 573 लोगों को बन्द किया गया और इनमें से 120 जम्मू कश्मीर में थे। अगर हम आंकड़े देखें, जो राज्य सभा में रघुपति जी ने दिये हैं तो महाराष्ट्र में 71, झारखण्ड में 64, दिल्ली में 48, आंध्र प्रदेश में 36, यू.पी. में 29, तमिलनाडु में 27, सिक्किम में 4, हिमाचल प्रदेश में 2, केवल 573 लोगों को पोटा के अन्दर बन्द किया गया। *...(व्यवधान)* गुजरात में भी हैं, सभी हैं। यह कहां से ड्रेकोनियन लॉ हो गया।

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): आपने गुजरात नहीं पढ़ा।

श्री लक्ष्मण सिंह: गुजरात भी है।

श्री गुलाम नबी आजाद: वहां कितने हैं?

श्री लक्ष्मण सिंह: इसमें लिखा हुआ है, गुजरात में 172 थे। यह ठीक है, इसमें क्या है। ये तो आंकड़े हैं, आपके मंत्री ने ही दिये हैं। यह भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि पोटा लगते ही पता नहीं क्या हो गया, बहुत अत्याचार हो रहा है, ऐसा नहीं था। जो लोग देश को तोड़ने की बात करते थे, जो देश में आतंकवाद फैलाते हैं, उनको वित्तीय सहायता देते थे, जो देश में अवैध हथियार पर आतंक फैलाते थे। जिन्होंने मुम्बई में बम फोड़कर कितने ही लोगों की हत्या कर दी। उनके खिलाफ यह पोटा कानून लाया गया था।

यह जो बिल आज आपने पेश किया है, उसमें आपने एक साल का सनसैट पीरियड दिया है। वह सनसैट पीरियड क्या है, आप अपने जवाब में बताएंगे तो हमें पता लगेगा कि सनसैट पीरियड क्या है।

रिव्यू कमेटीज पोटा केसेज में रिव्यू करेंगी। रिव्यू कमेटीज में कौन लोग रखे हैं, रिव्यू कमेटी में एक सज्जन हैं, जो पोटा के केसेज को रिव्यू करेंगे और अगर वे कहेंगे तो ही उसे सजा मिलेगी, नहीं तो वह छूट जायेगा, उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनेगा, सब मामले हटा दिये जायेंगे, सब मामले ड्राप कर दिये जायेंगे। उनका मैं नहीं ले रहा, लेकिन वे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं, यानि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक पूर्व सचिव हैं, जो पोटा की रिव्यू कमेटी में हैं, जो यह तय करेंगे कि देश में पोटा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। हमारे देश में आतंकवाद से 60 हजार लोग मारे गये हैं, दो प्रधानमंत्री मारे गये हैं, एक पूर्व जनरल मारे गये हैं। आज भी लोग मर रहे हैं, हमारे सैनिक, हमारे जवान मारे जा रहे हैं। अभी पढ़कर बताया गया कि आज भी सोपोर में जवान मारे गये हैं। काश्मीर में जो लोग मरे, उनमें से अधिकतर मुसलमान थे। बहुत अच्छा होता और अच्छा होगा कि जो 60 हजार लोग मरे हैं, हमारे जवान मेरे हैं, फौजी मरे हैं, उनके किसी एक परिवार के सदस्य को जो पढ़ा-लिखा हो, उसको रिव्यू कमेटी में रखें। उसको मालूम है कि आतंकवाद का दर्द क्या है। वे रिव्यू में कमेटी में रहेंगे। मुम्बई में बम ब्लास्ट में जो लोग मरे हैं, उनके परिवार के किसी आदमी को रखिए तो रिव्यू कमेटी का कुछ अर्थ होगा नहीं तो इस रिव्यू कमेटी का कोई अर्थ नहीं है।

अभी हमारे डीएमके के साथी कुछ बोल रहे थे। *...(व्यवधान)* अब वे श्री वाइको के पार्टी के हैं या डीएमके की पार्टी के हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: आप पार्टी के नाम को अनावश्यक रूप से क्यों बदलते हैं?

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: ठीक है कि वाइको की पार्टी वाले होंगे। श्री राजीव गांधी की दुर्दान्त हत्या हुई। जब श्री राजीव गांधी की हत्या हुई, उसके ऊपर जैन आयोग बैठाया गया। जैन आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट अभी नहीं दी कि उसके पहले ही चुनाव करा कर सरकार गिरा दी गयी ...*...आज मुझे दर्द होता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): आप गलत हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लक्ष्मण सिंह: उस जैन आयोग के कारण ही सरकार गिराई गई थी ...*(व्यवधान)* ठीक है, मेरे पास कुछ तथ्य हैं। मैं जैन आयोग की रिपोर्ट से उद्धरण दूंगा। श्री मान, क्या आप मुझे इसकी अनुमति देंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): श्रीमान् हम चाहते हैं कि आप दखल दें।

श्री ए. कृष्णास्वामी: उस शब्द को निकाला जा सकता है ...*(व्यवधान)* यह निकाला जा सकता है।

श्री लक्ष्मण सिंह: मैं सिर्फ अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री लक्ष्मण सिंह के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री लक्ष्मण सिंह: किंतु मैं जैन आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ 86 के पैरा 19 से उद्धरण दे रहा हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपनी बात बाद में कह सकते हैं। उन्हें पूरा करने दें।

...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह: श्री के. राममूर्ति और श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा आरोप लगाए गए थे कि डी.एम.के. पार्टी ने 21 मई, 1991 को श्रीपेरुम्बुदुर में एक मीटिंग रखी थी जिसे श्री एम. करुणानिधि द्वारा संबोधित किया जाता था और यह मीटिंग संदिग्ध परिस्थितियों के अंतर्गत रद्द कर दी गई थी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप उनके भाषण समाप्त करने के बाद ही बोल सकते हैं। कृपया आप सीट ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: यदि कोई आपत्तिजनक बात होगी तो उसे हटा दिया जायेगा।

श्री लक्ष्मण सिंह: मैं जैन आयोग की रिपोर्ट से उद्धरण दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: मैं इसे देखूंगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.12 बजे

(इस समय, श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

सभापति महोदय: आप कृपया अपनी पीठ पर जाकर बैठें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: यदि कोई आपत्तिजनक बात हुई तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

अपराह्न 3.12$^{1}/_{4}$ बजे

(इस समय, श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई अपने स्थान पर वापस चले गए।)

सभापति महोदय: मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि कोई आपत्तिजनक बात हुई तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। कृपया आप अपनी सीट पर जाएं।

श्री लक्ष्मण सिंह: यह एक रिकार्ड किया गया वक्तव्य है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह: मैं जैन आयोग के पृष्ठ 86 के पैराग्राफ 19 से पढ़ रहा हूं। श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा लिखित लेख में यह आरोप लगाया गया था। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप किसके लिए उत्तर दे रहे हैं? यदि कोई आपत्तिजनक वक्तव्य हैं तो इसे हटाया जा सकता है।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी: यह अप्रासंगिक है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि आज कांग्रेस पार्टी ने डीएमके से समर्थन लिया है। कांग्रेस पार्टी ने उसी डीएमके के बारे में श्री राजीव गांधी हत्याकांड में क्या कहा था?

[अनुवाद]

जो मैंने कहा वह यह है। यह वक्तव्य श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा दिया गया जो इस सरकार में मंत्री हैं। यह श्री मणिशंकर अय्यर

[श्री लक्ष्मण सिंह]

द्वारा दिया गया साक्ष्य है। वह कहते हैं, ''मैं श्रीपेरुम्बुदूर में सभा स्थान के बारे में जानता हूं। वह बस स्टैण्ड के नजदीक है। मैंने प्रेस में रिपोर्ट पढ़ी हैं और इसकी तत्कालीन तमिलनाडु कांग्रेस समिति के अध्यक्ष ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि की है कि इस मैदान को 21.5.91 को सभा के लिए डीएमके ने बुक किया था जो कि अंतिम क्षणों में रद्द कर दिया गया।

''सभा संध्या में होनी थी। तत्कालीन तमिलनाडु कांग्रेस समिति के अध्यक्ष श्री के. राममूर्ति ने सार्वजनिक रूप से 21.5.1991 को अपोलो हास्पिटल, चेन्नई में सभा में कहा कि डीएमके नेता के पुत्र .....''

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, यह किस तरह से पोटा से संबंधित है? यह अप्रासंगिक है। *...(व्यवधान)* यह किसी भी तरह संबद्ध नहीं है। वह सभा को अप्रासंगिक बातें कर गुमराह कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह: आगे उन्होंने कहा:

''डीएमके नेता के पुन:, तिरू एम.के. स्टालिन ने भाषण दिया जिसमें उन्होंने डीएमके के कार्यकर्त्ताओं से उस संध्या घर में ही रहने का आह्वान किया क्योंकि कुछ घटनाएं होने वाली थीं।'' *...(व्यवधान)*

महोदय, वह घटना क्या थी? उस दिन श्री राजीव गांधी की हत्या हुई और आज ये लोग डीएमके के समर्थन से यहां बैठे हैं *...(व्यवधान)*। अब, वे चाहते हैं कि पोटा वापस हो। *...(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी: आप उस सरकार से हैं जो जयललिता सरकार का समर्थन करती है। *...(व्यवधान)* उन्होंने हिन्दू नेता शंकराचार्य को गिरफ्तार किया। आप यहां क्यों बैठे हैं? *...(व्यवधान)* आप तमिलनाडु जाइये और उनसे बात कीजिए। *...(व्यवधान)* उन्होंने एक हिन्दू नेता को गिरफ्तार किया।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: आप कांग्रेस में थे। उस समय आपने पोटा के खिलाफ वोट दिया था। *...(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी: यह सब अप्रासंगिक है। *...(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह: ठीक है, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। कृपया बैठ जाइए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि यह आपत्तिजनक पाया जाता है, तो इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा। यदि कुछ आपत्तिजनक मामला हुआ, तो इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। इस कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा। आप क्यों चिंता करते हैं?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया पीठ को संबोधित करें। कृपया परेशान नहीं हों।

...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह: महोदय, मैं कुछ अलग बात कर रहा था। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, मैंने कहा कि यदि कुछ आपत्तिजनक है तो मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा। अब वह मुद्दा समाप्त हो चुका है। आप कृपया अपना भाषण शुरू कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, उन्होंने जो कुछ कहा वह अप्रासंगिक है। *...(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह: मैं अब डीएमके के बारे में बात नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय: अब इस पर और चर्चा नहीं हो सकती। अब यह विषय समाप्त हो चुका है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से बताना चाहता हूं कि श्री प्रकाश सिंह जी, जो असम के डीजीपी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, बार्डर सिक्युरिटी फोर्स के डीजीपी रहे हैं, तीन-तीन महत्वपूर्ण पदों पर जो रहे हैं, उन्होंने पोटा के बारे में क्या लिखा है-

[अनुवाद]

''पोटा हटाने का एक कारण यह है कि भारत में समय-समय पर विदेशी आक्रमण की परम्परा रही है। सिकन्दर के समय से लेकर कारगिल में पाक की घुसपैठ तक यह परम्परा बनी रही। विदेशी भाड़े के आतंकवादी जोकि जम्मू और कश्मीर में नरसंहार कर रहे हैं को अपने लूट-खसोट के अभियान में कोई बाधा नहीं पड़े। इसलिए, पोटा को समाप्त करना चाहिए।''

दूसरा, वह कहते हैं:

"राजनीतिक निहितार्थ सदैव ही राष्ट्रीय निहितार्थ से अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। इसलिए, पोटा को हटाना चाहिए।"

मैं यह नहीं कह रहा हूं। वह बीएसएफ के महानिदेशक हैं।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): वह पूर्व महानिदेशक हैं, वैसे ही जैसे आप कांग्रेस के पूर्व सदस्य हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह: ठीक है, मैं सुधार कर चुका हूं। वह बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक हैं। उन्होंने असम और उत्तर प्रदेश में नौकरी की है।

तीसरा, वह कहते हैं:

"यदि अक्साई चीन हाथ से निकल गया अथवा यदि घाटी भी हमारे हाथ से निकाल जाती हैं तो इससे क्या होता है? इसलिए, पोटा हटाइये।"

फिर वह कहते हैं:

"आतंकवादियों ने हमारे एक पूर्व प्रधान मंत्री और एक पूर्व सेनाध्यक्ष की हत्या कर दी। 60000 से कम लोग नहीं मारे गये हैं। इसका सरकार पर क्या प्रभाव है? पोटा हटाइये।"

...(व्यवधान)

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: इसलिए, आप आतंकवाद के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

फिर, वह कहते हैं:

"आतंकवादियों के मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। सशस्त्र बलों के कार्मिक सिर्फ मरने के लिए काम कर रहे हैं।"

यही कारण है कि पोटा को हटाना चाहिए।

फिर वह कहते हैं:

"बिन लादेन शरणम् गच्छामि। मसूद अजहर शरणम गच्छामि सलाहुद्दीन शरणम् गच्छामि।

सभापति महोदय: श्री लक्ष्मण सिंह, कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह: अंत में, टाडा का श्री चिमनभाई पटेल ने गुजरात में प्रयोग किया था। किसके खिलाफ? उन्होंने 19,000 लोगों को गिरफ्तार किया जो अमूल डेयरी आंदोलन से संबद्ध थे।

[हिन्दी]

सरदार पटेल ने जो मूवमेंट चालू किया है, एक अमूल जैसा संस्थान खड़ा करके दिया है। सरकार पटेल जिनको कांग्रेस पार्टी पूरी तरह भूल चुकी है। उस महान व्यक्ति ने सहकारिता का आंदोलन खड़ा किया था, उनके 19,000 सदस्यों को चमनभाई पटेल जब कांग्रेस के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने उनको लेकर 'टाडा' में बंद किया था। *...(व्यवधान)* अंत में, मैं कहना चाहूंगा और शिवराज पाटील जी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इसको आप वापस ले लीजिए। इसको लागू करने से देश में आतंकवाद बढ़ेगा। आप एक साल का जो संसैट पीरिएड दे रहे हैं, शिवराज पाटील साहब, आप ध्यान रखिए, यह देश में कहीं आतंकवाद का सनराइज पीरियड न हो जाए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं इस सरकार को यह बिल लाने के लिए खूब बधाई देता हूं क्योंकि यह दिन मेरे लिए और इस देश के सभी सिविल लिबर्टीज के जो ग्रुप हैं, उनके लिए और जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के अंदर मानते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है और इसके लिए मैं सरकार को खूब बधाई देता हूं। मुझे बड़ी हैरानी होती है, मेरे दोस्त को वहां से सुनते हुए आज *...(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह: आपको हैरानी होती है लेकिन मुझे गर्व है। *...(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मुझे हैरानी होती है क्योंकि हमारे यही साथी जब हम यहां बैठते थे तो 'पोटा' के विरोध के अंदर ये हमारे साथ थे। *...(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह: सभापति महोदय, मैं कभी 'पोटा' के खिलाफ नहीं बोला। रिकार्ड उठाकर देख लीजिए। पाटील साहब गवाह हैं। *...(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: आपका बिल्कुल अलग सा चेहरा वहां से मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी सीट नहीं बदली। आप पहले जहां थे, वहीं पर हैं और आपके दो चेहरों में से कौन सा चेहरा सही है, वह आप बता दीजिए क्योंकि आप हमारे साथीदार थे और आपने इसी सदन के अंदर जब हम 'पोटा' का विरोध करते थे, तब आप हमारे साथ थे। भले ही आप मना करिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री मदुसूदन मिस्त्री, कृपया पीठ को संबोधित करें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: जी महोदय। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ माननीय सदस्य के दोहरे चेहरे पर प्रकाश डाल रहा हूं। जब वे दूसरे पक्ष में थे वह पहले क्या कह रहे थे आज वे अब क्या कह रहे हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री रामदास आठवले, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री मधुसूदन मिस्त्री, कृपया पीठ को संबोधित कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मुझे लगता है कि ये लोग दोषी हैं *...(व्यवधान)* पोटा के संबंध में दो घंटे से भी अधिक समय तक सदस्य बोले हैं-मैं श्री वाइको का हवाला दे रहा हूं-उनको उसी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।

[हिन्दी]

इन्हीं के लाये हुए कानून के अन्दर उनको अरेस्ट किया गया और आज भी वही परिस्थिति है लेकिन ये लोग इन्हीं की सरकार के अंदर वह नहीं कर सके। *...(व्यवधान)* मैं खुश हूं कि यह सरकार इसको लाई है। गुजरात के अंदर क्या हुआ?

श्री लक्ष्मण सिंह: क्या हुआ?

श्री मधुसूदन मिस्त्री: आपको जरा तीखा लगेगा। मुझे बताइए कि इनकी सरकार का एक भी आदमी *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

जिसने अल्पसंख्यक लोगों को मारने के लिए उपद्रवियों की अगुवाई की, क्या उसे कभी पोटा में गिरफ्तार किया गया? न केवल डी.एस.पी. ने आयोग के समक्ष यह कहा है बल्कि

[हिन्दी]

जब एक मिनिस्टर ने भावनगर का जो डीएसपी है, जो उस वक्त था, उसको एक मिनिस्टर ने फोन किया कि आपने 5-5 मेजोरिटी के लोगों को मारा, एक भी माइनॉरिटी का क्यों नहीं मारा? उस बात का जवाब दें।

[अनुवाद]

केवल यही नहीं।

[हिन्दी]

मैं आपको बताता हूं *...(व्यवधान)*

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): यह बिल्कुल असत्य कह रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: यह सुनना उनता ही मुश्किल है।

[हिन्दी]

विक्टीम कौन हुआ, सबसे पहले माइनोरिटीज वाले इसका शिकार बने। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। उनको सुनना पड़ेगा। उनमें सुनने की शक्ति होनी चाहिए।

सभापति महोदय: आप पीठ को संबोधित करें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, मैं आपको ही सम्बोधित करके बोल रहा हूं। मैं उनसे नहीं कह रहा हूं। दुर्भाग्य यह है कि उनमें सुनने की हिम्मत नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

[हिन्दी]

जिन्होंने कभी हिस्सा नहीं लिया, जो जवान लड़के थे, कभी मॉब के अंदर नहीं थे, जिन्होंने किसी को नहीं मारा था, ऐसे लोगों को पोटा के अंदर अरेस्ट किया गया। एक ही पार्टी के जिन लोगों ने और उस पार्टी के संलग्न संगठन के लोगों ने मॉब को लीड किया, जिन्होंने आगजनी की और लोगों को मारा, उनमें से किसी पर भी पोटा लगाकर उसे अरेस्ट नहीं किया गया। *...(व्यवधान)* मुझे पता है आपको सुनना कठिन होगा। लेकिन आप सारे उदाहरण देख लें। आपको पता चल जाएगा कि पोटा का सबसे ज्यादा दुरुपयोग गुजरात के अंदर हुआ है। किसी को भी अरेस्ट करना हो, आईएसआई से लिंक करके केस बना दो और अरेस्ट कर दो। उस वक्त के उप प्रधान मंत्री और आज विपक्ष के नेता आडवाणी जी के निर्वाचन क्षेत्र में और एक ही पार्टी के दूसरे सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे कई लोगों को अरेस्ट किया गया। लेकिन इनकी पार्टी के लोगों ने जो हिंसा की, किसी को भी अरेस्ट नहीं

किया गया। आज भी वहां लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा है। आज भी लोग दहशत में हैं। बाहर आकर वे लोग कह नहीं सकते कि हमें बचाएं, क्योंकि बाहर आकर अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन के वकील से शिकायत करेंगे तो उन लोगों को और परेशान किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति उस राज्य में है और वहां अल्पसंख्यक लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, जिनके भविष्य को लेकर कोई बात साफ नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूं। आयोग के समक्ष एक के बाद एक तथ्य आ रहे हैं। इनका कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आकर बोल सके कि नहीं अब किसी पर पोटा नहीं लगाया जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसी परिस्थिति गुजरात के अंदर हो रही है कि जिसको जब चाहे पोटा में अरेस्ट कर दो। कोई आदमी बेल नहीं ले सकता, किसी भी आदमी को खाना नहीं दे सकते, उसके परिवार वाले आपसे नहीं मिल सकते। चार-चार, पांच-पांच दिन तक उससे किसी को बात नहीं करने दी जाती। जिसको अरेस्ट किया जाता है, उसके परिवार वाले परेशानी की हालत में इधर-उधर घूमते रहते हैं। यह परिस्थिति पूरे राज्य में इनके शासन की वजह से हो रही है। अभी मुझे कहने दें। अभी मैं बोल रहा हूं। कोई भी व्यक्ति, जो अल्पसंख्यक समुदाय का है अपने आपको अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। जो डिपोज हो रहे हैं, वे अधिकारी लोग कह रहे हैं, उन दिनों उन्होंने नियंत्रण कक्ष का प्रभार ले रखा था। मैं वह जानना चाहता हूं कि इस सरकार के द्वारा उन्हें पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। इनके जो मंत्री थे, उन्होंने पूरे कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लिया और कहा कि कहां पुलिस भेजनी है, कहां नहीं भेजनी है, ये लोग तय करेंगे। इस कानून के अंतर्गत ऐसी बातें वहां हुई थीं और हो रही हैं। इस कानून का सबसे ज्यादा क्रास मिसयूज गुजरात में हुआ है।

मैं आज की केन्द्र सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उसने इस कानून को खत्म करके दूसरा कानून पेश किया है। गुजरात में कल ह्यूमन राइट्स के लोग आएंगे और इस नए कानून का समर्थन करेंगे। इस बारे में वहां एक बड़ी मीटिंग होगी।

सभापति महोदय: श्री मधुसूदन मिस्त्री, आप अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं। यह समय गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य हेतु है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: जी हां, श्रीमान।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम गैर/सरकारी सदस्यों के कार्य-विधेयकों का पुर:स्थापन को लेंगे।

अपराह्न 3.30 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) प्रादेशक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक*, 2004 (धारा 2, आदि का संशोधन)

श्री बसुदेव देव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं विधेयक** पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.30$^{1}/_{4}$ बजे

[अनुवाद]

(दो) वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक*, 2004 (नई धारा 2क, का अंत:स्थापन)

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिपूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.2004 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.30$^{1}/_{2}$ बजे

[हिन्दी]

(तीन) राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक*, 2004

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.30$^{3}/_{4}$ बजे

[हिन्दी]

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक*, 2004
(अनुच्छेद 298, आदि का संशोधन)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.2004 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.31 बजे

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक*, 2004
(अनुच्छेद 103, आदि का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.31$^{1}/_{2}$ बजे

(छह) कपास उत्पादक (कल्याण) विधेयक*, 2004

[अनुवाद]

श्री रायापति सांबासिवा राव: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कपास उत्पादकों के संरक्षण और कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कपास उत्पादकों के संरक्षण और कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.2004 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री रायापति सांबासिवा राव: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.32 बजे

(सात) बेरोजगारी भत्ता विधेयक*, 2004

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"सभी शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रायापति सांबासिवा राव: महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.32$^{1}/_{2}$ बजे

[अनुवाद]

(आठ) मिर्च उत्पादक (कल्याण) विधेयक*, 2004

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मिर्च उत्पादकों के संरक्षण और कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि मिर्च उत्पादकों के संरक्षण और कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रायापति सांबासिवा राव: महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित** करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.2004 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री चन्द्रकांत खैरे-अनुपस्थित।

श्री योगी आदित्यनाथ-अनुपस्थित।

अपराह्न 15.33 बजे

[अनुवाद]

(नौ) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक*, 2004 (धारा 55, आदि का संशोधन)

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.34 बजे

(दस) ग्रामीण श्रमिक कल्याण निधि विधेयक*, 2004

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि तथा अन्य ग्रामीण उपजीविका में नियोजित ग्रामीण श्रमिकों के कल्याण के लिए एक ग्रामीण श्रमिक कल्याण निधि की स्थापना और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कृषि तथा अन्य ग्रामीण उपजीविका में नियोजित ग्रामीण श्रमिकों के कल्याण के लिए एक ग्रामीम श्रमिक कल्याण

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.2004 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[सभापति महोदय]

निधि की स्थापना और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.35 बजे

(ग्यारह) सूखा प्रवण क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक*, 2004

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के सूखा प्रवण क्षेत्रों के संबंध में विशेष विकास योजनाएं तैयार करने और ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु स्वायत्त प्राधिकरण की स्थापना और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि देश के सूखा प्रवण क्षेत्रों के संबंध में विशेष विकास योजनाएं तैयार करने और ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु स्वायत्त प्राधिकरण की स्थापना और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल: सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

सभापति महोदय: श्री डब्ल्यू. वांग्यू. कोन्यक-अनुपस्थित।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.2004 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.35½ बजे

[अनुवाद]

(बारह) कृषि कर्मकार (रोजगार, सेवा शर्तें तथा कल्याण) विधेयक*, 2004

श्री रायापति सांबासिवा राव: महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि कर्मकारों के हितों के संरक्षण और उनके कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: यह है:

''कि कृषि कर्मकारों के हितों के संरक्षण और उनके कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रायापति सांबासिवा राव: महोदय मैं विधेयक** पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.36 बजे

[अनुवाद]

(तेरह) समान विवाह और विवाह-विच्छेद विधेयक*, 2004

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान विवाह और विवाह-विच्छेद कानून का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान विवाद और विवाह-विच्छेद कानून का उपलब्धि करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.2004 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.36½ बजे

[अनुवाद]

(चौदह) अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक* , 2004

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा का गठन तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा का गठन तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं विधेयक** पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.37 बजे

[अनुवाद]

(पन्द्रह) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक*, 2004

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा का गठन तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा का गठन तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थपित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.2004 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.37½ बजे

[अनुवाद]

(सोलह) विद्युत (संशोधन) विधेयक*, 2004 (धारा 3, आदि का संशोधन)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.38 बजे

[अनुवाद]

(सत्रह) सामाजिक नि:शक्तताओं का निवारण विधेयक*, 2004

श्री काशीराम राणा (सूरत): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी समुदाय के सदस्य या सदस्यों द्वारा अपने समुदाय के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों पर सामाजिक नि:शक्तताओं के अधिरोपण का निवारण करने तथा ऐसे कार्य या कार्यों के लिए शास्तियों और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि किसी समुदाय के सदस्य या सदस्यों द्वारा अपने समुदाय के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों पर सामाजिक नि:शक्तताओं के अधिरोपण का निवारण करने तथा ऐसे कार्य या कार्यों के

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.2004 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[सभापति महोदय]

लिए शास्तियों और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.39 बजे

(अठारह) गुजरात उच्च न्यायालय (सूरत में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*, 2004

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गुजरात उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की सूरत में स्थापना करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

''गुजरात उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की सूरत में स्थापना करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.39$^{1}/_{2}$ बजे

(उन्नीस) पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन विधेयक, 2004*
(अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, मुझे पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.2004 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.40 बजे

(बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक*, 2004
(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.40$^{1}/_{2}$ बजे

(इक्कीस) अत्यधिक पिछड़े वर्ग (सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व) विधेयक*, 2004

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य के अधीन सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में अत्यधिक

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.2004 में प्रकाशित।

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राज्य के अधीन सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में अत्यधिक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

(बाइस) भारतीय प्रौद्योगिकी बैंक विधेयक*, 2004

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में लगे वृत्तिकों की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी बैंक की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"कि विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में लगे वृत्तिकों की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी बैंक की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

(तेईस) महिला (सेवा में आरक्षण) विधेयक*, 2004

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं में पदों और नियुक्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं में पदों और नियुक्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती कृष्णा तीरथ: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी-उपस्थित नहीं है।

श्री के. मानवेन्द्र सिंह-उपस्थित नहीं है।

अपराह्न 3.42 बजे

(चौबीस) आयकर (संशोधन) विधेयक*, 2004
(नई धारा 4क का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री एस.पी.वाई. रेड्डी (नांदयाल): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.2004 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.2004 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.42 1/2 बजे

(पच्चीस) मछुआरा (बीमा) विधेयक* , 2004

[अनुवाद]

श्री अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी दुर्घटना के संबंध में मछुआरों तथा नौकाओं का व्यापक और अनिवार्य बीमा तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"कि किसी दुर्घटना के संबंध में मछुआरा तथा नौकाओं का व्यापक और अनिवार्य बीमा तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.43 बजे

(छब्बीस) जादू-टोना पर पाबंदी विधेयक*, 2004

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि देश में किसी भी रूप में जादू-टोना पर पाबंदी का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"कि देश में किसी भी रूप में जादू-टोना पर पाबंदी का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला: सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.2004 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.44 बजे

(सत्ताइस) संसद सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक*, 2004
(धारा 3 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.45 बजे

(अट्ठाइस) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2004*

(धारा 12 और 154 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.2004 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मद संख्या 58-श्री के.सी. सिंह बाबा-अनुपस्थित

मद संख्या 59-श्री सुनील खान—अनुपस्थित।

मद संख्याएं 60 से 63-श्री इकबाल अहमद सरडगी-अनुपस्थित।

मद संख्या 64-श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक-अनुपस्थित।

अपराह्न 3.45$^{1}/_{2}$ बजे

(उनतीस) मेधावी छात्रों के लिए नि:शुल्क आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी शिक्षा का उपबंध विधेयक*, 2004

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए नि:शुल्क आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी की शिक्षा प्रदान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए नि:शुल्क आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी की शिक्षा प्रदान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थपित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.46 बजे

(तीस) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (पदों तथा सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण) विधेयक*, 2004

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन पदों तथा सेवाओं में तथा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार से धन प्राप्त कर रहे सभी सांविधिक प्राधिकरणों तथा स्वायत निकायों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए रिक्तियों के आरक्षण का उपबंध करने तथा आरक्षण नीति का उल्लंघन करने पर दण्ड का और उससे संबधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन पदों तथा सेवाओं में तथा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार से धन प्राप्त कर रहे सभी सांविधिक प्राधिकरणों तथा स्वायत्त निकायों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए रिक्तियों के आरक्षण का उपबंध करने तथा आरक्षण नीति का उल्लंघन करने पर दण्ड का और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

(इकत्तीस) वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2004* (नई धारा 3ग का अंत:स्थापन)

श्री एस.पी.वाई. रेड्डी (नांदयाल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.2004 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.2004 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.47 बजे

(बत्तीस) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*, 2004 (धारा 8, आदि के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल: सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.48 बजे

आतंकवाद निवारण (निरसन) विधेयक, 2004— *वापस लिया गया*

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मुझे यह बताने की अनुमति दी जाए कि मैं यह विधेयक क्यों वापस लेना चाहता हूं।

सभापति महोदय: आप अभी नहीं बोल सकते हैं। आप सभा से मात्र यह विधेयक वापस लाने की अनुमति मांग सकते हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, पिछली सरकार के समय में पोटा को लागू किया गया था। मौजूदा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत किये गये वादों और सभा में लाए गये निरसन विधेयक को देखते हुए मैं इस विधेयक को वापस लेना चाहता हूं।

सभापति महोदय: इस विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत किये जाने के बाद आप इस पर बोल सकते हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 का निरसन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 का निरसन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं यह विधेयक वापस लेता हूं:

अपराह्न 3.50 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004–*विचाराधीन* (नए अनुच्छेद 21ख, आदि का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 70 पर चर्चा करेंगे- विचार तथा पारित किये जाने के लिए विधेयक।

श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है जिसके अंतर्गत रोजगार, पोषण, चिकित्सा सुविधा, बीमा, न्यूनतम मजदूरी, वृद्धावस्था पेंशन तथा अक्षम लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा आदि समाहित होते हैं। आज अक्षम व्यक्ति दिवस है। आज हम विश्व के लाखों लोगों की सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा कर रहे हैं।

अपराह्न 3.52 बजे

[श्री पवन कुमार बंसल *पीठासीन* हुए]

महोदय, आजादी के 58 वर्ष के बाद भी हमें आज भुखमरी, कुपोषण और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक सुधार प्रक्रिया शुरू होने और 1991 में भारत सरकार द्वारा वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई जाने के बाद हम देख चुके हैं कि एक दशक से अधिक से किस प्रकार हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसके बारे में यह तर्क दिया जाता है कि देश के लाखों लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.2004 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

जाएगा। सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार समझा जाना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महासचिव ने 1999 में जेनेवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के रिपोर्ट में टिप्पणी की थी कि:

> "विश्व में सामाजिक बहिष्कार की घटना में वृद्धि हो रही है, अत: उपर्युक्त गतिविधियों के लिए अधिक एवं बेहतर सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सामाजिक सुरक्षा के पक्ष में दिये गये तर्क जितना पहले जायज था उतना आज भी है। आर्थिक संकट के प्रभाव को कम करने की आवश्यकता उतनी ही बड़ी है जितनी एशियाई वित्तीय संकट। आर्थिक कमी का एक मात्र परिणति सामाजिक बर्बादी है।"

शहरीकृत समाजों, जिनमें सामाजिक सुरक्षा के पारंपरिक स्वरूप समाप्त हो चुके हैं, में विशेष रूप से यह स्थिति और भी गंभीर रूप में मुखरित हुई है। गांव के लोगों का शहर की ओर पलायन और शहरीकरण के कारण सहायता के अनौपचारिक तंत्र कमजोर हो गये हैं।

महोदय, इस रिपोर्ट में आगे इस बात पर भी जोर दी गयी है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ-न-कुछ सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, चाहे वे कहीं भी रहते हों। वे कहीं भी रहें, लेकिन उन्हें अपनी सामाजिक क्षमता और विकास स्तर के अनुरूप सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की कुछ-न-कुछ आवश्यकता तो होती ही है। यह स्वयमेव सम्पन्न नहीं होता है। अनुभवों से यह पता चला है कि केवल आर्थिक और प्रजातांत्रिक विकास ही पर्याप्त नहीं होते हैं। प्रत्येक देश के लिए यह अपरिहार्य है कि वह सामाजिक वार्तालाप के माध्यम से एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का विकास करे जिससे अपने लोगों विशेषकर उन महिलाओं और बहिष्कृत समूहों जो कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं, की जरूरतों को पूरा कर सके। उस रिपोर्ट में इस बात पर जोर देते हुए पाप जॉन पाल ने कहा और मैं उद्धरित करता हूं कि "एक ऐसे तंत्र को विकसित किये जाने की आवश्यकता है जो वैश्विक कल्याण करने के दायित्व का वहन करने और आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार का प्रयोग सुनिश्चित कर सके। मुक्त बाजार अकेले यह कार्य नहीं कर सकता है क्योंकि मनुष्य की कई आवश्यकताएं होती हैं जिसके लिए बाजार में कोई स्थान नहीं होता है।"

इन वर्षों के दौरान हमने यह देखा है कि सामाजिक सुरक्षा, जोकि गत में मौजूदा थी में धीरे-धीरे कमी आ रही है। हमारे देश में श्रमिकों की कुल संख्या 40 करोड़ रुपये हैं। इन 40 करोड़ में से 85 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में है इसका अभिप्राय यह हुआ कि असंगठित क्षेत्र में 37.5 करोड़ श्रमिक है। इन 37.5 करोड़ में से 22 करोड़ कृषि श्रमिक है। इन कृषि श्रमिकों के लिए कोई कानून नहीं है जिनकी संख्या 22 करोड़ है। इनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। उनको रोजगार की भी कोई गारन्टी नहीं है और न ही उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा है। वे केवल न्यूनतम मजदूरी पर काम करते हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह बताया गया है कि यू.पी.ए. सरकार अथवा यू.पी.ए. प्रशासन कार्य श्रमिक के न्यूनतम मजदूरी संबंधी विधान के कार्यान्वयन को पूरी तरह से सुनिश्चित करेगा तथा कृषि श्रमिकों के लिए वृहद संरक्षा विधान अधिनियमित करेगा। यह बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक वृहद विधान लाया जाना चाहिए। हम कई वर्षों से कृषि श्रमिकों की सुरक्षा हेतु इसकी मांग भी करते रहे हैं। उनकी संख्या 22 करोड़ है उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है उनके लिए रोजगार की भी कोई गारन्टी नहीं होती यह कृषि श्रमिकों का शोषण है उनके लिए एक वृहद विधान लाया जाना चाहिए।

वर्ष 1989 में जब जनता पार्टी की सरकार थी एक विधेयक बना था। वर्ष 1996 में कृषि श्रमिकों के हितों की सुरक्षा हेतु एक विधेयक को लाने की मांग उठी थी एक व्यापक विधान का प्रारूप तैयार किया गया परन्तु विधेयक सदन के समक्ष नहीं आ पाया। हम नहीं जानते कि उसके कारण क्या थे। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों अर्थात कृषि श्रमिकों की एक बहुत बड़ी संख्या के हितों की सुरक्षा हेतु एक विधान लाए जाने की आवश्यकता है।

अपराह्न 4.00 बजे

हमारे पास बहुत सारे विधान है। हमारे पास न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है हमारे पास बोनस का संदाय अधिनियम है। परन्तु हमारा अनुभव है कि इन अधिनियमों के विभिन्न उपबंधों का प्रबंधन द्वारा उल्लंघन किया जाता है।

आज 40 लाख बीडी कर्मकार हैं। वे असंगठित क्षेत्र के कर्मकार हैं। महोदय आप जानते हैं कि वे अस्वास्थ्यकर स्थिति में कार्य करते हैं वे बीड़ियों को हाथ से रोल करते हैं वे तम्बाकू की गंध को सहते हैं इसी वजह से अधिकांश कर्मकार भिन्न-भिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं। बीड़ी पर उपकर लिया जाता है और बीड़ी कर्मकारों के कल्याण हेतु निधि का सृजन किया गया है जिसे बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि कहते हैं। बीड़ी पर उपकर के रूप में करोड़ों रुपये संग्रहित किये जा रहे हैं। उस निधि के सृजन करने का उद्देश्य बीड़ी कर्मकारों के कल्याण हेतु उनके लिए आवास निर्मित कराना, बीड़ी कर्मकारों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना और बीड़ी कर्मकारों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सकीय सहायता प्रदान करना, अस्पतालों का निर्माण कराना है।

[श्री बसुदेव आचार्य]

कुछ डिस्पेंसरियां हैं और इन डिस्पेंसरियों में आपको कोई भी दवाई नहीं मिलेगी। काफी अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक भी नहीं है। तीन माह पूर्व ही मैंने मुर्शिदाबाद जिले के धुलियन अस्पताल का दौरा किया था अस्पताल मात्र पांच वर्ष पूर्व बना था यह एक बड़ा अस्पताल है और इसकी बिल्डिंग भी बड़ी है परन्तु उस बड़े अस्पताल में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, एक अस्पताल स्वीकृत हुआ था-टी.बी. अस्पताल-जो पुरुलिया जिले में झालड़ा में बीड़ी कर्मकारों के लिए है जहां पर श्रीमान एक छोटी सी डिस्पेंसरी हैं वे लोग बेहतर चिकित्सा हेतु धुलियान जाते हैं। धुलियान उस स्थान से 500 कि.मी. से भी अधिक है जहां पर नया अस्पताल स्वीकृत हुआ था। श्रम मंत्रालय को भूमि दी गई थी। राज्य सरकार ने बीड़ी कर्मकारों के लिए अस्पताल के निर्माण हेतु 12 एकड़ जमीन दी थी जोकि न केवल पुरुलिया जिले के लिए है बल्कि बांकुरा के लिए भी है जहां पर 70,000 से अधिक बीड़ी कर्मकार है। इसलिए 2 लाख कर्मकारों के लिए एक अस्पताल स्वीकृत किया गया था। राज्य सरकार तथा परामर्शदात्री बोर्ड ने सिद्धान्त रूप से बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए एक अस्पताल की पांच वर्ष पूर्व सिफारिश की थी। अस्पताल स्वीकृत किया गया, परन्तु अभी कोई निधि प्रदान नहीं कराई गई है। इसके परिणामस्वरूप, अस्पताल का निर्माण अभी आरम्भ नहीं हुआ है। मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं-क्योंकि उन्होंने हाल ही में कार्यभार ग्रहण किया है कि बीड़ी कर्मकारों के लिए टी.बी. अस्पताल के निर्माण करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। सरकार को धनराशि प्रदान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास धनराशि है उसमें से निधियां प्रदान की जा सकती है और निर्धारित स्थल पर अस्पताल का निर्माण कराया जा सकता है। अधिकांश बीड़ी कर्मकार, लगभग शत प्रतिशत, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। बीड़ी कर्मकारों के कल्याण हेतु कुछ नई स्कीमें बनाई जानी चाहिए। बीड़ी उद्योग को निशाना बनाया जा रहा है। इस अधिनियम के बनने के बाद और उदारीकरण की नीति की वजह से बीड़ी उद्योग में एक संकट आ गया है। बीड़ी उद्योग में 40 लाख से अधिक कर्मकार लगे हैं।

उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय के बावजूद, जोकि 15 वर्ष बाद दिया गया था, उनके आवास, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, भविष्य निधि आदि के बारे में नियोक्ताओं को कदम उठाने चाहिए। मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं जहां पर उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का नियोक्ता पालन नहीं कर रहे है। बहुत सारी इकाईयों में हजारों बीड़ी कर्मकारों के मामले में भविष्य निधि स्कीम शुरू नहीं की गई है। भविष्य निधि एक मात्र सामाजिक सुरक्षा है, जो उनको मिलती है।

मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि एक नई पेंशन स्कीम को शुरू किया जाना चाहिए। एन.डी.ए. सरकार द्वारा चुनाव से पूर्व जनवरी में एक पेंशन स्कीम की घोषणा की गई थी। अपने चार वर्षों के कार्यकाल में असंगठित क्षेत्र के लिए, जिनकी संख्या 37.5 करोड़ है, स्कीम बनाने का उन्हें समय ही नहीं मिला।

[हिन्दी]

चार साल में उनको समय नहीं मिला, चुनाव के सिर्फ दो महीने पहले एनाउंस किया। उसमें कहां से पैसा आएगा।

[अनुवाद]

धनराशि कहां से आएगी।

[हिन्दी]

वह सब कुछ उसमें नहीं लिखा था। चुनाव में अनआर्गेनाइज्ड लेबर के वोट पाने के लिए एक घोषणा कर दी गई थी कि यह बहुत बढ़िया पेंशन स्कीम हमने चालू की है, लेकिन उसके पीछे कुछ तैयारी नहीं थी। चार साल में आपने कुछ नहीं किया।

[अनुवाद]

बेरोजगारी बढ़ रही है।

मुझे यू.पी.ए. सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इसे अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल किया है-वित्त मंत्री के बजट भाषण में रोजगार गारन्टी स्कीम के बारे में एक घोषणा कर दी गई थी। एन.डी.ए. सरकार ने वादा किया था कि वह प्रति वर्ष एक करोड़ रोजगार देगी। तत्कालीन प्रधान मंत्री ने राष्ट्र को आश्वस्त किया था कि प्रत्येक वर्ष एक करोड़ रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। एन.डी.ए. सरकार के छह वर्ष के कार्यकाल के दौरान हमने देखा था कि संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या में कटौती हुई है। भारतीय रेल में एन.डी.ए. सरकार के छह वर्ष के कार्यकाल ने कर्मचारियों की संख्या में 1,52,000 की कटौती की गई है। 1600,000 कर्मचारियों की संख्या घटकर 14.5 लाख रह गई है। इनमें बहुत सारी इकाइयों में कटौती करना, संख्या कम करना और उन्हें बन्द किया जाना शामिल है। हमारे उद्योग बन्द कर दिए हैं जिसके परिणामस्वरूप 40 लाख कर्मकार रोजगार विहीन हो गए हैं।

महोदय, यदि उद्योग बंद हो जाता है तो कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा क्या है? कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है और इस समस्या का हल निकालने के लिए सं.प्र.ग. सरकार ने वादा किया था कि रोजगार गारंटी योजना शुरु की जाएगी। मैं समझता हूं कि यह हमारे देश की जनता और हमारे देश के युवकों की मांग को पूरा करने के लिए एक कदम है कि काम का अधिकार मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए।

सं.प्र.ग. सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कहा है कि यह सरकार सभी कर्मकारों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों, जिनका प्रतिशत हमारे कुल कर्मकारों के मुकाबले 93 है, के कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु दृढ़ और वचनबद्ध है। बुनकरों, हथकरघा कर्मकारों, मछुआरों, मछुआरिनों, ताड़ी संग्रह करने वालों, मोचियों, इत्यादि के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, जैसे-स्वास्थ्य बीमा और अन्य योजनाएं शुरू की गई हैं। आज बुनकरों की दशा क्या है? हमने राजग सरकार के छः वर्षों के दौरान देखा कि करघे बंद कर दिए गए और बुनकरों ने उन्हें जला दिया। हमने भूख से मरने की सैकड़ों घटनाएं देखी हैं। संप्रग सरकार बुनकरों, हथकरघा कर्मकारों इत्यादि के सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा इत्यादि के लिए प्रतिबद्ध है।

हथकरघा कर्मकारों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इस समय हजारों लघु और कुटीर उद्योग बंद है। हमारे देश में लघु और कुटीर उद्योग सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराते हैं। उन एककों के पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता है जिससे कि जो एकक आज संकट का सामना कर रहे हैं और बंद होने के कगार पर हैं उन्हें बचाया जा सके। लाखों कर्मकार हजारों लघु और कुटीर एककों में नियोजित हैं।

हमने राष्ट्रीय वस्त्र निगम में क्या देखा? 126 मिलों में से सरकार ने 56 मिलों को चलाने और बाकी को बंद करने का निर्णय किया था। उन कर्मकारों को जो एनटीसी मिलों में नियोजित थे और जिन्हें बंद कर दिया गया, क्या सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। अब वे भूखों मर रहे हैं। हमें उन्हें सांविधिक देय राशियों को उपलब्ध कराने के लिए कहना पड़ा था। केन्द्र सरकार के पास सरकारी उपक्रमों का स्वामित्व है। हमारे समक्ष मजदूरी भुगतान अधिनियम है। अब इस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। मैंने इस सभा में यह प्रश्न उठाया है कि यदि केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के कर्मकारों को उनकी मजदूरी नहीं मिलती तो इसके लिए किसे उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

इसका कारण यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर भारत के राष्ट्रपति जी के नाम से है। भारत सरकार के पास केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों का स्वामित्व है और यदि मजदूरी भुगतान अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? भारत सरकार को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

महोदय, मैं अनेक मामले जानता हूं जिसमें लोगों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनके सांविधिक देय जैसे भविष्य निधि उपदान इत्यादि नहीं दिये जा रहे हैं। इसके कारण उनके सामने भूखों मरने की जैसी स्थिति है। मैंने इस सभा के पटल पर सरकारी उपक्रमों के 15 कर्मकारों की सूची रखी है, जिन्हें एकक के बंद होने के पश्चात् महीनों तक सांविधिक देय नहीं मिला और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान ही आत्महत्या कर रहे हैं अपितु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मकार भी अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् सांविधिक देय नहीं प्राप्त होने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। यदि स्वतंत्र भारत में कर्मकारों को आत्महत्या करनी पड़े तो उस पर हमारी क्या टिप्पणी होनी चाहिए।

महोदय, महिला कर्मकारों की क्या स्थिति है? मैं माननीय श्रम मंत्री जी से कोल इंडिया से जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध करता हूं। कोल इंडिया की कई सहायक कंपनियां हैं। कोल इंडिया की भूमिगत और खुले मुहाने वाली दोनों प्रकार की खानें हैं। कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी बीसीसीएल में 15 वर्ष पहले 26000 महिला कर्मकार थी। आज इस सहायक कंपनी में कितनी महिलाएं कार्यरत हैं? अब यह संख्या घटकर 6000 रह गयी है। महिला कर्मकारों को अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जा रही है। कोल इंडिया की सहायता कंपनियों में किसी भी महिला कर्मकारों की भर्ती नहीं की जा रहा है। महिला कर्मकारों के विरुद्ध कोई भेदभाव क्यों होना चाहिए? महिला कर्मकारों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए बाध्य क्यों किया जा रहा है? कोयला खानों में महिला कर्मकारों की कोई भर्ती क्यों नहीं हुई? मैं भूमिगत खानों में उनकी मर्जी के बारे में बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि यह निषिद्ध है। किंतु कोल इंडिया के कार्यालय हैं जहां महिला कर्मकारों को नियोजित किया जा सकता है। किन्तु उन्हें ऐसे कार्यालयों में नियोजित नहीं किया जा रहा है।

महोदय, उदारीकरण और भूमंडलीकरण के कारण हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। क्या यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां श्रम कानूनों का पालन कर रही हैं। हम निर्यात प्रसंस्करण जोनों का मामला लेते हैं। हमारे देश में निर्यात प्रसंस्करण जोन हैं। यदि हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा कोई उद्योग स्थापित किया जाता है तो उद्योग को हमारे देश के श्रम कानूनों को मानना होगा। उन्हें हमारे देश के श्रम कानून का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। यहां तक कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंधों का भी पालन नहीं हो रहा है। बोनस संदाय अधिनियम और कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम के उपबंधों का भी उल्लंघन हो रहा है। कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम में यह विहित है कि यदि कोई कर्मकार घायल है अथवा प्राणघातक दुर्घटना का शिकार हो जाता है तब उसे प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। किंतु मैं अनेक ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिससे पता चलता है कि कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन किया है। प्रतिपूर्ति नहीं दी गई, सिर्फ उन्हें एकमुश्त राशि का भुगतान किया गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मामले में तो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है। आठ घंटे की ड्यूटी का अनुपालन भी नहीं हो रहा है। कर्मकारों को 10 घंटे से भी अधिक

[श्री बसुदेव आचार्य]

काम करना पड़ रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय कंपनियों में ड्राइवरों को 15 से 20 घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ता है। 1973 के लिखित करार में यह समझौता हुआ था और इस सभा में यह घोषणा की गई थी कि आगे से 'रनिंग स्टाफ' (चालक दल) के ड्यूटी के घंटे, काम शुरू होने से लेकर काम समाप्ति तक दस होने चाहिए। 30 वर्षों के बाद भी भारतीय रेल के द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। देश में ठेके के हजारों कर्मकार हैं जिनसे सिविल कार्य, ट्रैक के रख रखाव और ट्रैक बदलने का कार्य लिया जाता है। हजारों ऐसे कर्मकार हैं। इन कर्मकारों को उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। यहां तक कि आई एल ओ कन्वेंशन (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय) जिसकी संपुष्टि भारत सरकार ने भी की है, का पालन नहीं किया जा रहा है। उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। ये कर्मकार कहां जाएंगे? यह उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियों का परिणाम और खामियाजा है। इसका हमारे देश के कामकाजी वर्ग और उनकी सामाजिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

सामाजिक सुरक्षा कोई दयादान की चीज नहीं है। यह मानव नीति का अभिन्न अधिकार है। हम अपने देश में सामाजिक सुरक्षा पर क्या खर्च कर रहे हैं? हम अपने जीडीपी का 1.8 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा उपायों पर सरकार का सार्वजनिक व्यय जीडीपी काफी अधिक खर्च कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पर खर्च बढ़ाकर जीडीपी का 2 प्रतिशत करना चाहिए। मैक्सिको और श्रीलंका जैसे छोटे देश सामाजिक सुरक्षा पर हमारे देश से अधिक खर्च कर रहे हैं। यहां तक कि चीन भी सामाजिक सुरक्षा पर 3 प्रतिशत से अधिक खर्च कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर): आचार्य साहब, आपसे एक निवेदन है। अगर आप अनुमति दें।

श्री बसुदेव आचार्य: ठीक है।

श्री थावरचंद गेहलोत: देश के जो गरीब राज्य हैं, उनमें बिहार और पश्चिम बंगाल के बारे में भी कुछ जानकारी इन विषयों पर हमें देंगे तो हमारे सदन का ज्ञानवर्धन होगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: पश्चिम बंगाल गरीब राज्य नहीं है। *...(व्यवधान)* पश्चिम बंगाल अकेला ऐसा राज्य है दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग जिसका गठन आपकी सरकार के दौरान हुआ था की रिपोर्ट में भी यह स्वीकार किया गया है।

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत: इस विषय पर जो चर्चा हो रही है, मैं उसी के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: यह रिपोर्ट आपकी सरकार के समय की है। आपके समय में जब यह रिपोर्ट बनी थी, मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं। यह रिपोर्ट हमारी सरकार के समय की नहीं है। इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जहां पर अनऑरगेनाइज्ड लेबर के लिए प्रोवीडेंट फंड इंट्रोड्यूस किया गया है। पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जहां पर जो यूनिट क्लोज, लॉक-आउट हो गये हैं, उनकी लेबर को हर महीना एलाउंस दिया जा रहा है। यह दूसरी किसी रिपोर्ट में नहीं है। आपकी सरकार के जमाने में जो नेशनल लेबर कमीशन बना था, उसमें *...(व्यवधान)*

श्री थावरचंद गेहलोत: यह थ्रू-आउट इंडिया में है। केवल वेस्ट बंगाल में नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य: आपकी रिपोर्ट में इस बारे में जिक्र है। इस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है।

सभापति महोदय: क्रॉस-टॉक मत कीजिए। गेहलोत जी, इनके बाद आपका नाम है।

[अनुवाद]

मैं अपने देश की बात कर रहा हूं और वह एक विशेष राज्य का उल्लेख कर रहे हैं। जब उन्होंने एक विशेष राज्य का उल्लेख किया है तो मुझे स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी है।

सभापति महोदय: मैं श्री गेहलोत से अनुरोध करता हूं कि वह श्री आचार्य द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों पर ध्यान दें फिर वह उनके प्रश्नों का अपनी बारी आने पर उत्तर दे सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: पश्चिम बंगाल में भविष्य निधि योजना कृषि श्रमिकों के लिए शुरू की गई है। बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया गया है। बंद औद्योगिक एककों के संबंध में सिर्फ पश्चिम बंगाल राज्य का इसमें उल्लेख किया गया है।

[हिन्दी]

और आप क्या सुनना चाहते हैं, बताएं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप उनको और न सुनाएं, आप अपनी बात कहें।

श्री बसुदेव आचार्य: रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया है? उन्होंने दो रिपोर्टें दी है। एक गुप्ता कमेटी रिपोर्ट है और दूसरी अहलुवालिया कमेटी रिपोर्ट है। उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): आप उन्हें अब लागू क्यों नहीं करते हैं?

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: यह कानून आ रहा है।

श्री लक्ष्मण सिंह: छः महीने तो हो गए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: आपने छः साल में देश को बर्बाद कर दिया। आप पहले उधर थे, अब बीजेपी जाइन कर ली, फिर भी उधर ही हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है। आपकी सरकार छः साल तक सोती रही, देश को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, कारखाने बंद कर दिए, विनिवेश करके समूचा रोजगार बंद कर दिया और हमें कहते हैं कि छः महीने से आप क्या कर रहे हैं। बंगाल में जो हो रहा है, उसके बारे में सोचें। आप हमें ज्यादा मत बोलने के लिए कहें।

[अनुवाद]

महोदय, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार अधिकांश लोगों में असुरक्षा की भावना वैश्विक प्रलंयकारी घटनाओं की आशंका की अपेक्षा दैनिक जीवन की चिंताओं से ज्यादा बढ़ती है।

सभापति महोदय: श्री आचार्य, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से संबंधित विधेयक पुरःस्थापित किया है। मेरे पास सात और नाम हैं और आप भी चाहेंगे कि वे सभी चर्चा में भाग लें। अपना तर्क देते समय कृपया उसे ध्यान में रखें।

श्री बसुदेव आचार्य: इसे अगले सप्ताह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

सभापति महोदय: यह सच है। लेकिन हमें अन्य सदस्यों को बोलने के लिए भी समय देना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य: यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत से सदस्य इस चर्चा में भाग लेने के इच्छुक हैं।

सभापति महोदय: आप आपस में समय विभाजित कर लें। इस प्रकार मैं आपके समय को सीमित नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस निमित्त समिति द्वारा जो समय आवंटित किया गया है वह दो घंटा है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम चर्चा उसी समय सीमा के अंदर पूरी कर लें।

श्री बसुदेव आचार्य: यह हमेशा से किया जाता रहा है कि एक निश्चित समय सीमा दी जाती है और बाद में वह बढ़ा दी जाती है।

सभापति महोदय: मैं इस पर अडिग नहीं रहना चाहता हूं। लेकिन कृपया इसे ध्यान में रखें और उसी अनुरूप अपनी चर्चा करें।

श्री बसुदेव आचार्य: समय बढ़ाया जा सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कई सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहेंगे। *...(व्यवधान)* उनकी चिंता का विषय यह है कि क्या उनके और उनके परिवार के खाने के लिए पर्याप्त खाद्य पदार्थ हैं? क्या वे बेरोजगार हो जाएंगे, क्या उनकी गालियां और अड़ोस-पडोस अपराध से सुरक्षित होंगे, क्या वे गुजरात जैसे राज्य विशेष के प्रताड़ना के शिकार हो जाएंगे, क्या वे लिंग आधारित हिंसा के शिकार हो जाएंगे।

यह कहा जा सकता है कि मानव सुरक्षा के दो पहलू होते हैं। इसका आशय है भूख जैसी पुरानी समस्याओं से सुरक्षा

[हिन्दी]

फूड फॉर वर्क इसीलिए चालू किया है।

श्री धावरचंद गेहलोत: पहले भी था।

श्री बसुदेव आचार्य: पहले नहीं था। आपने छः साल तक कुछ नहीं किया। इसीलिए आपको उधर बैठना पड़ा। आप सोच रहे थे कि इधर रहेंगे, लेकिन उधर चले गए। इसलिए अब कुछ दिन वहीं रहें।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): नई बात बोलिए, छः महीने पहले भी यही बोलते थे और अब भी यही कह रहे हैं।

सभापति महोदय: पांडेय जी, ऐसा मत करें। आचार्य जी, आप अपने सब्जेक्ट तक मतलब रखें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: क्या वे अपने लिंग के कारण हिंसा का शिकार होंगे। इसका आशय है भूख, बीमारी और अवसाद जैसी पुरानी समस्याओं से सुरक्षा। इसका अर्थ है जीवन शैली में आने वाले अचानक व्यवधान से सुरक्षा जीवन शैली में व्यवधान कार्य क्षेत्र या सामुदायिक क्षेत्र में हो सकता है।

[श्री बसुदेव आचार्य]

विश्व बैंक ने इसे "मानवाभिमुख, पूंजीभिमुख हस्तक्षेप" के रूप में परिभाषित किया है। उस परिभाषा की परिधि में श्रम बाजार संबंधी हस्तक्षेप। सामाजिक आश्वासन और सामाजिक सुरक्षा शामिल है। सामाजिक सुरक्षा को दान-आधारित हस्तक्षेप के बजाय मौलिक अधिकार के रूप में देखने की जरूरत है।

महोदय, मैं सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बात कर रहा था। श्रीलंका में 4.7 प्रतिशत और चीन में 3.6 प्रतिशत की तुलना भारत में सामाजिक सुरक्षा पर सरकारी व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत है। भारत में सामाजिक सुरक्षा पर किये जाने वाले अपर्याप्त व्यय को देखते हुए यह आवश्यक है कि योजनाएं और कार्यक्रम इस ढंग से बनाए जाएं कि जनता के विविध संवेदनशील वर्गों की आवश्यकताओं को पूरी की जा सके। महोदय, ये सभी बेरोजगारी अयोग्यता, बेरोजगारी खामी, रोजगार खामी, नौकरी से सेवानिवृत्ति, प्रसूति आपात व्यय, वृद्धावस्था शारीरिक बीमारी तथा अक्षमता है। पांच वर्ष पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने बंद पड़े औद्योगिक एककों के कर्मियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की। इस योजना का मूल उद्देश्य है बंद पड़े एककों को पुन: चालू करना। यह भी परिकल्पना की गई है कि एककों के बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हो चुके कर्मियों को कुछ वित्तीय राहत प्रदान की जाए। श्रम मंत्रालय को एककों के बंद हो जाने के कारण भुखमरी का सामना कर रहे कर्मियों के लिए ऐसी नवोन्मुखी योजना तैयार करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि ऐसी नवोन्मुखी योजना श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार की जाए।

महोदय, निर्माण कार्य में लाखों कर्मी कार्यरत हैं। इसी सभा में एक कानून बनाया गया था लेकिन मात्र चार राज्यों में भवन और निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तहत लाभ दिये जा रहे हैं। यह अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। केवल दो राज्यों यथा मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने ही नियम बनाए हैं। भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन केवल दो राज्यों नामत: केरल और असम में किया गया है।

महोदय, नौवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित करते हुए इस पर जोर दिया गया कि सामाजिक सुरक्षा को अधिकार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सिफारिश की कि सामाजिक सुरक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन उस सिफारिश को अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। यही कारण है कि मैं यह विधेयक लाया हूं क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 41 में उल्लेख किया गया है कि:

> "राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के दायरे में रहते हुए काम के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कारगर उपबंध करेगा।"

आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में एक बार प्रयास किया गया था। वह एक प्रयास था लेकिन उस पर कार्य नहीं किया जा सका था। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के दायरे में रहते हुए कारगर उपबंध करेगा ताकि कार्य और शिक्षा के अधिकार तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता और अनपेक्षित आवश्यकता की स्थिति में सरकारी सहायता सुनिश्चित की जा सके। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में भी उल्लिखित है। इसे भी क्रियान्वित नहीं किया गया है। सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे क्रियान्वित करना आवश्यक है।

प्रथम श्रम आयोग के अनुसार असंगठित श्रमिक उन श्रमिकों को कहा जाता है जो रोजगार के आकस्मिक स्वरूप, अज्ञानता, निरक्षरता, छोटे एवं असंगठित प्रतिष्ठान, उद्योग की स्वरूप के कारण नियोक्ता की शक्ति की स्थिति जैसे प्रतिबंधों के कारण आम उद्देश्य की प्राप्ति में संगठित नहीं हो पाए हैं। मुख्य कर्मी उन श्रमिकों को कहा जाता है जो वर्ष में अधिक से अधिक दिन अर्थात वर्ष में 296 दिन कार्य करते हैं। सीमांत कर्मी उन श्रमिकों को कहा जाता है जिन्हें छ: महीने से कम समय के लिए काम करने को मिलता है। कुल कर्मियों में मुख्य कर्मियों की संख्या 28 मिलियन और उनमें से 9 प्रतिशत कर्मी सीमांत कर्मी हैं। संगठित क्षेत्र में 60 प्रतिशत कर्मी कृषि और उसकी अनुषंगी गतिविधियों में कार्यरत असंगठित कर्मियों में उन कर्मियों का सर्वाधिक शोषण किया जाता है। ऐसे भी श्रमिक हैं जो अपना कार्यक्षेत्र बदलते हैं।

दूसरी समस्या है अपर्याप्त रोजगार। यह समस्या भी बढ़ रही है। मजदूरी कम की जा रही है। आउटसोर्सिंग हो रही है। स्थायी श्रमिक के स्थान पर श्रमिक ठेके पर रखे जा रहे हैं। हमारे देश में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन), अधिनियम, 1970 नामक कानून है, जिसे उनकी सरकार ने निरसित करना चाहा। क्या यह सच नहीं है कि वे इस अधिनियम का निरसन करना चाहते थे? वे औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करना चाहते थे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आपने नहीं किया क्योंकि आप कर नहीं सके। आपकी ट्रेड यूनियन ने भी इसका विरोध किया। डीएमएस, ने विरोध किया इसलिए यह काम नहीं कर सके सभी सैंट्रल ट्रेड यूनियनों ने इसका विरोध किया।

[अनुवाद]

मैं कह रहा था कि वे इस अधिनियम का निरसन करना चाहते थे। ठेके पर कार्यरत श्रमिकों के आज जो कुछ अधिकार है वह 1970 में पारित इस अधिनियम के कारण है। कई मामलों में उस

अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। जिन जिन क्षेत्रों में ठेके पर श्रमिक को रखा जाना वर्जित है वहां भी ठेके पर श्रमिक रखे जा रहे हैं। वह इसे जानते हैं क्योंकि तीन दिन पहले ही मैंने उन्हें ऐसे तीन मामले बताए हैं। भारतीय खाद्य निगम में संभलाई संबंधी कार्यों के लिए ठेके पर श्रमिक रखना वर्जित है लेकिन ठेके पर श्रमिक रखे जाते है। उन लोगों का शोषण किया जा रहा है।

सबसे अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा भविष्य निधि होती है। पहले भविष्य निधि पर ब्याज दर 12 प्रतिशत हुआ करते थे। जब वे सत्ता में आए तब उन्होने डा. रेड्डी, जो अब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, की अध्यक्षता में समिति गठित की। उस समिति का तर्क क्या था? उस समिति की सिफारिशें क्या थी? रेड्डी समिति ने सिफारिश की कि भविष्य निधि पर ब्याज दर को कम करके 8.5 प्रतिशत कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उस समय मुद्रास्फीति की दर मात्र 2.5 प्रतिशत थी। यह सच है कि मुद्रास्फीति दर 2.5 प्रतिशत थी ...*(व्यवधान)* आज वे ब्याज दर 12 प्रतिशत करने की मांग क्यों कर रहे हैं?

आप क्यों मांग कर रहे हैं? क्या यह अनुचित है? यह अनुचित नहीं है। ब्याज दर घटाकर 9.5 प्रतिशत कर दी गई। लेकिन उन्होंने घटाकर इसे 8.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। लेकिन चुनाव के कारण उसे लागू नहीं किया। उन्होंने इसे कम करने का निर्णय लिया। आप 7.5 प्रतिशत पर क्यों है? जब ब्याज दर 12 प्रतिशत थी तब मुद्रास्फीति दर 7.5 प्रतिशत थी इसलिए ब्याज दर को बढ़ाकर 12 प्रतिशत क्यों नहीं किया जाये?

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): ऐसा इसलिए है क्योंकि उद्योग रुग्ण हो गए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: यदि आप कर्मचारियों को वेतन नहीं देंगे तो उद्योग तो रुग्ण होंगे ही।

श्री तथागत सत्पथी: यदि उद्योग बचे रहते हैं तो कर्मचारी बचे रहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: आप इतने कर्मचारी विरोधी क्यों हो गए हैं? कभी-कभी आप कर्मचारियों और कर्मचारी वर्ग के बारे में भी सोचें। आपकी मानसिकता ऐसी क्यों है? वे कर्मचारी ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को बनाया है। हमारे लिए वह परिसम्पत्ति है क्योंकि सोवियत संघ हमारे साथ था। यदि सोवियत संघ हमारे साथ नहीं होता तो बोकारो और भिलाई—बड़े भारतीय उद्योग—हमारे पास नहीं होते।

श्री तथागत सत्पथी: राऊरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी द्वारा बनाया गया था।

श्री बसुदेव आचार्य: बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र किसने बनाए? हमें पैसा किसने दिया? हमें किसने प्रौद्योगिकी दी?

सभापति महोदय: माननीय बसुदेव आचार्य, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। कृपया आप उनको सम्बोधित न करें और संक्षेप में बोलें। कृपया जो वे कह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दें। आप सोच लीजिए कि आपको क्या कहना है और आप सभी मुद्दों पर संक्षेप में बोलिए।

श्री बसुदेव आचार्य: ब्याज दर 10 प्रतिशत क्यों नहीं होनी चाहिए? कम से कम इसे 9.5 प्रतिशत से कम नहीं किया जाना चाहिए। इसे बनाये रखिए। यह अकेली सामाजिक सुरक्षा है। कर्मचारी हमारे देश की जीवन रेखा है और सेवानिवृत्ति के पश्चात् यह अकेली सामाजिक सुरक्षा है। वे कहां जाएंगे? बेरोजगारी है। बेरोजगारी बढ़ रही है। छह करोड़ से अधिक युवा बेरोजगार हैं, रोजगार के अवसर सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में कम हो गए हैं। आप निजी क्षेत्र की प्रशंसा कर रहे हैं वे निजी क्षेत्र का गुणगान करने के लिए वहां बैठे हुए हैं। सरकारी क्षेत्र ने हमारे देश को रोजगार दिया है। इसी कारण हम निजी क्षेत्र के साथ है। जब हमने आजादी पाई थी तब यहां कैसे था? हमने समाजवाद की राह का अनुसरण क्यों किया था? आत्मनिर्भरता की नीति हमारा आधार थी। इसी कारण बड़े उद्योग, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हमारे देश में आए। हम सामाजिक सुरक्षा की तुलना नहीं कर सकते हैं जो हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अथवा निजी क्षेत्र के उपक्रम के साथ भी है। हम नाल्को के निजीकरण का विरोध करते हैं। मैं तीन बार नाल्को में गया हूं मैं धमानजोड़ी भी गया था परन्तु वे नालको के निजीकरण के पक्षधर थे, वे वहां पर बैठे हैं।

श्री तथागत सत्पथी: हमने कभी भी निजीकरण का समर्थन नहीं किया है।

श्री बसुदेव आचार्य: आप उनका समर्थन नहीं करते थे। मैं जानता हूं कि उन्होंने निजीकरण का समर्थन किया वे निजीकरण के लिए थे।

श्री तथागत सत्पथी: हम सामाजिक आधार से आते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं जानता हूं कि आपका सामाजिक आधार है।

अत:, महोदय इसी कारण मैं सामाजिक सुरक्षा चाहता हूं- सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची में शामिल होना चाहिए। यह हमारे देश के लाखों लोगों का अभिन्न अधिकार है जिससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। कृषि श्रमिक, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, बीड़ी कर्मकार हथकरघा

[श्री बसुदेव आचार्य]

कर्मकार और बुनकर असंगठित क्षेत्र के कर्मकार हैं यदि हम न्यूनतम साझा कार्यक्रम को कार्यान्वित करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए उनके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि हमारा इस सरकार को समर्थन केवल इसके लिए हैं।

महोदय, हम इस सरकार को बाहर से समर्थन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह सरकार अगले पांच वर्षों तक सत्ता में रहें परन्तु इस सरकार को न्यूनतम साझा कार्यक्रम की रूपरेखा के भीतर ही कार्य करना चाहिए। गत पांच और छह वर्षों में इस देश के लोगों पर 25000 करोड़ रुपये लगभग का भार पड़ा है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह इस भार को हटाए तथा उनसे यह भी अनुरोध करते हैं कि पिछली सरकार की नीतियों का अनुसरण न करे।

भारत के लोगों ने उनको अस्वीकार कर दिया है। गत लोक सभा चुनाव में भारत के लोगों का जनादेश किसी विशेष दल के पक्ष में नहीं था परन्तु उनका जनादेश स्पष्ट है और यह जनता विरोधी नीतियों के विरुद्ध है जोकि एन.डी.ए. सरकार द्वारा चलाई गई थी तथा मौजूदा सरकार को उन नीतियों को बदलना होगा और ऐसा इसलिए भी हम न्यूनतम साझा कार्यक्रम का समर्थन करते हैं। जिसमें कर्मकारों, निर्धन लोगों, अक्षम व्यक्तियों, कृषि, श्रमिकों जोकि मुख्य घटक है के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराना है।

इसलिए मैं संप्रग सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह हमारे देश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के संदर्भ में न्यूनतम साझा कार्यक्रम को कार्यान्वित करें।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इससे पहले कि मैं अगले माननीय सदस्य को बोलने हेतु बुलाऊं। मैं श्री डब्लू.वांग्यू कोन्यक को उनके दो विधेयकों को पुर: स्थापित करने का अनुरोध करता हूं। मैं उनको अब दो विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति देता हूं।

अपराह्न 4.47 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित-*जारी*

(तैंतीस) संविधान (संशोधन) विधेयक*, 2004

[अनुवाद]

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक (नागालैण्ड): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 3.12.2004 में प्रकाशित।

अपराह्न 4.48 बजे

(चौंतीस) परिसीमन (संशोधन) विधेयक*, 2004
(धारा 2 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक (नागालैंड): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि परिसीमन अधिनियम 2002 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि परिसीमन अधिनियम, 2002 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न $4.48^{1}/_{2}$ बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004

नए अनुच्छेद 21ख आदि का अत:स्थापन—*जारी*

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य जी द्वारा जो संविधान संशोधन विधेयक, 2004 प्रस्तुत किया गया है, उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं श्री बसुदेव आचार्य जी को लम्बे समय से जानता हूं। उनका इस प्रकार का भाषण सुनते-सुनते मेरी उनके प्रति और उनके दल के प्रति जो

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 3.12.2004 में प्रकाशित।

धारणा बनी है, वह इस कहावत को चरितार्थ करती है-हाथी के दांत खाने के और तथा दिखाने के और। इससे पहले एक-दो बार इनके समर्थन से जो सरकार चली थी, उस समय भी ये ऐसा ही करते थे। आज ये बाहर से समर्थन दे रहे हैं, परंतु वैसा ही कर रहे हैं। अब उन्होंने यहां जो संविधान संशोधन करने की बात कही है, उसके एक अनुच्छेद 21 में छः वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने संबंधी प्रावधान है। इसके अनुच्छेद 41 में उन्होंने एक संशोधन चाहा है। उसमें वह चाहते हैं कि अनुच्छेद 41, जो काम के अधिकार, शिक्षा के अधिकार और अन्यान्य प्रकार के अधिकार देता है, उसका लोप कर दिया जाए। अनुच्छेद 21 में उन्होंने 21 ख और 1, 2, 3, 4, 5, जैसे कुछ बिन्दु जोड़कर कहा है कि इनका समाधान अनुच्छेद 21 के माध्यम से हो जाता है। वैसे सीमित विषय और सीमित समय की आवश्यकता थी परंतु उन्होंने लंबा-चौड़ा भाषण दिया। अच्छा हुआ, उन्होंने 1 मई मजदूर दिवस की बात नहीं कही और विदेशों में क्या होता है, उसकी बात नहीं कही। आज फिर भी थोड़ी लिमिट में रहे। अगर हम पांच-सात सदस्य भी इस सदन से बाहर चले जाते तो और ज्यादा बोलते। मैंने उनकी सभा सुनी है। अगर पांच लोग बैठे रहते हैं तो सवा घंटा बोलते हैं अगर थोड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो समय कुछ कम हो जाता है।

सभापति महोदय: मैंने आपके लिए रिक्वैस्ट की थी कि आपके लिए भी समय बचाएं, तब उन्होंने कम किया।

श्री थावरचंद गेहलोत: मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि भारत का संविधान 30 जनवरी, 1950 को लागू हुआ और शिक्षा के अधिकार को नि:शुल्क और अनिवार्य बनाने की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेद 45, 21 और 51 में पहले से प्रावधान थे। उस संविधान के लागू होने के बाद 50 वर्षों तक आप और आपके समर्थन से चलने वाली सरकारों ने उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया था। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी ने कदम उठाया तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उठाया था। अनुच्छेद 21, 51 और 54 संशोधन करके शिक्षा को मौलिक अधिकार देने का दर्जा अटल जी की सरकार ने दिया था। आपको अगर ध्यान न हो तो मै तीनों अनुच्छेदों के बारे में बताना चाहूंगा। आपने केवल छः से चौदह वर्ष के बच्चों की बात कही गई है। जब बच्चा चार साल का होता है, तब से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान अनुच्छेद 45, 21 और 51 में किया गया है। अनुच्छेद 45 राज्य सरकार को दायित्व देता है अनुच्छेद 21 केन्द्र सरकार को देता है और अनुच्छेद 51 पेरेन्ट्स के लिए जिम्मेदारी का निर्वहन करने का प्रावधान करता है। यह उस सरकार ने किया है। आप अगर एक वाक्य भी बोलते तो अच्छा होता कि उस सरकार ने ये कदम उठाए थे जो ठीक हैं, परंतु आपने ऐसा कुछ नहीं बोला।

सभापति महोदय: आज के बिल का जो दायरा है, वह अनुच्छेद 21 बी तक है। मैं चाहूंगा कि आप कृपा करके उस पर ज्यादा बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री थावरचंद गेहलोत: मैं उसी पर बोल रहा हूं। आप अगर उसको बारीकी से...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अनुच्छेद 21 पर बोल रहे हैं, लेकिन आज का दायरा 21 (बी) है। उस पर जोर दीजिए।

श्री थावरचंद गेहलोत : मैंने 21 (ख) के बारे में कहा है और उसके आधार पर कुछ बिन्दु ऐसे कर दिये कि सभी नागरिकों को समाजिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा, यह उपबंध निलंबित नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में, अब मैं इस पर आने वाला हूं। जो संशोधन किये हैं उस प्रकार का कानून है, ये अगर ऐसा बोलते तो मुझे अच्छा लगता। मैं इसीलिए याद दिला रहा हूं। इतना ही नहीं, सरकार ने कैसे उस पर अमल करने के लिए सारे देश में सर्वशिक्षा अभियान की योजना बनाकर, शिक्षा का बजट पहले 40 हजार करोड़ रुपये था, उसको बढ़ाकर 49 हजार करोड़ रुपये किया और इस प्रावधान के लिए भी 33 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यवस्था करके, सारे देश में सर्व शिक्षा अभियान योजना के माध्यम से सर्व शिक्षा का प्रावधान और अभियान उसी सरकार ने चलाया। एक भी शब्द उस बारे में बोलते तो मुझे इनको कहने की आवश्यकता नहीं थी।

अनुच्छेद 21 ख के बारे में कहा गया है कि जब संशोधन हो गया, उसको अमल में लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो आप कह सकते थे कि इस प्रकार के सर्कुलर, इस प्रकार के आदेश और इस प्रकार के निर्देश जारी कर दिये जाएं ताकि इस योजना का क्रियान्वयन हो और इसे ठीक से अमल में लाया जा सके। इस प्रकार का कोई सुझाव दिया होता तो ज्यादा उचित होता। फिर 41 का वह लोप करना चाहते हैं। 41 का लोप करने में जो बिन्दु थे, उसमें ख के बाद जो 1, 2, 3, 4, और 5 दे दिया, उसमें काम का अधिकार और सब कुछ है। मैं इस संबंध में याद दिलाना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद लेबर एक्ट बने हैं। एक नहीं, अनेक प्रकार के कानून-कायदों के नाम आपने लिये हैं। मैं सबका नाम लेकर सदन का समय जाया नहीं करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, हर प्रकार के एक्ट बने हैं। उन पर अमल करने के लिए कुछ नियम भी बने हैं। उन नियमों का पालन करने में कहीं छोटो-मोटी खामियां हैं। उन्हें ठीक करने का सुझाव यदि आप देते, तो अच्छा रहता, लेकिन आपने वैसा सुझाव नहीं दिया। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भारत के संविधान का विस्तार से अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया था। उसके पीछे मंशा

[श्री थावरचंद गेहलोत]

यही थी कि भारत का जो संविधान बना, जिसे लागू किया गया और जिस मंशा किया गया, वह पूरी नहीं हुई। जो मंशा संविधान निर्माताओं की थी, जो परिकल्पना संविधान को बनाने वालों ने की थी कि बेरोजगारी नहीं रहेगी, भेदभाव नहीं होगा, अमीर-गरीब का भेद नहीं होगा छुआछूत का वातावरण नहीं होगा, अमन-चैन का वातावरण सारे देश में होगा, सब लोगों को रोजगार प्राप्त करने और रोजी-रोटी कमाने का अवसर प्राप्त होगा, ये सब बिन्दु उसमें थे, लेकिन आज संविधान को लागू हुए 55 वर्ष हो गए, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एक तरफ बहुत अमीरी है और दूसरी तरफ बहुत गरीबी है, अन्यान्य किस्म का भेदभाव है। इन सब बातों पर विचार करके राय देने के लिए और उसके अनुसार संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए उस आयोग का गठन किया गया था।

महोदय, संविधान 1950 में लागू हुआ और अब तक 55 साल संविधान को लागू हुए हो गए, लेकिन देश का जो स्वरूप होना चाहिए, जो स्वरूप दिखाई देना चाहिए, वह दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कारण है कि संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उनमें कही न कहीं, किसी न किसी प्रकार की गलतियां रही हैं या फिर अमल करने के जो तौर-तरीके हैं, उनमें खामियां रही हैं या कहीं उनका दुरूपयोग तो नहीं हो रहा है, इन सब बातों पर विचार करने के लिए आयोग को प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया था। उस आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया। जो बिन्दु बसुदेव आचार्य जी, आज आपने यहां उठाए हैं, उस प्रकार के सब बिन्दु उस आयोग के प्रतिवेदन में हैं। उन सबको सम्मिलित कर के, एक संशोधन विधेयक लाने का काम आपने क्यों नहीं किया?

महोदय, लेबर एक्ट के बारे में भी एक द्वितीय श्रम आयोग का गठन माननीय सत्यनारायण जटिया जी के समय में हुआ और उसके गठन में भी ये सब बातें थीं। उसमें कांट्रेक्ट लेबर एक्ट की बात थी और भर्ती अधिनियम की बात भी थी। उसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की बात, बीड़ी श्रमिकों की बात तथा माइग्रेंट लेबर की बात थी। भिन्न-भिन्न प्रकार के 18-20 कानूनों के होने के बाद भी यह असमानता क्यों बनी हुई है, इन सबको देखने के लिए ही द्वितीय श्रम आयोग का गठन किया गया था। जिस प्रकार के उदाहरण बसुदेव आचार्य जी आपने दिए हैं उन सब पर प्रतिवेदन देने के लिए दूसरे श्रम आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग ने इन बिन्दुओं पर विचार कर के अपना प्रतिवेदन दे दिया है।

महोदय, इन दोनों आयोगों के प्रतिवेदन आज की तारीख में वर्तमान सरकार के विचाराधीन हैं। यदि आप में साहस हो और जो बिन्दु आपने अपने भाषण में उठाए हैं, यदि आप उन्हें मनवाना चाहते हैं उन पर विस्तार से चर्चा की गई है, उन पर सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों को लागू करने के लिए एक व्यापक संशोधन विधेयक लाएं, तो हम समर्थन करेंगे। इस प्रकार का आधा-अधूरा संशोधन लेकर आना और उस पर हमारा समर्थन चाहना, ठीक नहीं है।

महोदय, वर्ष 1991 में कांग्रेस की सरकार थी और माननीय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। उनके समय में उदारीकरण की नीति लागू हुई। श्री नरसिंह राव जी उस समय देश के प्रधान मंत्री थे। उनके समय में उदारीकरण की नीति की प्रक्रिया शुरू हुई।... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: थावर चन्द्र गेहलोत जी, क्या आपको मालूम है कि उस कमीशन ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस कमीशन ने वर्ष 2002 में रिपोर्ट सबमिट की और उसके बाद दो वर्ष तक आपकी सरकार रही। आपको उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए दो साल का समय मिला था, आपने उसे लागू क्यों नहीं किया?

सभापति महोदय: आचार्य जी, चेयर को एड्रस कर के बोलिए। आप सीधे उनसे मुखातिब मत होइए।

श्री थावरचंद गेहलोत: सभापति महोदय, माननीय आचार्य जी कह रहे हैं कि उस आयोग की रिपोर्ट को हमने दो साल तक लागू नहीं किया। यदि हमने गलती की, यदि दो साल में हमने कुछ नहीं किया, तो हम अपनी गलती मान लेते हैं, लेकिन आप हमारी गलती को क्यों दोहरा रहे हैं? यहां बड़ी हमदर्दी दिखाकर भाषण कर रहे हैं आंसू बहा रहे हैं, इससे क्या होगा। जी.पी.एफ. और पी.एफ. पर ब्याज कम हो गया। देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जो कठोर कदम उठाने की आवश्यकता थी, वे हमने उठाए।

अपराह्न 5.00 बजे

उस कदम को इस सरकार ने भी फॉलो किया। यह सरकार भी उसी कदम को उठा रही है और उसी कदम पर चल रही है। हमारी सरकार के समय में जितनी ब्याज दरें कम हुई थीं, उससे आधा प्रतिशत और एक प्रतिशत की ब्याज दर इस सरकार ने कम कर दी। आप क्या कर रहे हो? जीपीएफ और पीपीएफ की ब्याज दरें जब साढ़े आठ प्रतिशत की थीं तो उस समय के तत्कालीन श्रम मंत्री और देश के प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निर्णय लिया था कि श्रम मंत्रालय एक प्रतिशत ब्याज जीपीएफ और ईपीएफ पर सरकार देगी। क्या आप में साहस है, आप सरकार से दिलवा रहे हो? आपने उसे भी विदड्रा कर लिया। आपने साढ़े नौ प्रतिशत की बजाए साढ़े आठ प्रतिशत कर दिया और आप भाषण दे रहे हो।

मैं विदेशी पूंजी निवेश की बात करना चाहूंगा। आपने उल्लेख किया इसलिए मैं कहना चाहता हूं। मैंने पहले ही कहा कि यह दायरा बहुत सीमित है, केवल 21 और 21ख के बारे में ही करना है, आपने 41 को लोप करने की बात कर दी और 41 के कुछ बिन्दु 21 में जोड़ दिए, वहीं तक सीमित रहना था और आप विदेशी पूंजी निवेश की बात कर रहे हो। एलआईसी पर केवल 26 प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश किया जा सकेगा, हमने इस प्रकार का प्रावधान किया था और आपने क्या किया? आपको आंकड़े मालूम हों तो बता दें।... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हम विरोध कर रहे हैं... *(व्यवधान)*

श्री थावरचंद गेहलोत: आप कहां विरोध दिखा रहे हैं? 54 प्रतिशत कर दिए और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको सांप सूंघ गया है।... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: अभी कुछ नहीं हुआ है।... *(व्यवधान)*

श्री थावरचंद गेहलोत: इतना ही नहीं, आपने टेलीकॉम ब्यूरो में क्या किया? हमने इसमें 49 प्रतिशत किया था, इस हाउस को आपने चलने नहीं दिया, कागज फाड़े।... *(व्यवधान)* बहुत कुछ किया। आपने क्या किया, आपको आंकड़े मालूम हैं?... *(व्यवधान)* आप 49 प्रतिशत की बजाए 74 प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश टेलीकॉम ब्यूरो में करने वाले हैं। आप जो यह कर रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है, यह स्पष्ट कर दें? मुंह में राम, बगल में छूरी, इस देश के गरीब तबके के साथ आप जो करते हैं, यह ठीक नहीं है 25 साल तक मैं भी ट्रेड यूनियन में काम कर चुका हूं और मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं तथा वे भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। देश में मजदूरों का सबसे ज्यादा नुकसान इन्होंने किया है, केवल अपना हित, इन्होंने देश और उद्योग का हित नहीं सोचा। जब चाहा तब हड़तालें की और पश्चिम बंगाल में आधे से ज्यादा उद्योग बंद हो गए। ये विदेशी पूंजी निवेश की आलोचना करते हैं। इनके मुख्य मंत्री विदेशों में घूमते रहे, श्री ज्योति बसु साहब घूमते रहे और श्री भट्टाचार्य साहब भी गए। उन्होंने कहा कि साहब आओ, हमारे यहां उद्योग डालो। इनकी नीतियों के कारण वहां कोई नया उद्योग नहीं आ रहा। एक दूसरी यूनियन है, वह यूनियन इस प्रकार के विचार रखती है कि देश और मजदूरों का भी हित हो तथा उद्योगों का भी हो। हम उस नीति को लागू करने के लिए सोच-समझ कर ये सब निर्णय करते रहे हैं। आपको मालूम है कि असंगठित क्षेत्रों में माननीय साहिब सिंह वर्मा जी ने बीमा योजना और कुछ अन्य योजनाएं बनाई थीं, जिन्हें कार्यान्वित करने का काम किया है। आप साहस तो दिखाएं। सामान्यतया लेबर से संबंधित जो एक्ट हैं, वे राज्य सरकारों के नियंत्रण में रहते हैं और राज्य सरकारों के नियंत्रण में जहां उनकी सरकारें हैं, वहां मजदूरों की स्थिति सर्वाधिक खराब है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं, वही करने की कोशिश करें। अगर आप में साहस हो तो सरकार से मांग करें। मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि जो द्वितीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन सरकार के पास विचाराधीन है, उस पर विचार करें और एक व्यापक संशोधन विधेयक संविधान में लाएं। श्रम आयोग की रिपोर्ट पर गरीबों और श्रमिकों के हित में जो अच्छे कदम हो सकते हैं, उन्हें कानून के रूप में लाने का काम करें। भारत के संविधान में जो कल्पना की गई थी, वह कल्पना का स्वरूप हमें नहीं दिखाई दे रहा है और उन कारणों को उस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में दर्शाया हैं। उन्हें देखते हुए आप संविधान में संशोधन करने के लिए भी बिल लाएं, मैं उसका समर्थन करूंगा। मैं दोनों प्रकार की मांग करता हूं, कम्युनिष्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी और अन्य वामपंथी दलों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश के हित में आप इन दोनों आयोगों के प्रतिवेदन के आधार पर संविधान में संशोधन करने के लिए व्यापक बिल लायें। मैं उनका समर्थन करूंगा, हमारी पार्टी उनका समर्थन करेगी। आपको इस संविधान संशोधन का मैं विरोध करता हूं और आपको ... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: समर्थन करना तो एक बात है।

श्री थावरचंद गेहलोत: समर्थन नहीं कर सकते, इससे कुछ नहीं हो रहा है, 41 का लोप करके आपको क्या मिल रहा है, उसे 21 में लिख रहे हैं, संविधान खरीदकर रख रखा है, उसमें यह सारे कागज इधर-उधर चिपकाने पड़ेगे। इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं कि भगवान के लिए और श्रमिकों के लिए आप अपनी नीतियों को ठीक करो और सरकार को ठीक लाइन पर चलाने का प्रयास करो, अन्यथा सरकार से समर्थन वापस ले लो, ये घडियाली आंसू बहाना बन्द करो।

मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। मैं केवल सरकार से यह मांग करता हूं कि संविधान संशोधन आयोग ने जो प्रतिवेदन दिया है और द्वितीय श्रम आयोग ने जो प्रतिवेदन दिया है, उस पर गम्भीरता से, विस्तार से विचार-विमर्श करके संविधान में संशोधन करने के लिए और श्रम कानून बनाने के लिए आवश्यक पहल करें तो हम सरकार का सहयोग करेंगे।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, श्री बसुदेव आचार्य जी ने जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य जी के प्रारम्भिक भाषण के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री थावरचन्द गेहलोत का भाषण हुआ।

[श्री रामजीलाल सुमन]

इन्होंने श्री बसुदेव आचार्य के भाषण के सम्बन्ध में क्या टिप्पणी की, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। असल सवाल यह है और इस विधेयक की यही मंशा है कि जो किसी न किसी शक्ल में समाज के अपेक्षित लोग हैं, बेसहारा हैं, बेबस हैं, लाचार हैं गरीब हैं, वृद्ध हैं, विकलांग हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। श्री थावरचन्द गेहलोत का भाषण सिर्फ मजदूरों की समस्याओं तक केन्द्रित रहा। इस संविधान संशोधन विधेयक की जो मंशा है और जो मैंने समझा, वह मोटे तौर पर यह है कि राज्य का यह दायित्व होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस देश में कोई भूखा न मरे, कोई कुपोषण का शिकार न हो, जो बेरोजगार हैं, उनको काम मिले और अगर काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी का भत्ता मिलना चाहिए। जिनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जायें और राज्य की तरफ से यह संकल्प होना चाहिए कि इस देश का रहने वाला कोई व्यक्ति बेबसी और लाचारी का शिकार होकर नहीं मरेगा।

सामाजिक सुरक्षा सार्वभौमिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और जैसा मैंने पहले आपके मार्फत कहा कि सामाजिक सुरक्षा का जो दायरा है, उसे श्रमिकों के कल्याण तक सीमित नहीं रखा जा सकता। अभी श्री थावरचन्द जी ने जिक्र किया कि द्वितीय श्रम आयोग की रिपोर्ट देख ले। इसी हाउस में पिछली बार ये लोग थे, मैं भी इस हाउस में था, बेरोजगारी के सवाल पर मोंटेक सिंह अहलूवालिया कमेटी, एस.सी. गुप्ता कमेटी और द्वितीय श्रम आयोग, ये सब काम तो हुए, लेकिन बेरोजगारी के सवाल पर हिन्दुस्तान के आम आदमी को हम यह अहसास कराने में असमर्थ सिद्ध हुए कि हम रोजगार देने के लिए हम चार कदम आगे बढ़े हैं।

सवाल इस बात का नहीं हैं कि श्रमिकों का, गरीबों का और जो लोग कुपोषण के शिकार हैं, उनका कल्याण कौन करता है? उनका कल्याण चाहे ये लोग जब ताकत में थे तब करते चाहे वर्तमान सरकार जो इस समय ताकत में है, वह करें। लेकिन असल सवाल यह है कि हिन्दुस्तान के जो बेसहारा लोग हैं उनको अहसास होना चाहिए कि देश की सरकार कम से कम उन्हें घुट-घुट कर मरने के लिए मजबूर न करे।

जहां तक श्रमिकों का सवाल है, श्रमिकों के लिए कानून तो बहुत पहले से बने हुए हैं-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि उपबंध अधिनियम 1952, श्रमिक मुआवजा अधिनियम कर्मचारी पैंशन योजना इत्यादि-इत्यादि। वे क्या कारण हैं जिसके चलते तमाम कानून हमारे देश में बने हैं लेकिन बेबसी और लाचारी में कोई कमी नहीं आई? मैं समझता हूं कि इसका सीधा मतलब यह है कि कानून बनाने के बावजूद हमारी मंशा उसे क्रियान्वित करने में साफ नहीं है। इस कारण उसके अपेक्षित।

आज हमारे देश में क्या हालात है? देश में भूख से मौतें होती हैं। हमारे देश में 55 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। मात्र 30 प्रतिशत घरों में बिजली का प्रबंध है और बेरोजगारों की लंबी फौज खड़ी है। जब हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं या आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो उसके मूल में अगर हम जायें तो उसका सार यही है कि हिन्दुस्तान की जड़ में उसकी असली और बुनियादी समस्या हमारे देश की बेरोजगारी की है। ये बी.ए., एम.ए., बी.एस.सी., एम.एस.सी. की डिग्रियां लेने के बाद जब नौजवान हर दरवाजे पर दस्तक देता है और रोजगार के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब जाकर वह गलत रास्ता अख्तियार करने के लिए बाध्य हो जाता है। उस बेरोजगारी के सवाल पर सही अर्थों में कोई व्यवस्थित प्रयास हमारे देश में आज तक नहीं हुआ। मैं जरूर चाहूंगा कि सरकार उस पर चार कदम आगे चलने का काम करे।

जब हम सामाजिक न्याय की कल्पना करते हैं तो यह आवश्यक है कि यह काम सिर्फ कानून के जरिये नहीं हो सकता। इसमें समान वातावरण बनाना चाहिए और हमारे देश के बौद्धिक स्तर को भी ऊंचा उठाना चाहिए।

श्री थावर चंद गेहलोत ने सर्वशिक्षा अभियान की बात की। श्री गेहलोत जी, सर्वशिक्षा अभियान के लिए जो धन आवंटित हुआ है, उसका 1/4 भाग ही खर्च हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूनेस्को का यह कहना है कि सर्वशिक्षा अभियान की जो स्थिति है, उसका अगर यही हाल रहा तो वर्ष 2015 तक सभी बालकों को अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यावसायिक शिक्षा है, वह गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। हमारे देश में 1.5 करोड़ बच्चे आठवीं कक्षा पास करने के बाद स्कूल नहीं जा पाते। इसका मतलब यह नहीं कि उनके मां-बाप उन्हें स्कूल नहीं भेजना चाहते लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनको आगे शिक्षा नहीं दी जा सकती।

हमारे देश में मौजूदा दोहरी शिक्षा व्यवस्था है। आम आदमी के लिए यह मुश्किल है कि वह अपने बच्चे को बेहतर तालीम दे क्योंकि आज की महंगी शिक्षा उसके बस की बात नहीं है। मात्र 2.5 प्रतिशत बालक ही आज देश में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तमाम प्रतिभायें ऐसी हैं जिनको उनको उचित अवसर नहीं मिलता। जो देश के बड़े-बड़े ओहदों पर जा सकते हैं लेकिन अवसर नहीं मिलने के बाद तमाम ऐसी प्रतिभायें पहले ही शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। उस ओर हमारा कोई ध्यान नहीं है।

अपराह्न 5.14 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

देश में सिर्फ एक प्रतिशत नौजवान ऐसे हैं जो देश के 230 विश्वविद्यालयों के 11 हजार कालेजों में दाखिल पाये हुए हैं। आप

इस देश को कौन सा देश बनाना चाहते हैं? इस देश को क्या तालीम देना चाहते हैं, गरीब के साथ हम कहां से इंसाफ करना चाहते हैं।

आज हमारे देश में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, वह गरीबों के लिए अलग है और अमीरों के लिए अलग दिवा स्वप्न के अलावा और कुछ नहीं है। हमारे देश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है और लघु उद्योगों में निरंतर कमी होती जा रही है। गत वर्ष इस कमी का औसत 5.2 है। उदारीकरण की अंधी दौड़ में हिन्दुस्तान में रोजगार की संभावनाएं और समाप्त होती जा रही हैं। जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह है कि अगर हम छोटे उद्योग में पांच लाख रुपये लगाते हैं तो उससे सात लोगों को रोजगार मिलता है और अगर बड़े उद्योग में पांच लाख रुपये लगाते हैं तो उससे सिर्फ एक आदमी को रोजगार मिलता है। जब हम विदेशी पूंजी निवेश की बात करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि जब हमारे देश में विदेशी पूंजी निवेश होगा तो विदेशी तकनीक भी आएगी। सौ करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश में जब विदेशी तकनीक आएगी तो लोगों के हाथ से काम छिनेगा, मिलेगा नहीं। हमारे देश की सामाजिक संरचना, हमारे देश की भौगोलिक परिस्थिति, हमारे देश का मिजाज, अगर इन सब परिस्थितियों को नजरअंदाज करके हम कोई काम करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम नहीं निकल सकते। 18वीं शताब्दी में हिन्दुस्तान के हर गांव में कपड़ा बनता था। उस कपड़े से हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे, हम यूरोप के देशों को भी गर्म कपड़ा भेजने का काम करते थे। 18वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड में भारत का इंजन बना तो कहा गया कि यह औद्योगिक क्रान्ति हो गई। उसके बाद वहां कपड़ा बनने लगा जिसका बाजार हिन्दुस्तान बन गया। इसीलिए हमने स्वाधीनता संग्राम में विदेशी कपड़े की होली जलाई थी।

मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि जब तक किसी देश में अपने पैरों पर खड़ा होने का जज्बा नहीं होगा, तब तक उस देश का विकास किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। अगर हम यह सोचें कि हम दुनिया के किसी देश की मदद से आत्मनिर्भर बन जाएंगे, मैं नहीं समझ सकता कि इससे ज्यादा खराब सोच कोई दूसरी हो सकती है। यह बात सही है कि सड़कें बनाने का काम शुरू हुआ है। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन जो मौजूदा स्थिति है और पूरे देश में सड़कों की जो हालत है, उससे देश में एक हजार करोड़ की वार्षिक हानि हो रही है।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बिल का मोटा मकसद यह है कि हिन्दुस्तान में पैदा होने वाला कोई आदमी बिना दवा के न मरे। हिन्दुस्तान में पैदा होने वाला कोई आदमी, कोई बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं हो। हिन्दुस्तान के हर बच्चे को तालीम मिले, कोई बेबसी और लाचारी की जिंदगी न जिए। इस बिल का, इस संविधान संशोधन का मकसद यही है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश की जो स्थिति है, उसके चलते आम आदमी, गरीब आदमी का विश्वास टूटा है, विश्वास डगमगा रहा है। उस टूटे हुए विश्वास को जोड़ने के लिए अगर सरकार कोई सार्थक प्रयास कर सके तो मैं समझता हूं कि सरकार का निश्चित रूप से राष्ट्रीय धर्म होगा।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचुर): महोदय, मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इस विधेयक का प्रयोजन जन कल्याण है। महोदय, संशोधन का प्रस्ताव संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के एक अनुच्छेद में करने का है। हम सब जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व वह दिशा भी जिसके बारे में हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि भारत उस दिशा में बढ़ेगा। यह संभवत: देश के भविष्य के बारे में एक सपना था किंतु हमारी स्वतंत्रता और गणतंत्र की स्थापना के कई दशकों के बाद हमने अपना लक्ष्य नहीं पाया है। मैं महसूस करता हूं कि ऐसा कानून के अभाव के कारण नहीं है। संभवत: यहां अनेक कानून हैं जो अत्यन्त ही सार्थक और अच्छे उद्देश्य के लिए है किंतु प्रश्न यह है कि चाहे हमारा आर्थिक आधार बहुत मजबूत नहीं था, फिर भी क्या उन कानूनों को लागू करने के लिए हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति थी?

यहां मैं प्रख्यात भारतीय अर्थशास्त्री प्रो. अमर्त्य सेन का उदाहरण देना चाहूंगा। जिन्हें भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी और अन्य विषयों पर अध्ययन के लिए नोबल प्राइज मिला है। उन्होंने, महोदय, विशेषकर आपके राज्य और मेरे राज्य केरल के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने ही विकास के लिए केरल माडल को अपनाने के बारे में कहा है। संभवत: सभी लोग जानते हैं कि केरल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यदि आप उस राज्य को प्रति व्यक्ति आय अथवा राज्य का आर्थिक स्तर देखें तो आप पाएंगे कि यह निचले पायदान पर खड़ा है। पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे अनेक राज्य हैं जो केरल से आगे हैं। किंतु प्रो. अमर्त्य सेन ने जो कहा वह यह है कि इतनी पिछड़ी अर्थव्यवस्था, अत्यधिक विकसित सामाजिक जागरूकता और सार्वजनिक कार्य में आम जनता को साथ लेकर केरल ने वह हासिल किया जो भारत के अन्य राज्य नहीं प्राप्त कर सके-अर्थात् पूर्ण साक्षरता।

पूर्ण साक्षरता एक सपना है। पूरे विश्व में, कुछ ही देश हैं जहां पूर्ण साक्षरता हासिल की जा सकी है। केरल यह कैसे हासिल कर सका? यह आर्थिक रूप से विकसित राज्य नहीं है जहां अधिक विकास हुआ है। इसकी प्रतिव्यक्ति आय अत्यन्त ही कम

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

है। क्योंकि पूरे समाज ने महसूस किया, पूरे समाज ने इस अभियान में भाग लिया जिससे वह स्थिति आ गई कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को शिक्षित कर रहा था। यह घोषणा की गई कि संयुक्त राष्ट्र मानदंडों के अनुरूप केरल राज्य में पूर्ण साक्षरता हासिल कर ली है। इसलिए, सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं है जो प्रत्येक के लिए समृद्धि लाता है। यह राजनीति इच्छा शक्ति है जो यह सुनिश्चित करती है कि निरक्षरता समाप्त हो जाए और वहां निरक्षरता समाप्त हो गई है।

पुन: प्रो. अमर्त्य सेन ने एक अन्य बात कही है और वह यह है कि स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में। उन्होंने कहा कि वही एक राज्य है जहां शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है और वही एक राज्य है जहां प्रत्येक गाव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसमें डाक्टर, नर्स और अन्य न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम शिकायत कर सकते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है किंतु बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया है। फिर इसका क्या परिणाम निकला? देश के दूसरे भागों से अलग यहां शिशु मृत्यु दर को लगभग समाप्त कर दिया है। यह भारतीय औसत अथवा अन्य राज्यों में जो स्थिति है उस से काफी कम है। फिर केरल में औसत आयु कुछ यूरोपीय देशों के बराबर है। ये उपलब्धि इसलिए सही प्राप्त हो गई कि केरल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है अपितु यह कि यहां राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी विशेष राजनीतिक दल की था। कई दशकों से केरल में लोग सोच रहे थे कि ये कुछ लक्ष्य हैं जिन्हें लोगों के राजनीतिक संबद्धता से हटकर हासिल किया जा सकता है। इस मुद्दे पर आम सहमति थी।

मैं महसूस करता हूं कि संविधान संशोधन के माध्यम से हम अपनी इच्छा दोहरा रहे हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं किंतु यह संविधान में सिर्फ संशोधन करने अथवा विधेयक पुर:स्थापित करने से ही संभव नहीं है। सफलता तो राजनीतिक इच्छा शक्ति से आती हैं और इस राजनीतिक इच्छा शक्ति के इर्दगिर्द जनता में आम सहमति बननी चाहिए। जनता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा बताई गई दिशा में चलना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। यदि ऐसा किया जाता है तो ऐसी संभावना है कि आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होने की स्थिति में भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रो. अमर्त्य सेन का पूरे विश्व को प्रदर्शित अनुभव है। उन्होंने दिखला दिया कि यह संभव है और यह आवश्यक नहीं कि सिर्फ अत्यधिक आर्थिक विकास नहीं कि सिर्फ अत्यधिक आर्थिक विकास से ही बेरोजगारी दूर की जा सकती है। वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है।

कतिपय वास्तविक समस्याओं की ओर आते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि आप प्राचीन भारत देखें, जिसके बारे में श्री रामजीलाल सुमन ने उल्लेख किया, हमारे यहां हस्तकरघा उद्योग की परम्परा थी और हम जानते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने इसे नष्ट कर दिया। उन्होंने बनारस के कुशल बुनकरों की अंगुलियां काट डालीं।

भारत को कभी भी अकाल का सामना नहीं करना पड़ा। हमारे पास धन कम था किंतु भारत ने कभी भी उस तरह का अकाल नहीं देखा था जैसाकि ब्रिटिश शासन काल में भारत ने देखा, जिसकी परिणति बंगाल अकाल के रूप में हुई। हमारे यहां यह नहीं था, किंतु जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने जिस सामाजिक-आर्थिक दशा का सृजन किया वह उनकी अपनी व्यवस्था थी और उसे उन्होंने भारत पर थोप दिया। इसके परिणामस्वरूप हमारी जीवन पद्धति की पूरी पारम्परिक व्यवस्था पर प्रश्न चिह्न लग गया। उन दिनों इससे गहरा संकट शुरू हो गया जो बाद में अत्यन्त गंभीर संकट के रूप में पूरा हुआ और भारत को भयानक अकाल का सामना करना पड़ा जिसमें लोग मक्खियों की तरह मरे। उस अवधि के दौरान यह हुआ था। इसलिए यह राजनीतिक दृष्टिकोण राजनीतिक समझ का प्रश्न है।

हम अपने पारम्परिक उद्योगों का मामला लें जो कि लोगों को रोजगार देता था। मैं केरल राज्य से आता हूं। हमारा परम्परागत उद्योग नारियल जटा, काजू, हस्तकरघा, मत्स्यन, टाइलों इत्यादि का है। आज वे सभी संकट में हैं। माफ कीजिए यदि मेरा यह कहना गलत हो कि संभवत: यह उदारीकरण और भूमंडलीकरण का परिणाम है। सभी तरह का संरक्षण आधार मूल्य, खरीद मूल्य, छूट सम्बद्ध जो कि नारियल जटा उद्योग के लिए था समाप्त हो चुका है। आज इन सबका क्या परिणाम निकला? यह जानना रोचक है कि नारियल जरा उद्योग का निर्यात और उससे आय बढ़ गयी है अर्थात निर्यात काफी फल फूल रहा है किंतु रोजगार अवसर सबसे कम है। सभी माननीय सदस्य सोच सकते हैं कि इस तरह क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संगठित क्षेत्र को नष्ट कर दिया गया और इसे किसी भी हद तक दोहन करने के लिए कुटीर उद्योग का स्वरूप दे दिया है। भूख से मौतें हो रही हैं और बेरोजगारी की स्थिति पैर पसार रही है। यहां इस समय यह स्थिति है।

आप काजू उद्योग में भी यह स्थिति देख सकते हैं। काजू उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसके निर्यात से अधिक राजस्व प्राप्त होता है। काजू एक ऐसी चीज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खूब बिकती है। काजू प्रसंस्करण उद्योग में अधिकतर महिलाएं काम करती थी और अब अधिकांश महिलाएं बेरोजगार हैं। मैं समझता हूं कि अध्यक्षपीठ इससे विदित है क्योंकि वह उसी क्षेत्र से आते हैं। वे बेरोजगार हैं हालांकि निर्यात आय में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। यहां आप वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण होने वाले निर्माण शोषण को देख सकेंगे। इन उद्योगों और गरीब कामगारों के लिए जो भी सुरक्षा थी, वह धीरे-धीरे सब समाप्त कर दी गई है

और निर्यातकों को मुक्त छोड़ दिया गया है। निर्यातक दोनों हाथों से धन कमा रहे हैं। क्या यह नीति है? यहीं सामाजिक न्याय का प्रश्न उठता है। संविधान संशोधन का यही उद्देश्य है। मैं इस तरह के कई उदाहरण दे सकता हूं किंतु मैं सदन का समय व्यर्थ नहीं करना चाहता।

मिट्टी से टाईलें बनाई जाती हैं कि घरों को पक्का किया जाए और ऐसे ही अन्य कार्य किये जा सकें। यह टाईल उद्योग केरल के उत्तरी और मध्य भाग में लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। आज यदि आप उन जगहों पर जाएं तो देखेंगे कि उस क्षेत्र के उद्योग समाप्त हो गए हैं। माननीय सदस्य बीड़ी उद्योग के बारे में बात कर रहे थे। केरल के उत्तरी जिलों कसारगोद और कन्नूर में, कामगार सहकारी समितियों का गठन करके इस उद्योग को बचाने की कोशिश की गई। कुछ वर्षों तक इसने कार्य किया किंतु तब वैश्वीकरण का युग आया जिसने कामगारों पर ने आघात किये और अब सभी सहकारी समितियां मृतप्राय: हैं।

अरब सागर केरल के प्रति सदैव दयालु रहा है क्योंकि हम वहां से अनेकों मछली पकड़ते हैं और उसका निर्यात करते हैं। यद्यपि हम काफी मछली खाते हैं फिर भी हम इतनी मछली पकड़ लेते हैं कि उससे काफी बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। निर्यात से होने वाली आय अत्यधिक हैं। महोदय, आपको पता होगा कि ट्रालरों की अनुमति दी गई है और ट्रालरों के बहुराष्ट्रीय मालिक जो मन में आए, करते हैं। हमने विदेशी कंपनियों और भारतीय एकाधिकारवादियों को भारतीय सागरों में मछली पकड़ने की अनुमति दे दी है और वह 24 घंटे मछली पड़ रहे हैं। गरीब मछुआरों के लिए मछली पकड़ने की ज्यादा गुंजाइश नहीं ही है। यद्यपि बड़ा सागर होने के बावजूद उसके लिए मछली पकड़ने की ज्यादा संभावना नहीं रह गई है और वह भूखों मर रहा है। अत: हमें ज्यादा विधानों के अधिनियमन की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह लोगों को संरक्षित करने की इच्छा व्यक्त करता है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, अत: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

वास्तव में, सरकार द्वारा नीतिगत परिवर्तनों को लाने की जरूरत है। यदि इन परंपरागत उद्योगों को ठीक ढंग से चलाया जाए तो वह गरीब भारतीय लोगों की आजीविका के लिए सुदृढ़ आधार प्रस्तुत करेंगे। नीतियों ने उन गरीबों को मार डाला है क्योंकि कुछ भी नया नहीं बनाया गया है। अब वह नरक जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लोग बेरोजगार हैं और भूखों मर रहे हैं। हर जगह तंगहाली है। ऐसे में, मैं सरकार से ज्यादा दृढ़तापूर्वक कार्य करने की प्रार्थना करूंगा। सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए और इस सरकार को आम आदमी, गरीब बेरोजगार, अनपढ़ और बेबस लोगों के कल्याण में रत होना चाहिए। सरकार को अभी हस्तक्षेप करना चाहिए नहीं तो वह आने वाले लंबे समय तक ऐसी ही दशा में रहेंगे। यदि सरकार नष्ट करना चाहती है तो उसे आगे आना चाहिए और विधान निर्माण की जगह ठोस कार्य करना चाहिए ताकि हम ऐसी हालत में पहुंच सकें जहां भारतीय लोगों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिल सके।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं बसुदेव आचार्य जी द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक 2004, का सिद्धांतत: समर्थन करता हूं क्योंकि इसके पीछे सभी नागरिकों को समाजिक सुरक्षा देने की जो भावना है, मैं समझता हूं कि वह भावना अच्छी है लेकिन इससे पहले हमें सोचना पड़ेगा।

देश में अभी दसवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। आजादी प्राप्त किए लगभग 57 वर्ष हो गए हैं 57 वर्षों में कई सरकारें आई और गई। एक दूसरे को दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा। आखिर जो शासन में थे, उन्होंने सब कुछ करने का प्रयास किया लेकिन इसके बावजूद वांछित, अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं आए? गरीब ज्यादा गरीब क्यों हो गया, अमीर ज्यादा अमीर क्यों हो गया? विषमता की खाई क्यों बढ़ती चली गई? हमें इन कारणों के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अंग्रेजों के समय से लॉर्ड मैकाले द्वारा चलायी शिक्षा प्रणाली के कारण बेकारी को बढ़ावा मिला। आजादी के बाद हर नेता ने यही कहा कि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए लेकिन वहीं सैद्धांतिक शिक्षा बनी रही और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन की भावना या अपने हाथ जगन्नाथ की जो भावना बननी चाहिए थी, वह नहीं बनी। हर पढ़ा-लिखा नौकरियों की तरफ भागने लगा। जब रोजगार के अवसर सीमित हो गए नौकरियों नहीं मिली तो बेकारी बढ़ गई। परिणामस्वरूप आज बेकारी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही है। कालेज और बड़े-बड़े विश्वविद्यालय की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। उनमें सैद्धातिक ज्ञान प्राप्त करके पढ़ने वाले और पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करके पढ़ने वाले, बीए. की डिग्री लेकर या कोई डिप्लोमा प्राप्त करने वाले युवकों को जो काम देना चाहिए था, जो आज काम भी करना चाहते हैं, उनके काम के अवसर कम हो गए। उर्दू का एक शेर है "तू इधर-उधर की बात न कर, यह बता काफिला क्यों लूटा, मुझे राहजनी देने से गुरेज नहीं, सवाल तो तेरी रहबरी का है"- चाहे यह सरकार हो या दूसरी सरकार हो, इतनी नीतियां, योजनाएं और करोड़ों-अरबों रुपए खर्च करने के बाद बड़े-बड़े बांध बन गए, इतना वैज्ञानिक, भौतिक विकास हुआ लेकिन इसके बावजूद विषमता की खाई बढ़ी। गरीब

[प्रो. रासा सिंह रावत]

ज्यादा गरीब और अमीर ज्यादा अमीर हुआ। जहां बेरोजगारी को बढ़ाने में लॉर्ड मैकाले द्वारा शुरू शिक्षा नीति इसके लिए जिम्मेदार हैं, वहां बढ़ती जनसंख्या इसका एक कारण है। हालांकि चीन की जनसंख्या हम से ज्यादा है लेकिन उसने बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है लेकिन हमारी सरकार इस पर नियंत्रण प्राप्त कर पायी है। आजादी के 57 सालों के बाद भी गरीबी, भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, अशिक्षा और बीमारी तेजी से बढ़ी। इतना खर्चा करने के बाद कुछ नहीं हुआ। उत्पादन या सुधार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के हिसाब से हुआ लेकिन जनसंख्या 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 के हिसाब से बढ़ी। इसमें कोई तालमेल नहीं बैट पाया। इसलिए हमें मूल की तरफ देखना चाहिए। '' जो तू सेवे मूल को फूले फले अघाई'' हम मूल की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आखिर बढ़ती जनसंख्या को रोकने का क्या कोई उपाय है? हमें बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने का कोई प्रयास करना चाहिए। एक तरफ पहले वालों को रोजगार मिल नहीं पाता है और दूसरी तरफ हर साल नए बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। हर कोई पढ़-लिख कर नौकरियों की तरफ भागता है। किसान का बेटा पढ़ने-लिखने के बाद खेती करना चाहता, मजदूर का बेटा मजदूरी नहीं करना चाहता, लोहार का लड़का लोहारी का काम नहीं करना चाहता, कुम्हार का लड़का कुम्हारी का काम नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति पढ़-लिख कर नौकरी करना चाहता है जबकि पहले देश में गांव स्वावलम्बी होते थे। कहा जाता था कि खेती करने वाला खेती करेगा, बर्तन बनाने का काम करने वाला बर्तन बनाएगा, आभूषण बनाने वाला स्वर्णकार आभूषण बनाएगा। उस समय सारा समाज आत्मनिर्भर था और बंटा हुआ था। उस समय देश में कुटीर उद्योग थे। कौन नहीं जानता अंग्रेजों के आने से पहले ढाका की मलमल अंगूठी से निकाल ली जाती थी लेकिन उनके हाथ काट दिए गए और इंग्लैंड का तैयार किया माल हिन्दुस्तान में खपाने के लिए यहां के कुटीर, लघु और पारम्परिक उद्योगों को एक प्रकार से नष्ट कर दिया।

परिणामस्वरूप कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या ग्रामोद्योग, हमारे परम्परागत उद्योग नष्ट हो गये हैं। हमारी मानसिकता में परिवर्तन आ गया है। ये पढ़-लिखकर लोग व्हाइट कॉलर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं या पंखे की छाया चाहते हैं। कोई हाथों से काम नहीं करना चाहता है। इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होने के कारण हमारा देश गरीबी का शिकार होता जा रहा है और गरीबी बढ़ती जा रही है।

सभापति महोदय, रामचरित मानस में एक दृष्टांत आता है। जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंका के लिये लंका जाने लगे तो एक पौरिणिक कथा के अनुसार सांपों की माता सुरसा हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिये आई। तुलसीदास जी लिखते हैं 'जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा' जैसे जैसे सुरसा ने मुंह फैलाया, वह बड़ा होता गया, उससे भी दूना रूप हनुमान जी का होने लगा। परिणामस्वरूप 100 योजन मुंह फैलाने पर हनुमान जी सूक्ष्म बनकर उसके मुंह में वापस जाकर बाहर आ गयें। इस प्रकार हनुमान जी परीक्षा में खरे उतरे। यही हाल हमारे देश की आबादी का है। यह रोज ही सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है।

सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है। संविधान संशोधन में उसे लाने की आवश्यकता है लेकिन मै समझता हूं कि जितने पढ़े-लिखे लोग हैं, उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। संविधान में शिक्षा एक मौलिक अधिकार है लेकिन प्राथमिक शिक्षा के लिये, मानव संसाधन बढ़ाने के लिये, स्वाभिमान बनाने के लिये, आदर्श नागरिक बनाने के लिये तथा तकनीक प्राप्त करने के लिये शिक्षा दी जानी चाहिये। लेकिन केवल मात्र पढ़े-लिखे लोग निकालें जायें तो हाथ से काम नहीं करें तो यही कहेंगे 'निकले है कहां जाने के लिये पहुंचेंगे कहां, यह मालूम नहीं इस राह में भटकने वालों की मंजिल की दिशां मालूम नहीं' अगर बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जायेगी तो एक प्रकार से पूरे देश पर भार पड़ेगा। इससे समस्या पैदा होगी। संविधान में अपने आप इस बात की व्यवस्था है, तो श्री बसुदेव आचार्य जी के विधेयक में इस बात की आवश्यकता नहीं थी। संविधान की धारा 41 में लिखा है:

'राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य, विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता तथा अन्य अभाव की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का उपबंध करेगी।' यह सरकार के लिये पाबंदी लगा दी गई है। राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के पास जितनी सीमायें हैं, उनके भीतर रहकर वह जो काम प्राप्त करना चाहती हैं, उसके लिये श्रम नियोजन कार्यालय खोले गये। हमें रोजगार कार्यालयों में जाकर पता लगाना होगा कि एक साल के अंदर कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। कई लोगों के वर्षों से नाम पंजीकृत होते हैं लेकिन अच्छी नौकरी नहीं मिलने उनके नाम पंजीकृत रहते हैं। नई नौकरियां 'ऊंट के मुंह में जीरे' के समान है। इसलिये कहा गया है कि राज्य काम देने के लिये, बेकारी दूर करने के लिये और शिक्षा देने के लिये प्रयास करेगा। अगर बुढ़ापे की अवस्था है, निशक्कतता है या अन्य कोई अपंग या अपाहिज जिसका कमाने वाला कोई नहीं है, उस दशा में सरकार सहायता देने के लिये प्रयास कर रही है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये गांवों में विधवाओं को पेंशन दी जा रही है। 65 साल के बूढ़ों को मासिक 200 रुपये या 300 रुपए पेंशन दी जा रही है। हर सरकार ने अपने स्तर पर इस प्रकार का प्रयास किया हुआ है। यदि कोई व्यक्ति अकाल-मृत्यु का शिकार हो जाता है, जब वह खेती का

काम करते हुये, बिजली का काम करते हुये ऐसे लोगों को मुआवजा दिया जाता है। यहां तक कि सड़क दुर्घटना में मरने वाले के परिवार को सहायता दी जाती है। सरकार अपने आर्थिक संसाधनों के अनुरूप कार्य कर रही है लेकिन जितना करना चाहिये, उतना नहीं हो पा रहा है। हम एक-दूसरे को दोष देते रहेंगे, अगर आत्मचिन्तन नहीं करेंगे तो यह कहना बेकार होगा।

माननीय बसुदेव आचार्य जी चले गये हैं। जब मै पहली बार कलकत्ता गया तो मैंने देखा कि वहां जो तांगा होता है, उसे इंसान ही खींचता है। हमारे यहां उसमें घोड़ा जोतते हैं। लेकिन मैंने वहां इंसान को तांगा खींचते हुए देखा। एक आदमी दूसरे आदमी को बैठाकर खींच रहा है और आप सवारी के रूप में बैठे हुए हैं। वह कोई साइकिल या रिक्शा वाला तांगा नहीं होता, उसे आदमी स्वयं खींचता है। बंगाल में कम्युनिस्टों का शासन चलते हुए लगभग 30 साल हो गये हैं। इतने सालों तक उनका शासन होते हुए भी वे उस व्यवस्था को बदल नहीं सके। एक आदमी तांगे में बैठकर दूसरे आदमी पर अत्याचार कर रहा है।

कलकत्ता में फुटपाथों पर रात को हजारों व्यक्ति सोते हैं। किसी कवि ने ठीक ही लिखा है-

> "श्वानों को मिलता दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं,
> मां की छाती से चिपक, सिसक-सिसक रह जाते हैं।"

वहां भी ऐसी स्थिति देखी। चाहे बंगाल हो, केरल हो, राजस्थान हो या आसाम हो। चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, गरीबी सर्वत्र है। यह कहने से कुछ नहीं होगा कि गरीबी हमारे यहां नहीं हैं और जगहों पर है, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। सब कुछ करने के बावजूद आखिर यह स्थिति क्यों है। परनाला वहीं क्यों गिर रहा है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि सिद्धांततः जो सामाजिक सुरक्षा की बात कही गई है, सामाजिक न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय सबको मिले, सबको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत माननीय सदस्य आचार्य जी ने इसे बहुत विस्तृत कर दिया है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि 21 (ख) का संविधान में समावेश किया जायेगा। सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। इसके साथ यह भी लिखा है, मान लो यह एक्ट बन जाए, तो फिर उन्होंने कहा है कि एक साल के अंदर सरकार ऐसा कानून बनाये, जिससे सारे नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके।

हम जानते हैं कि हमारे समाज में असंगठित श्रमिक भी हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिक भी हैं और छोटे बालकों से भी श्रम का काम लिया जाता है। उनसे होटलों आदि में मजदूरी वगैरह का काम लिया जाता है। यह सारी स्थिति हमारे सामने हैं। बूढ़े भी हैं, रोगी भी हैं, विधवा भी हैं, बेसहारा भी हैं तथा बेरोजगार नौजवान भी हैं, इन सबका इंतजाम होना चाहिए। बेरोजगार नौजवानों को बेकारी भत्ता मिलना चाहिए। मैं भारत सरकार की तरफ से तीन-चार वर्ष पहले यूनेस्को के सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस गया था। जहां यूनेस्को सम्मेलन होने वाला था, उस रास्ते में एक जगह चौड़ा मैदान था, जहां हजारों नौजवान खड़े थे। मैंने पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। फ्रांस बड़ा उन्नतिशील तथा साधन-सम्पन्न राष्ट्र है। मुझे जवाब मिला कि ये लोग बेकारी भत्ता बढ़ाये जाने की मांग कर रहे हैं। मैंने पूछा कि इन्हें अभी कितना मिलता है। उन्होंने बताया कि 250 फ्रैंक प्रति माह एक नौजवान को मिलता है और फिर भी वे बेकारी भत्ता बढ़ाये जाने की मांग कर रहे थे। हमारे पांच रुपये का एक फ्रैंक है। पांच रूपये को यदि 250 रुपये से गुणा करे तो कितना सारा पैसा हो जायेगा। फिर भी वे पैसा बढ़ाये जाने की मांग कर रहे थे। उन्नत से उन्नत देश जो साधन-सम्पन्न भी हैं, वे बेकारी भत्ता देने की स्थिति में हैं। हमारी एन.डी.ए. की सरकार ने भी इस बारे में काफी चिंतन किया था। मैं समझता हूं कि आने वाली सरकार भी उस परम्परा का निश्चित रूप से पालन करेगी कि बेरोजगार नौजवानों को बेकारी भत्ता दिया जाए। इसमें बेकारी भत्ता देने का प्रावधान भी है। ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष की हो गई है और जिनके पास आय का कोई साधन नहीं हैं, वे सम्मानजनक जीवन जी सकें, इसके लिए बुढ़ापे की पेंशन बीमारी और लाचारी में दवाइयों वगैरह की सहायता मिलनी चाहिए. अपंग या अपाहिज, जिनके पास कोई साधन नहीं हैं, उन्हें निशक्तता भत्ता तथा अन्य सहायता प्राप्त होनी चाहिए और उनका स्वास्थ्य का बीमा होना चाहिए। इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा....

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, इस विषय के लिए मिला समय समाप्त होता है। यदि सदस्य सहमत हों तो हम इसे आधे घंटे के लिए बढ़ा सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्यः जी हां।

सभापति महोदयः अतः समय बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावतः इसलिए मैं समझता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक के पीछे जो भावना हैं, वह भावना वास्तव में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की है। कोई भी सरकार हो और चाहे किसी भी विचारधारा का शासन हो, निश्चित रूप से वह सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता अवश्य प्रदान करेगी। समाज के

[श्री रासा सिंह रावत]

अंदर हमारा कर्तव्य है-''भूखा प्यासा पड़ा पड़ौसी, तूने रोटी खाई क्या, सबसे पहले पूछकर भोजन को तू खाया कर'' हमारी संस्कृति यह कहती है और जब हम प्रार्थना करते हैं-

''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यंतु, मा कश्चिद दुख भाग्भवेत''

सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपया करो भगवान, कोई रोगी न रहे। सुखी रहे संसार सब, दुखी रहे ना कोई, सब यही बात करते हैं। हमारे यहां यही सोचा जाता है कि परमात्मा हमें ऐसी शक्ति दे कि हम दुखी लोगों की सहायता कर सकें। वस्तव में कहा गया है कि:-

''कबिरा सोई पीर है जो जाने पर पीर।
जो पर पीर न जानहिं सो काफिर बेपीर।''

इसलिए वही सच्चा पीर है जो पराई पीर को जानता है और दूसरों की मदद करता है। इसलिए हमारे यहां कहा गया है कि:-

''परहित सरिस धरम नहिं भाई, पर पीड़ा सम नहिं अधमाई।''

दूसरों की भलाई के समान कोई परोपकार की वस्तु नहीं है धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। हमारी संस्कृति यही कहती है। इसलिए मैं संस्कृति से प्रेरणा लेकर हम सबको अपने राष्ट्र में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ऐसी आदर्श व्यवस्था देश में कायम करनी चाहिए कि कोई भूखा, नंगा नहीं रहे, कोई बेरोजगार नहीं रहे। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी और हर मजदूर को सहारा प्राप्त हो, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): सभापति महोदय, मुझे लगता है कि छः बजे सदन उठेगा और उससे पहले मैं ही अंतिम वक्ता हूं।

सभापति जी, बसुदेव आचार्य जी जो अनुच्छेद 21 में संशोधन का विधेयक लेकर आए हैं, मुझे लगता है कि अभी तक आर्टिकल 41 में जो नीति निर्देशक तत्वों में जिसको स्टेट चाहे या न चाहे वहां ये प्रावधान थे और उसको वे मौलिक अधिकारों में लेकर आना चाहते हैं। उनकी भावना से लगभग सभी वक्ता सहमत हैं। निश्चित रूप से जहां कल्याणकारी राज्य हैं, वैलफेयर स्टेट हैं, वहां अपने नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा की चिन्ता करना, चाहे वृद्धावस्था में सहायता हो, या कोई स्त्री यदि निराश्रित रूप में विधवा का जीवन व्यतीत कर रही है, आय का साधन नहीं है, उसकी मदद होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति और नौजवान के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए और सरकार के अनेकानेक जो दायित्व हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, वे निश्चित रूप से आवश्यक हैं। केरल के माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा केरल राज्य का अनेक क्षेत्रों में उदाहरण दिया और वास्तव में भले ही हमारी वैचारिक भिन्नता हो कि वहां किस दल का शासन है और हमारा जो प्रांत है वहां किस दल का शासन है और केन्द्र में किस पार्टी का शासन है लेकिन तथ्य अपने स्थान पर तथ्य ही रहेगा। जो मूल भावना उन्होंने रखी कि शिक्षा का जो घनत्व और प्रतिशत वहां अधिक था और पब्लिक अवेयरनैस, कनसैन्सस और उसमें पोलिटिकल विल और पब्लिक मोबिलाइजेशन का परिणाम यह हुआ कि वहां पापुलेशन पर कंट्रोल हुआ। दूसरा जिस तरह से हैल्थकेयर के क्षेत्र में विषय रखा, बहुत अच्छा विषय वहां से आया और इसके अलावा इंप्लायमेंट के लिए और अन्य विषयों में तथा साथ में जो कठिनाइयां आई हैं, वह भी विद्यमान है कहीं न कहीं लगता है कि उदारीकरण का 1992 में जो निर्णय हुआ उससे देश का विकास हुआ या परेशानियां हुई, इस बारे में दोनों तर्क हैं। उस निर्णय को चूंकि पश्चातवर्ती सरकार में हम रहे और लगभग साढ़े छः वर्षों तक एनडीए में एक छोटे से सहयोगी के रूप में कार्य करने का अवसर मुझे भी मिला और मेरा यह मानना है कि यह बात सही है कि जब तक हम अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए सक्षम नहीं है, टैक्नोलाजी के क्षेत्र में हमारी अपनी स्वदेश की टेक्नोलाजी बाहर के देश से कंपीट करने के लिए तैयार नहीं है तो यह जो विश्व बाजारीकरण का युग हैं, और देश के सामने अनेक कठिनाईयां है। उसमें सस्ता और अच्छा तथा तत्काल जिसका कार्य होना है उसका तो चलेगा पुरानी टेक्नालोजी के आधार पर मार्केट में आपका उत्पादित माल बाजार नहीं पकड़ सकता, लिहाजा जो नारियल से जुड़े हुए या टाइल्स की इंडस्ट्री का जिक्र किया, इससे जुड़े हुए अनेक क्षेत्र हैं जहां यह कठिनाई आई है। लेकिन जब एक सरकार रहती है और दूसरी सरकार आती है तो रिले रेस की तरह होता है। रिले रेस में एक रनर जाता है तो अपना झंडा दूसरे को पकड़ाता है।

यह सहभागी धारक का परम कर्तव्य है। दूसरा दौड़ रहा है, वह आधे से आगे की ओर दौड़ेगा। अगर वह पीछे दौड़ने लगेगा, तो वह दौड़ में कामयाब नहीं हो सकता। जो यू.पी.ए. की मौजूदा सरकार है, उसने पिछली सरकार की कुछ परियोजनाओं को ज्यों का त्यों स्वीकार किया है। उनमें से एक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना है। उसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, हालांकि इस समय उसका जिक्र करना विषय से भिन्न होगा, लेकिन उस योजना में लाखों लोगों को रोजगार का अवसर मिल रहा है। इसके दो फायदे हैं, एक तो इससे देश के भीतर यातायात में सुधार होगा

और दूसरे विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्र शहरों से जुड़ेंगे। यह काम तेजी से बढ़े, हर सदस्य की यही भावना है। मौजूदा समय में, वर्तमान सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वह इस योजना को निर्धारित समय में पूरा करे और इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाए।

सभापति महोदय, सोश्यल सिक्योरिटी के क्षेत्र में एन.डी.ए. सरकार के समय में बहुत अच्छे निर्णय हुए, जिनमें से कुछ का उल्लेख वरिष्ठ सदस्य श्री रासा सिंह रावत जी ने किया। कुछ की जानकारी मेरे पास भी है। जैसे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां लगभग 7.50 लाख हैं। इनका मानदेय पिछली सरकार के समय में दोगुना किया गया। इनका बीमा नहीं था। इनका 50 हजार रुपए का बीमा किया गया हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अन्तर्गत गरीब व्यक्ति का मात्र डेढ़ रूपए के बीमे पर स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत 30 हजार रुपए का बीमा किया गया, ताकि उसे अपने इलाज के लिए पैसा मिल सके। यह व्यवस्था पिछली सरकार के समय में की गई।

महोदय, किसानों का भी उल्लेख हुआ। कृषक का उत्पादन बढ़े, उसे पूंजी का अभाव न हो, इस हेतु भी व्यवस्था की गई। फसल बीमा की व्यवस्था की गई है। इसका लाभ भी काफी किसानों ने उठाया है। यह जरूर है कि कुछ क्षेत्रों में कृषि की उत्पादन लागत अधिक होने से उसका लाभ किसानों को नहीं मिला जिसके कारण किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसकी गहराई से जांच-पड़ताल होनी चाहिए। उसमें जो कमियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। किसानों की फसलों का जो बीमा किया गया, उसका लाभ किसानों ने उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

महोदय, किसानों को आसानी से ऋण मिल सके, इसके लिए एक यूनीक स्कीम सामने आई थी जिसे किसान क्रेडिट कार्ड की योजना के नाम से जाना जाता है। अधिकांश किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। बहुत कम लोग बचे हैं जिन्हें ये कार्ड दिए जाने हैं। मुझे जानकारी है कि मौजूदा सरकार उस टारगेट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ी है। आज जिन किसानों के पास क्रेडिट कार्ड हैं, वे आसानी से उसे दिखाकर ऋण ले सकते हैं।

महोदय, अभी श्री बसुदेव आचार्य ने बार-बार वीवर्स का जिक्र किया। पिछली सरकार ने बुनकरों की कठिनाई को समझा और उसने बुनकर क्रेडिट कार्ड शुरू किया। इस अवसर पर, इसका लाभ उठाते हुए मैं बताना चाहता हूं कि मैं उत्तरांचल से आता हूं वहां मुख्य रूप से निर्माण कार्य किया जाता है। निर्माण कार्यों में लगे हुए मुख्य कर्मियों को स्थानीय भाषा में शिल्पकार कहा जाता है। वे अधिकांश पत्थर चिनाई का काम करते हैं, कुछ बढ़ई का काम करते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। उन्हें ऋण उपलब्ध नहीं होता है। उन्हें औजारों के लिए अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए जब ऋण की आवश्यकता होती है, तो वह उन्हें नहीं मिलता है। इसी प्रकार से लोहे का काम करने वाले छोटे-छोटे लुहार हैं, उन्हें जब ऋण की आवश्यकता होती है, तो वह उपलब्ध नही होता है। जब किसान के लिए बुनकर के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु सारी सुविधाएं दी गई है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो शिल्पकार हैं, दस्तकार हैं, उनके लिए भी सामाजिक रूप से आर्थिक सहायता मिले, इस हेतु शिल्पकार क्रेडिट कार्ड के नाम से योजना शुरू की जाए। यह निवेदन मैं सरकार से करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रावत आप अपना भाषण आज समाप्त करें या फिर आप उसे अगले गैर-सरकारी कार्य-दिवस पर अवसर दे सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब सदन स्थगित होगा और चर्चा अगले गैर-सरकारी कार्य-दिवस को हो सकती है।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': ठीक है। श्रीमान मै अगले गैर-सरकारी कार्य-दिवस पर अपना भाषण जारी रखूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा सोमवार 6 दिसंबर, 2004 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 6 दिसंबर, 2004/15 अग्रहायण, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री विजय कृष्ण श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	41
2.	श्री मिलिन्द देवरा	42
3.	श्री बालासाहिब विखे पाटील श्री किरिप चालिहा	43
4.	श्री अधीर चौधरी श्री निखिल कुमार	44
5.	श्री प्रभुनाथ सिंह	45
6.	श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण श्री राजनरायन बुधौलिया	46
7.	श्री गुरुदास दासगुप्त प्रो. चन्द कुमार	47
8.	श्री सुकदेव पासवान	48
9.	श्री भर्तृहरि महताब श्री के.सी. पलनिसामी	49
10.	श्री के. सुब्बारायण	50
11.	श्री दलपत सिंह परस्ते श्री सुशील कुमार मोदी	51
12.	श्री बृजेश पाठक	52
13.	श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद श्री बालेश्वर यादव	53
14.	श्री तुकाराम गंगाधर गदाख	54
15.	श्री सूरज सिंह श्री दानवे रावसाहेब पाटील	55
16.	डा. राजेश मिश्रा	56
17.	श्री देविदास पिंगले प्रो. महादेवराव शिवनकर	57
18.	श्रीमती सी.एस. सुजाता श्री पी.सी. थामस	58
19.	श्री पी. राजेन्द्रन	59
20.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	60

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	535, 669
2.	आदित्यनाथ, योगी	563, 616
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	507, 542, 592, 621
4.	अंगड़ि, श्री सुरेश	559, 644
5.	आठवले, श्री रामदास	488, 516
6.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	629
7.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	467, 583
8.	बैठा, श्री कैलाश	688
9.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	514, 579, 612, 626, 635
10.	बर्मन, श्री हितेन	485, 643
11.	बर्मन, श्री रनेन	640
12.	बखला, श्री जोवाकिम	485
13.	भक्त, श्री मनोरंजन	517
14.	भार्ग, श्री गिरधारी लाल	531
15.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	474, 550, 599
16.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	473, 557, 612
17.	चक्रवर्ती, श्री अजय	484, 561
18.	चालिहा, श्री किरिप	562, 630
19.	चन्देल, श्री सुरेश	462, 541, 602, 622, 631

1	2	3
20.	चन्द्र कुमार, प्रो.	540, 564, 615
21.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	476, 556, 597
22.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	490, 543, 568, 596
23.	चिन्दा मोहन, डा.	650
24.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	649
25.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	482
26.	चौधरी, श्री पंकज	647, 665, 686
27.	चौधरी, श्री अधीर	539, 591, 619, 629
28.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	548, 597, 620, 630
29.	देवरा, श्री मिलिन्द	656, 657
30.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	612
31.	गढ़वी, श्री पी.एस.	519, 582, 672, 685
32.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	490
33.	गांधी, श्रीमती मेनका	473
34.	गंगवार, श्री संतोष	473, 515, 580, 613
35.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	543, 560
36.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	640
37.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	500, 631
38.	जगन्नाथ, डा. एम.	594, 623
39.	जयाप्रदा, श्रीमती	524
40.	झा, श्री रघुनाथ	525, 629
41.	जोगी, श्री अजीत	534, 552, 564, 588, 614
42.	जोशी, श्री प्रहलाद	473
43.	कलमाड़ी, श्री सुरेश	513, 664
44.	कामत, श्री गुरुदास	582
45.	कनोडीया, श्री महेश	661
46.	करुणाकरन, श्री पी.	522, 552, 667
47.	खन्ना, श्री अविनाश राय	637
48.	खारवेनथन, श्री एस.के.	529, 569, 640, 653
49.	कृष्ण, श्री विजय	544, 593, 618, 628
50.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	471, 572
51.	कुरूप, श्री सुरेश	50 6
52.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	473, 512, 578, 611, 684
53.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	492, 659
54.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	468
55.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	473, 521, 583
56.	महाजन, श्री वाई.जी.	596, 612, 623
57.	महतो, श्री बीर सिंह	496, 567, 569
58.	महतो, श्री सुनिल कुमार	616, 641, 658
59.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	498, 569, 624, 633, 648
60.	माझी, श्री परसुराम	473, 477, 488, 558
61.	मरन्डी, श्री सुदाम	533
62.	मेघवाल, श्री कैलाश	461, 537, 590, 617, 627
63.	मेहता, श्री आलोक कुमार	549, 630
64.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	493
65.	मिश्रा, डा. राजेश	554, 601

1	2	3
66.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	636
67.	मोदी, श्री सुशील कुमार	473, 563
68.	मोहन, श्री पी.	508, 574
69.	मुकीम, मो.	549
70.	मोल्लाह, श्री हन्नान	466
71.	मूर्ति, श्री ए.के.	508
72.	मुन्शी राम, श्री	480, 520, 666, 678, 686
73.	मुर्मू, श्री हेमलाल	481, 559
74.	नायर, श्री पी.के. वासुदेवन	476, 548, 556
75.	नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	505
76.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	612
77.	नायक, श्री अनन्त	464, 496, 563, 577, 674
78.	निखिल कुमार, श्री	629
79.	निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	552, 673
80.	नीतीश कुमार, श्री	473, 659, 665
81.	ओराम, श्री जुएल	503, 571, 608, 682, 688
82.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	504, 563, 629, 662
83.	पाल, श्री राजाराम	673
84.	पलानिसामी, श्री के.सी.	497, 654
85.	पाण्डा, श्री प्रबोध	553, 623
86.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	499, 515
87.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	549, 598, 681
88.	पासवान, श्री रामचन्द्र	475, 687
89.	पाठक, श्री ब्रजेश	551, 600
90.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	545, 594
91.	पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	495, 652, 675
92.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	473, 661, 675
93.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	538
94.	पिंगले, श्री देविदास	473, 555, 596
95.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	638
96.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	473, 514, 638, 661, 676
97.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	511, 589
98.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	642
99.	राजेन्द्र कुमार, श्री	473, 532, 587
100.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	470
101.	राणा, श्री काशीराम	478, 557, 603, 655,
102.	राव, श्री के. एस.	498, 569, 607, 633, 671
103.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	497, 568, 606, 687, 689
104.	राव, श्री डी. विट्टल	489, 565, 588, 604
105.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	485, 490, 555, 568
106.	रावले, श्री मोहन	501, 573, 585
107.	रावत, श्री कमला प्रसाद	501, 645, 663, 671
108.	रावत, प्रो, रासा सिंह	473, 501
109.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	526, 563, 567, 668, 680,
110.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	465, 473, 586
111.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	629
112.	रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	639, 660

1	2	3
113.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	548
114.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	518, 552
115.	रिजीजू, श्री खीरेन	632
116.	साई प्रताप, श्री ए.	469, 569, 638, 688,
117.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	509, 575, 610, 625, 634
118.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	485
119.	सत्पथी, श्रीतथागत	530
120.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	483, 560, 603, 630,
121.	सेन, श्रीमती मिनाती	485,
122.	सेठी, श्री अर्जुन	479, 558,
123.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	472, 546, 640,
124.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	539, 591
125.	शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	615,
126.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	507, 559, 573, 609, 683
127.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	473, 480, 581, 677
128.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	485, 564, 587
129.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	473, 508, 612,
130.	सिंह, श्री चन्द्रभान	494
131.	सिंह, श्री दुष्यंत	491, 566, 605
132.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	536, 589, 616, 618,
133.	सिंह, श्री मोहन	520, 619,
134.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	547, 595, 629, 661,
135.	सिंह, श्री सीताराम	563, 603, 650,
136.	सिंह, श्री सुग्रीव	485, 488,
137.	सिंह, श्री सूरज	473, 552, 553,
138.	सिंह, श्री उदय	619, 629, 651,
139.	सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह	486
140.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	463, 485
141.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	687,
142.	सुमन, श्री रामजीलाल	473, 524, 650, 665,
143.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	476, 556,
144.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	473, 640, 646,
145.	थामस, श्री पी. सी.	473, 576,
146.	ठुम्मर, श्री वी. के.	502, 570,
147.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	499
148.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	523, 548, 553, 584, 679,
149.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	560,
150.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	557, 658,
151.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	527, 563,
152.	विनोद कुमार, श्री बी.	502, 528, 533, 553,
153.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	552,
154.	यादव, श्री बालेश्वर	473, 499, 670,
155.	यादव, श्री गिरिधारी	518, 580, 603, 655, 661,
156.	यादव, श्री पारसनाथ	480, 687,
157.	यादव, श्री राम कृपाल	633,
158.	यादव, श्री रमाकान्त	475, 501, 552, 687,
159.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	510, 601, 620,
160.	जाहेदी, श्री महबूब	687,

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	45, 53, 54, 58, 59, 60
कंपनी कार्य	:	52
वित्त	:	43, 44, 47, 48, 55, 56, 57,
विधि और न्याय	:	
ग्रामीण विकास	:	41, 42, 46, 51
वस्त्र	:	49, 50,

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	463, 470, 475, 478, 485, 486, 496, 498, 505, 509, 510, 511, 515, 516, 517, 526, 539, 556, 557, 558, 571, 575, 576, 577, 580, 586, 589, 591, 598, 605, 606, 614, 618, 623, 631, 632, 634,
कम्पनी कार्य	:	549, 641, 671, 673,
वित्त	:	461, 462, 465, 466, 467, 468, 471, 474, 476, 477, 479, 480, 483, 487, 494, 495, 497, 500, 502, 504, 507, 512, 518, 519, 521, 522, 523, 528, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 553, 554, 560, 562, 564, 570, 572, 581, 582, 584, 590, 592, 593, 594, 597, 599, 600, 601, 607, 608, 609, 610, 613, 617, 619, 621, 625, 626, 627, 629, 630, 633, 635, 636, 637, 639, 643, 644, 647, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 672, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 685, 686, 688, 689,
विधि और न्याय	:	464, 484, 501, 506, 508, 520, 525, 529, 538, 540, 550, 551, 552, 559, 573, 574, 583, 602, 603, 622, 624
ग्रामीण विकास	:	469, 473, 481, 488, 491, 492, 493, 513, 514, 527, 563, 568, 569, 578, 612, 615, 638, 640, 642, 646, 655, 674, 687,
वस्त्र	:	472, 482, 489, 490, 499, 503, 524, 530, 533, 541, 555, 561, 565, 566, 567, 579, 585, 587, 588, 595, 596, 604, 611, 616, 620, 628, 645, 649, 684.

पी.एल.एस.—48/5/3/2004 (एम०)
251

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज एसोसिएट्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।